

सत्यमेव जयते

**आर्थिक सर्वेक्षण,
दिल्ली
2020-21**

**योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
मार्च 2021**

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली – 2020–21

तैयार करने संबंधी टीम

टीम प्रमुख

श्री संदीप कुमार, सचिव (योजना)

टीम के सदस्य

श्री अशोक कुमार, श्रीमती मंजू साहू, श्री डी. बी. गुप्ता, श्री प्रेमानंद प्रुस्टी, श्री सी. के. दत्ता, श्री मनीष देव, श्री दीपक कुमार, श्री शान-ए-आलम, श्री के. आर. छिब्र, श्रीमती सवीता कंबोज, श्री ए.के. गोएल, श्रीमती आसमती, श्रीमती रजनी गोविल, डॉ. आशुतोष, श्रीमती सस्मीता साहू, श्री राजेन्द्र, श्री बाल कृष्ण, श्रीमती सुषमा शर्मा, श्री संजय शर्मा, कु.मनीषा, श्रीमती उर्मिला, श्री शाहीद, श्री दीदार सिंह

सांख्यिकीय सहायता

श्री विनीत भारद्वाज, श्री संजीव कुमार, श्री शुभम गुप्ता, श्री अमित शर्मा, श्री मुनीष, श्रीमती गिन्नी कपूर, श्री आलोक, श्री प्रतीक, श्रीमती सीमा राजपूत, श्रीमती नीतू भारती, श्रीमती मोनीका, श्री नवीन, श्रीमती कविता, श्री प्रशांत, श्री प्रशांत शर्मा, श्रीमती अनुज, श्री अमित कुमार, सुश्री तन्वी, श्री हेमवीर, किरन, श्वेता, अंजली, मनुमीता

सर्वेक्षण विषय

क्षेत्र	क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	1.	प्रस्तावना	1
अर्थव्यवस्था और वित्त	2.	राज्य की अर्थव्यवस्था	22
	3.	योजनाओं / कार्यक्रमों / परियोजनाओं के लिए बजट	34
	4.	सार्वजनिक वित्त	41
	5.	व्यापार एवं वाणिज्य	77
	6.	मूल्य प्रवृत्तियाँ	97
कृषि और पर्यावरण	7.	कृषि और ग्रामीण विकास	106
	8.	पर्यावरणीय सरोकार	120
इंफ्रा सेक्टर	9.	औद्योगिक विकास	160
	10.	दिल्ली में पर्यटन	180
	11.	ऊर्जा	195
शहरी विकास क्षेत्र	12.	परिवहन	208
	13.	जल आपूर्ति एवं सीवरेज	230
	14.	आवास एवं शहरी विकास	253
सामाजिक क्षेत्र	15.	शिक्षा	278
	16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	304
	17.	समाज कल्याण और सुरक्षा	332
	18.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	361
जनसांख्यिकी और रोजगार	19.	जनसांख्यिकीय स्वरूप	368
	20.	दिल्ली में गरीबी रेखा	383
	21.	रोजगार और बेरोजगारी	391

तालिकाएं

तालिका संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
तालिका 1.1	दिल्ली एक नज़र में	405
तालिका 1.2	दिल्ली की अखिल भारत के साथ तुलना	407
तालिका 2.1	आर्थिक गतिविधि—वार जीएसवीए और जीएसडीपी—प्रचलित मूल्यों पर	408
तालिका 2.2	आर्थिक गतिविधि—वार एनएसवीए और एनएसडीपी—प्रचलित मूल्यों पर	409
तालिका 2.3	आर्थिक गतिविधि—वार जीएसवीए और जीएसडीपी—स्थिर मूल्यों पर	410
तालिका 2.4	आर्थिक गतिविधि—वार एनएसवीए और एनएसडीपी—स्थिर मूल्यों पर	411
तालिका 3.1	11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक सेवाएं क्षेत्र का व्यय	412
तालिका 3.2	12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक सेवाएं क्षेत्र का व्यय और परिव्यय (2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17)	413
तालिका 3.3	2017-18 से कार्यक्रमों/परियोजनाओं का सामाजिक सेवाएं क्षेत्र का व्यय	414
तालिका 3.4	2020-21 में सामाजिक सेवाएं क्षेत्र का परिव्यय	415
तालिका 3.5	कार्यक्रमों/परियोजनाओं का परिव्यय और व्यय 2017-18	416
तालिका 3.6	कार्यक्रमों/परियोजनाओं का परिव्यय और व्यय 2018-19	417
तालिका 3.7	कार्यक्रमों/परियोजनाओं का परिव्यय और व्यय 2019-20	418
तालिका 3.8	कार्यक्रमों/परियोजनाओं का परिव्यय 2020-21	419
तालिका 4.1	राजस्व प्राप्तियां	420
तालिका 4.2 (क)	दिल्ली सरकार की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां	421
तालिका 4.2 (ख)	दिल्ली सरकार की समेकित निधि में पूंजी प्राप्तियां	422
तालिका 4.2 (ग)	दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियां	423
तालिका 4.3 (क)	दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष / घाटा स्थिति	424
तालिका 4.3 (ख)	दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष / घाटा स्थिति, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	425
तालिका 4.3 (ग)	दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष / घाटा पिछले वर्ष के प्रतिशत के रूप में	426
तालिका 4.4	सभी राज्यों का योजना और गैर योजना—व्यय, राजस्व और पूंजी विवरण	427

तालिका संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
तालिका 4.5 (क)	सामान्य श्रेणी राज्यों के संदर्भ में निजी कर राजस्व	428
तालिका 4.5 (ख)	सामान्य श्रेणी राज्यों के संदर्भ में निजी कर राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	429
तालिका 4.6 (क)	दिल्ली में वार्षिक योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संसाधन 2012-13 से 2016-17	430
तालिका 4.6 (ख)	संसाधनों की प्राप्ति 2017-18 से 2020-21 (ब.अ.)	431
तालिका 4.7	तुलनात्मक वित्तीय सूचकांक 2010-1 से 2020-21 तक	432
तालिका 4.8 (क)	सामान्य श्रेणी राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष / घाटा	434
तालिका 4.8 (ख)	सामान्य श्रेणी राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष / घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	435
तालिका 4.9 (क)	2010-11 से 2015-16 के दौरान राज्यों का योजना व्यय और 2016-17 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान राज्यों का विकास व्यय	436
तालिका 4.9 (ख)	2010-11 से 2015-16 के दौरान राज्यों का योजना व्यय और 2016-17 से 2019-20 (RE) के दौरान राज्यों का विकास व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	437
तालिका 4.10	सामान्य श्रेणी राज्यों और भारत सरकार का जीएसडीपी और जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर	438
तालिका 6.1	महीना और वर्ष वार अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100)	439
तालिका 6.2	भारत में बड़े शहरों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए समूह-वार मूल्य सूचकांक अंक 2018 और 2019	440
तालिका 7.1	दिल्ली का भूमि उपयोग पैटर्न : 2000-01 से 2019-20	441
तालिका 7.2	दिल्ली में 2006-07 से 2019-20 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन और पैदावार	442
तालिका 12.1	दिल्ली में मोटर वाहन	443
तालिका 12.2	मोटर वाहन-प्रतिशत योगदान	444
तालिका 13.1	जल कनेक्शन और खपत : 1976-77 से 2019-20	445
तालिका 13.2	विभिन्न प्रकार की बस्तियों में सीवरेज सुविधाएँ	446
तालिका 13.3	दिल्ली में जलापूर्ति स्रोत - 2011	447
तालिका 14.1	1961-2011 के दौरान दिल्ली का क्षेत्रफल : ग्रामीण और शहरी	448

तालिका संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
तालिका 14.2	जनसंख्या का घनत्व : 1961–2011	448
तालिका 14.3	दिल्ली में पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता और स्रोत के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण : 2011	448
तालिका 14.4	इस्तेमाल के आधार पर जनगणना आवास : 1991, 2001, 2011	449
तालिका 14.5	रा. रा. क्षे. दिल्ली में जनगणना टाउन और बसे हुए गांव : 1901–2011	450
तालिका 17.1	भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी : 2011	451
तालिका 21.1	2001–2011 के दौरान राज्यवार जनसंख्या, कार्मिक, कार्मिकों का प्रतिशत और कार्मिकों की संख्या में वृद्धि	452
तालिका 21.2	1999–2012 के दौरान दिल्ली की जनसंख्या का वितरण— श्रमिक और गैर-श्रमिक	453
तालिका 21.3	दिल्ली में बेरोजगारी	454

अध्याय – 1

प्रस्तावना

दिल्ली भारत के सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध अतीत और जीवंत वर्तमान का प्रतीक है। भारत का राजनीतिक केन्द्र होने के अलावा दिल्ली देश की वाणिज्यिक, परिवहन और सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र भी है जिस कारण सभी यहां आने को लालायित रहते हैं। इन्हीं कारणों से दिल्ली को 1951 के एशियाई खेलों, 1982 के एशियाई खेलों, 1983 में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, 2010 में पुरुषों की विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल और 2012 में BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा दिल्ली 2011 के विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करने वाले प्रमुख शहरों में से एक है। इन सब आयोजनों से दुनिया भर में दिल्ली की ख्याति और गौरव बढ़ा है। यहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य, परिवहन और सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली में प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता का बड़ा सुंदर संगम देखने को मिलता है।

2. दिल्ली के विविधतापूर्ण इतिहास की छाप यहां के स्थापत्य और यहां की सांस्कृतिक धरोहर में दिखाई देती है। मशहूर उर्दू शायर मीर तकी मीर के शब्दों में दिल्ली की गलियां शहरों की सामान्य गलियां नहीं हैं बल्कि ऐसे सुंदर चित्रों की तरह हैं जिनमें हर चेहरा अपने आप में बेमिसाल नज़र आता है। यहां एक ओर पुरानी दिल्ली है, जिसकी संकरी गलियों में इतिहास की न जाने कितनी यादें छिपी हैं, इनमें बिखरी व्यंजनों की महक उतनी ही पुरानी है जितनी खुद पुरानी दिल्ली है। दूसरी ओर नई दिल्ली है जिसमें लुटयन की दिल्ली के हरे भरे इलाके और राजनयिक क्षेत्र है।
3. दिल्ली अपने अनेक बाग-बगीचों और वनस्पति उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज, लोधी गार्डन, मुगल गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क और नेहरू पार्क ऐसे ही कुछ पार्क हैं जो शहरवासियों में बड़े प्रसिद्ध हैं। कई ऐतिहासिक स्मारकों का शहर दिल्ली, देश के लिए बड़े बेशकीमती नगीने की तरह है। दिल्ली में देश की बेहतरीन कलाकृतियों वाले संग्रहालय हैं जिनमें प्राचीन कलाकृतियों से लेकर समकालीन कला के नमूने भी संग्रहीत किये गये हैं। ये सभी स्थान मेट्रो रेल और बसों के विशाल परिवहन नेटवर्क से बड़े अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं जिससे इन स्थानों तक आसानी से जाया जा सकता है।
4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी केन्द्र है जिसका गठन राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली नियोजन बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत 1,438 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी इलाके के अंतर्गत आता है जबकि 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण है। दिल्ली की सीमाएं पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य सभी दिशाओं में हरियाणा से लगी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की 167.88 लाख की आबादी में से 163.69 लाख शहरी है जबकि 4.19 लाख आबादी ग्रामीण है। दिल्ली की संस्कृति भी विभिन्नताओं वाली है और सभी धार्मिक समुदायों के लोग यहां रहते हैं। यहां बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं।

5. सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। इसका प्रशासनिक ढांचा दोहरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें जहां एक ओर संघ सरकार है तो दूसरी ओर राज्य सरकार है। दिल्ली में ग्यारह जिले और 33 सब-डिवीजन हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में 110 जनगणना शहर और 112 गांव हैं। दिल्ली मेट्रोपोलिटन एरिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें पांच स्थानीय नगर निकाय— उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी परिषद आते हैं। पहले दिल्ली में केवल एक नगर निगम – दिल्ली नगर निगम था जिसके अंतर्गत दिल्ली का 95 प्रतिशत इलाका और यहां की 96 प्रतिशत आबादी आती थी। दिल्लीवासियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए 2012 में दिल्ली नगर निगम को तीन छोटे निगमों में विभाजित कर दिया गया जिनके नाम हैं—उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम। ये निगम दिल्ली के नागरिक प्रशासन को देखते हैं।

राज्य की अर्थव्यवस्था

6. दिल्ली खुशहाल प्रदेश है जो प्रति व्यक्ति आय (वास्तविक) की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली की औसत प्रति व्यक्ति आय देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से लगभग तीन गुना अधिक है। 2020–21 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,54,004 रुपये आंकी गयी जबकि 2019–20 में यह 3,76,221 रुपये रही थी यानी इसमें 5.91 प्रतिशत का संकुचन हुआ। वास्तविक अर्थ में 2020–21 में 2019–20 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,74,671 रुपये रही थी जबकि 2020–21 में 7.53 प्रतिशत के संकुचन के साथ इसके 2,54,004 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
7. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का बाहुल्य है और सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन में इसका हिस्सा (चालू मूल्य पर) 2020–21 में 84.59 प्रतिशत रहा जिसके बाद द्वैतीयक क्षेत्र का स्थान था जिसका योगदान 13.56 प्रतिशत का रहा और प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में 1.85 प्रतिशत के योगदान के साथ तीसरे स्थान पर रहा। त्रैतीयक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करने और आमदनी बढ़ाने, दोनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020–21 के दौरान दिल्ली में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संकुचन 5.68 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर संकुचन 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
8. 2020–21 के दौरान चालू मूल्य पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,98,310 करोड़ रुपये दर्ज किया जो इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 3.92 प्रतिशत के संकुचन को दर्शाता है। चालू मूल्य पर पिछले छह वर्षों में यहां के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में करीब 45 प्रतिशत की बढ़ोती दर्ज की गयी है (यानी यह 2015–16 के 5,50,804 करोड़ रुपये की तुलना में 2020–21 में बढ़कर 7,98,310 करोड़ रुपये हो गया है)।

कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजट

9. नीतियों पर अमल से परिणाम हासिल करने के लिए दुनिया भर में सरकारें बजट का सहारा लेती हैं। बजट बनाना मजबूत लोक वित्त प्रबंधन का सबसे प्रभावशाली तरीका है जो निरंतर सुधार की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कायम रखने में लीवर और पहल के रूप में उठाये जाने वाले कदमों की तरह काम करता है।
10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्ष 2020–21 की योजनाओं/परियोजनाओं का बजट आवंटन 29,500 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2020–21 में शिक्षा क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता का पहला क्षेत्र बना रहा और इस क्षेत्र की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए वर्ष के दौरान सर्वाधिक 23.83 प्रतिशत राशि का आवंटन किया गया। इसके बाद परिवहन (14.67 प्रतिशत), चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (13.39 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (13.11 प्रतिशत) तथा आवास और शहरी विकास (12.62 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों का स्थान था। जल आपूर्ति और स्वच्छता सहित ऊपर बताये गये प्राथमिकता वाले छह क्षेत्र पर 2020–21 के बजट आवंटन में से करीब 90.68 प्रतिशत राशि व्यय की गयी।
11. दिल्ली में कार्यनिष्पादन को मापने के पैमाने के रूप में बजट और परिणामी बजट का प्रयोग किया जाता है जिनसे बेहतर सेवा प्रदान करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन का समय-समय पर आकलन करने और बजट को बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन के जरिए किफायती बनाने में मदद मिलती है।
12. दिल्ली के 2020–21 के परिणामी बजट में सभी प्रमुख विभाग और एजेंसियों को आठ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है। प्रत्येक विभाग में प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान की गयी है और प्रत्येक के लिए परिणाम संकेतकों को परिभाषित किया गया है। परिणामी बजट 2020–21 के लिए कुल मिलाकर 3375 आउटपुट इंडिकेटर्स और 2788 आउटकम इंडिकेटर्स को का विकास किया गया है।
13. दिल्ली सरकार परिणामी बजट की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है जिसमें परिणामी बजट के महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति की जानकारी 'पटरी पर' और 'पटरी से बाहर' नाम की दो श्रेणियों के अंतर्गत दी जाती है।

सार्वजनिक वित्त

14. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर से होने वाली आय, गैर-कर आय और केन्द्र से अनुदान सहायता/अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। रा.रा. राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार के कर राजस्व में जीएसटी से प्राप्तियां, मूल्यवर्धित कर (वैट), स्टॉप और पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी और मोटर वाहन कर शामिल हैं। 2019–20 में ये कर राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों के 78 प्रतिशत के बराबर थे। वैट (पेट्रोल, डीजल और मदिरा आदि), वाहनों पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं (मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि) पर अन्य करों तथा शुल्कों को छोड़कर कर राजस्व के तमाम घटकों से 2019–20 में मामूली वृद्धि का संकेत मिलता है। 2020–21 (बजट अनुमान) में दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 2019–20 की वास्तविक वृद्धि (अस्थायी) की तुलना में 20.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया था। दूसरी ओर सरकार के गैर-कर राजस्व में विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक

क्षेत्रों के उपक्रमों की ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और निवेश से हुआ मुनाफा तथा सेवा शुल्क/दंड और शुल्क आदि मुख्य रूप से शामिल थे।

15. दिल्ली विधानसभा ने 31 मई 2017 को राज्य वस्तु और सेवा अधिनियम को मंजूरी दी जिसके बाद 01.07.2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई। इसके परिणामस्वरूप (पेट्रोलियम, मदिरा आदि को छोड़कर) अन्य वस्तुओं पर लगने वाले पूर्ववर्ती मूल्य वर्धित कर (वैट) तथा मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टेलीविजन कर को जीएसटी में समाहित कर लिया गया। रा.रा.राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने सभी मौजूदा वैट डीलरों को नये वस्तु और सेवा कर के दायरे में लाने के सभी प्रयास किये।
16. वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार पर 29608.31 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था जो उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.61 प्रतिशत के बराबर है। 2019-20 में 31 मार्च 2020 को 34461.83 करोड़ रुपये के बकाया ऋण के साथ ऋण और जीएसटीपी का अनुपात काफी कम होकर 4.15 प्रतिशत हो गया। ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2011-12 में 13.03 प्रतिशत उच्च स्तर से घटकर 2019-20 में 5.84 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऋण की समस्या काफी हद तक नियंत्रण में है। दिल्ली सरकार को 2019-20 के दौरान 4540.60 करोड़ रुपये का लघु बचत ऋण भी प्राप्त हुआ, जबकि 2018-19 में उसे 2800 करोड़ रुपये का ऋण मिला था।
17. दिल्ली ने अपने राजस्व अधिशेष को लगातार कायम रखा है। 2019-20 (अंतिम) के दौरान यह 7499 करोड़ रुपये था जबकि 2018-19 में यह 6162 करोड़ रुपये रहा था। 2019-20 में दिल्ली का राजस्व अधिशेष जी.एस.डी.पी. का 0.90 प्रतिशत था जो 2020-21 में 0.91 प्रतिशत (बजट अनुमान) हो गया।
18. पहले के वित्त आयोगों की तरह दिल्ली को पंद्रहवें वित्त आयोग की शर्तों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है जिसका कार्यकाल 2020-21 से 2025-26 तक है। इसलिए 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र संबंधी अनुदान, आपदा राहत अनुदान आदि में दायरे से बाहर हो सकता है। इस मुद्दे पर एनसीटी दिल्ली की सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली को 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के दायरे में लाने की व्यवस्था की जाए। इस समय दिल्ली को केन्द्रीय करों में हिस्से के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान ही मिल पाता है जो 2001-02 से 325 करोड़ रुपये पर रुका हुआ है। 2000-01 के दौरान एनसीटी दिल्ली को सामान्य केन्द्रीय सहायता 370 करोड़ रुपये थी और आज 20 साल बाद भी 2020-21 के बजट अनुमान में यह 626 करोड़ रुपये के स्तर पर बनी हुई है।
19. एनसीटी दिल्ली की सरकार समय-समय पर गठित किये जाने वाले दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को निधियों का आवंटन करती है। दिल्ली में स्थानीय निकायों को धनराशि के अंतरण का फार्मूला तीसरे दिल्ली वित्त आयोग (कार्यकाल 2006-07, जिसे 2010-11 तक, जिसे बढ़ाकर 2015-16 किया गया है) की सिफारिशों पर आधारित होता है। राष्ट्रीय

राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार ने मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 2669 और 2670 दिनांक 01.01. 2019 के तहत 5वें दिल्ली वित्त आयोग की 2016-17 से 2020-21 तक की सिफारिशों के अनुसार जारी रखने और 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के लिए निधियों का आवंटन चौथे दिल्ली वित्त आयोग की बजाय तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुद्ध कर प्राप्तियों के आधार पर करने का फैसला किया है।

व्यापार और वाणिज्य

20. दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में व्यापार और वाणिज्य ने कर राजस्व में योगदान करके और समाज के काफी बड़े तबके को लाभप्रदा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापार और उपभोग केन्द्र है। दिल्ली की विशेषता यह है कि यह व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह की तरह है, यानी यहां की आर्थिक गतिविधियों का काफी बड़ा हिस्सा कहीं और बने सामान या स्थानीय बिक्री के लिए यहां लाए गये सामान के पुनर्वितरण तथा अन्य राज्यों को भेजने (अंतरराज्य व्यापार) से संबंधित है। दिल्ली ने अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक कारणों के साथ साथ यहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं आदि की बदौलत देश के प्रमुख वितरण केन्द्र का दर्जा हासिल कर लिया है।
21. दिल्ली में 2020-21 (ए.ई.) में व्यापार तथा होटल और रेस्तरां से होने वाली आमदनी चालू मूल्यों पर 79263 करोड़ रुपये रही जो यहां के सकल राज्य मूल्यवर्धित का करीब 11.18 प्रतिशत है (आधार वर्ष 2011-12)। अगर और स्पष्ट शब्दों में कहें तो पिछले 10 वर्षों में सकल राज्य मूल्य वर्धन में इस क्षेत्र का योगदान 11 प्रतिशत से अधिक का रहा।

मूल्य प्रवृत्तियां

22. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आइ.) का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर थोक बाजार में वस्तुओं के दामों में बदलाव का आकलन करने में किया जाता है। डब्ल्यू.पी.आइ. की मौजूदा श्रृंखला 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए (2011-12=100) उसके सापेक्ष थोक मूल्यों में समय के साथ हुए बदलाव को दर्शाती है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मासिक थोक मूल्य सूचकांक को संकलित और जारी करता है।
23. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आइ.पी.) का उपयोग आम तौर पर दैनिक उपयोग की आम वस्तुओं के खुदरा मूल्यों के रुझानों के मापन में किया जाता है। सितंबर 2020 से श्रम ब्यूरो ने सीपीआइ-आइडब्लू (2000 =100) की मौजूदा श्रृंखला के आधार को अद्यतन किया है और नया आधार वर्ष 2016=100 बना दिया गया है। नयी श्रृंखला के अंतर्गत शिमला स्थिति श्रम ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को संकलित कर उन्हें मासिक आधार पर दिल्ली समेत भारत के चुने हुए 88 केन्द्रों/बाजारों में जारी करता है।
24. छह समूहों के लिए सूचकांक अलग से तैयार किया जाता है और उसके बाद हर समूह को कुछ मान देकर समन्वित कर दिया जाता है। अद्यतन की गयी श्रृंखला के अनुसार (2016=100) सबसे अधिक मान (36.13 प्रतिशत) खाद्य और पेय समूह की वस्तुओं को दिया जाता है। इसके बाद विविध

श्रेणी की वस्तुओं को 26.26 प्रतिशत, आवास को 24.29 प्रतिशत, इंधन और बिजली को 7.05 प्रतिशत, वस्त्र और उपनह को 5.43 प्रतिशत और पान, सुपारी व अन्य मादक पदार्थों को 0.84 प्रतिशत मान दिया जाता है।

25. दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2018 में 275 से बढ़कर 2019 में 303 हो गया यानी इसमें 28 अंकों की वृद्धि हुई। दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2018 के मुकाबले 2019 में 10.2 प्रतिशत दर्ज किया गया। अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आइ.डब्लू.) 2019 में 317 रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 2019 में खाद्य वस्तुओं के समूह का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 328 दर्ज किया गया जबकि दिल्ली में यह 309 रहा।

कृषि और ग्रामीण विकास

26. 2011-12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) के प्रतिशत वितरण में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की वजह से गिरावट का रुझान रहा। और स्पष्ट रूप से कहें तो दिल्ली के जीएसवीए में चालू मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011-12 के 0.94 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 0.38 प्रतिशत हो गया।
27. 2020-21 में दिल्ली के खेती वाले रकबे में बढ़ोतरी हुई और यहां का कुल सकल फसली क्षेत्र जो 2011-12 में 36445 हैक्टेयर था 2019-20 में बढ़कर 43500 हैक्टेयर हो गया। दिल्ली के बाकी इलाके का उपयोग अन्य विभिन्न प्रकार के गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है या वे वन और परती या बंजर भूमि के रूप में हैं। दिल्ली में कृषि क्षेत्र में कमी के मुख्य कारण यहां हो रहा तेज शहरीकरण और भूस्वामित्व के स्वरूप में बदलाव, खास तौर पर पिछले दो दशकों में हुआ बदलाव है।
28. ऊंचे दामों वाली वाणिज्यिक बागवानी और उच्च मूल्य सवर्धित कृषि गतिविधियों की तुलना में पारम्परिक खेती से होने वाली आमदनी फिलहाल बहुत कम आकर्षक रह गयी है। रा.रा.राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार किसानों को सब्जियों, फूल, मशरूम आदि की खेती करने को प्रोत्साहित कर रही है। 2019-20 के दौरान 390 किसानों और तकनीकी कर्मियों को समन्वित कृषि विकास योजना के तहत 15 सत्रों में कृषि प्रसार शिक्षा कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किये गये जिनमें वर्मी कम्पोस्ट बनाने का प्रशिक्षण भी शामिल था। किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत 775 किसानों ने प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए आयोजित 62 शिविरों में प्रशिक्षण प्रदान किया।
29. दिल्ली में पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु चिकित्सालय, 29 पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियां, एक प्रयोगशाला, एक किसान सूचना केन्द्र और दो एम्बुलेंस क्लीनिक हैं। 2011-12 में सरकारी पशु चिकित्सालयों/डिस्पेंसरियों में 4.16 लाख पशुओं का उपचार किया गया जबकि 2019-20 में यह संख्या 5.82 लाख हो गयी। 2020-21 में दिसंबर तक 3.60 लाख पशुओं का सरकारी पशु चिकित्सालयों/डिस्पेंसरियों में उपचार किया जा चुका था। संभवतया यह वृद्धि पशुपालकों में शिक्षा और जागरूकता में बढ़ोतरी के कारण हुई है।
30. 'दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड (डीआरडीबी)' के स्थान पर 20.12.2017 के एक आदेश से दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड' (डीवीडीबी) गठित किया गया है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य

दिल्ली में शहरी और ग्रामीण, दोनों ही तरह के ग्रामों के विकास के काम को समन्वित करना है। बोर्ड दिल्ली के शहरी और ग्रामीण, दोनों ही तरह के गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के स्थानीय लोगों के अनुरोधों पर भी विचार करता है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के गांवों में अवसंरचना के विकास के स्थानीय निवासियों के अनुरोधों पर भी विचार करता है और इस कार्य में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों (सांसदों/विधायकों) के साथ परामर्श करता है।

पर्यावरणीय सरोकार

31. तीव्र शहरीकरण और महानगर तथा उसके आसपास आर्थिक गतिविधियों में तेजी से पर्यावरण संबंधी कई समस्याएं पैदा हुई हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान, शहरी कचरे और ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। हाल में पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनके अंतर्गत वृक्ष लगाने, निर्माण स्थलों के पास एंटी स्मॉग गन स्थापित करने, मशीनीकृत रोड स्वीपर और जल छिड़काव करने वाली मशीनों की स्थापना, विद्युत चालित वाहन नीति पर अमल, प्लास्टिक के उपयोग पर रोक, ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन, अवजल शोधन और सीवेज प्रणाली में सुधार जैसे अनेक उपाय शामिल हैं।
32. इसके अलावा वायु और जल प्रदूषण, खतरनाक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट, निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पर्यावरण के लिए नया उभरता गंभीर खतरा हैं। पर्यावरण में लगातार आ रही गिरावट को कम करने के लिए सरकार ने राज्य में हरित आच्छादन बढ़ाने, बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा देने और अपशिष्ट प्रबंधन को विकेंद्रित करने जैसे फैसले किये हैं।
33. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति-डीपीसीसी ने राजधानी में 26 स्थानों पर स्थिति अपने परिवेशीय वायु की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने वाले नियंत्रण केन्द्रों के जरिए हवा की गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी की। 31 ध्वनि निगरानी केन्द्रों के जरिए शोर की निगरानी करने वाले नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया गया है। डीपीसीसी यमुना नदी (09 स्थानों) और यमुना में गिरने वाले प्रमुख नालों (24 नालों) में पानी की गुणवत्ता की मासिक आधार पर निगरानी की।
34. 2019-20 के दौरान कुल 578.38 एकड़ क्षेत्र में फैले 1797 पार्कों और उद्यानों को 435 आर.डब्ल्यूएज/एनजीओज की मदद से रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 2020-21 के दौरान 12 जनवरी 2021 तक 87 आर.डब्ल्यूएज/एनजीओज की मदद से कुल 144.63 एकड़ क्षेत्र में फैले 406 पार्कों को रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दी गयी। डीपीजीएस ने भी आर.डब्ल्यूएज/एनजीओज को विकेंद्रित एसटीपीज स्थापित करने के लिए 3.50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी। इसके लिए एक शर्त यह रखी गयी थी कि जिस जमीन पर एसटीपी लगाए जाएंगे उस जमीन के लिए उस जमीन की स्वामी एजेंसी, दिल्ली जल बोर्ड और क्षेत्रीय विधायक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।
35. रा.रा. राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पर्यावरण को हरा-भरा बनाए रखने के लिए वनों और पेड़-पौधों का आच्छादन बढ़ाने की दिशा में पहल की है। दिल्ली सरकार की पहल के

परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी में 1999 से वन और वृक्षों से ढके क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। 2019 में यह बढ़कर 324.44 वर्ग किलोमीटर हो गया था यानी वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में 21.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1997 के बाद तो वनों और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि 1997 के बाद के वर्षों में खास तौर पर उल्लेखनीय रही है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में वृक्षाच्छादित इलाके के प्रतिशत के लिहाज से दिल्ली देश के राज्यों में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली के हरित आच्छादन में समग्र वृद्धि एक अच्छा संकेत है। यह 2017 में 20.59 प्रतिशत की तुलना में यह 20.59 प्रतिशत से 2019 में 21.88 प्रतिशत हो गया है।

36. 2020 के दौरान वृक्षारोपण का व्यापक अभियान चलाया गया जिसमें 19 हरित एजेंसियों, इकोक्लबों और रेजीडेंट्स वैलफेयर एजेंसियों ने हिस्सा लिया और 30.08 लाख पौधे लगाए गए। इसके अलावा 5.57 लाख पौधे जनता में बांटे गये। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार भारत सरकार द्वारा अनुमानित 15.2 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया है।

औद्योगिक विकास

37. सतत विकास लक्ष्यों (एस.जी.डी.-9) को हासिल करने में दिल्ली देश में शीर्ष स्थान पर है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2.0 को लेकर 30 दिसंबर 2019 को जारी अपनी रिपोर्ट में इसे "समावेशी सतत औद्योगीकरण करके नवाचार को बढ़ावा देने" बताया है। बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (कारोबारी सुधार की कार्य योजना) में दिल्ली 2019 में देश के 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 12वें स्थान पर था।
38. दिल्ली की 2010-21 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य पारदर्शी और व्यावसायिक सुविधा का माहौल बनाना, प्रदूषण न फैलाने वाले स्वच्छ उद्योगों को बढ़ावा देना, उच्च टेक्नोलाजी पर आधारित तथा कौशल वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करना है ताकि बिना कौशल वाले श्रमिक कम से कम संख्या में यहां आएँ और यहां की सुनियोजित औद्योगिक बस्तियों तथा विनियमित औद्योगिक क्लस्टरों में विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित हो, ताकि जहां भी संभव हो वहां क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और सोच को कार्यरूप में बदलने को प्रोत्साहन मिले और प्रक्रियाओं के आसान हो जाने एवं ई-गवर्नेंस जैसे उपायों से कारोबार करने में सुविधा हो।
39. वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) के अनुमानों के अनुसार विनिर्माण से आमदनी 2011-12 में 18907 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 32364 करोड़ रुपये हो गयी है। लेकिन जीएसवीए में विनिर्माण का प्रतिशत योगदान 2011-12 के 6.24 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 4.57 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वैतीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 13.09 प्रतिशत से 2020-21 में 13.56 प्रतिशत हो गया है।

दिल्ली में पर्यटन

40. भारत की राजधानी विदेशी और घरेलू दोनों ही तरह के पर्यटकों के लिए प्रमुख आगमन स्थल है। पर्यटकों के लिए यह देश के प्रमुख आगमन स्थलों में से एक है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए

ग्लांस-2020 के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान करीब 30.74 लाख (28.12 प्रतिशत) विदेशी पर्यटकों का दिल्ली में आगमन हुआ। दिल्ली आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अधिकांश पर्यटक (95 प्रतिशत) 'छुट्टियां मनाने, सैर-सपाटे और मनोरंजन' के लिए यहां आए। दिल्ली को शहर के भीतर और इसके आस-पास कुछ महान धरोहर स्थलों के होने का भी गर्व प्राप्त है। दिल्ली को पर्यटन क्षेत्र से भी आमदनी होती है। दुनिया भर से पर्यटक न सिर्फ राजधानी की यात्रा पर आते हैं बल्कि वे आसपास के इलाकों का भी दौरा करते हैं।

41. दिल्ली पर्यटन दिल्ली में अनेक मेलों और उत्सवों का आयोजन करता है। दिल्ली अब एक सांस्कृतिक गंतव्य स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर रही है। दिल्ली पर्यटन द्वारा आयोजित प्रमुख समारोहों में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जादू उत्सव, इत्र और सुगंधि मेला, आम उत्सव, दिल्ली के पकवान और ग्रामीण गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल यहां की सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। दिल्ली पर्यटन दिल्ली हाट आइ.एन.ए., दिल्ली हाट पीतमपुरा और दिल्ली हाट जनकपुरी (खानपान और शिल्प बाजार) और कॉफी होम्स का भी संचालन करता है।
42. राजधानी शहर में और इसके आस-पास पर्यटन को बढ़ावा देने में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और ऐसे अनेक जोरदार कदम उठा रहा है जिनसे ब्रांडिंग दिल्ली के तहत यह शहर पर्यटकों के लिए अनुकूल गंतव्य स्थान बन जाए। अन्य राज्यों के पर्यटन बोर्डों की तरह पर्यटन के मकसद से दिल्ली की मार्केटिंग अधिक कारगर तथा रणनीतिक तरीके से करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। 2019-20 में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के अंतर्गत दिल्ली आए 20,581 पर्यटक गोल्ड श्रेणी के कमरों में और 1,17,266 सिल्वर श्रेणी के कमरों में ठहरे जबकि लक्ष्य 22,500 को गोल्ड श्रेणी के और 92,500 को सिल्वर श्रेणी के कमरों में ठहरने का था। कोविड-19 महामारी ने पर्यटन को दिल्ली की आर्थिक प्रगति और समग्र विकास का टिकाऊ माध्यम बनाए रखने के लिए 'रिसैट बटन' दबाने का अवसर प्रदान किया।

ऊर्जा

43. दिल्ली सरकार ने 2002 में बिजली पारेषण के निगमीकरण, बिजली उत्पादन और वितरण के निजीकरण के साथ बिजली क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की है। पारेषण तथा वितरण घाटे में कमी, ग्राहक सेवाओं, और पारेषण तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि और बिजली उत्पादन के संदर्भ में दिल्ली में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के अलग होने के बाद दिल्ली के बिजली प्रतिष्ठान में उत्पादक कंपनियों (इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल), दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा पारेषण, और पांच डिस्कॉम (बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल, एनडीएमसी और एमईएस) की भागीदारी हो गई है।
44. 2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान, दिल्ली में बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या 40.47 लाख से बढ़कर 61.68 लाख हो गई। दिल्ली में कुल बिजली खरीद पिछले दस वर्षों (2009-10 से 2019-20 तक) के दौरान 21.37 प्रतिशत बढ़ी है। बिजली खरीद 2010-11 में 32744 एमयू से बढ़कर 2019-20 में 35419 एमयू हो गई है। जबकि कुल बिजली खरीद के 14.72 प्रतिशत का दिल्ली सरकार के बिजली संयंत्रों द्वारा स्वयं उत्पादन किया जाता है। 85.28 प्रतिशत केंद्र सरकार

और अन्य स्रोतों से खरीदा जाता है। पीक डिमांड 2010–11 में 4720 मेगावाट से बढ़कर 2019–20 में 7409 मेगावाट हो गई।

45. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा है। यह प्रणालीगत आवश्यकताओं के अनुसार ईएचवी नेटवर्क के उन्नयन संचालन और रखरखाव के अलावा, 220 केवी और 400 केवी स्तर पर बिजली के पारेषण के लिए जिम्मेदार है। विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमित होने के बाद, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के तहत एक नया विभाग – स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) बनाया गया, जो दिल्ली में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में बनाया गया था। एसएलडीसी पहले दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड / दिल्ली विद्युत बोर्ड के ओ एण्ड एम विभाग का हिस्सा था। एसएलडीसी दिल्ली ने 1 जनवरी 2004 को अपना कार्य शुरू किया। एसएलडीसी, रियल-टाइम लोड डिस्पैच फंक्शन, स्काडा सिस्टम और एनर्जी अकाउंटिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य विश्वसनीयता, सुरक्षा और मजबूत वाणिज्यिक सिद्धांतों पर आधारित अर्थ प्रबंधन के साथ एनआरएलडीसी (उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर) के समन्वय में बिजली के अंतः और अंतर-राज्य हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है।
46. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के पास बिजली पारेषण नेटवर्क है जिसमें चार 400 केवी और इक्तालीस 220 केवी सबस्टेशन शामिल हैं और यह ट्रांसमिशन लाइनों के साथ जुड़ा हुआ है। मौजूदा नेटवर्क में दिल्ली के चारों ओर 400 केवी रिंग है, जो समूची दिल्ली में फैले 220 केवी नेटवर्क के साथ परस्पर जुड़ी हुई है। 2019–20 तक इसकी कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता 400 केवी स्तर पर 5410 एमवीए और 220 केवी स्तर पर 14060 एमवीए है। सीकेटी किमी. में ट्रांसमिशन लाइन की कुल लंबाई 400 केवी स्तर पर 249.118 और 220 केवी स्तर पर 852.17 है।
47. दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ईई और आरईएमसी) की स्थापना की है। इस प्रकार, ईई और आरईएमसी को ऊर्जा –वातावरण के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ऊर्जा के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक और बहु-आयामी संस्थागत उद्देश्यों और अभिविन्यास के लिए समर्पित एक कार्यात्मक ढांचा मिला है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में सरकारी भवनों की छतों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप आदि पर एसपीवी पैनल स्थापित करके इसे सौर शहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। । भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दिल्ली में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप प्रोजेक्ट्स की स्थापना की मंजूरी दे दी है।
48. शहर के ठोस अपशिष्ट का निपटारा एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इस समस्या को दूर करने के लिए, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 56 मेगावाट की कुल क्षमता वाले तिमारपुर-ओखला (20 मेगावाट), गाजीपुर (12 मेगावाट) और नरेला-बवाना (24 मेगावाट) में तीन अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र चालू हैं। भलस्वा (15 मेगावाट), तेहखंड (25 मेगावाट) और गाजीपुर के मौजूदा संयंत्र में 8 मेगावाट विस्तार वाले अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की भी योजना बनाई गई है।

49. ग्रिड से जुड़ी सभी सौर परियोजनाओं ने जनवरी 2021 तक दिल्ली में लगभग 193 मेगावाट बिजली का योगदान दिया है। दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और डब्ल्यूटीई) की कुल स्थापित क्षमता 31/01/2021 तक 249 मेगावाट है।

परिवहन

50. जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ 67 लाख 80 हजार थी। भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। बसें और मेट्रो रेल दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जीवन रेखा हैं। इसलिए आने-जाने वालों की भारी संख्या की सुविधा के लिए अच्छी गुणवत्ता की सुरक्षित और आरामदायक परिवहन प्रणाली की जरूरत है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सुरक्षित, सुचारु, कम खर्चीली, सुविधाजनक और कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में लगातार काम कर रही है।
51. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के दो मुख्य घटक हैं—बस परिवहन और मेट्रो रेल। वर्ष 2019–20 में डीटीसी बसों में प्रतिदिन औसत यात्री संख्या 33.31 लाख और क्लस्टर बसों में 17.71 लाख थी। वर्ष 2019–20 में प्रतिदिन औसतन 50.64 लाख लोग दिल्ली मेट्रो का उपयोग कर रहे थे। 65.1 किलोमीटर की मेट्रो लाइन का निर्माण फेज-1 के तहत और 124.93 कि.मी. का निर्माण फेज-2 के तहत किया गया। फेज-3 अतिरिक्त कॉरिडोर और एनसीआर एक्सटेंशन्स में 109 स्टेशनों के साथ 160 कि.मी. का रूट शामिल है, (इसमें 30 स्टेशनों के साथ 42.496 कि.मी. रूट एनसीआर में है)। मयूर विहार पॉकेट 1 से लेकर त्रिलोकपुरी खंड मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाना है और एक्सटेंशन से ढांसा बस स्टैंड तक का सितम्बर 2021 तक। रा.रा.क्षे.दि.स. ने मेट्रो फेज-4 परियोजना के सभी 6 कॉरिडोरों को मंजूरी दे दी है। इस चरण के 03 प्राथमिक कॉरिडोर का कार्य शुरू हो चुका है और शेष 03 कॉरिडोर का विचाराधीन है।
52. रा.रा.क्षे. दिल्ली की सड़कों पर कुल मोटर वाहनों की संख्या 31 मार्च 2020 तक 118-92 लाख थी, इससे पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 4.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। प्रति एक हजार की आबादी पर वाहनों की संख्या 2005–06 के 317 से बढ़कर 2019–20 में 643 हो गयी।
53. दिल्ली में सार्वजनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर परिवहन संबंधी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की गयीं। अभी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 87 फ्लाईओवर हैं। इनमें से शास्त्री पार्क और सीलम पुर में फ्लाईओवर का काम पूरा होने के बाद इन्हें अक्टूबर 2020 से यातायात के लिये खोल दिया गया है। 29 फ्लाईओवर में से 12 वर्ष 2020 के अंत तक पूरे हो चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं।
54. दिल्ली परिवहन निगम एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। डीटीसी 448 रूटों और एनसीआर के 7 रूट पर 3762 बसों का परिचालन करती है। डीटीसी दिल्ली से काठमांडू के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का भी परिचालन कर रही है और इसके अतिरिक्त 2910 क्लस्टर बसें चल रही हैं। डीटीसी की बसों में 2019–20 में प्रतिदिन यात्रा करने वालों की औसत संख्या लगभग 33.31 लाख थी और क्लस्टर बसों में औसत संख्या लगभग 17.71 लाख थी। सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। स्वचालित किराया वसूली प्रणाली

(एएफसीएस) पर आधारित इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) व्यवस्था भी पूरी तरह सभी बसों में लागू कर दी गई है।

- 55 दिल्ली में 58 बस डिपो परिचालन में हैं और 12 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 16 बस टर्मिनल कार्यरत हैं। सेक्टर 12 द्वारका, सेक्टर 4 द्वारका, विकासपुरी और नरेला में नये बस टर्मिनल निर्माणाधीन हैं।
- 56 डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित कर दी गई है। इनमें 100 बसें सरोजिनी नगर डिपो की हैं और अन्य 100 बसें राजघाट डिपो-1 की हैं। सरकार ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। डीटीसी की बसों में कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा क्लस्टर योजना और डीटीसी के बेड़े में शामिल की जाने वाली नई बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। रात्रि सेवा की 88 बसें 27 रूटों पर चल रही हैं। व्यस्त समय में 30 रूटों पर 30 महिला स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिये डीटीसी बसों में 8111 मार्शल और क्लस्टर बसों में 2809 मार्शल 19.10.2020 तक तैनात किये गये हैं।
- 57 पुराने वाहनों को हटाने और बिजली चालित वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “दिल्ली विद्युत वाहन नीति” को मंजूरी दी गई है। दिल्ली विद्युत वाहन नीति का मुख्य उद्देश्य परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम कर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। इसके लिए इस नीति के तहत बैटरी चालित विद्युत वाहन (बीईवी) अपनाने को तेजी से बढ़ावा दिया जाना है ताकि 2024 तक नए वाहनों के पंजीकरण में उनका योगदान 25 प्रतिशत का हो। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार में विद्युत वाहन कोष के लिए अलग से बजट मद की व्यवस्था की है और बजट अनुमान 2020-21 में इस मद के तहत 50 करोड़ रुपये रखे जाने का प्रावधान किया गया है।
- 58 रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूरी तरह से विद्युत चालित बसें चलाने का फैसला किया है, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी कम किया जा सकेगा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत डीटीसी को संचालनगत लागत मॉडल पर 300 विद्युत चालित वाहन चलाने के लिए वित्तीय सहयोग देने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति उपलब्ध कराई है। पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मजबूत करने के लिए 1000 पूरी तरह बिजली चालित क्लस्टर बसों के प्रस्ताव पर काम चल रहा है।
- 59 दिल्ली सरकार ने डीटीसी के लिए सीएनजी से चलने वाली 1000 लो-फ्लोर एसी बसें खरीदने का फैसला किया है। ये नई सीएनजी बसें, यात्रियों के लिए वास्तविक समय सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, जीपीएस और दिव्यांग यात्रियों के अनुकूल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी।
- 60 रा.रा. क्षे दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा 29 अक्टूबर 2019 से दी जा रही है। एसी और नोन एसी बसों में 10 रुपये मूल्य का एकल यात्रा पास मौजूदा समय में गुलाबी रंग के टिकट के रूप में जारी किया जा रहा है। डीटीसी इन पासों को प्रिंट करवा रही है और क्लस्टर बसों के लिए डीआईएमटीएस को दे रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान 10.58 करोड़ महिला यात्रियों ने डीटीसी और 8.74 करोड़ महिला यात्रियों ने क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की।

- 61 साफ, पर्याप्त और सुलभ पीने योग्य पानी और साफ-सफाई की स्वास्थ्यकर परिस्थितियों जैसी बुनियादी जन-सेवाओं की व्यवस्था सरकार को अपने नागरिकों के स्वस्थ जीवन के लिए करनी होती है। सरकार सभी परिवारों को चौबीसों घंटे स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा अवजल और ठोस कचरे के उपचार के लगातार प्रयास कर रही है। सतत विकास लक्ष्य -6 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य "सबके लिए जल की उपलब्धता और स्वच्छता प्रबंध" है।
- 62 दिल्ली सरकार ने मीटर युक्त जल प्रबंध वाले सभी परिवारों को 20 किलोलीटर तक पानी निःशुल्क देना सुनिश्चित किया है। यह स्कीम शुरू होने के बाद से लगभग 6 लाख उपभोक्ता इससे लाभान्वित हुए हैं। हाल में सरकार ने शहर और यमुना को साफ रखने के लिए अनधिकृत कालोनियों के अनिच्छुक निवासियों के घरों में सीवर लाइन के लिए सीमित अवधि तक निःशुल्क कनेक्शन देना शुरू किया है। सीवर कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक विकास शुल्क हटाने से अधिक से अधिक परिवार अब सीवर कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
- 63 पेयजल और स्वच्छता जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने और इसे बनाये रखने के लिये बुनियादी आवश्यकताएं हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिये पीने का साफ स्वच्छ पानी और साफ सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने पीने का पानी मुहैया कराने और स्वच्छता बनाये रखने के लिये कई स्कीम लागू की हैं। स्वास्थ्य और आरोग्य के लिये पर्याप्त मात्रा में पीने के साफ पानी की आपूर्ति प्रमुख आवश्यकताओं में एक है।
- 64 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अब तक पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने वाले क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में सफल होना। सरकार ने ऐसे 1571 क्षेत्रों में नियमित पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है, जो दिल्ली में कुल अनधिकृत कालोनियों का लगभग 87 प्रतिशत है। बहुत जल्दी ही बाकी अनधिकृत कालोनियां भी पर्याप्त जलापूर्ति व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगी।
- 65 जल और स्वच्छता क्षेत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राथमिकता दिल्ली से बाहर के स्रोतों से जलापूर्ति बढ़ाना है, इन उपायों में हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तराखंड में किशाऊ बांध और लखवार व्यासी बांध से और यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों से भूमिगत जल लेकर तालाबों को भरने तथा पानी के पुनःचक्रण, जल संचयन, पानी की बरबादी रोक कर, समुचित जल लेखांकन, पानी के बल्क मीटर लगाने सहित आंतरिक स्रोतों को मजबूत करना आदि शामिल है।
- 66 दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी संचालन व्यवस्था में सुधार किया है और मांग पक्ष की समुचित योजना, जल वितरण के कुशल प्रबंधन, समुचित जल लेखांकन और परीक्षण, जीपीएस/जीपीआरएस के उपयोग से पारदर्शी टैंकर जल वितरण प्रणाली के लिये अनेक उपाय किये हैं।
- 67 दिल्ली के करीब 93 प्रतिशत परिवारों को अब पाइप के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। गर्मी के मौसम में जल उत्पादन निरंतर 935 एमजीडी बनाए रखा जा रहा है। जलापूर्ति नेटवर्क के जरिए

पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें 14 हजार 935 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें और 117 से अधिक भूमिगत जलाशय शामिल हैं। शहर में वाटर टैंकों के जरिए पानी की आपूर्ति की प्रणाली में सुधार के लिए 407 नए वाटर टैंक लगाए गए हैं जिनके कंटेनर स्टेनलेस स्टील के हैं और उनमें जीपीएस प्रणाली की व्यवस्था है। पानी की किल्लत वाले इलाकों में सप्लाई में और सुधार के लिए किराये पर लिए गये 450 एम.एस.टैंकों के अलावा 250 नये खरीदे गये एसएस टैंकों का भी पहले से मौजूद संसाधनों में उपयोग किया जा रहा है।

- 68 दिल्ली जल बोर्ड ने जल लेखांकन के लिये फ्लोमीटर लगाने की परियोजना शुरू की है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में लगभग 3308 बल्क फ्लोमीटर लगाये जा रहे हैं जो 100 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर व्यास के हैं। इनमें से लगभग 3163 फ्लोमीटर लगाये जा चुके हैं। झंडेवालान में एक डेटा/एससीएडीए केंद्र स्थापित किया गया है, जहां वास्तविक समय आधार पर ऑनलाईन डेटा प्राप्त किया जा रहा है। इससे वास्तविक समय निगरानी और समुचित जल वितरण में मदद मिल रही है।
- 69 दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता में पिछले 10 वर्ष के दौरान 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में जो क्षमता 810 एमजीडी थी वह 2019 में बढ़कर 911 एमजीडी हो गयी। वर्ष 2020 में 916 एमजीडी तक पहुंच गयी।
- 70 जल शुल्क "अधिक इस्तेमाल अधिक भुगतान" के सिद्धांत पर आधारित है। मौजूदा शुल्क नीति उपभोक्ताओं को अधिक पानी के अत्यधिक इस्तेमाल या बर्बादी से रोकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने 2019-20 के दौरान 79.64 प्रतिशत की बिल वसूली क्षमता के साथ मार्च 2020 तक 1855.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 1637.10 करोड़ रुपये की वसूली की थी। 01.03.2015 से 20 किलोलीटर प्रतिमाह पानी का उपभोग करने वाले और पानी का चालू मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है और उन्हें पानी बिल का भुगतान करने से छूट दी गयी है।
- 71 दिल्ली जल बोर्ड ने बिना मीटर के जलापूर्ति के मापन के लिए जल मीटर लगाने की प्रणाली को सुचारु बनाने के लिये उपाय किए हैं। इसके लिये जल कनेक्शन की मंजूरी के साथ वाटर मीटर सप्लाई किए जाने की मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया गया है और अब उपभोक्ता बाजार से स्वीकृत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वाटर मीटर खरीद सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के यहां दिजबो द्वारा लगाये गये मीटर खराब पड़े हैं उन्हें इस बात की छूट दी गई है कि वे खराब मीटर के स्थान पर प्राइवेट वॉटर मीटर लगवा लें और दिजबो के पास जमा कराई गई मीटर धरोहर राशि वापस ले लें या उसे भविष्य में जल शुल्क में समायोजित करा लें।
- 72 इन प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया सितम्बर 2018 में शुरू की गयी थी। 155 जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये 376.79 करोड़ रुपये की योजना को दिल्ली जल बोर्ड ने 24.12.2018 को हुई अपनी बैठक में मंजूरी दे दी थी। 83 जल निकायों के लिये परामर्श उपलब्ध कराने का कार्य सीएसआईआर एनईईआरआई नागपुर को सौंपा गया है।

- 73 सीएसआईआर एनईआईआरआई को सौंपे गये 83 जल निकायों में से 81 की परियोजना विकास रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, इस रिपोर्ट के आधार पर जल निकायों के कार्य को चरणों में बांटा गया है। इस प्रकार 50 जल निकायों के पुनरुद्धार का काम सौंपा जा चुका है जिसे चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा रहा है। इसके अक्तूबर 2022 तक पूरा हो जाने की आशा है।
- 74 दिल्ली जल बोर्ड की अवजल उपचार क्षमता बढ़कर 31 मार्च 2020 तक 597 एमजीडी हो गयी है लेकिन इसके 87.76 प्रतिशत का ही उपयोग हो पा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के पास लगभग 8800 किलामीटर का पेरिफेरल सीवर नेटवर्क है। इसके अलावा ट्रंक सीवर का 200 किलो मीटर का नेटवर्क है। ट्रंक सीवर से गाद हटाने का काम पूरा हो चुका है और पेरिफेरल, सीवर में यह कार्य प्रगति पर है।

आवास एवं शहरी विकास

- 75 दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक रूप से सहज और सुलभ गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ सबके लिए सतत, समावेशी और समान सुविधाओं से युक्त बनाना है। जिसमें मुख्य रूप से मलिन बस्तियों के विकास, सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्त पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और समुचित आवास व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना है। ये सभी नागरिकों के उत्तम और स्वास्थ्यकर रहन-सहन के अनिवार्य घटक हैं।
- 76 दिल्ली में आवास से जुड़ी स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है एवं इसके अधिग्रहण और विकास की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण और को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के माध्यम से पूरी की जाती है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर-विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की भारी आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृश्य की मुख्य पहचान है।
- 77 हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ-सफाई की व्यवस्था से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आवास परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनसे लगभग 52,000 आवासीय इकाइयों में आवास सुविधाओं में सुधार होगा।
- 78 दिल्ली सरकार ने रीयल इस्टेट (नियमन और विकास अधिनियम 2016) पहली मई, 2017 से लागू किया। इस अधिनियम के तहत रीयल इस्टेट क्षेत्र का नियमन और संवर्धन, प्लॉटों, अपार्टमेंट या

भवन इत्यादि की बिक्री और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित किया जाना है। अधिनियम के तहत प्राधिकरण के आदेश या निर्देश और निर्णयों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल इस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन होना है। यह अधिनियम पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन लाकर रीयल इस्टेट सेक्टर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- 79 पुरानी दिल्ली क्षेत्र के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने और उसके पर्यावरण में सुधार के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। पुरानी दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम बिना कोई लाभ कमाए वास्तुशिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान शहरी धरोहर की संरक्षा करता है।
- 80 रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कई पहल की है। जैसे घरों से ठोस कचरा संग्रहण कचरे को अलग अलग करना, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना इत्यादि। 10650 मी.टन प्रतिदिन ठोस कचरे का संग्रह किया जाता है और इससे 3 लैंडफिल स्थलों और प्रसंस्करण संयंत्रों तक भेजा जाता है। कुल कचरे का लगभग 55 प्रतिशत कचरे से ऊर्जा और कचरे से कम्पोस्ट खाद के जरिए प्रसंस्कृत किया जाता है और शेष को 3 लैंडफिल स्थलों पर डाल दिया जाता है।
- 81 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भलस्वा, गाजीपुर और ओखला कूड़ा स्थलों पर लंबे समय से जमा किए जा रहे कूड़े के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में राशि उपलब्ध कराई थी। इन कूड़ा स्थलों से फैल रहे प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके निपटान के लिए व्यवहार्य नियमों के तहत वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों की आवश्यकता है। इन स्थलों से कूड़ा हटा लिए जाने के बाद साफ स्थल का उपयोग एकीकृत कचरा प्रसंस्करण और उपचार केंद्र के लिए किया जा सकता है। इसके चारों ओर एक जैव विविधता उद्यान विकसित किया जा सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और आसपास का माहौल स्वच्छ बनेगा।

शिक्षा

- 82 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में साक्षरता दर 86.2 प्रतिशत थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत थी। यह 73 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत थी। दिल्ली में साक्षरता में स्त्री-पुरुष अंतराल 2001 के 12.62 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 10.1 पर आ गया। 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 88.7 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ केरल के बाद दूसरे स्थान पर है।
- 83 दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंतर्गत कुल 1230 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो दिल्ली में चल रहे कुल स्कूलों का 21.61 प्रतिशत हैं। 2019-20 के दौरान सभी स्कूलों में कुल दाखिलों में सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की हिस्सेदारी 37.18 प्रतिशत रही।

- 84 यूडीआईएसई+ रिपोर्ट के अनुसार, 2018–19 में दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात 120.15 प्रतिशत था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 101.25 प्रतिशत था। दिल्ली में निबल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत है जबकि प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय औसत 89.14 प्रतिशत है।
- 85 रिजर्व बैंक की बजट विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अन्य सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया है। 2020–21 के दौरान दिल्ली शिक्षा के लिये अपने बजट के 23.2 प्रतिशत आवंटन के साथ शीर्ष पर था। इसके बाद छत्तीसगढ़ (18.8 प्रति.), असम (18.7 प्रति.) का स्थान था। 2020–21 में राष्ट्रीय औसत 14.7 प्रतिशत था।
- 86 हैपीनेस पाठ्यक्रम बच्चों में अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार में माता पिता और स्कूल के साथियों के साथ शालीन व्यवहार और सौहार्दपूर्ण संबंध की क्षमता विकसित कर रहा है। इस पाठ्यक्रम से बच्चे अधिक आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से मजबूत हुए हैं। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग के सभी सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है और वर्ष 2019–20 के दौरान 7.95 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं।
- 87 दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, की स्थापना वर्ष 2020 के दिल्ली अधिनियम 4 के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अनुप्रयुक्त विज्ञान और कौशल शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराना है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विकास के लिए रोजगार में लगाए जाने योग्य प्रशिक्षित मानव संसाधन को विकसित करने की चुनौतियों के समाधान के लिए कौशल आधारित कार्यक्रम संचालित करेगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

- 88 दिल्ली अपने निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की किफायती और न्यायसंगत पहुंच प्रदान करने और संचारी तथा गैर संचारी रोगों को कम करने के साथ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 89 दिल्ली सरकार 4 स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना मॉडल को लागू कर रही है। प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्तर –1 और स्तर –2 पर मोहल्ला क्लीनिक और पॉलीक्लिनिक हैं। 31 मार्च 2020 तक, दिल्ली में 88 अस्पताल, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1585 औषधालय, 224 मातृत्व गृह तथा उप केंद्र, 56 पॉलीक्लिनिक, 1151 नर्सिंग होम, 305 विशेष क्लिनिक और 17 मेडिकल कॉलेज थे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मामले में 995 (63 प्रतिशत) औषधालयों के साथ दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें 181 एलोपैथिक औषधालय, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 60 सीड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 46 आयुर्वेदिक, 22 यूनानी में – 107 होम्योपैथिक औषधालय, 22 मोबाइल क्लीनिक (78 दिन आश्रय गृहों और 311 रैन बसेरों के लिए सेवाएं) और 61 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक हैं। अस्पताल विशेषज्ञों की और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। लगभग 14000 नये बिस्तर चालू / नई परियोजनाओं एवं मौजूदा अस्पतालों के पुनर्स्थापन / विस्तार के माध्यम से जोड़े जायेंगे।

- 90 सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके) के माध्यम से सरकार के सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाओं और मुफ्त सर्जरी की सुविधा शुरू की है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स और सर्जरी के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को निजी स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना के शिकार, एसिड हमले/ थर्मल बर्न पीड़ितों का उपचार भी डीएके के माध्यम से किया जा रहा है।
- 91 वर्ष 2018 में महत्वपूर्ण संकेतक जैसे कि शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में दिल्ली, अखिल भारतीय स्तरों 32, 23, 36 की तुलना में निचले स्तरों क्रमशः 13, 10, और 19 पर थी। इसी प्रकार, दिल्ली में 1.5 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) भारत में सबसे कम है (अखिल भारतीय स्तर – 2.2) जो प्रतिस्थापन दर की उपलब्धि को इंगित करता है। इसी तर्ज पर दिल्ली में 3.3 प्रतिषत की अशोधित मृत्यु दर देश में सबसे कम है।
- 92 हालांकि, 100 प्रतिशत संस्थागत जन्म, सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज और एएनसी प्राप्त करने के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। संस्थागत प्रसव का अनुपात 91.15 प्रतिशत था। यह बताता है कि इन सेवाओं में 100 प्रतिशत उपलब्धि तक पहुंचने के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।
- 93 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य और टीबी, कुष्ठ रोग नियंत्रण आदि पर केंद्रित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम, दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से दिल्ली में लागू किये जा रहे हैं। दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी एनएसीपी के कार्यक्रम को लागू कर रही है। आयुष निदेशालय आईएसएम और होम्योपैथी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करता है।

समाज कल्याण और सुरक्षा

- 94 भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, संकट में फंसी महिलाओं, दिव्यांगों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य कल्याण के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम / योजनाएं लागू कर रही है।
- 95 समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए संशोधित कुल बजट आवंटन वित्त वर्ष 2019-20 में 3480 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 3358 करोड़ रुपये था। इसमें से चालू वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिकों (दिसंबर, 2020 तक 4.49 लाख लाभार्थी), संकट में महिलाओं (दिसंबर, 2020 तक 2.75 लाख लाभार्थी) और दिव्यांगों (दिसंबर, 2020 तक 1.06 लाख लाभार्थी) के लिए योजनाओं के वास्ते वित्तीय सहायता लगभग 2537 करोड़ रुपये थी। 60 –69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2000 रुपये और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500

रुपये – प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। दिव्यांग जनों और संकट में महिलाओं को भी 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।

- 96 महिलाओं तथा बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए, महिला और बाल विकास विभाग कुछ प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीसी), लाडली योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) लागू कर रहा है। विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। दिल्ली में काम करने वाली महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है। दिल्ली महिला आयोग की 81 महिला पंचायतें हैं, जो संकट में महिलाओं को परामर्श और कानूनी सलाह देने का काम कर रही हैं।
- 97 बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान और उपेक्षित बच्चों की देखभाल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली में कार्यरत है।
- 98 दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9678 रुपये और आंगनवाड़ी सहायकों को 4839 रुपये मासिक मानदेय प्रदान कर रही है।
- 99 दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान कर रही है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें और "जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना" के तहत उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकें।
- 100 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्रों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं जैसे स्टेशनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, छात्रों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- 101 दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का विभाग करता है। इस प्रणाली के तहत समाज के अधिकारविहीन वर्गों को खाद्यान्न, मुख्य रूप से चावल और गेहूं रियायती मूल्य पर कुशलतापूर्वक मुहैया कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के तुरंत बाद इसे लागू करने वाला दिल्ली पहला राज्य था।
- 102 रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार का सार्वजनिक वितरण नेटवर्क, जिसमें समूची दिल्ली में 2029 उचित मूल्य दुकानें शामिल हैं, 31 मार्च 2020 तक 17.50 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 71.08 लाख आबादी की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। ये खाद्य सुरक्षा कार्ड, आधार से जुड़े हैं।

- 103 कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी बंद के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप हुए आजीविका के नुकसान को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में कोई भी भूख या भुखमरी से पीड़ित न हो, भोजन की आवश्यकता वाले और बिना राशन कार्ड वाले सभी व्यक्तियों को सूखा-राशन प्रदान करने के लिए एक विशेष खाद्य राहत पहल-मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई।
- 104 प्रति लाभार्थी सदस्य को 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न, गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली श्रेणी के अंतर्गत 69.60 लाख ई-कूपन के जरिए उन व्यक्तियों को निषुल्क दिया गया था, जो नियमित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसे 7 अप्रैल, 2020 से समूची दिल्ली में लगभग 550 नामित वितरण केंद्रों के जरिए वितरित किया गया।

जनसांख्यिकीय स्वरूप

- 105 रा.रा.क्षे.दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 किलोमीटर² है। एक के बाद एक आई जनगणना रिपोर्ट द्वारा पुष्टि के अनुरूप शहरीकरण की तीव्र गति के साथ, ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। 1901 में 53 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 97 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में थी। यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय राजधानी में शहरीकरण में तेजी से हुई वृद्धि को इंगित करता है। दिल्ली की ग्रामीण आबादी 1991 के 9.49 लाख से घटकर 2011 में 4.19 लाख हो गई है। शहरीकरण की इस गति ने दिल्ली में ग्रामीण गांवों की संख्या 1961 की 300 से घटकर 2001 में 165 और 2011 में 112 रह गई है।
- 106 रा.रा.क्षे.दिल्ली में 1951 के बाद पहली बार, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आई और यह 2011 में 21.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2001 में यह 47.02 प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना की यह एक खासियत है, क्योंकि 1951 के बाद से सभी जनगणनाओं में, 2001 को छोड़कर सभी में दशकीय वृद्धि दर 50 प्रतिशत से अधिक थी, केवल 2001 में यह 47 प्रतिशत थी। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि ने जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ गया। यह 1991 के 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2001 में 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 में 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है।
- 107 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के स्तर पर था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक था।

दिल्ली में गरीबी रेखा

- 108 गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति या समुदाय के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों, क्षमता और स्थितियों का अभाव होता है। यह एक ऐसी स्थिति को इंगित करता है जिसमें एक व्यक्ति आरामदायक जीवन शैली के लिए जीवन स्तर को बनाए रखने में विफल

रहता है। एनएसएस 68 वें दौर पर आधारित योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011–12 में दिल्ली में गरीबी रेखा ग्रामीण के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 1145 और शहरी के लिए 1134 प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह ग्रामीण के लिए 816 और शहरी भारत के लिए 1000 थी। दिल्ली में 2011–12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 16.96 लाख थी और यह दिल्ली की कुल आबादी का 9.91 प्रतिशत थी।

- 109 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली समय-समय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठनों के तहत किए गए नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर "दिल्ली के घरेलू उपभोक्ता व्यय का स्तर और पद्धति" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। एनएसएस के 68 वें दौर (जुलाई 2011–जून 2012) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में प्रति व्यक्ति खर्च 3726.66 रु. है जिसमें खाद्य पदार्थों पर 1461.54 रु. और गैर खाद्य पदार्थों पर 2265.12 रु. का खर्च शामिल है।
- 110 दिल्ली सरकार ने 2015 के बाद से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, बिजली और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की है। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं / कार्यक्रम चला रही है।

रोजगार और बेरोजगारी

- 111 भारत सरकार द्वारा जुलाई 2018 – जून 2019 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में श्रम बल की भागीदारी दर 37.5 थी जबकि श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 33.6 था। उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में बेरोजगारी दर 10.4 थी।

अध्याय – 2

राज्य अर्थव्यवस्था

उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे भरोसेमंद पैमाना रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार उत्पादन लागत और बाजार मूल्यों पर जीडीपी की घोषणा करती रही है। जनवरी 2015 में सीएसओ ने अपने सशोधन में जीडीपी को प्राथमिक मूल्यों पर, सकल मूल्य संवर्धन— जीवीए और बाजार मूल्यों पर जीडीपी के साथ उत्पादन लागत पर प्रतिस्थापित कर दिया, जिसे अब केवल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। यह मध्यवर्ती उपभोग (आउटपुट के आगे उत्पादन में प्रयुक्त और अंतिम उपभोग में प्रयुक्त नहीं) का मूल्य घटा कर अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य है। उत्पादन लागत, प्राथमिक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर निवल उत्पादन (उत्पादन सब्सिडी को घटा कर उत्पादन कर) कर और निवल उत्पाद करों (उत्पाद सब्सिडी को घटा कर उत्पाद कर) के बीच के अंतर पर आधारित होता है। उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी का भुगतान या प्राप्ति उत्पादन के संदर्भ में की जाती है और यह भू-राजस्व, स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क जैसे उत्पादन वाल्यूम से पृथक होता है। दूसरी तरफ उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी का भुगतान या प्राप्ति प्रति यूनिट या प्रति उत्पाद किया जाता है, जैसे उत्पाद कर, सेवा कर, जीएसटी, बिक्री कर, निर्यात और आयात शुल्क इत्यादि। उत्पादन लागत में केवल उत्पादन के विभिन्न घटकों को किया गया भुगतान शामिल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कर शामिल नहीं होता। बाजार मूल्यों तक पहुंचने के उद्देश्य से हमें उत्पादन लागत में कुल सब्सिडी को घटा कर कुल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना होगा। प्राथमिक मूल्य इनके बीच निर्धारित होता है : इनमें उत्पादन कर (उत्पादन सब्सिडी को घटा कर) शामिल होते हैं लेकिन उत्पाद कर (उत्पाद सब्सिडी को घटा कर) शामिल नहीं होते। इसलिए मार्केट मूल्य निर्धारित करने के लिए हमें उत्पाद कर (उत्पाद सब्सिडी घटा कर) को प्राथमिक मूल्यों में जोड़ना होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्राथमिक मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन—जीवीए जारी करता है। इसलिए इसमें निवल उत्पादन कर शामिल होते हैं, लेकिन निवल उत्पाद कर शामिल नहीं होते। जीडीपी/जीएसडीपी (बाजार मूल्यों पर) के निर्धारण के लिए हमें प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए में निवल उत्पाद कर जोड़ने होते हैं।

इसलिए उत्पादन लागत पर जीवीए+निवल उत्पादन कर =प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए + निवल उत्पाद कर =मार्केट मूल्य पर जीवीए

- 1.1 राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी), किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसे राज्य की आय भी कहा जाता है। एसडीपी कर गणना या आकलन हमेशा मौद्रिक संदर्भ में किया जाता है और यह प्रति व्यक्ति आय की गणना में प्रयुक्त होता है। राज्य की आर्थिक समृद्धि के मापन और अर्थव्यवस्था में आ रहे संरचनात्मक बदलाव के अध्ययन के लिए यह संकेतक का काम करता है। एक समयावधि में एसडीपी आकलन आर्थिक

विकास के स्तर पर बदलावों की सीमा और दिशा स्पष्ट करता है। सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) की संरचना अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में विभिन्न सेक्टरों की सापेक्ष स्थिति का अंदाजा उपलब्ध कराती है। जो न केवल अर्थव्यवस्था में हो रहे वास्तविक संरचनात्मक बदलावों को इंगित करता है बल्कि समग्र आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने में भी सहायक होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की आय का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है, जो भारतीय संघ के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के लिए विकास इंजन माना जाता है।

2. अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का असर

- 2.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली में कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी और पृथक्वास उपायों के कड़ाई से पालन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत दिल्ली महामारी रोग, कोविड-19 विनियमन जारी किया और पूरे रा.रा.क्षे. में सोमवार 23 मार्च 2020 की सुबह 6 बजे से मंगलवार 31 मार्च 2020 की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन अधिसूचित किया। इसके बाद 24 मार्च 2020 को 21 दिन का सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया और बाद में इसे बढ़ा कर 31 मई 2020 तक कर दिया गया। भारत ने महामारी के आरंभिक चरण में मार्च से अप्रैल 2020 तक राष्ट्रव्यापी कठोर पूर्णबंदी लागू की। इसके बाद चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन में छूट दी गई और रोकथाम उपायों में कुछ ढील दी गई।
- 2.2 वर्ष 2020, नोवेल कोरोना वायरस के कारण भारी उथल पुथल का साक्षी बना और यह महामारी किसी एक सदी में आर्थिक वृद्धि के समक्ष सबसे बड़ा संकट बन कर उभरी। अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग प्रत्येक हिस्से पर व्यापक असर के कारण यह महामारी एक अभूतपूर्व विपत्ति के रूप में सामने आई। इसका अर्थव्यवस्था की आपूर्ति और मांग, दोनों पक्षों पर भारी असर पड़ा।
- 2.3 संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए अपनाए गए उपायों का भारी आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ा, क्योंकि इनके कारण लगभग पूरी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गईं, उपभोग और इन्वेस्टमेंट पर अंकुश लग गया और साथ ही श्रम की आपूर्ति और उत्पादन प्रतिबंधित हुआ। इस प्रकार कोविड-19 ने पूरे विश्व को लोगों का “जीवन” और “आजीविका” बचाने के कठिन संकट में डाल दिया, क्योंकि संक्रमण की वक्र रेखा को समतल करने के लिए उठाए गए कदमों ने वृहद आर्थिक मंदी की वक्र रेखा और गहरी कर दी।
- 2.4 ये महामारी एक जबरदस्त आर्थिक आघात के रूप में सामने आई, जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति और मांग पक्ष दोनों को आघात पहुंचाया। बढ़ती हुई अनिश्चितता, कम होता भरोसा, आय में कमी, विकास की दुर्बल संभावनाएं, संक्रमण का भय, सभी प्रकार की संपर्क संवेदनशील गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण व्यय विकल्पों में कमी, एहतियातन बचत करने की विवशता, व्यवसायों के बंद होने का जोखिम और इसके कारण उपभोग और निवेश में गिरावट से मांग पक्ष को भारी आघात पहुंचा। आर्थिक गतिविधियों के बंद हो जाने और श्रमिकों की आवाजाही पर पाबंदी से आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा। आपूर्ति पक्ष में पहले क्रम के व्यवधान ने मांग और आपूर्ति, दोनों पर दूसरे दौर का भी नकारात्मक असर डाला। आपूर्ति पर आरंभिक आघात के कारण

पारिश्रमिक और आय में कमी आने से आगे भी समग्र मांग पर असर पड़ेगा और उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी, जो आगे फिर आपूर्ति को प्रभावित करेगा।

- 2.5 दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (मौजूदा मूल्यों पर) में वर्ष 2020–21 के दौरान 3.92 प्रतिशत का संकुचन कोविड महामारी और रोकथाम उपायों के असर को उजागर करता है। व्यापक टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ अर्थव्यवस्था के सामान्य स्थिति में वापस लौटने से सेवा क्षेत्र, उपभोग और निवेश में मजबूत वापसी की आशा बन गई है। अर्थव्यवस्था की अंतर-निहित शक्तियों के आधार पर वर्ष 2021–22 में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी के तेजी से दहाई आंकड़े की वृद्धि में वापसी की आशा है।

3. प्रचलित मूल्यों पर आकलन

वर्ष 2018–19 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 750962 करोड़ रुपये आंका गया था, जो इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 10.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता था। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का जीएसडीपी, 10.64 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 830872 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी के अग्रिम आकलन में इसके 798310 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 3.92 प्रतिशत कम है। दिल्ली का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) प्रचलित मूल्यों पर 2018–19 के दौरान 676855 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 10.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का एनएसडीपी बढ़ कर 753759 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11.36 प्रतिशत की वृद्धि रही। वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली के एनएसडीपी के अग्रिम आकलन के 722663 करोड़ रुपये के स्तर पर आने की संभावना है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.13 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।

4. स्थिर मूल्यों पर आकलन (आधार वर्ष 2011–12)

- 4.1 दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2018–19 के दौरान 573135 करोड़ रुपये रिकार्ड किया गया था, जिसमें उससे पिछले वर्ष की तुलना में 5.74 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। 2019–20 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़कर 613843 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 7.10 प्रतिशत की वृद्धि रही। 2020–21 के दौरान दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रिम आकलन के अनुसार यह स्थिर मूल्यों पर 578971 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 2019–20 की तुलना में 5.68 प्रतिशत का संकुचन रहा। 2018–19 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) 512957 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2019–20 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का निवल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ कर 550303 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.28 प्रतिशत की वृद्धि रही। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्थित मूल्यों पर दिल्ली के एनएसडीपी का अग्रिम आकलन 518518 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 2019–20 की तुलना में 5.78 प्रतिशत संकुचने की संभावना है।

- 4.2 अधिकतर शहरी अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए आम रुख के अनुसार दिल्ली में भी सेवा क्षेत्र में ऊंची बढ़ोतरी का रुझान है। 2011-12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) के प्रतिशत वितरण से पता चलता है कि कृषि और सहयोगी क्षेत्र में गिरावट का रुख, द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि का रुख, तृतीयक क्षेत्र में गिरावट की प्रवृत्ति है। अधिक स्पष्ट तौर पर कहें तो 2011-12 के मूल्यों पर दिल्ली के जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011-12 के 3.49 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 3.44 प्रतिशत पर आ गया है। इसी अवधि में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 13.78 प्रतिशत हो गया है। दिल्ली के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2011-12 के 83.42 प्रतिशत से घट कर 2020-21 में 82.78 प्रतिशत पर आ गया है।
- 4.3 प्रचलित मूल्यों और 2011-12 के मूल्यों के आधार पर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी विवरण 2.1 में दी गयी है।

विवरण 2.1

प्रचलित और 2011-12 के मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद।

(करोड़ रुपये)

क्र.स	वर्ष	बाजार मूल्यों पर जीएसडीपी		बाजार मूल्यों पर एनएसडीपी	
		प्रचलित	स्थिर (2011-12)	प्रचलित	स्थिर (2011-12)
1.	2011-12	343798	343798	314650	314650
2.	2012-13	391388	366628	357400	334193
3.	2013-14	443960	392908	404841	356528
4.	2014-15	494803	428355	448487	387639
5.	2015-16	550804	475623	500524	431730
6.	2016-17	616085	511765	558546	461592
7.	2017-18 (द्वि.सं.अ)	677900	542015	613631	487631
8.	2018-19 (प्र.सं.अ)	750962	573135	676855	512957
9.	2019-20 (अ.अ)	830872	613843	753759	550303
10.	2020-21 (AE)	798310	578971	722663	518518

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, रासाक्षे, दिल्ली सरकार

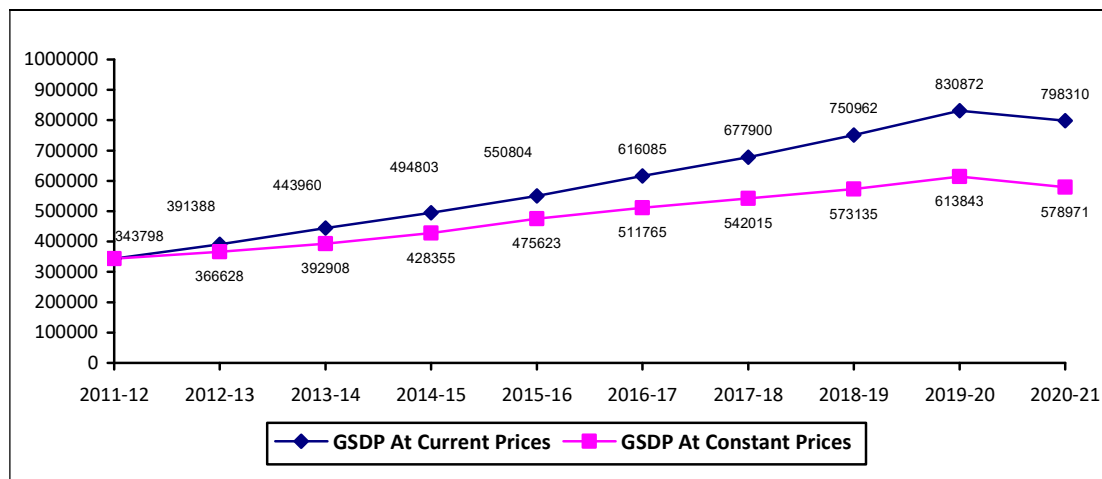
नोट : (तृ.सं.अ)-तृतीय संशोधित आकलन, (द्वि.सं.अ)-द्वितीय संशोधित आकलन, (प्र.सं.अ)-प्रथम संशोधित आकलन, (अ.अ.)-अग्रिम आकलन

- 4.4 प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011-12) पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1

दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद— प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर।

(करोड़ रुपये)



- 4.5 पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रचलित और 2011-12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि विवरण 2.2 में दी गयी है।

विवरण 2.2

प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (प्रतिशत में)

क्र.स.	वर्ष	जीएसडीपी बाजार मूल्यों पर		एनएसडीपी बाजार मूल्यों पर	
		प्रचलित	स्थिर (2011-12)	प्रचलित	स्थिर (2011-12)
1.	2012-13	13.84	6.64	13.59	6.21
2.	2013-14	13.43	7.17	13.27	6.68
3.	2014-15	11.45	9.02	10.78	8.73
4.	2015-16	11.32	11.03	11.60	11.37
5.	2016-17	11.85	7.60	11.59	6.92
6.	2017-18	10.03	5.91	9.86	5.64
7.	2018-19	10.78	5.74	10.30	5.19
8.	2019-20	10.64	7.10	11.36	7.28
9.	2020-21	-3.92	-5.68	-4.13	-5.78

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, रासाक्षे, दिल्ली सरकार

4.6 राज्य घरेलू उत्पाद के आकलन की संक्षिप्त पद्धति

- 4.6.1 अर्थव्यवस्था का **प्राथमिक क्षेत्र** धरती से उत्पादों का निष्कर्षण अथवा अर्जन करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे माल और बुनियादी खाद्यान्न का उत्पादन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र से सम्बद्ध गतिविधियों में कृषि (आजीविका और वाणिज्यिक दोनों), खनन, वानिकी, खेती, चारागाह, शिकार और संग्रहण, मत्स्य उद्योग और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। इस क्षेत्र से सम्बद्ध कच्चे माल की पैकेजिंग और प्रसंस्करण को भी इस क्षेत्र का हिस्सा समझा जाता है। कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग के लिए जीएसवीए के अनुमान सरकारी सिंचाई प्रणाली के प्रचालन को छोड़ कर उत्पादन पद्धति से संकलित किए जाते हैं, जिसके लिए आय पद्धति अपनाई जाती है। खनन और उत्खनन उद्योग में जीएसवीए के अनुमान गैर-विभागीय उद्यम और प्राइवेट कॉर्पोरेट उद्यमों से सम्बद्ध कंपनियों के वार्षिक वित्तीय ब्यौरों से संकलित किए जाते हैं। कंपनियों के ये ब्यौरे एमसीए 21 डेटाबेस से निकाले जाते हैं।
- 4.6.2 अर्थव्यवस्था के **द्वितीयक क्षेत्र** के अंतर्गत ऐसे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं, जो उपभोग के लिए तैयार, इस्तेमाल योग्य उत्पाद बनाते हैं; जिनमें विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस और जलापूर्ति और उपयोग संबंधी अन्य सेवाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों से तैयार वस्तुओं का विनिर्माण करता है, या ऐसी वस्तुएं बनाता है, जो अन्य व्यवसायों द्वारा निर्यात, या घरेलू उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस क्षेत्र के जीएसवीए के आकलन के लिए, समूची विनिर्माण गतिविधियों को मोटेतौर पर दो व्यापक खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, ये हैं – विनिर्माण – ‘संगठित विनिर्माण’ और ‘असंगठित विनिर्माण’। संगठित विनिर्माण क्षेत्र के लिए अनुमानों के वास्ते गैर-विभागीय उद्यमों (एनडीई) के वार्षिक खातों, निजी कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले में एमसीए डेटा बेस और अर्द्ध-निगमों के मामले में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एसआई) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। असंगठित विनिर्माण के अंतर्गत घरेलू उद्यम शामिल हैं। गैर-निगमित विनिर्माण उद्यमों के सकल मूल्य संवर्धन के श्रेणीवार आकलन संकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 67वें दौर (गैर-निगमित उद्यम संबंधी) के सर्वेक्षण, 2011-12 और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 68वें दौर (रोजगार बेरोजगारी संबंधी) के सर्वेक्षण, 2011-12 के लिए प्रभावकारी श्रम लागत पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। विद्युत सब-क्षेत्र में जीएसवीए के आकलन आय पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए जाते हैं। ये आकलन राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य में स्थित अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों के वार्षिक लेखों के विश्लेषण के आधार पर लगाए जाते हैं। गैस के संदर्भ में जीएसवीए के अनुमान उद्यमिता दृष्टिकोण के जरिए संकलित किए जाते हैं। जलापूर्ति के लिए जीएसवीए के आकलन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए अलग अलग आय पद्धति के आधार पर संकलित किए जाते हैं। उपचार और अन्य जनोपयोगी सेवाओं के लिए जीएसवीए के आकलन रीसाइक्लिंग, री-मेडिएशन, सीवरेज और अन्य कचरा प्रबंधन सेवाओं की समग्र रूप में गणना करते हुए संकलित किए जाते हैं। समूची अर्थव्यवस्था के लिए लेखाबद्ध निर्माण के आकलन पहले वस्तु आपूर्ति दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। निजी निगमों के बारे में आकलन कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी कंपनियों के वित्तीय मानदंड के बारे में एमसीए-21 डेटा बेस द्वारा प्रदत्त जानकारी का इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं।

- 4.6.3 **तृतीयक क्षेत्र** की दिल्ली के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और यह रोजगार क्षमता और राज्य की आय में योगदान, दोनों ही संदर्भों में अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। यह क्षेत्र व्यापक गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे सर्वाधिक अत्याधुनिक क्षेत्र से लेकर असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा दी जाने वाली सामान्य सेवाओं तक शामिल हैं, जैसे सब्जी विक्रेता, फेरी वाले, रिक्शा चालक आदि की सेवाएं। औद्योगिक श्रेणी के संदर्भ में, इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल और रेस्त्रां; परिवहन; भंडारण; संचार; वित्तीय सेवाएं; रीयल एस्टेट; रिहायशी और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व; लोक प्रशासन; और शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे सेवाएं आती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र खंड के लिए जीएसवीए वार्षिक रिपोर्टों/खातों और बजट दस्तावेजों के आर्थिक विश्लेषण के जरिए प्राप्त किया जाता है। प्राइवेट निगमों के आकलन एमसीए-21 डेटा बेस और एनएसएस सर्वेक्षणों के परिणामों का इस्तेमाल करते हुए संकलित किए जाते हैं।

5. प्रति व्यक्ति आय

- 5.1 प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2019–20 के दौरान 376221 रुपये पहुंच गई, जबकि यह 2018–19 में यह 344350 रुपये और 2017–18 में रुपये 318323 रुपये थी। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 354004 रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर पिछले 9 वर्षों (2013–21) में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 11.12 प्रतिशत, 10.86 प्रतिशत, 8.47 प्रतिशत, 9.32 प्रतिशत, 9.36 प्रतिशत, 7.70 प्रतिशत, 8.18 प्रतिशत, 9.26 प्रतिशत और (–) 5.91 प्रतिशत रही है।
- 5.2 2019–20 में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 274671 रुपये रही जबकि 2018–19 में यह 260967 रुपये थी, अर्थात् इसमें 5.25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2020–21 में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसके 254001 रुपये पर रहने की संभावना है। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.53 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- 5.3 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों ही मूल्यों पर राष्ट्रीय औसत से लगभग तिगुनी थी। पिछले दस वर्षों में दिल्ली और समग्र भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी विवरणी 2.3 में दी गयी है।

विवरण 2.3

2011-12 से 2020-21 के दौरान दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

वर्ष	प्रचलित मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)		स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)	
	दिल्ली*	अखिल भारतीय	दिल्ली*	अखिल भारतीय
2011-12	185001	63462	185001	63462
2012-13	205568	70983	192220	65538
2013-14	227900	79118	200702	68572
2014-15	247209	86647	213669	72805
2015-16	270261	94797	233115	77659
2016-17	295558	104880	244255	83003
2017-18 (तृ.सं.अ)	318323	115224	252960	87586
2018-19 (द्वि सं अ)	344350	125883	260967	92241
2019-20 (प्र सं अ)	376221	134186	274671	94566
2020-21(अ आ)	354004	127768	254001	85929

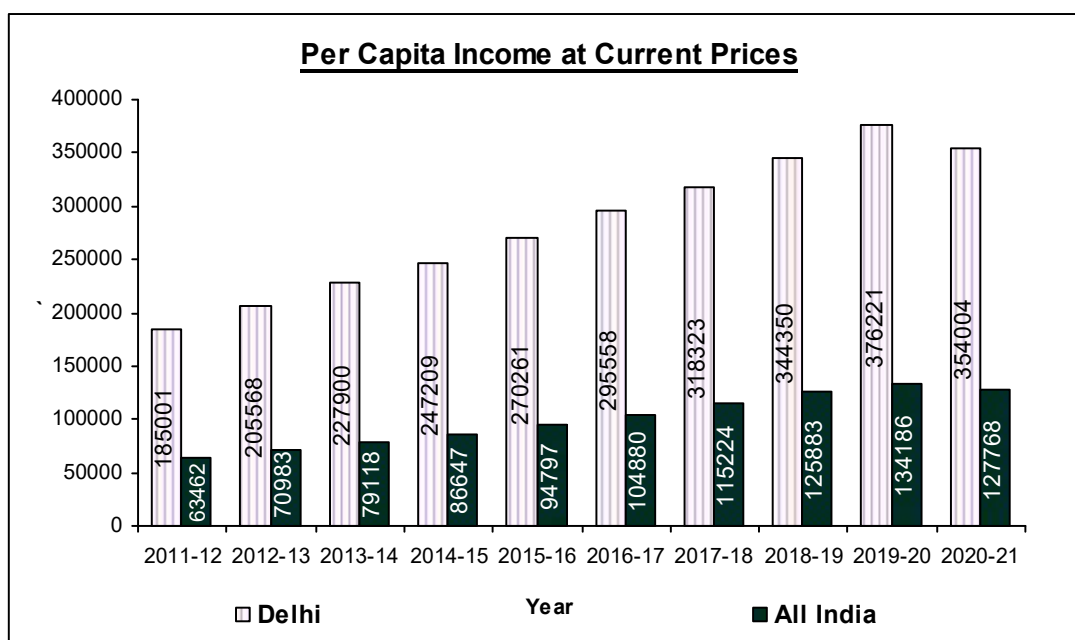
स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, रासाराक्षे, दिल्ली सरकार

नोट : (तृ.सं.अ)–तृतीय संशोधित आकलन, (द्वि.सं.अ)–द्वितीय संशोधित आकलन, (प्र.सं.अ.) – प्रथम संशोधित आकलन, (अ.अ.) – अग्रिम आकलन

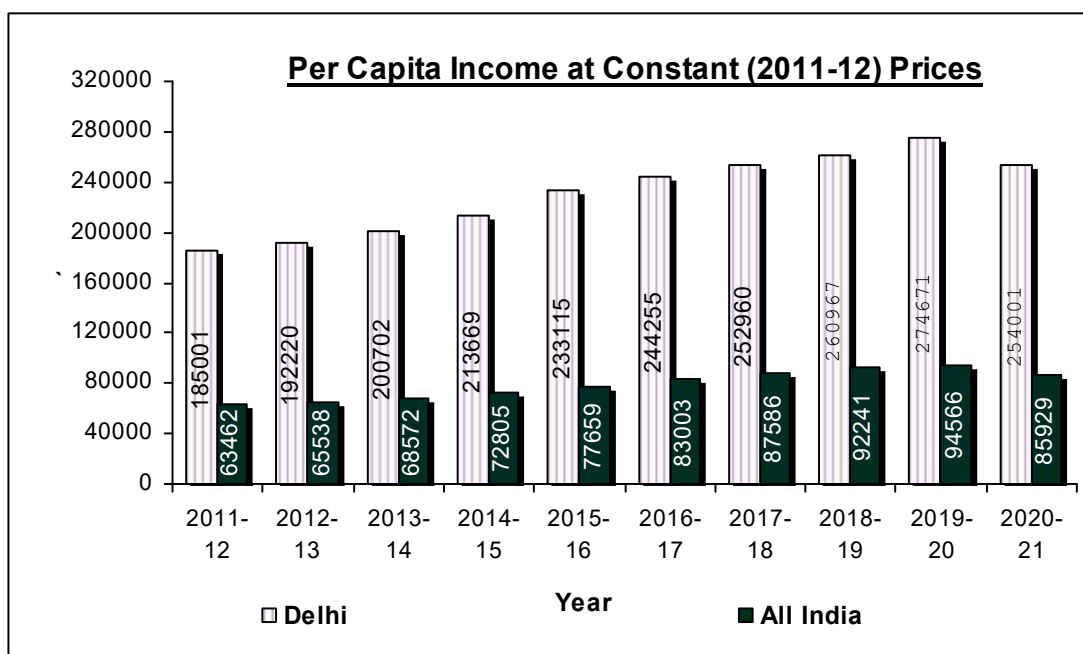
* राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

- 5.4 विवरण 2.3 से यह पता चलता है कि 2011-12 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 185001 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 354004 रुपये हो गयी, अर्थात् इसमें 7.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई। इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 3.68 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी हुई। प्रचलित और स्थिर दोनों मूल्यों पर पिछले 10 वर्ष के दौरान दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय संबंधी जानकारी क्रमशः चार्ट 2.2.1 और 2.2.2 में दी गयी है।

चार्ट 2.2.1
प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय



चार्ट 2.2.2
स्थिर मूल्यों पर दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय



- 5.5 प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर विवरणी 2.4 में दी गयी है।

विवरण 2.4

2012-13 से 2020-21 के बीच दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्र.स	वर्ष	दिल्ली		भारत	
		प्रचलित मूल्य	स्थिर मूल्य (2011-12)	प्रचलित मूल्य	स्थिर मूल्य (2011-12)
1.	2012-13	11.12	3.90	11.9	3.3
2.	2013-14	10.86	4.41	11.5	4.6
3.	2014-15	8.47	6.46	9.5	6.2
4.	2015-16	9.32	9.10	9.4	6.7
5.	2016-17	9.36	4.78	10.6	6.9
6.	2017-18	7.70	3.56	9.9	5.5
7.	2018-19	8.18	3.17	9.3	5.3
8.	2019-20	9.26	5.25	6.6	2.5
9.	2020-21	-5.91	-7.53	-4.8	-9.1

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, साराक्षे, दिल्ली सरकार

6. सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

- 6.1 दुनिया की अधिकतर शहरीकृत क्षेत्रों में आम रुझान के अनुरूप दिल्ली की आमदनी में भी प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र का है। सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में क्षेत्रगत बढ़ोतरी के विशलेषण से भी इसी तथ्य का स्पष्ट पता चलता है। समग्र जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र (जिसमें कृषि, पशुधन, वानिकी, मछली उद्योग, खनन और उत्खनन शामिल हैं) में पिछले 10 वर्षों में लगातार गिरावट का रुझान रहा है, कुछ गौण विचलों को छोड़कर। द्वितीयक क्षेत्र के योगदान में मिश्रित रुझान रहा है। प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011-12) के संदर्भ में तीन अलग अलग क्षेत्रों, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में दिल्ली के जीएसवीए की संरचना 2011-12 से 2020-21 की अवधि के लिए विवरण 2.5 में दी गई है।

विवरण 2.5
दिल्ली में जीएसवीए की क्षेत्रगत संरचना (बुनियादी मूल्यों पर) –
प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011-12) पर

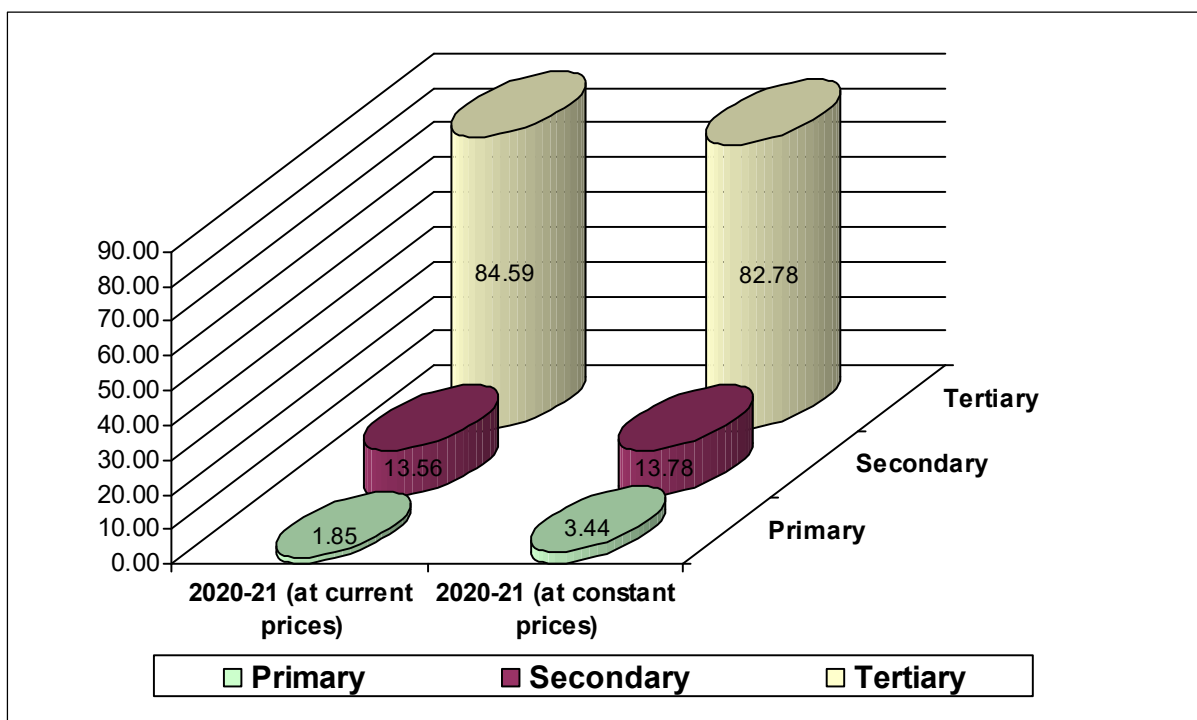
(करोड़ रुपये)

क्र.स	वर्ष	प्राथमिक		द्वितीयक		तृतीयक		कुल	
		₹ करोड	%	₹ करोड	%	₹ करोड	%	₹ करोड	%
1	2011-12								
	क. प्रचलित	10585.42	3.49	39682.08	13.09	252964.99	83.42	303232.49	100.00
	ख. स्थिर	10585.42	3.49	39682.08	13.09	252964.99	83.42	303232.49	100.00
2	2012-13								
	क. प्रचलित	10048.44	2.93	48498.08	14.17	284041.02	82.90	342587.54	100.00
	ख. स्थिर	9061.01	2.82	45118.64	14.06	266752.79	83.12	320932.43	100.00
3	2013-14								
	क. प्रचलित	12741.36	3.29	54262.39	14.07	318927.16	82.64	385930.91	100.00
	ख. स्थिर	10621.54	3.10	47802.34	13.99	283200.89	82.91	341624.77	100.00
4	2014-15								
	क. प्रचलित	12115.29	2.79	53246.72	12.26	368879.09	84.95	434241.10	100.00
	ख. स्थिर	11129.20	2.96	45154.35	12.01	319564.22	85.03	375847.77	100.00
5	2015-16								
	क. प्रचलित	9987.11	2.09	65194.32	13.62	403600.12	84.29	478781.54	100.00
	ख. स्थिर	11534.36	2.80	55107.47	13.41	344275.62	83.79	410917.45	100.00
6	2016-17								
	क. प्रचलित	9008.82	1.70	71615.66	13.48	450550.91	84.82	531175.39	100.00
	ख. स्थिर	10611.73	2.42	58147.77	13.28	369230.31	84.30	437989.81	100.00
7	2017-18								
	क. प्रचलित	9776.09	1.67	80986.80	13.80	496136.82	84.53	586899.72	100.00
	ख. स्थिर	11269.34	2.43	63186.70	13.65	388876.89	83.92	463332.93	100.00
8	2018-19								
	क. प्रचलित	13484.20	2.06	91227.54	13.87	552758.04	84.07	657469.78	100.00
	ख. स्थिर	13220.30	2.67	68912.08	13.92	412978.13	83.41	495110.50	100.00
9	2019-20								
	क. प्रचलित	17023.34	2.31	100691.77	13.67	619002.04	84.02	736717.15	100.00
	ख. स्थिर	18217.48	3.40	74472.33	13.90	443126.28	82.70	535816.10	100.00
10	2020-21								
	क. प्रचलित	13115.99	1.85	96083.21	13.56	599626.35	84.59	708825.55	100.00
	ख. स्थिर	17382.13	3.44	69761.61	13.78	418830.40	82.78	505974.14	100.00

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराराक्षे, दिल्ली सरकार।
राउंडिंग ऑफ के कारण संभव है कि जोड़ का मिलान न हो

- 6.2 विवरण 2.5 से पता चलता है कि 2011–12 में दिल्ली की आय में 82 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है, 15 प्रतिशत से कम द्वितीयक क्षेत्र की और चार प्रतिशत से भी कम प्राथमिक क्षेत्र की रही है। अधिक स्पष्ट रूप में कहें तो 2011–12 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 3.49 प्रतिशत था जो 2020–21 में घटकर 1.85 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत तृतीयक क्षेत्र का योगदान 2011–12 में प्रचलित मूल्यों पर 83.42 प्रतिशत था जो 2020–21 में बढ़कर 84.59 प्रतिशत हो गया। दिल्ली की आय में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011–12 में 13.09 प्रतिशत था जो 2020–21 में बढ़कर 13.56 प्रतिशत हो गया।
- 6.3 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्धित की क्षेत्रगत संरचना चार्ट 2.3 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.3
प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर दिल्ली के जीएसवीए की क्षेत्रगत संरचना।
(प्रतिशत में)



- 6.4 दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित अन्य सांख्यिकीय जानकारी तालिका 2.1 से तालिका 2.4 के अंतर्गत दी गयी हैं।

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट

बजट तैयार करना एक ऐसा उपाय है जिसका उपयोग दुनिया भर की सरकारें अपनी नीतियों को परिणामों में बदलने के लिए सार्वजनिक निधियों के आवंटन के लिए करती हैं। यह लोक वित्त प्रबंधन के सबसे कारगर उपायों में से एक है जिसका उपयोग सतत सुधार की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले लीवर या औजार के तौर पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा किये गये आवंटनों से उसकी सार्वजनिक नीतियों और प्राथमिकताओं का पता चलता है।

2. दिल्ली ने हाल के वर्षों में नीति संबंधी बड़े बदलाव किये हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा शहरी विकास की योजनाओं का बजट आवंटन बढ़ा दिया गया है। योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए संसाधनों के आवंटन से केवल प्राथमिकता तय हो पाती हैं। लक्ष्य की वास्तविक प्राप्ति तो इन निधियों के कारगर उपयोग और इन्हें परिणामों में परिवर्तित करने से हो पाती हैं।
3. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अभिनव और विस्तृत परिणामी बजट निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ बजट 2017-18 से शुरू किया था। इससे ठीक पहले उसने केन्द्र सरकार के सुझाव के अनुसार बजट में “योजनागत” और “गैर-योजनागत” वर्गीकरण को समाप्त कर दिया था। परिणामी बजट से योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्य निष्पादन के विभिन्न पक्षों और परिणामों का कार्यनिष्पादन और परिणामों के संकेतकों रूप में विभिन्न मदों पर खर्च का ब्यौरा प्राप्त होता है जिसकी आसानी से परीक्षा की जा सकती है।
4. दिल्ली में बजट और परिणामी बजट का उपयोग कार्यनिष्पादन के ऐसे पैमाने के रूप में किया जाता है जिनसे बेहतर सेवाएं प्रदान करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार लाने, सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन का समय-सम पर आकलन करने और योजनाओं के बेहतर प्रबंधन से बजट को लागत की दृष्टि से फायदेमंद बनाने में मदद मिलती है। दिल्ली सरकार परिणामी बजट पर कार्यनिष्पादन बजट भी प्रस्तुत करती है जिससे से परिणामी बजट के महत्वपूर्ण संकेतकों के ‘पटरी पर होने’ या ‘पटरी से उतरने’ स्थिति का पता चलता है।
5. दिल्ली के 2020-21 के परिणामी बजट के अंतर्गत आठ प्रमुख क्षेत्रों के दायरे में आने वाले सभी प्रमुख विभाग और एजेंसियां शामिल हैं। प्रत्येक विभाग के तहत कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान की गयी है और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यनिष्पादन तथा परिणामों के प्रमुख संकेतकों को परिभाषित किया गया है। यह सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये संकेतक स्मार्ट (यानी विशिष्ट, मापनीय, संदर्भित, वास्तविक और लक्षित) बना रहे और एक ही विभाग के तहत तथा विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं की एक-दूसरे से तुलना की जा सके। बजट 2020-21 में कुल मिलाकर 3,375 उत्पादन संकेतकों और 2,778 परिणामी संकेतकों का विकास किया गया है।
6. जहां तक योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत धन के आवंटन और खर्च की स्थिति का सवाल है, इस अध्याय में आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है जैसे प्राथमिकता संकेतक,

सामाजिक क्षेत्र, एजेंसी वार वर्गीकरण आदि। 2016-17 तक आंकड़ों को योजनागत और गैर-योजना श्रेणियों में रखा जाता था और इस अध्याय में केवल योजना खंड की चर्चा की जाती थी, लेकिन वर्ष 2017-18 से इसे योजनाओं और स्थापना खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा। 2017-18 से इस अध्याय में केवल योजना खर्च की चर्चा की जाती है।

7. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्वीकृत योजना परिव्यय और खर्च विवरण 3.1 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.1

दिल्ली का पंचवर्षीय योजनाओं का योजना परिव्यय और खर्च

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजनाएं	योजना परिव्यय (संशो.अनु.)	कुल खर्च	योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में खर्च
1.	पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956	6.30	4.70	74.60
2.	दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961	17.00	15.37	90.41
3.	तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966	99.33	93.10	93.73
4.	चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-1974	168.77	155.16	91.94
5.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-1979	363.75	341.34	93.84
6.	छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985	1039.38	1041.95	100.25
7.	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990	2537.34	2631.47	103.71
8.	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997	4500.00	6208.32	137.96
9.	नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002	15541.28	13465.09	86.64
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007	23000.00	22646.00	98.46
11.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012	54799.15	53478.86	97.95
12.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017	78950.00	70497.04	89.29

* नोट : 2014-15 से योजना परिव्यय में सी.एस.एस. भी शामिल है।

8. दिल्ली का योजना/कार्यक्रम/परियोजना परिव्यय और खर्च

2017-18 से 2020-21 के दौरान योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आवंटन और खर्च विवरण 3.2 में दिया गया है :

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम/परियोजनाएं	परिव्यय (संशो. अनु.)	कुल खर्च	परिव्यय के प्रतिशत के रूप में खर्च (संशो. अनु.)
1	2017-18	16000.00	14387.47	89.92
2	2018-19	18200.00	15672.03	86.11
3	2019-20	22200.00	20307.02	91.47
4	2020-21	29500.00 (बजट अनु.)		

9. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) से योजना खर्च का एजेंसी-वार विवरण और योजना/परियोजनाएं/कार्यक्रम का ब्यौरा क्रमशः 3.3 और 3.4 में दिया गया है।

विवरण 3.3

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विभाग/एजेंसी	12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)	2012-13 (खर्च)	2013-14 (खर्च)	2014-15 (खर्च)	2015-16 (खर्च)	2016-17 (खर्च)
1	जीएनसीटीडी के विभाग	66834.31	9682.08	10313.58	10311.6	11469.3	11185.92
2	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	4413.97	642.59	704.30	747.18	615.72	602.75
3	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	3988.87	617.77	607.80	533.60	492.42	467.75
4	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	1993.15	369.97	448.82	421.40	383.61	290.96
5	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	79.00	4.15	0.33	4.67	4.60	194.00
6	दिल्ली जल बोर्ड	11000.00	1717.36	1550.00	1789.00	1723.93	1384.65
7	डीयूएसआइबी	1630.00	203.50	320.00	172.13	270.86	229.00
8	दिल्ली विकास प्राधिकरण	60.00	-	19.33	-	-	-
9	दिल्ली छावनी परिषद	0.70	0.10	0.13	0.03	0.03	-
	कुल	90000.00	13237.5	13964.2	13979.6	14960.5	14355.03

विवरण 3.4

योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए जारी एजेंसी-वार खर्च/व्यय

(करोड़ रुपये में)

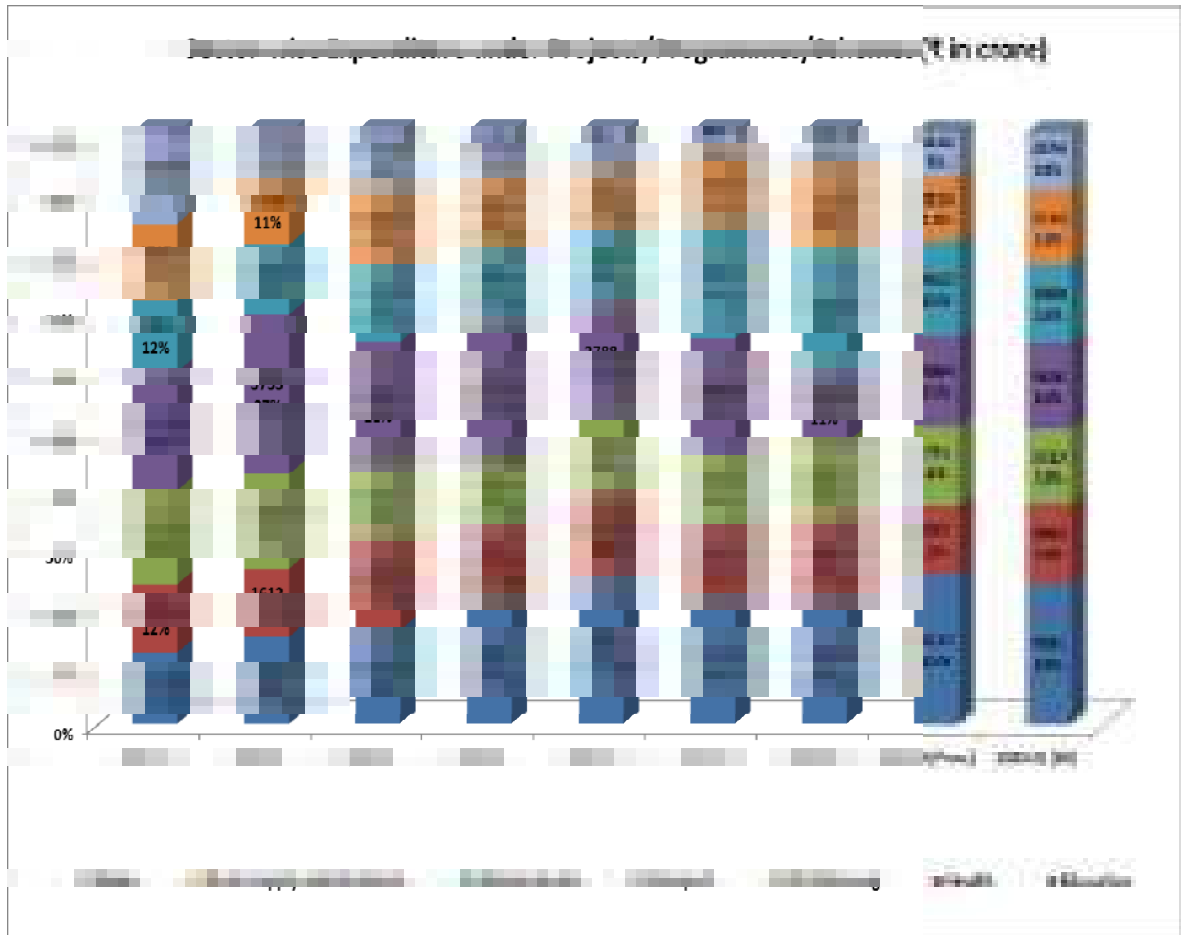
क्रम सं.	विभाग/एजेंसी	2017-18 (खर्च)	2018-19 (खर्च)	2019-20 (खर्च)	2020-21 (BE)
1	जीएनसीटीडी के विभाग	10818.41	12310.99	15648.55	22818.96
2	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	780.98	219.32	1009.48	1240.40
3	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	535.98	117.12	595.92	707.70
4	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	423.31	299.17	661.57	732.65
5	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	2.41	2.65	2.50	42.67
6	दिल्ली जल बोर्ड	1730.00	2315.98	2210.00	3724.00
7	डीयूएसआइबी	96.25	406.70	178.89	232.02
8	दिल्ली छावनी परिषद	0.15	0.10	0.11	1.60
	कुल	14387.47	15672.03	20307.02	29500.00

10. बारहवी योजना के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र का क्षेत्रवार खर्च और योजना/कार्यक्रम/परियोजनाएं विवरण 3.1 में प्रस्तुत की गयी हैं।

चार्ट 3.1

बारहवीं योजना के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र का क्षेत्रवार खर्च और योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं का क्षेत्रवार खर्च

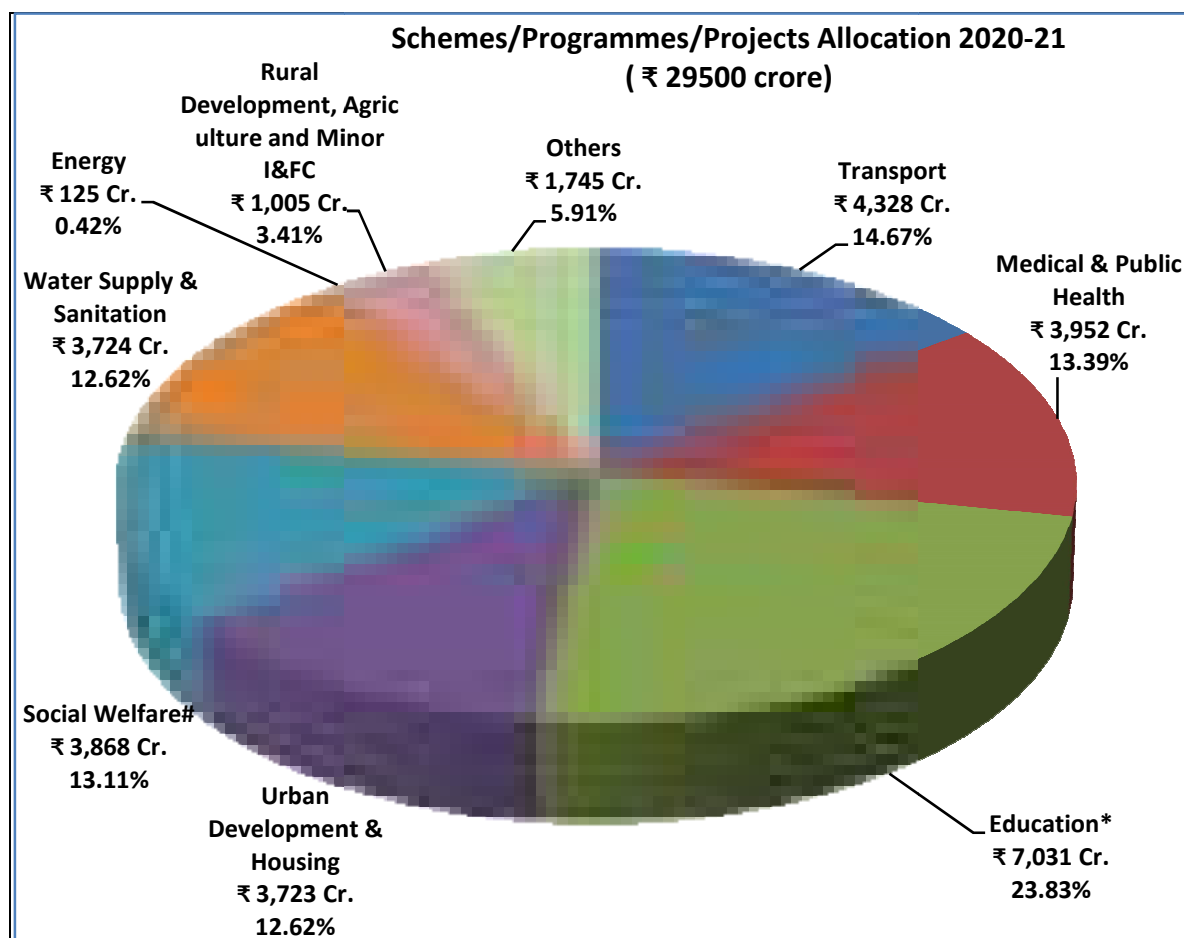
(करोड़ रुपये में)



11. ऊपर दिये गये चार्ट में प्राथमिकता क्षेत्र का सेक्टर-वार खर्च दिया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यानी 2012-13 से 2019-20 के दौरान शिक्षा क्षेत्र का खर्च में जो कुल खर्च का 12 प्रतिशत (1598 करोड़ रुपये) से दुगना होकर 25 प्रतिशत (5127 करोड़ रुपये) हो गया है। कल्याण क्षेत्र के खर्च में भी बढ़त का रुझान दिखाई देता है और यह 2012-13 में 12 प्रतिशत यानी 1585 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 16 प्रतिशत यानी 3262 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

चार्ट 3.2

प्राथमिकता क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए
2020-21 में बजट आवंटन
योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए 2020-21 में आवंटन



* इसमें सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला और संस्कृति, खेलकूद और युवा सेवा क्षेत्र तथा एनसीसी, दिल्ली अभिलेखागार, मध्याह्न भोजन योजना शामिल हैं।

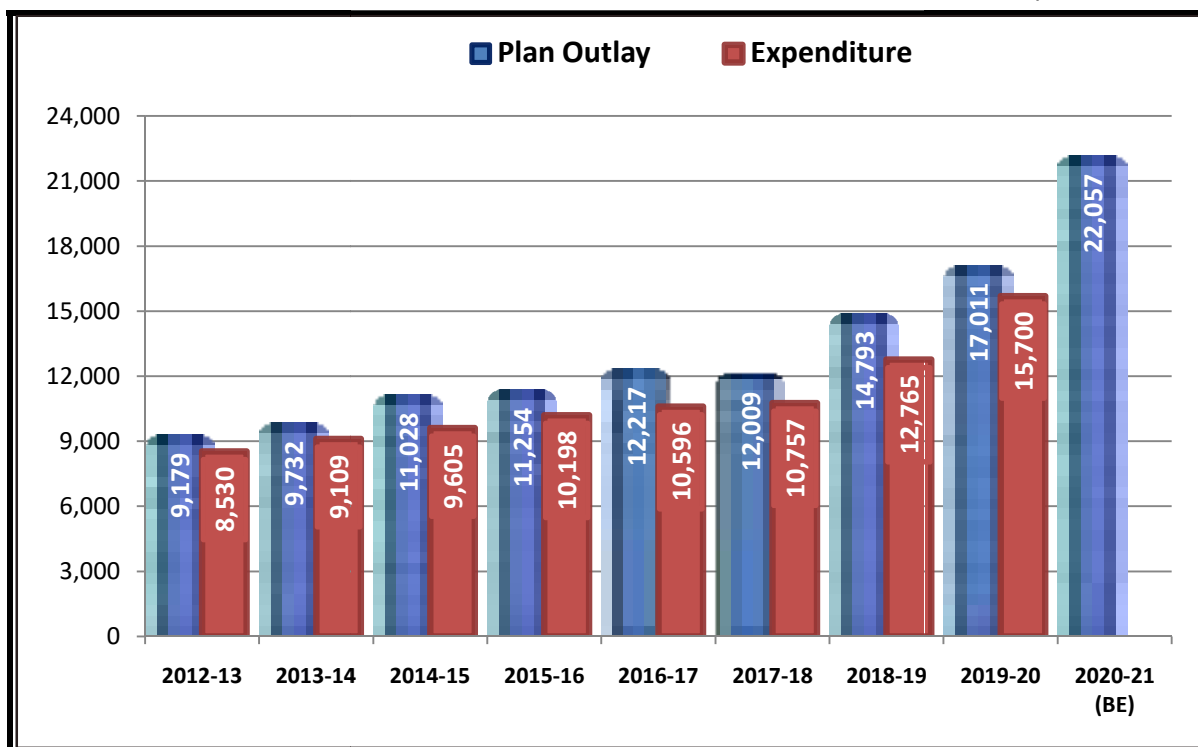
इसमें महिला और बाल विकास विभाग, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. कल्याण, समाज कल्याण, नागरिक आपूर्ति, डब्लू एंड एम, पोषण, श्रम और रोजगार शामिल हैं।

12. चार्ट 3.2 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा क्षेत्र पहला प्राथमिकता क्षेत्र बना हुआ है और इसके कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 2020-21 में 23.83 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी। इसके बाद परिवहन पर 14.67 प्रतिशत, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के लिए 13.39 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 13.11 प्रतिशत, आवास और शहरी विकास के लिए 12.62 प्रतिशत और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के 12.62 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी।
13. सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल-कूद और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, शहरी विकास, सामाजिक कल्याण, अ.जा./अनु. ज.जा. और अल्पसंख्यकों का कल्याण, श्रम और रोजगार, 12वीं योजना में नागरिक आपूर्ति के बारे में रा.रा. राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के 2017-18 के बाद आवंटन और खर्च को चार्ट 3.3 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 3.3

दिल्ली में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2017-18 से सामाजिक सेवा क्षेत्रों की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं में योजना परिव्यय और खर्च

(करोड़ रुपये में)



विवरण 3.5

10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए आवंटन

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजनाएं	कुल योजना परिव्यय (संशो. अनु.)	सामाजिक क्षेत्र का योजना परिव्यय (संशो. अनु.)	कुल परिव्यय में सामाजिक क्षेत्र का प्रतिशत	कुल खर्च	खर्च	कुल खर्च में सामाजिक क्षेत्र का प्रतिशत
1.	दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)						
	कुल	24342.67	12353.24	50.74	22846.98	11050.42	48.36
2.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)						
	कुल	55900.00	32338.40	57.85	53478.86	30547.74	57.12
3.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)						
	क. 2012-13	15000.00	9179.42	61.20	13237.51	8529.91	64.44
	ख. 2013-14	14700.00	9732.48	66.21	13964.28	9109.13	65.23
	ग. 2014-15	16350.00	11028.10	67.45	13979.68	9605.16	68.71
	क. 2015-16	16400.00	11253.89	68.62	14960.54	10198.19	68.17
	ख. 2016-17	16500.00	12217.00	74.04	14355.03	10596.13	73.81
	कुल (12वीं योजना)	78950.00	53410.89	67.65	70497.04	48038.52	68.14*
						*	

विवरण 3.6
सामाजिक सेवा क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए
बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम/परियोजनाएं	कुल परिव्यय (सं.अनु.)	सामा. क्षेत्र का परिव्यय (सं. अनु.)	कुल परिव्यय में सामा. क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा	कुल खर्च	खर्च	कुल खर्च में सामाजिक क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा
4.	2017-18	16000.0	12009.00	75.06	14387.47	10757.0	74.76
5.	2018-19	18200.0	14793.15	81.28	15672.03	12765.2	81.45
6.	2019-20	22200.0	17011.00	76.63	20307.02	15699.6	77.31
7.	2020-21	29500.0 (बजट अनु.)	22057.00 (बजट अनु.)	74.77			

14. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिल्ली की दसवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवा क्षेत्रों के आवंटन में 50.74 प्रतिशत से बढ़कर ग्यारहवीं योजना में 57.85 प्रतिशत और बारहवीं योजना में 67.65 प्रतिशत हो गया। यही आवंटन 2017-18 में 75.06 प्रतिशत से 2018-19 में 81.28 प्रतिशत हो गया जबकि 2017-18 में मामूली गिरावट से 76.63 प्रतिशत और 2020-21 में 74.77 प्रतिशत के स्तर पर आ गया।
15. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के योजना परिव्यय और खर्च के बारे में अन्य सांख्यिकीय सूचनाएं क्रमशः टेबल सं. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8 पर देखी जा सकती हैं।

अध्याय 4

सार्वजनिक वित्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार दिसंबर 1993 से एक समेकित निधि बनायी गयी है जो भारत सरकार की निधियों से अलग है। दिल्ली सरकार की समस्त राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां इस निधि में जमा कराया जाती हैं और सरकार की सभी स्कीमों/कार्यक्रमों और स्थापनागत व्यय इसी निधि से पूरे किये जा रहे हैं।

- 1.2 रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का व्यय बजट मुख्य रूप से अपने स्वयं के कर राजस्व से वित्तपोषित होता है, जिसमें जीएसटी, वैट उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और मोटर वाहन कर से राजस्व संग्रह शामिल है। इसके अतिरिक्त, गैर कर राजस्व एवं विभिन्न मदों के तहत ऋण और अनुदान के रूप में भारत सरकार से गैर-कर राजस्व हस्तांतरण होता है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि 2019-20 में कुल कर राजस्व का लगभग 68: जीएसटी और वैट से, 14% उत्पाद शुल्क से 13% और स्टाम्प शुल्क से 5% और एमवीटी से आया है।
- 1.3 कर राजस्व के अलावा, केन्द्र से प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता/अन्य प्राप्तियों में ये मद शामिल हैं : (1) केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले में मिलने वाला अनुदान, 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए बढ़ाये गये मुआवजे, जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों को मुआवजे, (2) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान समेत सामान्य केन्द्रीय सहायता (3) चन्द्रावल में जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) जैसी बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण (4) जीएसटी के कार्यान्वयन संबंधी क्षतिपूर्ति।
- 1.4 इसी तरह दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीय निकायों/उपक्रमों/सरकारी कर्मचारियों आदि से ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से लघु बचत ऋणों की वसूली शामिल है।
- 1.5 दिल्ली की समेकित निधि से होने वाले व्यय को मोटे तौर पर स्थापना और स्कीम/ कार्यक्रमों/केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों (सीएसएस) सहित परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा, स्थापना और स्कीम/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के व्यय को राजस्व और पूंजी खाता शीर्षों के रूप में रखा जाता है। योजना और गैर योजना के अंतर्गत व्यय का वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया गया और अब केवल राजस्व और पूंजी के अंतर्गत व्यय को वर्गीकृत किया जाता है।
- 1.6 दिल्ली सरकार के स्थापना राजस्व व्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से वेतन और कार्यालय व्यय, भारत सरकार को ब्याज का भुगतान, स्थानीय निकायों को दी जाने वाली धनराशि, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (पीएसईज)/संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान सहायता, स्थापना (गैर-योजना) मद में कुछ वस्तुओं/सेवाओं के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली

सब्सिडी आदि शामिल हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार के स्थापना (गैर-योजना) पूंजी खर्च में भारत सरकार को ऋणों की अदायगी, स्थानीय निकायों/सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि को दिये जाने वाले ऋण/अग्रिम आदि शामिल हैं।

- 1.7 स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्व खर्च में मुख्य रूप से उपकरणों की लागत/सहायता अनुदान, सेवा प्रभागों की अदायगी आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में जहां सरकारी विभागों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का पूंजीगत परिव्यय और सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी पूंजी आदि शामिल है वहीं इसमें स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि को लाभप्रद कार्यक्रमों/परियोजनाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण और अग्रिम भी शामिल हैं।
- 1.8 दिल्ली विधानसभा ने 31 मई, 2017 को राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम पारित किया और इस तरह 01.07.2017 से दिल्ली में जीएसटी लागू हो गया। परिणाम स्वरूप, पूर्ववर्ती वैट (पेट्रोलियम, शराब आदि कुछ वस्तुओं को छोड़ कर) और अन्य कर जैसे मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टीवी कर जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो गए। रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने सभी वर्तमान वैट व्यापारियों के वस्तु एवं सेवाकर की नई व्यवस्था में सुचारु परिवर्तन के लिए सभी उपाय किए। मुद्रित वाउचरों के जरिए संबद्ध जानकारी का सम्प्रेषण, सहायता वाहनों की तैनाती, व्यापारियों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सम्पर्क, प्रमुख बाजारों में शिविरों का आयोजन, बाजारों में जीएसटी सहायता समितियों का गठन आदि ऐसे महत्वपूर्ण उपाय थे, जो व्यापार और कर विभाग द्वारा किए गए।
- 1.9 दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 2019-20 (अनंतिम) में 0.16 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी हुई जबकि 2018-19 में इसमें वृद्धि 2.54 प्रतिशत रही थी। 2019-20 (अनंतिम) में सर्वाधिक वृद्धि 3.37 प्रतिशत स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क (भू-राजस्व सहित) की वसूली में हुई। राज्य आबकारी के अंतर्गत कर वसूलियों में क्रमशः 0.79 प्रतिशत, 0.21 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। हालाँकि, जीएसटी (वैट और अन्य विलासिता एवं मनोरंजन कर आदि सहित), एवं मोटर वाहन कर की वसूली में क्रमशः 0.57 प्रतिशत, 5.19 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2020-21 के लिए कर वसूली में पिछले वर्ष की तुलना में 20.60 प्रतिशत बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
- 1.10 दिल्ली सरकार को 2020-21 में 4540.60 करोड़ रुपये (अनंतिम) का लघु बचत ऋण मिला जबकि 2018-19 में यह ऋण 2800 करोड़ रुपये का था।
- 1.11 पिछले केन्द्रीय वित्त आयोगों की तरह दिल्ली को पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग (15वें सीएफसी) की सिफारिशों के दायरे से बाहर रखा गया है जिसका कार्यकाल 2020-21 से 2025-26 तक का है। इस तरह, संभव है कि पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए की गयी सिफारिशों का लाभ दिल्ली को प्राप्त न हो। इन सिफारिशों में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी, बुनियादी और निष्पादन अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रगत अनुदान, आपदा राहत अनुदान आदि शामिल हैं। इस मुद्दे पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भारत सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है कि वह दिल्ली को 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के दायरे में शामिल

करने के लिए उपयुक्त उपाय करे। वर्तमान में दिल्ली को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले में सिर्फ विवेकाधीन अनुदान मिलता है जो 2001-02 से 325 करोड़ रुपये के स्तर पर ठहरा हुआ है।

- 1.12 दूसरी ओर संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार समय-समय पर गठित किये जाने वाले दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को धनराशि आबंटित कर रही है। दिल्ली में स्थानीय निकायों को धनराशि आबंटित करने का वर्तमान फार्मूला तीसरे दिल्ली वित्त आयोग (जिसका कार्यकाल 2006-07 से 2010-11 था) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका 2015-16 तक विस्तार किया गया था। दिल्ली सरकार ने 2011-12 से 2015-16 और 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए क्रमशः चौथे और पांचवे दिल्ली वित्त आयोग का गठन किया और इन दोनों आयोगों ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिनांक 01/09/2019 के कैबिनेट के निर्णय संख्या 2669 और 2670 के तहत पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय किया और 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए कर प्राप्तियों का हस्तांतरण तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी रखने निर्णय किया क्योंकि सरकार ने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। यह निर्णय भी किया गया कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि (चौथे दि.वि.आ. की अवधि) के लिए दिल्ली नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड और नई दिल्ली नगर परिषद को तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार किए गए धन हस्तांतरण को अंतिम समझा जाएगा और कोई वसूली नहीं की जाएगी।
- 1.13 दिल्ली सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी योजना लागू की है जिसके अंतर्गत प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को मौजूदा दरों में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है और 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को मौजूदा दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस योजना के अनुसार सरकार ने 2019-20 के दौरान इस मद में 2405.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। सरकार ने दिल्ली में प्रत्येक घरेलू पानी उपभोक्ता को हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की एक योजना भी मार्च 2015 से लागू की है। तदनुसृत सरकार ने 2019-20 के दौरान पानी उपभोक्ताओं को निःशुल्क पानी मुहैया कराने में आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 467.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
- 1.14 दिल्ली ने अपने राजस्व अधिशेष को लगातार बरकरार रखा है। 2019-20 (अनंतिम) में यह 7498.79 करोड़ रुपये था जबकि 2018-19 में यह 6261.03 करोड़ रुपये था। 2020-21 (ब.अ.) के लिए बजट राजस्व अधिशेष 7238.53 करोड़ रुपये है जो जीएसडीपी का 0.91 प्रतिशत है।
- 1.15 निजी ऑपरेटरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से चलाई जाने वाली प्राइवेट स्टेज कैरिज बसों के स्थान पर कंपनियों द्वारा क्लस्टर बसें चलाने की एक नयी योजना संचालित की जा रही है ताकि दिल्ली में बसों से सफर करने वालों को बेहतर सेवा और सुरक्षा प्राप्त हो सके। योजना के अनुसार सरकार को संचालन लागत और इस योजना से होने वाली आमदनी के बीच के अंतर की भरपाई करनी पड़ती है। इस तरह फिलहाल दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बस योजना, दोनों के संचालन घाटे और रियायती बस पासों के लिए सब्सिडी की भरपाई कर रही है। इसके अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा

प्रदान की है। तदनुसार, 2019–20 के दौरान, सरकार ने डीटीसी को 70.17 करोड़ रुपये और महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने के लिए खर्च को पूरा करने के लिए क्लस्टर बसों को 44.53 करोड़ रुपये जारी किए। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 2019–20 (अनंतिम) के दौरान रियायती पास के लिए डीटीसी को 90.68 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की।

- 1.16 दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 2010–11 से अपनी संचालन लागत को पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। 2010–11 से उसे किसी भी तरह की गैर-योजना सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है। 2012–13 से 2015–16 के दौरान बोर्ड ने राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए रखी। लेकिन 2016–17, से 2020–21 (ब.अ.) के दौरान यह स्थिति राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गई।
- 1.17 रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई, 2010 को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) का गठन किया। बोर्ड झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों को अधिसूचित करने, इस तरह की बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, झुग्गी-झोंपड़ी वासियों के पुनर्वास आदि के कार्य में लगा है। 2019–20 के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए बोर्ड को 200 करोड़ रुपये का अर्थोपाय ऋण प्रदान किया।
- 1.18 मार्च 2020 के अंत में दिल्ली पर 34461.83 करोड़ रुपये (अनंतिम) का कर्ज बकाया था जिसमें डीवीबी/डेसू की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से 2013–14 में गैर-योजना ऋण के रूप में प्राप्त 3326.39 करोड़ रुपये की देनदारी भी शामिल थी। इस तरह 2019–20 में दिल्ली सरकार की बकाया देनदारियां जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का 4.15 प्रतिशत थीं।
- 1.19 दिल्ली को योजना अनुदान का प्रवाह जो 2018–19 में 1326.18 करोड़ रुपये था, वह 2019–20 में बढ़ कर 1712.04 करोड़ रुपये हो गया। 2019–20 में योजना अनुदान में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह था कि दिल्ली को केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों (सीएसएस) के लिए 1169.48 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि 2018–19 में इस मद के अंतर्गत 807.03 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 के दौरान सामान्य केंद्रीय सहायता के रूप में दिल्ली को 472 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्राप्त हुआ।
- 1.20 स्थापना अनुभाग के अंतर्गत केन्द्र से दिल्ली को मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी हुई और यह 2018–19 के 4517.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019–20 में 7761.00 करोड़ रुपये हो गए। इसका मुख्य कारण यह था कि जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 2018–19 के 4182 करोड़ रुपये के तुलना 2019–20 में 7436 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। भारत सरकार ने दिल्ली आपदा कोष और जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए 2019–20 में कोई अनुदान जारी नहीं किया।
- 1.21 दिल्ली सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2019–20 (अनंतिम) में 3227.79 करोड़ रुपये था, जबकि इसकी तुलना में 2018–19 में 1489.38 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा था, जो 2018–19 के दौरान जीएसडीपी का 0.20 प्रतिशत की तुलना में 0.39 प्रतिशत है।

1.22 इस तरह वर्ष 2019–20 के दौरान दिल्ली का समग्र व्यय उसकी आय की तुलना में मामूली कम है।

2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

2.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अथवा डीबीटी लाभ अंतरण की व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य बैंक खातों के जरिए सब्सिडी/लाभ सीधे लाभार्थियों को अंतरित करना है। सीधे लाभ वितरित होने से रिसाव कम करने, लाभार्थियों के चयन में बढ़ोतरी और लाभार्थी तथा राज्य के बीच बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने में मदद मिलेगी।

2.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण में चोरी रोकना है। डीबीटी के अंतर्गत लाभ या सब्सिडी लाभार्थियों के आंकड़ों की जांच और प्रमाणन के बाद सीधे उनके खाते में अंतरित की जाती है। जांच के लिए आधार संख्या अथवा बायोमीट्रिक इन्पुट का इस्तेमाल किया जाता है और बैंक खाता ब्यौरे को उसके साथ जोड़ दिया जाता है।

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली में कुल 73 कार्यक्रम डीबीटी के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें से 37 केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं और 36 राज्य की स्कीमें हैं।

2.4 दिसम्बर 2020 तक कुल 95.75 प्रतिशत लाभार्थियों (96.69 प्रतिशत लाभार्थी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत और 84.73 प्रतिशत राज्य की स्कीमों के अंतर्गत) को आधार के साथ जोड़ा जा चुका था। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में लाभार्थियों को भुगतान केवल पीएफएमएस पोर्टल के जरिए डीबीटी पद्धति से किया जा रहा है।

2.5 आधार से सम्बद्ध डीबीटी भुगतान प्रणाली लागू किए जाने से वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर 2020 तक कुल 35.69 लाख रुपये की बचत हुई।

2.6 दिल्ली डीबीटी पोर्टल को लाइव बनाया गया है और भारत डीबीटी पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। डीबीटी कार्यान्वयन विभाग दिल्ली डीबीटी पोर्टल पर हर महीने कार्यक्रम वार डीबीटी संबंधी आंकड़े अपलोड करते हैं, जिनकी महीने में एक बार डीबीटी मिशन द्वारा जांच की जाती है।

2.7 दिल्ली सरकार की निधियों के अंतर-प्रवाह और बहिर्गमन का ब्यौरा और उनकी कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय विशेषताएं निम्नांकित अनुच्छेदों में दी गई हैं।

3. राजस्व प्राप्तियां

3.1 2011 की जनगणना के अनुसार 2001–2011 के दशक के दौरान दिल्ली की आबादी में 21.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय आबादी की वृद्धि का प्रतिशत 17.67 रहा। इस तरह बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह दिल्ली के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति के वास्ते अपने राजस्व में बढ़ोतरी करे।

- 3.2 राजस्व प्राप्तियों को मोटेतौर पर कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और केन्द्र सरकार की ओर से अनुदान सहायता में बांटा जा सकता है। दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति विवरण 4.1 और चार्ट 4.1 तथा 4.2 में दी गयी है। (और विवरण के लिए तालिका 4.1 देखें)

विवरण 4.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2010-11	2017-18	टीजीआर 2010-17	2018-19	2019-20 (अंतिम)	2020-21 (ब.अ.)
1	स्टैम्प और पंजीयन (भूमि राजस्व सहित)	1355.77	4118.58	12.30	4458.73	4609.01	5300.00
2	राज्य आबकारी	2027.09	4453.49	11.77	5028.19	5068.01	6300.00
3	वैट	12068.62	11149.17	2.85	5885.75	5474.67	6200.00
4	राज्य वस्तु और सेवा कर	लागू नहीं	13620.84	लागू नहीं	19186.57	19464.95	23800.00
5	वाहनों पर कर	707.56	2115.76	14.36	2054.75	1948.09	2500.00
6	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	318.71	259.18	4.35	10.68	1.14	0.00
क	कर राजस्व (1 से 6)	16477.75	35717.02	10.55	36624.67	36565.87	44100.00
ख	गैर-कर राजस्व	4188.95	766.06	-14.82	644.17	1096.89	800.00
ग	केन्द्र से अनुदान/अन्य प्राप्तियां	4357.40	2184.19	0.76	5843.77	9473.05	10409.00
ध	कुल राजस्व प्राप्तियां (क से ग तक)	25024.10	38667.27	7.64	43112.61	47135.81	55309.00

स्रोत : 1. 2010-11 से 2018-19 के आंकड़े साराक्षेत्र सरकार दिल्ली के वित्तीय लेखे से हैं।

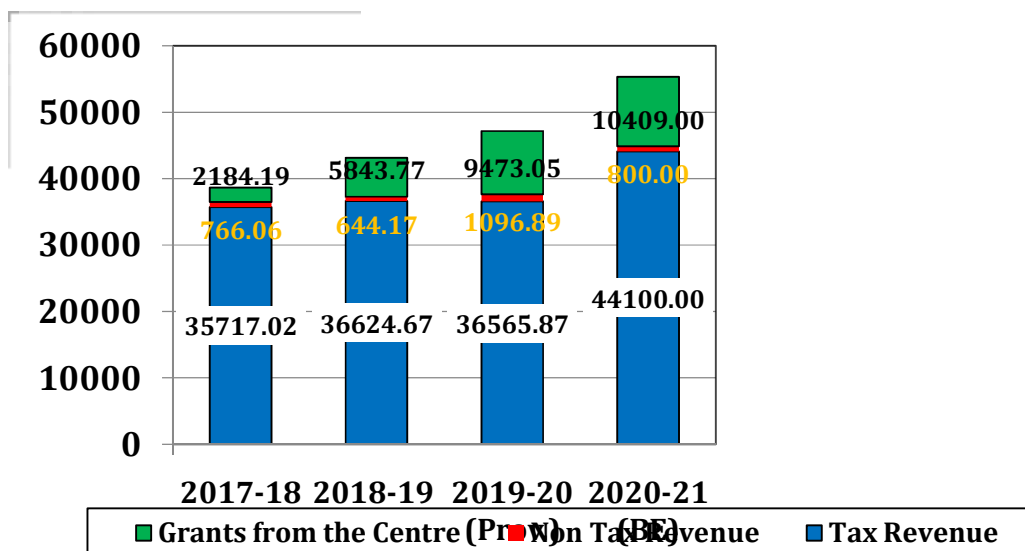
2. 2019-20 और 2020-21 के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

नोट : टीजीआर – ट्रेड ग्रोथ रेट (प्रतिशत)

चार्ट 4.1

2017-18 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्ति

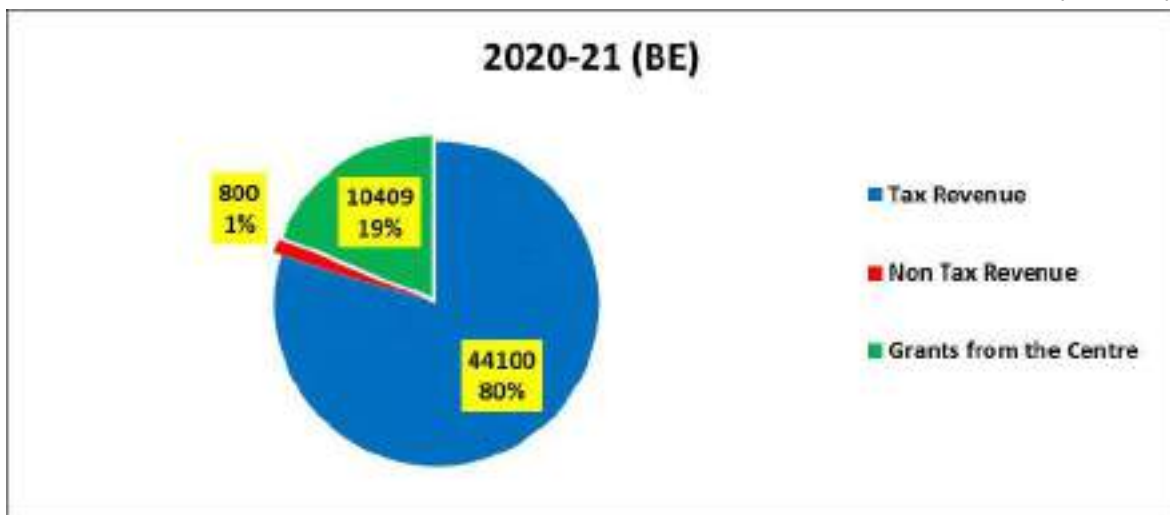
(करोड़ रु.)



- 3.3 2019–20 में दिल्ली सरकार की कुल राजस्व वसूली 47,135.81 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 5.67 प्रतिशत) थी जबकि 2018–19 में यह 43112.61 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 5.74 प्रतिशत) थी। 2019–20 (अनतिम) के दौरान राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई और उनमें 9.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जिसका मुख्य कारण केन्द्र से अनुदानों और अन्य प्राप्तियों (गैर-कर राजस्व) में बढ़ोतरी है। यहां पर यह बताना भी उपयुक्त होगा कि 2019–20 में कर संग्रह में 0.16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जबकि 2018–19 इसमें 2.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर कर राजस्व में 2019–20 में 70.28 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जबकि 2018–19 में इसमें 15.91 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी हुई थी। परंतु, केंद्र से मिलने वाले अनुदानों/प्राप्तियों में 2019–20 में 62.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि यह वृद्धि 2018–19 में 167.55 प्रतिशत दर्ज हुई थी। वर्ष 2020–21 (ब.अ.) के लिए राजस्व वसूली का लक्ष्य 55,309 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17.34 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

चार्ट 4.2
2020–21 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रु.)



- 3.4 चार्ट 4.2 में 2020–21 के दौरान कर राजस्व; स्वयं का गैर-कर राजस्व और केन्द्र से सहायता अनुदान दर्शाया गया है। 2020–21 में दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों का मुख्य स्रोत कर राजस्व था जो 44100 करोड़ रु. (79.73 प्रतिशत) रहा था। इसके बाद केन्द्र से अनुदान के रूप में 10409 करोड़ रु. (18.82 प्रतिशत) और गैर-कर राजस्व के रूप में 800 करोड़ रु. (1.45 प्रतिशत) का स्थान था।

4. कर राजस्व

- 4.1 2020–21 (ब.अ.) में दिल्ली सरकार का लक्षित कर राजस्व 44100 करोड़ रु. रखा गया था जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20.60 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान था। दिल्ली सरकार का कर राजस्व 2019–20 में 36,565.87 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 4.40 प्रतिशत) था जबकि 2018–19 में यह

36,624.67 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 4.88 प्रतिशत) था। दिल्ली के कर राजस्व में 2019-20 में 0.16 प्रतिशत की मामूली नकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज हुई जबकि 2018-19 में यह बढ़ोतरी 2.54 प्रतिशत रही थी। 2019-20 के दौरान दिल्ली के कर राजस्व की मुख्य मदों में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी (जिनमें वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर, मनोरंजन, सट्टेबाजी और विलासिता कर भी शामिल हैं) रहा था, जिससे 19,464.95 करोड़ रुपये (53.23 प्रतिशत) आमदनी हुई, इसके बाद मूल्य संवर्धित कर (वैट) का स्थान है, जिससे 5474.67 करोड़ (14.97 प्रतिशत) रुपये प्राप्त हुए, इसके बाद राज्य आबकारी, जिससे 5068.01 करोड़ रु. (13.86 प्रतिशत), स्टाम्प और पंजीयन शुल्क से 4,609.01 करोड़ रु. (12.61 प्रतिशत), मोटर वाहन कर से 1,948.09 करोड़ रुपये (5.33 प्रतिशत) की आमदनी शामिल है। 2016-17 से 2019-20 (अनंतिम) के दौरान विभिन्न करों की वसूली का ब्यौरा निम्नलिखित विवरण 4.2 में दिया गया है। (कृपया चार्ट 4.3 और तालिका 4.1 देखें)।

विवरण 4.2

दिल्ली सरकार की कर वसूली : 2016-2020

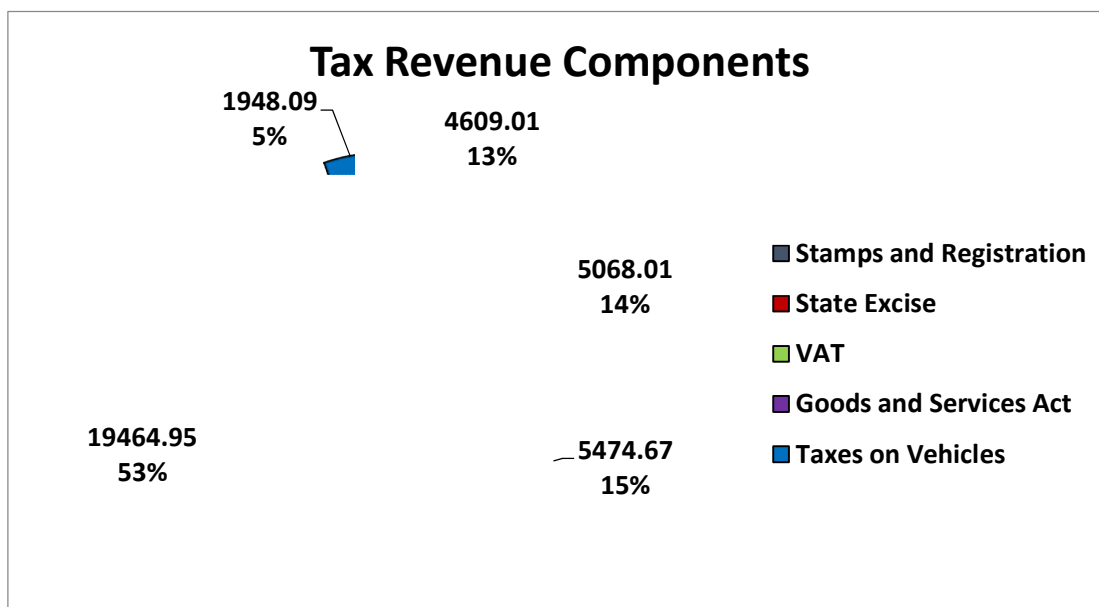
(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिम)
		वास्तविक			अनंतिम	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)			
1	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	3145.94	4118.58	4458.73	4609.01	-8.39	30.92	8.26	3.37
2	राज्य आबकारी	4251.40	4453.49	5028.19	5068.01	0.32	4.75	12.90	0.79
3	वैट	21144.24	11149.17	5885.75	5474.67	4.44	-47.27	-47.21	-6.98
4	राज्य वस्तु और सेवा कर	लागू नहीं	13620.84	19186.57	19464.95	लागू नहीं	लागू नहीं	40.86	1.45
5	वाहनों पर कर	1808.78	2115.76	2054.75	1948.09	12.56	16.97	-2.88	-5.19
6	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	789.53	259.18	10.68	1.14	12.70	-67.17 *	-95.88 *	-89.34 *
कर राजस्व (1 से 6)		31139.89	35717.02	36624.67	36565.87	3.03	14.70	2.54	-0.16

नोट: * – अन्य कर जुलाई 2017 से जीएसटी में प्रमुख रूप से शामिल हैं।

चार्ट 4.3
2019-20 (अनंतिम) में दिल्ली सरकार का कर राजस्व

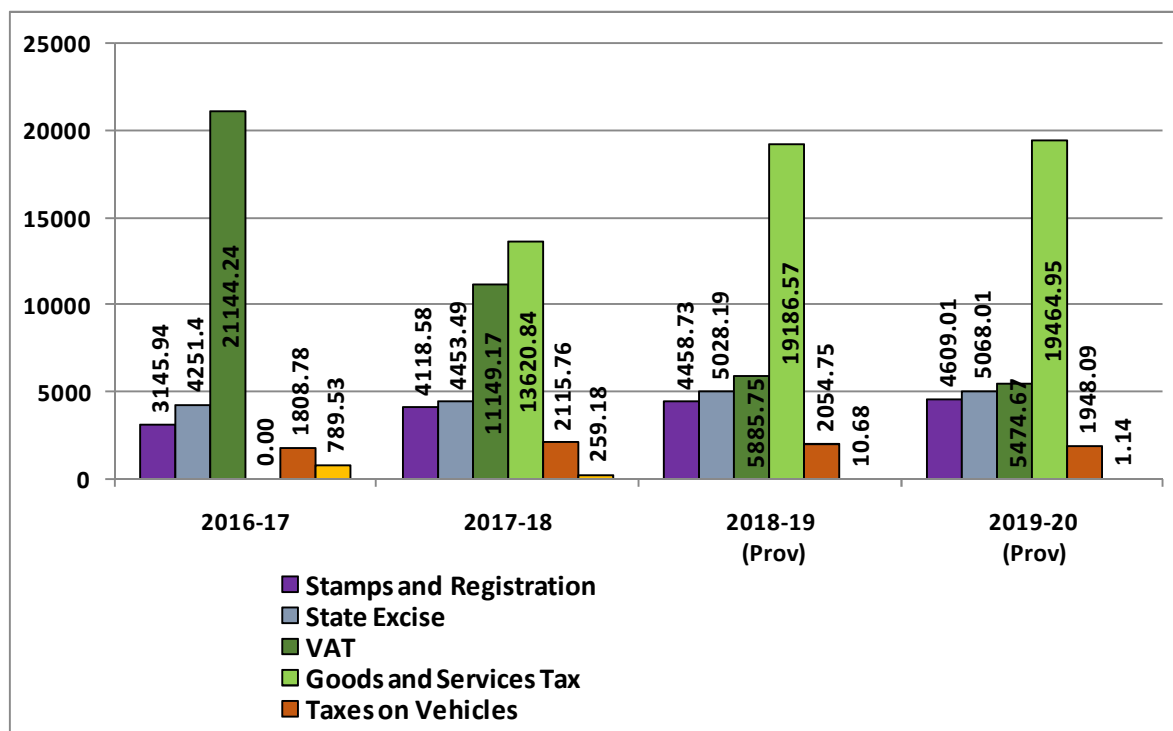
(करोड़ रु.)



4.2 2016-17 से 2019-20 के दौरान विभिन्न करों की वर्षवार वसूली की स्थिति और आय में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः चार्ट 4.4 और विवरण 4.3 में दिये गये हैं।

चार्ट 4.4
कर वसूली 2016-17 से 2019-20

(करोड़ रु.)



विवरण 4.3

2016-17 से 2019-20 (अनंतिम) तक विभिन्न करों की प्रतिशत हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

क्र सं	मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
		वास्तविक			अनंतिम
1	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	10.10	11.53	12.17	12.60
2	राज्य आबाकारी	13.65	12.47	13.73	13.87
3	वैट	67.90	31.22	16.07	14.97
4	राज्य वस्तु और सेवा कर	लागू नहीं	38.13	52.39	53.23
5	वाहनों पर कर	5.81	5.92	5.61	5.33
6	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2.54	0.73	0.03	0.00
	कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : वर्ष 2016-17 से 2018-19 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखों से और 2019-20 के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय से लिए हैं।

- 4.3 2019-20 में कर संग्रह में 0.16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जबकि 2018-19 इसमें 2.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। 2019-20 के दौरान दिल्ली के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क (भू-राजस्व सहित) में 3.37 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, जबकि 2018-19 के दौरान इस मद में 8.26 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी। राज्य आबाकारी में 2018-19 की 12.90 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में 2019-20 के दौरान 0.79 प्रतिशत की नकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। वैट की वसूली में 2019-20 (अनंतिम) के दौरान 6.98 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी हुई जबकि 2018-19 के दौरान 47.21 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी हुई थी। इसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों में भी 2019-20 के दौरान 89.34 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी हुई, जबकि 2018-19 के दौरान इनमें 95.88 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। इसके अलावा 2019-19 में 1.95 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में राज्य माल और सेवा कर की वृद्धि 40.86 प्रतिशत थी। परंतु, 2019-20 के दौरान वाहनों पर कर की वसूली में 5.19 प्रतिशत की नकारात्मक बढ़ोतरी हुई जो 2018-19 के दौरान 2.88 प्रतिशत थी।

5. गैर-कर राजस्व

- 5.1 दिल्ली सरकार का अपना गैर-कर राजस्व मुख्य रूप से उसके द्वारा अपने स्थानीय निकायों और उपक्रमों को दिये गये ऋणों व अग्रिमों पर मिलने वाले ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों पर किये गये निवेश से मिले मुनाफे और लाभांश तथा विभिन्न सरकारी विभागों से वसूले गये सेवा कर/शुल्क/जुर्माने से प्राप्त होता है। विवरण 4.4 और चार्ट 4.5 में दिल्ली सरकार के अपने गैर-कर राजस्व की स्थिति दर्शायी गयी है।

विवरण 4.4

2016-17 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्वयं का गैर-कर राजस्व
(करोड़ रु.)

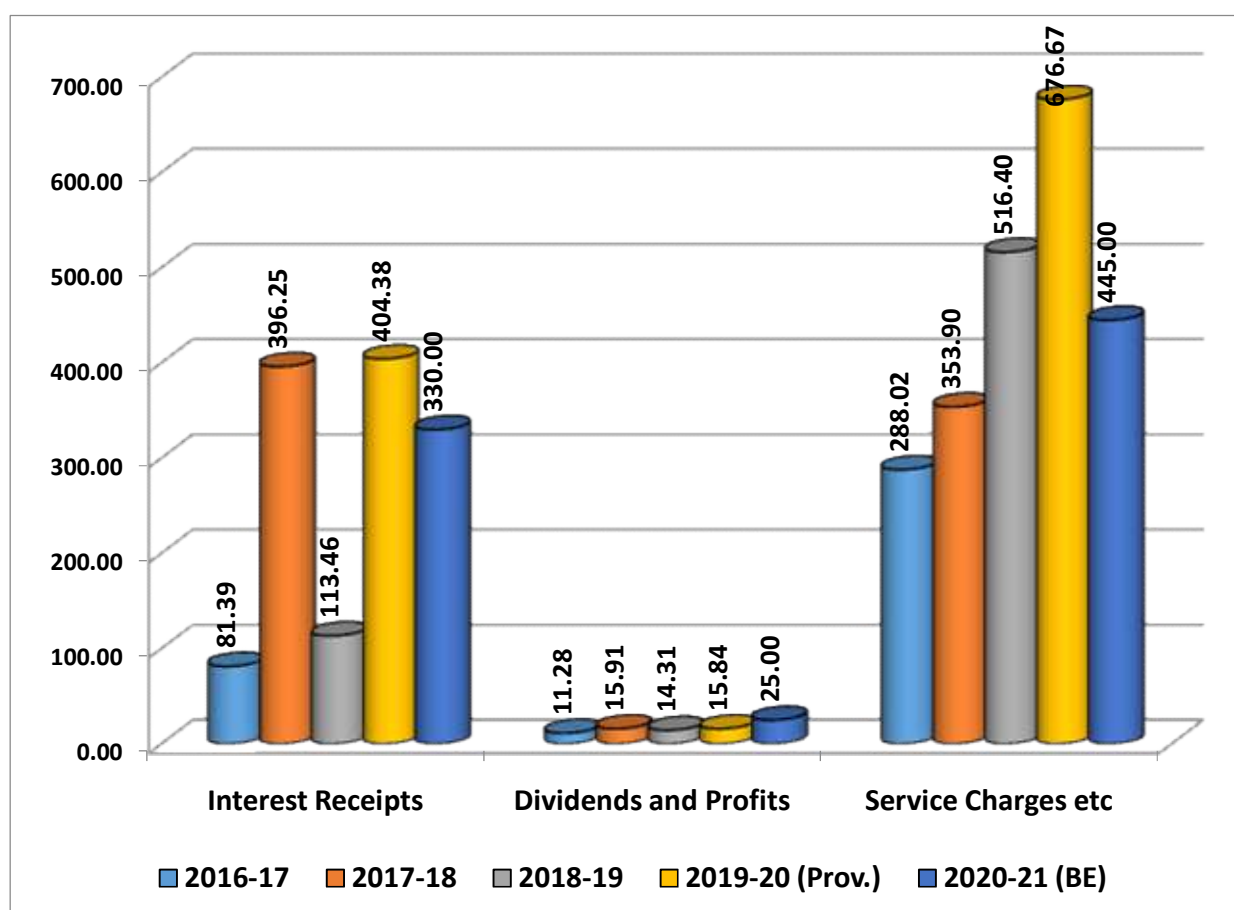
क्र सं	मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
		वास्तविक			(अनंतिम)	ब.अ.
1	ब्याज प्राप्तियां	81.39	396.25	113.46	404.38	330.00
2	लाभांश और मुनाफा	11.28	15.91	14.31	15.84	25.00
3	सेवा प्रभार	288.02	353.90	516.40	676.67	445.00
	कुल	380.69	766.06	644.17	1096.89	800.00

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे और बजट दस्तावेज।

चार्ट 4.5

स्वयं के गैर-कर राजस्व का विवरण

(करोड़ रुपये में)



- 5.2 वर्ष 2020-21 (ब.अ.) के लिए गैर कर राजस्व के अंतर्गत बजटीय वसूली 800 करोड़ रुपये रही। 2019-20 में दिल्ली का स्वयं का गैर-कर राजस्व 1096.89 करोड़ रुपये रहा (जीएसटीपी का 0.13 प्रतिशत), जबकि 2018-19 के दौरान यह 644.17 करोड़ रुपये (जीएसटीपी का 0.08 प्रतिशत) रहा था। 2019-20 के दौरान दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व में सेवा शुल्क के रूप में 676.67 करोड़ रुपये (61.69 प्रतिशत) प्राप्त हुए थे। इसके बाद ब्याज के रूप में 404.38 करोड़ रुपये (36.87 प्रतिशत) की आय हुई थी तथा लाभांश व मुनाफे के तौर पर 15.84 करोड़ रुपये (1.44 प्रतिशत) मिले थे।

6. केन्द्र से सहायता अनुदान/प्राप्तियां

- 6.1 राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र ने उन्हें विशेष श्रेणी और गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण आमतौर पर राज्यों के राजस्व आधार, सीमावर्ती इलाके आदि के मानदंडों पर आधारित है।
- 6.2 केन्द्र की ओर से दिल्ली को मिलने वाली अनुदान सहायता में केन्द्रीय करों में उसकी भागीदारी के एवज में दिया जाने वाला विवेकाधीन अनुदान, खास उद्देश्यों के लिए स्थापना अनुदान जैसे केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने/वैट लागू करने/जीएसटी के कार्यान्वयन के एवज में क्षतिपूर्ति, दिल्ली के वार्षिक परिव्यय (योजना) के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुदान तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान शामिल हैं। 2016-17 से 2020-21 तक दिल्ली को केन्द्र से मिलने वाली अनुदान सहायता का ब्यौरा विवरण 4.5 में दिया गया है।

विवरण 4.5

2016-17 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार को केन्द्र से सहायता अनुदान
(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अंतिम)	2020-21 (ब.अ.)
(क) गैर योजना अनुदान					स्थापना के अंतर्गत अनुदान	
1	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
2	1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजे में वृद्धि	85.00	10.66	10.59	0.00	10.00
3	सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के लिए राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	690.54	690.53	0.00	0.00	0.00
4	जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को क्षतिपूर्ति	18.18	0.00	0.00	0.00	33.00
5	जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए क्षतिपूर्ति	0.00	157.00	4182.00	7436.00	7800.00
6	अन्य (डीडीआरएफ)	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	कुल क	1118.72	1188.19	4517.59	7761.00	8173.00

ख योजना अनुदान					कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत अनुदान	
1	सामान्य केंद्रीय सहायता	462.89	412.98	449.99	472.00	626.00
2	केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	1238.01	581.74	807.03	1169.48	1600.00
3	केंद्रीय सड़क निधि	5.54	1.16	0.00	0.00	10.00
4	अन्य अनुदान	0.00	0.12	69.16*	70.56**	0.00
कुल ख		1706.44	996.00	1326.18	1712.04	2236.00
कुल अनुदान (क+ख)		2825.16	2184.19	5843.77	9473.04	10409.00
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुदान		0.46	0.32	0.78	1.14	1.30

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे और बजट दस्तावेज।

*: - वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार के विधि, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी 69.16 करोड़ रुपये में से 67.97 करोड़ रुपये सुरक्षित शहर परियोजना के लिए और 1.19 करोड़ रुपये दिल्ली में दो विशेष अदालतों के गठन के लिए प्राप्त किए।

**:- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एनएफएसए के तहत अंतर-राज्य गतिविधियों और खाद्यान्नों और उचित मूल्य व्यापारियों के लाभ को संभालने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को केंद्रीय सहायता के तहत 70.56 करोड़ में से 69.26 करोड़ मिले, और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली में 02 विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए कानून और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से 1.30 करोड़ मिले।

6.3 दिल्ली सरकार को 2019-20 (अनंतिम) में 9473.04 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुए, जबकि 2018-19 में उसे इस मद में 5843.77 करोड़ रुपये मिले थे।

7. कर वसूली में बढ़ोतरी

7.1 कर वसूली में बढ़ोतरी से पता चलता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि के आधार पर मापी जा रही अर्थव्यवस्था में कर राजस्व के संदर्भ में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। निम्नलिखित विवरण 4.6 में 2015-16 से 2019-20 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार की कर वसूली में तेजी को दर्शाया गया है।

विवरण 4.6 दिल्ली में कर संग्रह में तेजी

क्र सं	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अनंतिम
1	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	1.84	-0.71	3.08	0.77	0.32
2	राज्य आबाकारी	2.10	0.03	0.47	1.20	0.07
3	राज्य वस्तु और सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3.55*	0.13*
4	वैट	3.75	1.07	-6.69		
5	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.95	0.37	-4.71	-4.38	-0.65
6	वाहनों पर कर	0.27	1.06	1.69	-0.26	-0.49
कुल		1.20	0.25	1.46	0.23	-0.01

7.2 दिल्ली के करों में वृद्धि 2019–20 के दौरान –0.01 प्रतिशत थी, जबकि 2018–19 के दौरान यह 0.23 प्रतिशत थी। 2019–20 के दौरान कर बढ़ोतरी सबसे कम स्तर पर थी।

8. कर संग्रह के प्रयास

दिल्ली देश के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है, लेकिन स्वयं के करों/जीएसडीपी अनुपात (4.40 प्रतिशत) के मामले में वह 2019–20 में 22वें स्थान पर रहा। 2020–21 (ब.अ.) में विभिन्न राज्यों के जीएसडीपी का कर राजस्व प्रतिशत इस प्रकार रहा : उत्तर प्रदेश (8.5 प्रतिशत), तेलंगाना (7.7 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (7.2 प्रतिशत), महाराष्ट्र (7.0 प्रतिशत) और केरल (6.9 प्रतिशत)। निम्नलिखित विवरण में दिल्ली के कर राजस्व को जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया है और उसकी तुलना देश के सभी राज्यों के कुल जीएसडीपी से की गयी है।

विवरण 4.7

दिल्ली और सभी राज्यों के जीएसडीपी/जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व की तुलना
(करोड़ रु.)

क्र सं	वर्ष	दिल्ली		सभी राज्य	
		कर राजस्व	जीएसडी का प्रतिशत	कर राजस्व	जीएसडी का प्रतिशत
1	2010-11	16478	6.52	460710	6.36
2	2011-12	19972	5.81	532270	6.09
3	2012-13	23432	5.99	625930	6.29
4	2013-14	25919	5.84	712419	6.34
5	2014-15	26604	5.38	779278	6.25
6	2015-16	30225	5.49	847145	6.15
7	2016-17	31140	5.05	912911	5.94
8	2017-18	35717	5.27	1130460	6.61
9	2018-19	36625	4.88	1214840	6.43
10	2019-20 (अनंतिम)	36566	4.40	1339940	6.58
11	2020-21 (ब.अ.)	44100	5.52	1498260	7.65

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक – राज्य वित्त बजट का एक अध्ययन और दिल्ली के आंकड़ों के लिए 2010–11 से 2018–19 और 2020–21 (बीई) के वित्त खातों और 2019–20 से साराक्षे दिल्ली सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय से।

9. राजस्व व्यय

- 9.1 दिल्ली सरकार के राजस्व व्यय में वेतन, कार्यालय खर्च, संस्थाओं/स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता/सब्सिडी और भारत सरकार को ब्याज की अदायगी आदि शामिल हैं। दिल्ली सरकार की राजस्व खर्च की स्थिति विवरण 4.8 और चार्ट 4.6 में प्रदर्शित की गयी है।

विवरण 4.8

2011-12 से 9-20 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का राजस्व व्यय (कार्यक्रम/परियोजनाएं)

(करोड़ रु.)

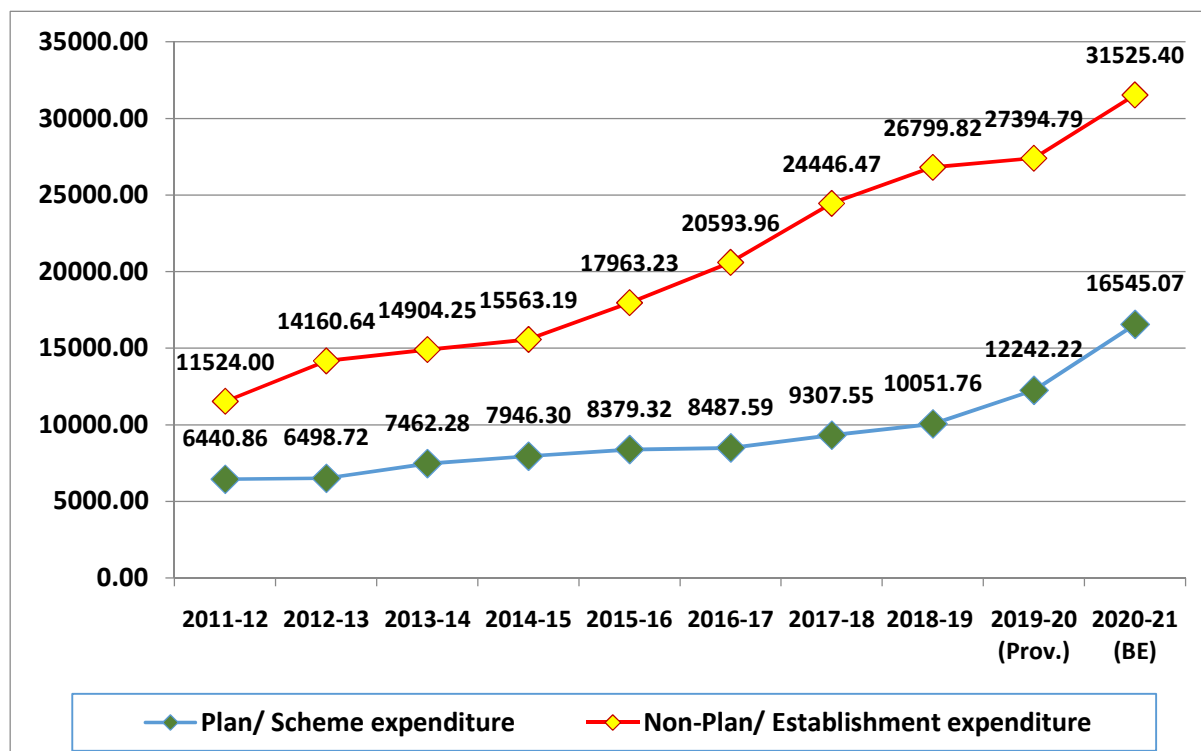
क्र सं	वर्ष	स्थापना व्यय	स्थापना व्यय में से ब्याज भुगतान; (अर्थात् कॉलम 3 में से)	कार्यक्रम और स्कीम/परियोजनाएं	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2011-12	11524.00	2917.26	6440.86	17964.86
2	2012-13	14160.64	2862.88	6498.72	20659.36
3	2013-14	14904.25	2824.29	7462.28	22366.53
4	2014-15	15563.19	2774.00	7946.30	23509.49
5	2015-16	17963.23	2809.81	8379.32	26342.55
6	2016-17	20593.36	2882.52	8487.59	29081.55
7	2017-18	24446.47	2870.67	9307.55	33754.02
8	2018-19	26799.82	2867.11	10051.76	36851.58
9	2019-20 (अनंतिम)	27394.79	2751.87	12242.22	39637.02
10	2020-21 (ब.अ.)	31525.40	3061.88	16545.07	48070.47

स्रोत : 2011-12 से 2018-19 के आंकड़े वित्तीय लेखों से, 2019-20 के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय से और 2020-21 के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गये हैं।

चार्ट 4.6

2011-12 से 2019-20 और 2020-21 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का राजस्व खर्च (योजना और गैर योजना) (कार्यक्रम/स्कीम और स्थापना)

(करोड़ रुपये में)



नोट: वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से योजना / गैर योजना द्विभाजन को राजकोषीय सुधार के रूप में दूर किया गया था।

- 9.2 दिल्ली सरकार का कुल राजस्व व्यय 2019-20 (अनंतिम) में 39,637.02 करोड़ रु. था और इसकी वृद्धि दर 7.76 प्रतिशत थी। विवरण 4.9 में वर्ष 2016-17 से 2019-20 (अनंतिम) के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गयी है।

विवरण 4.9

दिल्ली सरकार के राजस्व खर्च में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिम)
कुल राजस्व व्यय	10.40	16.07	9.18	7.56

10. भारत सरकार को ब्याज का भुगतान

वर्ष के दौरान सरकार की ब्याज की देनदारी पिछले साल के इसके बकाया कर्ज की राशि पर निर्भर है। दिल्ली सरकार ने 2019-20 (अंतिम) में 2751.87 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया जो वर्ष के दौरान इसके कर राजस्व का 7.53 प्रतिशत है। मार्च 2020 के अंत तक दिल्ली सरकार पर कर्ज की बकाया देनदारी 34,461.83 करोड़ रुपये की थी और इसमें डीवीबी/डेसू की बकाया देनदारियों को चुकता करने के लिए 2013-14 में भारत सरकार से मिला 3326.39 करोड़ रुपये का गैर-योजना ऋण भी शामिल था। 2013-14 में भारत सरकार से मिले 3326.39 करोड़ रुपये के उक्त गैर-योजना ऋण के भुगतान के बारे में अंतिम रूप से फैसला नहीं हो पाया है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से उक्त राशि को अनुदान सहायता में परिवर्तित करने का बार बार अनुरोध किया है। कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में दिल्ली सरकार की ब्याज भुगतान की स्थिति निम्नलिखित विवरण में प्रदर्शित की गयी है।

विवरण 4.10

कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपये)

क्रस	वर्ष	राजस्व	ब्याज भुगतान	(%)
1	2009-10	13447.86	2472.93	18.39
2	2010-11	16477.75	2579.52	15.65
3	2011-12	19971.67	2917.26	14.61
4	2012-13	23431.52	2862.88	12.22
5	2013-14	25918.69	2824.29	10.90
6	2014-15	26603.90	2774.00	10.43
7	2015-16	30225.16	2809.81	9.30
8	2016-17	31139.89	2882.52	9.26
9	2017-18	35717.02	2870.67	8.03
10	2018-19	36624.67	2867.11	7.82
11	2019-20 (अंतिम)	36565.87	2751.87	7.52
12	2020-21 (ब.अ.)	44100.00	3061.88	6.94

11. स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरण

- 11.1 दिल्ली में स्थानीय निकायों (जैसे दिल्ली नगर निगम या इसकी उत्तराधिकारी संस्थाओं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद) को धनराशि का आवंटन दिल्ली वित्त आयोग (डीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार के फैसले से किया जा रहा है। स्थानीय निकायों को धनराशि के आवंटन के तहत बुनियादी करों में भागीदारी (यानी दिल्ली सरकार की शुद्ध कर आय में हिस्सेदारी) और शिक्षा, पुनर्वास बस्तियों आदि के रख-रखाव जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए गैर-योजना (2016-17 तक और उसके बाद 2017-18 से स्थापना) अनुदान शामिल है। दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) की गणना स्थानीय निकाय के रूप में नहीं होती मगर उसको भी धनराशि का आवंटन दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है।

- 11.2 2006-11 तक के कार्यकाल वाले तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार के फैसले से तय किए गए स्थानीय निकायों के लिए धन हस्तांतरण फार्मूले को 2011-12 से 2016-17 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार को करों से मिलने वाली 4 प्रतिशत शुद्ध राशि स्थानीय निकायों को उनके बुनियादी कर हिस्सेदारी के रूप में हस्तांतरित की जा रही है जबकि शुद्ध कर आय की 5 प्रतिशत राशि (अधिकतम सीमा) शिक्षा/पुनर्वास बस्तियों का खर्च पूरा करने के लिए गैर-योजनागत 2016-17 तक और उसके बाद 2017-18 से स्थापना) अनुदान के रूप में दी जा रही है। इसी तरह शुद्ध कर आमदनी की 1.5 प्रतिशत राशि नगरपालिका सुधार निधि में दिल्ली नगर निगम के उत्तराधिकारियों और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के लिए उनकी आमदनी और खर्च में सुधार की शर्त पर उपलब्ध करायी गई। चौथे दिल्ली वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी, परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिनांक 01/01/2019 के कैबिनेट के निर्णय संख्या 2669 और 2670 के तहत पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय किया। पहले, दूसरे और तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरण दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 4.11

दिल्ली में स्थानीय निकायों को धनराशि का हस्तांतरण

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	ब्योरा	प्रथम दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (1996-01)	द्वितीय दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (2001-06)	तृतीय दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (2006-11)		
				2006-08 (दूसरे डीएफसी की सिफारिश के आधार पर)	2008-11 (तीसरे डीएफसी की सिफारिश के आधार पर)	2006-11 कुल
1	सहायता अनुदान					
	क. दि.न.नि	644.53	1380.34	1035.11	2577.74	3612.85
	ख. नदिनप	48.83	91.50	64.42	170.67	235.09
	ग. दिछबो	4.82	7.08	3.89	14.31	18.20
	घ. कुल	698.18	1478.92	1103.42	2762.72	3866.14
2	बुनियादी कर में हिस्सेदारी					
	क. दि.न.नि	872.01	1576.83	1151.18	1456.30	2607.48
	ख. नदिनप	44.60	51.13	38.09	39.92	78.01
	ग. दिछबो	11.15	22.93	12.30	18.67	30.97
	घ. कुल	927.76	1650.89	1201.57	1514.89	2716.46
3	कुल					
	क. दि.न.नि	1516.54	2957.17	2186.29	4034.04	6220.33
	ख. नदिनप	93.43	142.63	102.51	210.59	313.10
	ग. दिछबो	15.97	30.01	16.19	32.98	49.17
	घ. कुल	1625.94	3129.81	2304.99	4277.61	6582.60

- 11.3 तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल (2006-11) के दौरान स्थानीय निकायों को 6582.60 करोड़ रुपये संवितरित किये गये जिससे दूसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान संवितरित राशि में 110.32 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। तीसरे आयोग के कार्यकाल में संवितरित कुल 6582.60 करोड़ रुपये में से 6220.33 करोड़ रुपये (94.5 प्रतिशत) दिल्ली नगर निगम को दिये गये और 313.10 करोड़ रुपये (4.8 प्रतिशत) एनडीएमसी को और 49.17 करोड़ रुपये (0.7 प्रतिशत) दिल्ली छावनी बोर्ड को संवितरित किये गये।

- 11.4 दिल्ली नगर निगम का तीन हिस्सों में विभाजन किया गया है और दिल्ली सरकार की 13 जनवरी, 2012 की अधिसूचना के तहत उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम बनाये गये हैं ताकि दिल्ली के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें। निम्नलिखित विवरण से 2012-13 से 2018-19 (अनंतिम) की अवधि में स्थानीय निकायों को धनराशि के आबंटन को वर्षवार दर्शाया गया है।

विवरण 4.12 (क)
दिल्ली में स्थानीय निकायों को वर्षवार धन हस्तांतरण

(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	प्राथमिक शिक्षा	1058.97	1108.98	1116.90	1291.54	1340.22	1113.19
क	उत्तरी दिननि	452.59	462.81	475.96	550.56	571.36	474.68
ख	दक्षिणी दिननि	345.66	353.46	363.50	420.48	436.36	362.52
ग	पूर्वी दिननि	228.96	234.14	240.79	278.53	289.05	240.14
घ	नदिनप	28.12	33.45	32.25	36.94	38.24	31.55
ङ	दिछबो	3.64	25.12	4.40	5.03	5.21	4.30
2	माध्यमिक शिक्षा (नदिनप)	35.01	37.25	40.23	46.00	47.61	39.28
3	स्कूल भवन के रख रखाव के लिए	42.39	47.47	48.70	55.68	57.65	47.55
क	उत्तरी दिननि	18.68	20.92	21.46	24.54	25.40	20.95
ख	दक्षिणी दिननि	14.26	15.97	16.39	18.73	19.40	16.00
ग	पूर्वी दिननि	9.45	10.58	10.85	12.41	12.85	10.60
4	पुनर्वास कालोनियों का रख रखाव	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.01
क	उत्तरी दिननि	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	33.05
ख	दक्षिणी दिननि	33.65	33.65	33.65	33.65	33.65	25.24
ग	पूर्वी दिननि	22.29	22.29	22.29	22.29	22.29	16.72
5	पूँजी आस्तियों का रख रखाव	43.77	41.01	50.29	57.50	59.51	49.40
क	उत्तरी दिननि	16.11	18.04	18.51	21.16	21.90	18.07
ख	दक्षिणी दिननि	16.11	18.04	18.51	21.16	21.90	18.07
ग	पूर्वी दिननि	10.17	11.39	11.68	13.37	13.83	11.71
घ	नदिनप	1.38	-6.46	1.59	1.81	1.88	1.55
6	घोबी घाट का निर्माण	0.10	0.10	0.10	0.10	0.0	0.0
7	बुनियादी कर समुद्देशन	804.50	893.66	958.90	1022.43	1093.94	2364.99
क	उत्तरी दिननि	270.25	302.66	332.93	332.64	367.48	894.72
ख	दक्षिणी दिननि	346.70	388.29	398.36	455.50	471.44	388.94
ग	पूर्वी दिननि	146.04	163.55	179.91	179.75	198.57	1034.76
घ	नदिनप	26.19	22.00	30.10	34.41	35.62	29.39
ङ	दिछबो	15.32	17.16	17.60	20.13	20.83	17.18
8	नगरीय सुधार निधि (एमआरएफ)	0.00	0.00	0.00	374.00	446.34	490.00
क	उत्तरी दिननि	0.00	0.00	0.00	145.30	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	दक्षिणी दिननि	0.00	0.00	0.00	118.00		
ग	पूर्वी दिननि	0.00	0.00	0.00	110.70		
	कुल (एमआरएफ को छोड़कर अंतरण)	2084.74	2228.47	2315.12	2573.25	2698.93	3689.42

स्रोत : प्रधान लेखा अधिकारी, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

- 11.5 दिनांक 01.01.2019 के कैबिनेट के निर्णय के अनुसार यह तय किया गया कि पांचवे डीएफसी की सिफारिशों के अनुसार कर राजस्व की निवल प्राप्ति स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जायेगी। इस प्रकार यह तय किया गया कि निवल कल संग्रह का 12.5 धन हस्तांतरित किया जायेगा। इसमें 6 प्रतिशत बुनियादी कर समुद्देशन होगा और 6.5 प्रतिशत क्षेत्र विषयक अनुदान जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास अनुदान शामिल होंगे। तदनुरूप 2019-20 (ब.अ.) में स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण/आवंटन इस प्रकार रहा :

विवरण 4.12 (ख)

वर्ष 2019-20 (अन्तिम) एवं 2020-21 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली में स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण/आवंटन

क्र. सं	मद	2019-20 (अन्तिम)	2020-21 (ब.अ.)
(अ)	बुनियादी कर समुद्देशन	2520.70	2299.48
क	उत्तरी दिननि	872.03	850.12
ख	दक्षिणी दिननि	409.52	450.47
ग	पूर्वी दिननि	1207.68	961.30
घ	नदिनप	17.57	22.30
ङ	दिछबो	13.90	15.29
(आ)	क्षेत्र विषयक अनुदान		
1	शिक्षा क्षेत्र (एमडीएम सहित)	1516.43	1698.60
क	उत्तरी दिननि	661.33	728.00
ख	दक्षिणी दिननि	460.92	524.70
ग	पूर्वी दिननि	391.57	441.65
घ	नदिनप	2.50	2.65
ङ	दिछबो	0.11	1.60
2	स्वास्थ्य क्षेत्र	260.75	296.00
क	उत्तरी दिननि	135.75	150.00
ख	दक्षिणी दिननि	55.00	65.00
ग	पूर्वी दिननि	70.00	81.00
3	शहरी विकास क्षेत्र	492.40	730.42
क	उत्तरी दिननि	212.40	362.40
ख	दक्षिणी दिननि	80.00	118.00
ग	पूर्वी दिननि	200.00	210.00
घ	नदिनप	0.00	40.02
इ	कुल क्षेत्र विषयक अनुदान (1+2+3)	2269.58	2725.02
	कुल (अ)+(आ)	4790.28	5024.50

* नोट: एमडीएम के लिए रिलीज में अनुदान का केंद्रीय हिस्सा शामिल है

- 11.6 2019–20 (अनंतिम) के दौरान, कुल ₹4790.28 करोड़ स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए थे, जिसमें से ₹1881.51 करोड़ (39.28%) की राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, ₹1005.44 करोड़ (20.99%) दक्षिण दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित की गई। ₹1869.25 करोड़ (39.02%) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए और ₹20.07 करोड़ (0.42%) और ₹14.01 करोड़ (0.29%) क्रमशः नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को हस्तांतरित किए गए। स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए 2020–21 (बअ) में ₹5024.50 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था।

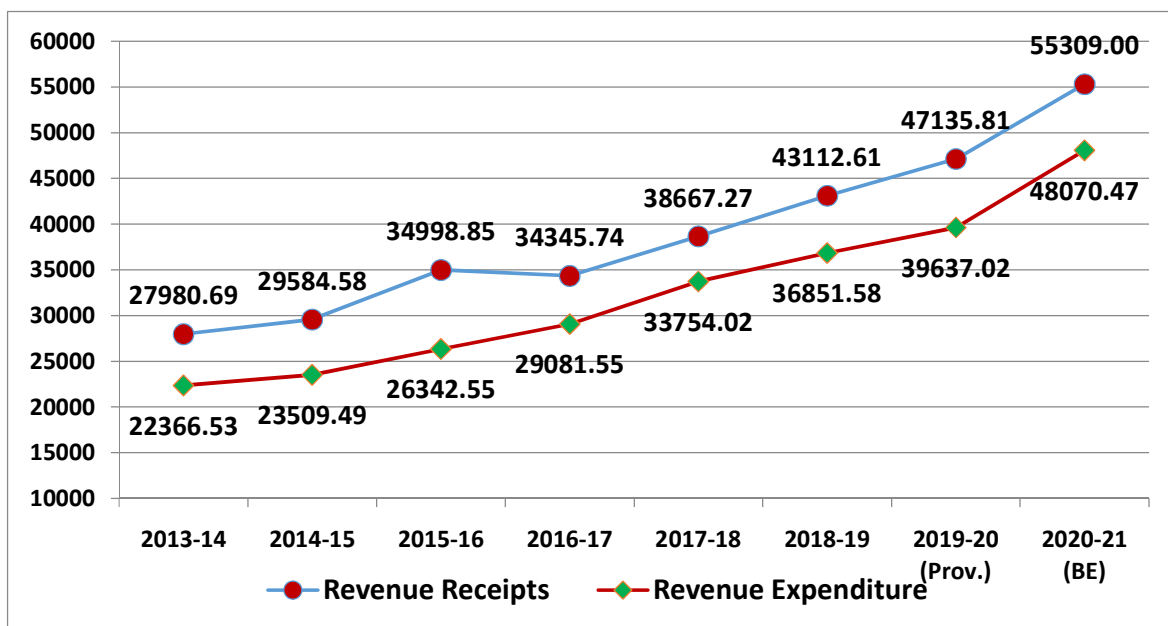
12. राजस्व अधिशेष

- 12.1 दिल्ली की एक खास विशेषता यह है कि इसके पास लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति रही है। 2020–21 (बअ.) में दिल्ली का राजस्व अधिशेष 7238.53 करोड़ रुपये था। चार्ट 4.7 में 2013–14 से 2020–21 (बअ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्च की स्थिति दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.7

दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय

(करोड़ रुपये में)



- 12.2 2011–12 से 2020–21 (बअ.) की अवधि के दौरान दिल्ली और देश के अन्य तमाम राज्यों की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व खर्च और राजस्व अधिशेष/घाटे की स्थिति का ब्यौरा विवरण 4.13 में दिया गया है। इसके अलावा चार्ट 4.8 में दिल्ली सरकार के राजस्व अधिशेष को दर्शाया गया है।

विवरण 4.13

वर्ष 2011-12 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान सभी राज्यों और
राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष/घाटा

(करोड़ रुपये में)

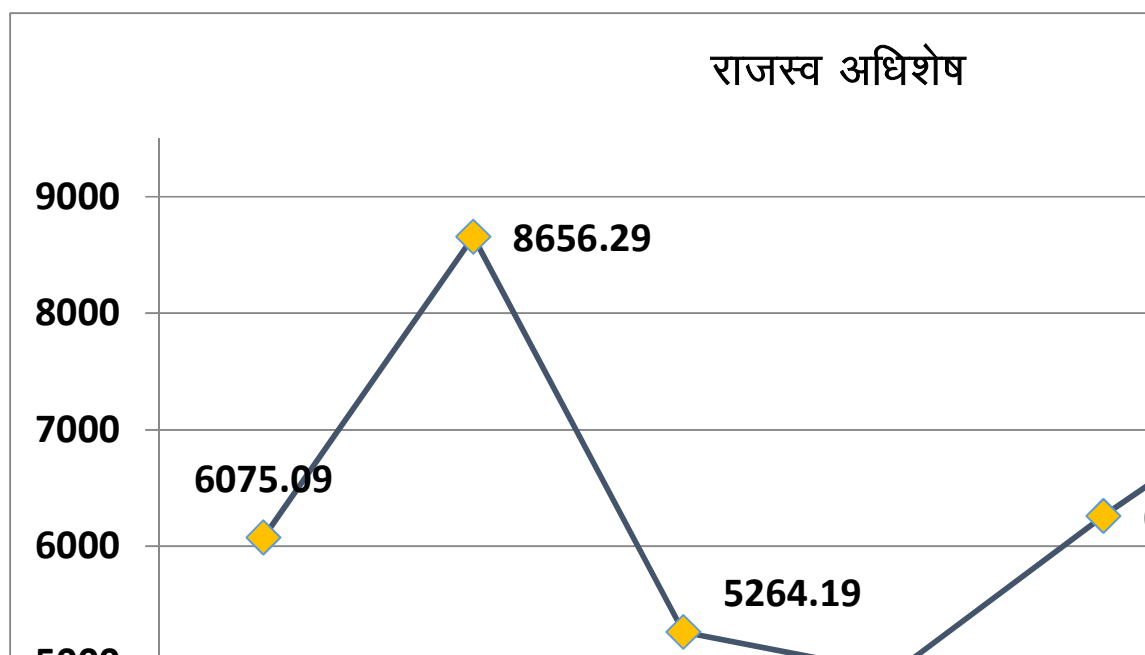
क्र स	वर्ष	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)		राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-)	
		दिल्ली	सभी राज्य	दिल्ली	सभी राज्य
1	2011-12	4428	23960	-3633	-168350
2	2012-13	4902	20320	-3573	-195470
3	2013-14	5614	-10563	-5268	-247850
4	2014-15	6075	-45704	-1128	-327190
5	2015-16	8656	-5380	-113	-420670
6	2016-17	5264	-40490	-2705	-534330
7	2017-18	4913	-18840	-1569	-410490
8	2018-19	6261	-17769	-1489	-462770
9	2019-20 (अनंतिम)	7499	-136702	-3288	-652375
10	2020-21 (ब.अ.)	7238	-160	-8591	-626361
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (जीएसडीपी/जीडीपी का प्रतिशत)					
1	2011-12	1.29	0.27	-1.06	-1.93
2	2012-13	1.25	0.20	-0.91	-1.97
3	2013-14	1.26	-0.09	-1.19	-2.21
4	2014-15	1.23	-0.37	-0.23	-2.63
5	2015-16	1.57	-0.04	-0.02	-3.05
6	2016-17	0.85	-0.26	-0.43	-3.47
7	2017-18	0.72	-0.11	-0.23	-2.40
8	2018-19	0.83	-0.09	-0.20	-2.45
9	2019-20 (अनंतिम)	0.90	-0.67	-0.39	-3.20
10	2020-21 (ब.अ.)	0.91	-0.0008	-1.08	-3.20

स्रोत : 1. वित्त लेखा, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, बजट दस्तावेज (2020-21 (ब.अ.) से।
2. भारतीय रिजर्व बैंक – स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी आफ बजट्स

चार्ट 4.8

वर्ष 2014-15 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष

(करोड़ रुपये में)



13. पूंजी प्राप्ति

- 13.1 दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से प्राप्त ऋण, स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी कर्मचारियों आदि से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली आदि शामिल हैं। दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों के बारे में सूचना निम्नलिखित विवरण में दी गयी है।

विवरण 4.14

वर्ष 2015-16 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियां

(करोड़ रु.)

क्र स	स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अंतिम)	2020-21 (ब.अ.)
1.	लघु बचत ऋण	2241.13	1695.53	1906.34	2800.00	4540.60	4141.00
2.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	83.42	212.49	690.42	1643.90	822.65	1100.00
3.	ईएपी के तहत ऋण	0.00	0.00	0.00	80.00	225.00	150.00
कुल पूंजी प्राप्तियां		2324.55	1908.02	2596.76	4523.90	5588.25	5391.00

- स्रोत : 1. वर्ष 2015-16 से 2018-19 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखा से लिए गये हैं।
 2. वर्ष 2019-20 (अंतिम) के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय और 2020-21 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।
 3. उपरोक्त के अलावा वर्ष 2013-14 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त गैर-योजना ऋण की 3326.39 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

- 13.2 2019-20 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्ति 5588.25 करोड़ रुपये थी जबकि इससे पहले साल (2018-19) में पूंजी प्राप्ति 4523.90 करोड़ थी। 2019-20 में पूंजीगत प्राप्तियों में भारी बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण वर्ष के दौरान अधिक लघु बचत ऋण प्राप्ति था, जिसके अंतर्गत 4540.60 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जबकि इसकी तुलना में 2018-19 के दौरान 2800 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। ऋणों और अग्रिमों की वसूली में 2018-19 में 1643.90 करोड़ से घटकर 2019-20 (अनंतिम) में 822.65 करोड़ हो गई। 2020-21 (ब.अ.) में बजटीय पूंजीगत प्राप्तियां 5391.00 करोड़ रुपये थीं।

14. पूंजी खर्च

- 14.1 दिल्ली सरकार का पूंजी खर्च योजना और गैर-योजना मदों (2016-17 तक) के अंतर्गत होता था। 2017-18 से यह स्कीमों/परियोजनाओं और स्थापना व्यय के रूप में किया जाने लगा है। स्कीम/परियोजना मद के अंतर्गत आने वाले पूंजी खर्च में सरकार की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का पूंजी परिव्यय तथा विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए स्थानीय संस्थाओं/उपक्रमों को दिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं, जबकि स्थापना पूंजी खर्च में मुख्य रूप से भारत सरकार को कर्ज की अदायगी और स्थानीय निकायों आदि को दिए गए गैर-योजना ऋण, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं। विवरण 4.15 और चार्ट 4.9 में दिल्ली सरकार के पूंजी संवितरण को दर्शाया गया है।

विवरण 4.15
दिल्ली सरकार का पूंजी व्यय

(करोड़ रुपये में)

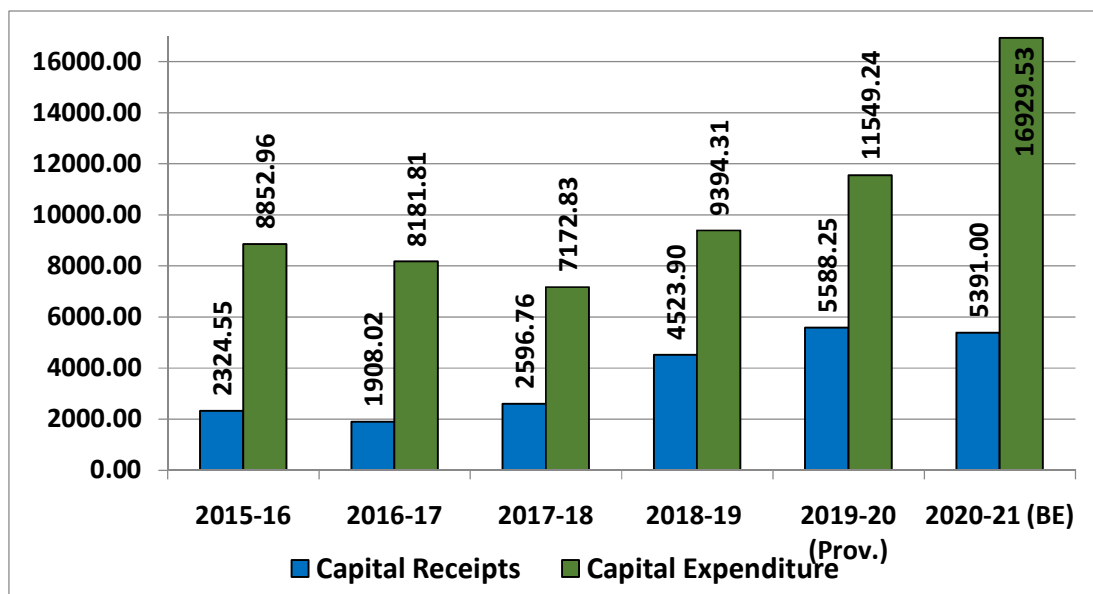
क्र.सं.	स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिम)	2020-21 (ब.अ.)
1.	योजना / कार्यक्रम व्यय*	6555.27	5615.97	4883.93	5566.94	8037.59	12954.93
2.	गैर योजना / स्थापना और प्रशासन व्यय*	2297.69	2565.84	2288.90	3827.37	3511.65	3974.60
	किस ऋण अदायगी के संदर्भ में	1435.17	1654.62	1682.43	3636.35	2811.10	3511.10
कुल पूंजी व्यय		8852.96	8181.81	7172.83	9394.31	11549.24	16929.53

- स्रोत : 1. वर्ष 2015-16 से 2018-19 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखा से लिए गये हैं।
2. वर्ष 2019-20 के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय और 2020-21 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।
3. 2017-18 से योजना और गैर योजना व्यय का विलय कर दिया गया और योजना के स्थान पर स्कीम/परियोजनाएं और गैर योजना के स्थान पर स्थापना के रूप में वर्गीकरण किया गया है।

चार्ट 4.9

दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय

(करोड़ रुपये में)



- 14.2 2019–20 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार का कुल पूंजी खर्च 11549.24 करोड़ रुपये था जो 51186.26 करोड़ रुपये के कुल खर्च का 22.56 प्रतिशत है। 11549.24 करोड़ रुपये के कुल पूंजी खर्च में से वर्ष 2019–20(अनंतिम) के दौरान योजना मद का खर्च 8037.59 करोड़ रुपये (69.60 प्रतिशत) रहा और बाकी 3511.65 करोड़ रुपये (30.40 प्रतिशत) स्थापना और प्रशासन मद के अंतर्गत व्यय हुआ। 2020–21 (ब.अ.) के लिए कुल बजटीय पूंजी व्यय 16929.53 करोड़ रुपये रहा, जो 65000 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 26.05 प्रतिशत है।

15. सार्वजनिक ऋण

- 15.1 विवरण 4.16 से दिल्ली सरकार के बकाया कर्ज और उसकी कर्ज चुनाने संबंधी देनदारियों को दर्शाया गया है।

विवरण 4.16

2010-11 से 2019-20 के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के सार्वजनिक ऋण

(करोड़ रु.)

क्र सं	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया ऋण	प्राप्त	अदा किए गए	वर्ष के अंत में बकाया
1	2010-11	26544.19	4388.94	793.06	30140.07
2	2011-12	30140.07	556.08	1087.88	29608.27
3	2012-13	29608.27	922.41	1287.99	29242.7
4	2013-14	29242.7	4162.9	1325.29	32080.31
5	2014-15	32080.31	1764.32	1346.72	32497.91
6	2015-16	32497.91	2241.13	1435.18	33303.86
7	2016-17	33303.86	1695.53	1654.62	33344.77
8	2017-18	33344.77	1906.34	1682.43	33568.68
9	2018-19	33568.68	2800.00	3636.35	32732.33
10	2019-20 (अनंतिम)	32732.33	4540.60	2811.10	34461.83

स्रोत : 1. वर्ष 2010-11 से 2018-19 के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार की 2020-21 की विस्तृत अनुदान मांगों से लिए गये हैं।

2. वर्ष 2019-20 के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान लेखा कार्य से लिए गए हैं।

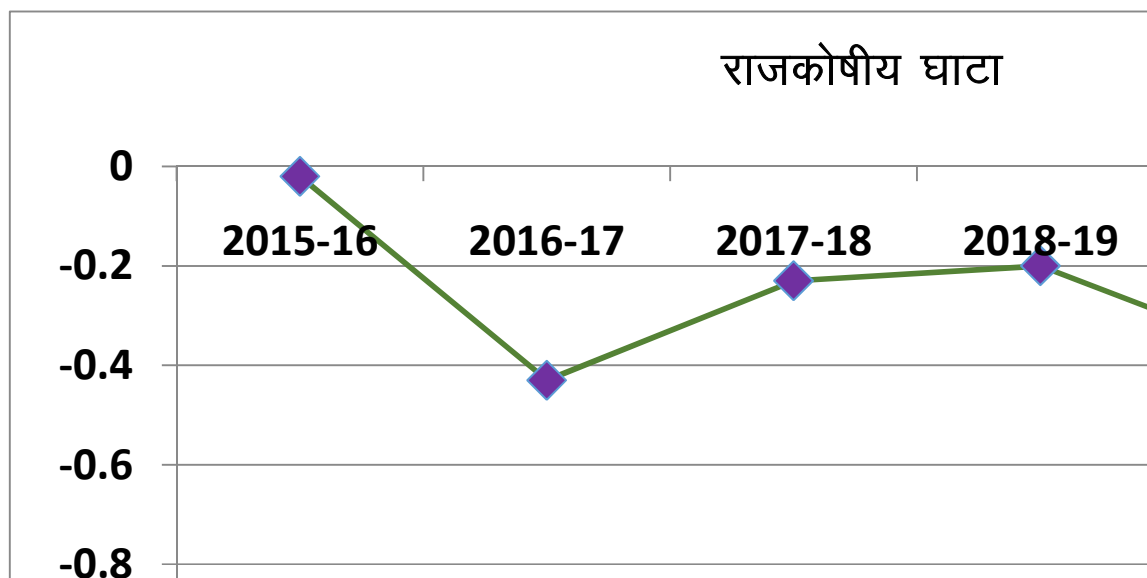
- 15.2 मार्च 2020 के अंत तक दिल्ली सरकार पर 34461.83 करोड़ रुपये के कर्ज बकाया थे जिसमें 2013-14 के दौरान प्राप्त हुआ 3326.39 करोड़ रुपये का बिजली ऋण भी शामिल था। इस तरह के बकाया कर्ज राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से लघु बचत ऋण प्राप्त होने की वजह से पैदा होते हैं। इसी तरह 2013-14 में डेसू/डीवीबी की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए भी पावर मंत्रालय भारत सरकार से बिजली ऋण प्राप्त किया गया। इन बकाया कर्जों की वजह से दिल्ली सरकार ने 2019-20 में भारत सरकार को ब्याज के रूप में 2751.87 करोड़ रुपये और 2811.10 करोड़ रुपये के मूलधन का भुगतान किया।

16. राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सारांश रूप में एक ऐसा सांख्यिकीय उपाय है जो तमाम स्रोतों से सरकार की कर्ज लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली सरकार के राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो 2018-19 के 1489.38 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2019-20 में 3227.79 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। चार्ट 4.10 में 2015-16 से 2020-21 तक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा/अधिशेष दर्शाया गया है। परन्तु दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020-21 (ब.अ.) में 8591 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा दर्शाया, जो जीएसडीपी का 1.08 प्रतिशत है।

चार्ट 4.10
दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा/अधिशेष

(अनंतिम)



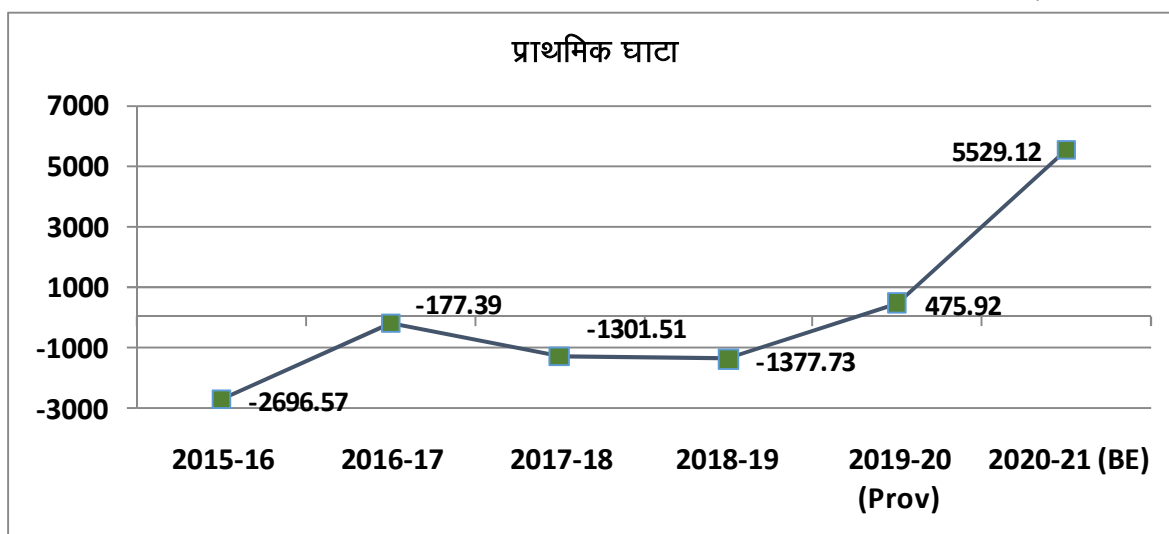
17.

प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटा (यानी ब्याज भुगतान का निवल राजकोषीय घाटा) कुल मौजूदा खपत और निवेश खर्च को पूरा करने के लिए सरकार की कर्ज हासिल करने की शुद्ध आवश्यकताओं का पैमाना है। दिल्ली सरकार का प्राथमिक घाटा 2019-20 (अनंतिम) में 475.92 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2018-19 में यह 1377.73 करोड़ रुपये था। परन्तु दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020-21 (ब.अ.) में 5529.12 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया। चार्ट 4.11 में 2015-16 से 2020-21 (ब.अ.) तक दिल्ली सरकार के प्राथमिक घाटे/अधिशेष को दिखाया गया है।

चार्ट 4.11
दिल्ली सरकार का प्रारंभिक घाटा/अधिशेष

(करोड़ रुपयों में)



18. सरकारी कंपनियों को सहायता

- 18.1 दिल्ली में सरकारी कंपनियों के वित्तीय कार्य निष्पादन का सरकार के संसाधनों पर असर पड़ता है, क्योंकि इन कंपनियों के गैर-योजनागत घाटे की भरपाई के लिए उन्हें ऋण/अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्थापना व्यय के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार की वार्षिक योजना के लिए संसाधन उसी मात्रा में कम हो जाते हैं। दिल्ली में विभिन्न सार्वजनिक कंपनियों को दी जाने वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

(क) दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

- 18.1.1 दिल्ली परिवहन निगम को संचालनात्मक घाटा हो रहा है और उसी के अनुसार दिल्ली सरकार को उसे वित्तीय सहायता देकर घाटे की भरपाई करनी पड़ रही है। दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति और उसे दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण 4.17 और चार्ट 4.12 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 4.17

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी की वित्तीय स्थिति)

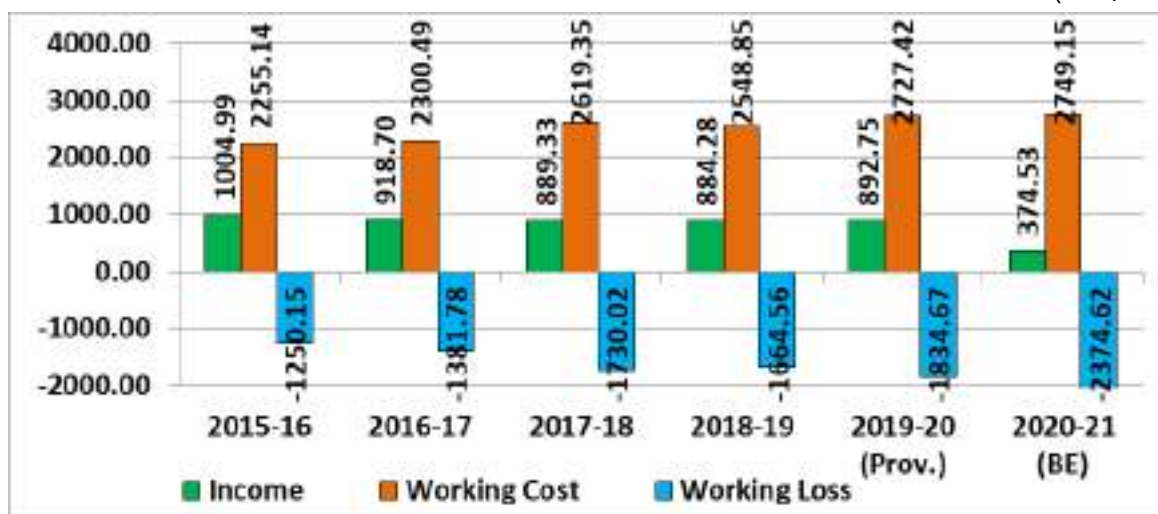
(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (ब.अ.)
1	आमदनी	1004.99	918.70	889.33	884.28	892.75	374.53
2	संचालन लागत	2255.14	2300.49	2619.35	2548.85	2727.42	2749.15
3	संचालन हानि (1-2)	-1250.15	1381.78	1730.02	1664.56	1834.67	2374.62
4	राराक्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता						
(i)	अनुदान	1150.00	1550.00	2007.00	1825.00	2030.00	2050.00
(ii)	निःशुल्क/रियायती पासों के लिए सब्सिडी	84.00	65.90	70.18	64.45	59.27	41.60

स्रोत : दिल्ली परिवहन निगम

चार्ट 4.12
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रु.)



- 18.1.2 दिल्ली परिवहन निगम का संचालन घाटा (यानी राजस्व प्राप्तियों में से स्थापना खर्च को घटा कर और ब्याज भुगतान तथा मूल्यहास को छोड़कर) 2020-21 (ब.अ.) में 2374.62 करोड़ रुपये रहा जो 2019-20 (अनंतिम) में हुए 1834.67 करोड़ रुपये के संचालन घाटे से अधिक है। 2010-11 तक दिल्ली सरकार डीटीसी की कार्यशील हानियों को ऋण देकर पूरा करती थी। लेकिन यह तरीका 2011-12 से बदल दिया गया है और कार्यशील घाटे को पूरा करने के लिए ऋण की बजाय अनुदान दिया जा रहा है।
- 18.1.3 इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने डीटीसी की ब्याज संबंधी देनदारी की वसूली का पुराना तरीका भी बदल दिया है और उसके स्थान पर 2011-12 से ब्याज को ऋण में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपने निर्देश पर डीटीसी द्वारा जारी किये जाने वाले मुफ्त/रियायती पासों की लागत की भरपाई के लिए सब्सिडी भी देती है। 2019-20 (अनंतिम) में दिल्ली सरकार ने डीटीसी को रियायती पासों के लिये 90.68 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध करायी।
- 18.1.4 इसके अलावा दिल्ली सरकार इक्विटी शेयर के रूप में डीटीसी को बसों की खरीद और पूंजीगत कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है। 2011-12 में दिल्ली सरकार ने 201 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी किये। लेकिन इस धनराशि का उपयोग अभी तक बसों की खरीद पर नहीं किया जा सका।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)

- 18.2.1 1 जनवरी, 2010 से संशोधित जल प्रभार लागू करने के बाद से फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड अपने कामकाजी खर्चों को अपने ही संसाधनों से पूरा कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 2010-11 से दिल्ली सरकार से कोई गैर-योजना सहायता की मांग नहीं की है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली

में घरेलू पानी उपभोक्ताओं को मार्च 2015 से हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की लोकप्रिय सब्सिडी योजना भी लागू की है। उपभोक्ताओं को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने की लागत के रूप में दिल्ली सरकार ने 2019-20 में 467.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी दि.ज.बो को उपलब्ध करायी।

18.2.2 दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति और दिल्ली सरकार द्वारा उसे पूंजीगत परियोजनाओं के लिये उपलब्ध करायी जाने वाली सहायता का ब्यौरा विवरण 4.18 तथा चार्ट 4.13 में दिया गया है।

विवरण 4.18
डीजेबी की वित्तीय स्थिति 2015-16 से 2020-21(ब.अ.) में

(करोड़ रुपये में)

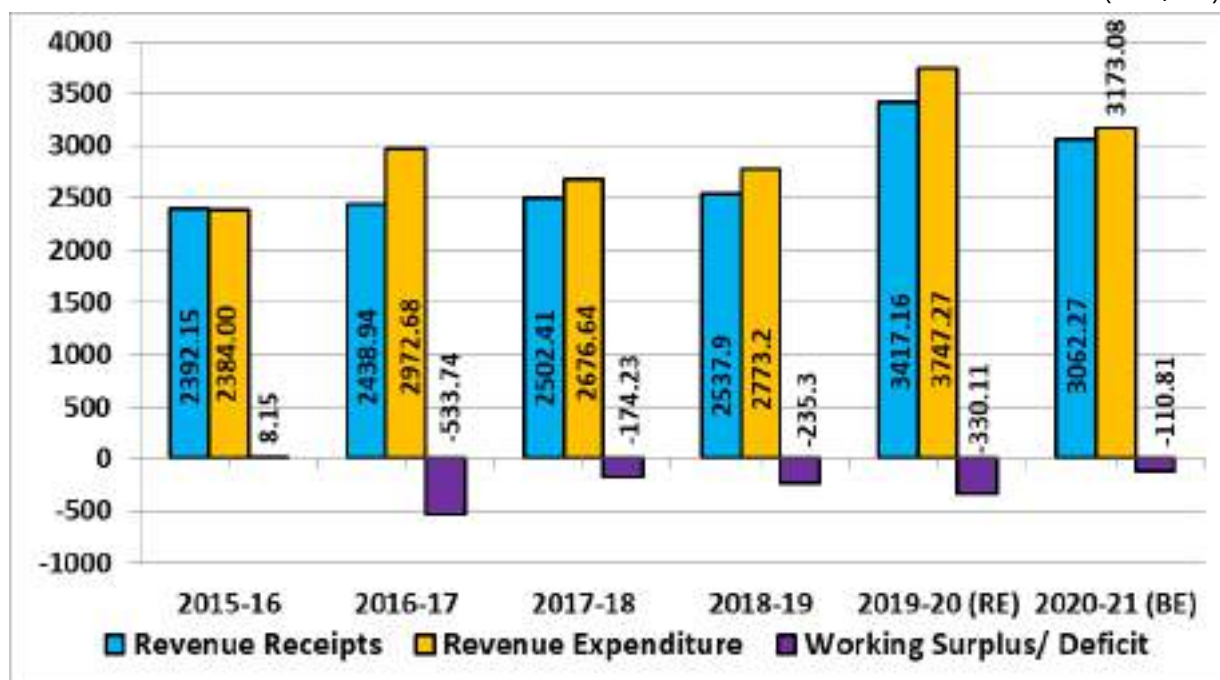
क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (स.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
1.	राजस्व प्राप्तियां						
	क. पानी	2140.59	2261.75	2084.90	2270.20	2555.95	2437.12
	ख. जलमल						
	ग. अन्य	251.56	177.19	417.50	267.70	861.21	625.15
	कुल	2392.15	2438.94	2502.41	2537.90	3417.16	3062.27
2.	राजस्व व्यय						
	क. स्थापना	1243.47	1663.79	1748.95	1854.35	1987.01	2053.74
	ख. बिजली	597.23	591.71	604.18	558.14	605.90	632.00
	ग. कच्चा पानी	22.70	21.13	26.10	23.73	44.00	44.00
	घ. संपत्ति कर	9.67	9.67	10.40	9.91	30.00	10.50
	ड. मरम्मत और रखरखाव	147.52	177.91	175.03	297.36	294.23	398.54
	च. रसायन, भंडार और खरीद	29.18	23.55	17.42	29.71	27.75	34.30
	छ. अन्य	334.23	484.93	94.56	-	758.38	-
	कुल	2384.00	2972.68	2676.64	2773.20	3747.27	3173.08
3.	कार्यशील अधिशेष/घाटा (ऋण प्रभार और मूल्यहास को छोड़कर) (1-2)	8.15	-533.74	-174.23	-235.30	-330.11	-110.81
4.	योजना (2016-17 तक) स्कीम/परियोजनाएं जिनके लिए धन जारी किया गया।	1723.93	1386.82	1766.37	2625.98	2475.00	2318.29

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड (उपर्युक्त आधार पर प्रदान किया गया डेटा)

18.2.3 ऊपर दी गयी तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2020-21 (ब.अ.) में दिल्ली जल बोर्ड के संचालन में 110.81 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। लेकिन बोर्ड ने वर्ष 2015-16 में कार्यशील अधिशेष अर्जित किया।

चार्ट 4.13
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रु.)



(ग) बिजली कंपनियां

दिल्ली में बिजली क्षेत्र में 2002 से भारी बदलाव हुए हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) के नाम से पुकारे जाने वाले एकमात्र राज्य बिजली बोर्ड के स्थान पर समूचे क्षेत्र को 7 स्वतंत्र कंपनियों में बांटा गया है जिनमें 3 बिजली वितरण कंपनियां (बीएसईएस-राजधानी, बीएसईएस-यमुना और डीपीडीडीएल), एक ट्रांसमिशन कंपनी (दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड-डीटीएल), दो विद्युत उत्पादन कंपनियां (इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि.-आईपीजीसीएल और प्रगति पावर कार्पोरेशन कंपनी लि.-पीपीसीएल) और एक होल्डिंग कंपनी (दिल्ली पावर कंपनी लि.-डीपीसीएल) शामिल हैं। जहां वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) निजी कंपनियां हैं, वहीं अन्य सभी सरकार के स्वामित्व में हैं। फिलहाल दिल्ली में बिजली कंपनियों को वित्तीय मदद दी जा रही है। जैसे डीपीसीएल को केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों की देनदारियों को निपटाने के लिए और 400 यूनिट से कम मासिक खपत करने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 मार्च, 2015 से 50 प्रतिशत सब्सिडी। पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में साराक्षे दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की देनदारियों को निपटाने और लोगों को बिजली सब्सिडी देने के लिए 2405.59 करोड़ रुपये जारी किये। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का बकाया और विद्युत सब्सिडी के लिए खर्च पूरा करने के लिए 2020-21 (ब.अ.) में 2820.00 रुपये का प्रावधान किया गया।

19. स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

- 19.1 नागरिक प्रशासन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पांच इलाकों में बांटा गया है जो एक-दूसरे से अलग, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इनके नाम हैं उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड। पहले तीन नये नगर निगम पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम के तीन हिस्से किये जाने से बने हैं। विभाजन से बने इन तीन नये नगर निगमों के इलाके और आबादी के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। 2011 की जनगणना पर आधारित दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व के आंकड़े विवरण 4.19 में दिये गये हैं।

विवरण 4.19

दिल्ली में स्थानीय निकायों का अनुमानित क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व

(अनुमानित)

क्रम सं.	स्थानीय निकाय	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या (लाख)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी लोग)
1.	दिल्ली नगर निगम	1397.29	164.20	11751
2.	नई दिल्ली नगर परिषद	42.74	2.58	6032
3.	दिल्ली छावनी बोर्ड	42.97	1.10	2568
	कुल	1483.00	167.88	11320

- 19.2 2015-16 से 2020-21(ब.अ.) के दौरान नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, व्यय और अंतिम शेष की स्थिति को विवरण 4.20 और चार्ट 4.14 में प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 4.20

नयी दिल्ली नगर परिषद की वित्तीय स्थिति 2015-16 से 2020-21(ब.अ.)

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (स.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
1	प्रारंभिक शेष *	4197.15	4679.83	4891.55	5430.68	6103.54	6377.93
2	प्राप्तियां	3351.46	3465.20	3622.30	3976.32	4234.59	4372.40
3	व्यय	2925.78	3053.21	3186.16	3359.93	3960.20	4017.24
4	अंतिम शेष	4679.83	4891.55*	5430.65*	6103.54*	6377.93	6733.09

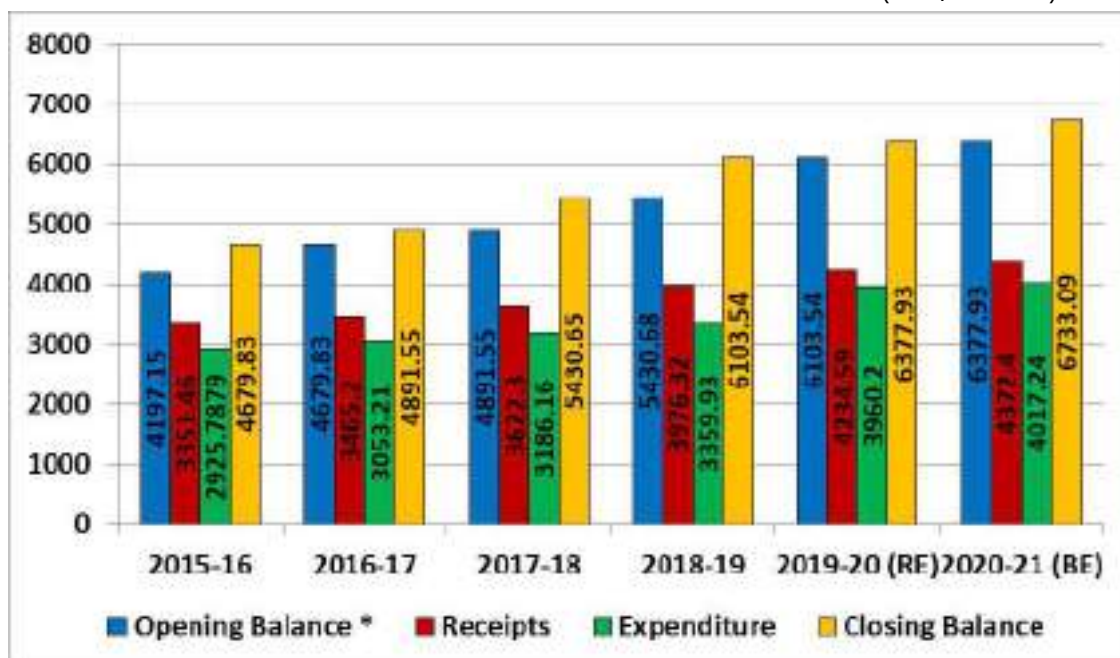
स्रोत : नयी दिल्ली नगर परिषद

* शेष में नकदी और बैंक शेष के साथ-साथ अर्जित मद भी शामिल हैं

चार्ट 4.14

नयी दिल्ली नगर परिषद की वित्तीय स्थिति 2015-16 से 2020-21(ब.अ.)

(करोड़ रुपये में)



- 19.3 निम्नलिखित विवरण 4.21 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 2015-16 से 2020-21(ब.अ.) तक के गैर-योजना आय और व्यय तथा इसके तीन नये संगठनों यानी उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आय-व्यय को दर्शाया गया है।

विवरण 4.21

दिननि का 2015-16 से 2020-21(ब.अ.) के दौरान गैर-योजना आय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (स.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
उत्तरी दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक अधिशेष	0.00	306.33	464.54	366.85	83.90	37.56
2(क)	प्राप्तियां	2662.73	3174.66	3490.74	3993.81	5413.78	9266.70
(ख)	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से ऋण	314.00	200.00	0.00	0.00	981.00	0.00
(ग)	आंतरिक उधार	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल प्राप्तियां (क+ख+ग)	3097.45	3374.66	3490.74	3993.81	6394.78	9266.70

क्र सं	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (स.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
4	व्यय	2791.12	3216.45	3588.43	4276.76	6441.13	9303.57
5	अंतिम शेष	306.33	464.54	366.85	83.90	37.56	0.69
दक्षिण दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक अधिशेष	305.36	665.96	1295.97	1366.51	1454.90	542.25
2	आय	3266.12	3954.97	4048.06	4040.49	4250.76	4776.33
3	व्यय	2905.52	3324.96	3977.52	3952.10	5163.41	5316.68
4	अंतिम शेष	665.96	1295.97	1366.51	1454.90	542.25	1.90
पूर्वी दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक अधिशेष	0.73	78.26	172.35	107.65	294.00	381.64
2	आय	1491.98	1681.13	1696.00	2487.37	2073.92	3167.06
3	व्यय	1414.45	1587.04	1760.70	2301.02	1986.28	3079.44
4	अंतिम शेष	78.26	172.35	107.65	294.00	381.64	469.26

स्रोत : दिल्ली नगर निगम

20. दिल्ली सरकार का कार्यक्रमों /परियोजनाओं के लिए वार्षिक परिय्य हेतु वित्त पोषण

- 20.1 दिल्ली की वार्षिक योजना के लिए वित्त पोषण का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अन्य राज्यों में है। लेकिन दिल्ली को विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा राज्यों के लिए की गयी सिफारिशों का फायदा नहीं मिलता और यह अपनी योजना के वित्तपोषण के लिए बाजार से उधार/अनुबंधित ऋण/भविष्य निधि आदि का सहारा भी नहीं ले सकता। निम्नलिखित विवरण 4.22 (क) में 2015-16 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली की संसाधन उपलब्धियां दर्शायी गई हैं एवं 4.22 (ख) में 2013-14 से 2016-17 के दौरान दिल्ली को संसाधन उपलब्धिया दर्शायी गई है।
- 20.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 2017-18 से योजना व्यय और गैर-योजना व्यय का विलय कर दिया गया। अतः अब वर्गीकरण योजना और गैर-योजना व्यय के स्थान पर कार्यक्रम/परियोजनाओं एवं स्थापना के रूप में किया गया है।

विवरण 4.22 (क)
2017-18 से 2020-21(ब.अ.) के दौरान संसाधनों की उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	मद	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिम)	2020-21 (ब.अ.)
1	कर राजस्व (I से V)	35717.02	36624.67	36565.87	44100.00
i	वैट/एसजीएसटी	24770.01	25072.32	24939.62	30000.00
क	वैट	11149.17	5885.75	5474.67	6200.00
ख	एसजीएसटी	13620.84	19186.57	19464.95	23800.00
ii	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4118.58	4458.73	4609.01	5300.00
iii	मोटर वाहनों पर कर	2115.76	2054.75	1948.09	2500.00
iv	राज्य आबाकारी	4453.49	5028.19	5068.01	6300.00
v	अन्य कर	259.18	10.68	1.14	0.00
क	मनोरंजन कर (केबल टीवी कर समेत)	83.76	1.86	0.09	0.00
ख	सट्टेबाजी कर	5.40	-1.13	0.01	0.00
ग	विलासिता कर	170.02	9.95	1.04	0.00
2	स्वयं गैर कर राजस्व	766.06	644.17	1096.89	800.00
3	पूंजी प्राप्ति	690.42	1643.90	822.65	1100.00
4	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	325.00	325.00	325.00	325.00
5	जीएसटी/ वैट/ सीएसटी क्षतिपूर्ति	847.53	4182.00	7436.00	7800.00
6	केंद्रीय योजना सहायता (सीएसएस सहित)	581.74	807.03	1169.48	1600.00
7	भारत सरकार से अन्य अनुदान/प्राप्ति	429.92	529.74	542.56	684.00
8	लघु बचत निधि	1906.34	2800.00	4540.60	4141.00
9	ईएपी के तहत ऋण	0.00	80.00	225.00	150.00
10	प्रारंभिक शेष	2635.34	2972.52	4363.14	4300.00
11	कुल निधियां	43899.37	50609.03	57087.19	65000.00
12	कुल व्यय	40926.85	46245.89	51186.26	65000.00
i	स्थापना और प्रशासनिक व्यय	26735.37	30627.19	30906.45	35500.00
क	राजस्व	24446.47	26799.82	27394.79	31525.40
ख	पूंजी	2288.90	3827.37	3511.65	3974.60
ii	कार्यक्रम व्यय	14191.48	15618.70	20279.81	29500.00
क	राजस्व	9307.55	10051.76	12242.22	16545.07
ख	पूंजी	4883.93	5566.94	8037.59	12954.93

विवरण 4.22 (ख)
2013-14 से 2016-17 के दौरान संसाधनों की उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क	कर राजस्व	25918.69	26603.90	30225.16	31139.89
1	वैट	17925.71	18289.31	20245.82	21144.24
2	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (भू राजस्व सहित)	2969.08	2841.67	3434.11	3145.94
3	मोटर वाहनों पर कर	1409.27	1558.83	1607.01	1808.78
4	राज्य आबकारी	3151.63	3422.39	4237.69	4251.40
5	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (क से ग)	463.00	491.70	700.53	789.53
क	मनोरंजन कर (केबल टीवी टैक्स सहित)	146.14	150.84	241.28	264.07
ख	सट्टेबाजी कर	10.10	9.88	19.28	33.29
ग	विलासिता कर	306.76	330.98	439.97	492.17
ख	स्वयं गैर कर राजस्व	659.14	632.55	515.40	380.69
1	ऋण	379.35	350.52	82.53	81.39
2	लाभ और लाभांश		12.90	12.32	11.28
3	सेवा प्रभार और अन्य	279.79	269.13	420.55	288.02
ग	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	325.00	325.00	325.00	325.00
घ	भारत सरकार से गैर योजना अनुदान	1.91	2.95	2580.02	793.72
ङ	राजस्व प्राप्तियां (क+ख-ग+घ)	26904.74	27564.40	33645.58	32639.30
च	विशुद्ध गैर योजना राजस्व खर्च	14904.25	15563.19	17963.23	20585.32
छ	चालू राजस्व शेष (ङ-च)	12000.49	12001.21	15682.35	12053.98
ज	विविध पूंजी प्राप्तियां (1-2)	-777.86	-1169.64	-2214.27	-2361.99
1	पूंजी प्राप्तियां	4129.30	227.61	83.42	212.49
2	गैर योजना पूंजी व्यय	4907.16	1397.25	2297.69	2574.48
झ	लघु बचत ऋण	836.50	1764.32	2241.13	1695.53
ज	दिल्ली के स्वयं के संसाधन (प्रारंभिक शेष को छोड़कर) (छ+ज+झ)	12059.13	12595.89	15709.21	11387.52
ट	केंद्रीय योजना सहायता	1075.95	1550.19	1303.27	1706.44
	भारत सरकार से अन्य अनुदान	0.00	470.00	50.00	0.00
	वार्षिक योजना के लिए समग्र संसाधन (प्रारंभिक शेष को छोड़कर) (ज+ट+उ)	13135.08	14616.08	17062.48	13093.96
उ	प्रारंभिक शेष	1985.74	880.64	1517.06	3644.94
ड	प्रारंभिक शेष सहित वार्षिक योजना के लिए समग्र संसाधन (ज+उ)	15120.82	15496.72	18579.54	16738.90
ढ	योजना परिव्यय/व्यय	14240.19	13979.66	14934.60	14103.56
ण	योजना	13927.49	13378.95	14145.70	13204.54
त	के.प्रा.का.	312.70	600.71	788.90	899.02
थ	संसाधन अधिशेष (ड-ढ)	880.63	1517.06	3644.94	2635.34

अध्याय 5

व्यापार और वाणिज्य

व्यापार और वाणिज्य ने कर राजस्व उपलब्ध करा कर और समाज के एक बड़े वर्ग को लाभकारी रोजगार देकर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बड़ा व्यापार और उपभोग केंद्र है। इसने व्यापार के प्रवेशद्वार के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है यानी इसकी आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा कहीं और उत्पादित तथा स्थानीय बिक्री के अलावा अन्य राज्यों को भेजे जाने के लिये लाये गये सामानों के पुनः वितरण से जुड़ा है। अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक तथ्यों तथा बुनियादी ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण दिल्ली ने एक प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा हासिल कर लिया है। यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि दिल्ली में आयातित ईंधन का 49 प्रतिशत, खाद्यान्न का 47 प्रतिशत, लोहा और इस्पात का 44 प्रतिशत तथा फल और सब्जियों की आवक का 78 प्रतिशत देश के अन्य भागों के साथ साथ बाहरी देशों को भी निर्यात किया जाता है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 दस्तावेज यह तथ्य सामने रखता है कि दिल्ली के थोक बाजारों में विशेषकर कपड़ा, वाहनों के कलपुर्जे और मशीनरी, स्टेशनरी, खाने पीने की चीजें तथा लोहा और स्टील सहित लगभग 27 वस्तुओं का व्यापार होता है।

2. गैर कृषि उत्पादों में व्यापार

2.1. गैर कृषि उत्पादों का "विकास के लिये व्यापार" कार्यक्रम (टीडीपी) मजबूत औद्योगिक आधार बनाये रखने में विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने के लिये व्यापार उदारीकरण, उनके आर्थिक ढांचे में विविधता लाने, वैश्विक व्यापार के गतिशील क्षेत्रों में भागीदारी तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन पर ध्यान देता है। इसके लिये अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के निर्यात की पहुंच बढ़ाने, शुल्क, सबसिडी, स्थानीय विषय और निष्पादनगत आवश्यकताओं, निर्यात करों और नियमों के उपयोग की क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान देता है। मूल्य संवर्द्धित कर, जनगणना से प्राप्त कार्यबल डेटा और राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुमान इस क्षेत्र के सापेक्षिक महत्व का सार्थक आकलन उपलब्ध कराते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमान) के दौरान दिल्ली में व्यापार, होटल और रेस्त्रां से प्रचलित मूल्य पर 79263 करोड़ रुपये की आय हुई, जो दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धित (आधार वर्ष 2011-12) का लगभग 11.18 प्रतिशत है। पिछले 10 वर्ष के दौरान भी दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धित में इस क्षेत्र का योगदान 11 प्रतिशत से अधिक रहा है। दिल्ली में दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या और प्राप्तियों की जानकारी विवरणी 5.1 में दी गयी है।

2.2 विवरण 5.1 से देखा जा सकता है कि 2005-06 में पंजीकृत डीलरों की संख्या (स्थानीय अधिनियम के तहत 174264 और केंद्रीय अधिनियम के तहत 159391) से बढ़कर 2019-20 में 946945 (DVAT के तहत 257 और GST के तहत 946688) हो गई। इसी अवधि के दौरान, राजस्व 6424.57 करोड़ रुपये से बढ़कर 33281.89 करोड़ रुपये हो गया।

विवरण 5.1 (ए)

दिल्ली में बिक्री कर अधिनियम/डीएवीटी/जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों की संख्या

वर्ष	पंजीकृत डीलरों की संख्या			
	स्थानीय कानून के तहत	केंद्रीय कानून के तहत	डीवैट	जीएसटी
2005-06	174264	159391	-	-
2006-07	189957	170931	-	-
2007-08	206359	177661	-	-
2008-09	212665	183918	-	-
2009-10	223927	195466	-	-
2010-11	234839	205623	-	-
2011-12	248829	219187	-	-
2012-13	286951	255901	-	-
2013-14	250450	231678	-	-
2014-15	283139	262438	-	-
2015-16	308534	295318	-	-
2016-17	400156	373090	-	-
2017-18	-	-	6803	653041
2018-19	-	-	350	809827
2019-20	-	-	257	946688

विवरण 5.1 (बी)

दिल्ली में बिक्री कर अधिनियम/डीएवीटी/जीएसटी के अंतर्गत प्राप्तियां

क्र सं	वर्ष	कर संग्रहण (सकल)			(करोड़ रु)	
		स्थानीय बिक्री कर	केंद्रीय बिक्री कर	एसजीएसटी	आईजीएसटी	कुल
1.	2005-06	5684.91	939.66	-	-	6624.57
2.	2006-07	6543.46	1058.10	-	-	7601.56
3.	2007-08	7528.89	1215.50	-	-	8744.39
4.	2008-09	8833.44	1125.68	-	-	9959.12
5.	2009-10	10065.41	1892.91	-	-	11958.32
6.	2010-11	11365.88	3071.96	-	-	14437.84
7.	2011-12	12614.82	2150.25	-	-	14765.07
8.	2012-13	14489.26	1727.42	-	-	16216.68
9.	2013-14	16499.72	1748.68	-	-	18248.4
10.	2014-15	16596.65	1983.68	-	-	18580.33
11.	2015-16	18418.35	4654.16	-	-	23072.51
12.	2016-17	19718.33	2943.62	-	-	22661.95
13.	2017-18	11135.18	1802.51*	8121.65**	5659.95	26719.29
14.	2018-19	6157.10	182.10	15052.16\$	8608.28	29999.64
15.	2019-20	5810.58@	149.83	19424.70\$\$	7896.78	33281.89

स्रोत- दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका । टिप्पणी - '690.53 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त

**157.00 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त \$ 4182.00 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त

\$\$ 7436.00 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त, तथा मनोरंजन और केबल, लॉटरी, बाजी, जुआ, विलासिता कर से प्राप्त 14.19 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

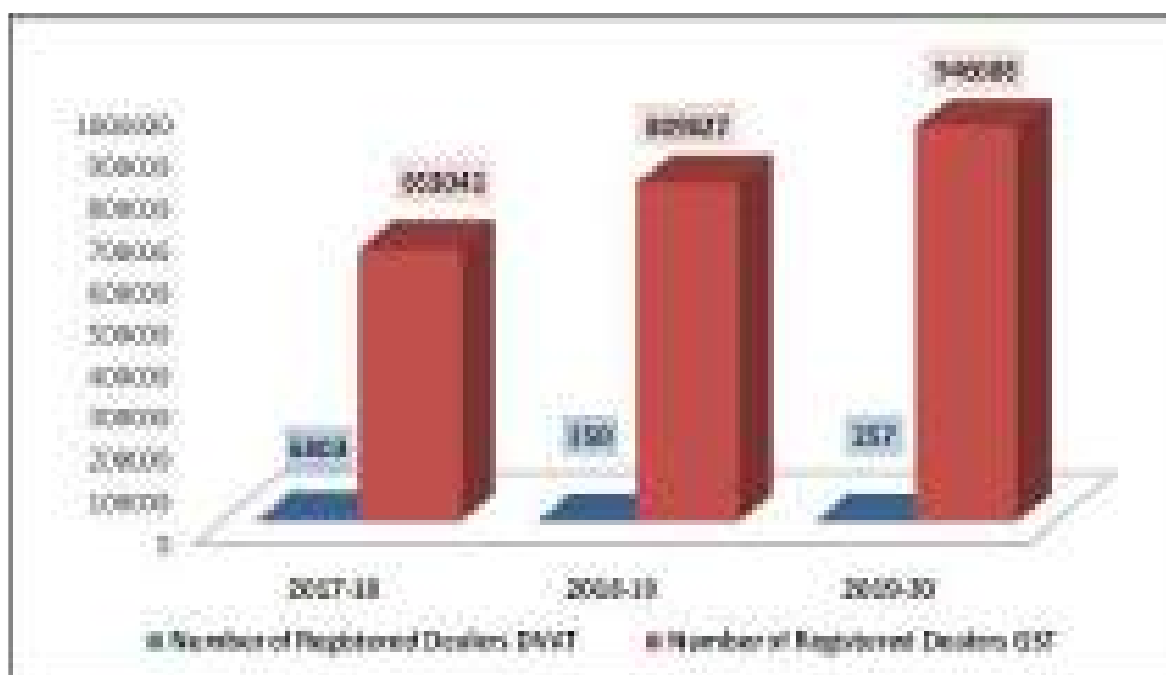
चार्ट 5.1 (ए)

दिल्ली में 2005-06 से 2016-17 तक बिक्री कर अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या



चार्ट 5.1 (बी)

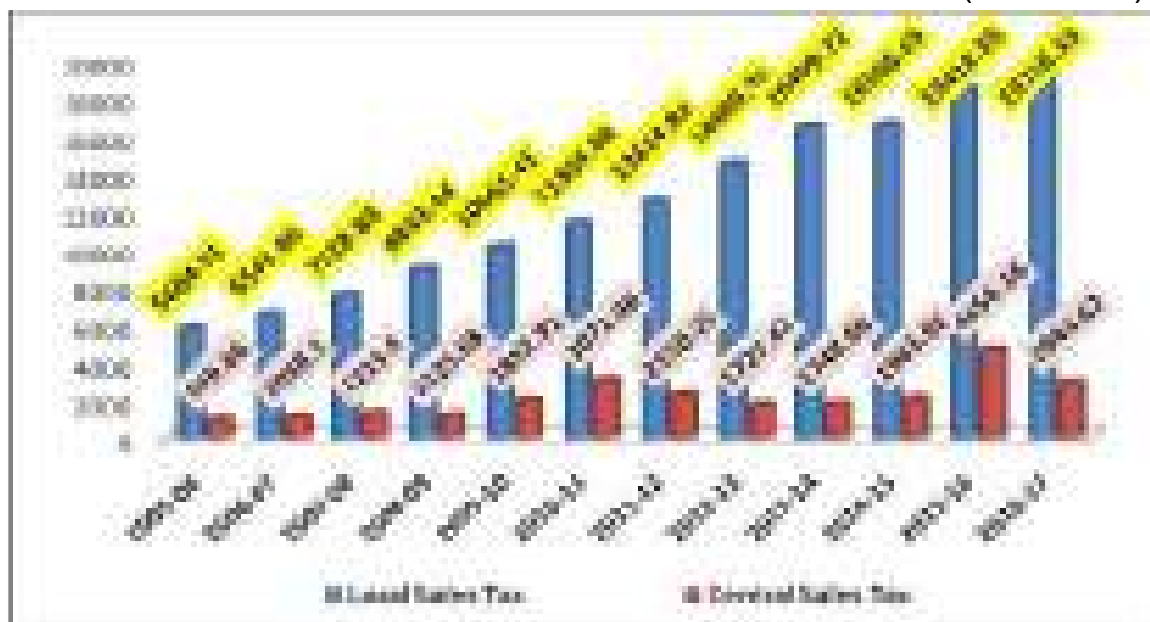
दिल्ली में 2017-18 से 2019-20 तक डीवीएटी/जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या



चार्ट 5.2 (ए)

2005-06 से 2019-20 तक प्राप्तियां (स्थानीय और केंद्रीय बिक्री कर)

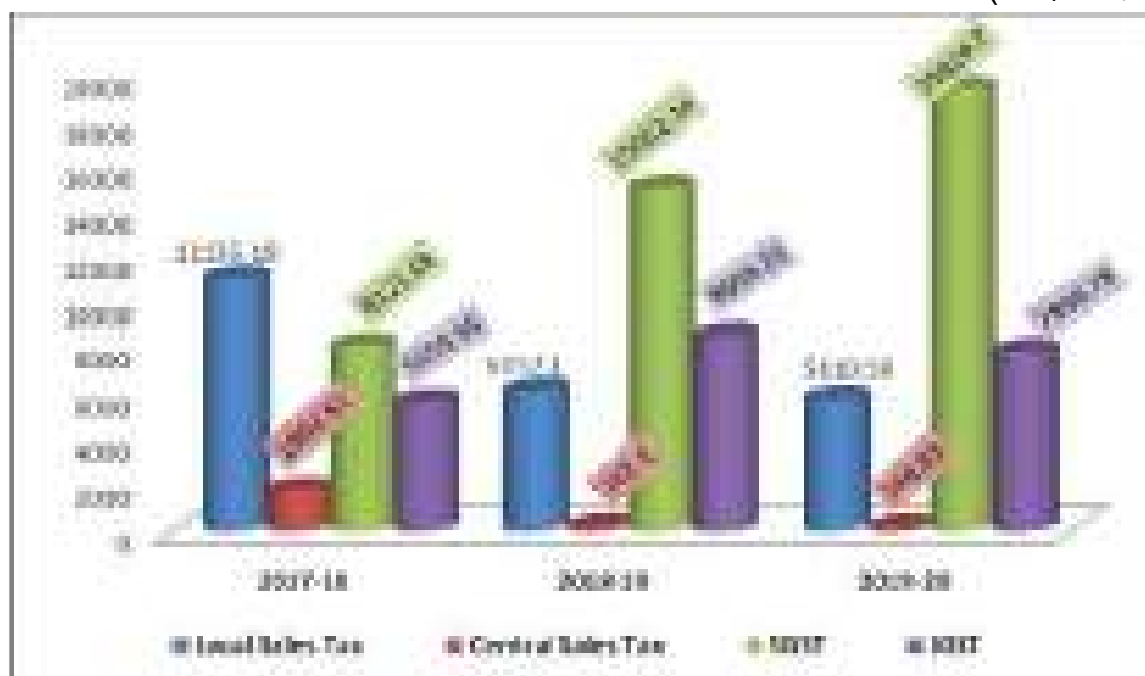
(करोड़ रुपए में)



चार्ट 5.2 (बी)

2017-18 से 2019-20 तक प्राप्तियां (स्थानीय, बिक्री कर, एसजीएसटी, जीएसटी)

(करोड़ रुपए में)



3. आर्थिक गणना

- 3.1. आर्थिक गणना किसी निर्दिष्ट समय में किसी राज्य/देश की भौगोलिक सीमा के भीतर संचालित उद्यम संबंधी समस्त गतिविधियों की संपूर्ण गणना है जिससे उद्यमों की आधिकारिक गणना और उनकी विशेषताओं का पता चलता है। उद्यम गतिविधियों का अर्थ है उन वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन और/या वितरण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां जिनका उत्पादन केवल स्वयं के उपभोग के लिये नहीं किया जा रहा है। उत्पादन और/वितरण और/या सेवाओं से जुड़ी सभी आर्थिक गतिविधियां/ कृषि या गैर कृषि, इसके दायरे में आती हैं, केवल फसल उत्पादन और पौधरोपण, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर। आर्थिक गणना में शामिल गैर कृषि गतिविधियों में खनन और उत्खनन, विनिर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति, मल जल निकासी कचरा प्रबंधन, निर्माण, खुदरा और थोक व्यापार, परिवहन और भंडारण, निवास और भोजन व्यवस्था सेवा, सूचना और संचार, वित्तीय और बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, प्रशासनिक और सहयोग सेवा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य, कला और मनोरंजन इत्यादि।
- 3.2. छठी आर्थिक गणना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना थी, जिसे वर्ष 2013 के दौरान दिल्ली के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय ने कार्यान्वित किया। इसमें दिल्ली की भौगोलिक सीमा में कृषि क्षेत्र की सभी उद्यम गतिविधियां (फसल उत्पादन और पौधरोपण को छोड़कर) और गैर-कृषि गतिविधियां शामिल हैं। वर्ष 2013 में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में संचालित प्रतिष्ठानों की संख्या 8,75,308 थी। इनमें से केवल 1.42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे जबकि शेष 98.58 प्रतिशत शहरी इलाकों में थे। छठी आर्थिक गणना में दिल्ली की वार्षिक वृद्धि दर 1.94 प्रतिशत रही। लेकिन 2005 की आर्थिक गणना के मुकाबले 117565 प्रतिष्ठान इकाइयों की वृद्धि हुई। कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में इकाइयों की संख्या की दृष्टि से 7008 (0.80 प्रतिशत) इकाइयां कृषि क्षेत्र में लगीं जबकि 868300 (99.20 प्रतिशत) गैर-कृषि क्षेत्र में स्थापित की गयीं। कुल प्रतिष्ठानों में से 477498 (54.55 प्रतिशत) स्व स्वामित्व (ओआई) वाले उपक्रम थे जबकि 397810 (45.45 प्रतिशत) में कम से कम एक व्यक्ति (ईएसटीटी-एच) कामगार था। विभिन्न प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों से पता चलता है कि 3019781 लोग 875308 प्रतिष्ठानों में, 3.45 कर्मचारी प्रति प्रतिष्ठान के औसत से नियोजित थे। कुल लोगों में से 27610 (0.91 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित थे जबकि 2992171 (99.08 प्रतिशत) दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। प्रतिष्ठानों के प्रकार की दृष्टि से 19.72 प्रतिशत ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे जिनमें और कोई व्यक्ति पारिश्रमिक पर कामगार नहीं था यानी ये ओआई श्रेणी के प्रतिष्ठान थे और 80.28 प्रतिशत ऐसे में नियोजित थे जिनमें कम से कम एक कामगार पारिश्रमिक पर था। पारिश्रमिक पर कामगार वाले प्रतिष्ठानों में औसतन 6.09 व्यक्ति एक प्रतिष्ठान में नियोजित थे जबकि ओआई प्रतिष्ठानों में यह संख्या 1.25 थी।

विवरण 5.2
प्रतिष्ठानों और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों का प्रकार	प्रतिष्ठानों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	कृषि प्रतिष्ठान (फसल उत्पादन और बागान को छोड़कर)			
(क)	सभी प्रतिष्ठान	1,144	5,864	7,008
	i) स्वयं संचालित प्रतिष्ठान	825	3,560	4,385
	ii) प्रतिष्ठान (दिहाड़ी आधारित)	319	2,304	2,623
(ख)	सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल	2,761	13,763	16,524
	ii) दिहाड़ी आधारित	661	4,995	5,656
	iii) औसत कर्मचारी	2.41	2.35	2.36
II	गैर कृषि प्रतिष्ठान			
(क)	सभी प्रतिष्ठान			
	i) स्वयं संचालित प्रतिष्ठान	11,297	8,57,003	8,68,300
	ii) प्रतिष्ठान (दिहाड़ी आधारित)	8,090	4,65,023	4,73,113
	सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति	3,207	3,91,980	3,95,187
(ख)	सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल			
	ii) दिहाड़ी आधारित	24,849	29,78,408	30,03,257
	iii) औसत कर्मचारी	11,483	19,76,251	19,87,734
		2.20	3.48	3.46
III	कृषि और गैर कृषि प्रतिष्ठान			
(क)	सभी प्रतिष्ठान			
	i) स्वयं संचालित प्रतिष्ठान	1,24,41	8,62,867	8,75,308
	ii) प्रतिष्ठान (दिहाड़ी आधारित)	8,915	4,68,583	4,77,498
		3,526	3,94,284	3,97,810
(ख)	सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल	27,610	29,92,171	30,19,781
	ii) दिहाड़ी आधारित	12,144	19,81,246	19,93,390
	iii) औसत कर्मचारी	2.22	3.47	3.45

स्रोत : छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट

प्रमुख आर्थिक गतिविधि-समूह के आधार पर रोजगार और स्थापना का वितरण विवरण 5.3 में दर्शाया गया है।

विवरण 5.3

प्रमुख आर्थिक गतिविधि समूहवार प्रतिष्ठानों और रोजगार का वितरण

प्रमुख आर्थिक गतिविधि समूह	प्रतिष्ठान			रोजगार		
	स्वचालित प्रतिष्ठान	दिहाड़ी चालित प्रतिष्ठान	कुल	स्वचालित प्रतिष्ठान	दिहाड़ी चालित प्रतिष्ठान	कुल
कृषि गतिविधियां						
फसल उत्पादन और बागान से भिन्न कृषि संबंधी गतिविधियां	115	120	235	162	588	750
पशुधन	4,202	2,423	6,625	7,409	7,797	15,206
वानिकी और काष्ठ	35	65	100	42	435	477
मत्स्य उद्योग और जलजीव पालन	33	15	48	47	44	91
उप-जोड़ (1)	4,385	2,623	7,008	7,660	8,864	16,524
गैर-कृषि गतिविधियां						
खनन और उत्खनन	-	-	-	-	-	-
विनिर्माण	58,318	97,632	1,55,950	86,397	916,616	1,003,013
विद्युत गैस स्टीम और एयरकंडिशनिंग आपूर्ति	383	927	1,310	475	15,836	16,311
जलापूर्ति, सीवरज, कचरा प्रबंधन और सुधार गतिविधियां	1,106	725	1,831	1,496	5,807	7,303
निर्माण	21,972	3,124	25,096	24,413	17,608	42,021
थोक बिक्री व्यापार, खुदरा व्यापार और मोटर वाहन एवं मोटर साइकिल मरम्मत	7,536	19,864	27,400	9,882	89,462	99,344
थोक बिक्री व्यापार (जो उपरोक्त में कवर न किया गया हो)	10,344	21,114	31,458	13,311	96,323	109,634
खुदरा व्यापार (जो ऊपर कवर न किया गया हो)	1,95,779	1,16,051	3,11,830	240,456	407,043	647,499
परिवहन और भंडारण	53,148	19,424	72,572	56,618	122,384	179,002
आवास और खाद्य सेवा गतिविधियां	28,312	19,739	48,051	35,236	106,481	141,717
सूचना और संचार	5,524	5,433	10,957	6,643	47,524	54,167
वित्तीय और बीमा गतिविधियां	2,542	6,507	9,049	2,964	59,449	62,413
भू संपदा गतिविधियां	13,804	9,327	23,131	16,550	29,502	46,052
व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियां	5,708	13,132	18,840	6,802	90,377	97,179
प्रशासनिक और सहायता सेवा गतिविधियां	4,882	10,110	14,992	6,886	67,567	74,453
शिक्षा	15,037	11,791	26,828	18,340	122,846	141,186
मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य गतिविधियां	5,520	10,919	16,439	6,625	111,627	118,252
कला, मनोरंजन, खेल और मनोविनोद एवं मनोरंजन	1,807	1,206	3,013	2,403	9,583	11,986
अन्य सेवा गतिविधियां जो अन्यत्र वर्गीकृत न की गई हों	41,391	28,162	69,553	52,280	99,445	151,725
उप-जोड़ (2)	4,73,113	3,95,187	8,68,300	587,777	2,415,480	3,003,257
कुल (एसटी) (1)+(एसटी) (2)	4,77,498	3,97,810	8,75,308	5,95,437	24,24,344	30,19,781

स्रोत : छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2020-21

दिल्ली में असंगठित क्षेत्र की भूमिका

3.2. व्यापारिक क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय ने 1997 में भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रायोजित 53वें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण दौर (राज्य प्रतिदर्श) के तहत दिल्ली में असंगठित व्यापारिक गतिविधियों का सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण में दो प्रकार के उद्यमों को शामिल किया गया, स्व संचालित व्यापारिक उद्यम— यानी परिवार के सदस्यों द्वारा बिना बाहरी श्रमिक लगाए चलाये जा रहे उद्यम और, नॉन डायरेक्टरी उद्यम, यानी ऐसे उद्यम जिनमें कम से कम एक श्रमिक नियमित आधार पर बाहर से लिया गया था, लेकिन परिवार के सदस्यों सहित 6 से अधिक कामगार कार्यरत नहीं थे। सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि दिल्ली में असंगठित व्यापारिक उद्यमों की कुल संख्या 1.99 लाख थी और उनमें 3.18 लाख व्यक्ति नियोजित थे। दिल्ली की अर्थ व्यवस्था में इस क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धित योगदान 1.01 लाख प्रति उद्यम प्रति वर्ष मापा गया। 1997 के बाद इस सेक्टर में इस संदर्भ में कोई प्रतिदर्श सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

3.3. विनिर्माण क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय ने वर्ष 2005–06 के बीच, भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रायोजित 62वें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण दौर (राज्य प्रतिदर्श) के तहत दिल्ली में असंगठित विनिर्माण उद्यमों का सर्वे कराया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2005–06 में असंगठित विनिर्माण उद्यमों की संख्या 1.01 लाख थी और इनमें से 15040 (15 प्रतिशत) उद्यम स्वसंचालित— ओआई (यानी ऐसे उद्यम जिनमें बाहर से कोई दिहाड़ी कामगार नहीं लगाया गया था) थे और 85700 (85 प्रतिशत) ऐसे प्रतिष्ठान थे, जिनमें कम से कम एक दिहाड़ी कामगार था। असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में कुल 4.82 लाख कर्मचारी नियोजित थे। असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन प्रति वर्ष प्रति उद्यम 3.26 लाख रुपये मूल्य का हुआ। इस क्षेत्र में प्रति श्रमिक प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन करीब 0.68 लाख रुपये रहा। ओआई क्षेत्र में प्रति श्रमिक प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन 0.81 लाख रुपये और प्रतिष्ठानों में 3.69 लाख रुपये रहा।

3.4. सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय ने जुलाई 2006 और जून 2007 के बीच 63वें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण दौर (राज्य प्रतिदर्श) के अंतर्गत असंगठित सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में सर्वेक्षण कराया। इस क्षेत्र में कुल उद्यमों की संख्या 239447 थी और इनमें से 147281 (51.51 प्रतिशत) स्व-संचालित उद्यम (यानी ऐसे उद्यम जिनमें बाहर से कोई कामगार नहीं था) था और 92166 (38.49 प्रतिशत) ऐसे थे, जिनमें कम से कम एक कामगार बाहर से लगाया गया था। असंगठित सेवा क्षेत्र में कुल 6.44 लाख कर्मचारी नियोजित थे। असंगठित सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन प्रति उद्यम 2.87 लाख रुपये मूल्य का हुआ। इस क्षेत्र में प्रति कामगार प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन करीब 106895 रुपये रहा। ओआई उद्यमों में प्रति श्रमिक प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन 70372 रुपये और प्रतिष्ठानों में 119996 रुपये रहा।

3.5. गैर-निगमित, गैर-कृषि उद्यमों (विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र) का सर्वेक्षण

गैर-निगमित गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों (विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र) के लिए जुलाई 2015 से जून 2016 तक कराए गये 73वें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे उद्यमों की संख्या 810722 थी। क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

प्रमुख गतिविधि श्रेणी	उद्यमों की संख्या								
	ग्रामीण			शहरी			शहरी+ग्रामीण		
	ओएई	स्था.	सभी	ओएई	स्था.	सभी	ओएई	स्था.	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विनिर्माण	2950	160	3110	45154	69854	115008	48104	70014	118118
व्यापार	5553	2314	7867	214565	208132	422697	220118	210446	430564
अन्य सेवाएं	7599	3052	10651	160512	90877	251389	168111	93929	262040
कुल	16102	5526	21628	420231	368863	789094	436333	374389	810722
कुल का प्रतिशत	1.98	0.6	2.6	51.8	45.44	97.33	53.82	46.17	100

इन उद्यमों में आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19.60 लाख थी। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

प्रमुख गतिविधि श्रेणी	उद्यमों की संख्या								
	ग्रामीण						ग्रामीण		
	ओएई		ओएई		ओएई		ओएई		ओएई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विनिर्माण	2957	1449	4405	60817	357028	417846	63774	358477	422251
व्यापार	5744	5783	11527	280090	664567	944657	285834	670350	956184
अन्य सेवाएं	7906	7191	15098	194957	371679	566636	202863	378870	581734
कुल	16607	14423	31030	535865	1393274	1929139	552471	1407697	1960169

सर्वेक्षण के अनुसार आय और उत्पाद दृष्टिकोण पर आधारित क्षेत्रवार मासिक, प्रति उद्यम और प्रति श्रमिक सकल मूल्य सवर्धन (जीवीए) (रुपये में) नीचे दिया गया है :

गतिविधि	घटक आय दृष्टिकोण		उत्पाद दृष्टिकोण	
	जीवीए/उद्यम	जीवीए/श्रमिक	जीवीए/उद्यम	जीवीए/श्रमिक
विनिर्माण	672626	188156	677522	189526
व्यापार	626532	271405	632173	273848
अन्य सेवाएं	480529	216411	484457	218180
सभी	573438	237151	578303	239163

4. कृषि उत्पादों का विपणन

4.1. आधुनिक विपणन व्यवस्था के अंतर्गत कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले एक हाथ से दूसरे हाथ तक यानी हस्तांतरण या विनिमय की समूची श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि विपणन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जो बिक्री योग्य कृषि उत्पाद पैदा करने के निर्णय से आरंभ होती है और उसमें प्रणाली की विपणन व्यवस्था के सभी पक्ष, कार्यात्मक और संस्थागत, दोनों शामिल होते हैं। ये तकनीकी और आर्थिक कसौटी पर आधारित होते हैं और उनमें फसल बुआई से पहले और कटाई बाद के तमाम कार्य जैसे फसल समेटना, उसकी ग्रेडिंग करना, भंडारण, ढुलाई और वितरण शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसमें तीन महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल माना है:

- संग्रहण या असेम्बलिंग (संकेंद्रण)
- उपभोग के लिए तैयार करना (प्रोसेसिंग) और
- वितरण

4.2. दिल्ली में कृषि उपज का विपणन, विनियमित बाजारों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए कृषि उपज विपणन (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) नाम के शीर्ष संगठन की स्थापना 1977 में की गयी थी। 1998 में इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम लाया गया। बोर्ड विभिन्न कृषि उपज मंडियों की देख-रेख और उन पर नियंत्रण का काम करता है तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के जरिए कृषि उपज के बेहतर विपणन को प्रोत्साहित करता है। इस समय दिल्ली में 7 प्रमुख थोक मंडियां काम कर रही हैं। ये हैं:

1. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), (एमएनआई) आजादपुर
2. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), नरेला
3. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), नजफगढ़
4. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर
5. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा
6. एफपी एंड ईएमसी, गाजीपुर
7. फूल बाजार, महरौली

5. दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी)

5.1 डीएएमबी की स्थापना 1977 में दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (नियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी थी। बाद में इसका स्थान दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (नियमन) अधिनियम, 1998 ने ले लिया। यह अधिनियम कृषि उपज के क्रय-विक्रय और भंडारण तथा प्रसंस्करण के बेहतर नियमनय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कृषि-उपज मंडियों और उनसे जुड़े बाजारों की स्थापना या प्रासंगिक गतिविधियों के लिए की गयी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कृषि उत्पादों की व्यापारिक गतिविधि को नियमित करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचे की व्यवस्था की गयी है। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड इस संगठनात्मक व्यवस्था में शीर्षस्थ निकाय है और इसके प्रमुख कार्यों में संबद्ध क्षेत्रों के लिए मंडियों में सामान्य सुधारों की व्यवस्था करना और कृ

षि उपज के लिए ग्रेडिंग एवं मानकीकरण सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) की वित्तीय स्थिति मजबूत है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। डीएएमबी की पिछले 9 वर्षों की आय और व्यय संबंधी ब्यौरा विवरण 5.4 में दिया गया है।

विवरण 5.4

2011-12 से 2019-20 के दौरान दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

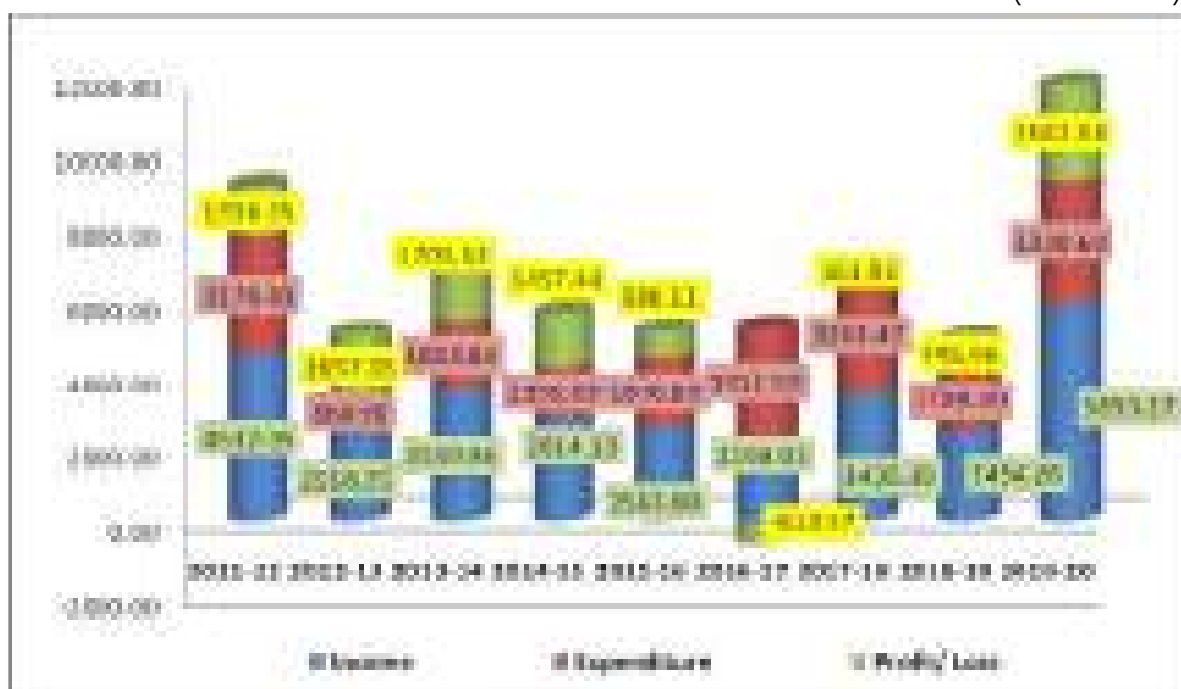
क्र.सं.	शीर्ष	वर्ष								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आय	4532.95	2518.25	3559.46	2814.13	2563	2298.02	3425.39	2454.26	5893.27
2	व्यय	3176.6	860.9	1853.84	1356.69	1876.89	2911.59	3263.47	1708.30	3330.69
3	लाभ/हानि	1356.35	1657.35	1705.62	1457.44	686.11	(-613.57)	161.92	745.96	2562.58

5.2 विवरण 5.4 से पता चलता है कि पिछले 9 वर्षों में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। वर्ष 2019-20 में डीएएमबी की आय बढ़कर 58,93 करोड़ रुपये हो गयी जबकि इसके पिछले वर्ष यह 24.54 लाख थी। इसी प्रकार लाभ में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई और यह 2019-20 में 25.63 करोड़ रुपये हो गया जबकि इससे पिछले वर्ष लाभ केवल 7.45 करोड़ रुपये था। उपर्युक्त वित्तीय विवरणी बाजार की मजबूत स्थिति दर्शाता है।

चार्ट 5.3

2011-12 से 2019-20 के दौरान डीएएमबी की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



6. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), (एमएनआई) आजादपुर (राष्ट्रीय महत्व का बाजार)

- 6.1 कृषि उपज विपणन समिति के अंतर्गत आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी एशिया में फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी है। यह विश्व की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। आजादपुर मंडी सेब, केला, संतरा, और आम जैसे फलों और आलू, प्याज, लहसुन, तथा अदरक जैसी सब्जियों के राष्ट्रीय वितरण केन्द्र के रूप में काम करती है। समिति किसानों के लिए उत्पादक शेड भी उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपनी उपज वहां लाकर सीधे खरीददारों को बेच सकें और इस तरह बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त किया जा सके। पिछले नौ वर्षों के दौरान इस मंडी की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरण 5.5 में दी गई है:

विवरण 5.5

2011-12 से 2019-20 की अवधि में आजादपुर एपीएमसी की वित्तीय स्थिति

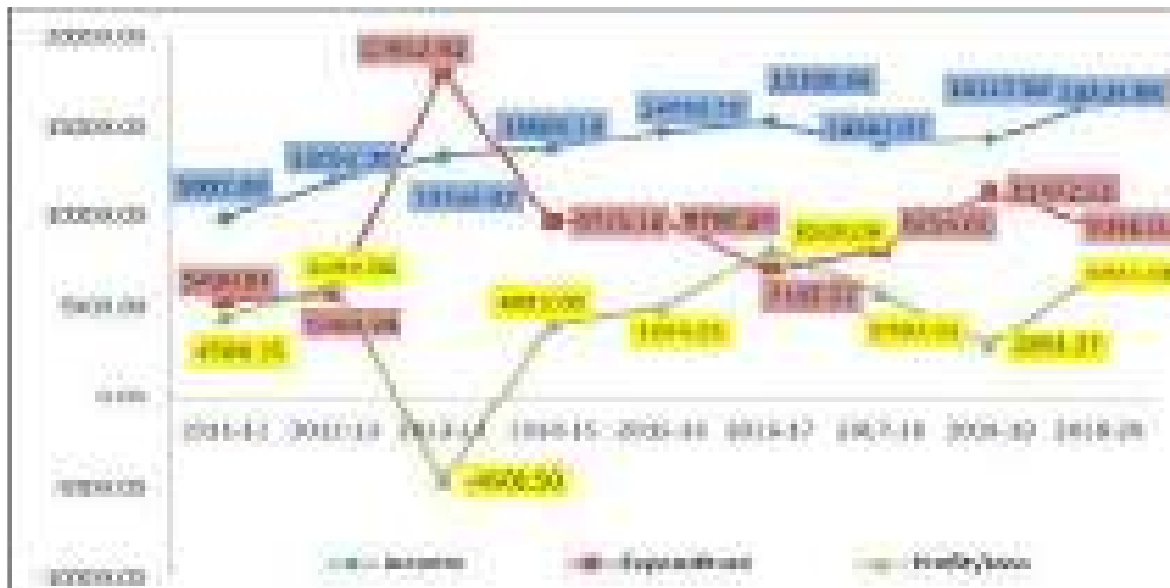
(लाख रुपये में)

क्र. स.	शीर्ष	वर्ष								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I	आय	9907.09	12052.3	13344.42	13805.1	14793.79	15308.66	14041.02	14326.88	16317.68
II	व्यय	5400.94	5760.24	17952.92	9713.16	9799.24	7103.57	8256.61	11472.61	9396.013
III	लाभ/हानि	4506.15	6292.06	(-4608.5)	4092.05	4994.55	8205.09	5784.41	2854.27	6921.663
IV.	आवक (लाख टन में)									
क.	फल	21.24	21.67	21.78	21.4	22.5	20.74	23.16	21.50	20.62
ख	सब्जियां	23.78	24.51	24.07	25.16	23.8	22.23	25.85	26.14	24.35
ग	कुल	45.03	46.18	45.85	46.56	46.3	42.97	49.01	47.64	44.97

- 6.2 विवरण 5.5 से पता चलता है कि उपरोक्त सभी अवधियों में मंडी की वित्तीय स्थिति सशक्त रही है। मंडी का मुनाफा 2018-19 के 28.54 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 69.22 करोड़ रुपये हो गया। हांला कि 2020 में मंडी में आवक में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी आई। यह बाजार वित्तीय दृष्टि से रा.रा.रा.क्षे. दिल्ली की सबसे सशक्त बाजार समिति के रूप में उभरा है। एपीएमसी, आजादपुर (राष्ट्रीय महत्व के बाजार) की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.4 में दर्शाई गयी है।

चार्ट 5.4

वर्ष 2011-12 से 2019-20 के दौरान एपीएमसी, (एमएनआई)आजादपुर की वित्तीयस्थिति
(लाख रुपये)



7. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), नरेला

7.1 लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैले एपीएमसी, नरेला के खाद्यान बाजार की स्थापना 1959 में की गयी और यह दिल्ली में अनाज की सबसे बड़ी विनियमित मंडी है। मंडी के अधिसूचित जिंसों में धान, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार, गुड़, चीनी, खाडसारी आदि शामिल हैं। इस मंडी में आवक मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से होती है। एपीएमसी नरेला का अधिसूचित बाजार क्षेत्र एपीएमसी-शाहदरा और एपीएमसी-नजफगढ़ के बाजार क्षेत्र को छोड़ कर रा.रा.क्षेत्र दिल्ली के सारे इलाके को कवर करता है। एपीएमसी नरेला में अनाज की आवक और पिछले नौ वर्षों के दौरान मंडी की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरणी 5.6 में दी गयी है।

विवरण 5.6

2011-12 से 2019-20 के दौरान एपीएमसी नरेला की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

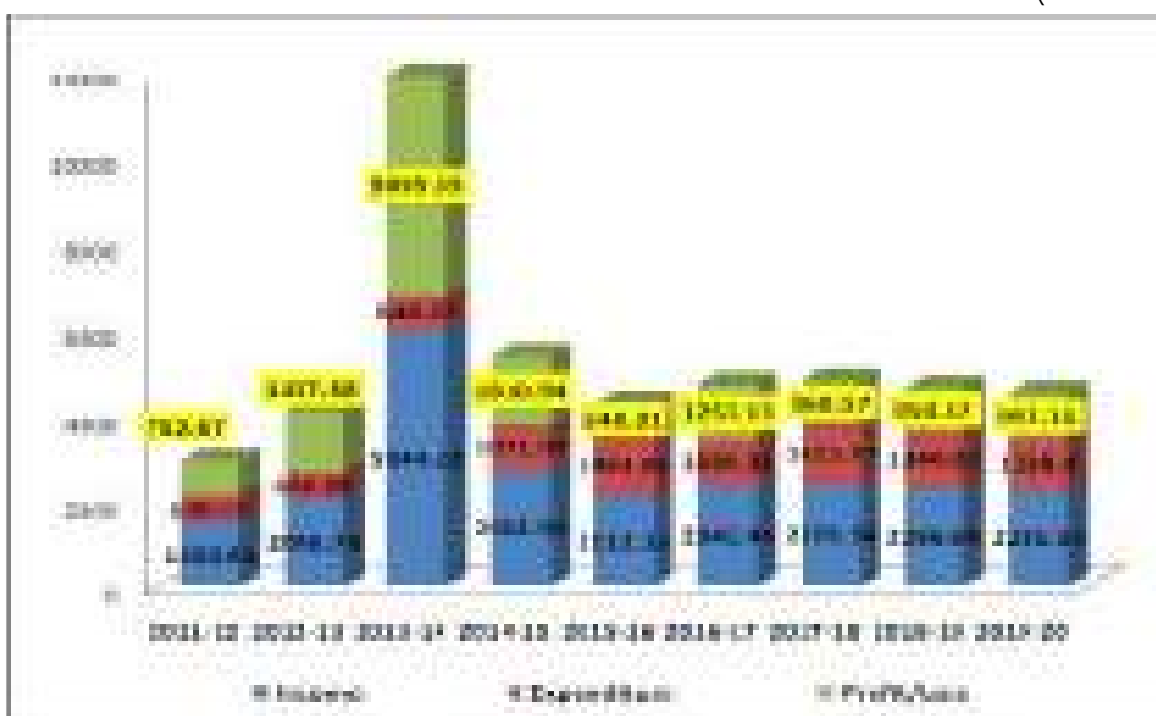
क्र. स.	शीर्ष	वर्ष								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आय	1450.84	2046.76	5944.22	2682.91	2112.16	2342.44	2376.34	2296.59	2235.55
2	व्यय	698.17	608.88	848.67	1071.97	1463.85	1089.31	1415.77	1346.02	1238.40
3	लाभ/हानि	752.67	1437.88	5095.55	1610.94	648.31	1253.13	960.57	950.57	997.15
4	अनाज की आवक (लाख टन में)	लागू नहीं	4.56	4.46	6.03	6.48	5.31	6.16	5.42	-

- 7.2 विवरण 5.6 से अनुमान लगाया जा सकता है कि एपीएमसी, नरेला की आय 2011–12 में 14.51 करोड़ रुपये की तुलना में 2019–20 में बढ़कर 22.36 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इससे एपीएमसी नरेला की मजबूत वित्तीय स्थिति का पता चलता है। 2011–19 के दौरान एपीएमसी, नरेला की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.5 में दर्शाई गयी है।

चार्ट 5.5

2011–12 से 2019–20 के दौरान एपीएमसी, नरेला की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



8. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), नजफगढ़

- 8.1 करीब 12 एकड़ में बाजार क्षेत्र के साथ एपीएमसी, नजफगढ़ की स्थापना भी 1959 में की गयी। इसमें धान, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, गुड़, चीनी, खांडसारी जैसे कृषि जिनसों का विपणन होता है। मंडी की कुल आवक में सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा से आने वाली जिनसों का होता है, जिसकी भागीदारी 95 प्रतिशत है और बाकी 5 प्रतिशत जिनस दिल्ली से आते हैं। पिछले नौ वर्षों में एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति और अनाज की आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.7 में दी गई है।

विवरण 5.7
2011-12 से 2019-20 की अवधि में एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

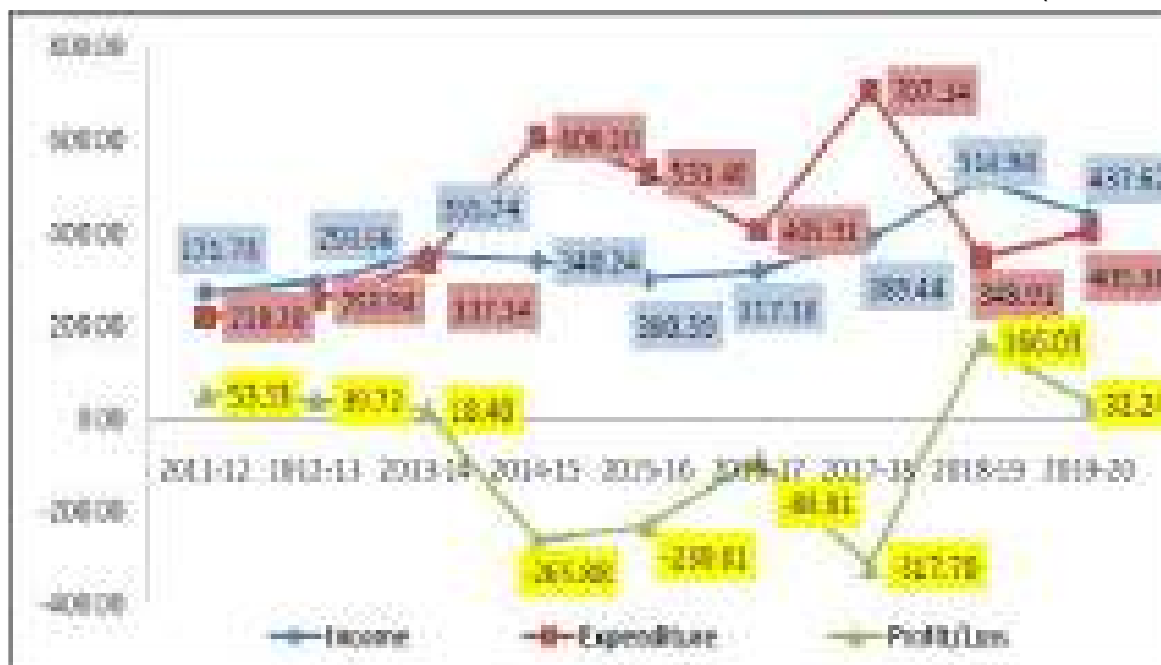
क्र.स.	शीर्ष	वर्ष								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आय	271.73	293.66	355.74	340.24	300.59	317.1	389.44	514.94	437.62
2	व्यय	218.2	253.94	337.34	606.12*	531.4	405.91	707.14	348.91	405.38
3	लाभ/हानि	53.53	39.72	18.4	(-265.88)	(-230.81)	-88.81	(-317.70)	166.03	32.24
4	अनाज की आवक (लाख टन में)	1.09	0.73	0.71	1	1.2	0.99	1.03	1.24	1.38

*खर्च में बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में सेवानिवृत्ति पर किये गए भुगतानों में भारी बढ़ोतरी के कारण हुई।

- 8.2 विवरण 5.7 से पता चलता है कि एपीएमसी, नजफगढ़ में अनाज की आवक 2017-18 के 1.03 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 1.38 लाख टन हो गई। 2011-12 से 2019-20 के दौरान एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.6 में दर्शायी गई है।

चार्ट 5.6
2011-12 से 2019-20 के दौरान एपीएमसी, नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



9. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा

- 9.1 कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा को फल और सब्जीमंडी गाजीपुर का नया नाम दिया गया है। 37.03 एकड़ क्षेत्र के साथ कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा, गाजीपुर से कार्य करती है। इसमें फल एवं सब्जियां, चारा, अनाज, चीनी एवं खांडसारी जैसे जिनसों का व्यापार होता है। पिछले नौ वर्षों में मंडी की आय एवं व्यय तथा आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.8 में दी गई है।

विवरण 5.8

2011-12 से 2019-20 की अवधि में एपीएमसी शाहदरा की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

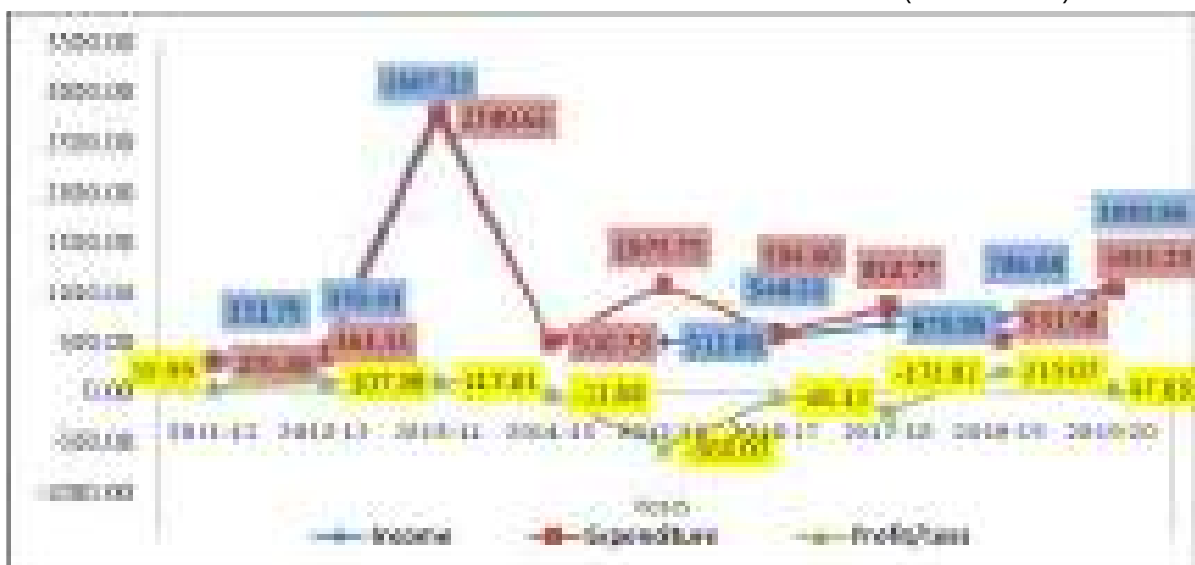
क्र. स.	विवरण	वर्ष								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आय	351.79	470.43	2867.23	499.05	511.68	548.53	679.95	746.65	1080.86
2	व्यय	295.8	363.35	2749.62	510.73	1079.75	594.66	852.77	531.58	1033.23
3	लाभ/हानि	55.99	107.08	117.61	(-11.68)	(-568.07)	(-46.13)	(-172.82)	215.07	47.63
4	फल और सब्जियों की आवक (लाख टन में)	2.94	3.34	3.01	2.57	2.57	3.79	-	-	2.19

- 9.2 विवरण 5.8 से अनुमान लगाया जा सकता है कि 2019-20 के दौरान एपीएमसी, शाहदरा की आय में पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ व्यय भी पिछले वर्ष से बढ़ा है। शाहदरा कृषि उत्पाद विपणन समिति की वित्तीय स्थिति की जानकारी चार्ट 5.7 में दी गई है।

चार्ट 5.7

2011-12 से 2019-20 के दौरान एपीएमसी, शाहदरा की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



10. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर

- 10.1 2001 में स्थापित केशोपुर कृषि उत्पाद विपणन समिति का बाजार क्षेत्र 15.58 एकड़ में फैला है। इसमें 244 दुकाने हैं जो फल एवं सब्जियों का विपणन करती हैं। पिछले नौ वर्षों के दौरान कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरणी 5.9 में दी गई है।

विवरण 5.9

2011-12 से 2019-20 के दौरान एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र. स.	शीर्ष	वर्ष								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आय	594.96	735.66	1646.69	1328.87	936.95	874.68	921.36	955.25	1084.46
2	व्यय	366.8	455.83	455.14	836.46	901.01	550.53	737.81	607.02	613.66
3	लाभ/हानि	228.16	279.83	1191.55	492.41	35.94	324.15	183.55	348.23	470.80
4	फल-सब्जियों की आवक (लाख टन)	3	2.6	2.19	2.41	2.44	3.62	3.28	3.79	3.21

- 10.2 विवरण 5.9 से पता चलता है कि एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति में अध्ययन में शामिल अवधि के दौरान सकारात्मक रुझान रहा है। एपीएमसी केशोपुर की आमदनी और वित्तीय स्थिति का विवरण चार्ट 5.8 में दिया गया है।

चार्ट 5.8

2011-12 से 2019-20 के दौरान एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



11. मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति (एफपी एंड ईएमसी), गाजीपुर

- 11.1 वर्ष 1992 में स्थापित मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाजीपुर का संबंध मछली, पोल्ट्री और अंडों के कारोबार से है। इस समय गाजीपुर मंडी में 88 दुकानें पोल्ट्री उत्पादों के लिये और 196 दुकानें मछली बाजार के लिए बनायी गयी हैं। मछली बाजार 60,000 वर्गमीटर और पोल्ट्री बाजार 15,808 एकड़ में फैला है। पिछले नौ वर्षों में गाजीपुर मंडी में पोल्ट्री तथा अन्य उत्पादों यानी चिकन, अंडे और मछली की आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.10 में दी गयी है।

विवरण 5.10

गाजीपुर में 2011-12 से 2019-20 के दौरान पोल्ट्री उत्पादों और मछली की आवक

क्र.स.	वर्ष	कुल आवक		
		पोल्ट्री	मछली	कुल
1.	2011-2012	55717	23081	78798
2.	2012-2013	59121	24653	83774
3.	2013-2014	55351	43040	98391
4.	2014-2015	86922	58873	145795
5.	2015-2016	109918	56774	166692
6.	2016-2017	108039	54153	162192
7.	2017-2018	105451	55287	160738
8.	2018-2019	91622	55610	147232
9.	2019-2020	90009	55225	145234

- 11.2 विवरण 5.10 से स्पष्ट है कि 2011 से 2016 के दौरान गाजीपुर मंडी में पोल्ट्री उत्पादों की आवक में हर वर्ष बढ़ोतरी हुई है लेकिन 2016-20 के दौरान इसकी आवक में कमी आई है। इसके विपरीत गाजीपुर मंडी में 2011-15 के दौरान मछली की आवक में मामूली बढ़ोतरी हुई लेकिन 2019-20 की अवधि में पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें कमी दर्ज हुई। वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक की अवधि के लिए एफपीएंडईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति विवरणी 5.11 में दर्शायी गई है।

विवरण 5.11

2011-12 से 2019-20 के दौरान एफपीएंडईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)

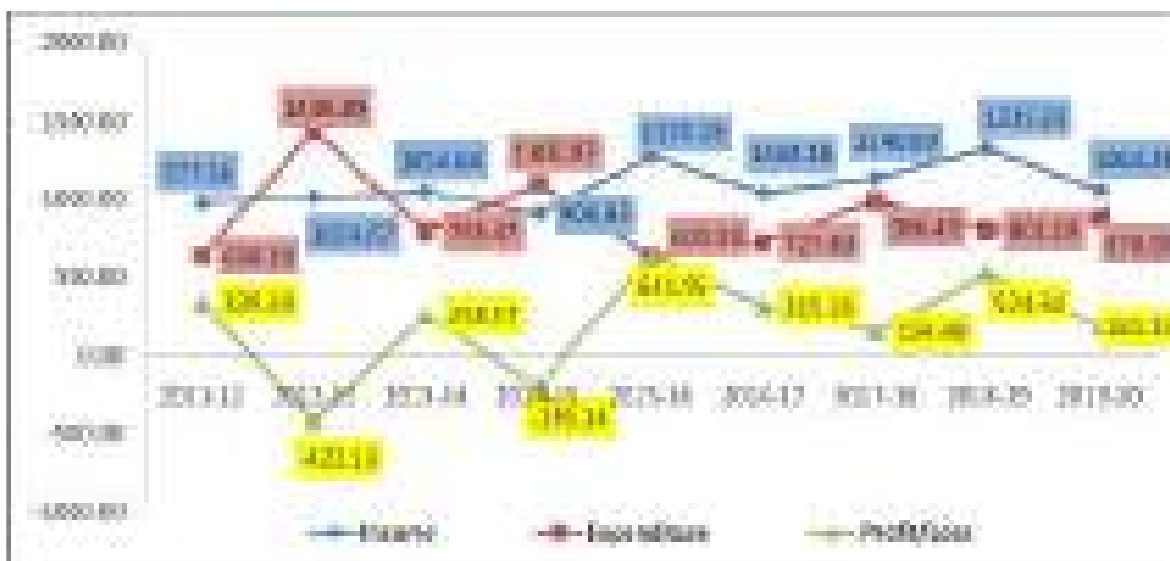
क्र.स.	ब्योरा	वर्ष								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	आय	977.56	1014.67	1054.04	906.83	1275.28	1043.16	1140.89	1325.83	1062.28
2.	व्यय	638.13	1436.8	795.47	1102.97	633.33	727.8	986.49	801.19	879.95
3.	लाभ/हानि	339.43	(-422.13)	258.57	(-196.14)	641.95	315.36	154.40	524.64	182.33

- 11.3 मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाजीपुर की वित्तीय स्थिति के बारे में विवरणी 5.11 से यह बात साफ है कि 2019-20 के दौरान समिति को 182.33 लाख रुपये का मुनाफा हुआ। एफपीईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.9 में दर्शायी गई है।

चार्ट 5.9

2011-12 से 2019-20 के दौरान एफपीईएमसी, गाजीपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



12. फूल विपणन समिति (एफएमसी), महरौली

- 12.1 फूल विपणन समिति ने 1997 से महरौली की अपनी मुख्य मंडी में कार्य करना शुरू किया। इसकी दो उप-मंडियां दिल्ली के फतेहपुरी और कनॉट प्लेस में थीं। महरौली की फूल मंडी को अब फूलों के कारोबार की प्रमुख मंडी घोषित किया गया है। फूलों का व्यापार अभी अस्थाई आधार पर एक स्थान अर्थात् फल और सब्जी मंडी गाजीपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। महरौली स्थित प्रमुख मंडी तथा फतेहपुरी और कनॉटप्लेस की उपमंडियों की अधिसूचना रद्द घोषित कर दी गयी है। गाजीपुर को फूल व्यापार के लिए प्रमुख मंडी घोषित किया गया है। पिछले नौ वर्षों के दौरान इस समिति की आयव्यय की जानकारी विवरणी 5.13 में दी गयी है।

विवरण 5.13

2011-12 से 2019-20 के दौरान फूल मार्केट समिति महरौली की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

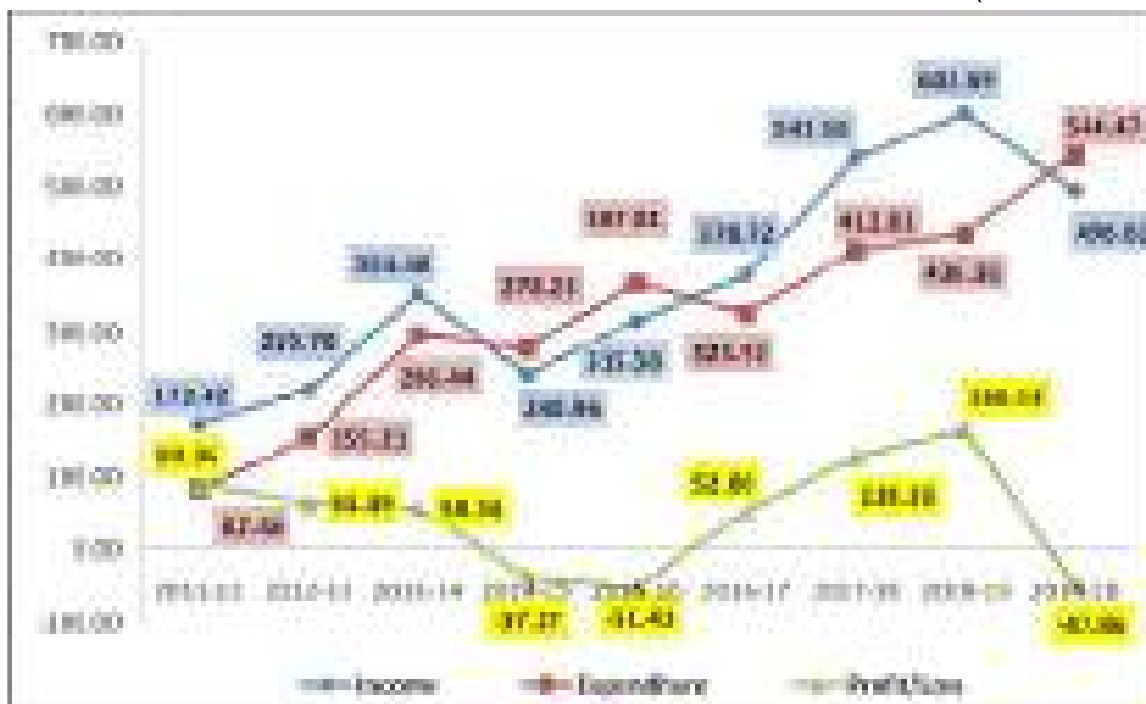
क्र सं	ब्यौरा	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	आय	172.42	219.7	354.48	240.96	315.58	378.72	541.16	602.89	496.61
2.	व्यय	82.46	155.21	296.44	278.23	367.01	325.92	412.81	436.36	544.47
3.	लाभ/हानि	89.96	64.49	58.04	(-37.27)	(-51.43)	52.8	128.35	166.53	(-)47.86

- 12.2 विवरण 5.13 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एफएमसी महारौली की आमदनी 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई जबकि व्यय पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़ गया। आय और व्यय में अचानक गिरावट से वर्ष 2019-20 के दौरान 47.86 लाख रुपये की हानि हुई।

चार्ट 5.11

2011-12 से 2019-20 के दौरान फूल मार्केट समिति महारौली की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



मूल्य प्रवृत्तियां

श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, इसकी स्थापना के बाद से इसे अन्य बातों के अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन, रखरखाव और प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीपीआई-आईडब्ल्यू को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और आईएलओ के दिशानिर्देशों के अनुसार संकलित किया गया है और सीपीआई-आईडब्ल्यू का प्रसार विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) अनुपालन है। यह उक्त महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। सीपीआई-आईडब्ल्यू श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित और जारी किए गए हैं और जनसंख्या क्षेत्रों के लिए विशिष्ट हैं।

- 1.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई-आईडब्ल्यू, एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है, यह एक आधार वर्ष के संदर्भ में किसी दिए गए क्षेत्र में एक औसत कामकाजी वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित सेट के संबंध में समय-समय पर खुदरा कीमतों में सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है।

सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग मुख्य रूप से मंहगाई भत्ते (डीए) के विनियमन और निर्धारण के लिए किया जाता है, जो बड़ी संख्या में केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है और साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों को निर्धारित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए भी दिया जाता है, अतः सरकारी खजाने पर इसका महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सीपीआई आंकड़ों का व्यापक इस्तेमाल मंहगाई के बृहत् आर्थिक संकेतकों के रूप में भी किया जाता है और सरकार एवं केन्द्रीय बैंकों द्वारा मंहगाई और मूल्य स्थिरता नियंत्रण के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है।

- 1.2 सितंबर, 2020 के महीने से लेबर ब्यूरो ने सीपीआई-आईडब्ल्यू (2001=100) की मौजूदा शृंखला के आधार को नए आधार 2016=100 में अपडेट कर दिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं के निर्माण के मुख्य घटक भार और मूल्य हैं। आधार अवधि के दौरान प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक व्यय का हिस्सा भार कहलाते हैं और इंडेक्स बास्केट में रखी गई वस्तुओं के संबंध में आधार मूल्य 2016 के दौरान आइटम स्तर की कीमतों का वार्षिक औसत है।
- 1.3 सीपीआई के संकलन के लिए अपनाए गए मूल्य की परिभाषा वह मूल्य है जो किसी उपभोक्ता/औद्योगिक श्रमिक को निर्दिष्ट इकाई के लिए निर्दिष्ट वस्तु/किस्म के लिए, चयनित बाजार की चयनित दुकान में भुगतान करना होता है। इसमें बिक्री कर, आदि जैसे सभी कर शामिल हैं, और रियायत और छूट शामिल हैं, जो सभी ग्राहकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू हैं। यह खुले बाजार में प्रचलित वास्तविक मूल्य है जिस पर खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन होता है। हालांकि, काला बाजार या अनधिकृत मूल्य सूचकांक संख्याओं के संकलन में नहीं लिए गए हैं। राशन की वस्तुओं के मामले में उचित मूल्य लिया जाता है।
- 1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक निर्दिष्ट अवधि में निर्दिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को इंगित करता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) थोक बिक्री स्तर

पर वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। डब्ल्यूपीआई प्राथमिक पैमाना है जिसका इस्तेमाल महंगाई का पता लगाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में, निर्दिष्ट समयावधि के दौरान निर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। मूल्य सूचकांकों के अनेक संभावित उपयोग होते हैं। सूचकांक का इस्तेमाल मूल्यों में परिवर्तन मापने या रहन-सहन की लागत का आकलन करने में किया जा सकता है।

1.5 कुछ जाने माने मूल्य सूचकांक इस प्रकार हैं :-

1. थोक मूल्य सूचकांक – अखिल भारतीय (डब्ल्यूपीआई)
2. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू)
3. कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल)
4. ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आरएल)

1.6 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी परिवर्तन का असर उत्पादन की मात्रा और उपभोग के पैटर्न, दोनों पर पड़ता है। मूल्यों में बदलाव का प्रभाव आम लोगों के जीवन स्तर और विशेष कर निर्धनों की जीवन स्थितियों पर पड़ता है। इसलिए, मूल्य व्यवहार पर निरंतर निगरानी रखना अत्यंत अनिवार्य है। सांख्यिकीय दृष्टि से मूल्य सूचकांक एक निर्दिष्ट अवधि में मूल्यों में परिवर्तन का आकलन करता है। मूल्य सूचकांकों की गणना थोक बिक्री स्तर और खुदरा बिक्री स्तर पर की जाती है।

2. थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एकमात्र सामान्य सूचकांक है, जो व्यापक तौर पर मूल्यों में उतार चढ़ाव का आकलन करता है और सभी प्रकार के व्यापार और लेनदेन में वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तनों का द्योतक है। इसे आमतौर पर अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर के संकेतक के रूप में समझा जाता है। डब्ल्यूपीआई की मौजूदा शृंखलाएं आधार वर्ष (2011-12=100) की तुलना में एक निश्चित अवधि के भीतर थोक मूल्यों में परिवर्तन दर्शाती हैं। 2015-16 से 2019-20 की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक की वर्षवार तुलना तालिका 6.1 में दी गयी है।

3. थोक मूल्य सूचकांक के संकलन की पद्धति

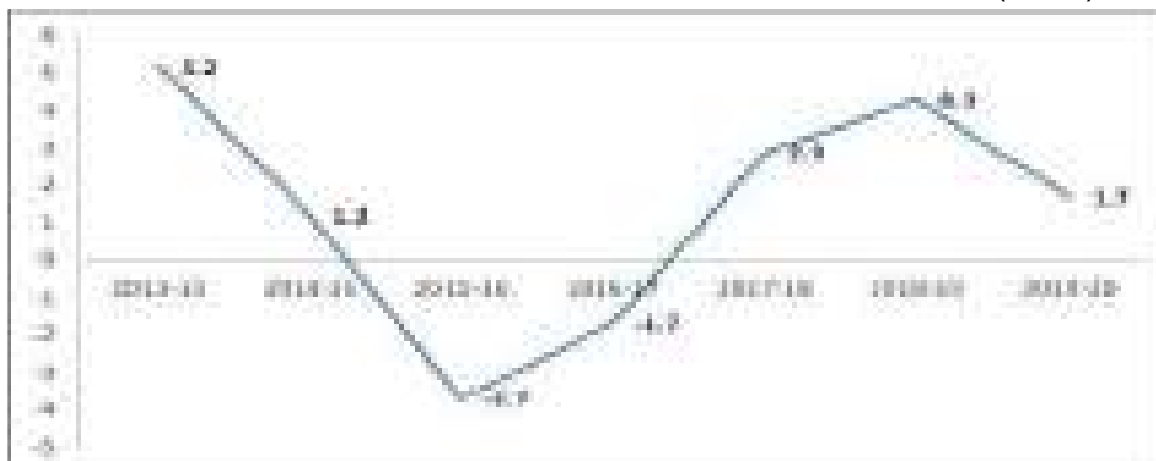
3.1 थोक मूल्य, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर किसी वस्तु के बल्क व्यापार के निर्दिष्ट मूल्य को प्रस्तुत करता है। भारत में 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक की संशोधित (वर्तमान) शृंखला ने अभी तक प्रचलित डब्ल्यूपीआई शृंखला का स्थान ले लिया है, जिसका आधार वर्ष 2004-05 था। मौजूदा शृंखला भारत गणितीय औसत के सिद्धांत पर आकलित की गयी है।

3.2 मूल्य सापेक्षकों की गणना प्रतिशत अनुपातों के रूप में की जाती है, जिसे वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में आधार अवधि में प्रचलित मूल्यों की तुलना में आकलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक किस्म/कोटेशन के लिए मूल्य सापेक्ष की गणना वर्तमान मूल्य को समनुरूप आधार अवधि (2011-12) के मूल्य से विभाजित करते हुए और इस तरह प्राप्त होने वाली संख्या को 100 से गुणा करके की जाती है। वस्तु विशेष के लिए चुनी हुई किस्मों/कोटेशनों के सापेक्ष मूल्य की सामान्य गणितीय औसत के आधार पर वस्तु सूचकांक आसानी से तैयार किया जा सकता है। वस्तुओं के उप समूहों/समूहों/प्रमुख समूहों के लिए संकेतक उनसे संबद्ध शीर्षों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं/उप समूहों/समूहों के संकेतकों की भारत गणितीय औसत के आधार पर तय किए जाते हैं। थोक व्यापार और लेनदेन का प्रतिनिधि होने और साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध होने के कारण

थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल परंपरागत दृष्टि से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए किया जाता है।

4. पिछले 06 वर्षों में मंहगाई की दर संबंधी जानकारी चार्ट 6.1 में दी गयी है।

चार्ट 6.1
भारत में मंहगाई की दर (थोक मूल्य सूचकांक)—2013–14 से 2019–2020
(प्रतिशत)



5. बृहत् आर्थिक एकीकरण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गतिविधियों का प्रभाव विश्व के सभी भागों में पहुंचने लगा है। इसके साथ ही इस एकीकरण की बदौलत वैश्विक बाजारों में विकासशील देशों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करने के अवसर मिलने लगे हैं। इस संदर्भ में मौजूदा दशक में विकासशील देशों का महत्व बढ़ गया है क्योंकि भोजन, ऊर्जा और सामग्री की उनकी बढ़ती मांग के कारण लगता है कि मौजूदा वस्तु बाजार में मूल्य बढ़ रहे हैं।
6. खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी आज देश के समक्ष सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दों में से एक है। मूल्य वृद्धि की कठिनाइयां समूचे भारत में और समाज के सभी वर्गों द्वारा महसूस की जा रही हैं। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में इस बढ़ोत्तरी का लाभ किसान या फसल उगाने वालों को नहीं पहुंच रहा है क्योंकि बाजार में भारी विसंगतियां हैं। मांग-आपूर्ति विसंगतियां और अक्षम आपूर्ति व्यवस्था की वजह से उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच मूल्यों में व्यापक अंतराल पैदा हो रहा है।
7. इसके अतिरिक्त उत्पादन और उत्पादकता में कमी, बाजार में प्रचलित अक्षमताएं—सरकारी खरीद में समन्वित प्रयासों का अभाव, भंडारण सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण वस्तुओं की बर्बादी, आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनसे खाद्य वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा दौर में सरकारी गतिविधियों के अंतर्गत खाद्य उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने आदि उपायों पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2012 से 2019 तक दिल्ली में कुछ आवश्यक वस्तुओं के औसत थोक मूल्यों संबंधी जानकारी विवरण 6.1 में दी गयी है।

विवरण 6.1
दिल्ली में चुनी हुई वस्तुओं के औसत थोक मूल्य –2012–19

(रुपये में)

क्र.स.	वस्तु	यूनिट	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	गेहू (308)	प्रति क्विंटल	1675	1745	1725	1770	1800	1900	2100	1926
2.	चना (ग्रारा)	प्रति क्विंटल	4200	3300	3450	4200	4690	4500	4550	4400
3.	चावल (बासमती)	प्रति क्विंटल	5200	5800	6250	6300	6500	6800	7600	7950
4.	दाल अरहर (धुली हुई)	प्रति क्विंटल	6350	6500	6400	10200	11820	7000	7100	8200
5.	दाल मूंग (छिलका)	प्रति क्विंटल	5400	6300	6550	8425	9050	6800	6950	8000
6.	दाल उड़द (छिलका)	प्रति क्विंटल	4600	4700	5950	10200	11720	6900	6900	8000
7.	सरसों का तेल (कच्ची घानी)	15 कि.ग्रा. टिन	1350	1250	1340	1390	1490	1350	1400	1415
8.	घी (देसी) नम्बर 1	15 कि.ग्रा. टिन	4250	4300	4200	5250	6800	10000	10500	12200
9.	घी (वनस्पति)	15 कि.ग्रा. टिन	1110	1125	1050	1000	1200	1250	1275	1285
10.	केरोसिन ऑयल	प्रति लीटर	14.83	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	हार्ड कोक	प्रति 40 कि.ग्रा.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	मांस	प्रति क्विंटल	23000	26000	25500	22500	34500	28000	32000	40000
13.	अंडे	प्रति 100 संख्या	270	340	400	400	540	400	425	400
14.	मिर्च (लाल)	प्रति क्विंटल	4000	8100	9000	NA	9500	12000	12500	12000
15.	हल्दी	प्रति क्विंटल	5800	7400	8000	9500	9800	9000	9500	10200
16.	चीनी	प्रति क्विंटल	3425	3250	3300	3825	4150	3800	3500	3550
17.	गुड़	प्रति क्विंटल	2700	2850	2900	2900	4000	4200	4400	4300
18.	आलू	प्रति क्विंटल	600	710	750	1675	1800	750	850	650
19.	प्याज (खुष्क)	प्रति क्विंटल	1125	1100	1200	1000	2375	1600	1200	950

स्रोत : कृषि विपणन निदेशालय, साराक्षे दिल्ली सरकार

8. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू)

- 8.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आमतौर पर रोजमर्रा उपभोग की जाने वाली नियत वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार, द्वारा चुने हुए बाजारों, जैसे मोतीनगर, रानीबाग, सब्जी मंडी, शाहदरा, मंगोलपुरी, आजादपुर, गोविन्दपुरी और समयपुर बादली से साप्ताहिक और मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य एकत्र किए जाते हैं। इन मूल्यों को श्रम ब्यूरो, शिमला भेज दिया जाता है, ताकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जा सके। श्रम ब्यूरो, शिमला, दिल्ली सहित भारत में 78 चुने हुए केंद्रों के लिए मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित एवं जारी करता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान शृंखला का संकलन 2001=100 को आधार वर्ष मानकर किया जा रहा है। 1982=100 के आधार वाली पुरानी शृंखला के स्थान पर जनवरी 2006 से 2001=100 के आधार

वाली नई शृंखला अपना ली गयी है। वर्तमान शृंखला में ऊपर वर्णित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े संग्रह करने के लिए दिल्ली में चुने हुए आठ बाजारों को शामिल किया गया है।

- 8.2 अब वर्तमान शृंखला के आधार वर्ष 2001=100 के स्थान पर नया आधार वर्ष 2016=100 अपनाने का प्रस्ताव है। श्रम ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई नई अनुसूचियों में मूल्यों के संकलन की प्रक्रिया एक साथ शुरू कर दी गई है। नई शृंखलाओं के लिए पांच नए बाजार (बवाना, नजफगढ़, तिलक नगर, भजनपुरा/यमुनाविहार और कोटला मुबारकपुर) शामिल किए गए हैं और दो वर्तमान/पुराने बाजारों (रानीबाग और मोतीनगर) को निकाल दिया गया है।
- 8.3 यहां पर यह उल्लेख करना उचित है कि श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिमला ने पत्र संख्या 114/1/2013-सीपीआई दिनांक 03 नवंबर, 2020, के तहत सीपीआई (आईडब्ल्यू) के लिए नए आधार वर्ष 2016=100 को मंजूरी प्रदान की और उसके परिणामस्वरूप नई शृंखला 2016=100 की शुरुआत हुई और मौजूदा शृंखला (पुरानी शृंखला) आधार वर्ष 2001=100 को 03 नवंबर 2020 से बंद कर दिया गया।

विवरण 6.2

दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2001=100)

समूह	मद/उप समूह	भार (प्रतिशत)	2018	2019	प्रतिशत परिवर्तन
1	खाद्य				
क	अनाज और उससे बनी वस्तुएं	8.31	279	298	6.8
ख	दालें और सम्बद्ध उत्पाद	2.99	252	281	11.5
ग	तेल और वसा	2.81	231	234	1.3
घ	मांस, मछली और अंडे	1.85	373	404	8.3
ङ	दूध और उससे बने उत्पाद	11.41	303	310	2.3
च	रुचिकर सामग्री और मसाले	2.39	263	320	21.7
छ	फल और सब्जियां	6.36	285	311	9.1
ज	अन्य खाद्य वस्तुएं	7.63	326	331	1.5
	खाद्य कुल	43.75	293	309	5.5
2	पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्य	2.12	333	341	2.4
3	ईंधन और प्रकाश	5.39	238	220	-7.6
4	आवास	20.72	304	401	31.9
5	वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर	5.68	246	253	2.8
6	विविध				
क	चिकित्सा देखभाल	3.30	240	264	10.0
ख	शिक्षा, मनोरंजन और मनोविनोद	6.30	195	197	1.0
ग	परिवहन और संचार	5.12	206	207	0.5
घ	निजी सामान	4.44	240	246	2.5
ङ	अन्य	3.18	277	283	2.2
	विविध कुल	22.34	225	231	2.7
	सामान्य सूचकांक	100.00	275	303	10.2

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला।

- 8.4 सूचकांक को छह समूहों के लिए अलग से तैयार किया गया है और फिर प्रत्येक समूह को वरीयता प्रदान करके संयुक्त किया गया है। उच्चतम वरीयता 43.75 प्रतिशत खाद्य समूह को दी गई है, इसके बाद विविध वस्तुओं को 22.34 प्रतिशत, आवास 20.72 प्रतिशत, कपड़े, बिस्तर और जूते 5.68 प्रतिशत, ईंधन और प्रकाश 5.39 प्रतिशत और पान, सुपारी, तंबाकू तथा नशीले पदार्थों को 2.12 प्रतिशत वरीयता दी गई। दिल्ली में 2018 और 2019 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जानकारी विवरण 6.2 में प्रस्तुत की गई है।
- 8.5 विवरण 6.2 से पता चलता है कि वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2018 में 275 पर था जो 2019 में बढ़कर 303 पर पहुंच गया, अर्थात् इसमें 28 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी 2018 की तुलना में 2019 के दौरान 10.2 प्रतिशत दर्ज हुई।
- 8.6 खाद्य समूह की वस्तुओं से संबद्ध सूचकांक 2018 में 293 पर था जो 2019 में बढ़कर 309 पर पहुंच गया, अर्थात् इसमें 16 अंकों (5.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्यों से संबद्ध सूचकांक 333 से बढ़कर 341 पर पहुंच गया, अर्थात् इसमें 8 अंकों (2.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। ईंधन और प्रकाश से संबद्ध सूचकांक 2018 में 238 पर था जो 2019 में घटकर 220 पर पहुंच गया। आवास के अंतर्गत भी सूचकांक 304 से बढ़कर 401 हो गया, अर्थात् इसमें 97 अंकों (31.9 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर से संबंधित सूचकांक 246 से बढ़कर 253 पर पहुंच गया अर्थात् इसमें 7 अंकों (2.8 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। विविध समूह के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन, मनो-विनोद, परिवहन, संचार और व्यक्तिगत देखभाल संबंधी विभिन्न वस्तुओं से संबंधित सूचकांक 225 से बढ़कर 231 पर पहुंच गया, जिसमें 6 अंकों (2.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। इस प्रकार सर्वाधिक बढ़ोत्तरी आवास, इसके बाद खाद्य समूह, वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर, विविध क्षेत्र, पान सुपारी, तम्बाकू और मादक पदार्थों में हुई है जबकि ईंधन और प्रकाश में कमी देखने को मिली है।

9. अन्य महानगरों में मूल्य स्थिति

- 9.1 देश में अधिकांश नागरिकों के लिए महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विकास का मतलब है हमारे बच्चों के लिए बेहतर जीवन। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। “प्याज, आलू और गेहूं जैसी कुछ चीजों में मौसमी उतार-चढ़ाव, प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में खराब मौसम, परिवहन संबंधी अड़चनों, दुलाई लागत में बढ़ोत्तरी और इन चीजों के भंडार में कमी की वजह से दामों में वृद्धि को छोड़कर, अधिकतर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा दामों में भारत के सभी महानगरों में स्थिरता का रुझान देखा गया है। 2002-19 के दौरान भारत के महानगरों में औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में जानकारी विवरण 6.3 में दी गयी है।

विवरण 6.3

महानगरों में 2002–2019 के दौरान औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(औसत वार्षिक सूचकांक)

क्र सं	वर्ष	अखिल भारत	प्रतिशत परिवर्तन	दिल्ली	प्रतिशत परिवर्तन	कोलकाता	प्रतिशत परिवर्तन	चेन्नई	प्रतिशत परिवर्तन	मुम्बई	प्रतिशत परिवर्तन
1	2002	477	4.1	550	4.0	530	7.7	513	5.3	558	5.7
2	2003	496	4.0	570	3.6	541	2.1	533	3.9	583	4.5
3	2004	514	3.6	598	4.9	565	4.4	549	3.0	604	3.6
4	2005	536	4.3	648	8.4	587	3.9	565	3.0	611	1.2
5	2005*	116	4.3	116	8.4	115	3.9	114	3.0	118	1.2
6	2006	123	6.0	122	5.2	121	5.2	118	3.4	126	6.8
7	2007	131	6.5	128	4.9	132	9.1	124	5.1	134	6.3
8	2008	142	8.4	137	7.0	142	7.6	135	8.9	144	7.5
9	2009	157	10.6	147	7.3	156	9.9	149	10.4	159	10.4
10	2010	176	12.1	163	10.9	172	10.3	161	8.1	174	9.4
11	2011	192	9.1	176	8.0	185	7.6	171	6.2	192	10.3
12	2012	209	8.9	191	8.5	199	7.6	196	14.6	212	10.4
13	2013	232	11.0	209	9.4	222	11.6	218	11.2	237	11.8
14	2014	247	6.5	223	6.7	239	7.7	230	5.5	257	8.4
15	2015	261	5.7	234	4.9	251	5.0	248	7.8	276	7.4
16	2016	274	5.0	246	5.1	261	4.0	255	2.8	287	4.0
17	2017	281	2.6	257	4.5	266	1.9	261	2.4	289	0.7
18	2018	295	5.0	275	7.0	278	4.5	269	3.1	294	1.7
19	2019	317	7.5	303	10.2	292	5.0	284	5.6	312	6.1

स्रोत : लेबर ब्यूरो शिमला

नोट : आधार वर्ष 2001=100 के अनुसार परिवर्तित आंकड़े

आधार वर्ष 1982=100 को 01.01.2006 से 2001=100 में बदला गया

- 9.2 विवरण 6.3 में यह बात ध्यान देने की है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) अखिल भारतीय स्तर पर 317 के सर्वोच्च स्तर पर रहा। मुम्बई के लिए यह 312 था और उसके बाद दिल्ली के लिए 303, कोलकाता के लिए 292 और चेन्नई के लिए यह 284 था।
- 9.3 2019 के दौरान खाद्य वस्तुओं के दाम पिछले वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर 5.8 प्रतिशत बढ़े; सबसे अधिक बढ़ोतरी मुम्बई में 6.4 प्रतिशत और सबसे कम कोलकाता में 2.9 प्रतिशत रिकार्ड की गयी। 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पर भोजन समूह की वस्तुओं में 328 दर्ज हुआ, जबकि दिल्ली में यह 309 रहा। 2018 और 2019 में महानगरों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए समूहवार मूल्य सूचकांक विवरण 6.2 में दर्शाया गया है।
- 9.4 2008–19 के दौरान दिल्ली और चुने हुए महानगरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चार्ट 6.2 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 6.2

2008-19 में दिल्ली और अन्य महानगरो में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक



10 आधार वर्ष 2016 = 100 के साथ सीपीआई (आईडब्ल्यू) की नई शृंखला

विवरण 6.4 से देखा जा सकता है कि नए आधार वर्ष (2016 = 100) के अनुसार, नवंबर, 2020 के महीने के लिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) 120 दर्ज हुआ। मेट्रो शहरों में, उच्चतम सीपीआई कोलकाता में 129, इसके बाद चेन्नई 123, और फिर दिल्ली और मुंबई, दोनों में 114 दर्ज हुआ। इससे पिछले महीने यानी अक्टूबर, 2020 की तुलना में सीपीआई (आईडब्ल्यू) में वृद्धि अखिल भारतीय स्तर पर स्थिर बनी रही, और चेन्नई में इसमें 2.5% की वृद्धि हुई है। इसमें कोलकाता में 1.0% और दिल्ली में 0.9% की वृद्धि हुई, जबकि मुंबई में इसमें 0.9% की कमी दर्ज हुई।

विवरण 6.4

अखिल भारतीय स्तर पर महानगरों में सितंबर से नवंबर, 2020 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नया आधार वर्ष 2016 = 100)

	सितंबर	अक्टूबर	% में	नवंबर	% में
अखिल भारतीय	118	120	1.7	120	0.0
दिल्ली	113	113	0.0	114	0.9
मुंबई	114	115	0.9	114	-0.9
चेन्नई	120	120	0.0	123	2.5
कोलकाता	127	128	0.8	129	1.0

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2012=100 आधार पर जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़े।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर महीने 2012=100 के आधार पर सीपीआई (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त) जारी कर रहा है। दिल्ली और अखिल

भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित मुद्रास्फीति दरों की महीनेवार तुलनात्मक स्थिति विवरण 6.5 (जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 के महीनों के लिए) और विवरण 6.6 (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए) में दर्शाया गया है।

विवरण 6.5

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

(प्रतिशत में)

साल	महीना	दिल्ली	अखिल भारत
2019	जनवरी	2.18	1.97
2019	फरवरी	2.76	2.57
2019	मार्च	3.64	2.86
2019	अप्रैल	4.24	2.99
2019	मई	4.38	3.05
2019	जून	3.73	3.18
2019	जुलाई	3.51	3.15
2019	अगस्त	3.71	3.28
2019	सितंबर	3.00	3.99
2019	अक्टूबर	2.97	4.62
2019	नवंबर	3.11	5.54
2019	दिसंबर	5.18	7.35
2019	वार्षिक मुद्रास्फीति दर	3.53	3.71

विवरण 6.6

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

(प्रतिशत में)

साल	महीना	दिल्ली	अखिल भारत
2019	जनवरी	4.69	7.59
2019	फरवरी	3.46	6.58
2019	मार्च	2.88	5.84
2019	जून	1.69	6.23
2019	जुलाई	3.6	6.73
2019	अगस्त	3.58	6.69
2019	सितंबर	4.78	7.27
2019	अक्टूबर	3.85	7.61
2019	नवंबर	3.36	6.93
2019	दिसंबर	1.23	4.59
2019	वार्षिक मुद्रास्फीति दर	2.76	5.50

अध्याय – 7

कृषि और ग्रामीण विकास

रा.रा.क्षे. दिल्ली में तीव्र शहरीकरण और व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण कृषि गतिविधियां लगातार कम हो रही हैं। यहां ग्रामीण गांवों की संख्या 1981 में 214 थी जो 2011 में घटकर 112 रह गयी।

- 1.2 दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) के प्रतिशत संवितरण में 2011–12 के मूल्यों पर कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के योगदान में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अधिक स्पष्ट करें, तो दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान 2011–12 के 0.94 प्रतिशत की तुलना में 2020–21 में घटकर 0.38 प्रतिशत रह गया।

2. जोतों के प्रकार

- 2.1 दिल्ली में ताजा कृषि गणना 2020–21, जो श्रृंखला में 11वीं है, चालू वित्त वर्ष 2020–21 में आरंभ की जाएगी। दिल्ली में कृषि जोत पद्धति और कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाए जा रहे क्षेत्र के बारे में जानकारी 2015–16 में हुई पिछली गणना पर आधारित है। दिल्ली में कृषि गणना 2015–16 के अनुसार क्रियाशील कृषि जोतों की कुल संख्या में कृषि गणना 2010–11 की तुलना में 1.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्रियाशील कृषि जोत में 20.35 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 21.65 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह में है। दिल्ली में कुल क्रियाशील भूमि में 2015–16 की कृषि गणना के अनुसार, 2010–11 की तुलना में कुल क्रियाशील भूमि में 2.21 प्रतिशत की कमी नजर आती है। क्रियाशील कृषि जोत के क्षेत्र में 27.95 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 19.39 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह के लिए है।

3. दिल्ली में भूमि उपयोग का स्वरूप

- 3.1 कुल फसल क्षेत्र जो 2011–12 में 36445 हैक्टेयर था, वह 2019–20 में बढ़ कर 43500 हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार 2020–21 में अनुमानित सकल फसल क्षेत्र बढ़कर 43569 हैक्टेयर हो गया। दिल्ली के बाकी क्षेत्र अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे गैर-कृषि प्रयोजनों, जंगल, परती भूमि, जोती न जा सकने वाली भूमि आदि। दिल्ली में खेती के क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान तेजी से हो रहा शहरीकरण और रोजगार शैली में बदलाव है। इससे दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान में कमी आयी है। दिल्ली में जमीन के उपयोग के स्वरूप के बारे में जानकारी तालिका 7.1 में दी गयी है।

4 फसल सघनता

- 4.1 फसल सघनता कृषि के विकास की सूचक है और इसका सीधा संबंध सिंचाई सुविधाओं से है। इसे सकल फसल क्षेत्र और विशुद्ध बुआई क्षेत्र के प्रतिशत अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। अतः फसल सघनता का अर्थ है, एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत से उगाई जाने वाली फसलों की संख्या का

बढ़ना। यदि एक वर्ष में एक फसल उगाई जाएगी तो फसल सघनता का सूचकांक 100 होगा और यदि दो फसलें उगाई जाएंगी तो यह 200 होगा। सूचकांक जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। फसल सघनता का सुनिश्चित सिंचाई के साथ प्रत्यक्ष सह-संबंध है, जो किसानों को अधिक फसलें उगाने और उर्वरकों तथा अधिक पैदावार देने वाले बीजों का अधिक इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में फसल सघनता के बारे में जानकारी विवरण 7.1 में दी गई है।

विवरण 7.1

2011-12 से 2020-21 के दौरान दिल्ली में फसल सघनता

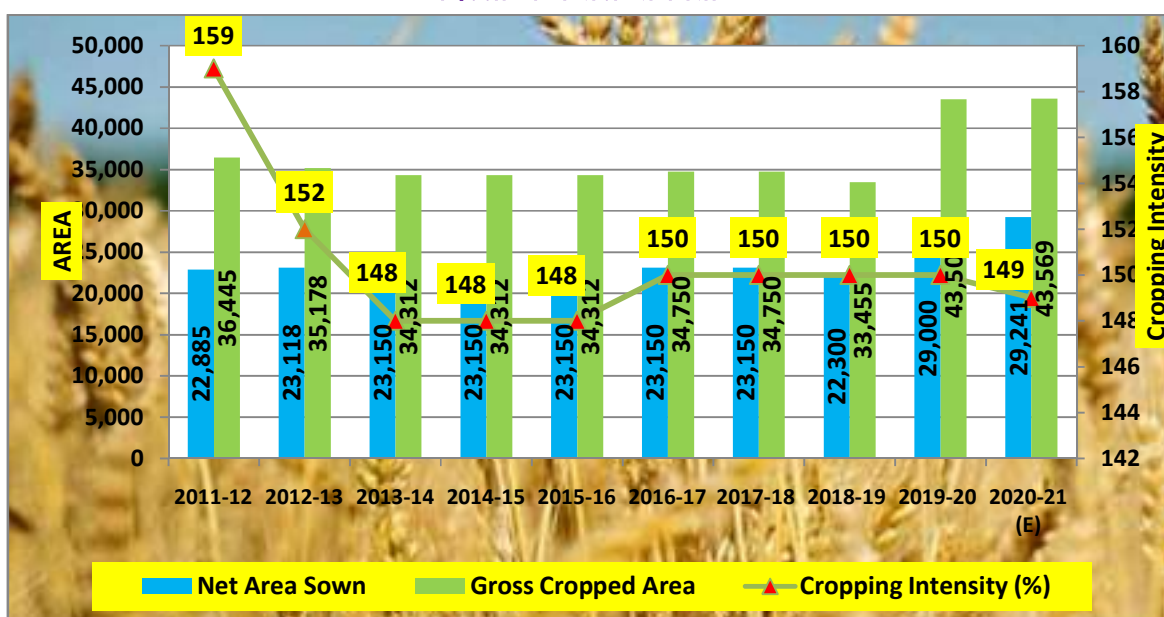
(हेक्टेयर)

क्र.सं.	वर्ष	विशुद्ध बुआई क्षेत्र	सकल फसल क्षेत्र	फसल सघनता (प्रतिशत)
1.	2011-12	22,885	36,445	159
2.	2012-13	23,118	35,178	152
3.	2013-14	23,150	34,312	148
4.	2014-15	23,150	34,312	148
5.	2015-16	23,150	34,312	148
6.	2016-17	23,150	34,750	150
7.	2017-18	23,150	34,750	150
8.	2018-19	22,300	33,455	150
9.	2019-20	29,000	43,500	150
10.	2020-21 (अनुमानित)	29,241	43,569	149

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

चार्ट 7.1

दिल्ली में फसल सघनता



- 4.2 विवरण 7.1 में देखा जा सकता है कि फसल सघनता जो कि 2011–12 में 159 प्रतिशत थी वह 2020–21 में कम हो कर 149 प्रतिशत (अनुमानित) हो गई। इसके अलावा इस अवधि के दौरान अनाज की फसलों वाला क्षेत्र भी घटा है जबकि सब्जियों वाले क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि भारत के तेजी से आगे बढ़ रहे विशाल शहरों में से एक होने के बावजूद, दिल्ली में सीमित उपलब्ध भूमि का महत्व कृषि गतिविधियों के लिए समझा जा रहा है।

5. फसल पद्धति

- 5.1 फसल पद्धति किसी जमीन पर बोई जाने वाली फसलों का क्रमिक संयोजन है। खरीफ में धान, ज्वार तथा बाजरा और रबी में गेहूं तथा सरसों दिल्ली की प्रमुख फसलें हैं। सब्जियों की खेती पूरे साल होती है। 2020–21 के दौरान कुछ चुनी हुई फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज संबंधी जानकारी नीचे विवरण 7.2 में दी गई है।

विवरण 7.2
2020–21 में दिल्ली में फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

क्रम सं.	फसल	क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा प्रति हैक्टेयर)
1	गेहूं	19,220	82,870	4,311
2	जौ	60	180	3,000
3	बाजरा	1,075	2,361	2,196
4	मक्का	20	102	5,100
5	धान	5,840	25,200	4,315
6	चना	02	04	2,000
7	सरसों	3,094	3,902	1,261

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

- 5.2 विवरण 7.2 में देखा जा सकता है कि 2020–21 में दिल्ली की मुख्य फसल गेहूं थी और इसका क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज क्रमशः 19220 हैक्टेयर, 82870 मीट्रिक टन और 4311 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर थे। इसी अवधि के दौरान जौ, बाजरा, मक्का, धान, चना और सरसों की उपज क्रमशः 3000, 2196, 5100, 4315, 2000 और 1261 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर रही।
- 5.3 वर्तमान में वाणिज्यिक बागवानी और अधिक मूल्य वाली अन्य कृषि गतिविधियों की तुलना में पारम्परिक खेती से आमदनी बहुत कम है। इसीलिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार किसानों को सब्जियां, फूल और मशरूम आदि उगाने के लिए प्रेरित कर रही है।

6. किसान प्रशिक्षण

- 6.1 वर्मी कम्पोस्ट के घटक विस्तार शिक्षा कार्यक्रम सहित एकीकृत कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2019–20 के दौरान 390 किसानों और तकनीकी कर्मियों को 15 प्रशिक्षण दिए गए।

- 6.2 2019-20 के दौरान किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र के कार्यक्रम के तहत 2019-20 के दौरान 775 किसानों को 62 प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए गए और प्रदर्शन विवरों में प्रशिक्षण दिए गए।

7. बागवानी/फूलों की खेती

- 7.1 बागवानी फलों, सब्जियों, मसालों, मशरूम और फूलों के उत्पादन से संबंधित प्रमुख विविध गतिविधि है। बागवानी निदेशालय जागरूकता लाने के लिए योजनाएं चला रहा है और फूलों तथा सब्जियों की खेती, वर्मी-खाद, जैविक खेती आदि के बारे में आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा है। 2019-20 में 2800 किसानों को बागवानी/फूलों की खेती के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। द्वारका, पटपड़गंज, हौजरानी, लिबासपुर, मसूदाबाद, चिल्ला और खारखारी नहर में नर्सरियां मुख्य रूप से सब्जियों के बीज तथा पौद, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, सजावटी फूलों के पौधों, औषधीय पौधों आदि के विकास/उत्पादन से संबंधित हैं। दिल्ली में 2019-20 और 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) में इनसे संबंधित उपलब्धियों को विवरण 7.3 और 7.4 के दर्शाया गया है।

विवरण 7.3

बागवानी/फूलों की फसलों का क्षेत्र और उत्पादन

क्र. सं.	विवरण	2019-20		2020-21	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि दिसंबर 2020 तक
1	बागवानी का क्षेत्र (हेक्टेयर)	6525	6229	6530	6291
2	सब्जियों का क्षेत्र (हेक्टेयर)	23470	24297	23500	21832
3	फलों और सब्जियों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)	370476	352972	370500	317537
4	ग्राम सभा/ सामुदायिक/ सरकारी भूमि पर रोपण (संख्या में)	2000	2430	1500	400

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
बागवानी इकाई, पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

विवरण 7.4

बीजों, पौधों, पौद और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन

क्र. सं.	विवरण	2019-20		2020-21	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि दिसंबर 2020 तक
1	सजावटी पौधे (संख्या में)	37000	38988	37000	15530
2	बलबस पौधों के बल्ब (संख्या में)	74000	16600	74000	4400
3	फूलों की पौद (संख्या में)	500000	505175	300000	270000
4	फूलों के बीज (कि.ग्रा. में)	60	21	60	40
5	सब्जियों की पौद (संख्या में)	550000	592740	600000	370000
6	सब्जियों की पौद (कि.ग्रा. में)	700	998	700	670
7	वर्मी कम्पोस्ट (कि.ग्रा. में)	30000	53575	30000	23740
8	औषधीय बालवृक्ष (संख्या में)	30000	16840	27800	10435

स्रोत : बागवानी इकाई, पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2020-21

7.2 दिल्ली में फसलों के क्षेत्र में निरंतर गिरावट के कारण, सब्जियों और जैविक फसलों की कम मृदा की खेती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाइड्रोपोनिक्स की आधुनिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इसी तरह, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (एनबीएचएम-सीएसएस) को रा.रा.क्षे. दिल्ली में आरंभ करने की योजना है।

7.3 किसानों की आय तथा रोजगार और जनता की मांगों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, दिल्ली में फलों और सब्जियों के लिए एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला निर्माण परियोजना को, "एकीकृत विकास बागवानी मिशन" (एमआईडीएच) के साथ एकीकृत किया जाना है – सीएसएस, दिल्ली में पहले से ही कार्यरत है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाना और उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर तथा आसानी से सब्जियां और फल उपलब्ध कराना है।

8. मृदा परीक्षण और मृदा सुधार

8.1 रा.रा.क्षे.दिल्ली के किसानों के मृदा और जल नमूनों के परीक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विवरण 7.5 में उल्लिखित लक्ष्यों के संदर्भ में 2019-20 और 2020-21 के दौरान हासिल गतिविधियाँ/मापदंड निम्न प्रकार हैं:

विवरण 7.5

मृदा जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना

क्र. सं.	विवरण	2019-20		2020-21	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि दिसंबर 2020
1	मृदा नमूनों की जांच	800	2210	400	408
2	जल नमूनों की जांच	50	27	45	28
3	जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड	800	410	400	कुछ नहीं

9. परंपरागत कृषि विकास योजना

9.1 परंपरागत कृषि विकास योजना, दिल्ली में लागू की जा रही केंद्र प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) पर केंद्रित है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, क्लस्टर दृष्टिकोण और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा जैविक गांव को अपनाने के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करना है। इस तरह से किसानों की आय बढ़ेगी और व्यापारियों के लिए बाजार उपलब्ध होगा।

10. दिल्ली में सिंचाई

10.1 दिल्ली में सिंचाई मुख्य रूप से भूजल से और आंशिक रूप से सतही जल से होती है। भूजल से होने वाली सिंचाई उथले और गहरे सरकारी ट्यूबवैलों से होती है जबकि सतही जल से होने वाली सिंचाई कॉरोनेशन पिलर, ओखला और केशोपुर स्थित मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र में उपचारित पानी से होती

है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के नियंत्रण वाली पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का पानी भी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है।

- 10.2 दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी समूची दिल्ली के शहरीकरण का प्रस्ताव किया है। इसलिए भविष्य में सिंचाई क्षेत्र में किसी तरह की बढ़ोतरी संभव नहीं है। पिछले 9 वर्षों में दिल्ली में सिंचाई और सिंचित क्षेत्र का स्रोतवार विवरण-7.6 में दिया गया है :

विवरण 7.6

दिल्ली में स्रोतवार सिंचित क्षेत्र – 2011-12 से 2019-20

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र सं	स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	नहरें	2225	2225	2225	2225	2218	2240	2246	2236	2235
2	कुएँ	19561	19561	19561	19561	19533	19727	19777	19635	19635
3	सिंचित क्षेत्र	18581	21786	21786	21786	21751	21967	22023	21871	21870
4	एक से अधिक फसल वाला सिंचित क्षेत्र	7875	7875	7875	7900	7678	7756	7775	7762	7760
5	सकल सिंचित क्षेत्र	29661	29661	29661	29661	29429	29723	29798	29633	29630

स्रोत : रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार का राजस्व और विकास विभाग
दिल्ली सांख्यिकी हैंडबुक, डीईएस, रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार

- 10.3 विवरण 7.6 से पता चलता है कि दिल्ली में सकल सिंचित क्षेत्र 2011-12 के 29661 हैक्टेयर था, जो 2019-20 में घट कर 29630 हैक्टेयर रह गया। हालांकि दिल्ली में सिंचाई के मुख्य स्रोत कुंओं से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, यह 2011-12 में 19561 हेक्टेयर था, जो 2019-20 में बढ़ कर 19635 हेक्टेयर हो गया। इसमें इस अवधि में 0.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।
- 10.4 दिल्ली में वर्षा जल सिंचाई का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। आमतौर पर यहां वर्षा जुलाई, अगस्त और सितम्बर के तीन महीनों में होती है। पिछले 14 वर्षों के दौरान दिल्ली में जुलाई, अगस्त और सितम्बर में वर्षा का ब्योरा विवरण 7.7 में दिया गया है।

विवरण 7.7
दिल्ली में वर्षा (जुलाई से सितम्बर)

(मिमी)

क्र.सं.	ब्यौरा	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
1	सामान्य	210.60	247.70	125.40
2	2006	313.30	98.00	129.60
3	2007	163.10	214.30	85.60
4	2008	146.20	301.70	165.40
5	2009	161.20	216.60	191.20
6	2010	239.60	455.10	332.90
7	2011	111.70	190.30	225.80
8	2012	94.80	378.80	54.80
9	2013	340.50	321.40	94.40
10	2014	103.00	139.10	82.60
11	2015	235.20	181.60	22.00
12	2016	292.50	122.70	75.00
13	2017	170.5	173.00	158.50
14	2018	313.2	198.5	237.8
15	2019	199.2	119.8	74.1

स्रोत : क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली
दिल्ली सांख्यिकी हैंडबुक

- 10.5 उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2010 में दिल्ली में इन तीन महीनों में वर्षा सामान्य से अधिक हुई। हालांकि वर्ष 2007, 2014 और 2019 में इन तीन महीनों के दौरान सामान्य से कम वर्षा हुई। सामान्य वर्षा दिल्ली सरकार के मौसम विभाग के नियमों से संबंधित है।

11. पशुपालन

- 11.1 दुनियाभर में पशुपालन आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में प्रभावित करता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मुख्य रूप से खाद्य अथवा उत्पाद स्रोतों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू पशुओं की देखभाल की जाती है। पशुपालन विभाग ने तीस हजारी अस्पताल में चौबीसों घंटे की आपात पशु देखभाल सेवा केंद्र और पालम तथा गाजीपुर पशु अस्पताल में 8X8 पशु देखभाल सेवा केंद्र आरंभ किया है।

- 11.2 2012 और 2019 में दिल्ली में पशुधन गणना के बारे में जानकारी विवरण 7.8 में दी गयी है।

विवरण 7.8
दिल्ली में पशुधन और इसमें वृद्धि : 2012 और 2019

क्र. सं.	पशुधन	पशुधन गणना (संख्या)		वृद्धि (प्रतिशत)	
		2012	2019	(2012-2019) के दौरान प्रतिशत	वार्षिक
1	गाय	86433	124638	44.2	6.31
2	भैंस	162142	157675	-2.75	-0.39
3	भेड़	932	2003	115	16.42
4	बकरियां	30470	17085	-44	-6.28
5	अन्य	86420	5866	-93	-13.28
6	कुल	366397	307267	-16.13	-2.30

- 11.3 विवरण 7.8 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिल्ली में पशुधन में कमी आई है। 2012 में इनकी संख्या 3.66 लाख थी जो 2019 में घटकर 3.07 लाख रहने से -16.13 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। पशुधन की भेड़ों की श्रेणी में अन्य श्रेणी के मामले में सबसे अधिक बढ़ोतरी 16.42 प्रतिशत वार्षिक दर्ज हुई। इसी प्रकार गायों के मामले में 6.31 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। दूसरी ओर बकरियों के मामले में सबसे अधिक -6.28 प्रतिशत, भैंसों में -0.39 प्रतिशत और अन्य में -13.28 प्रतिशत वार्षिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। पशुधन में कमी का मुख्य कारण कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में कमी और दिल्ली का तेजी से होता शहरीकरण हो सकता है।

12. पशु चिकित्सा सुविधाएं

- 12.1 दिल्ली में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु चिकित्सालय, 29 पशु औषधालय, 1 प्रयोगशाला, 1 किसान सूचना केंद्र और 2 चल क्लिनिक हैं। मुख्य उद्देश्य संक्रामक/संसर्गज रोगों को नियंत्रित करना है जैसे हेमोरहाजिक सेप्टीसीमिया (गलघोटू) और मुंह तथा खुरपका, रैंडर-पेस्ट, रेबीज आदि। पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन के लिए गायों और भैंसों में फ्रोज़न वीर्य के साथ मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान प्रदान किया जाता है। पशुपालक किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को आधुनिक मुर्गी पालन पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पालम में रोग निदान प्रयोगशाला में पशु रोग निदान सुविधा उपलब्ध है। नमूनों का परीक्षण निःशुल्क किया जाता है। सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों / डिस्पेंसरियों में इलाज कराने वाले पशुओं की संख्या 2011-12 के दौरान 4.16 लाख से बढ़कर 2019-20 के दौरान 5.82 लाख और दिसंबर 2020 तक 3.60 लाख हो गई है। यह किसानों और पशु पालकों के बीच शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के कारण हो सका है। दिल्ली में प्रदान की जा रही पशु चिकित्सा सेवाओं की जानकारी विवरण 7.9 और 7.10 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण-7.9

दिल्ली में 2011-12 से 2020-21 के दौरान पशुचिकित्सा सेवाएं

क्र.सं.	वर्ष	पशु चिकित्सा सुविधाएं (संख्या)			उपचारित पशुओं की संख्या
		अस्पताल (एक वेटेरिनरी पोलिक्लिनिक सहित)	औषधालय	प्रयोगशालाएं	
1	2011-12	46	28	2	415986
2	2012-13	47	28	1	391152
3	2013-14	47	28	-	378359
4	2014-15	47	28	-	367518
5	2015-16	47	28	2	412363
6	2016-17	47	28	2	438504
7	2017-18	49	26	2*	469474
8	2018-19	49	26	2*	460769
9	2019-20	48	29	2*	582242
10	2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)	48	29	2*	359971

*1 प्रयोगशाला और 1 किसान सूचना केंद्र

स्रोत : रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार का विकास विभाग

विवरण-7.10

भौतिक उपलब्धियां 2019-20 और 2020-21 के दौरान

क्र सं	गतिविधि	लक्ष्य 2019-20	उपलब्धि 2019-20	लक्ष्य 2020-21	उपलब्धि 2020-21 (दिसंबर 2020 तक)
1	बीमार पशुओं का उपचार (लाख में)	5.50	5.82	6.00	3.60
2	हैमरेजिक सेप्टिसीमिया और एफएमडी रोग से बचाव के टीके	1.0 लाख 1.5 लाख	92732 1250	एचएस -2.5 लाख एफएमडी - 2.5 लाख	27048 153094
3	कुत्तों के एंटी रेबीज़ टीके	100000 --	36928 --	100000 --	23491 11070
4	गौसदनों में रखे गए पशु	22000	17382	22000	6283
5	बांझपन उपचार के मामले	25000	15428	25000	13494
6	प्रयोगशाला में जांच के मामले	4500	4661	5000	3467

स्रोत: पशु पालन निदेशालय, रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार

13. स्वायत्त / अनुदान सहायता प्राप्त संस्थान

13.1 पशु कल्याण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड (एसएबीएडब्ल्यू)

पशु कल्याण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड (एसएबीएडब्ल्यू), रा.राज.क्षे.दिल्ली में विभिन्न पशु कल्याण गतिविधियों से संबंधित एनजीओ/एडब्ल्यूओ को अनुदान सहायता सहित अन्य संबंधित गतिविधियों के बारे में रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय है। बोर्ड डीएसपीसीए सहित एनजीओ/संस्थानों को मान्यता देता है और अनुरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, अनुत्पादक/परित्यक्त/व्यथित पशुओं के उपचार और अन्य संबंधित कल्याण गतिविधियों के लिए उन्हें अनुदान सहायता प्रदान करता है। बोर्ड, पीसीए अधिनियम, 1960 विशेष रूप से पीसीए (डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग) नियम, 2017/पीसीए (संपत्ति पशु की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017/पीसीए (पैट दुकान) नियम, 2018 के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों के अनुपालन के लिए नियामक/निगरानी निकाय भी है।

13.2 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए दिल्ली सोसायटी (एसपीसीए)

एसपीसीए, जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को लागू कर रहा है। तीस हजारी में डीएसपीसीए के तहत पशु चिकित्सा अस्पताल, बीमार / घायल और परित्यक्त जानवरों को आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। डीएसपीसीए केस प्रॉपर्टी जानवरों को भी रखता है। यह जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा के लिए जनता में जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत अप्रैल से दिसंबर, 2020 के दौरान दिल्ली में लगभग 9189 जानवरों को बचाया गया और 122 वाहन जब्त किए गए।

13.3 गौसदन

दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 10 के अनुसरण में, वर्ष 1995 में 05 गौशालाओं / गौसदनों की स्थापना की गई। वर्तमान में, चार गौसदन (1) श्री कृष्ण गौसदन, सुल्तानपुर डबास (2) गोपाल गौसदन, हरेवाली (3) डाबर हरे कृष्ण गौसदन, सुरहेरा (4) मानव गौसदन, रेवला खानपुर चालू है और लगभग 17382 गायों और उनकी संतानों की देखभाल की जा रही है। एनजीओ द्वारा पशुओं की उचित देखभाल, पानी, आश्रय, उपचार आदि का ध्यान रखा जाता है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी संख्या 14175/05 और सिविल विविध में 01.03.2006 को एक आदेश पारित किया। याचिका संख्या 2623 और 2634/2006 तथा गौशालाओं में मवेशियों के स्वास्थ्य की देखभाल के उद्देश्य से प्रति मवेशी – 25/ – प्रति दिन का भुगतान करने का निर्देश दिया। सरकार। रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार को प्रति मवेशी 5/ – प्रति दिन और बाकी 20/ – प्रति दिन प्रति मवेशी का भुगतान एमसीडी को करना होता है। दिल्ली सरकार ने गौसदनों को चलाने के लिए 01.01.2011 से प्रति मवेशी 5/ – प्रति दिन की दर से बढ़ाकर 20/ – प्रति दिन प्रति मवेशी कर दिया है। 2019–20 में इन 4 गौसदनों को 11.67 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई।

14 मछली पालन

- 14.1 मात्स्यिकी इकाई का कार्य पंजाब मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1914 और भारतीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों का नियमन करना तथा इसके विनाशकारी तौर-तरीकों और अंधाधुंध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। मछली के जीरे और मछलियों के उत्पादन के बारे में वर्षवार जानकारी विवरण 7.11 में दी गयी है।

विवरण 7.11

दिल्ली में 2011-12 से 2020-21 तक मछली जीरा और मछली उत्पादन

क्र सं.	वर्ष	मछली जीरा उत्पादन (lakh)	मछली उत्पादन (Tons)
1.	2011-12	13.00	740
2.	2012-13	15.25	690
3.	2013-14	18.25	680
4.	2014-15	16.20	675
5.	2015-16	16.20	710
6.	2016-17	16.15	740
7.	2017-18	20.00	801
8.	2018-19	2.02	785
9.	2019-20	15.00	860
10.	2020-21 दिसंबर 2020 तक	-	505

स्रोत : रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार का विकास विभाग

- 14.2 दिल्ली में तीव्र शहरीकरण के कारण मत्स्य उद्योग गतिविधियों में भारी कमी आयी है, परन्तु अब भी उपलब्ध जल निकायों में मछली पालन की अच्छी संभावनाएं हैं। उच्च प्रौद्योगिकी मत्स्य पालन के लिए भी प्रचुर अवसर हैं, जिसके अंतर्गत बायोफ्लॉक कल्चर, री-सर्कुलेटरी ऐक्वा कल्चर सिस्टम (आर ए एस), सजावटी मछली ब्रीडिंग/मछली पालन और झींगा पालन आदि गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों से किसानों की आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इससे दिल्ली में स्थानीय शिक्षित युवाओं, मछुआरों, अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों और उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तदनुरूप विभाग ने वर्ष 2019-20 के दौरान इस क्षेत्र के सतत विकास और रोजगार सृजन/उद्यमिता विकास के लिए 'नील क्रांति' कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में झींगा पालन जैसी गतिविधियों के लिए 38 लाख रुपये की परियोजनाएं शुरू की हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सम्मिलित कर दिया गया है।
- 14.3 विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 5 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। इनमें से एक-एक परियोजना बैकयार्ड सजावटी मत्स्य, मध्यम स्तर की सजावटी मत्स्य के लिए और दो परियोजनाएं दिल्ली के जल निकायों में रीक्रिएशनल और सजावटी मत्स्य के लिए होगी। केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इस परियोजना पर कुल 155 लाख रुपये की लागत आएगी।

15. ग्रामीण विकास

- 15.1 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से 369.35 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र (24.91 प्रतिशत) था। दिल्ली की कुल आबादी का 2.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा था। जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था प्रगतिशील अवस्था में पहुंचती है, तो उसके साथ ग्रामीण क्षेत्र स्वतः शहरी क्षेत्रों में बदलने लगते हैं। नतीजतन गांवों की संख्या और ग्रामीण आबादी में कमी आती है। दिल्ली में गांवों की संख्या 1951 में 304 थी जो 2011 में घट कर 112 रह गई। पिछले 7 दशकों के बारे में गांवों, ग्रामीण आबादी की जानकारी विवरण 7.12 में दी गई है।

विवरण 7.12

दिल्ली की ग्रामीण आबादी : 1951-2011

क्र. स.	वर्ष	गांव (संख्या)	जनसंख्या		
			ग्रामीण	कुल	कुल में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत
1	1951	304	306938	1744072	17.60
2.	1961	276	299204	2658612	11.25
3.	1971	243	418675	4065698	10.30
4.	1981	214	452206	6220406	7.27
5.	1991	199	949019	9420644	10.07
6.	2001	165	944727	13850507	6.82
7.	2011	112	419042	16787941	2.50

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी हैंडबुक, 2020

16. दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड

- 16.1 कैबिनेट के दिनांक 13.11.2017 के निर्णय संख्या 2520 के अनुसार जारी दिनांक 20.12.2017 के आदेश के तहत दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड (डीआरडीबी) के स्थान पर दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी) को गठित किया गया है। इसका गठन दिल्ली में ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गांवों का एकीकृत विकास करने के लिए किया गया है।
- 16.2 दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड दिल्ली के सभी ग्रामीण और शहरी गांवों में बुनियादी ढांचा विकास के बारे में वहां के निवासियों के अनुरोध पर निर्वाचित प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों/विधायकों) के साथ विचार करता है। यह परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के बारे में अनुशंसा करता है और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। बोर्ड के कार्यों में निम्नांकित शामिल हैं।
- (क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा ढांचागत खामियों का अध्ययन करना।
 - (ख) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विचार करना और प्राथमिकता निर्धारित करते हुए तत्संबंधी अनुशंसा करना।
 - (ग) कार्यों के स्वरूप और यदि कोई अतिव्यापकता हो तो उसकी जांच करना, ताकि सेवाओं के प्रावधान में सुधार लाया जा सके और जनशिकायतों का निबटारा शीघ्र हो सके।
 - (घ) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करना और ऐसी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में सरकार के विभिन्न संगठनों और विभागों के बीच कारगर समन्वय के उपायों की सिफारिश करना।

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2020-21

- (ड) डीवीडीबी द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों में लाल डोरा क्षेत्रों के अंतर्गत सिजरा सड़कों तथा सरकारी भूमि पर सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निम्नांकित प्रकार के कार्यों की अनुशंसा की जाएगी, परंतु, किसी भी तरह की अनधिकृत कालोनियों और डीयूएसआईबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पुनर्वास कालोनियों तथा झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के बारे में बोर्ड अनुशंसा नहीं करेगा :
- एप्रोच सड़कों/संपर्क सड़कों/ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
 - निकासी सुविधाओं का निर्माण।
 - शमशान भूमि, पार्क, खेल के मैदान, व्यायामशाला, ग्राम पुस्तकालय आदि का विकास।
 - तालाबों और जल निकायों का विकास।
 - चौपालों, बारातघरों, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण/मरम्मत/रख-रखाव।
 - पेयजल सुविधा, गलियों में प्रकाश आदि जरूरतों के अनुरूप अन्य कार्य।
- 16.3 कार्यों का निष्पादन यथा संभव भूमि/परिसंपत्ति स्वामित्व एजेंसी द्वारा किया जायेगा। कार्य संचालन ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जायेगा जिसने पहले उस कार्य को किया हो अथवा भूमि/परिसंपत्ति स्वामित्व एजेंसी/पूर्व में कार्य- निष्पादन करने वाली एजेंसी, जो भी लागू हो, से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद अन्य एजेंसी को सौंपा जाएगा।
- 16.4 डीवीडीबी की अभी तक 9 बैठकें हुई हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए माननीय सांसदों/विधायकों के परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	बैठक की तारीख	अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1	29.12.2017	104	120.26
2	19.01.2018	349	434.17
3	12.02.2018	380	309.72
4	13.04.2018	132	126.71
5	23.05.2018	104	143.59
6	23.08.2018	278	211.58
7	14.12.2018	127	174.97
8	11.01.2019	95	105.31
9	09.10.2019	शून्य	शून्य
	कुल	1569	1626.31

- 16.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों के लिए माननीय सांसदों/विधायकों द्वारा प्रस्तावित इन कार्यों का अनुमोदन डीवीडीबी द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में किया गया, जो लाल डोरा क्षेत्रों, सिजरा सड़कों, ग्राम सभा भूमि सहित सरकारी भूमि पर सार्वजनिक सेवाओं के बारे में अनुषंसित किए गए थे।

डीवीडीबी की 8 बैठकों में स्वीकृत परियोजनाओं का एजेंसीवार संक्षिप्त ब्यौरा

क्र सं.	एजेंसियों का नाम	प्रस्तावित स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	विकास विभाग द्वारा जारी ए/ए और ई/एस की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
1	आई एण्ड एफसी	1055	1279.79	455	483.65
2	ईडीएमसी	157	57.27	7	1.10
3	एनडीएमसी	157	75.77	72	41.52
4	एसडीएमसी	187	196.37	60	69.61
5	दिल्ली छावनी बोर्ड	3	9.09	1	5.15
6	डीजेबी	9	7.39	1	2.71
7	डीयूएसआईबी	1	0.63	-	-
	कुल	1569	1626.31	596	603.74

- 16.6 आठ बैठकों में डीवीडीबी द्वारा अनुमोदित कुल 1569 परियोजनाओं में से 344 परियोजनाओं के बारे में विभिन्न कारणों से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी (एए एंड ईएस) जारी करने पर विचार नहीं किया गया। (i) इन्हें डीवीडीबी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाया गया। (ii) निजी भूमि पर अनुषंसित की गई आदि (iii) माननीय विधायक द्वारा अन्य विभागों/कार्यकारी एजेंसियों की निधि से कार्यों का निष्पादन किया गया। (iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य नामंजूर/स्थगित/रद्द/डुप्लीकेट/निरसित इत्यादि। 1225 परियोजनाओं पर प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी (एए एंड ईएस) जारी करने पर विचार किया गया।
- 16.7 वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास इकाई को 400 करोड़ रुपये का बजट आईडीआरयूवी योजना के लिए आवंटित किया गया। ग्रामीण विकास इकाई ने 2019-20 के दौरान 266 परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 289 करोड़ रुपये मंजूर किए। कार्यकारी एजेंसियों ने वर्ष 2019-20 के दौरान 277.85 करोड़ रुपये (31.03.2020 तक) जारी किए। दिल्ली में कोविड-9 महामारी फैलने के कारण मार्च, 2020 से किसी परियोजना/योजना को मंजूरी नहीं दी गई है और 31.12.2020 तक कार्यकारी एजेंसियों को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

17. ग्राम विकास समितियां (वीडीसी)

गांवों में उपलब्ध सुविधाओं, अपेक्षित सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए आधार सर्वेक्षण करने में डीवीडीबी की सहायता करने और समग्र विकास की आवश्यकता वाले ग्रामीण/शहरी गांवों में प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, डीवीडीबी द्वारा दिल्ली के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी गांव के लिए ग्राम विकास समितियों (वीडीसीज़) का गठन कर सकता है। माननीय विधायकों की विधिवत अनुषंसा पर डीवीडीबी के अनुमोदन के बाद ग्राम विकास इकाई द्वारा अभी तक 312 समितियों के गठन के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

पर्यावरण के सरोकार

दिल्ली उत्तरी भारत में सीमित संसाधनों के साथ एक भूमिबद्ध शहर है। दिल्ली का तीव्र शहरीकरण और शहर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय समस्याओं में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास, नगरीय कचरा और ध्वनि प्रदूषण प्रमुख चुनौतियां हैं, जिनका सामना शहर को करना पड़ रहा है। दिल्ली में सरकार ने पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए निकट अतीत में अनेक उपाय किए हैं, जिनमें वृक्षारोपण पर व्यापक ध्यान केंद्रित करना, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग-गन संस्थापित करना, पराली के प्रबंधन के लिए आईएआरआई पूसा द्वारा विकसित बायो-डीकम्पोजर को प्रोत्साहित करना, ताप बिजली संयंत्रों को बंद करना, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स (एमआरएस) और वाटर स्प्रींकलर्स (डब्ल्यूएस) तैनात करना, इलेक्ट्रिक वाहन नीति का कार्यान्वयन, एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन, गंदे पानी का उपचार, कचरा/सूची पत्तियां, आदि को खुले में जलाने पर रोक लगाना और मल व्ययन प्रणाली में सुधार, कड़े औद्योगिक उत्सर्जन मानदंड लागू करना आदि शामिल हैं।

- 1.1 दिल्ली में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी सड़कों के निर्माण की गति की तुलना में अधिक तेजी से हो रही है। भारी निर्माण गतिविधियों के अलावा, ऐसे मौसम के दौरान, जिसमें वायु प्रदूषकों का विसर्जन संभव नहीं होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पड़ोसी राज्यों में कृषि अवशेष जलाये जाने से वायु प्रदूषण की समस्या और भी बढ़ जाती है। यह भी देखा गया है कि दिल्ली के पर्यावरण पर विभिन्न मौसम-वैज्ञानिक घटनाओं का भी अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में, राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी और सर्दियों में प्रशांत वायु स्थितियों और उनके उत्क्रमण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जैव ईंधन जलाए जाने से सूक्ष्म-कणों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। खुले क्षेत्रों में पत्तियां/कचरा जलाए जाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाए हैं।
- 1.2 वायु और जल प्रदूषण के अलावा खतरनाक कचरा, जैव चिकित्सा कचरा, भवन निर्माण एवं विध्वंस से उत्पन्न कचरा और इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के प्रति गंभीर संकट पैदा कर रहा है। शहरीकरण और शहर के आर्थिक विकास के साथ इस तरह के कचरे में बढ़ोतरी हो रही है। पर्यावरणप्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने, उपचारित मल-जल के उपयोग को बढ़ावा देने, कचरा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण आदि विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं।
- 1.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणाम स्वरूप 1997 के बाद से वन और वृक्षाच्छादन क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी हुई। 2019 में वन और वृक्षाच्छादन क्षेत्र बढ़कर 324.44 वर्ग किलोमीटर हो गया, जिसमें वन क्षेत्र की हिस्सेदारी शहर के कुल क्षेत्रफल में 21.88 प्रतिशत हो गई। 1997 के बाद वन और वृक्षाच्छादन क्षेत्र में विशेष रूप से ऐतिहासिक वृद्धि हुई। राज्यों के बीच कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत हिस्से के रूप में सर्वाधिक वृक्षाच्छादन की दृष्टि से दिल्ली दूसरे स्थान पर थी। शहर के हरित क्षेत्र में समग्र बढ़ोतरी होना एक शुभ संकेत है।

2 परिवेशी वायु की गुणवत्ता

वायु प्रदूषण के संदर्भ में दिल्ली का शहरी पर्यावरण अत्यंत जटिल है और उसे कणिक पदार्थ पीएम 10, कणिक पदार्थ पीएम 2.5 और नाइट्रोजन आक्साइड (एनओ 2) के गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में 2014 से 2020 के दौरान वर्षवार वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तरों की जानकारी नीचे विवरण 8.1 में दर्शायी गई है।

विवरण 8.1

दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तर : 2014–20

दि.प्र.नि.स. के सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) के विभिन्न प्रदूषकों की वर्षवार औसत * (2014–2020)								
वर्ष	PM 10 (ug/m3)	PM 2.5 (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	O3 (ug/m3)	NH3 (ug/m3)	CO (mg/m3)	C6H6 (ug/m3)
मानक	60 (ug/ m3)	40 (ug/ m3)	50 (ug/ m3)	40 (ug/ m3)	100** (ug/ m3)	100 (ug/ m3)	2** (mg/ m3)	5 (ug/ m3)
2014	324	149	15.94	82.45	40.89	46.87	1.58	4.76
2015	295	133	17.54	71.96	45.11	43.97	1.51	4.41
2016	303	137	20.52	71.63	39.78	43.16	1.84	6.28
2017	277	130	23.28	74.01	43.60	37.99	2.07	5.20
2018	277	128	18.61	50.00	38.57	40.00	1.52	3.10
2019	230	112	14.76	48.18	34.69	37.80	1.44	4.25
2020	187	101	13.54	40.30	35.74	36.17	1.27	3.34

*2014 से 2017 तक शहर की औसत की गणना चार केंद्रों के लिए और 2018–2020 से 26 केंद्रों के लिए की गई।

**8 घंटे के लिए और ओ 3 एक घंटे के लिए 180 (ug/m3) और सीओ 4 (mg/m3) है।

स्रोत: दिप्रनिस

2.2 दि.प्र.नि.स. वर्तमान में 26 ऑनलाइन सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) के जरिए वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रख रही है। ये केंद्र 26 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। वास्तविक समय अनुसार वायु गुणवत्ता निगरानी आंकड़े दि.प्र.नि.स. की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, जो आम लोगों द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। सभी संबद्ध पक्षों के सहयोग से दिल्ली सरकार के सतत प्रयासों की बदौलत, पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने के संकेत मिलते हैं।

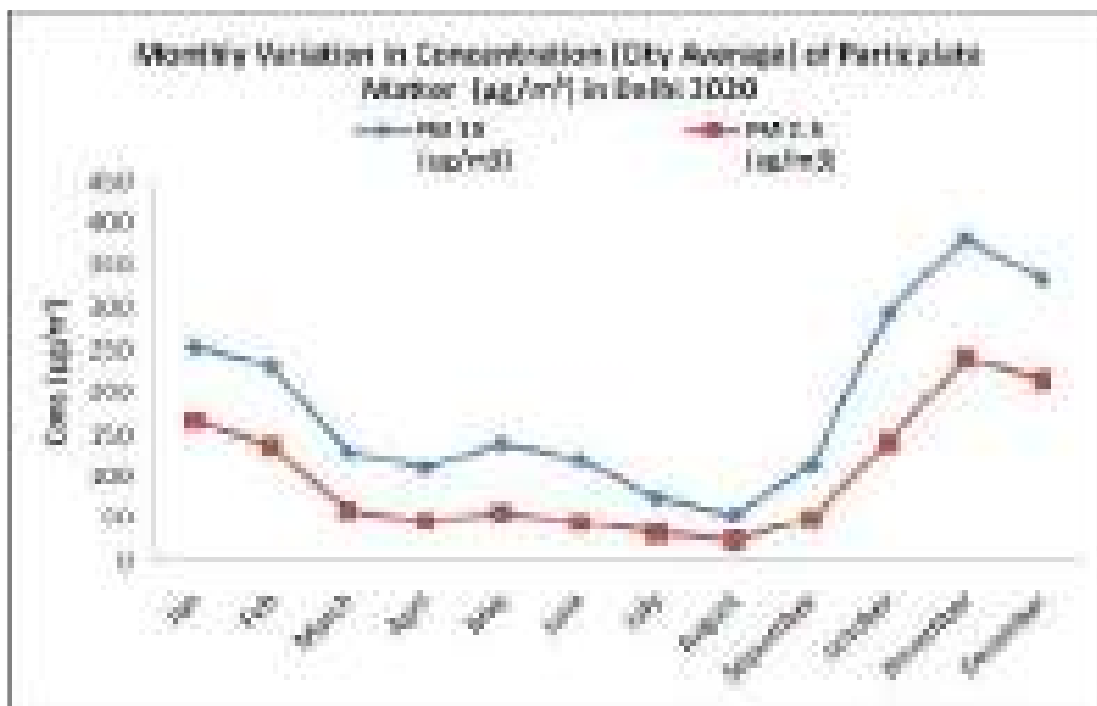
2.3 **प्रदूषण मापने के लिए कणिक पदार्थ :** प्रदूषण मापने की एक पद्धति कणिक पदार्थ की मात्रा के आकलन से सम्बद्ध है। कणिक पदार्थ मूलतः अत्यंत लघु कणों और एसिड, रसायन, गैस, जल, धातु, मृदा, धूल कणों जैसी तरल बूंदों आदि का मिश्रित रूप होता है। इनके मापने से शहर में प्रदूषण के स्तर का पता चलता है। इसे कणिक प्रदूषण या पीएम भी कहा जाता है।

2.4 **कणिक पदार्थ (पीएम 10) :** पीएम-10 के संकेंद्रण की वार्षिक शहर औसत 2014 से 2020 की अवधि में विभिन्न स्थानों पर 324 माइक्रो ग्राम/घन मीटर से 187 माइक्रोग्राम/घन मीटर रही। इसकी न्यूनतम वार्षिक शहर औसत सभी निगरानी केंद्रों पर 60 माइक्रोग्राम/घन मीटर के निर्धारित मानदंड से अधिक रही।

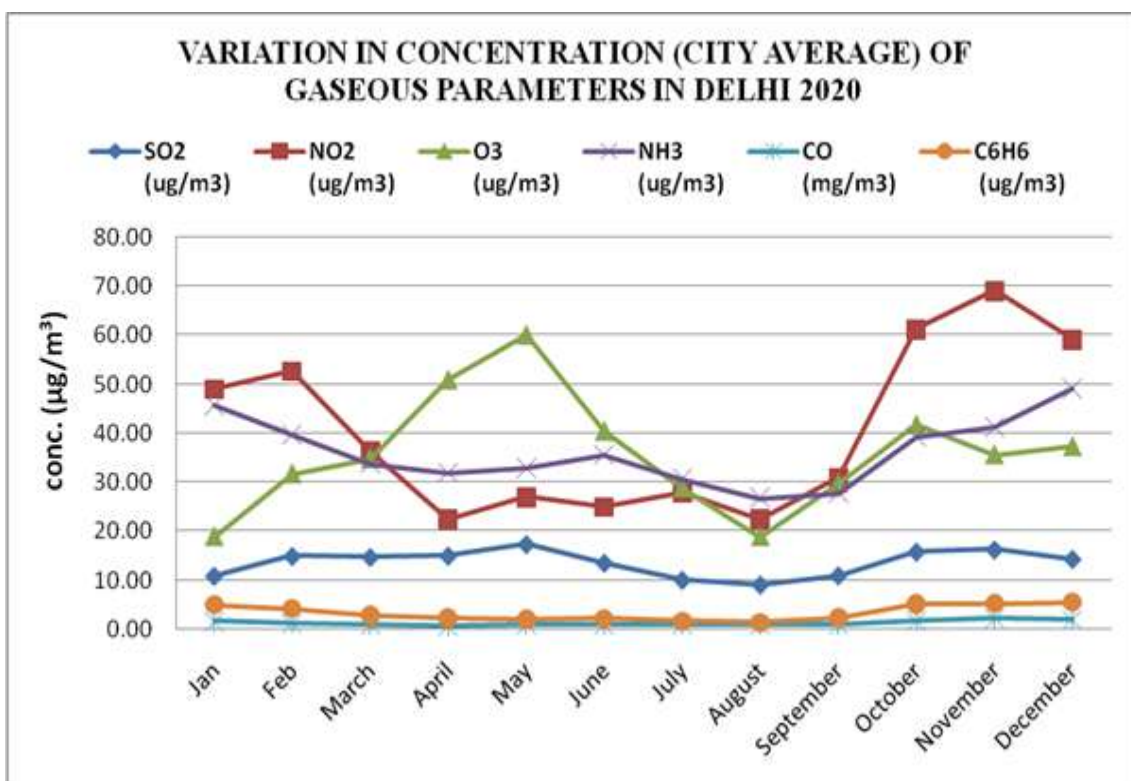
- 2.5 **कणिक पदार्थ (पीएम_{2.5})** : पीएम_{2.5} के संकेंद्रण की वार्षिक शहर औसत 2014 से 2020 की अवधि में 149 माइक्रोग्राम/घन मीटर से 101 माइक्रोग्राम/घन मीटर के बीच रही। इसकी न्यूनतम वार्षिक शहर औसत सभी निगरानी केंद्रों पर 40 माइक्रोग्राम/घन मीटर के निर्धारित मानदंड से अधिक रही।
- 2.6 **सल्फर डाइ ऑक्साइड (एसओ₂)** : 2014 से 2020 की अवधि में इस प्रदूषक की वार्षिक शहर औसत मात्रा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। सभी केंद्रों पर प्रदूषक की मात्रा हमेशा निर्धारित सीमा (50 माइक्रोग्राम/घन मीटर) के भीतर दर्ज हुई।
- 2.7 **नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ₂)** : एनओ₂ के संकेंद्रण की वार्षिक औसत मात्रा में वर्ष 2014 की तुलना में कमी दर्ज हुई। इसकी सर्वाधिक वार्षिक औसत 2014 में (82.45 माइक्रोग्राम/घन मीटर) दर्ज हुई। 2020 में औसत वार्षिक मात्रा 40.30 माइक्रोग्राम/घन मीटर थी। सभी निगरानी केंद्रों पर वार्षिक औसत 40 माइक्रोग्राम/घन मीटर के निर्धारित मानदंड के भीतर रही।
- 2.8 **कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ)** : कार्बन मोनोऑक्साइड के संकेंद्रण की वार्षिक शहर औसत में वर्ष 2014 की तुलना में कमी दर्ज हुई है। 2020 के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 1.27 माइक्रोग्राम/घन मीटर रहा। सभी निगरानी केंद्रों पर इसकी वार्षिक शहर औसत निर्धारित मानदंड अर्थात् 2 माइक्रोग्राम/घन मीटर के भीतर रही।
- 2.9 **ओज़ोन (ओ₃)** : ओज़ोन के संकेंद्रण की वार्षिक शहर औसत 2014 से 2020 की अवधि में 40.89 माइक्रोग्राम/घन मीटर से 35.74 माइक्रोग्राम/घन मीटर के बीच रही। सभी निगरानी केंद्रों में वार्षिक शहर औसत निर्धारित मानदंड अर्थात् 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर के भीतर रही।

चार्ट 8.1

दिल्ली में वर्ष 2020 के लिए महत्वपूर्ण प्रदूषकों की मासिक शहर



स्रोत: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.)



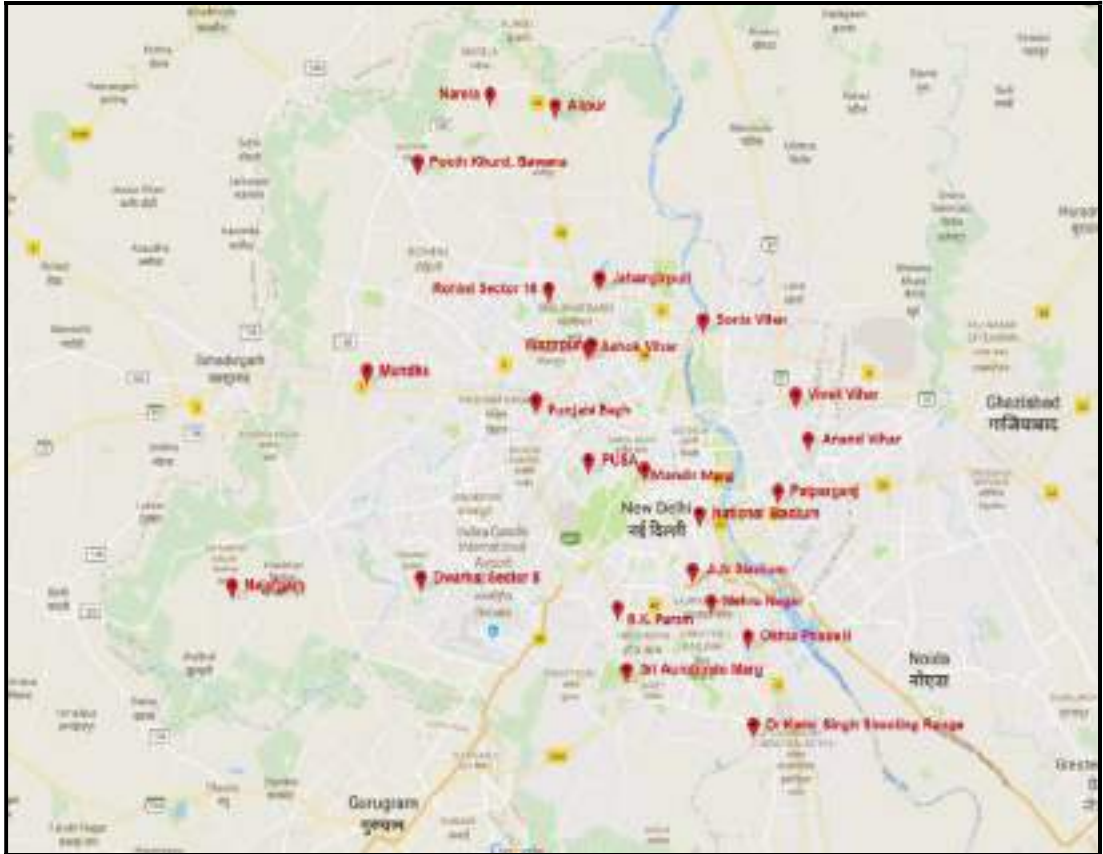
स्रोत: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.)

- 2.10 दिल्ली में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संचालित 26 केंद्रों का नेटवर्क है। इसकी जानकारी विवरण 8.2 में दी गई है।

विवरण 8.2

दिल्ली में स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (सीएक्यूएमएस)

क्र सं	सीएक्यूएमएस का नाम	क्र सं	सीएक्यूएमएस का नाम
1	मेजर ध्यान चंद स्टेडियम	14	एमजीआईसीसीसी, अलीपुर
2	जवाहरलाल नेहरू नेशनल स्टेडियम	15	एनआईटी एंड आरडी, महारौली
3	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	16	आईटीआई जहांगीरपुरी
4	पीजीडीएवी कॉलेज, श्रीनिवासपुरी	17	आईएआरआई, पूसा
5	मदर डेरी प्लांट, पटपड़गंज	18	एनआईएमआर सेक्टर 8 द्वारका
6	सत्यवती कॉलेज	19	डीआईटीई, वजीरपुर
7	मुडका मेट्रो आवासीय कालोनी	20	आईटीआई शाहदरा
8	एसएस कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज,	21	आनन्द विहार
9	आईटीआई नरेला	22	मंदिर मार्ग
10	डब्ल्यूटीपी (दिजबो), सोनिया विहार	23	पंजाबी बाग
11	डीआईटीई ओखला	24	आर के पुरम
12	चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक अस्पताल	25	सिविल लाइन्स
13	महर्षि बाल्मिकी अस्पताल, पूठ खुर्द	26	एयर पोर्ट

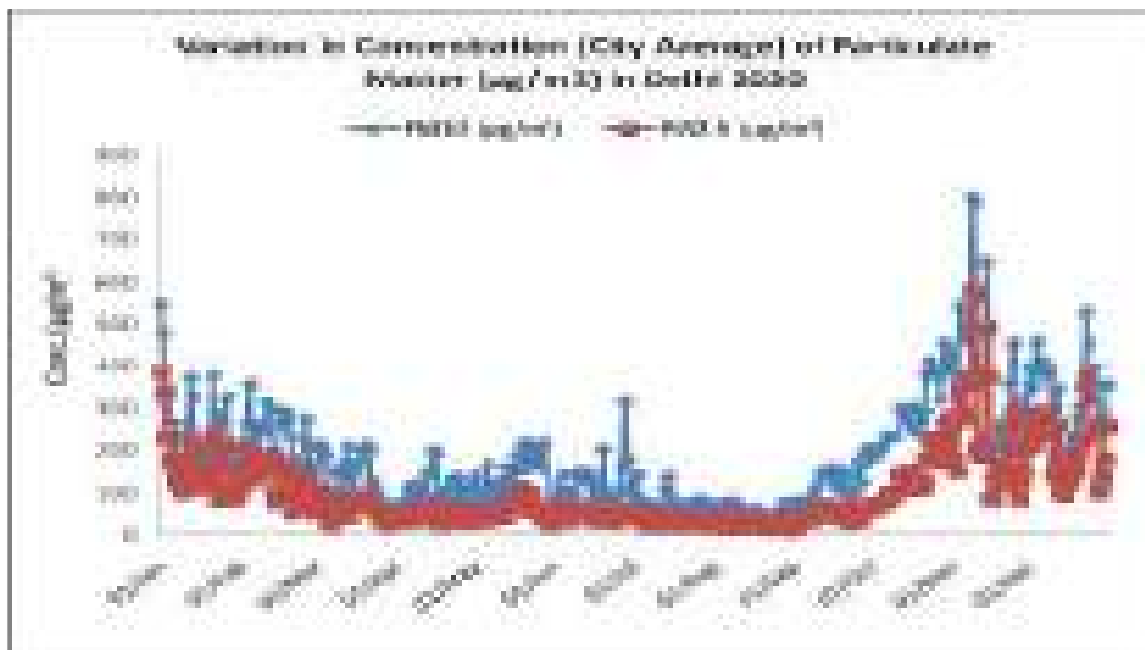


2.11 वायु प्रदूषण नियंत्रण :

कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने 20.03.2020 से स्टेट लॉकडाउन घोषित करने का निर्णय किया और बाद में उसका विलय केंद्र सरकार द्वारा आदेशित राष्ट्रीय लॉकडाउन में किया गया, जो 24.03.2020 से लागू हुआ। लॉकडाउन की अवधि में दुर्लभ आंकड़े मिले, जो पृष्ठभूमि का सही आकलन न भी करते हों, फिर भी, यह संकेत देते हैं कि निकटतम क्या हासिल किया जा सकता है। इस असाधारण समय ने प्रदूषण परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान किया। इन आंकड़ों का इस्तेमाल पृष्ठभूमि को समझने के लिए किया जा सकता था; उस समय की स्थिति कम प्रदूषण की थी।

चार्ट 8.2 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में पीएम 2.5 और पीएम 10 के संकेन्द्रण में उतार चढ़ाव दर्शाया गया है। पीएम 2.5 और पीएम 10 के लिए औसत संकेन्द्रण क्रमशः 101 माइक्रोग्राम/घनमीटर और 187 माइक्रोग्राम/घनमीटर रहा। पीएम 10 का सर्वाधिक स्तर 9 नवंबर 2020 को रिकार्ड किया गया, जब पीएम 10 बढ़कर 803 माइक्रोग्राम/घनमीटर हो गया। परंतु, पीएम 2.5 उसी दिन बढ़कर 581 माइक्रोग्राम/घनमीटर हो गया।

चार्ट 8.2



स्रोत: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.)

2.12 दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं:-

कोविड-19 महामारी, सर्दी के प्रारंभ और 15.10.2020 से ग्रेडिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किए जाने को देखते हुए निम्नांकित मुद्दों पर बल दिया गया और स्थानीय शहरी निकायों/भूमि स्वामित्व एजेंसियों तथा अन्य संबद्ध विभागों को निम्नांकित बातें सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए :-

- एंटी-स्मॉग गन, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स और वाटर स्पिंकलर्स का उपयोग करना ताकि स्थानीय शहरी निकायों द्वारा धूल के पुनः निलंबन में कमी लायी जा सके।
- कचरे और निर्माण एवं विध्वंस मलबे को खुले में डम्प किए जाने पर नियंत्रण करने के लिए खाली भूखंडों की पहचान करना ताकि भू-स्वामी एजेंसियों द्वारा धूल के पुनः निलंबन को कम करने में सहायता की जा सके।
- सड़क की मरम्मत और गड़डे भरना
- सड़क के किनारे हरियाली और खड़जा बिछाने की व्यवस्था करना ताकि धूल के पुनः निलंबन पर नियंत्रण किया जा सके।
- मानदंडों से अधिक उत्सर्जन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करना।
- कचरा या सूखी पत्तियों आदि को खुले में जलाने से रोकना।
- वाहन उत्सर्जन नियंत्रण और यातायात की भीड़ को कम करना।

दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सतत किए जाने वाले अन्य उपाय इस प्रकार हैं:-

1. खुले में रद्दी सामग्री/कचरा जलाने वाले व्यक्तियों पर निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई :

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसीलदारों (कार्यकारी मजिस्ट्रेटों) सहित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेटों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगमों (एमसीडीज़)/दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्र) को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे सूखी पत्तियां/कचरा/प्लास्टिक आदि जलाए जाने की रोकथाम करें।

2. **धूल नियंत्रण मापदंडों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई :**
सरकार ने निर्माण परियोजना एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल नियंत्रण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के रूप में वायु गुणवत्ता सुधार का विशेष अभियान शुरू किया। एरिया सब-डिविजनल मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों, लोकनिर्माण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सहायक इंजीनियरों द्वारा परियोजनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि धूल नियंत्रण नियमों के अनुपालन की जांच की जा सके। धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनसे हर्जाना वसूल किया जाता है।
 - i. डी.पी.सी.सी. ने ऐसी परियोजनाओं (20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली) के निर्माण पर जुर्माना लगाया है, जिन्होंने पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं है।
 - ii. डी.पी.सी.सी. ने वित् वर्ष (गैर-लेखा परीक्षित) में 19.85 करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में एकत्र किए।
3. **ओ.ए. संख्या 21/2014में एनजीटी के आदेश/निर्णय** के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण के बारे में दिए गए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों/निर्णयों का संबद्ध विभागों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। एनजीटी के दिनांक 18.12.2017 के आदेशानुसार, वर्धमान कौशिक बनाम संघीय सरकार मामले में ओ. ए. संख्या 44/2018 (पूर्ववर्ती ओ. ए. संख्या 21/2014) के अंतर्गत माननीय एनजीटी के दिनांक 27.07.2018 के आदेश के अनुसार एनजीटी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में त्रैमासिक व्यापक रिपोर्ट (सी.पी.सी.बी.) दाखिल की जा रही है।
4. **व्यापक कार्य योजना (सीएपी) का कार्यान्वयन:** माननीय एनजीटी ने श्री विश्व मोहन द्वारा लिखित और टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार— “NCAO with Multiple Timelines to clear Air in 102 Cities to be released around August 15” (यानी 102 शहरों में वायु स्वच्छ बनाने के लिए अलग-अलग समय-सीमा के साथ एनसीएओ यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 15 अगस्त के आस-पास जारी किया जाएगा) मामले में ओ. ए. संख्या 681/20108 के संदर्भ में 08.10.2018 के अपने आदेश में दिल्ली के संबंध में वायु गुणवत्ता नियंत्रण समिति (एक्यूएमसी) के गठन का निर्देश दिया ताकि वह वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार करे। व्यापक कार्य योजना (सीएपी) के संदर्भ में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के.प्र.नि.बो. को भेजी जाती है।
5. **बैटरी चालित वाहनों को प्रोत्साहन :** प्रदूषण न फैलाने वाले ई-वाहनों को वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए, परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार द्वारा 7 अगस्त 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2020 अधिसूचित की।
6. **पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध :** माननीय एनजीटी ने स्वयं और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य मामले में ओ ए संख्या 249/2020, ओ ए संख्या 254/2020 और ओ ए संख्या 93/2020 के संबंध में अपने दिनांक 01.12.2020 के आदेश के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान परिवेशी वायु गुणवत्ता की दृष्टि से 'खराब' और उससे ऊपर श्रेणी में आने वाले एनसीआर और देश के उन सभी शहरों/कस्बों में सभी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया।
7. **दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के और भारी और वाणिज्यिक वाहनों पर शुल्क लगाना :** माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन में दिल्ली आने वाले हल्के और भारी वाणिज्यिक माल वाहक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) लगाया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की गईं।

8. **शहर की हरियाली :** भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का हरित क्षेत्र, जो 1997 में मात्र 26 वर्ग किलोमीटर था, वह बढ़कर 324.44 वर्ग किलोमीटर हो गया है। संवर्धित हरित क्षेत्र कार्बन सिंक के रूप में भी काम करता है। 2019 में 19 हरित एजेंसियों, ईको क्लबों और निवासी कल्याण संगठनों (आरडब्ल्यूएज) को शामिल करते हुए 21.15 लाख नए पौधे लगाने के वास्ते व्यापक वृक्षारोपण अभियान संचालित किया गया।

9. **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का कार्यान्वयन :**

दिल्ली में व्यापक कार्य योजना (सीएपी) और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) की सिफारिश के अनुसार, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत “बहुत खराब/गंभीर श्रेणी” वायु गुणवत्ता संबंधी प्रावधान 15 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया है।

10 वायु प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के मामले में स्रोत पर वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली में पीएम 2.5 और पीएम 10 के वार्षिक संकेन्द्रण के आधार पर 13 हॉटस्पॉट अर्थात् नरेला, बवाना, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, आर. के. पुरम, ओखला फेज-दो, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, विवेक विहार, पंजाबी बाग, मायापुरी और द्वारका की पहचान की गई है। वायु प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान और उनका उपशमन करने के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, जैसे प्लास्टिक और कचरा, मलबा/निर्माण एवं विध्वंस से उत्सर्जित ठोस कचरे को हटाना, सड़क पैच और पॉट होल की मरम्मत, भीड़भाड़ वाले यातायात स्थलों पर आवागमन सुगम बनाने के उपाय, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और सड़कों पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था, प्रदूषित और अनधिकृत उद्योगों को बंद करना, बायो-मास जलाए जाने और निर्माण एवं विध्वंस मलबा डंप करने आदि के संबंध में नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए रात को गश्त करना, हरियाली विकास आदि। इन उपायों का लक्ष्य अधिक प्रदूषण वाले स्थानों पर वायु की गुणवत्ता में तत्काल सुधार लाना है। एमसीडी क्षेत्रों के आयुक्तों को कार्य योजना के निष्पादन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदार बनाया गया है और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी जमीन पर प्रभावी समन्वय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन टीम के सदस्य बनाए गए हैं।

11 **स्वीकृत ईंधन पर जारी अधिसूचना का कार्यान्वयन:**

अन्य स्रोतों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण में उद्योगों का योगदान न्यूनतम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी उद्योगों, जिनमें बॉयलर/भट्ठी है, को पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 1624 इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित किया गया है।

12 **जन-जागरूकता**

21 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक यातायात चौराहों पर निष्क्रिय वाहनों के खिलाफ गहन पर्यावरण जागरूकता अभियान : दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नलों पर वाहनों का निष्क्रिय होना आम बात है। वाहनों के सक्रिय और गतिशील इंजन की तुलना में निष्क्रिय इंजन से अधिक धुआं उत्सृजित होता है। दिल्ली सरकार ने 21 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2020 तक प्रमुख 100 यातायात चौराहों पर सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच दो पारियों में एक अभियान चलाया। निष्क्रिय वाहनों की पहचान के लिए डिजिटल घड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जो 15 सेकंड से अधिक प्रतीक्षा समय को इंगित करते हैं।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के माध्यम से स्कूलों/कॉलेजों के इको-क्लबों के सहयोग से वायु और ध्वनि तथा जल प्रदूषण नियंत्रण के बारे में ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

13. सीएक्यूएम के निर्देशों का अनुपालन:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में एक आयोग का गठन अध्यादेश के माध्यम से किया गया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 28 अक्टूबर, 2020 को अध्यादेश जारी किया। आयोग के निर्णयों/निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी हितधारक विभागों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

2.13 दिल्ली सरकार द्वारा नई पहल :

- I. **स्मॉग टॉवर की स्थापना** : सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 13.01.2020 को स्मॉग टावर्स को आनंद विहार बस टर्मिनल और बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में स्थापित किया जाना है। दोनों स्थानों पर भू-खंड की पहचान की गई है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर लगाए जाने के संबंध में, जमीन पर काम शुरू कर दिया गया है।
- II. **एंटी स्मॉग गन** : प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और निर्माण एजेंसियों को आस्थगित धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए निर्माण परियोजनाओं/एजेंसियों/विभागों पर एंटी स्मॉग गन (एसएस) का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
- III. **पराली जलाए जाने पर नियंत्रण के लिए बायो डीकम्पोजर टेक्नोलॉजी** : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) पूसा ने फसल अवशेषों के जैव अपघटन के लिए स्वयं की बायो-डीकंपोजर तकनीक विकसित की है। विभाग ने दिल्ली के चार जिलों यानी उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम के 1935 एकड़ क्षेत्र में बायो-डीकंपोजर के घोल का छिड़काव किया।

2.14 एनसीआर राज्यों से संबंधित मुद्दे जो दिल्ली की परिवेश वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं: दिल्ली की परिवेशी वायु गुणवत्ता पर असर डालने वाले एनसीआर राज्यों से संबंधित विशेष मुद्दे निम्नांकित हैं :

- एनसीआर में ऑनलाइन डेटा प्रदर्शित करने वाले वायु गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- पड़ोसी राज्य यह अवश्य सुनिश्चित करें कि सभी निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के तरीके अपनाए जा रहे हैं, ताकि निर्माण स्थलों से धूल उत्सर्जन पर नियंत्रण किया जा सके।
- दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्रों में कचरे को खुले में जलाए जाने को सख्ती के साथ हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- दिल्ली के निकटवर्ती कृषि क्षेत्रों में धान अवशेषों को जलाए जाने पर अवश्य रोक लगाई जानी चाहिए।

2.15 दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हालांकि कड़े कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, फिर भी इस बात की परम आवश्यकता है कि एनसीआर राज्य भी उसी तरह के कदम उठाएं, जैसे रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने उठाए हैं।

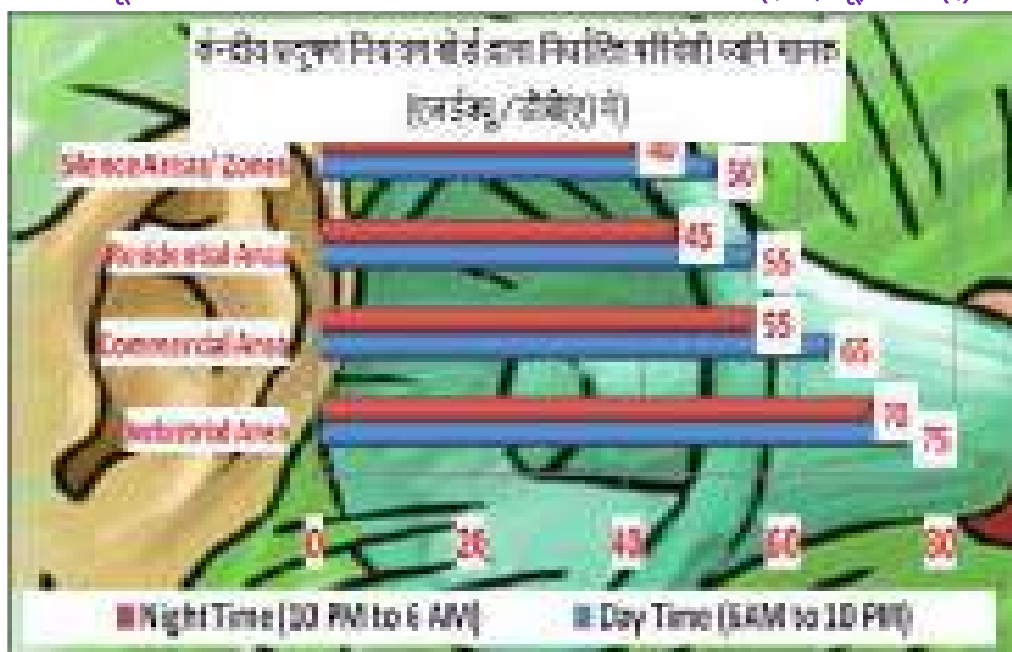
3. ध्वनि प्रदूषण

3.1 दिल्ली में सब तरह के वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण ध्वनि प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा है। इनमें उन क्षेत्रों से आने वाले वाहन भी शामिल हैं, जहां सीएनजी को ईंधन के रूप में नहीं अपनाया जा रहा है। निर्माण गतिविधियों और डीजल जनरेटरों आदि से भी बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है।

त्यौहारों के दौरान और सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक आयोजनों में तेज़ आवाज़ में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल से प्रभावित क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी होती है। दिल्ली सरकार ने 100 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले शिक्षा संस्थानों, सभी अदालत परिसरों, सभी सरकारी परिसरों के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र को शांत क्षेत्र/ज़ोन घोषित किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवेशी ध्वनि प्रदूषण की स्वीकार्य सीमा के बारे में जानकारी प्रकाशित की है। ये निर्धारित ध्वनि मानक चार्ट 8.3 में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 8.3

य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक (एलईक्यू/डीबी(ए))



स्रोत :-ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।

नोट : 1. दिन का समय सवेरे 6 बजे से रात 10 बजे और रात का समय रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक।

2. शांत क्षेत्र के अन्तर्गत अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थलों या अन्य परिसरों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले ऐसे सभी स्थान शामिल हैं, जिन्हें सक्षम अधिकारी ने शांत क्षेत्र घोषित किया हो।

3.2 डी.पी.सी.सी. ने हाल ही में दिल्ली में 31 (26 नए+5 पुराने) ध्वनि निगरानी स्टेशनों के साथ ध्वनि निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया है। इन स्टेशनों को वास्तविक समय ध्वनि के स्तर का आकलन करने के लिए विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों में स्थापित किया गया। सात स्टेशन शांत क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल शामिल हैं, 11 स्टेशन कमर्शियल ज़ोन में स्थित हैं जिनमें बाजार और स्टेडियम शामिल हैं, आठ स्टेशन आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं और पाँच स्टेशन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं। इन स्टेशनों के वार्षिक आंकड़े विवरण 8.3 में दिए गए हैं:-

विवरण 8.3

परिवेशी ध्वनि स्तर (दिन के समय) की वार्षिक औसत						
केंद्र	2015	2016	2017	2018	2019	2020
आनंद विहार (डीबी (ए))	67.8	67.6	67.8	66.2	65.5	61.4
सिविल लाइन्स (डीबी (ए))	62.9	62.7	62.4	61	61	59.9
मंदिर मार्ग (डीबी (ए))	57.1	58.4	56.8	57.6	57.8	55.3
पंजाबी बाग (डीबी (ए))	63.4	59	59	59.3	58.3	56.1
आरके पुरम (डीबी (ए))	60.3	61	60.6	61.1	62.1	61.5
अलीपुर (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	51.6
अशोक विहार (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	58.1
कनॉट प्लेस (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	63.3
डॉ.कर्णी सिंह (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	55.4
द्वारका (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	64.2
आईएमडी (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	54.8
जहांगीरपुरी (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	58.6
जेएलएन स्टेडियम (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	57.2
करोल बाग (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	71.8
कश्मीरी गेट (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	62.8
लाजपत नगर (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	63
मुंडका (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	57.7
नजफगढ़ (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	52.2
नरेला (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	62.8
नेशनल स्टेडियम (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	56.9
नेहरू नगर (आर)(डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	56
ओखला (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	56.5
पटपड़गंज (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	57
पूथ खुर्द बवाना (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	55.7
पूसा (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	62.3
रोहिणी (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	55.7
शाहदरा (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	67.4
सोनिया विहार (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	56.2
श्री अरबिंदो मार्ग (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	54.6
विवेक विहार (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	59.6
वजीरपुर (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	62.1

परिवेशी ध्वनि स्तर (रात के समय) की वार्षिक औसत						
केंद्र	2015	2016	2017	2018	2019	2020
आनंद विहार (डीबी (ए))	64.9	65.8	65	63.9	62.8	57.2
सिविल लाइन्स (डीबी (ए))	61.9	61.3	60.3	58.7	58.6	56.9
मंदिर मार्ग (डीबी (ए))	50.8	51.5	48.5	51.4	49.4	49.9
पंजाबी बाग (डीबी (ए))	58.9	54.8	53.3	52.5	52.2	50.5
आरके पुरम (डीबी (ए))	53.7	56.1	54.4	54.9	56	56.9
अलीपुर (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	49.5
अशोक विहार (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	54.9
कनॉट प्लेस (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	57.4
डॉ.कर्णी सिंह (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	50.1
द्वारका (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	57.9
आईएमडी (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	51.3
जहांगीरपुरी (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	55.2
जेएलएन स्टेडियम (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	54.5
करोल बाग (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	61
कश्मीरी गेट (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	58.9
लाजपत नगर (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	55.6
मुंडका (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	55.3
नजफगढ़ (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	49.3
नरेला (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	59.3
नेशनल स्टेडियम (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	54.1
नेहरू नगर (आर)(डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	53.9
ओखला (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	52.4
पटपड़गंज (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	54.1
पूथ खुर्द बवाना (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	52.5
पूसा (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	57.5
रोहिणी (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	52.2
शाहदरा (सी) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	64.6
सोनिया विहार (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	52.8
श्री अरबिंदो मार्ग (एस) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	51.7
विवेक विहार (आर) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	58.3
वजीरपुर (आई) (डीबी (ए))	NA	NA	NA	NA	NA	58.5

स्रोत : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

3.3 ध्वनि मर्यादक अधिसूचना:

हरदीप सिंह और अन्य बनाम दक्षिण दिल्ली नगर निगम और अखंड भारत मोर्चा बनाम भारतीय संघ और अन्य, मामलों में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के ओए सं 519/2016 और ओए संख्या 496/2018 (एमए संख्या 1159/2018), और ओए संख्या 196/2018 और ओए संख्या 197/2018 के अनुपालन में 21 नवंबर 2019 को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 के नियम-3 के उप नियम (3) और के नियम 2 के खंड (ग) के साथ पठित नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत ध्वनि मर्यादक अधिसूचना जारी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी समारोह में ऐसा कोई ऑडियो सिस्टम या पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयुक्त/स्थापित नहीं किया जिसमें ध्वनि मर्यादक न लगाया गया हो। इसके अलावा किसी भी विनिर्माता/डीलर/दुकानदार/पब्लिक एड्रेस सिस्टम किराए पर देने वाली एजेंसी आदि/व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम बेचा/खरीदा नहीं जाएगा जिसमें ध्वनि मर्यादक न लगाया गया हो।

3.4 ध्वनि संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए मंच

यदि कोई ध्वनि संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है और अत्यधिक शोर करता है तो नागरिकों द्वारा उसकी शिकायत निम्नांकित के जरिए की जा सकती है:-

- ग्रीन दिल्ली ऐप
- वेबसाइट :ngms.delhi.gov.in
- हेल्पलाइन नम्बर-155271

4. जल प्रदूषण

4.1 दिल्ली के अस्तित्व का आधार यमुना नदी को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का समूचा हिस्सा मुख्य रूप से गैर-उपचारित मल-जल और समुचित रूप में उपचार न किए गए औद्योगिक प्रदूषकों के प्रवाह के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है।

- दिल्ली में पल्ला (दिल्ली-हरियाणा सीमा) से बदरपुर (दिल्ली-हरियाणा सीमा) तक 54 किलोमीटर हिस्सा।
- वजीराबाद (वजीराबाद बांध से नीचे की ओर) से असगरपुर गांव (ओखला बांध के बाद) तक 22 किलोमीटर हिस्सा, जो नदी की कुल लंबाई का 2 प्रतिशत से भी कम है, नदी में प्रदूषण का करीब 76 प्रतिशत भार डालता है।
- खुश्क मौसम, जो वर्ष में 9 महीने से अधिक रहता है, के दौरान नदी में वजीराबाद बांध से नीचे की ओर ताजा जल की कोई धारा नहीं होती और केवल अपशिष्ट जल (उपचारित और गैर-उपचारित दोनों) का प्रवाह उपलब्ध रहता है।
- यमुना नदी में 18 प्रमुख नाले गिरते हैं, जिनसे करीब 3026 एमएलडी (करीब 666 एमजीडी) अपशिष्ट जल नदी में प्रवाहित होता है। इसमें हरियाणा से नजफगढ़ नाले के जरिए गिरने वाला 105 एमजीडी अपशिष्ट जल और गाजियाबाद से शाहदरा नाले के जरिए गिरने वाला 14 एमजीडी अपशिष्ट जल शामिल है। बीओडी (जैव रसायन ऑक्सीजन मांग) के संदर्भ में प्रदूषण लोड करीब 264 टीपीडी है।
- हरियाणा राज्य द्वारा जल अभाव के समय हथिनी कुंड से 10 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। परंतु, इसमें से अधिकांश हिस्सा जलाभाव मौसम के दौरान वजीराबाद तक पहुंचते पहुंचते या तो

वाष्पीकृत हो जाता है अथवा उसे जमीन सोख लेती है। अतः यह पानी की वांछित गुणवत्ता (बीओडी < 3 mg/l & DO $\geq$ 5 mg/l) हासिल करने के लिए विलयन संबंधी आवश्यकता पूरा करने में पर्याप्त नहीं होता है।

4.2 यमुना नदी की जल गुणवत्ता :-

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (9 स्थानों पर) और के.प्र.नि.बो. (5 स्थानों पर) मासिक आधार पर यमुना नदी के जल की गुणवत्ता की जांच करता है।
- पिछले 5 वर्षों के लिए यमुना नदी में जल की गुणवत्ता के लिए के.प्र.नि.बो. के विश्लेषण की प्रवृत्ति के अनुसार :-
 - यमुना नदी में विलयित आक्सीजन (डीओ) और बीओडी स्तरों की दृष्टि से दो स्थानों पर, अर्थात् पल्ला और सुरघाट में स्नान करने के लिए जल गुणवत्ता मानदंड का अनुपालन हो रहा है।
 - अन्य स्थानों पर डीओ और बीओडी मानकों की दृष्टि से जल गुणवत्ता का अनुपालन नहीं हो रहा है। बीओडी संकेंद्रण में उतार चढ़ाव देखा जाता है, जो खजरी पल्टून पुल पर 30.27 माइक्रोग्राम/लीटर और ओखला के बाद शाहदरा नाले में मिल जाने पर यह 37.36 माइक्रोग्राम/लीटर देखा गया है।
 - इन स्थानों पर बीओडी और सीओडी के अधिक संकेंद्रण का कारण यह है कि निजामुद्दीन और ओखला के बीच गैर-उपचारित अपशिष्ट जल नदी में डाला जा रहा है और विभिन्न नाले इसी भाग में नदी में मिलते हैं।
- यमुना नदी के जल की गुणवत्ता की जांच के लिए वजीराबाद और ओखला बैराज पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली संस्थापित की गई है।
- डी.पी.सी.सी. द्वारा यमुना नदी में पल्ला के निकट अमोनिया के संकेंद्रण के मापन के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली संस्थापित की गई है। इससे हरियाणा से अपशिष्ट/औद्योगिक उत्सर्जित जल पल्ला में डाले जाने के कारण जल की गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में दिल्ली जल बोर्ड के जीराबाद जल शोधन संयंत्र के लिए शीघ्र चेतावनी जारी करने में मदद मिलती है।

4.3 डी.पी.सी.सी. यमुना नदी के जल की गुणवत्ता (9 स्थानों पर) और यमुना नदी में गिरने वाले प्रमुख नालों (24 नालों) के जल की गुणवत्ता की मासिक जांच करती है। विवरण 8.5 (9 स्थानों पर) और 8.6 (24 नालों) में जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक की अवधि में यमुना नदी के जल की वार्षिक औसत गुणवत्ता दर्शायी गई है। यमुना नदी की ताजा जल गुणवत्ता जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि 'सी' श्रेणी की जल गुणवत्ता के संदर्भ में बीओडी और डीओ जैसे जल गुणवत्ता मानदंड पल्ला, जो वजीराबाद बैराज की ऊपरी धारा है, में वांछनीय/निर्धारित मानदंड के अनुसार हैं।

4.4 डीओ की वार्षिक औसत पल्ला में 7.19 माइक्रो ग्राम/लीटर रही है। बीओडी की वार्षिक औसत पल्ला में 2.56 माइक्रोग्राम/लीटर और डी/एस ओखला बैराज में (शाहदरा नाले के मिलने के बाद) 37.36 माइक्रोग्राम/लीटर के बीच रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंड के अनुसार डीओ और बीओडी के लिए जल गुणवत्ता मानक नदी के 'सी' श्रेणी के जल के लिए क्रमशः 5 माइक्रोग्राम/लीटर और 3 माइक्रोग्राम/लीटर हैं। दिल्ली में विभिन्न जलक्षेत्रों के गुणवत्ता निगरानी परिणामों से पता चलता है कि नदी का जल बेहद प्रदूषित है।

विवरण 8.4

विभिन्न स्थानों पर यमुना नदी के पानी की वार्षिक औसत गुणवत्ता : जनवरी 2020 से दिसंबर 2020

क्र सं	स्थान	पीएच (मिग्रा / लीटर)	सीओडी (मिग्रा / लीटर)	बीओडी (मिग्रा / लीटर)	डीओ(मिग्रा / लीटर)
	जल गुणवत्ता मानदंड	6.5-8.5	-	3 मिग्रा / लीटर या कम	5 मिग्रा / लीटर या अधिक
1	पल्ला	7.73	9.73	2.56	7.19
2	सुरघाट	7.58	14.36	3.42	5.87
3	खजूरी पलटून पुल	7.31	96.00	30.27	1.40
4	कुदसिया घाट	7.41	77.64	27.45	2.30
5	आईटीओ पुल	7.49	72.36	24.91	2.00
6	निजामुद्दीन पुल	7.42	66.36	21.91	2.08
7	आगरा नहर (ओखला)	7.62	75.27	23.64	3.67
8	डी/एस ओखला बैराज (शाहदरा नाले से मिलने के बाद)	7.80	105.82	37.36	2.60
9	आगरा नहर ओखला	7.53	75.27	24.20	1.50

स्रोत : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

विवरण 8.5

दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर नालों के पानी की वार्षिक औसत गुणवत्ता : जनवरी 2020 से दिसंबर 2020

क्र.सं.	माप/नाला	पीएच	टीएसएस	सीओडी	बीओडी
	जल गुणवत्ता मानदंड	5.5-9.0 (मिग्रा / लीटर)	100 (मिग्रा / लीटर)	250 (मिग्रा / लीटर)	30 (मिग्रा / लीटर)
1	नजफगढ़ नाला	7.4	106.0	169.0	59.6
2	मैटकाफ हाउस ड्रेन	7.0	92.0	148.0	48.0
3	खैबर पास ड्रेन	7.7	51.2	97.2	28.2
4	स्वीपर कालोनी ड्रेन	7.6	77.8	138.0	44.7
5	मैग्जीन रोड ड्रेन	7.6	155.4	242.4	88.3
6	आईएसबीटी ड्रेन	7.54	111.4	193.2	66.8
7	तांगा स्टैंड ड्रेन	7.5	92.9	126.2	45.2
8	मोट ड्रेन	No Flow	No Flow	No Flow	No Flow
9	सिविल मिल ड्रेन	7.4	140.0	260.8	83.2
10	पावर हाउस ड्रेन	7.4	123.4	220.0	73.0
11	सेन नर्सिंग होम ड्रेन	7.4	128.4	213.2	73.3
12	ड्रेन नम्बर 12 ए	No Flow	No Flow	No Flow	No Flow
13	ड्रेन नम्बर 14	7.5	93.8	144.0	51.2

14	बारापूला ड्रेन	7.4	90.6	166.4	53.6
15	महारानी बाग ड्रेन	7.4	153.6	255.2	88.2
16	कालकाजी ड्रेन	7.39	144.29	232.29	72.71
17	सरिता विहार ड्रेन (मथुरा रोड)	7.5	154.2	258.2	90.9
18	तेहखंड ड्रेन	7.6	179.6	280.6	101.9
19	तुगलकाबाद ड्रेन	7.6	149.0	265.0	93.3
20	एलपीजी बोटलिंग प्लांट के निकटवर्ती ड्रेन	No Flow	No Flow	No Flow	No Flow
21	सरिता विहार पुल के निकटवर्ती ड्रेन	7.6	156.2	254.6	95.0
22	शाहदरा ड्रेन	7.5	252.4	408.0	147.9
23	साहिबाबाद ड्रेन	7.5	269.8	413.0	158.8
24	इंद्रपुरी ड्रेन	7.7	286.0	433.6	158.8

स्रोत : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

4.5 नालों के जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों से पता चलता है कि अधिकतर नाले जैव रसायन आक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) और समग्र आस्थगित ठोस (टीएसएस) के संदर्भ में मानदंड पूरे नहीं करते हैं।

4.6 अनधिकृत कॉलोनिजों में सीवरेज प्रणाली की स्थिति

अनियोजित बस्तियों में सीवरेज प्रणाली न होने के कारण अनियोजित क्षेत्र से निकलने वाला अपशिष्ट जल नालों में छोड़ा जाता है। दिल्ली जल बोर्ड ने अनधिकृत बस्तियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की है। दिल्ली में, लगभग 78% आबादी पहले से ही सीवरेज नेटवर्क से जुड़ी हुई है। सीवर रहित क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनधिकृत कॉलोनियां होती हैं। 1799 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें से 561 कॉलोनिजों में सीवर लाइनें बिछाई और अधिसूचित की जा चुकी हैं और 595 कॉलोनिजों में काम चल रहा है। 512 कॉलोनिजों में, सीवर नेटवर्क अभी (30.11.2020 को) कायम किया जाना है।

4.7 यमुना नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपाय

- अवजल उत्सर्जित — 720 एमजीडी
- कार्यात्मक अवजल उपचार संयंत्र (एसटीपीज़) — 35 (20 स्थानों पर)
- 35 अवजल उपचार संयंत्रों की क्षमता — 597एमजीडी (अवजल उपचार क्षमता का 83 प्रतिशत)
- अवजल उपचार (31.08.2020 को) - 530 एमजीडी (संस्थापित क्षमता का 88 प्रतिशत और अवजल उपचार क्षमता का 74 प्रतिशत)।
- अवजल उत्सर्जन और संस्थापित क्षमता के बीच अंतराल—123 एमजीडी (17 %) क्षमता (31.08.2020 को)।
- अवजल उत्सर्जन और उपचार क्षमता के बीच अंतराल—190 एमजीडी (26%) क्षमता (31.08.2020 को)।
- प्रस्तावित परियोजनाएं (आईएसपी, 12 एसपीटीज के पुनर्स्थापन/उन्नयन और कोरोनेशन पिलर और ओखला में नए एसटीपीज) पूरी होने के बाद कुल अवजल उपचार क्षमता—707 एमजीडी (31.12.2022 तक)
- [597 (वर्तमान क्षमता)+ नए कोरोनेशन पिलर एसटीपी के निर्माण के बाद अतिरिक्त 40 एमजीडी+नए ओखला एसटीपी के निर्माण के बाद अतिरिक्त 30 एमजीडी+रिडाला फेज-1 में अतिरिक्त 20 एमजीडी+निलोटी फेज-2 में अतिरिक्त 20 एमजीडी]

35 कार्यात्मक अवजल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की सूची और उनकी क्षमता निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण 8.6

दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के कार्यात्मक अवजल उपचार संयंत्र (एसटीपीज)

क्र.स.	एसटीपीका स्थान	चरण वार वर्गीकरण	एमएलडी (एमजीडी) में क्षमता
1	ओखला	चरण-II	54.55 (12 एमजीडी)
		चरण-III	168.2 (37 एमजीडी)
		चरण-IV	204.57 (45 एमजीडी)
		चरण-V	72.74 (16 एमजीडी)
		चरण-VI	136.38 (30 एमजीडी)
2.	रिठाला	चरण-I	90.92 (20 एमजीडी)
		चरण-II	181.84 (40 एमजीडी)
3.	कोंडली	चरण-II	113.65 (25 एमजीडी)
		चरण-IV	204.57 (45 एमजीडी)
4.	केशोपुर	चरण -I (नया)	54.55 (12 एमजीडी)
		चरण-II	90.92 (20 एमजीडी)
		चरण-III	181.84 (40 एमजीडी)
5.	यमुना विहार	चरण-I	45.46 (10 एमजीडी)
		चरण-II	45.46 (10 एमजीडी)
		चरण-III	113.65 (25 एमजीडी)
6.	वसंत कुंज	चरण-I	10 (2.2 एमजीडी)
		चरण-II	13.64 (3 एमजीडी)
7.	महरौली	-	22.73 (5 एमजीडी)
8.	कोरोनेशन पिलर	चरण-I & II	90.92 (20 एमजीडी)
		चरण-III	45.46 (10 एमजीडी)
9.	नरेला	-	45.46 (10 एमजीडी)
10.	निलोठी	चरण-I	181.84 (40 एमजीडी)
		चरण-II	90.92 (20 एमजीडी)
11.	नजफगढ़	-	22.73 (5 एमजीडी)
12.	पप्पनकलां	चरण-I	90.92 (20 एमजीडी)
		चरण-II	90.92 (20 एमजीडी)
13.	सेन नर्सिंग होम ड्रेन	-	10 (2.2 एमजीडी)
14.	दिल्ली गेट नाला	चरण -I	10 (2.2 एमजीडी)
		चरण -II	68.19 (15 एमजीडी)
15.	रोहिणी	-	68.19 (15 एमजीडी)
16.	घिटोरनी	-	22.73 (5 एमजीडी)
17.	कापसहेड़ा	-	22.73 (5 एमजीडी)
18.	चिल्ला	-	40.91 (9 एमजीडी)
19.	राष्ट्रमंडल खेल गाँव	-	4.55 (1 एमजीडी)
20.	बंध	-	3 (0.66 एमजीडी)
	कुल	20 स्थानों पर 35 एसटीपी	2715.14 एमएलडी (597.26 एमजीडी)

- दिजबो के कार्यात्मक एसटीपीज की निगरानी दि.प्र.नि.स. की प्रयोगशाला द्वारा मासिक आधार पर की जा रही है और विश्लेषण परिणाम दि.प्र.नि.स. की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं और निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए सुधार उपायों के लिए दिजबो को सूचित किया जाता है।
- सभी कार्यात्मक एसटीपीज ने ऑनलाइन कंटीन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) स्थापित किये हैं और वे के.प्र.नि.बो. और दि.प्र.नि.स. के सर्वर से जुड़े हैं। एसटीपीज पर संस्थापित ओसीईएमएस को दि.प्र.नि.स. द्वारा नियमित रूप से अंशांकित या कैलिब्रेट किया जाता है।

4.8 इंटरसेप्टर सीवर परियोजना (आईएसपी)

दिल्ली जल बोर्ड ने इन नालों में गिरने वाले 108 छोटे नालों के अवरोधन के लिए 3 बड़े नालों (नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंटरी नाला और शाहदरा नाला) के साथ इंटरसेप्टर सीवर बिछाने की प्रक्रिया शुरू की। कॉलोनीयों/अन्य स्रोतों से उत्पन्न और 108 छोटे नालों के जरिए आने वाला लगभग 242 एमजीडी अवजल उपर्युक्त बड़े नालों तक पहुंचने से पहले रोका जाएगा और उसे अवजल के उपचार के लिए, क्षमता से कम उपयोग किए गए मौजूदा एसटीपी/नए एसटीपी में पहुंचा दिया जाएगा। 242.16 एमजीडी के समूचे प्रवाह को वाईएपी-3 के तहत कोरोनेशन पिलर और रिठाला तथा कौंडली एसटीपी के निर्माण/पुनर्वास के बाद दिसंबर 2022 तक रोक दिया जाएगा और उसका उपचार किया जाएगा।

4.9 नालों का अवरोधन

18 बड़े नाले यमुना नदी में गिरते हैं और यमुना नदी में लगभग 3026 एमएलडी (लगभग 666 एमजीडी) अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है, जिसमें 110 एमजीडी अपशिष्ट जल हरियाणा से नजफगढ़ नाले में और 14 एमजीडी गाजियाबाद से शाहदरा नाले में आता है। बीओडी के संदर्भ में लगभग 264 टीपीडी प्रदूषण लोड है।

विवरण 8.7

यमुना नदी में गिरने वाले बड़े नाले

यमुना नदी में गिरने वाले बड़े नाले	18
पहले से ही रोके गए नाले (58.75 एमजीडी)	13 (मैगजीन रोड, स्वीपर कॉलोनी, खैबर पास, मेटकाल्फ हाउस, टांगा स्टैंड, मोआत नाला (विजय घाट), सिविल मिलिट्री, दिल्ली गेट, नाला नंबर 14, तुगलकाबाद, कालकाजी, तहखंड और सेन नर्सिंग होम)
रोके जाने वाले शेष नाले	5 (नजफगढ़, शाहदरा, मोरी गेट, बारापुल्ला और महारानी बाग)

- 2 बड़े नाले – नजफगढ़ और शाहदरा को इंटरसेप्टर सीवर परियोजना में शामिल किया गया है और 108 छोटे नालों को रोका जाना है।
- मोरी गेट (9.51 एमजीडी) और बारापुल्ला (31.97 एमजीडी) नालों के मुहाने पर वैयक्तिक एसटीपी प्रस्तावित हैं।
- महारानी बाग नाले को आंशिक रूप से 9 –10 एमएलडी प्रवाह तक रोक दिया गया है और शेष 15 एमएलडी प्रवाह को 30.04.2022 तक बाटला हाउस सीवरेज प्रणाली में रोक दिया जाएगा।

- 4.10 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मौजूदा एसटीपी और नए एसटीपी के निर्माण का पुनर्सुधार/उन्नयन बीओडी के अधिक कड़े निर्धारित मानकों – 10 एमजी/लीटर तथा टीएसएस-10 एमी/लीटर को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिए गए मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) (जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है) का प्रस्ताव/सुधार/उन्नयन किया गया है। नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित के रूप में कोरोनेशन पिलर और ओखला में नए एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है:

विवरण 8.8

मौजूदा एसटीपीएस (उन्नयन किए जाने वाले) और नए एसटीपीएस (निर्मित किए जाने वाले)

क्र.सं.	एसटीपी का नाम	क्षमता	समयसीमा	टिप्पणियां
मौजूदा एसटीपी का पुर्नसुधार/उन्नयन				
1	यमुना विहार एसटीपी चरण- 2	10 एमजीडी	मार्च 2022	संयत्र को मौजूदा मानदंडों के अनुरूप पहले से संचालित कर दिया गया है।
2	कौंडली एसटीपी चरण- 1,2 और 3	45 एमजीडी (10+25+10)	चरण- 1 दिसंबर 2021 चरण- 2 दिसंबर 2022 चरण 3 दिसंबर 2021	अनुबंध दिया गया
3	रिठाला एसटीपी चरण 1	40 एमजीडी	दिसंबर 2022	
नये एसटीपी का निर्माण				
4	कोरोनेशन पिल्लर मौजूदा एसटीपी चरण 1,2 और 3	30 एमजीडी (10+10+10)	मार्च 2021	कोरोनेशन पिल्लर में 70 एमजीडी (318 एमएलडी) क्षमता के एक नये एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है, इसके चालू होने के बाद क्षमता 40 एमजीडी तक बढ़ जाएगी
5	मौजूदा एसटीपी ओखला चरण 1,2 और 3	124 एमजीडी (30+12+ 37+45)	दिसंबर 2022	ओखला में मौजूदा एसटीपी (चरण 1 से 5) के स्थान पर नई जगह पर एक नया 124 एमजीडी (564 एमएलडी) क्षमता के एसटीपी का निर्माण किया जाएगा, नये एसटीपी के चालू होने तक मौजूदा एसटीपी काम करता रहेगा।
	कुल (12 एसटीपी)	249 एमजीडी (1132 एमएलडी)		क्षमता- 289 एमजीडी (31.12.2020 तक)

4.11 नालियों में सीवेज का सीटू में जैवोपचार/पादपोचार

मनोज मिश्रा बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामले में ओए सं. 06/2012 दिनांक 05-03-20 के माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुसार एक एकीकृत नाला प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईडीएमसी) का गठन, दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2020 को किया गया ताकि दिल्ली के सभी नालों का सुधार और प्रबंधन किया जा सके। आईडीएमसी में दिल्ली के सभी नालों के स्वामी अभिकरणों (डीओए) के सदस्य हैं और दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके सदस्य सचिव हैं। आईडीएमसी की नियमित बैठकें होती हैं। नाला स्वामी अभिकरणों (ईडीएमसी और डीसीबी) ने अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की है और कार्यान्वयन शुरू किया है। एनडीएमसी क्षेत्रों में बहने वाले कुशक नाला के अपशिष्ट जल का जैवोपचार किया जा रहा है और बीओडी, टीएसएस, सीओडी जैसे मापदंडों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली छावनी बोर्ड ने 11.06.2020 से जैवोपचारयोजना का कार्यान्वयन शुरू कर चुका है। बाकी नाला स्वामी अभिकरणों ने

अपनी कार्ययोजना की स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है और आईडीएमसी इसके साथ –साथ अन्य मुद्दों पर भी नजर रख रही है।

4.12 सीवेज और मलजल तथा गाद प्रबंधन (सेप्टेज मैनेजमेंट):

मुख्य रूप से बिना सीवर वाले क्षेत्रों/अनधिकृत कॉलोनियों/बस्तियों आदि में स्थित सेप्टिक टैंकों से मलजल तथा गाद (सेप्टेज) के समुचित संग्रहण, उपचार और प्रबंधन के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग, द्वारा 12.11.2018 को सेप्टेज प्रबंधन विनियम अधिसूचित किए गए हैं।। उक्त अधिसूचना के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेटों और स्थानीय निकायों/नगर निगमों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 30.11.2020 तक कुल 333.6 एमएलडी सेप्टेज प्राप्त किया गया और उपचारित किया गया। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुल 208 टैंकों को 30.11.2020 तक सेप्टेज के संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है।

4.13 नालों और यमुना नदी में ठोस अपशिष्ट बहाने की रोकथाम:

- माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुसार यमुना नदी में पूजा सामग्री/फूल आदि बहाए जाने पर 5000 रुपये और निर्माण सामग्री/मलबा बहाने पर 50,000 रुपये पर्यावरण जुर्माना देना पड़ता है।
- नालों में ठोस कचरा डालने पर रोक लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों को मुख्य सचिव के दिनांक 09.01.2019 के और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के दिनांक 15.01.2019 के आदेश के तहत नियमों का उलंघन किए जाने पर 50,000 रुपये के पर्यावरण जुर्माना लगाने और कार्रवाई करने को कहा गया है।
- यमुना नदी में पूजा सामग्री/फूल आदि बहाने पर रोक लगाने के लिए पुलों के स्वामी अभिकरणों ने नदी के पास पुलों पर तारों का जाल बिछाया है।
- तारों का यह जाल यमुना नदी में ठोस कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए नालों के मुहाने पर ही लगाया गया है।

4.14 जल निकायों का कायाकल्प:

- डीजेबी, आईएफसीडी, डीडीए, स्थानीय निकाय/नगर निगम और अन्य एजेंसियां जिन पर जल निकायों की देखरेख की जिम्मेदार हैं उन्हें अपने अधिकार क्षेत्रों में जल निकायों की सुरक्षा और जीर्णोद्धार के लिए कार्य योजना की पहचान करने और तैयार करने की आवश्यकता है। यह, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामले में मूल आवेदन संख्या 325/2015 के संबंध में माननीय एनजीटी के आदेश के अनुरूप है।
- दिल्ली जल बोर्ड ने 155 जल निकायों के पुनरुद्धार/कायाकल्प का काम शुरू किया है। 46 जल निकायों के कार्य सौंप दिए गए हैं। द्वारका डब्ल्यूटीपी, सेक्टर –25, रोहिणी डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी और तिमारपुर ऑक्सीकरण तालाबों में 4 नई झीलों के निर्माण का काम चल रहा है, जहां भूमिगत जल पुनर्भरण के लिए उपचारित धारा का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड 3 अन्य निकायों – सतपुला झील, रोशनारा झील और तिहार झील को भी पुनर्जीवित करेगा।

4.15 यमुना नदी के बाढ़ – मैदान का संरक्षण

- माननीय एनजीटी के दिनांक 13.01.2015 के आदेशों के अनुसार, यमुना नदी के बाढ़ के मैदान को संरक्षित किया जाना है, डीडीए द्वारा अनधिकृत आवासन/बस्तियों/अतिक्रमण को हटाया जाना है और खाद्य फसलों की खेती वर्जित है। यमुना नदी के बाढ़ के मैदान की सुरक्षा और अतिक्रमण को रोकने के लिए डीडीए द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है और की जा रही है।

- (i) 25 वर्ष में 1 बाढ़ मैदान का सीमांकन और बोलाई तथा बाड़ लगाना: 1 का सीमांकन: वजीराबाद से जैतपुर तक यमुना नदी के दोनों किनारों पर 25 वर्ष में एक बाढ़-मैदान का सीमांकन करना। जियो-रेफरेंस के साथ-साथ के बोलाई पुनर्स्थापन का कार्य दे दिया गया है। वजीराबाद से आईएसबीटी तक और सन डायल से धोबीघाट तक बाढ़ के मैदानों को चिह्नित किया गया। बाढ़ के मैदानों के सीमांकन का 90 प्रतिशत काम अगस्त, 2020 तक पूरा कर लिया गया। यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर सीमांकन के लिए 100 बोलाई पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक समूचे खंड के लिए 600 बोलाई स्थापित किए जा चुके हैं।
- (ii) कचरे के अवैध ढेर लगाने को रोकने के लिए निजी सुरक्षा की व्यवस्था: कचरे के अवैध ढेर लगाने को रोकने के लिए डीडीए ने निजी सुरक्षा की व्यवस्था की है और इसके लिए 120 सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं।
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली की स्थापना: यमुना बाढ़ – मैदान में अवैध रूप से मलबा फेंकने पर रोक लगाने के लिए वजीराबाद से जैतपुर तक 34 स्थानों पर 102 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पहले ही दिया जा चुका है। 12 स्थानों पर 36 कैमरे लगाए जा चुके हैं। डीडीए द्वारा पुराने रेलवे पुल से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक, खिजराबाद तथा गीता कॉलोनी में एमसीआर, गोल्डन जुबली पार्क और खिजराबाद में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- (iv) बाढ़ – मैदान से अतिक्रमण को हटाना: ओखला, खिजराबाद और जोगाबाई में लगभग 11.0 एकड़ भूमि पर बसी 1026 झुगियों/ढांचों में से 600 झुगियों को हटाया गया है और 5.00 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है।
- (v) एरियल मैपिंग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: डीडीए, मलबे की मात्रा और स्थान का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एरियल मैपिंग आदि या ड्रोन जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना का पता लगा रहा है। डीडीए ने एक अपरिवर्ती दल के साथ गश्त वाली इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली तैनात की है। उपग्रह के चित्रों के उपयोग से खाली भूमि पर अतिक्रमण की निगरानी के लिए इसरो के साथ बातचीत की गई है और डीडीए ने 6 जुलाई, 2018 को इसरो के साथ इस बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे यमुना नदी के बाढ़ मैदान की निगरानी में इस्तेमाल किया जाएगा।
- (vi) यमुना नदी के बाढ़ – मैदानों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प: डीडीए यमुना नदी के बाढ़ – मैदानों के जीर्णोद्धार और कायाकल्प का काम आगे बढ़ा रहा है। डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जोन-ओ का समूचा खंड 10 परियोजनाओं में उप-विभाजित किया गया है। इसमें कालिंदी कॉलोनी के पास जैव-विविधता पार्क का विकास भी शामिल है।

4.16 मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध:

- वर्ष 2020 में गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान सार्वजनिक विसर्जन की अनुमति नहीं दी गई थी। यमुना/जल निकायों में विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। श्रद्धालुओं ने घर में बाल्टी में मूर्ति विसर्जन किया। डीपीसीसी ने 13.08.2020 को गणेशोत्सव के लिए और 22.10.2020 को दुर्गा पूजा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

4.17 उत्प्रवाही प्रबंधन:

- स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र – 28 (औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 28000 उद्योग/इकाइयाँ और इन क्षेत्रों में लगभग 1500 ईटीपी)

- उद्योगों/ लगभग 36 एमएलडी से अपशिष्ट जल उत्पादन
- 28 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयाँ
- सामान्य प्रवाही उपचार संयंत्र (सीईटीपी) – 13 (17 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 212.3 एमएलडी (46.7 एमजीडी), क्षमता)
- सीईटीपी पर प्राप्त हुआ अपशिष्ट जल – लगभग 55 एमएलडी
- दिल्ली में 13 सामान्य प्रवाही उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की सूची और उनकी क्षमता के साथ ब्यौरा विवरण 8.9 में दिया गया है:

विवरण 8.9

दिल्ली में सामान्य प्रवाही उपचार संयंत्र (सीईटीपी)

सं.	सीईटीपी का नाम	सीईटीपी का नाम सीईटीपी की सोसायटी/आपरेटर	सीईटीपी के साथ जुड़ा औद्योगिक क्षेत्र	क्षमता (एमएलडी में)	प्रवाह (एमएलडी में) (अगस्त 2020)
1	नरेला सीईटीपी	पीएनसी दिल्ली इंडस्ट्रीयल इन्फ्रा प्रा. लि.	नरेला औद्योगिक क्षेत्र	22.5	11
2	नांगलोई सीईटीपी	डीएसआईडीसी और उद्योग नगर सीईटीपी सोसायटी	नांगलोई और उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र	12	2.82
3	मायापुरी सीईटीपी	मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र सीईटीपी सोसायटी	मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र	12	1.7
4	नारायणा सीईटीपी	नारायणा औद्योगिक क्षेत्र सीईटीपी सोसायटी	नारायणा औद्योगिक क्षेत्र	21.6	4.24
5	बवाना सीईटीपी	बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्रा. लि.	बवाना औद्योगिक क्षेत्र	35	20.0
6	बादली सीईटीपी	बादली औद्योगिक संपदा सीईटीपी सोसायटी	बादली औद्योगिक क्षेत्र	12	2.2
7	ओखला सीईटीपी	ओखला औद्योगिक क्षेत्र सीईटीपी सोसायटी	ओखला औद्योगिक क्षेत्र	24	1.6
8	एसएमए सीईटीपी	उत्तर पश्चिम औद्योगिक क्षेत्र सीईटीपी सोसायटी	एसएमए, राजस्थानी उद्योग नगर और एसएसआई औद्योगिक क्षेत्र	12	1.78
9	जीटीके रोड सीईटीपी	जीटीके रोड औद्योगिक संपदा सीईटीपी सोसायटी	जीटीके रोड औद्योगिक क्षेत्र	6	1.5
10	वजीरपुर सीईटीपी	वजीरपुर औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण (सीईटीपी) सोसायटी	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र	24	2.4
11	लारेंस रोड सीईटीपी	केशवपुरम औद्योगिक क्षेत्र (केईएसपीआईए) सीईटीपी सोसायटी	लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र	12	1.5
12	झिलमिल सीईटीपी	झिलमिल और फंड्स कालोनी औद्योगिक क्षेत्र सीईटीपी सोसायटी	झिलमिल और फंड्स कालोनी औद्योगिक क्षेत्र	16.8	2.9
13	मंगोलपुरी सीईटीपी	मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र सीईटीपी सोसायटी	मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र	2.4	1.12
		कुल		212.3	54.76

- 28 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में से 11 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी नहीं हैं क्योंकि वे अधिक मात्रा में तरल अपशिष्ट उत्पन्न नहीं कर रहे हैं।
- सभी मौजूदा 13 सीईटीपी की निगरानी डीपीसीसी प्रयोगशाला द्वारा मासिक आधार पर की जा रही है और आंकनल रिपोर्ट डीपीसीसी की वेबसाइट पर डाली गई है। 17 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए मौजूदा 13 सीईटीपी में पर्याप्त उपचार क्षमता (212.3

एमएलडी) उपलब्ध है। गैर-सीईटीपी औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही इकाइयों में वैयक्तिक अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं हैं।

- सीईटीपी के आउटलेट पर पीएच, टीएसएस, बीओडी और सीओडी को मापने के लिए सभी 13 सीईटीपी पर ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (ओएलएमएस) स्थापित की गई है। ये सभी ओएलएमएस, डीपीसीसी और सीपीसीबी के सर्वर से जुड़े हैं। डीपीसीसी जल प्रयोगशाला समय-समय पर सीईटीपी पर स्थापित ओएलएमएस की जांच करती है।
- बंदी के लिए कारण बताओ नोटिस/दिशा-निर्देश, डीपीसीसी द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 (क), के तहत जारी किए गए हैं और दिल्ली में गैर-अनुपालन/उल्लंघन करने वाले जल प्रदूषण उद्योगों/इकाइयों पर पर्यावरणीय जुर्माना भी लगाया गया है।

4.18 नदी कायाकल्प समिति (आरआरसी):

द हिंदू में प्रकाशित जैकब खोशी द्वारा लिखित समाचार— अधिक नदी खंड अब गंभीर रूप से प्रदूषित हैं, के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 20.09.2018, 19.12.2018, 08.04.2019, 06.12.2019, 29.06.2020 और 21.09.20 को जारी किए गए आदेश ओए संख्या 673/2018 के तहत दिल्ली (आरआरसी दिल्ली) के लिए एक नदी कायाकल्प समिति का गठन किया गया है।

आरआरसी दिल्ली ने दिल्ली में यमुना नदी के कायाकल्प के लिए कार्य योजना फरवरी, 2020 में सीपीसीबी को सौंप दी है। दिल्ली की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, जल शक्ति मंत्रालय तथा सीपीसीबी को सौंपी जा रही है और मुख्य सचिव, दिल्ली 06.12.2020 और 29.06.2020 के आदेशों के अनुसार समय-समय पर प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।

4.19 यमुना के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए शामिल/जिम्मेदार एजेंसियां/विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), वन विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उद्योग विभाग, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), शहरी विकास विभाग, स्थानीय प्राधिकरण और नगर निगम।

5 अपशिष्ट प्रबंधन

5.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन:

नगरीय के ठोस अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रबंधित किया जाना है। इन नियमों में, स्थानीय अधिकारियों और ग्राम पंचायतों, शहरी विकास विभाग, अपशिष्ट उत्पादकों, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य विभागों /एजेंसियों/मंत्रालयों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली में 5 स्थानीय निकाय/नगर निगम अपने संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान सहित उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। नगरीय के ठोस कचरे के उत्पादन, प्रसंस्करण और निपटान का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण 8.10
नगरीय ठोस कचरे का उत्पादन, प्रसंस्करण और निपटान

क्र. सं.	विवरण	उत्तरी डीएमसी	एसडीएमसी	ईडीएमसी	एनडीएमसी	डीसीबी	कुल
1	शहर के ठोस कचरे का उत्पादन (टीपीडी में)	4500	3600	2700	272	72	11144
2	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)	636	656.91	105.98	42.67	42.8	1484.36
3	जनसंख्या (लाख में)	90	70	50	2.57	1.332	213.902
4	वार्डों की संख्या	104	104	64	14 सर्कल	8	294
5	घरों की संख्या (लाख में)	16.5	1.61532	10.5	0.47558	0.10060	29.191505
6	ढलावों की संख्या	632	539	304	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1475
7	टीपीडी में अपशिष्ट का प्रसंस्करण (प्रतिशत में)	2400 (53 प्रतिशत)	1850 (51 प्रतिशत)	700 (26 प्रतिशत)	272 (100 प्रतिशत)	37 (51 प्रतिशत)	5259 (47 प्रतिशत)
8	लैंड फिल/डेर स्थल में एमएसडब्ल्यू का निपटान	2100 (47 प्रतिशत)	1750 (49 प्रतिशत)	2000 (74 प्रतिशत)	कुछ नहीं	35 (49प्रतिशत)	5885 (53 प्रतिशत)
9	आपरेशनल इंजीनियर्ड सेनिटरी लैंड फिल (एसएलएफ)	एक (बवाना में)	कोई नहीं (तेहखंड में प्रस्तावित)	कोई नहीं	—	—	एक प्रचालित और एम प्रस्तावित
10	आपरेशनल अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने का संयंत्र	एक (बवाना में 2000 टीपीडी)	एक (ओखला में 1950 टीपीडी)	एक (गाजीपुर में 1300 टीपीडी)	—	—	3 (5250 टीपीडी)
11	आपरेशनल केंद्रीकृत कंपोस्ट संयंत्र	एक(बवाना में)	एक (ओखला में)	.	.	.	2
12	आपरेशनल डीसेंट्रलाइज्ड बायोमेथानेशन संयंत्र	2 (5 टीपीडी प्रत्येक)	3 (5 टीपीडी प्रत्येक)	1 (5 टीपीडी)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	6 :(क्षमता—30 टीपीडी)
13	आपरेशनल डीसेंट्रलाइज्ड कंपोस्ट संयंत्र	3 (1 टीपीडी प्रत्येक)	3 (1 टीपीडी प्रत्येक)	9 (1 टीपीडी प्रत्येक)	2 (1 टीपीडी प्रत्येक)	2 (0.125 टीपीडी + 0.0 5 टीपीडी)	19 (क्षमता—17. 175 टीपीडी)

‘बवाना में इंजीनियर्ड लैंडफिल फैसिलिटी में रिजेक्ट लैंडफिल्ड के लगभग 400 टीपीडी को छोड़कर
नोट: 1. कुल 78.6 टीपीडी क्षमता के साथ एनडीएमसी क्षेत्र में 118 कम्पोस्ट गड्ढे, 2 जैविक अपशिष्ट परिवर्तक (ओडब्ल्यूसी) और 6 बायोगैस संयंत्र।

2. ज्यादातर पांच सितारा तथा चार सितारा होटलों और 50 या इससे अधिक बिस्तरों वाले बड़े अस्पतालों में जैविक अपशिष्ट परिवर्तक स्थापित किए गए हैं।

(क) नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह, पृथक्करण और परिवहन:

नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन के लिए, घर-घर से संग्रह, मध्यवर्ती भंडारण, प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं तक परिवहन से पहले स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण अपेक्षित है। स्थानीय निकाय, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण की विस्तृत योजना, घर-घर से संग्रह, मध्यवर्ती भंडारण और

दिल्ली में प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए ढके हुए वाहनों में ढुलाई के संबंध में व्यापक योजना को लागू कर रहे हैं। डोर टू डोर शत प्रतिशत कचरे का संग्रह किया जाता है। हालाँकि, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण 294 वार्डों (32 प्रतिशत) में से 94 वार्डों में किया जाता है, जिसमें एनडीएमसी और दिल्ली छावनी पृथक्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत हैं।

(ख) नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान की सुविधाएं:

बवाना में 2000 टीपीडी शहरी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए संग्रहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा है, जिसमें कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने का संयंत्र, कम्पोस्ट संयंत्र और इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंड फिल हैं। इस एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का संचालन मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। एक इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंड फिल का, दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा तेहखंड में विकास किया जाना प्रस्तावित है। 2000 टीपीडी के लिए एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा एनटीपीसी के साथ घोंडा गुजरान में संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। अन्य सुविधाओं के अलावा उक्त सुविधा में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने का संयंत्र (बायो-मिथेनशन प्लांट) होगा। ओखला में 200 टीपीडी क्षमता वाला एक केंद्रीकृत कम्पोस्ट संयंत्र है।

अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के संयंत्र:

- दिल्ली में 3 अलग-अलग स्थानों ओखला, गाजीपुर और बवाना में 4550 टीपीडी क्षमता के 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के संयंत्र (डब्ल्यूटीई प्लांट) हैं। लगभग 2000 टीपीडी क्षमता का एक नया ऐसा संयंत्र तेहखंड में और दूसरा घोंडा गुजरान के एकीकृत अपशिष्ट परिसर में प्रस्तावित है। इन दो प्रस्तावित संयंत्रों के चालू होने के बाद ऐसे संयंत्रों की क्षमता दिसंबर, 2021 तक 4550 टीपीडी से बढ़कर 7750 टीपीडी हो जाएगी।
- दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के संयंत्रों के लिए मौजूदा परिचालन का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण 8.11

दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के संयंत्रों का मौजूदा संचालन

क्र. सं.	अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने का संयंत्र और आपरेटर का नाम	मौजूदा क्षमता	
		अपशिष्ट प्रसंस्करण (टीपीडी में)	बिजली उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)
1	ओखला में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने का संयंत्र (मेसर्स तिमारपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लि., ओल्ड एनडीएमसी कम्पोस्ट साइट, ओखला द्वारा संचालित)	1950	23
2	गाजीपुर में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने का संयंत्र (मेसर्स ईस्ट दिल्ली वेस्ट प्रोसेसिंग कं.लि., गाजीपुर द्वारा संचालित)	1300	12
3	बवाना में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने का संयंत्र (मेसर्स दिल्ली एमएमडब्ल्यू सोल्यूशंस लि., नरेला बवाना रोड, बवाना)	1300	24
		4550	59

निरीक्षण के दौरान सीपीसीबी द्वारा स्टैक उत्सर्जन और परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी भी की जाती है और समय-समय पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सीपीसीबी द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है। दिल्ली में चालू सभी 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के संयंत्रों में ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की गई है और इसे सीपीसीबी तथा डीपीसीसी के सर्वर से जोड़ा गया है।

विवरण 8.12

दिल्ली में प्रस्तावित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं और सेनेटरी लैंड फिल

क्र.सं.	विवरण	स्थान	स्थानीय निकाय	क्षमता	पूरा करने के लिए अपेक्षित समयसीमा
1	अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के संयंत्र	तेहखंड	एसडीएमसी	2000 टीपीडी	दिसंबर, 2021
2	एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन सुविधा	घोंडा गुजरान	ईडीएमसी	2000 टीपीडी	सितंबर, 2022
3	इजीनियर्ड सेनेटरी लैंडफिल (एसएलएफ)	तेहखंड	एसडीएमसी		सितंबर, 2021
4	एकीकृत अपशिष्ट संग्रह पृथकरण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान	उत्तरी डीएमसी के 3 जोन (सिटी एसपी, करोलबाग और नरेला जोन)	उत्तरी डीएमसी	2000 टीपीडी	दिसंबर, 2021

विकेंद्रीकृत जैव- मिथेनशन और कम्पोस्ट संयंत्र:

तीनों नगर निगमों ने विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं (जैव- मिथेनशन/कम्पोस्ट संयंत्र) स्थापित किए हैं, ताकि उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को स्रोत के पास ही अलग-अलग किया जाए और उपचारित किया जा सके ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में कचरे को इकट्ठा करने और उसे वहां तक पहुंचाने के झंझटों से बचा जा सके। विकेंद्रीकृत संयंत्रों का विवरण पहले से ही चालू किए गए और चालू किए जा रहे संयंत्रों की प्रगति निम्नानुसार है:

विवरण 8.13

स्थानीय निकायों के तहत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं

डीएमसी	चालू संयंत्र		चालू किए जाने वाले	
	कम्पोस्ट संयंत्र (1 टीपीडी)	जैव- मिथेनशन संयंत्र (5 टीपीडी)	कम्पोस्ट संयंत्र (1 टीपीडी)	जैव- मिथेनशन संयंत्र (5 टीपीडी)
उत्तर डीएमसी	3 (13 भोरगढ़ नर्सरी राजेंद्र नगर नर्सरी और पीतमपुरा में मौर्य एंक्लेव में)	2 (रोशनारा बाग और एमवीआईडी अस्पताल में)	3 (रोहिणी सेक्टर 11, हैदरपुर जल उपचार संयंत्र और मोरीगेट में) जनवरी 2021 तक चालू किए जाने हैं	2 संयंत्र (मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र चरण 1 और नारायणा औद्योगिक क्षेत्र में जनवरी 2021 तक शुरू किए जाने हैं)
पूर्व डीएमसी	9	2 (गीता कॉलोनी और शास्त्री पार्क में)	1 संयंत्र (गोकलपुर में जनवरी 2021 तक)	
दक्षिण डीएमसी	3 (चिराग दिल्ली, पंजाबी बाग नर्सरी और लेडी श्रीराम कॉलेज के पास, ईस्ट ऑफ कैलाश)	3 (सरिता विहार, द्वारका सेक्टर 14 और पंजाबी बाग नर्सरी में)	1 (द्वारका सेक्टर 14) जनवरी 2021 तक	1 (वसंतकुंज में मसूदपुर में जनवरी 2021 तक)

- दिल्ली में तीन अपशिष्ट ढेर स्थलों से वर्षों से रखे कचरे (पुराने एमएसडब्ल्यू) के उपचार से संबंधित एनजीटी मामला ओए सं. 519/2019 और ओए सं.386/2019
- दिल्ली में गाजीपुर, भलसवा और ओखला में 3 अपशिष्ट ढेर स्थल हैं, जहां पिछले कई वर्षों से शहर के 28 मिलियन टन ठोस कचरे को रखा गया है।
- सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ एण्ड एनवायरनमेंट बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 17.07.2019 के आदेश ओए सं. 519/2019 और ओए सं. 386/2019 में नगर निगमों को भलस्वा, गाजीपुर और ओखला में अपशिष्ट ढेर स्थलों को ढकने के बजाय ट्रामेल का उपयोग करके जैव खनन करने का निर्देश दिया है।
- अपशिष्ट के उपचार के लिए तीन लैंडफिल स्थलों पर 13 ट्रामेल मशीनें लगाई जा चुकी हैं।

5.3 बायोमेडिकल कचरा

5.3.1 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28.3.2016 को संशोधित बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्राधिकरण बनाया गया है। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 27 टन बायोमेडिकल कचरा उत्सर्जित और उपचारित होता है। दिल्ली में चिकित्सा प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित बायोमेडिकल कचरे के उपचार के लिए निम्नांकित 2 संयुक्त बायो मेडिकल कचरा उपचार केंद्र (सीबीडब्ल्यूटीएफ) कार्यरत हैं :-

- (i) मैसर्स बायोटिक वेस्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र जो एसएमए इंडस्ट्रियल एरिया, जीटीके रोड, दिल्ली में स्थित है।
- (ii) मैसर्स एसएमएस वेस्ट ग्रेस, बीएमडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र जो दिल्ली जल बोर्ड के निलोढी एसटीपी के निकट स्थित है।

5.3.2 इन संयुक्त बायोमेडिकल कचरा उपचार केंद्रों की कुल क्षमता प्रतिदिन 63 टन कचरे के उपचार की है और इनमें बायोमेडिकल कचरे के उपचार और निपटान के लिए इंसीनेटर्स, ऑटोक्लेव और श्रेडर्स लगे हैं और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली भी संस्थापित की है।

5.4 इलेक्ट्रॉनिक कचरा

5.4.1 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 23.3.2016 को (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए, जो 1 अक्टूबर, 2016 से लागू हो गए। इन नियमों की अनुसूची 4 में प्राधिकारियों और उनसे सम्बद्ध दायित्वों की सूची दी गई है।

5.4.2 सीपीसीबी ने 2016 में ई-कचरे के प्रबंधन के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, ई-कचरा नियम 22.03.2018 को संशोधित किए गए। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) के लिए इसमें संशोधन किये गए हैं और उपभोक्ताओं या थोक उपभोक्ताओं के लिए कोई नई दिशा निर्देश नहीं है।

5.4.3 इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पर्यावरण हितैषी तरीके से निपटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संग्रह केंद्रों और और इसके फिर से इस्तेमाल योग्य बनाने वालों की

पहचान की गई है, जिन्हें सीपीसीबी द्वारा प्राधिकृत किया गया है। इनकी सूची डीपीसीसी के वैबसाइट पर उपलब्ध है।

5.5 प्लास्टिक कचरा

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 संशोधित 2018

ये नियम उत्पादकों, शहरी स्थानीय निकायों, शहरी विकास विभागों, स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति सहित विभिन्न हितधारकों को जिम्मेदारी सौंपते हैं।

निर्धारित प्राधिकरण	आदेश
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण समिति	पंजीकरण, निर्माण और पुनर्चक्रण
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव	कचरा पैदा करने वाले, प्लास्टिक की थैलियों, शीट या इस प्रकार की अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल
गांवों में संबंधित ग्राम पंचायत प्राधिकारी होगी	कचरा पैदा करने वाले, प्लास्टिक की थैलियों, शीट या इस प्रकार की अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल
मजिस्ट्रेट	क्षेत्रीय सीमा में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम लागू करने में उक्त प्राधिकारियों की सहायता करना

प्लास्टिक कचरा उत्पादन की स्थिति: 1000 टन / दिन (लगभग)

5.6 अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में डीपीसीसी द्वारा जारी कार्रवाई/स्थिति

क. स्थानीय शहरी निकायों को सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनःप्राप्ति आदि के लिए प्लास्टिक कचरे (अधिमानत: प्लास्टिक अपशिष्ट जिनका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

ख. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के तहत पंजीकरण:

पंजीकृत प्लास्टिक विनिर्माण या पुनर्चक्रण (बहुपरत, खाद योग्य) इकाई की संख्या। (नियम 9) वित्त वर्ष 2019-20 में	
इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या
निर्माता (बैग / शीट / बहुस्तरीय और समान)	161
पुनर्चक्रण	315
प्लास्टिक कच्चे माल / निर्माता	364
कुल	840

- ग. 50 माइक्रोन से कम के नए या पुराने प्लास्टिक से बनी थैलियों के उत्पादन और उपयोग को दिल्ली में प्रतिबंधित किया गया है। पुराने प्लास्टिक से बनी थैलियों को और प्लास्टिक उत्पादों को रखने तथा खान-पान के तैयार सामान की पैकेजिंग के लिए भी दिल्ली में प्रतिबंधित किया गया है।
- घ. 01.04.2020 से 07.01.2021 तक, 34 प्लास्टिक यूनिटों का निरीक्षण किया गया। बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्र प्लास्टिक कचरा जलाने या डंप करने में लगी इकाइयों को 21 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाली यूनिटों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 28,535,500/रुपये का जुर्माना लगाया गया।

5.7 एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध

- दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, बिक्री, भंडारण, उपयोग, आयात और परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिनांक 23.10.2012 को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना को अखिल भारतीय प्लास्टिक उद्योग संघ (डब्ल्यूपीसी 7012/2012) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 05.12.2016 को यह मामला माननीय एनजीटी को हस्तांतरित कर दिया। रा.रा.क्षे. दिल्ली में 50 माइक्रोन से अधिक गैर-कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश 10.08.2017 को माननीय एनजीटी ने दिया और कहा कि डिफॉल्टरों को प्रत्येक उल्लंघन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 5000/- का भुगतान करना होगा। राजस्व विभाग, एनडीएमसी, तीनों दिल्ली नगर निगम, डीपीसीसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अधिकारियों की टीमों अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एनजीटी के उक्त निर्देशों को लागू कर रही हैं। माननीय एनजीटी के 10.08.2017 के आदेश के अनुपालन में 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग की जब्ती के संबंध में की गई कार्रवाई की समेकित स्थिति से पता चलता है कि 25.11.2020 तक 50 माइक्रोन से कम के 1.94 लाख किलोग्राम प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए, 7964 चालान जारी किए गए और 1.996/- करोड़ रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में एकत्र किए गए।
- पर्यावरण विभाग ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में जारी किए गए मानक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली में प्रतिबंध लगाए जाने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की पहचान की है।

5.8 निर्माण और इमारती कचरा

निर्माण और इमारती कचरा प्रबंधन

दिल्ली में निर्माण और इमारतों को ढहाए जाने से लगभग 4000 टीपीडी कचरा उत्सर्जित होता है।

- वर्तमान में निर्माण और इमारतों को ढहाए जाने से उत्पन्न कचरे के प्रसंस्करण/नवीनीकरण के लिए 4150 टीपीडी स्थापित क्षमता वाले 4 संयंत्र लगाए गए हैं— (जहांगीरपुरी-2000 टीपीडी, शास्त्री पार्क-1000 टीपीडी, रानीखेड़ा-150 टीपीडी और बक्करवाला-1000 टीपीडी)। इसके अतिरिक्त 2500 टीपीडी के संयंत्र मैदानगढ़ी (1000 टीपीडी), रानीखेड़ा (1000 टीपीडी), लिबासपुर (500 टीपीडी) में प्रस्तावित हैं।
- मौजूदा और प्रस्तावित प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ, उम्मीद है कि दिल्ली में उत्पन्न पूरे सी एंड डी कचरे को वैज्ञानिक तरीके से ठीक से प्रबंधित किया जाएगा।
- निर्माण और इमारतों को ढहाए जाने से उत्पन्न मलबे से संसाधित सामग्री का उपयोग टाइलें/फुटपाथ ब्लॉक बनाने और तैयार-मिश्रित कंक्रीट आदि के लिए भी किया जाता है।

5.9 खतरनाक कचरा – दिल्ली के खतरनाक कचरे के निपटान के लिए बवाना क्षेत्र में उपचार भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ)

5.9.1 दिल्ली के खतरनाक कचरे के निपटान के लिए बवाना क्षेत्र में टीएसडीएफ की स्थापना की प्रक्रिया में है। डीएसआईआईसी को कार्य सौंपा गया है और वह मेसर्स तमिलनाडु वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के माध्यम से टीएसडीएफ की स्थापना की प्रक्रिया में है। इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और जनसुनवाई की गई है, 23 नवंबर 2020 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई। मेसर्स तमिलनाडु वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को को स्थापना के लिए डीपीसीसी द्वारा 31.12.2020 को सहमति प्रदान की गई।

6 जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के उपाय

6.1 दिल्ली सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के मुद्दे पर दिल्ली जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना की तर्ज पर है।

6.2 जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों वाले निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में व्यापक कार्यनीतियां बनाई गई हैं

- (क) अधिक ऊर्जा सक्षमता
- (ख) स्थायी परिवार
- (ग) हरित भारत
- (घ) जल मिशन
- (ङ) कार्यनीतिक जानकारी
- (च) सौर मिशन

7 ग्रीन दिल्ली ऐप

7.1 नागरिकों को जानकारी देने, उनमें जागरूकता पैदा करने और उनकी शिकायतों के निपटान के लिए एकल मंच प्रदान करने के वास्ते ग्रीन दिल्ली ऐप विकसित किया गया है। प्रदूषण से संबंधित विभिन्न अपराधों के संबंध में दिल्ली के नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 29.10.2020 को ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया। ग्रीन दिल्ली ऐप पर अपलोड की गई शिकायतों पर निगरानी के लिए दिल्ली सचिवालय के 7वें लेवल पर ग्रीन वार रूम (जीडब्ल्यूआर) स्थापित किया गया है जो 24x7 प्रदूषण निगरानी और उपशमन पहल सेटअप है। यह एप्लिकेशन शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित विभाग को भेजता है। ग्रीन दिल्ली ऐप का उद्देश्य दिल्ली की 28 एजेंसियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। जीडब्ल्यूआर ग्रीन दिल्ली ऐप पर की गई प्रत्येक शिकायत के समाधान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है।

7.2 ग्रीन दिल्ली ऐप पर 15,794 शिकायतें (26.12.2020 तक) प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14,394 का समाधान 28 एजेंसियों द्वारा कर दिया गया और केवल 8.9% शिकायतें लंबित हैं।

जीडब्ल्यूआर के कुशल कामकाज के लिए, निम्नलिखित छह हितधारक जिम्मेदार हैं:

1. प्रभारी जीडब्ल्यूआर : प्रभारी अधिकारी जीडब्ल्यूआर के समग्र संचालन के लिए जिम्मेदार है।
2. डीपीसीसी प्रशिक्षु : जीडब्ल्यूआर के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार।
3. एजेंसियों के नोडल अधिकारी : अपने विभागों के भीतर शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए जिम्मेदार।

4. ग्रीन मार्शल : सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों के समूह को जमीनी निरीक्षण और शिकायतों के सत्यापन और समाधान पर त्वरित सहायता करने की जिम्मेदारी के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है। ग्रीन मार्शल को दो श्रेणियों में बांटा गया है:—
 - क. ग्रीन मार्शल फील्ड टीम : निरीक्षण और जमीनी सत्यापन के लिए जिम्मेदार।
 - ख. ग्रीन मार्शल समन्वय टीम : जीडब्ल्यूआर और ग्रीन मार्शल फील्ड टीम के बीच समन्वय में सहायता करने के लिए जिम्मेदार।
5. डीपीसीसी इंजीनियर्स : डीपीसीसी के सेल प्रभारी अधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे डिफॉल्ट के मामले में शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर ईडीसी लगाने सहित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं।
6. ग्रीन दिल्ली ऐप आईटी टीम (डीपीसीसी) : ग्रीन दिल्ली ऐप डैशबोर्ड और जीडब्ल्यूआर की अन्य आईटी आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार।

7.3 दिल्ली के नागरिक प्रदूषण कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं?

दिल्ली में प्रदूषण एक स्थायी समस्या है जिसे न केवल सरकार द्वारा बल्कि दिल्ली के नागरिकों द्वारा भी एक गंभीर मुद्दे के रूप में समझा जाना चाहिए :

- सबसे आसान तरीकों में से एक यह हो सकता है कि घरों और सोसायटियों में से कचरे के संग्रह, पृथक्करण आदि के समय निवासी कल्याण संगठनों को कारगर भागीदारी निभानी चाहिए।
- नागरिक अपनी बस्तियों में कूड़े-कचरे को कम्पोस्ट में बदलने के लिए उसे ढंकने के उपायों में योगदान कर सकते हैं।
- प्रत्येक बस्ती में अधिक से अधिक पौधे अवश्य लगाए जाने चाहिए।
- खुले में कचरा आदि न जलाएं।
- पटाखे चलाना बंद करें।
- निर्माण स्थलों पर धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करें।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने वाहन के प्रदूषण स्तर की समुचित जांच अवश्य करनी चाहिए।
- सीएनजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण करने के उत्कृष्ट तरीकों में एक यह हो सकता है कि सभी प्रकार के कचरे का प्रबंधन समुचित ढंग से किया जाए।
- हर-एक और प्रत्येक नागरिक को कारों और स्कूटरों की बजाय बसों और मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह माध्यम एक समय में ज्यादा लोगों को यात्रा करा सकते हैं। यात्रा के लिए कार पूल बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- ऊर्जा के इस्तेमाल पर नियंत्रण और विद्युत का इस्तेमाल किफायती ढंग से करना चाहिए।
- आप रसायनों, क्लिनिंग एजेंटों, कीटनाशकों, शाकनाशकों, उर्वरकों आदि का इस्तेमाल कम करके जल प्रदूषण कम करने में मदद कर सकते हैं।
- वर्षा जल संरक्षण ढांचों का निर्माण करें।
- सतर्क रहें और उल्लंघन की रिपोर्ट करें।

7.4 यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचे। हम वास्तव में यह नहीं चाहते कि दिल्ली में आने वाली पीढ़ियां अस्वस्थ वातावरण में रहें।

8. दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन्स सोसायटी (डीपीजीएस)

8.1 दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन्स सोसायटी (डीपीजीएस) दिल्ली में उद्यानों और बागों का रख-रखाव करती है। डीपीजीएस दिल्ली में उद्यानों के रख-रखाव और विकास में निवासी कल्याण संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को शामिल करती है, ताकि दिल्ली में हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह आरडब्ल्यूए/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2 नवम्बर, 2020 से वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई। संशोधित दरों के अनुसार एसटीपी रहित पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता रु 2 लाख प्रति एकड़ से बढ़ाकर रु 2.55 लाख प्रति एकड़ और एसटीपी सहित पार्कों के मामले में 2.80 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा एसटीपी की रखरखाव लागत रहित नए पार्कों के निर्माण/ विकास के लिए प्रति एकड़ 3.55 लाख रुपये कर दी गई। दिल्ली में विकेंद्रित एसटीपीज की स्थापना के लिए एकबारकी वित्तीय सहायता 2 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर रु 3.50 लाख प्रति एकड़ कर दी गयी है जिसके लिए सम्बद्ध भूमि का स्वामित्व रखने वाली एजेंसी, दिल्ली जल बोर्ड और क्षेत्र के विधायक से अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक होता है।

8.2 वर्ष 2019-20, वर्ष और 2020-21 के दौरान डीपीजीएस का कार्य निष्पादन:

- वर्ष 2019-20 के दौरान 578.38 एकड़ जमीन में पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दी गई, जिसके अंतर्गत 435 आरडब्ल्यूए/एनजीओ की भागीदारी के साथ 1797 पार्क शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 12.01.2021 तक डीपीजीएस ने 87.6 आरडब्ल्यूए/एनजीओ की भागीदारी के साथ 144.63 एकड़ क्षेत्र में 406 पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

2020-21 के लिए लक्ष्य

- डीपीजीएस ने 2020-21 के दौरान 550 निवासी कल्याण संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ 600 एकड़ नए क्षेत्र में 2200 उद्यानों का लक्ष्य रखा है।

डीपीजीएस नर्सरियों से निशुल्क पौधा वितरण:-

- वर्ष 2019-20 के दौरान डीपीजीएस नर्सरी में 1,80,528 पौधे खरीदे/उगाए गए तथा रखरखाव किया गया और वितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिसंबर 2020 तक 1,98,852 पौधे खरीदे/उगाए गए तथा रखरखाव किया गया और वितरित किए गए।

विकेंद्रित एसटीपी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

- डीपीजीएस द्वारा निवासी कल्याण संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को विकेंद्रित एसटीपी (मल-जल उपचार संयंत्रों) की स्थापना के लिए 3.5 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए सम्बद्ध भूमि स्वामित्व एजेंसी और क्षेत्र के विधायक से अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक होता है। वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय सहायता की मांग के लिए केवल 8 आवेदन मिले जिन पर कार्य किया जा रहा है।
- डीपीजीएस हरित गतिविधियों में अन्य एजेंसियों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

9. दिल्ली में वन

9.1 दिल्ली सरकार शहर का हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। राज्य सरकार, वन विभाग और हरित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित गतिविधियों से पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन कायम करने में मदद मिली है। दिल्ली की वनस्पति कंटीली झाड़ियां हैं, जो शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं।

9.2 राष्ट्रीय वन नीति 1988 में प्रावधान है कि देश की कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम एक तिहाई भाग वनाच्छादित या वृक्षाच्छादित होना चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और उसने राज्य के हरित क्षेत्र को निरंतर बढ़ाया है। इस बात का पता निम्नांकित विवरण से चलता है जिसमें वनाच्छादित या वृक्षाच्छादित क्षेत्र में परिवर्तन देखा जा सकता है।

विवरण 8.14

1997-2019 के दौरान दिल्ली का वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र

(वर्ग किलोमीटर)

क्र.स.	वर्ष	वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र	क्षेत्र में सम्पूर्ण वृद्धि	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1.	1997	26	-	1.75
2.	1999	88	62	5.93
3.	2001	151	63	10.2
4.	2003	268	117	18.07
5.	2005	283	15	19.09
6.	2009	299.58	16.58	20.20
7.	2011	296.20	-3.38	19.97
8.	2013	297.81	1.61	20.08
9.	2015	299.77	1.96	20.22
10.	2017	305.41	5.64	20.59
11.	2019	324.44	19.03	21.88

स्रोत : राज्य वन रिपोर्ट 2019

9.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पर्यावरण को हरा-भरा रखने के लिए वनों और वृक्षाच्छादित क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के उपाय शुरू किए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप 1997 से वनों और वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र 2019 में बढ़कर 324.44 वर्ग किलोमीटर हो गया, जिससे दिल्ली के कुल क्षेत्रफल में वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.88 प्रतिशत हो गई। विशेष रूप से 1997 के बाद से वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के कुल 324.44 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में से करीब 298 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 1997 से 2019 की अवधि में हुई है। 2017 में किए गए आकलन की तुलना में, दिल्ली के वृक्षाच्छादित क्षेत्र में 6.23% या 19.03 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

विवरण 8.15
दिल्ली का वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र

(वर्ग किलोमीटर)

(क) दिल्ली में वनाच्छादित क्षेत्र में बदलाव	2019 <i>मूल्यांकन</i>
भौगोलिक क्षेत्र	1483
अत्यंत गहन वन	6.72
सामान्य गहन वन	56.42
मुक्त वन	132.30
कुल वन	195.44
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	13.18
(ख) वृक्षाच्छादित क्षेत्र	129
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	8.69

स्रोत : राज्य वन रिपोर्ट, 2019

- 9.4 विवरण 8.14 से पता चलता है कि दिल्ली का वन क्षेत्र और वृक्षाच्छादित क्षेत्र, 1997 के 26 वर्ग किलोमीटर से 2019 में बढ़कर 324.44 वर्ग किलोमीटर हो गया। दिल्ली के कुल क्षेत्रफल में वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में कई गुणा वृद्धि हुई है, जो 1997 में कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.75 प्रतिशत था, वह 2019 में बढ़कर 21.88 प्रतिशत हो गया। राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 में किए गए मूल्यांकनों की तुलना में दिल्ली के वनाच्छादित क्षेत्र में 0.21 प्रतिशत अथवा 3.03 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।
- 9.5 राज्य वन रिपोर्ट 2019 से पता चलता है कि अति सघन वन क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक वृक्षाच्छादन है, जबकि मध्यम सघन वन क्षेत्र में यह 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच है। यह स्थिति वास्तव में कार्बन जोखिम को दर्शाती है। इस तरह के सघन वनों का बढ़ना या लगातार बढ़ना एक अच्छा संकेत है क्योंकि यह शहर की कार्बनसोखने की क्षमता को बढ़ाता है। दिल्ली में 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक वृक्षाच्छादन वाले खुले वन हैं, जिसका क्षेत्रफल 132.30 वर्ग किमी में फैला हुआ है।
- 9.6 निर्माण परियोजनाओं जैसे द्वारका एक्सप्रेस (एनएचएआई द्वारा), त्यागराज नगर और मोहम्मदपुर में सामान्य पूल आवास, कोंडली और रिटाला में एसटीपी का विकास, एयरपोर्ट और पश्चिम दिल्ली के लिए डीएमआरसी परियोजनाओं आदि के कारण कुछ पेड़ों को गिराना पड़ा। 2019-20 के दौरान मंजूरी प्राप्त सभी परियोजनाओं में, दिल्ली में मौजूदा हरित आवरण के नुकसान को कम करने के लिए उन्ही पेड़ों को गिराया जिन्हें गिराना बहुत जरूरी था। इसके अलावा, वनीकरण अभियान भी चलाया गया। नए पौधों का हिसाब नहीं लगाया गया है क्योंकि उनका वृक्षाच्छादन बहुत कम है। नए वृक्ष केवल कम से कम पांच से 10 साल की अवधि के बाद मध्यम घने जंगल या बहुत घने जंगल का रूप ले लेंगे।
- 9.7 रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के वन क्षेत्र में 3.03 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी अधिकतर खुले वन क्षेत्र में हुई है, जिसका श्रेय वृक्षारोपण और संरक्षण गतिविधियों को जाता है।

- 9.8 जहां तक वृक्षाच्छादन का प्रश्न है, सड़कों के किनारे छिटपुट वनस्पति या छोटे पैमाने पर वृक्षारोपण के मामले में राज्यों के बीच कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वृक्षाच्छादन में दिल्ली का दूसरा स्थान है। दिल्ली के समग्र वन क्षेत्र में वृद्धि शुभ संकेत है। दिल्ली का हरित क्षेत्र 2017 के 20.59 प्रतिशत से बढ़ कर 2019 में 21.88 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 8.4

दिल्ली का वृक्षाच्छादित और वनाच्छादित क्षेत्र 1997-2019



- 9.9 दिल्ली में कुल भौगोलिक क्षेत्र और जिलावार वनाच्छादित क्षेत्र की जानकारी विवरण 8.16 में दी गई है।

विवरण 8.16

दिल्ली में जिलावार वनाच्छादित क्षेत्र-2019

क्र.सं.	जिले	भौगोलिक क्षेत्र	वनाच्छादित क्षेत्र	(वर्ग कि.मी.) भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
1.	मध्य दिल्ली	21	4.94	23.52
2.	पूर्वी दिल्ली	63	3.75	5.95
3.	नई दिल्ली	35	16.47	47.06
4.	उत्तरी दिल्ली	61	4.58	7.51
5.	उत्तर पूर्वी दिल्ली	62	3.99	6.44
6.	उत्तर पश्चिमी दिल्ली	443	18.04	4.07
7.	दक्षिण दिल्ली	247	84.63	34.26
8.	दक्षिण -पश्चिमी दिल्ली	421	52.19	12.40
9.	पश्चिमी दिल्ली	130	6.85	5.27
	कुल	1483	195.44	13.18

स्रोत: राज्य वन रिपोर्ट, 2019

- 9.10 विवरण 8.16 से पता चलता है कि दिल्ली का वनाच्छादित क्षेत्र 195.44 वर्ग किलोमीटर यानी दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का 13.18 प्रतिशत है। दक्षिण दिल्ली में सबसे अधिक 84.63 वर्ग किलोमीटर

वनाच्छादित क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली 52.19 वर्ग किलोमीटर, उत्तर पश्चिम दिल्ली 18.04 वर्ग किलोमीटर, नई दिल्ली 16.47 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित है। सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में है जो मात्र 3.75 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र का जिलावार प्रतिशत चार्ट 8.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 8.5

दिल्ली में भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित क्षेत्र का जिलावार प्रतिशत-2019



ग्रीनवाश के भीतर वृक्षाच्छादन:

अति घने वन	3.19 वर्ग किलोमीटर
मध्यम सघन वन क्षेत्र	16.05 वर्ग किलोमीटर
खुले वन	<u>39.83 वर्ग किलोमीटर</u>
उप कुल	<u>59.07 वर्ग किलोमीटर</u>

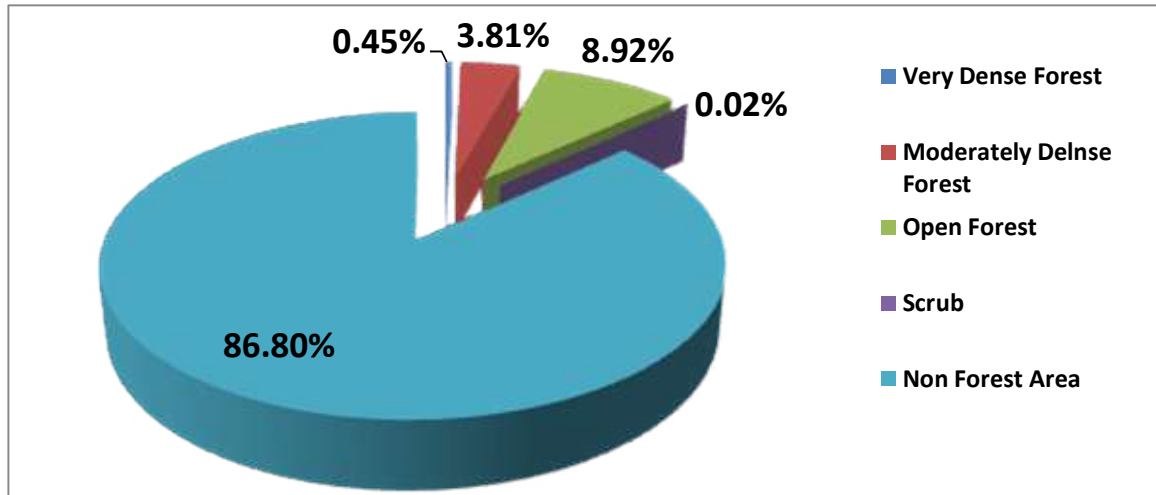
ग्रीनवाश के बाहर वृक्षाच्छादन:

अति घने वन	3.53 वर्ग किलोमीटर
मध्यम सघन वन क्षेत्र	40.37 वर्ग किलोमीटर
खुले वन	<u>92.47 वर्ग किलोमीटर</u>
उप कुल	<u>136.37 वर्ग किलोमीटर</u>
कुल वन कवर	195.44 वर्ग किलोमीटर
वृक्षाच्छादन	<u>129 वर्ग किलोमीटर</u>
कुल वृक्षाच्छादन और वनाच्छादित क्षेत्र	<u>324.44 वर्ग किलोमीटर</u>
राज्य का भौगोलिक क्षेत्र	21.88 प्रतिशत
भारत का वृक्षाच्छादन और वनाच्छादित क्षेत्र	0.04 प्रतिशत
प्रति व्यक्ति वृक्षाच्छादन और वनाच्छादित क्षेत्र	0.002 हेक्टेयर

- 9.11 घनत्व के संबंध में वनों का संघटन चार्ट 8.6 में दर्शाया गया है। राराक्षे दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 0.45 प्रतिशत भाग में अत्यन्त गहन वन, 3.81 प्रतिशत हिस्से में सामान्य गहन वन, 8.92 प्रतिशत क्षेत्र में मुक्त वन और 0.02 प्रतिशत भू-भाग में झाड़ियां हैं, जो नगण्य हैं।

चार्ट 8.6

राराक्षे दिल्ली के वनाच्छादित क्षेत्र (प्रतिशत) का संघटन



स्रोत: राज्य वन रिपोर्ट, 2019

- 9.12 वृक्षाच्छादन क्षेत्र से बाहर वृक्ष:

188.07 वर्ग किलोमीटर वृक्षाच्छादन और वनाच्छादित क्षेत्र के अलावा वन क्षेत्र से बाहर 1 हेक्टेयर. से कम क्षेत्र में 136 वर्ग किलोमीटर हरित क्षेत्र है। यह सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के परिसरों और सड़क किनारे पौधे लगाने तथा बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा वृक्षारोपण का परिणाम है।

- 9.13 वनों के भीतर दलदली भूमि

विवरण 8.17

दिल्ली में रिकॉर्डिड वनाच्छादित क्षेत्र के भीतर दलदली भूमि

(हेक्टेयर में)

दलदली भूमि श्रेणी	दलदली भूमि के प्रकार	कुल दलदली भूमि
भीतरी दलदली प्राकृतिक		
झील /तालाब कुंआ	1	2
भीतरी दलदली मानव निर्मित		
दलदली भूमि (<2.25 ha)	16	16
कुल	17	18

कुल दर्ज वन (या ग्रीन वाश) क्षेत्र (है.में)	10,204
दर्ज वन क्षेत्र के भीतर दलदली भूमि (या ग्रीन वाश) क्षेत्र का प्रतिशत	0.18%

(विश्लेषण, राष्ट्रीय दलदली भूमि एटलस: भारत, 2011 पर आधारित है)

9.14. वनों के प्रकार और प्रमुख प्रजातियां:

9.14.1 दिल्ली में वनस्पति ठेठ उत्तरी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन प्रकार (चैंपियन और सेठ 1968) की है। वृक्षों के अंतर्गत अकासियास शामिल हैं जैसे ए. निलोटिका, ए. लिकोफलोइया, ए. कैटेचू, ए. मोडेस्टा, बूटिया मोनोस्पेरमा (ढाक), कैसिया फिस्टुला, सेल्वाडोरापर्सिका और एनोजेइससलैटिफोलिया के साथ प्रचुर मात्रा में प्रोसोपिसजुलिफलोरा।

9.14.2 झाड़ियों के अंतर्गत कैपारिससेपियारिया, जिजिफसमोरिटियाना शामिल हैं। जड़ी बूटी विषयक वनस्पतियों में कैलोट्रोपिसप्रोसेरा, विदानियासोमनीफेरा, ऐकीरनथेज ऐस्पेरा, ट्राइडैक्स शामिल हैं। मुख्य घासों के अंतर्गत सेंकरससिलिआरिस, एरिस्टिडा, एराग्रोस्टिस, सैकरमस्पोन्टेनियम, डाइहेन्थियम, सिनोडोनडेक्टिलोन आदि हैं।

10. असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य

10.1 4845.57 एकड़ में फैला असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण दिल्ली में तुगलकाबाद किले के निकट स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य को दिल्ली के कास्मोपोलिटन शहर के श्वास का आधार समझा जाता है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य दिल्ली और सूरजकुंड (दिल्ली-हरियाणा सीमा) के बीच के क्षेत्र में वन्यजीवों की संरक्षा करना है।

10.2 दक्षिणी वन क्षेत्र (रिज) की कानूनी स्थिति 1986 तक अनिश्चित समझी जाती थी, जब असोला, शाहपुर और मैदानगढ़ी (2679.29 एकड़) गांव की सामूदायिक भूमि को अधिसूचित किया गया जबकि भाटी क्षेत्र (2166.28 एकड़) की जमीन को 1991 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। वन विभाग ने छोटे चेकडैम के रूप में मध्य और दक्षिणी रिज क्षेत्र में कई मृदा नमी संरक्षण कार्य भी किए हैं। भूजल के कटाव, मिट्टी के कटाव की जांच करना और भूमिगत जलभंडारों में वर्षा जल के प्रवाह को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे शहर की जल सुरक्षा को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र लक्ष्य पूरा होता है।।



चित्र: वन और वन्यजीव विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा असोला भाटी में चेकडैम का निर्माण

10.3 ईसीओ कार्यदल (ईटीएफ) के जरिए असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के भाटी क्षेत्र का पुनरुत्थान।

10.3.1 वन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार अक्टूबर 2000 से पारिस्थितिकी कार्य दल (ईटीएफ) के जरिए करीब 2100 एकड़ के भाटी माइन्स क्षेत्र में पुनर्वास की परियोजना लागू कर रहा है, जो असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। 8.23 करोड़ रुपये की लागत से सन 2000 में पांच वर्ष की परियोजना अवधि अनुमोदित की गई थी, और यह नियमित रूप से विस्तारित होती रही। इस प्रकार 09.10.2000 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए परियोजना की कुल लागत के रूप में 85.71 करोड़ रुपये की मंजूरी ईएफसी द्वारा पहले ही दी जा चुकी है।

10.3.2 ईएफसी ने पारिस्थितिकी कार्य दल (ईटीएफ) के जरिए असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य और डेरा मांडी, मैदान गढ़ी, घिटोरनी और रजोकरी के दक्षिणी रिज क्षेत्र में विकृत वन भूमि के पुनरुत्थान की परियोजना अवधि 01.01.2017 से 31.03.2022 तक बढ़ाए जाने का अनुमोदन 90.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (48.75 करोड़ रुपये ईटीएफ की स्थापना लागत और 41.50 करोड़ रुपये परियोजना लागत के लिए, जिसमें 5 वर्ष के लिए वृक्षारोपण कार्य और उसका रख-रखाव शामिल है) के साथ कर दिया है। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण के जरिए वन्य जीव परिवार में सुधार लाना और उसे स्थायित्व प्रदान करना है। परियोजना लागत में 5 वर्ष की अवधि के लिए हर वर्ष 2 लाख पौधे लगाने का व्यय सम्मिलित है।

11. प्रमुख उपलब्धियां

11.1 वर्ष 2019–20 के दौरान

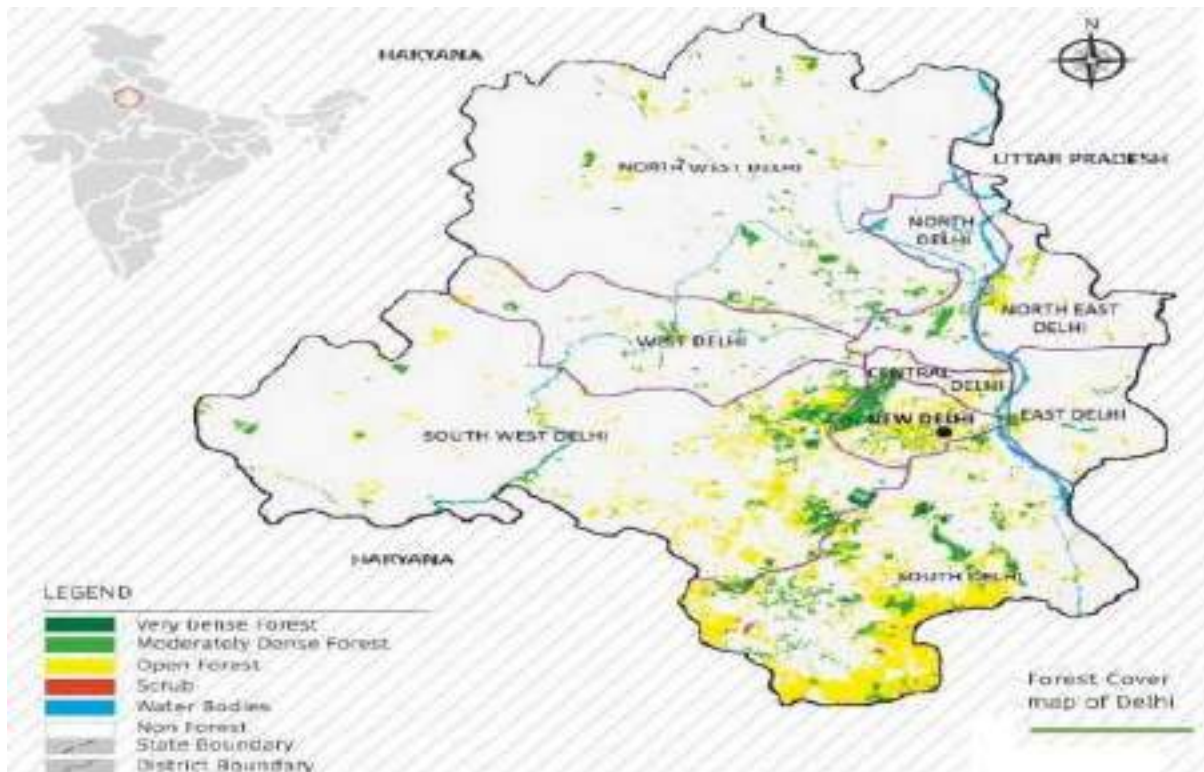
- क) 2019 के दौरान व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें 19 अन्य हरित एजेंसियों, ईको क्लबों और निवासी कल्याण संगठनों को शामिल करते हुए 21.15 लाख वृक्षों की पौध लगाई गई। इसके अतिरिक्त 4.57 लाख पौध लोगों को बांटी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 10.01 लाख के भारत सरकार के लक्ष्य को पार कर लिया।
- ख) 2019–20 में मितराऊ के पॉकेट बी, कालोनी के निकट शास्त्री पार्क और गढ़ी मांडू पॉकेट ए का विकास किया गया। ताज एन्क्लेव और अलीपुर के शहरी वनों में सुधार किया गया ताकि स्थानीय निवासियों में हरित क्षेत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, जो बड़ी संख्या में स्वच्छ और हरित वातावरण का आनंद लेने के लिए इन वनों में जाते हैं। मामूरपुर, आईटीओ चुंगी, आया नगर, जौनपुर, डेरा मंडी और छतरपुर में शहर सिटी फारेस्ट का विकास किया जा रहा है जिन्हें आम लोगों के लिए खोला जाएगा।
- ग) दिल्ली में प्रभावी वन संरक्षण के लिए वन विभाग को मजबूत किया जा रहा है:
 - i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समूचे वन क्षेत्र में 147 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।
 - ii) रेंजर्स, वन्यजीव रक्षकों और वनकर्मियों के 215 पदों पर भर्ती शुरू की गई है।
 - iii) वन विभाग की संपदा और वन सीमाओं की प्रभावी निगरानी के लिए जीआईएस सैल बनाया गया है।
- घ) भाटी वन्यजीव अभयारण्य में इको कार्यबलों के जरिए परिवार में पारिस्थितिकी सुधार किया गया है। इसके लिए 2.71 लाख पौधे लगाए गए हैं और भूमि की नमी में सुधार लाने के लिए कम लागत की इंजीनियरी संरचनाएं बनाई गई हैं।
- ड) रिज प्रबंधन बोर्ड ने केंद्रीय रिज के पारिस्थितिकीय पुनरुत्थान के लिए योजना को मंजूरी दी है।

11.2 वर्ष 2020–21 (दिसंबर माह तक) के दौरान

- च) 2020 के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें 19 हरित एजेंसियों, इको-क्लबों और आरडब्ल्यूए को शामिल करते हुए 30.08 लाख पौधे लगाए गए, जिनमें 5.57 लाख पौधे शामिल हैं जो वृक्षारोपण के लिए जनता में वितरित किए गए। इस तरह, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भारत सरकार द्वारा अनुमानित 15.2 लाख के लक्ष्य को पार कर लिया।
- छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए “वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020” को मंजूरी दे दी है। “वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020” का उद्देश्य मौजूदा ग्रीन कवर के नुकसान को कम करने के लिए योजना बनाने के स्तर पर मौजूदा पेड़ों को संरक्षण प्रदान करना है और पेड़ों की कटाई कम करने के लिए परियोजनाओं की योजना के शुरुआती चरण में चर्चा शुरू करना है। इसके अतिरिक्त, इस नीति में यह प्रावधान है कि यदि पेड़ों की कटाई अपरिहार्य हो तो उनके बदले उपयुक्त वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।
- ज) असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में इको-टास्क फोर्स के माध्यम से परिवास बहाल करने के लिए 1.2 लाख से अधिक पौधे लगाए गए और मिट्टी की नमी व्यवस्था में सुधार के लिए कम लागत वाली इंजीनियरिंग संरचनाओं का इस्तेमाल किया गया है।
- झ) दिल्ली में हरित क्षेत्र की सुरक्षा और रिज क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वन विभाग को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न पदों के लिए भर्ती के अलावा, विभाग ने वन रेंजर, उप वन रेंजर, वनपाल, वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक और अन्य वानिकी कर्मचारियों के कई नए पद सृजित किए हैं। वर्तमान वर्ष में 41.31 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त किया गया

चार्ट 8.7

दिल्ली में वनाच्छादन का मानचित्र



औद्योगिक विकास

उद्योग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दिल्ली में औद्योगिक विकास आय में तेज वृद्धि के लिए सुरक्षित आधार उपलब्ध कराता है और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में तेज बढ़ोतरी में सहायक रहा है। दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापार केंद्र है और यहां उत्कृष्ट सार्वजनिक अवसंरचना और व्यापार के संवर्द्धन के लिए संपर्क संचार सुविधाएं हैं। दिल्ली सरकार एक प्रगतिशील व्यापारिक माहौल सृजित करने के लिये प्रतिबद्ध रही है। उसने नयी औद्योगिक नीति लागू की है जिसका उद्देश्य ज्ञान आधारित और उच्च तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा उद्योगों के लिये एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना है। यह नीति 2021 के अंत तक मान्य होगी। यह राज्य बड़े पैमाने पर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। दिल्ली की सतत तेज आर्थिक वृद्धि और विविधता पूर्ण आर्थिक संरचना इसे एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बनाती है। दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापार केंद्र है और यहां व्यापार संवर्द्धन के लिये उत्कृष्ट सार्वजनिक अवसंरचना और संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है और यह योगदान उत्कृष्ट व्यावसायिक सेवाओं तथा रियल एस्टेट, परिवहन, भंडारण और संचार, होटल और रेस्त्रां इत्यादि से आता है।

- 1.1 सतत विकास लक्ष्यों-एसडीजी-9, जैसे 'समावेशी टिकाऊ औद्योगीकरण, नवाचार को बढ़ावा,' के संदर्भ में दिल्ली देश में सबसे ऊपर है। नीति आयोग द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0 में किये गये आकलन के अनुसार दिल्ली को 100 अंक मिले हैं जबकि अखिल भारतीय स्कोर 67.23 है। इसके अलावा दिल्ली ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत अच्छी प्रगति की है और 2019 में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 12वें स्थान पर रहा है। दिल्ली ने व्यापार सुधार कार्ययोजना की स्कीम के तहत अच्छी प्रगति की है और वर्ष 2019 में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 12वां स्थान हासिल किया है। दिल्ली के प्रदर्शन से भारत के कारोबार करने में आसानी संबंधी वैश्विक रैंक में सुधार हुआ है और यह 2015 के 142वें स्थान से छलांग लगाकर 2019 में 63वें स्थान पर आ गया है।
- 1.2 दिल्ली में व्यापक सड़क संपर्क और मेट्रो सेवा तथा पड़ोसी राज्यों –उत्तरप्रदेश और हरियाणा की तुलना में बेहतर बिजली आपूर्ति व्यवस्था के रूप में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा सुविधायें उपलब्ध हैं। दिल्ली की ये क्षमताएं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करेंगी।
- 1.3 उच्चतर आर्थिक विकास, समावेशी और सतत औद्योगीकरण तथा रोजगार प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए सरकार के केन्द्रीय विषय हैं। इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख चुनौतियों में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास, जीर्ण-शीर्ण औद्योगिक संकुलों का पुनर्विकास और इन्हें फैलाव देना शामिल हैं। रोजगार को बढ़ावा देने वाले ज्ञान आधारित औद्योगिक समूहों, कारोबारी सेवाओं, इलेक्ट्रानिक्स, उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों, बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों, अनुसंधान और विकास गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है।
- 1.4 दिल्ली के पास, अन्य सभी राज्यों की तुलना में कुशल कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा है जो इसे ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों के उपयुक्त बनाती है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, डिजाइनिंग, अनुसंधान और विकास तथा वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, शिक्षा/कौशल विकास, जो राज्य को स्वच्छ, उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने

के दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के भी अनुकूल होंगी। दिल्ली के लिये 'निर्यात संवर्द्धन नीति और रणनीतिक कार्य योजना' की तैयारी का प्रस्ताव है और आईआईएफटी को यह कार्य सौंपा गया है।

1.5 दिल्ली औद्योगिक नीति 2010-21 का उद्देश्य एक पारदर्शी और व्यापार अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना, प्रदूषण न फैलाने वाले स्वच्छ उद्योगों का विकास, अकुशल श्रमिकों की संख्या न्यूनतम रखने के लिये उच्च प्रौद्योगिकी और कौशल उद्योगों को बढ़ावा, नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों और नियमित औद्योगिक स्कूलों के भीतर विश्वस्तरीय अवसंरचना विकास, प्रक्रियागत सरलता और ई. प्रशासन उपायों से, जहां भी संभव हो, क्लस्टर तथा वॉक टू वर्क अवधारणा को प्रोत्साहन देना है। वर्तमान औद्योगिक नीति 2010-21 की वैधता वर्ष 2021 के अंत में समाप्त हो जायेगी और अगले 10 वर्ष के लिये एक नयी नीति बनाने की आवश्यकता होगी तथा यह नयी औद्योगिक नीति 2022-31, मौजूदा नीति के समाप्त होते ही लागू हो जायेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सचिव सह आयुक्त, उद्योग को संशोधित बजट अनुमान(2020-21) और बजट अनुमान (2020-21) में नयी नीति की तैयारी के लिये परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव रखने को कहा गया था।

1.4 दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति 2022-31 के माध्यम से एक प्रगतिशील व्यापार माहौल सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे क्षेत्र, जिनपर सरकार ध्यान केन्द्रित कर रही है और कारोबार को बढ़ावा देने की प्रक्रिया आसान बना रही है, निम्नलिखित हैं—

- कौशल आधारित, उच्च प्रौद्योगिकी वाले और प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्लस्टर आधारित उपायों को बढ़ावा देना।
- उत्पादों, मूल्य श्रृंखला और कारोबारी मॉडलों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उद्योग 4.0 मानदंड अपनाना।
- कम लागत की और स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाली पैकेजिंगय व्यापक आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था और फैक्ट्रियों को भंडारण सुविधा उपलब्ध कराना।
- खादी और हथकरघा को प्राथमिकता वाले उद्योगों के रूप में बढ़ावा देकर अपेक्षाकृत कम कौशल संपन्न लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अनिवार्य रूप से खादी के कपड़े से यूनिफॉर्म बनवाने का प्रावधान।
- 'स्मार्ट विनिर्माण' पर विशेष तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना ताकि उच्च तकनीकी कौशल प्राप्त मानवीय संसाधनों की कमी दूर की जा सके।

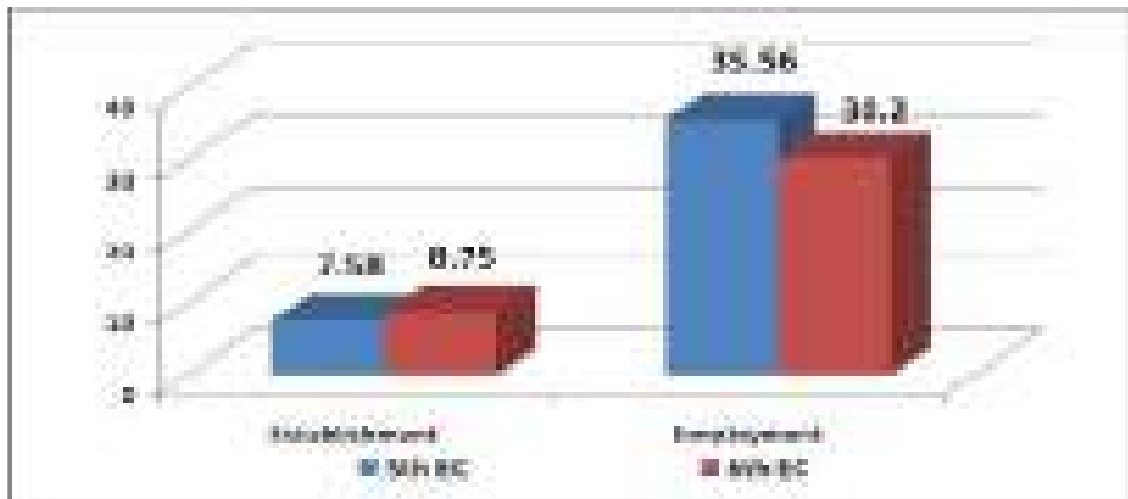
2. छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार दिल्ली में प्रतिष्ठानों और रोजगार का विकास

2.1 छठी आर्थिक गणना 2013 के अनुसार दिल्ली में कुल 8.75 लाख औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्यरत थे। इनमें से 1.42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 98.58 प्रतिशत शहरी इलाकों में थे। छठी आर्थिक गणना के अनुसार वार्षिक विकास दर 1.94 प्रतिशत दर्ज की गयी और 2005 में हुई पांचवी आर्थिक गणना के मुकाबले छठी आर्थिक गणना में 1.18 लाख प्रतिष्ठानों की वृद्धि हुई। कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 54.55 प्रतिशत ओन एकाउंट उद्यम (ओई) थे और 45.45 प्रतिशत में कम से कम एक बाहर से पारिश्रमिक पर लिया गया कामगार था। 30.20 लाख लोग 8.75 लाख प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे थे और प्रत्येक प्रतिष्ठान में औसतन 3.45 कर्मचारी थे। कुल कर्मचारियों में से 0.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे और 99.1 प्रतिशत दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कुल प्रतिष्ठानों में से 8.05 प्रतिशत का प्रबंधन महिला उद्यमियों के पास था।

- 2.2 निम्नांकित चार्ट 9.1 में पांचवी (2006) और छठी (2013) आर्थिक गणना के अनुसार 2005–13 के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इनमें नियुक्त कामगारों की संख्या दर्शायी गयी है:

चार्ट-9.1
प्रतिष्ठानों और रोजगार में वृद्धि

(लाख में)



उपर्युक्त चार्ट स्पष्ट करता है कि पांचवीं से छठी आर्थिक गणना की अवधि के दौरान हालांकि प्रतिष्ठानों की संख्या 7.58 लाख से बढ़कर 8.75 लाख हो गई है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या 35.56 लाख से घटकर 30.20 लाख पर आ गई है। यह संकेत देता है कि सख्त प्रदूषण नियमों के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार वाले प्रतिष्ठान दिल्ली से आसपास के क्षेत्रों/राज्यों में चले गए हैं।

- 2.3. छठी आर्थिक गणना के अनुसार प्रतिष्ठानों और उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा निम्नांकित है।

विवरण 9.1

जिले	प्रतिष्ठान	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
मध्य	150671	599058
पश्चिम	106726	313574
उत्तर-पश्चिम	93297	286189
उत्तर-पूर्व	86597	183313
पूर्व	80061	215979
दक्षिण-पूर्व	75049	352562
उत्तर	73724	318960
शाहदरा	71738	229663
दक्षिण	57126	145304
दक्षिण-पश्चिम	42166	105954
नई दिल्ली	38153	269225
कुल	875308	3019781

विवरण 9.2

मौजूदा मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

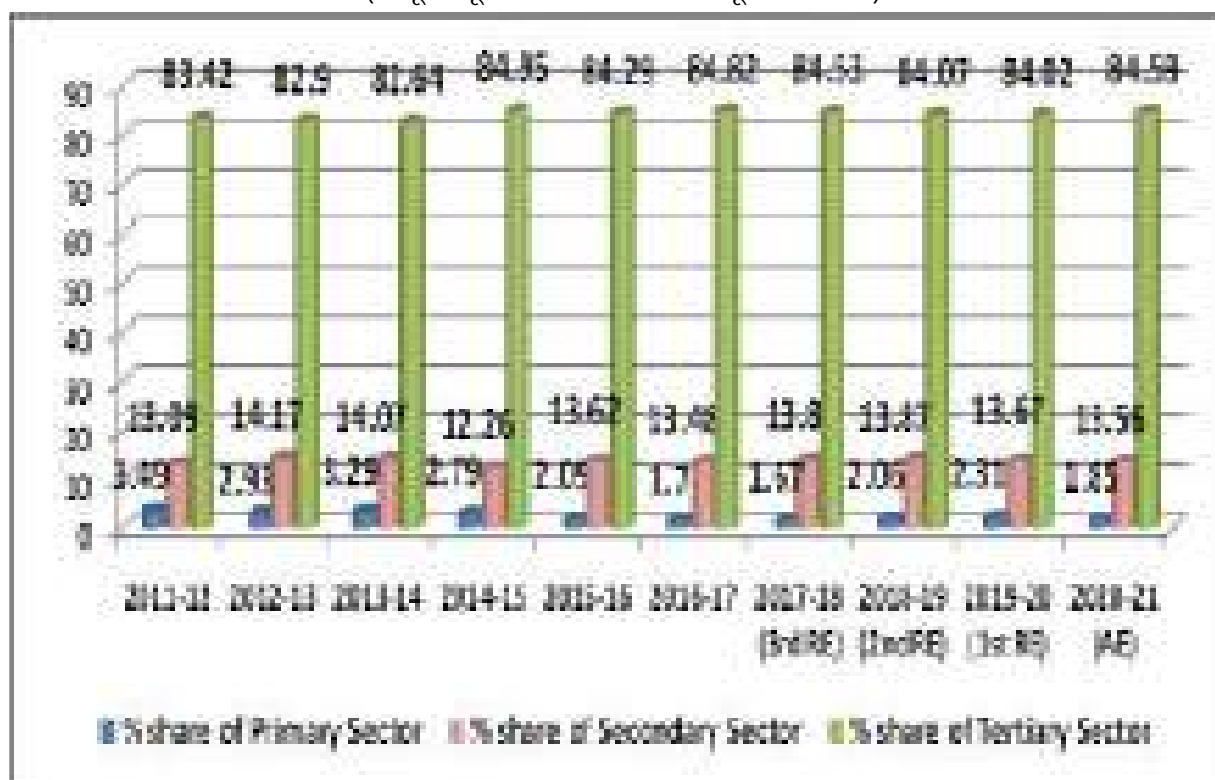
वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	माध्यमिक क्षेत्र प्रतिशत हिस्सेदारी	तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
2011-12	3.49	13.09	83.42
2012-13	2.93	14.17	82.90
2013-14	3.29	14.07	82.64
2014-15	2.79	12.26	84.95
2015-16	2.09	13.62	84.29
2016-17	1.70	13.48	84.82
2017-18 (3 rd आरई)	1.67	13.80	84.53
2018-19 (2 nd आरई)	2.06	13.87	84.07
2019-20 (1 st आरई)	2.31	13.67	84.02
2020-21 (एई)	1.85	13.56	84.59

टिप्पणी : 3rd – तृतीय संशोधित अनुमान (तृ.सं.अ.), 2nd –आरई– दूसरा संशोधित अनुमान (द्वि.सं.अ), 1st आरई– प्रथम संशोधित अनुमान (प्र.सं.अ), एई–पूर्व अनुमान

- 2.4 वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 के लिए मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए का पूर्व अनुमान और पहला संशोधित अनुमान स्पष्ट करता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (फसल, पशुधन, वानिकी और लकड़ी, मत्स्य पालन, खदान और उत्खनन) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 3.49 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में दोनों वर्षों में कम होकर 2.31 प्रतिशत और 1.85 प्रतिशत रह गया है। नियत मूल्यों पर इस योगदान में मामूली कमी आई है। वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 में यह क्रमशः 3.40 प्रतिशत और 3.44 प्रतिशत रहा है।
- 2.5 मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए स्पष्ट करता है कि द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) और 2020–21 (पूर्व अनुमान) के दौरान 13.67 प्रतिशत और 13.56 प्रतिशत रहा है। नियत मूल्यों पर यह वर्ष 2019–20 (पहला संशोधित अनुमान) और 2020–21 (पूर्व अनुमान) में यह 13.90 प्रतिशत और 13.78 प्रतिशत बढ़ा है।
- 2.6 अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र (व्यापार, होटल और रेस्त्रा, रेलवे, परिहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, स्वामित्व और आवास तथा अन्य व्यवसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं) के योगदान में मामूली वृद्धि हो रही है। मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 83.42 प्रतिशत था जो वर्ष 2019–20 (पहला संशोधित अनुमान) और वर्ष 2020–21 (पूर्व अनुमान) में बढ़कर 84.02 प्रतिशत और 84. 59 प्रतिशत हुआ है। जबकि संशोधित मूल्यों पर यह घटकर वर्ष 2019–20 (पहला संशोधित अनुमान) और वर्ष 2020–21 (पूर्व अनुमान) में क्रमशः 82.70 प्रतिशत और 82.78 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 9.2

राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
(मौजूदा मूल्य पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित)



3. विनिर्माण क्षेत्र द्वारा सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) में योगदान

- 3.1 विनिर्माण उपक्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान करता है। विनिर्माण से जीएसवीए मौजूदा मूल्यों पर वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 को दौरान क्रमशः 5.03 प्रतिशत और पूर्व वर्ष के अनुमान पर (–) 7.62 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 35034 करोड़ रुपए और 32364 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। नियत मूल्यों पर जीएसवीए वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 में 30127 करोड़ रुपए और 27901 करोड़ रुपए है, पूर्व वर्षों की तुलना में 5.68 प्रतिशत और (–) 7.39 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ। वर्ष 2019–20 के लिए अनुमानों के आधार पर एनएसवीए मौजूदा मूल्य पर पूर्व वर्ष के 6.00 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 31242 करोड़ रुपए है। नियत मूल्यों पर यह पूर्व वर्ष के 6.64 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 26951 करोड़ रुपए है। वर्ष 2020–21 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार मौजूदा मूल्यों पर पूर्व वर्ष के 8.25 प्रतिशत के संकुचन के साथ एनएसवीए 28665 करोड़ रुपए था। नियत मूल्यों पर पूर्व वर्ष के 8.05 प्रतिशत संकुचन के साथ 24782 करोड़ रुपए था।
- 3.2 विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) का विवरण 9.3 में दर्शाया गया है।

विवरण 9.3

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	विनिर्माण	द्वितीयक क्षेत्र	आधार मूल्यों पर कुल जीएसवीए	बाजार मूल्य पर कुल जीएसडीपी	विनिर्माण में प्रतिशत हिस्सेदारी		जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
					कुल जीएसवीए	द्वितीयक क्षेत्र का कुल जीएसवीए	
2011-12	18907	39682	303232	343798	6.24	47.65	13.09
2012-13	23350	48498	342588	391388	6.82	48.15	14.17
2013-14	25338	54262	385931	443960	6.57	46.69	14.07
2014-15	23385	53247	434241	494803	5.39	43.92	12.26
2015-16	31195	65194	478782	550804	6.52	47.85	13.62
2016-17	30117	71616	531175	616085	5.67	42.05	13.48
2017-18 (3 rd आरई)	30680	80987	586900	677900	5.23	37.88	13.80
2018-19 (2 nd आरई)	33358	91228	657470	750962	5.07	36.57	13.87
2019-20 (1 st आरई)	35034	100692	736717	830872	4.76	34.79	13.67
2020-21 (एई)	32364	96083	708826	798310	4.57	33.68	13.56

स्रोत: जीएसवीए के अनुमान डीईएस द्वारा।

टिप्पणी— (3rd आरई)— तृतीय संशोधित अनुमान, (2nd आरई)— द्वितीय संशोधित अनुमान, (1st आरई) प्रथम संशोधित अनुमान, (एई)—पूर्व अनुमान,

- 3.3 विवरण 9.3 से स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र से आय वर्ष 2011–12 के 18907 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 32364 करोड़ रुपए हो गई है। जीएसवीए में विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 6.24 प्रतिशत से कम होकर 2020–21 में 4.57 प्रतिशत रह गया है। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 13.56 प्रतिशत हो गया है।

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

दिल्ली में कुल 70299 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। इनमें 54965 सूक्ष्म उद्यम, 14720 लघु और 614 मध्यम उद्यम हैं।

5. कार्यशील कारखाने

पिछले नौ वर्षों में दिल्ली में कार्यशील कारखानों की संख्या और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या के आंकड़े विवरण 9.4 में दिये गये हैं।

विवरण 9.4

कारखानों और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	वर्ष	कारखाने	कामगारों की अनुमानित संख्या
1.	2011	8219	378361
2.	2012	8557	392270
3.	2013	8821	403270
4.	2014	8968	416927
5.	2015	8954	415278
6.	2016	8978	416833
7.	2017	9059	420156
8.	2018	9121	419578
9.	2019	8622	403517

स्रोत: दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

विवरण 9.4 से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कार्यशील फैक्ट्रियों की संख्या 2011 के 8219 से बढ़कर 2019 में 8622 हो गयी है। इसी तरह इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे कामगारों की अनुमानित संख्या 2011 के 378361 से बढ़कर 2019 में 403517 हो गयी है। दिल्ली की इन फैक्ट्रियों में प्रति फैक्ट्री औसतन 47 व्यक्ति कार्य कर रहे थे।

- 5.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पर्यावरण संबंधी विभिन्न नियम लागू किये जाने के कारण दिल्ली की कई औद्योगिक इकाइयां सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि या तो ये इकाइयां बंद हो गयी हैं या पड़ोसी राज्यों में चली गयी हैं। इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों की अनुमानित संख्या अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से बढ़ी है।
- 5.2 2013 से 2018 के दौरान पंजीकृत कारखानों की उद्योगवार संख्या और उनमें कार्यरत कामगारों का ब्योरा विवरणी 9.5 दिया गया है।

विवरण 9.5

उद्योगवार पंजीकृत कारखाने और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या

क्र.स.	उद्योग	कारखाने						अनुमानित कर्मचारी					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	खाद्य उत्पाद	330	333	340	345	350	142	20316	20500	21316	21596	21921	8894
2	पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	46	44	44	49	53	34	3214	3074	3134	3176	2981	1913
3	टेक्सटाइल उत्पाद	2033	2012	2013	2020	2008	1519	141263	139803	140408	140107	138788	104978
4	काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर्स	265	266	269	269	273	98	10317	10356	10541	10541	10702	3842
5	कागज और कागज उत्पाद, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और अनुबंधी	765	771	776	785	795	587	29816	30050	29997	30249	30608	22600
6	चमड़ा और चमड़ा फर उत्पाद (मरम्मत छोड़ कर)	298	298	300	301	303	139	12872	12872	13054	13085	13182	6047
7	रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद	666	666	662	674	699	754	15365	15365	14952	15599	15712	16942
8	रसायन और रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले को छोड़कर)	295	291	290	293	290	173	11793	11633	11548	11655	11815	7048
9	गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	82	82	82	82	73	11	2426	2426	2426	2426	1002	151
10	बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	525	523	519	524	517	775	8614	8581	8373	8488	7900	11842
11	धातु उत्पाद और हिस्से पुर्ज मशीनरी और परिवहन उपकरण – इलेक्ट्रिकल उपकरणों सहित मशीन टूल्स	1913	1890	1890	1902	1928	757	76427	75508	75215	75475	76428	30007
12	विद्युत, गैस और स्टीम वाटर वर्क्स और आपूर्ति	104	104	109	126	132	195	5935	5935	6065	6596	6896	10187
13	ईंधन, रसायन परफ्यूमरी, सिरामिक्स ग्लास में थोक बिक्री व्यापार	73	95	91	97	99	0	657	855	650	810	900	0
14	लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएं	9	9	9	9	9	47	7655	7655	7655	7655	7655	39976
15	स्वच्छता सेवाएं	17	17	18	20	20	31	391	391	102	590	590	915
16	पूँजीगत सामान की मरम्मत और मरम्मत सेवाएं	540	550	556	563	570	219	30502	31067	31431	32107	32387	12441
17	विविध अनिर्दिष्ट समूह	1007	1003	1010	1000	1002	3141	39364	39207	39966	40001	40111	125734
	कुल	8968	8954	8978	9059	9121	8622	416927	415278	416833	420156	419578	403517

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

- 5.3 उपर्युक्त विवरणी से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या तीन प्रमुख उद्योग समूहों में पंजीकृत हैं (1) कपड़ा उत्पाद, (2) बुनियादी धातु और मिश्र धातु (3) धातु उत्पाद और कलपूर्ज मशीनरी।

6. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

- 6.1 फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों अनुसार यदि किसी फैक्टरी में 10 या अधिक श्रमिक काम करते हैं और विद्युत का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (i) के तहत किया जाना चाहिए, 20 या इससे अधिक श्रमिकों वाले और विद्युत का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योगों का पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (ii) के तहत किया जाता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों के लिए किया जाता है।

विवरण 9.6
दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख संकेतक

क्र. सं	प्रमुख संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पंजीकृत कारखाने (संख्या)	2878	2976	3183	2980	2928	2852	2639	2459
2.	पूँजी (करोड़ रुपये)								
क	अचल पूँजी	4469	8938	10661	5903	6532	6922	6973	6630
ख	कार्यशील पूँजी	8216	10352	8137	10722	11391	9126	8990	5543
ग	कुल	12685	19290	18798	16625	17923	16048	15963	12173
3.	रोजगार								
क	कामगार	79036	76867	81901	76250	76697	74747	75172	70414
ख	कामगारों से भिन्न	43495	41911	44453	39481	41406	39035	36604	34732
ग	कुल	122531	118778	126354	115731	118103	113782	111776	105146
4.	मानव दिवस (लाख में)	371	359	376	350	355	343	339	319
	कुल परिलब्धियां (करोड़ रुपये में)	1972	2260	2578	2489	2778	2793	2897	2910

स्रोत: दिल्ली सांख्यिकीय पुस्तिका-2020

7. औद्योगिक एस्टेट

7.1 औद्योगिक एस्टेटक्षेत्रों का परिचालन और रखरखाव

दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 4 प्लैटिड फैक्टरी परिसर हैं। इसके अलावा 22 नॉन-कन्फर्मिंग औद्योगिक बस्तियों को विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के तहत सभी औद्योगिक क्षेत्रों को रखे जाने के लिए 28 मार्च 2011 को दिल्ली औद्योगिक विकास परिचालन और रखरखाव (डीआईडीओएम) अधिनियम 2010 अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के तहत नियमों को 11 नवंबर 2011 को अधिसूचित किया गया है।

- 7.2 33 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 24 औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को सौंपे गए हैं। जिनके रखरखाव और उन्नयन के लिए निगम उत्तरदायी है। इन 24 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 12 क्षेत्रों का लीज प्रशासन डीएसआईआईडीसी के पास है और शेष 12 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डीडीए के पास। इन 12 औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्व संग्रह और विभिन्न प्रकार के जुर्माने/प्रभार लगाने का अधिकार डीडीए या संबंधित डीएमसी के पास है।
- 7.3 भारत सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह औद्योगिक क्षेत्रों को रख रखाव के लिए डीएसआईआईडीसी को सौंप दे। माननीय उपराज्यपाल ने भी रख-रखाव और लीज प्रशासन के लिए डीडीए से औद्योगिक एस्टेट को सौंपे जाने का आदेश जारी किया है।
- 7.4 डीएसआईआईडीसी के पास उपर्युक्त 24 क्षेत्रों में से नरेला और बवाना क्षेत्रों का प्रबंधन, सभी प्रकार की सेवाओं जैसे जलापूर्ति, ठोस कचड़ा प्रबंधन, सड़क और नालियां, स्ट्रीट प्रकाश व्यवस्था और बागवानी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत दो कंसेशनरी द्वारा किया जा रहा है। रियायत अनुबंध के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्विकास कार्य पूरे कर दिए गए हैं और इसके बाद से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव और प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। रख-रखाव कार्य 2026 तक किया जाना है। रखरखाव, सीईटीपी और जल शुल्क भूखंड स्वामी से लिया जा रहा है। डीएसआईआईडीसी को रखरखाव की 13 वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क का भुगतान करना है।
- 7.5 पांच औद्योगिक क्षेत्रों-मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और 2, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-3 और उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र के शेष भाग में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का काम लगभग 105 करोड़ रुपये की लागत से जारी है। कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, जीटीके रोड औद्योगिक क्षेत्र और ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-3 (शेष कार्य) में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का कार्य 52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
- 7.6 रिहायशी क्षेत्रों से उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए बवाना औद्योगिक क्षेत्र के फेज-2 का विकास डीएसआईआईडीसी द्वारा भोरगढ़ में 431.50 एकड़ के क्षेत्र में वर्ष 2010 में किया गया था। इस समय शेष कार्य जैसे शेष चारदीवारी, पंप हाउस से यूजीआर टैंक तक जलापूर्ति लाईन बिछाने तथा अन्य विविध कार्य पूरे किए जा रहे हैं।
- 7.7 भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संकुल विकास के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम-संकुल विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसई-सीडीपी) बनाई है। इस योजना के तहत अनुदान सहायता के लिए डीएसआईआईडीसी द्वारा आठ औद्योगिक क्षेत्रों/ प्लैटेड फैक्ट्री की पहचान उन्नयन और पुनर्विकास के लिए की गई है।

8. नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में औद्योगिक समूहों का विकास

- 8.1 दिल्ली में 29 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र और चार प्लैटेड फैक्ट्री परिसर हैं। मगर कई उद्योग नॉन-कनफॉर्मिंग यानी वर्जित क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका के सिलसिले में मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों/नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों तथा अन्य निषिद्ध उद्योगों में पहली अगस्त 1990 या इसके बाद स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया।

- 8.2 रिहायशी/नॉन कन्फॉर्मिंग इलाकों में चल रहे उद्योग समूहों का न्यूनतम स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट के, न्यूनतम 4 हेक्टेयर निकटवर्ती क्षेत्र वाले 25 नॉन कन्फॉर्मिंग औद्योगिक समूहों का नये सिरे से विकास करने के बारे में अधिसूचना जारी की है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकाय/भूस्वामी एजेंसी द्वारा सोसायटी (भू-स्वामियों द्वारा गठित) के परामर्श से, अपेक्षित नियमों पर विचार करते हुए तैयार की जाएगी।

9. दिल्ली वित्त निगम

- 9.1 दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ सेवा क्षेत्र की इकाइयों जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल/निदान केंद्र, परिवहन क्षेत्र, होटल और रेस्त्रा, पर्यटन संबंधी सुविधाएं जैसे मनोरंजन पार्क, सम्मेलन केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर सेवाएं, सेटेलाइट, लिंकेज, ऑडियो, वीडियो, दृश्य संचार सहित दूर संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डटैक कृषि उद्योग, फ्लोरीकल्चर, टिशू कल्चर, मुर्गी पालन, ब्रीडिंग हैचरीज आदि से संबंधित इकाइयों की भी सहायता करता है। कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मामले में ऋण की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये है जबकि प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप वाली फर्मों को 4 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है।

नयी इकाइयों के साथ साथ मौजूदा इकाइयों को आधुनिकीकरण, विविधीकरण, पुनर्वास, विस्तार और शिपिंग के लिए ऋण दिया जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में ऐसे सुधार के लिए भी ऋण दिये जाते हैं जिससे बिजली की खपत कम हो और मात्रात्मक उत्पादकता बढ़े। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण आदि लगाने के लिए भी ऋण दिये जाते हैं। डीएफसी छोटे सड़क परिवहन ऑपरेटर्स को वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऋण देता है। दिल्ली को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल शहर बनाने के लिए डीएफसी ने औद्योगिक इकाइयों को रिहायशी इलाकों से दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए भी रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया है।

- 9.2 निगम के पास 31 मार्च 2019 तक 2647.75 लाख रुपए की पेड-अप शेयर पूंजी और 4222.09 लाख रुपए का रिजर्व और सरप्लस था।

विवरण 9.7

दिल्ली वित्त निगम का कार्यनिष्पादन: वर्ष 2012-13 से 2019-20

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ऋण मंजूरी	ऋण संवितरित राशि	वसूली
2012-13	9.77	8.82	49.22
2013-14	7.19	6.65	50.78
2014-15	60.72	9.14	43.70
2015-16	23.19	49.36	52.40
2016-17	1.71	2.78	41.69
2017-18	24.28	25.25	40.24
2018-19	0.80	0.79	42.67
2019-20	0.87	0.15	38.02

स्रोत: उद्योग विभाग रा.रा.क्षे.दिल्ली

10. **5 लाख रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत शेड्स का निर्माण:** डीएसआईआईडीसी ने 1973-74 में भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये पांच लाख रोजगार नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक परिसरों में 840 औद्योगिक शेड्स का निर्माण कराया। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 9.8

‘पांच लाख रोजगार’ कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक शेड्स

क्र.सं	परिसर का नाम	शेड की संख्या
1.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज एक	232
2.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/एक	112
3.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/दो	34
4.	ओखला औद्योगिक परिसर, फेज दो/तीन	59
5.	वजीरपुर औद्योगिक परिसर	103
6.	लॉरेंस रोड औद्योगिक परिसर	90
7.	झिलमिल ताहिरपुर औद्योगिक परिसर,	33
8.	रोहतक रोड औद्योगिक परिसर, फेज-1	177

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

11. स्व-वित्त पोषण योजना के तहत शेड्स: डीएसआईआईडीसी ने स्व-वित्त पोषण योजना के अंतर्गत भी 456 औद्योगिक शेड्स का निर्माण निम्नांकित स्थलों पर किया है।

विवरण 9.9

स्व वित्त पोषण योजना के तहत औद्योगिक शेड्स

क्र सं	परिसर का नाम	शेड्स की संख्या	स्वीकृत उद्योग
1.	कीर्ति नगर पैकिंग परिसर	226	टिम्बर और पैकिंग से संबंधित
2.	मंगोलपुरी इंजीनियरिंग परिसर	94	लाइट इंजीनियरी
3.	ओखला कम्प्यूटर परिसर	31	कम्प्यूटर से संबंधित
4.	रोहतक रोड इंडस्ट्रियल परिसर	105	सामान्य

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

12. साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का निर्माण

- 12.1 दिल्ली शहर के विकास के साथ ही पर्यावरण संबंधी सरोकार अधिक गंभीर होकर सामने आने लगे हैं। दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के निर्माण की जिम्मेदारी मिली। डीएसआईआईडीसी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), के सहयोग से इस परियोजना का निष्पादन किया है। डीएसआईआईडीसी ने वजीरपुर, मंगोलपुरी, जीटी करनाल रोड, मायापुरी, बादली, एसएमए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, झिलमिल, नांगलोई, लारेंस रोड, नरेला, बवाना और नारायण में 13 सीईटीपी का निर्माण पूरा किया है। इन 13 में से 11 सीईटीपी को संचालन और रख-रखाव के लिए संबंधित

सोसोयटीज को सौंप दिया गया है और दो सीईटीपी का संचालन डीएसआईआईडीसी द्वारा कंसेशनरी के जरिए किया जा रहा है।

घातक कचरे के निपटान के लिये प्रबंधन केंद्र की स्थापना

डीएसआईआईडीसी ने घातक कचरे की निपटान व्यवस्था के लिये बवाना, दिल्ली में उपचार, भंडारण और निस्तारण केंद्र के विकास का काम मेसर्स तमिलनाडु कचरा प्रबंधन लिमिटेड को सौंपा है। यह केंद्र 14 एकड़ जमीन पर 25 वर्ष के लिये बीओटी आधार पर विकसित किया जायेगा। इस संदर्भ में डीएसआईआईडीसी ने 30.11.2019 को स्वीकृति पत्र (एलओसी) और 18.12.2019 को कार्य आरंभ पत्र (लेटर ऑफ कमेंसमेंट) जारी किया था। इसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 24.10.2020 को पर्यावरणीय मंजूरी दी और मेसर्स तमिलनाडु कचरा प्रबंधन लिमिटेड ने स्थापना सहमति लेने के लिये डीपीसीसी के पास आवेदन कर दिया। डीपीसीसी से सहमति मिलने के बाद उपचार, भंडारण और निस्तारण केंद्र के विकास का काम शुरू हो जायेगा। इस बीच निर्माण कार्य आरंभ करने के लिये अन्य आवश्यक मंजूरी ली जा रही है।

13. रत्न एवं आभूषण संस्थान

दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने राष्ट्रीय आभूषण संस्थान की स्थापना की है। इस समय यह संस्थान लघु अवधि के विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चला रहा है, जैसे बेसिक ज्वेलरी डिजायनिंग, एडवांस ज्वेलरी डिजायनिंग, डायमंड आईडेंटिफिकेशन एंड ग्रेडिंग, कलर्ड जेम्स स्टोन आईडेंटिफिकेशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ रत्न विज्ञान में 6 महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। कोविड-19 संक्रमण और महामारी के फैलाव के कारण दिल्ली सरकार के आदेश के अनुरूप प्रशिक्षण कक्षाएं मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक बंद कर दी गईं।

14. दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

दिल्ली खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1983 में हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1966 का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विस्तार करते हुए की गई थी। बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य खादी और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस समय बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार की राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना और भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना—केवीआईसी, नामक दो रोजगार सृजन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

15. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना (आरजीएसआरवाई)

राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को स्वतंत्र उद्यमी, व्यापार, कारीगर, व्यावसायी आदि के रूप में स्थायी स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन लाख रुपये की ऋण सहायता दी जाती है जिसमें परियोजना लागत की 15 प्रतिशत सब्सिडी होती है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उद्यमी 7,500 रुपये निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2017-18 और 2018-19 में हुई प्रगति का ब्यौरा निम्नांकित विवरण 9.10 में दिया गया है:

विवरण 9.10
आरजीएसआरवाई की प्रगति

क्र. स.	मद	उपलब्धियां	
		2018-19	2019-20
1.	ऋण उप समिति की बैठकों की संख्या	4	3
2.	लक्ष्य (मामलों की संख्या)	27	40*
3.	मंजूर मामलों का ब्यौरा		
	क. मामलों की संख्या	39	14
	ख. स्वीकृत राशि	80.265 लाख रु	38.325 लाख रु
4.	संवितरित किए गए ऋण का ब्यौरा		
	क. मामलों की संख्या	29	18
	ख. राशि संवितरित	47.66 लाख रु	24.21 लाख रु

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

* संशोधित अनुमान के अनुपात में संशोधित

16. विपणन गतिविधियां

दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग ने वर्ष 1999 से सीमित रूप में विपणन गतिविधियां शुरू की। बोर्ड प्रमाणीकृत खादी और ग्रामोद्योग इकाईयों तथा राजीव गांधी स्व रोजगार योजना के तहत अन्य इकाईयों से बिक्री और अपने बिक्री केंद्रों के लिए सामानों की खरीद कर रहा है। इस समय उद्योग सदन पटपड़गंज और दिल्ली सचिवालय में दो बिक्री केंद्र हैं।

17. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

- 17.1 यह कार्यक्रम भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर पैदा करना है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग पूरे देश में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी है और राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्डों को केवीआईसी और डीआईसी के साथ राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। दिल्ली में, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, राज्य कार्यालय, केवीआईसी के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक उद्यमी के लिए प्रति इकाई स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पीएमईजीपी कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करने में आय संबंधी कोई शर्त नहीं रखी गई है। सब्सिडी की दर आवेदक और उस क्षेत्र की श्रेणी पर निर्भर करती है जहां औद्योगिक इकाई स्थापित की जानी है।

पीएमईजीपी से तहत लाभार्थियों की श्रेणियां	लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत के)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत के)		सावधि ऋण
		शहरी	ग्रामीण	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई स्थल)				कुल परियोजना लागत की अधिशेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%	
विशेष श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव, दिव्यांग, अल्पसंख्यक महिला/पूर्व सैनिक इत्यादि सहित)	05%	25%	35%	

17.2 वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान इस योजना की सफलता का ब्यौरा विवरणी 9.11 में दर्शाया गया है।

विवरण 9.11

दिल्ली में 2018-19 और 2019-20 के दौरान पीएमईजीपी की प्रगति

क्र. स.	मद	उपलब्धियां	
		2018-19	2019-20
1.	लक्ष्य (मामलों की संख्या)	113	270
2.	बैंकों द्वारा ऋण वितरित किए गए मामलों की संख्या	118	106
3.	बैंकों द्वारा संवितरित मार्जिन मनी राशि	140.73 लाख रु	136.27 लाख रु

18 नए औद्योगिक क्षेत्रों/केंद्रों का विकास:

18.1 रानीखेड़ा, मुंडका में बहु-स्तरीय विनिर्माण केंद्र (मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब) का विकास:

18.1.1 रानीखेड़ा में 147 एकड़ जमीन पर एक बहुस्तरीय विनिर्माण केंद्र की योजना बनायी जा रही है। इस परियोजना के पूरी हो जाने से दिल्ली को ये लाभ मिल सकेंगे।

I. लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 13.50 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा।

II. इस निर्माण का व्यापक मानक इस प्रकार है:

- क. औद्योगिक क्षेत्र – 7 लाख वर्ग फीट
- ख. संस्थान और कार्यालय क्षेत्र– 50 हजार वर्गफीट
- ग. गोदाम क्षेत्र – 1 लाख वर्ग फीट
- घ. पार्किंग और अन्य सेवाएं – 50 हजार वर्ग फीट

III. दिल्ली के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के उन्नयन के लिये

IV. क्षेत्र के आगे विकास के लिये शुरुआती परियोजना के रूप में काम करना, क्योंकि यह परियोजना पूरे क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करेगी यानी उत्तरी और पूर्वी दिल्ली तथा दिल्ली के उत्तरी-पश्चिमी भाग से लगे उपनगरीय क्षेत्र जैसे:

- क. बहादुरगढ़
- ख. रोहतक
- ग. सोनीपत
- घ. झज्जर

दिल्ली के समग्र औद्योगिक प्रोफाइल में सुधार में सहयोग

विश्व स्तरीय विकास से दिल्ली में उद्योग आकर्षित होंगे और बने रहेंगे।

यह स्थल परिवहन के विभिन्न माध्यमों से काफी अच्छी तरह जुड़ा है:

- क. यूईआर 2 एक्सप्रेस वे
- ख. रोहतक रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग)
- ग. मुंडका मेट्रो स्टेशन
- घ. मुंडका रेलवे स्टेशन
- ङ. डीटीसी बस डिपो

स्थल के बीचोबीच 25 एकड़ से अधिक भूमि पर प्राकृतिक केंद्रीय पार्क(पूरी तरह हरित क्षेत्र)

18.1.2 मौजूदा स्थिति

एनडीएमसी की स्थायी समिति ने 17 नवम्बर 2017 को योजना की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। भवन योजनायें मंजूरी के लिये 10.09.2020 को उत्तरी डीएमसी को सौंप दी गयीं और अभी मंजूरी के अंतिम चरण में है। परियोजना की वित्तीय जरूरतें और रूपरेखा तय करने के लिये मेसर्स सीबीआरई दक्षिण एशिया प्राइवेट लिमिटेड को कार्य निष्पादन तथा परियोजना लगाने के इच्छुक संभावित विनिर्माताध्यापार घराने के चयन के लिये सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

18.2 बपरौला, दिल्ली में ज्ञान आधारित उद्योग पार्क:

- डीएसआईआईडीसी बपरौला में करीब 55 एकड़ क्षेत्र में एक ज्ञान आधारित औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 2575 करोड़ रुपये है। यह परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीईएस उद्योग, मीडिया, अनुसंधान और विकास, रत्न एवं आभूषण और अन्य व्यापार सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करेगी। इस परियोजना से करीब एक लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और एक लाख 70 हजार व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

ज्ञान आधारित औद्योगिक पार्क की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है—

- औद्योगिक भवनों को चार सितारा गृह रेटिंग के लक्ष्य के साथ हरित भवन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक भवनों को केंद्रीकृत रूप में वातानुकूलित बनाया जाएगा।
- औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए 23,74,530 वर्ग फीट और 79,117 स्क्वायर वर्ग फीट का बिक्री योग्य क्षेत्र होगा।
- मेसर्स आर के एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट कंसलटेंट का काम बंद कर दिया गया है।
- 26-11-2020 को एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) प्रकाशित कर दी गई है, इसके द्वारा डेवलपर्स और निवेशकों से दिल्ली में बपरौला औद्योगिक एस्टेट में निवेश के लिए 28-12-2020 तक प्रस्ताव मांगे गए।
- मेसर्स सीबीआरई को परियोजना के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है।
- परियोजना की अनुमानित लागत 2175 करोड़ रुपये है और इसमें कुल निर्मित क्षेत्र 2,23,339 वर्गमीटर होगा। इसकी निर्माण योजना अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर निगम को सौंप दी गई है।

18.3 कंझावला में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास:

डीएसआईआईडीसी की कंझावला में समेकित औद्योगिक टाउनशिप को विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित परियोजना 920 एकड़ में विस्तारित एक प्रमुख ग्रीनफील्ड परियोजना होगी। इस परियोजना से उत्तर-पश्चिम दिल्ली के औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। यह परियोजना दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 और दिल्ली की उद्योग नीति 2010-21 का अनुपालन करते हुए विकसित की जा रही है।

19. कारोबार करने में आसानी

दिल्ली और मुम्बई के कार्य निष्पादन के आधार पर भारत पिछले पांच वर्ष में कारोबारी सुविधा के लिहाज से 142वें स्थान से 63 पर आ गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कारोबारी सहूलियत की रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार संबंधी संकेतकों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण उपाय किए हैं:

19.1 कारोबार शुरू करना:

- जीएसटी पंजीयन व्यापार और कर विभाग की वेबसाइट के जरिए तीन दिन के अंदर अस्थायी स्वीकृति के लिए प्रावधान के साथ दे दिया जाता है।
- जीएसटी पंजीकरण के समय पूर्व निरीक्षण अनिवार्य नहीं है।
- जीएसटी पंजीकरण के लिए बैंक खाता खोलने की शर्त समाप्त कर दी गई है।
- दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत उद्योग आधार संख्या समयबद्ध रूप से ऑनलाइन दी जा रही है।

19.2 निर्माण परमिट

- आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और गोदाम जैसी इमारतों के लिए संयुक्त आवेदन पत्र और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था के साथ एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली के तहत भवन योजना की ऑनलाइन मंजूरी दी जा रही है।
- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए), दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी), भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) जैसी बाह्य एजेंसियों ने दिल्ली के जीएसटीएल के डेटाबेस में दिये गये कलर कोड नक्शे में अपने प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके का निर्धारण किया है और इसे नगर निगम के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस तरह जो इलाके इन बाह्य एजेंसियों के दायरे में नहीं आते उनके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।
- भवन निर्माण योजना के लिए स्वीकृति लेने की प्रक्रियाओं की संख्या 16 से घटाकर 11 कर दी गयी है और लागत भी घटकर 4.2 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत रह गयी है। नगर निगमों द्वारा डिजिटल तरीके से हस्ताक्षर की गई स्वीकृति योजनाएं जारी की जा रही हैं।
- भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय संपत्ति कर भुगतान का पिछला ब्यौरा देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
- योजनाओं पर नियमन की गुणवत्ता इस प्रकार बढ़ाई गई है
 - क) अप्रत्यक्ष त्रुटि दायित्व और दस वर्षीय त्रुटि दायित्व बीमा शामिल किया गया है।
 - ख) पेशेवरों की योग्यता स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई है।
 - ग) नींव स्तर पर निरीक्षण और कब्जा-सह-निर्माण कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र देने में तेजी लाने के लिए सभी भवनो का जोखिम आधारित वर्गीकरण शामिल किया गया है।

19.3 बिजली कनेक्शन लेना

- नये बिजली कनेक्शन देने की ऑनलाइन प्रणाली चालू हो चुकी है। 50 कि.वा. और इससे अधिक के कनेक्शनों के लिए ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य है।
- इससे संबंधित प्रक्रियाओं की संख्या 5 से घटा कर 3 कर दी गई है। समय भी घटा कर 15 दिन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल दो दस्तावेज (पहचान प्रमाण और परिसर के स्वामित्व संबंधी प्रमाण) देना जरूरी है।
- 50 कि.वा. से अधिक और 200 कि.वा. तक के स्वीकृत लोड सर्विस लाइन और विकास शुल्क 310 रुपये प्रति केवीए कर दिया गया है जिसके लिए अधिकतम शुल्क 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
- 33 केवी तक के कनेक्शन के लिए श्रम मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र के स्थान पर डिस्कॉम द्वारा स्व-प्रमाणन की व्यवस्था लागू की गई है।
- दोहरे पोल वाले ढांचे पर 500 केवीए तक का ट्रांसफार्मर लगाने की अनुमति के बारे में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों को संशोधित किया गया है।
- लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है।
- आपूर्ति की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एससीएडीए जैसी स्वचालित भरपाई प्रणाली (आउटेज सिस्टम) लागू की गई है।

19.4 करों का भुगतान

वैट (स्थानीय और केन्द्रीय) (जो अब जीएसटी हो गया है), संपत्ति कर, वाहन कर, बिजली बिल और पानी बिल का भुगतान ऑनलाइन कराया जा सकता है।

19.5 परिसंपत्तियों का पंजीकरण

- संपत्तियों के पंजीयन के लिए समय ऑनलाइन दिया जाता है।
- दिसंबर 1993 तक का रिकार्ड अभिलेखागार विभाग ने पहले ही डिजिटाइज कर दिया है।
- 2002 से रखे जा रहे रिकार्ड के लिए ई-सर्च सुविधा doris.delhigov.nic.in उपलब्ध है।
- 1994 से डोरिस प्रणाली के शुरू होने तक के करीब 2.6 करोड़ पृष्ठों के बाकी रिकार्ड के डिजिटीकरण। डिजिटीकरण का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है और इस रिकार्ड की फाइलों के लिए ई-सर्च सुविधा उपलब्ध है। संपूर्ण कार्य जल्द ही पूरा होने की संभावना है।
- कैडेस्ट्रल मैपिंग एजेंसी और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय दोनों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली बनायी गयी है।
- नागरिक राजस्व विभाग के वेबसाइट पर एडिटेबल फॉर्मेट में उपलब्ध मॉडल सेल डीड का उपयोग अपनी संपत्ति के पंजीकरण के कागजात बनाने के लिए कर सकते हैं।
- स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की किसी भी राशि के भुगतान की ऑनलाइन/नकदी रहित सुविधा अब उपलब्ध है। इसके लिए बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है।
- सभी प्रक्रियाएं इलेक्ट्रानिक तरीके से सुनियोजित कर दी गयी हैं और आवेदक को पंजीयन प्रक्रिया के हर चरण के बारे में एसएमएस से सूचना दी जाती है।

19.6 अनुबंधों पर अमल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद ने 30 जुलाई, 2019 को उच्चतर न्यायिक सेवाओं (डीएचजेएस) के अंतर्गत वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के 22 पदों और सहायक कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन अंतरिम उपाय के तौर पर 7 जुलाई, 2019 से संबंधित जिलों के सभी जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए नामित कर दिये गये हैं और वे 3 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक की लागत के वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। सभी न्यायालयों में ई-वाद सूची और ई-सम्मन को चालू कर दिया गया है।

20. निर्यात संवर्धन

नीति आयोग की शासी परिषद ने 15-06-2019 को हुई पांचवीं बैठक में राज्य सरकार (औद्योगिक विभाग) को 2024 तक देश को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ाने और निर्यात संभावनाओं का पता लगाकर, अपनी प्रमुख क्षमताओं की पहचान कर और अपने निर्यात संवर्धन की प्रणाली विकसित कर अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुने से ढाई गुणा करने का भी निर्देश दिया गया। निर्यात संवर्धन की तैयारी, निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से, उत्कृष्ट निर्यातकों के लिए, जो अपनी सेवाओं और वस्तुओं के निर्यात से राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, राज्य निर्यात पुरस्कार के जरिए उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास निर्यात संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

21. पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना

इस योजना का शुभारंभ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की साझादेरी से किया गया। इसे अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। इस योजना के लिए धन उपलब्ध कराने का अनुपात 60:40 (केंद्र : राज्य) रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और इन उद्यमों के उन्नयन के लिए समूहों और सहकारी संस्थाओं की क्षमताओं का उपयोग करना है। योजना का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन व्यवस्था मजबूत कर उन्हें संगठित आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना भी है। यह नई योजना इन इकाइयों को सामान्य सेवाओं जैसे साझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और इन्क्यूबेशन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। यह योजना लागत वस्तुओं की खरीद, साझा सुविधाओं और उत्पादों की विपणन सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) व्यवस्था अपनाती है। योजना के लिए ओडीओपी मूल्य श्रृंखला विकास की रूपरेखा और सहयोगी अवसंरचना उपलब्ध कराएगी। एक जिले में ओडीओपी उत्पादों का एक से अधिक संकुल हो सकता है। एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिलों के लिए ओडीओपी उत्पादों का संकुल स्थापित किया जा सकता है।

22. स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना

- 22.1 भारत सरकार ने वर्ष 2016 में एक प्रमुख पहल के रूप में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम लागू किया था। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप उद्यमों के लिए एक अनुकूल व्यवस्था बनाना है जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित कर सके।

- 22.2 इस योजना के लक्ष्यों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए स्टार्टअप नीति लागू करने के अग्रिम चरण में है। सरकार दिल्ली में नवाचार/इन्क्यूबेशन सेंटर गठित करने की प्रक्रिया में है।
- 22.3 विश्वस्तरीय नवाचार/ इन्क्यूबेशन केंद्र विकसित करने के लिए जिन प्रमुख सेक्टर/क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है वे हैं— (1) नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण (2) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, (3) सायबर सुरक्षा और तकनीकी नवाचार (4) ऑटोमेशन (5) शिक्षा (6) शहरी अवसंरचना योजना और विकास (7) बिग डेटा (8) ठोस कचड़ा प्रबंधन (9) वायु प्रदूषण नियंत्रण (10) रोबोटिक्स।
- 22.4 दिल्ली स्टार्टअप नीति का मुख्य उद्देश्य होगा दिल्ली में अगले पांच वर्ष के दौरान कम से कम पांच हजार नए स्टार्टअप उद्यमों के विकास के लिए प्रयास करना। इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए कम से कम 2,50,000 वर्ग फीट और मौजूदा इन्क्यूबेशन बुनियादी ढांचा के लिए अतिरिक्त 2,50,000 वर्ग फीट क्षेत्र की व्यवस्था करना। 2025 तक प्रत्येक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टिकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। 2023 तक दिल्ली में पांच फैब्रिकेशन प्रयोगशालाओं की स्थापना और 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 100 उद्यमिता विकास प्रकोष्ठों की स्थापना।
- 22.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में 11 इन्क्यूबेटर के नेटवर्क की स्थापना, 30000 वर्ग फीट से अधिक में इन्क्यूबेशन क्षेत्र विकसित करने तथा शिविरों और हेकैथॉन के माध्यम से प्रभावी जागरूकता और पहुंच प्रयास विकसित करने के लिए स्टार्टअप इको सिस्टम के विकास में दिल्ली एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा है।

23. मास्टर प्लान दिल्ली 2021

- 23.1 मास्टर प्लान दिल्ली के व्यवहार्य नियोजित विकास के मार्गदर्शन के लिए दीर्घावधि परिदृश्य रूप-रेखा है।

स्वीकृत नई गतिविधियां— दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र में गतिविधियों की स्वीकृति, अवसंरचना, उन्नयन प्रभार के भुगतान के आधार पर दी जाएगी, जिसका निर्णय लिया जाना है, इसकी वसूली संबंधित प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इन गतिविधियों में सॉफ्टवेयर उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग, आईटीईएस उद्योग, मीडिया, जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास तथा डिजाइन, व्यापार सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं तथा पैकेजिंग. इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, बिजली वितरण सेवाएं तथा टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मरम्मत जैसी सेवाएं शामिल हैं।

- 23.2 एफएआर में वृद्धि— संशोधनों के अनुसार दुकान सह आवास परिसरों के लिए मौजूदा भवनों में कुल फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) बढ़ा दी गई है।
- 50 वर्ग मीटर और कम के लिए— एफएआर 200 है।
 - 51–400 वर्गमीटर के लिए— एफएआर 180 है।
 - 401 वर्गमीटर और अधिक के लिए – एफएआर 150 है।

इन दूरदर्शी प्रयासों से नियोजित और सुविकसित दिल्ली की कल्पना साकार हो सकेगी।

अध्याय 10

दिल्ली में पर्यटन

दिल्ली, सभी सही कारणों से, अतुल्य भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। विविधता का पर्याय, दिल्ली हमेशा से भारत में सभी गतिविधियों का केंद्र रहा है जो इसके पर्यटन में परिलक्षित होता है। दिल्ली में यात्रा करना केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अतीत और वर्तमान को साथ-साथ देखने का एक माध्यम है। दिल्ली युग-युग से, लोदी से लेकर मुगलों तक और फिर औपनिवेशिक काल तक, अपने में एक अनूठी विरासत को समेटे है, दिल्ली न केवल अतीत की विरासत को संभाले हुए है, बल्कि सुदृढ़ और आधुनिक को भी सहजता से आगे बढ़ाती है। बहुमुखी से बुनियादी तक, दिल्ली अपने आप में एक सूक्ष्म जगत है, जो सही अखिल भारतीय स्वरूप को दर्शाती है, यह सभी के लिए सुगंतव्य स्थान है।

- 1.1 सदियों के इतिहास के साथ, दिल्ली एक प्राचीन संस्कृति और तेजी से आधुनिकीकरण वाले देश का प्रदर्शन करती है। अतीत में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का दरबार रही, दिल्ली के लंबे इतिहास का दिग्दर्शन, सुरुचिपूर्ण ढंग से संरक्षित स्मारकों, प्राचीन किलों और मकबरों में किया जा सकता है। इस सब के साथ एक आधुनिक शहर की बेहतरीन विशेषताएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें मेट्रो सिस्टम, हलचल भरे बाजार और शानदार खाने की जगहें शामिल हैं।
- 1.2 आज भी पुरानी दिल्ली के इतिहास की मनमोहक झलक इसकी भूल-भुलैया संकरी गलियों, पुरानी हवेलियों तथा रंगा-रंग बाजारों में मिलती है। मुगलों की इस भीड़भाड़, चहल-पहल वाली राजधानी में रिव्शा अपना रास्ता उसी तरह बना लेती है, जैसे वे सौ साल पहले बनाया करती थीं। मध्य दिल्ली, अपने वृक्ष-पंक्ति वाले रास्तों के साथ, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट जैसी संरचनाओं और इमारतों से सुशोभित हैं, जो दिल्ली के औपनिवेशिक अतीत को दर्शाते हैं। यह तीन विश्व धरोहर स्मारकों का घर है— कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा जो कई शताब्दियों से जीवित रहे हैं, और अतीत में सम्राटों द्वारा बनाए गए स्थापत्य चमत्कारों का परिचय देते हैं। दिल्ली में कई अन्य छिपे हुए रत्न हैं, जो यहां आने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं।
- 1.3 यहां सभी धर्मों के पूजा स्थल हैं, चाहे वह अक्षरधाम मंदिर हो, लोटस टेंपल, गुरुद्वारा बंगला साहिब, जामा मस्जिद या कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन हो, जो दिल्ली की बहुआयामी संस्कृति के प्रतीक हैं। दिल्ली एक सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में भी पहचान प्राप्त कर रही है। दिल्ली पर्यटन के प्रमुख त्योहार— अर्थात्, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जादू का त्योहार, इत्र और सुगंधी मेला, मैंगो फेस्टिवल, दिल्ली के पकवान, और गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन रहे हैं।
- 1.4 एक व्यापक मेट्रो और बस नेटवर्क के माध्यम से यह शहर एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ा हुआ है, और इससे आगे सीएनजी ऑटो और कैब सेवाओं से सुगम, दिल्ली निस्संदेह एक शानदार शहर है। नए रोडवे और फ्लाई-ओवरों ने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, जिनमें नवीनतम सिग्नेचर ब्रिज है जो दिल्ली पर्यटन की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका निर्माण वजीराबाद में किया गया है और इसे यातायात

के लिए खोल दिया गया है! दिल्ली पर्यटन विभाग यथास्थिति को बदलने तथा यह सुनिश्चित करने के मिशन पर कार्य कर रहा है कि दिल्ली विश्वस्तरीय पर्यटक केंद्र बने तथा कला, संस्कृति, संगीत, थियेटर, फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में अग्रणी हो।

- 1.5 पर्यटन क्षेत्र के लिए, प्रौद्योगिकी ने इस महामारी के दौरान न्यूनतम शारीरिक स्पर्श बिंदु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो सुरक्षित और स्वच्छ पर्यटन के लिए बहुत आवश्यक है।

2. वर्तमान परिदृश्य

2.1 दिल्ली पर्यटन का स्वरूप

भारत की राजधानी, विदेशी और देशी दोनों पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य स्थानों में से एक है। यह राज्य देश में शीर्ष पर्यटक स्थानों में से एक है। 2020 में प्रकाशित भारत के पर्यटन संबंधी आंकड़ों के अनुसार 2019 में करीब 30.74 लाख (28.12%) विदेशी पर्यटक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने आवास और मनोरंजन (95 प्रतिशत) के लिए दिल्ली का दौरा किया। पर्यटक ज्यादातर होटलों और गेस्ट हाउसों में रुके और उसके बाद दोस्तों और रिश्तेदारों के घर। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पर्यटन में रोजगार सृजन और राज्य का विकास संचालित करने की बहुत बड़ी संभावना है। 2019 में भारत में विदेशी पर्यटकों की यात्रा की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार जानकारी विवरण 10.1 में दी गई है।

विवरण 10.1

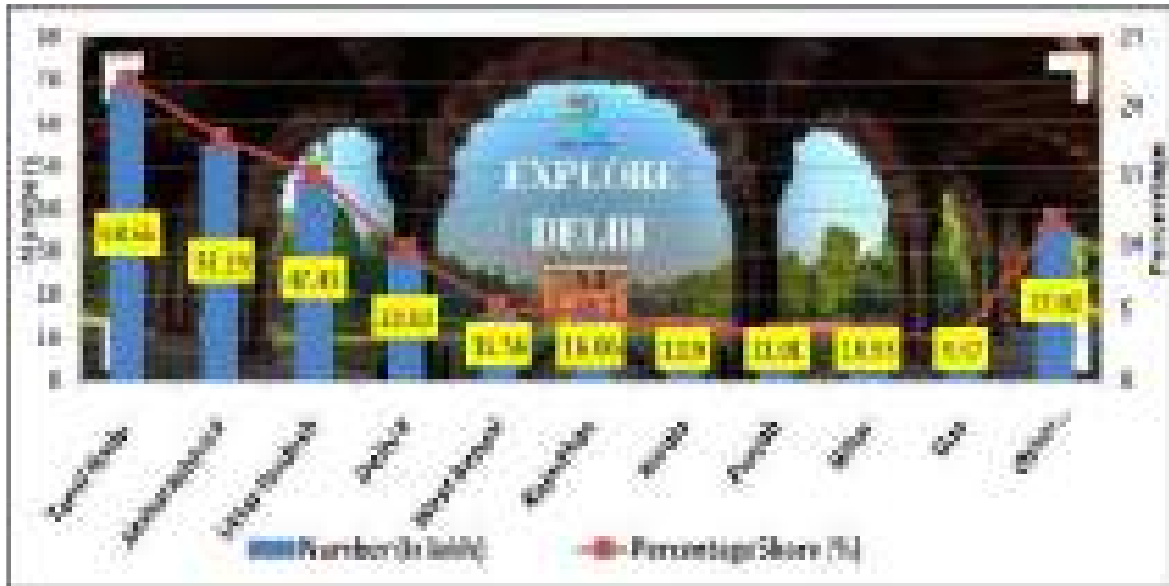
2019 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में हिस्सेदारी की दृष्टि से देश 10 शीर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

रैंक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019 में विदेशी पर्यटकों की यात्रा (अ)	
		संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी (%)
1	तमिलनाडू	6866327	21.9
2	महाराष्ट्र #	5528704	17.6
3	उत्तर प्रदेश	4745181	15.1
4	दिल्ली #	2983436	9.5
5	पश्चिम बंगाल	1656145	5.3
6	राजस्थान	1605560	5.1
7	केरल	1189771	3.8
8	पंजाब	1101343	3.5
9	बिहार	1093141	3.5
10	गोवा	937113	3
	10 शीर्ष का कुल	27706721	88.2
	अन्य	3701945	11.8
	कुल	31408666	100

स्रोत : इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स-2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

2019 संबंधी संख्याएं अखिल भारतीय वृद्धि दर का इस्तेमाल करते हुए आकलित की गई हैं;

(अ): अस्थायी



2.2 राजधानी शहर के भीतर और उसके आसपास कुछ महान धरोहर स्थल हैं। दिल्ली को पर्यटन क्षेत्र से भी आय प्राप्त होती है। पूरे विश्व से पर्यटक दिल्ली न केवल राजधानी बल्कि इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों को भी देखने आते हैं। दिल्ली में विश्वस्तरीय अस्पतालों का लाभ उठाने के लिए भी चिकित्सा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक और अनिवासी भारतीय दिल्ली की यात्रा करते हैं।

2.3 दिल्ली पर्यटन का लक्ष्य :

शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सामने लाना, पर्यटकों के लिए मनोरंजन सुविधाएं विकसित करना, दिल्ली को सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पसंदीदा पर्यटक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना तथा दिल्ली आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना जिससे शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। दिल्ली को पर्यावरणीय एवं पर्यावरण-हितैषी (इको-फ्रेंडली) पर्यटन और सांस्कृतिक तथा धरोहर केंद्र बनाने के लिए दिल्ली के गौरवमयी इतिहास के बारे में पर्यटकों तथा यहां के नागरिकों में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है।

3. उपलब्ध ढांचा

3.1 पर्यटक सूचना केन्द्र

दिल्ली पर्यटन कोलकाता में सूचना कार्यालयों के अलावा दिल्ली आने के सभी मुख्य स्थानों पर पर्यटक सूचना केंद्र चला रहा है। सूचना केंद्र दिल्ली में और दिल्ली से बाहर निम्नलिखित स्थानों पर है :-

- डोमेस्टिक एयरपोर्ट-टर्मिनल-1
- नई रेलवे स्टेशन (पहाड़गंज की ओर)
- कॉफी होम, बाबा खड़क सिंह मार्ग
- आई सेंटर, बाबा खड़क सिंह मार्ग
- भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, जनपथ
- दिल्ली हाट, आई एन ए
- कोलकाता

3.2 दिल्ली हाट

दिल्ली पर्यटन दिल्ली हाट—आई एन ए, दिल्ली हाट—पीतमपुरा और दिल्ली हाट—जनकपुरी (फूड एंड क्राफ्ट बाजार) तथा कॉफी होम का संचालन भी करता है।

3.2.1 दिल्ली हाट— पीतमपुरा : दिल्ली हाट पीतमपुरा एक महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित है, जहां शहर के विभिन्न केंद्रों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह परिसर 7.2 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है। हाट में 108 शिल्प स्टॉल और 450 व्यक्तियों की क्षमता के साथ एम्फिथिएटर और तीन वातानुकूलित हॉल हैं, जिनमें प्रदर्शनियां/किटी पार्टी, सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार/स्कूलों से संबंधित कार्यक्रम/ अभिनय कला/संगीत और नृत्य शो आदि का आयोजन किया जा सकता है। हाट में प्रकोटा उद्यानों के साथ अनेक भू-परिदृश्य क्षेत्र हैं। नियमित गतिविधियों के अलावा, समय-समय पर हाट में उत्सव आयोजित किए जाते हैं।

3.2.2 दिल्ली हाट—आई एन ए

दिल्ली हाट—आई एन ए दक्षिण दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है, जो आईएनए बाजार के सामने स्थित है। यह विशाल परिसर उस 6 एकड़ जमीन पर स्थित है, जिसे एक भूमि जीर्णोद्धार परियोजना के हिस्से के रूप में सुधारा गया और एक शानदार ड्रीम प्लाजा में बदल दिया गया। व्यापक फाउंडेशन कार्य, छप्पर की छत वाली लघु कॉटेज और किओस्क गॉव के वातावरण की अनुभूति कराते हैं। इन सभी विशेषताओं के साथ दिल्ली हाट आईएनए ने शहर के अनेक आकर्षक केंद्रों में जगह बना ली है। दिल्ली हाट आईएनए एक पारंपरिक ग्रामीण हाट या गांव के बाजार का माहौल प्रदान करता है, लेकिन यह समकालीन जरूरतों के लिए अधिक अनुकूल है। यहाँ शिल्प, भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का संश्लेषण देखा जा सकता है। यह फूड एंड क्राफ्ट बाजार भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प और जातीय व्यंजनों का एक खजाना है, एक अनूठा बाजार, शहर के केंद्र में, यह स्थायी आधार पर भारतीय संस्कृति की समृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत को स्थायित्व और संरक्षण प्रदान करने के लिए देश भर के जरूरतमंद कलाकारों को प्रोत्साहित करना है।

3.2.3 दिल्ली हाट—जनकपुरी

दिल्ली को 13 जुलाई, 2014 को जनकपुरी में अपना तीसरा दिल्ली हाट मिला। यह आईएनए और पीतमपुरा स्थित दो अन्य दिल्ली हाटों की तुलना में अधिक विशाल है। दिल्ली हाट, जनकपुरी 8 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नया स्थल देश के शिल्प और सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है, और एक मुक्ताकाश शॉपिंग का दिव्य अनुभव करता है जो कला, शिल्प, संगीत और भोजन प्रेमियों का एकल गंतव्य है। दिल्ली हाट में 100 विशिष्ट शिल्प स्टाल, 74 मुक्त मंच दुकानें और 46 वातानुकूलित दूकानें हैं। ये स्टॉल भारत के विशिष्ट घरेलू और विदेशी उत्पादों और सामग्रियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दिल्ली हाट एक वातानुकूलित सभागार है जिसमें 800 सीटों की क्षमता है। इस सभागार में नवीनतम तकनीक और उपकरण हैं और यह पश्चिमी दिल्ली का सबसे बड़ा आधुनिक सभागार है। 820 सीट क्षमता वाला एम्फिथिएटर इस हाट की एक और खास विशेषता है जो न केवल कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करता है बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन भी है।



ओपन एम्फिथिएटर



क्राफ्ट स्टॉल

3.3 गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस

गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस दिल्ली में एक पार्क है। बीस (20) एकड़ में फैला यह पार्क महारौली धरोहर क्षेत्र के निकट, साकेत के सामने सैयद-उल-अजायब गांव में स्थित है। इस पार्क को तीन वर्षों की अवधि में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली द्वारा विकसित किया गया और फरवरी 2003 में खोला गया। अंशतः पहाड़ी भाग पर निर्मित इस गार्डन में विभिन्न थीम क्षेत्र हैं। स्पाइरल वॉकवे के एक तरफ खास बाग है, जो मुगल गार्डन की तर्ज पर बना एक औपचारिक उद्यान है। इसकी लंबाई के साथ सरणियों में धीमी गति से बहने वाले पानी के झरने हैं, जबकि इसके मार्ग में फूल और सुगंधित झाड़ियाँ और पेड़ पंक्तिबद्ध हैं। इसके मध्यवर्ती भाग में अनेक फव्वारे हैं, जिनमें से कुछ में फाइबर ऑप्टिक प्रकाश प्रणालियों लगाई गई हैं।



गार्डन की संरचना इस प्रकार की गई है कि यह अपनी सुंदरता एवं आकर्षण से हमारी पांच इंद्रियों को जागृत करे और हम अपने प्राकृतिक परिवेश को स्पर्श कर सकें, उसकी सुगंध ले सकें, उसे सुन और देख सकें। अधिकांश कलाकृतियां गतिशील हैं, जिससे ये आगंतुकों को अधिक आकर्षित करती है। गार्डन में लगभग विभिन्न प्रकार की 25 मूर्तियां और भित्ति चित्र स्थापित किए गए हैं जो इसे देश में लोक कला के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक बनाते हैं। यह गार्डन राजधानी के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में से एक है क्योंकि यहां पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अलग-अलग समय पर

यहां गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, विभिन्न मेले, डांडिया उत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

3.4 एन एच-1 पर गुरु तेग बहादुर मेमोरियल

डीटीटीडीसी ने सिंधु बोर्डर (एन एच -1) जी टी करनाल रोड पर 11.87 एकड़ भूमि में गुरु तेग बहादुर स्मारक का निर्माण किया है। यह परियोजना दिल्ली के प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण की स्कीम के अंतर्गत स्थापित की गई। अच्छी तरह लैंड स्केप की गई शांत पृष्ठभूमि में 24 मीटर मध्य तोरण और उसके आधार पर पंखुड़ियां गुरु और उनकी शक्ति को दर्शाती हैं। सी आकार का चंदोबा उनके तीन अनुयायियों को चित्रित करता है और एक ही पत्थर से बने बड़े खम्भे 10 सिख गुरुओं तथा उनके ऊपर उत्कीर्ण उनकी गुरुवाणियों को दर्शाते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान करीब 165 पर्यटक प्रति दिन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर गुरु तेग बहादुर स्मारक देखने आए जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान पर्यटकों की यह संख्या 103 प्रति दिन थी।



3.5 नेचर बाजार

नेचर बाजार के लिए अंधेरिया मोड़, अणुव्रत मार्ग, महरौली, नई दिल्ली में 16 बीघा 16 बिस्वा भू-भाग डीटीटीडीसी को आवंटित किया गया था। द नेचर बाजार में 103 शिल्प स्टॉल और 7 फूड स्टॉल हैं और यह सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर संचालित किया जा रहा है। मेलों/उत्सवों का आयोजन कार्यक्रमों के कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 3 लाख पर्यटकों ने नेचर बाजार परियोजना का दौरा किया।

3.6 कलाम मेमोरियल

- 3.6.1 डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की विरासत को भारतीयों के दिल में जिंदा रखने के लिए, दिल्ली सरकार ने डॉक्टर कलाम की याद में पहले संग्रहालय को समर्पित किया जो दिल्ली हाट, आईएनए के परिसरों में डीटीटीडीसी द्वारा स्थापित किया गया है। पूर्ण आकांक्षा और भाव से ओत-प्रोत इस जीवंत संग्रहालय में डॉक्टर कलाम के उत्कृष्ट विचार और संदेश को दिखाया गया है। डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा को दिखाने वाले पैनलों के माध्यम से आगंतुक का मार्गदर्शन किया जाता है। शांत और आकर्षक स्थापत्य संगमरमर आंतरिक और बाहरी स्थान के बीच तारतम्यता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त, कलाम मेमोरियल, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के जीवन की

श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति है, मैं जाने और उनकी बोलती तस्वीर को देखने से छात्र अपने जीवन और करियर में नई ऊंचाई छूने के लिए प्रेरित होंगे।

3.6.2 वर्ष 2019-20 के दौरान करीब 2660 पर्यटक प्रति दिन कलाम मेमोरियल देखने के लिए पहुंचे।

3.7 कॉफी होम

डीटीटीडीसी द्वारा बाबा खड़क सिंह मार्ग पर कॉफी होम का संचालन किया जा रहा है। यदि आप न्यूनतम लागत पर सर्वश्रेष्ठ दक्षिण भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों में से कुछ खाना चाहते हैं तो दिल्ली कॉफी होम में अवश्य जाएं। इसका नाम भले ही कॉफी होम है, पर यहां कॉफी के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध भारतीय व्यंजन परोसे जाते हैं। कुल मिलाकर, भोजन के स्थान, सेवा और गुणवत्ता इस कॉफी हाउस को दिल्ली के लोगों के साथ-साथ शहर के पर्यटकों के लिए भी विशेष स्थान बनाते हैं।

3.8 आजाद हिन्द ग्राम

3.8.1 टिकरी कला में आजाद हिंद ग्राम पर्यटक परिसर दिल्ली पर्यटन द्वारा विकसित एक ऐसी परियोजना है जिसका लक्ष्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करने और लोगों को फुर्सत के क्षण बिताने के लिए एक गुणवत्तापूर्ण स्थल और अनुषंगी सुविधाएं प्रदान करना है। दिल्ली हरियाणा सीमा के दो किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर स्थित, यह परियोजना उत्तर भारतीय वास्तुकला और भारतीय शिल्प कौशल की परंपराओं से प्रेरित है।

3.8.2 संग्रहालय और स्मारक के चारों ओर विस्तृत मोजेक गुंबद परिसर का फोकस बिन्दु है, जहां बड़े प्लाजा, एम्फीथिएटर, पर्यटक सूचना केंद्र, स्मारक और गार्डन शॉप, भोजन कियोस्क, रेस्तरां और सम्मेलन की सुविधाएं हैं।

4. मुख्य संस्थान/निकाय

4.1 दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यटक विभाग की स्कीमों को डीटीटीडीसी, जो दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1975 में निगमित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1989 में, डीटीटीडीसी को सरकार द्वारा शराब के खुदरा व्यापार और इसके लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली में बुनियादी ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।

4.2 दिल्ली होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईएचएम एंड सीटी)

4.2.1 कश्मीरी गेट स्थित दिल्ली होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1983 में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। संस्थान को 1999 में एसआईएचएम के रूप में प्रोन्नत किया गया और उसे 40 सीटों की क्षमता के साथ होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तीन साल का डिप्लोमा संचालित करने का दायित्व सौंपा गया तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सर्वोच्च निकाय, “नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी” से संबद्ध किया

गया। संस्थान को 2002–2003 में फिर से प्रोन्नत करते हुए उसे डिग्री स्तर के कॉलेज का दर्जा दिया गया ताकि वह होटल और आतिथ्य प्रबंधन में बीएससी डिग्री संचालित कर सके।

- 4.2.2 वर्तमान में इस कॉलेज में कुल 528 सीटें हैं अर्थात् बी.एससी एचएचए कोर्स में 360 सीटें हैं जबकि 168 सीटें पांच विषयों में छमाही ट्रेड डिप्लोमा पाठ्यक्रम से संबद्ध हैं। डिग्री कोर्स एनसीएचएम एंड सीटी से संबद्ध है और डिग्री इग्नू द्वारा प्रदान की जाती है। जहां तक डिप्लोमा के विद्यार्थियों का सवाल है उनके पाठ्यक्रम दिल्ली सरकार के तहत तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।

5. मुख्य गतिविधियां

5.1 पर्यटक सूचना केंद्र

डीटीटीडीसी दिल्ली और अन्य शहरों यथा, कोलकाता में लोगों के आने-जाने के प्रमुख स्थलों पर सूचना केंद्र चला रहा है। इन सूचना केंद्रों पर निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाते हैं : –

- दिल्ली में और इसके इर्द-गिर्द पर्यटकों की रुचि के स्थानों अर्थात् स्मारक, संग्रहालय, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों एवं उत्सवों, प्रदर्शनों, खाने-पीने तथा व्यंजनों के स्थानों के बारे में सूचना।
- पर्यटकों की मांग के अनुसार होटल में ठहरने की व्यवस्था, परिवहन सुविधाएं (वातानुकूलित एवं गैर-वातानुकूलित डीएलवाई, डीएलजैड कारें, कोच आदि), नियमित और मौसमी यात्राओं के लिए आरक्षण।
- डीटीटीडीसी कारों और कोचों द्वारा नियमित टूर भी प्रचालित करता है। इन्हें डीटीटीडीसी सूचना कार्यालयों और वेबसाइट से भी बुक किया जा सकता है।
- डीटीटीडीसी दिल्ली में पर्यटन के बारे में प्रचार-प्रसार करने और इसे विकसित करने के उद्देश्य से पर्यटक साहित्य भी तैयार करता है और इसका निःशुल्क वितरण करता है।

5.2 जल-क्रीड़ा कार्यकलाप

दिल्ली के लोगों को खाली समय में नौकायन की सुविधा प्रदान करने का विचार वर्ष 1991 में आया था। दिल्ली में संभावित जल निकायों (वाटर बॉडीज) को चिह्नित करके, डीटीटीडीसी ने भू-स्वामी एजेंसियों से संपर्क किया तथा कुछ ही समय में केवल नौकायन अधिकारों के साथ डीटीटीडीसी को कई झील आबंटित कर दिए गए। वर्तमान में, डीटीटीडीसी दिल्ली के 4 झीलों में अर्थात् राष्ट्रपति भवन के निकट कृषि भवन बोट क्लब, मानसिंह रोड, इंडिया गेट, भलस्वा झील तथा मयूर विहार में संजय झील में नौकायन सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

5.3 सामूहिक यात्रा

- 5.3.1 डीटीटीडीसी ग्राहकों की आवश्यकतानुसार सामूहिक यात्रा (ग्रुप टूर), ग्राहक की आवश्यकता अनुसार टूर भी कराता है। ये कार्यक्रम, ग्राहक की आवश्यकताओं तथा बजट के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
- 5.3.2 डीटीटीडीसी स्कूलों, कॉलेजों के ग्रुप के लिए शैक्षिक यात्रा की योजना बनाता है और प्रचालित करता है। कार्यालय और सरकारी संगठनों के लिए विशेष रुचि टूर भी आयोजित किए जाते हैं।

- 5.3.3 दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए, कार्यक्रम का वित्त-पोषण दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 'युवा स्कीम' के अंतर्गत किया जाता है। अन्य सरकारी पर्यटन निकायों के साथ इन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग ने दिल्ली पर्यटन को नामित किया है। इस योजना के तहत स्कूल के प्रत्येक बच्चे को दिल्ली के भीतर कम से कम एक स्थानीय दौरे पर ले जाया जाता है। स्कूल ऐतिहासिक और शैक्षणिक रुचि वाले स्थानों का दौरा कर सकते हैं, जिनमें लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जूलॉजिकल पार्क, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय संग्रहालय और प्रमुख पार्क और उद्यान जैसे हिरण पार्क, लोधी उद्यान, असोला अभयारण्य आदि शामिल हो सकते हैं।

5.4 ट्रेवल (यात्रा)

- 5.4.1 डीटीटीडीसी के ट्रेवल डिविजन की स्थापना नवंबर 1996 में की गई तथा इसने टिकेटिंग और फोरेक्स सेवाओं में नियमित प्रचालन अप्रैल, 1997 में शुरू किया। यह डिविजन दिल्ली हाट-आई एन ए, नई दिल्ली में कार्य करता है।
- 5.4.2 इस डिविजन का मुख्य कार्य पर्यटकों, दिल्ली सरकार इसके स्वायत्त निकायों तथा विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों के अधिकारियों के लिए एकीकृत यात्रा सेवाएं प्रदान करना है। बाद में ट्रेवल डिविजन ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट जारी करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट-आईएटीए की सदस्यता तथा ट्रेवल एजेंट्स असोशिएशन आफ इंडिया-टीएएआई और ट्रेवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया-टीएएफआई के सदस्य होने के अलावा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की सदस्यता ली।
- 5.4.3 विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए मनीचेंजर लाइसेंस भी भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किया गया। यह डिविजन अपने सम्मानित ग्राहकों को वीजा एवं ट्रेवल बीमा जारी किए जाने के कार्य का समन्वय भी करता है। आगंतुक सरकारी अधिकारियों तथा सामान्य ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय होटल में ठहरने की व्यवस्था भी की जाती है।
- 5.4.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटों की अपनी अपेक्षा तथा समय-समय पर जारी अपने परिपत्र के अनुसार सभी विदेशी मुद्रा संबंधी अपेक्षाओं के लिए डीटीटीडीसी को पैनल में शामिल किया है।

5.5 मेलों और उत्सवों का आयोजन

दिल्ली पर्यटन विभाग दिल्ली में कई मेलों और उत्सवों का आयोजन करता है। दिल्ली पर्यटन न केवल विदेशी पर्यटकों के लिए, बल्कि घरेलू यात्रियों और दिल्ली के नागरिकों के लिए भी राजधानी शहर को एक पर्यटन और सांस्कृतिक अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना भारतीय पर्यटन नीति का मुख्य प्रयास रहा है और तदनुसार, बड़े पैमाने पर राष्ट्र की और एक विशेष शहर के रूप से दिल्ली की की समृद्ध विरासत समय-समय पर प्रदर्शित की जाती रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अलावा, रा.रा.क्षे दिल्ली की अपनी आबादी लगभग 20 करोड़ है। दिल्लीवासी मस्ती और उल्लास के साथ दिल्ली पर्यटन द्वारा आयोजित मेले और त्योहारों में शामिल होते हैं।

5.6 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में भागीदारी

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किसी भी राज्य पर्यटन संगठन के लिए पर्यटन संवर्धन प्रयासों का अभिन्न अंग हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के, राज्य पर्यटन बोर्ड और प्रमुख ट्रेवल ट्रेड

एसोसिएशन, पूरे साल देश के भीतर और बाहर ट्रेवल मार्ट/सम्मेलनों का आयोजन करते हैं, जिसमें अधिकांश राज्य पर्यटन निगमों, विभिन्न देशों के पर्यटन बोर्डों, होटल संगठनों, एयरलाइंस, ट्रेवल एजेंटों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। टूर ऑपरेटर्स, रेलवे के मंत्रालयों, नागरिक उड्डयन, साहसिक पर्यटन निकायों आदि ने व्यापार प्लेटफार्मों पर गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। डीटीडीसी ब्रांड दिल्ली के एकमात्र उद्देश्य के साथ उद्योग के ऐसे प्रमुख यात्रा कार्यक्रमों में भाग लेता है और एक पर्यटक अनुकूल गंतव्य के रूप में राजधानी को बढ़ावा देता है।

- 5.7 डीटीडीसी, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार की निष्पादन एजेंसी होने के नाते वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली दर्शन योजना और मुख्य मंत्री तीर्थ यात्रा योजना लागू कर रहा है।
- **मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना :** इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के उन नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना है, जो इसके लिए अपने संसाधनों से धन जुटाने में असमर्थ हैं। इस योजना में प्रावधान है कि दिल्ली के नागरिकों को योजना में वर्णित तीर्थ स्थानों में से किसी एक की यात्रा करने के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। योजना के तहत आवेदक दिल्ली का निवासी और वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। इस योजना का लाभ पात्र व्यक्ति द्वारा जीवनकाल में केवल एक बार लिया जा सकता है। यह योजना डीटीडीसी के कोच दूरों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
 - **मुख्यमंत्री दिल्ली दर्शन योजना :** इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को विश्व के इस प्राचीन शहर की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर जाने की सुविधा प्रदान करना है।

5.9 हो-हो बस दिल्ली साइट सीइंग टूर

5.9.1 हो-हो बस दिल्ली साइट सीइंग टूर दिल्ली की समृद्ध धरोहर का दर्शन कराते हैं जिनमें एसआई स्मारक एवं संग्रहालय शामिल हैं। दिल्ली पर्यटन हो-हो बस से दिल्ली को देखने का सर्वाधिक रोमांचक साधन प्रदान करता है।

5.9.2 इस टूर में कुतुबमीनार, लालकिला, हुमायूं का मकबरा आदि जैसे धरोहर स्मारक सहित 20 से अधिक पर्यटक स्थलों को शामिल किया गया है। लोग राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी जैसे कई अन्य, लोकप्रिय संग्रहालयों का आनंद उठा सकते हैं। होप ऑन होप ऑफ बस सेवा का प्रचालन एकल बस के बजाए कई बसों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक हो-हो बस स्टॉप पर 40-40 मिनट पर बसें उपलब्ध हैं। प्रत्येक बस एक ही मार्ग पर चलती है और 20 से अधिक पर्यटक स्थलों को कवर करती है तथा अतिथि अपनी पसंद के किसी भी पर्यटक स्थल पर उतरने के लिए स्वतंत्र हैं। पर्यटक साइट सीइंग के बाद, उसी स्थान पर आकर, अगले स्थल पर जाने के लिए अगली बस पर चढ़ सकते हैं।

5.9.3 वर्ष 2019-20 में डीआईएचएम और सीटी पहल और कार्यक्रम

डीआईएचएम और सीटी ने आम बाग के मानसून फेस्टिवल में, महारौली, इंडिया गेट लॉन्स नई दिल्ली में पर्यटन पर्व, शाहपुरजट में शहरी लोक महोत्सव, लाल किला दिल्ली में भारत पर्व, रा रा क्षे दिल्ली सरकार / भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में फूड कोर्ट लगाया।

6 उपलब्धि/प्रगति

- 6.1 10000 आगंतुकों को सुविधा प्रदाने के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 10865 पर्यटकों ने सूचना केंद्रों का दौरा किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 4665 पर्यटकों ने सूचना केंद्रों का दौरा किया था। इसके अलावा, बड़ी संख्या में पर्यटकों को फोन पर और डीटीटीडीसी कि वेबसाइट www.delhitourism.gov.in के माध्यम से सुविधा दी गई।
- 6.2 वर्ष 2019–20 में जनकपुरी दिल्ली हाट में आम महोत्सव, इत्र और सुगंधी महोत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली में कोरियाई दिवस (सिग्नेचर ब्रिज की रोशनी), एबीबीए श्रद्धांजलि समारोह, मानसून महोत्सव, शाहपुर जाट शरद महोत्सव (फैशन शो), पटाखा रहित दिवाली (लेजर शो) और डेज ऑफ मास्को इन डेल्ही, कुछ बड़े कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए गए और सभी के द्वारा सराहे गए। डीटीटीडीसी द्वारा 2019–20 के दौरान आयोजित किए गए 13 मेलों और त्योहारों में लगभग 8 लाख दर्शकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। 2020–21 के दौरान, दिल्ली की दिवाली अक्षरधाम मंदिर में मनाई गई।
- 6.3 2019–20 के दौरान, दिली हाट आईएनए में प्रति दिन आने वाले आगंतुकों की औसत संख्या 3048 और कनॉट प्लेस के कॉफी होम में आने वाले आगंतुकों की प्रति दिन औसत संख्या 538 रही।
- 6.4 2019–20 के दौरान, दिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांडिंग के लिए 13 रेडियो जिंगल की रचना कि गई। डीटीटीडीसी ने दिल्ली में फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में प्रचार करने के उद्देश्य से 5 कार्यक्रमों में भाग लिया।
- 6.5 2019–20 के दौरान, डीटीटीडीसी ने दिल्ली और दिल्ली के बाहर 14 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है। डीटीटीडीसी ने 2019–20 के दौरान स्पेन और पुर्तगाल और डब्लूटीएम–लंदन में रोड शो में भी भाग लिया है।

7. जारी स्कीमें/नई पहल:

- 7.1 **पर्यटन अवसंरचना:** इस योजना के तहत, विभिन्न पर्यटन बुनियादी ढांचे को डीटीटीडीसी द्वारा विकसित किया गया है और डीटीटीडीसी द्वारा पहले से ही विकसित किए गए पर्यटन बुनियादी ढांचे का रखरखाव भी किया जा रहा है।
- 7.2 **पर्यटन स्थल के रूप में दिल्ली को बढ़ावा देना :** दिल्ली पर्यटन न केवल विदेशी पर्यटकों के लिए बल्कि घरेलू यात्रियों और दिल्लीवासियों के लिए राजधानी शहर को पर्यटक अनुकूल और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों (मेलों और उत्सवों) का आयोजन सक्रिय रूप से कर रहा है। डीटीटीडीसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच दिल्ली को पर्यटन के अनुकूल शहर के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमित राष्ट्रीय पर्यटन मेलों और अंतर्राष्ट्रीय मेलों (आयोजनों) में भी भाग लेता है।

ब्रांडिंग दिल्ली

दिल्ली में देश की पर्यटन राजधानी बनने के लिए विशाल संभावनाएं और संसाधन उपलब्ध हैं क्योंकि विरासत स्मारक से लेकर आधुनिक बाजार, पुरानी दिल्ली की पारंपरिक सुबह से लेकर दिल्ली की रात का जीवन भारत और विदेशों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है।

लेकिन ब्रांडिंग और जानकारी की कमी के कारण, ज्यादातर पर्यटक दिल्ली को पारगमन बिंदु के रूप में लेते हैं, जिसके कारण दिल्ली आने वाले पर्यटक औसतन एक दिन दिल्ली में बिताते हैं। जबकि लंदन, सिंगापुर और टोक्यो जैसे शहरों में एक पर्यटक औसतन 3 दिन बिताता है।

दिल्ली सरकार की योजना है कि दिल्ली आने वाला पर्यटक दिल्ली में औसतन कम से कम दो दिन बिताए। केवल एक दिन का अंतर दिल्ली में नई नौकरियों और अर्थव्यवस्था में वृद्धि के नए अवसरों का सृजन करेगा।

इस योजना के तहत, दिल्ली के पर्यटन को फिर से ब्रांड बनाया जा रहा है और घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए दिल्ली को देश और विदेश के पर्यटन ब्रांड के रूप में पेश किया जाएगा। दिल्ली आने वाले हर घरेलू और विदेशी पर्यटक, चाहे वह रेलवे स्टेशन पर हो या हवाई अड्डे पर, दिल्ली को जानने और दिल्ली जाने के लिए प्रेरित होगा।

डीटीटीडीसी अभिप्रेरक की भूमिका निभाता रहा है तथा इस शहर को ब्रांडिंग दिल्ली के अंतर्गत पर्यटक हितैषी केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित सक्रिय कदम उठा रहा है।

क) टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, आउटडोर, प्रिंट मीडिया, फिल्म निर्माण आदि के माध्यम से दिल्ली को पर्यटन का आकर्षक लक्ष्य बनाना।

ख) प्रचार साहित्य तैयार करना।

ग) दिल्ली को फिल्म शूटिंग केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करना।

घ) अधिक पहुंच कायम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और एक मोबाइल एप विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

7.4 दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं का सौंदर्यीकरण: दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं के सौंदर्यीकरण और प्रवेश द्वारों के निर्माण के लिए एक अवधारणा योजना तैयार की है। दिल्ली में प्रवेश बिंदुओं के सौंदर्यीकरण से दिल्ली में प्रवेश करने वाले यात्रियों को सुरुचिपूर्ण अनुभव होगा।

7.5 दिल्ली की दिवाली: सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पटाखे मुक्त दिवाली मनाने की पहल की और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ एक लेजर शो का आयोजन किया, इसे व्यापक रूप से सराहा गया और दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया। 'दिल्ली की दिवाली' 2019–20 के दौरान कर्नाट प्लेस में और 2020–21 के दौरान, अक्षरधाम मंदिर में मनाई गई।

7.6. ब्रेड एवं ब्रेकफास्ट स्कीम

7.6.1 यह स्कीम अक्टूबर 2007 में आरंभ की गई तथा वर्ष 2019–20 के दौरान जारी रखी गई जिसका उद्देश्य दिल्ली आने वाले पर्यटकों को कम खर्च में ठहरने की सुविधा प्रदान करना है ताकि वे पारंपरिक भारतीय गृह एवं संस्कृति का आनंद उठा सकें और पारिवारिक सहयोग एवं संरक्षण का विश्वास रख सकें और सुखद यादों के साथ वापस जा सकें। दिल्ली में ब्रेड और ब्रेकफास्ट आवास स्कीम में, दो श्रेणियों की सुविधाएं हैं अर्थात् सिल्वर एवं गोल्ड। गोल्ड श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क

5000 रु. और सिल्वर श्रेणी के लिए 3000 रु. है। सिल्वर एवं गोल्ड श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं निम्नलिखित विवरण 10.2 में दी गई हैं:

विवरण 10.2

सिल्वर और गोल्ड श्रेणियों के तहत उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं

सुविधाएं	सिल्वर	गोल्ड
कक्ष का फ्लोर एरिया	120 वर्ग फुट	200 वर्ग फुट
स्नानागार का आकार	30 वर्ग फुट	40 वर्ग फुट
वॉशिंग मशीन	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
कमरे में रेफ्रिजरेटर	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
एक्सटेंशन वाला टेलिफोन	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य

7.6.2 बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों में, डबल बेड, एसी, टेलीफोन सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित कमरे की सुविधा और अग्निशमन यंत्र जैसी आवश्यक सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। एक प्रतिष्ठान को अधिकतम 06 कमरे दिए जा सकते हैं।

7.6.3 दिनांक 31.03.2020 और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत गोल्ड और सिल्वर श्रेणी की स्थापना और कमरों की कुल संख्या और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य विवरण 10.3 में दिया गया है :-

विवरण 10.3

	दिनांक 31.03.2020 तक स्थिति		लक्ष्य 2020-2021		दिनांक 31.12.2020 तक स्थिति	
श्रेणी	प्रतिष्ठानों की संख्या	कमरों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	कमरों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	कमरों की संख्या
गोल्ड	39	185	43	200	32	149
सिल्वर	297	1370	330	1480	298	1408
कुल	336	1555	373	1680	330	1557

7.6.4 31.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार दर्ज प्रतिष्ठानों की संख्या 31.03.2020 तक दर्ज प्रतिष्ठानों और कमरों की संख्या से कम है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण बहुत बहुत ही कम बेड एवं ब्रेकफास्ट इकाइयां पंजीकृत हुईं और इस अवधि के दौरान कोई काम नहीं होने के कारण पहले से पंजीकृत बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों ने अपनी इकाइयाँ बंद कर दीं और अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र विभाग को सौंप दिया।

7.6.5 इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों की सूची डीटीटीडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और दिल्ली में बेड एवं ब्रेकफास्ट आवास की डायरेक्टरी समय-समय पर प्रकाशित और वितरित भी की जाती है।

7.6.6 “बेड एंड ब्रेकफास्ट” स्कीम के तहत वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लक्ष्यों के संदर्भ में गोल्ड और सिल्वर श्रेणी कमरों में ठहरने वाले पर्यटकों की जानकारी विवरण-10.4 में दी गई है। :

विवरण 10.4

वित्तीय वर्षों में गोल्ड और सिल्वर श्रेणी कमरों में ठहरने वाले पर्यटकों की संख्या							
	2017-18		2018-19		2019-20		2020-
श्रेणी	लक्ष्य	रुकने वाले पर्यटकों की संख्या	लक्ष्य	रुकने वाले पर्यटकों की संख्या	लक्ष्य	रुकने वाले पर्यटकों की संख्या	लक्ष्य
गोल्ड लक्ष्य	14020	17800	18208	22138	22500	20581	22650
सिल्वर	83867	82600	99896	92186	92500	117266	129000
कुल	97887	100400	118104	114324	115000	137847	151650

8. भावी लक्ष्य

- 8.1 दिल्ली पर्यटन दिल्ली के लिए एक व्यापक संचार रणनीति तैयार करने के वास्ते 360° ब्रांडिंग एजेंसी संलग्न करने की प्रक्रिया में है। यह एजेंसी सभी उपलब्ध मीडिया माध्यमों, पारंपरिक, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल के लिए, रचनात्मक परिकल्पनाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी, और मीडिया योजनाएं तैयार करेगी, जिसके अनुसार निगम/सरकार द्वारा प्रस्तुत क्वांटिटी का वितरण किया जाएगा। रा.रा.क्षे. दिल्ली डिजिटल क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए, दिल्ली टूरिज्म का एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है, जिससे पर्यटकों को भारतीय राजधानी की अनेक विशिष्टताओं का बेहतर आनंद मिल सकेगा। डीटीटीडीसी सोशल मीडिया में बने रहने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा।
- 8.2 डीटीटीडीसी फिल्म बनाने की सुविधा के लिए ‘एकल विंडो मंजूरी तंत्र’ शुरू करने की प्रक्रिया में है, ताकि शहर में शूटिंग करने की कानूनी औपचारिकता केवल एक सरकारी कार्यालय में जाकर निभाई जा सके। फिल्म निर्माताओं को अनुमति देने के लिए एक सुचारु प्रणाली शुरू करने के वास्ते कई कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें दिल्ली के विभिन्न विभागों और सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों पर समेकित जानकारी प्रदान की जा सके और फिल्म शूटिंग को कठिनाई मुक्त अनुभव बनाया जा सके।

लक्ष्य : फिल्म की शूटिंग के स्थान के रूप में दिल्ली को बढ़ावा देने से निम्नांकित उपलब्धियां हासिल की जा सकेंगी :

- अधिक संख्या में पर्यटक दिल्ली आएंगे, जिससे सभी हितधारकों—होटलों, परिवहन, शूटिंग, आदि, को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
- रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

- समग्र जीडीपी में बढ़ोतरी।
 - पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
 - पर्यटक लक्ष्य के रूप में विश्वभर में दिल्ली का महत्व बढ़ेगा।
- 8.3 दिल्ली सरकार ने सभी प्रवेश बिंदुओं के सौंदर्यीकरण और दिल्ली के प्रवेश द्वारों के निर्माण के लिए एक अवधारणा योजना तैयार की है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए राजधानी के प्रवेश बिंदुओं को कलात्मक रूप दिया जाएगा।
- 8.4 दिल्ली पर्यटन राज्य अतिथि गृह (दिल्ली) अर्थात् 'दिल्ली सदन' का निर्माण द्वारका, नई दिल्ली में करने की प्रक्रिया में है। दिल्ली के लोगों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों के आदान-प्रदान के लिए आने वाले वर्षों में 'पूर्वांचल महोत्सव' नाम का एक पर्व मनाया जाएगा।

COVID-19 महामारी ने पर्यटन को आर्थिक विकास और दिल्ली के समग्र विकास के लिए एक स्थायी इंजन बनाने के लिए रीसेट बटन को हिट करने का अवसर प्रदान किया।

अध्याय – 11

ऊर्जा

संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक विकास की अपनी कार्यसूची के तहत सबकों समानता के आधार पर निरंतर स्वच्छ पेयजल और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिक्षा को सबकी पहुंच के दायरे में लाने और स्त्री-पुरुष समानता वाले विश्व को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) की घोषणा की थी। इन महत्वपूर्ण विकास लक्ष्यों में से एक (एस.डी.जी.-7) सबको किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर है।

- 1.2 दिल्ली में जुलाई 2002 में बिजली क्षेत्र में हुए सुधारों से अन्य राज्यों की तुलना में विद्युत परिदृश्य में काफी सुधार आया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे निर्बाध रूप से वाजिब दामों पर बिजली की आपूर्ति हो और बिजली शुल्क में स्थिरता बनी रहे। इस संबंध में बार-बार बिजली जाने की समस्या के समाधान और सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उनके द्वारा इस्तेमाल की गयी बिजली की मात्रा पर ध्यान दिये बिना विद्युत शुल्क में सब्सिडी देने जैसे अनेक उपाय किये गये हैं:

- हर महीने 200 यूनिट बिजली की खपत करने वालों को मुफ्त बिजली देना,
- 201 से 400 यूनिट मासिक बिजली खपत करे वालों को 800 रुपये मासिक की सब्सिडी देना,
- पिछले दो दशकों में बिजली गुल होने के मामले अब तक के निम्नतम स्तर पर 0.03 प्रतिशत हुए।

- 1.3 देश की राजधानी और उत्तर क्षेत्र की वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र होने के कारण दिल्ली में बिजली की मांग काफी अधिक है। यहां रहने वालों की खुशहाली से जीवन के हर क्षेत्र में बिजली की विविधतापूर्ण मांग पैदा होती है। दिल्ली में घरेलू खपत के लिए बिजली की दरें देश के सभी महानगरों में सबसे कम हैं। बिजली की खपत में बढ़ोतरी का कारण अनधिकृत कालोनियों का बड़े पैमाने पर नियमित किया जाना भी है जिससे विद्युत भार में क्षैतिज और उर्ध्व दोनों ही तरह से वृद्धि हुई है। बेहतर सड़क परिवहन, अच्छी दूरसंचार सेवाओं, बिजली की नियमित आपूर्ति और आर्थिक नीतियों की वजह से भी दिल्ली में उद्योग और सेवा संबंधी गतिविधियां बढ़ी हैं जिससे बिजली की मांग भी बढ़ी है। यहां की ऊर्जा क्षेत्र की प्राथमिकता अब बिजली की सप्लाई को लगातार निर्बाध बनाए रखने और बढ़ती मांग को पूरा करने की है। दिल्ली में बिजली की दरें 2015 से नहीं बढ़ी हैं। इस समय राजधानी में 2015 के मुकाबले करीब 42 लाख परिवार विद्युत प्रभार में सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं (यह संख्या कुल घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के 83 प्रतिशत से अधिक है)। 2010-2020 के दशक के दौरान दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में 81.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

- 1.4 दिल्ली ने शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। उच्च लोड घनत्व वाला शहरी इलाका होने के कारण दिल्ली में बिजली की खपत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, और यह 2010-11 में 25668 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2019-20 में बढ़कर 33082 मिलियन यूनिट हो गई है। दिल्ली में बिजली की कुल खपत में घरेलू उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी अधिक होने और जलवायु संबंधी विषम परिस्थितियों के कारण यहां लोड पैटर्न और अधिकतम मांग वाले समय में लोड की समस्या अपने आप में अनोखी है। अन्य

राज्यों की तुलना में दिल्ली का विद्युत क्षेत्र बहुत अलग है। अन्य राज्यों में जहां बिजली की कमी रहती है, वहीं दिल्ली में बढ़ती हुई मांग और अधिकतम लोड वाली अवधि में जरूरत पूरी करने के बीच तालमेल कायम किया गया है।

- 1.5 मार्च 2020 में देश भर में कोविड-19 महामारी का प्रकोप फैलने से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। सभी संबद्ध पक्षों को राहत उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने दिनांक 07.04.2020 के अपने आदेश के जरिए 24 मार्च, 2020 से 30 जून 2020 के दौरान देय बिजली बिलों की भुगतान की तारीख आगे बढ़ा दी। सार्वजनिक उपयोगिता, औद्योगिक और गैर-घरेलू श्रेणी के अंतर्गत नियत शुल्क के भुगतान को स्थगित किया और समय पर भुगतान करने वालों के लिए छूट की भी व्यवस्था की।

2 बिजली उत्पादन

- 2.1 दिल्ली में बिजली संयंत्रों का प्रबंधन इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) के हाथों में है जिनकी कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1971.2 मेगावाट की है। कोयले से चलने वाले दिल्ली के दो पुराने बिजली संयंत्र— इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर और राजघाट बिजलीघर की वाणिज्यिक गतिविधियां बंद कर दी गयी हैं और प्रदूषण संबंधी सरोकारों की वजह से दोनों काम नहीं कर रहे हैं।
- 2.2 हरियाणा के झज्जर में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 1500 मेगावाट क्षमता का कोयले से चलने वाला इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है। यह आईपीजीसीएल, हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) और एनटीपीसी लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है जिसमें तीनों कंपनियों की हिस्सापूर्जी क्रमशः 50 : 25 : 25 के अनुपात में लगी है। इस संयंत्र के बिजली उत्पादन में दिल्ली और हरियाणा की बराबरी की हिस्सेदारी रहती है। इस संयंत्र ने 26 अप्रैल 2013 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत 500 मेगावाट क्षमता के तीन विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया और तीनों इकाइयां अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही हैं। द्वितीय चरण के अंतर्गत भविष्य में कुल 1320 मेगावाट (660 मेगावाट की दो और इकाइयां लगाकर) क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- 2.3 प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बमनौली में 750 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित कंबाइनड साइकल गैस टर्बाइन (सीसीजीटी) विद्युत संयंत्र प्रगति-2 स्थापित करने का प्रस्ताव है। लेकिन गैस के उपलब्ध न होने से फिलहाल इसकी स्थापना का कार्य रुका हुआ है।

विवरण 11.1
दिल्ली में बिजली उत्पादन की संस्थापित क्षमता

(30 सितंबर, 2020 की स्थिति)

क्र.स.	कंपनी/स्थान	ईंधन	इकाइयां
1.	इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)		
	क. गैस टरबाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस)	गैस	$\left. \begin{array}{l} 6 \times 30 \text{ मेगावाट (जीटीएस)} \\ + \\ \text{मेगावाट} \\ 3 \times 30 \text{ मेगावाट (जीटीएस)} \end{array} \right\} = 270$
2.	प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)		
	ख. प्रगति-1 पावर स्टेशन	गैस	$\left. \begin{array}{l} 2 \times 104 \text{ मेगावाट (जीटीएस)} \\ + \\ \text{मेगावाट} \\ 1 \times 122 \text{ मेगावाट (जीटीएस)} \end{array} \right\} = 330$
	ग. प्रगति-3 पावर स्टेशन, बवाना	गैस	$\left. \begin{array}{l} 4 \times 216 \text{ मेगावाट (जीटीएस)} \\ + \\ \text{मेगावाट} \\ 2 \times 253.6 \text{ मेगावाट (जीटीएस)} \end{array} \right\} = 1371.2$
	कुल	..	1971.2 मेगावाट

स्रोत : इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड.

3. प्लांट लोड फैक्टर

3.1 बिजली उद्योग में प्लांट लोड फैक्टर किसी बिजलीघर के अधिकतम उत्पादन स्तर की तुलना में उसकी सकल उत्पादन क्षमता का पैमाना है। प्लांट लोड फैक्टर और उपलब्धता घटक के संदर्भ में दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाले बिजलीघरों का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है।

विवरण 11.2
दिल्ली के बिजली घरों का 2010-20 के दौरान प्लांट लोड फैक्टर/उपलब्धता घटक
(प्रतिशत)

क्र. सं.	वर्ष	राजघाट बिजलीघर	गैस टर्बाइन संयंत्र	प्रगति-1 पावर स्टेशन	प्रगति-3 पावर स्टेशन	औसत
1.	2011-12	69.01 (68.37)	52.21 (79.41)	88.32 (92.61)	38.36 (68.65)	69.14 (82.31)
2.	2012-13	67.04 (66.94)	55.28 (84.22)	86.77 (90.50)	30.24 (88.04)	54.15 (85.71)
3.	2013-14	32.12 (67.55)	44.01 (85.76)	83.90 (92.62)	9.16 (95.69)	33.71 (91.13)
4.	2014-15	35.82 (56.50)	39.59 (68.80)	63.91 (85.62)	18.60 (92.32)	29.49 (91.52)
5.	2015-16	3.93* (56.16)*	19.69 (74.81)	53.11 (90.25)	15.87 (64.55)	21.77 (72.88)
6.	2016-17	--	29.41 (82.84)	62.46 (90.62)	17.04 (80.70)	26.31 (82.94)
7.	2017-18	--	24.48 (83.07)	67.63 (92.64)	24.60 (74.11)	31.79 (78.25)
8.	2018-19*	--	31.49 (73.17)	64.57 (84.10)	31.23 (68.70)	36.85 (71.72)
9.	2019-20	--	21.15 (86.46)	52.76 (96.95)	33.33 (89.26)	34.91 (90.16)
10.	2020-21 [#]	--	23.29 (85.91)	58.12 (93.93)	24.16 (85.90)	34.91 (87.25)

स्रोत : इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

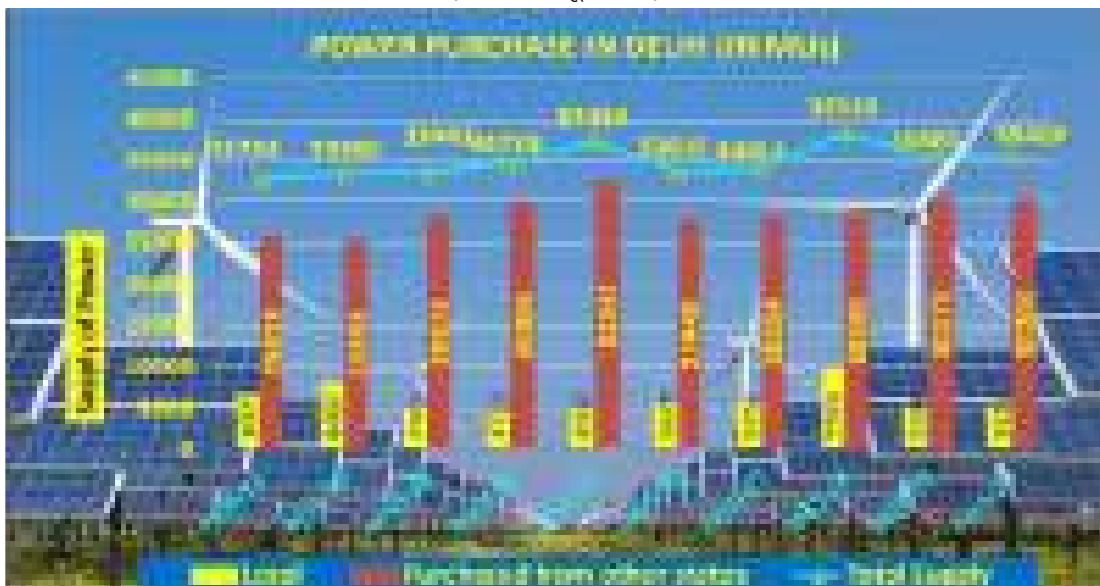
कोष्ठक में दी गयी संख्याएं उपलब्धता घटक को दर्शाती हैं। * मई 2015 तक # सितंबर 2020 तक

3.2 विवरण 11.2 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आइपीजीसीएल और पीपीसीएल के बिजलीघरों ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक औसत उपलब्धता हासिल की। इतना ही नहीं, दोनों कंपनियों ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सबसे अधिक बिजली भी पैदा की। लेकिन प्लांट लोड फैक्टर का के निम्न रहने का कारण संस्ती घरेलू गैस की उपलब्धता कम होने के कारण प्रणाली नियंत्रण से इसका कम मात्रा में प्राप्त होना है।

3.3 बिजली खरीद

दिल्ली में बिजली की कुल खरीद पिछले दस वर्षों में (2009–10 से 2019–20 के दौरान) 21.37 प्रतिशत बढ़ी है और यह 2010–11 में 32744 मिनिशन यूनिट से बढ़कर 2019–20 में 35419 मिलियन यूनिट हो गयी है। बिजली की कुल खरीद में से 14.72 प्रतिशत दिल्ली सरकार के अपने बिजलीघरों से प्राप्त हुई है वहीं 85.28 प्रतिशत केन्द्र सरकार और अन्य स्रोतों से खरीदी गयी है। पिछले दस वर्षों में बिजली खरीद के बारे में सूचना चार्ट 11.1 में दी गयी है।

चार्ट 11.1
दिल्ली में बिजली की खरीद
(मिलियन यूनिट में)



स्रोत : दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक, और विद्युत विभाग, जीएनसीटीडी.

3.4 बिजली वितरण

दिल्ली में पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण 2010–11 के 19758 मिलियन यूनिट से बढ़ कर 2019–20 में 30266 मिलियन यूनिट से स्तर पर पर पहुंच गया। इस अवधि में दिल्ली में बिजली का श्रेणी वार उपयोग चार्ट 11.2 में प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 11.3
दिल्ली में विद्युत वितरण

(मिलियन यूनिट में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
घरेलू	9723	10396	10796	11609	12386	12560	14060	14627	15541	16253
वाणिज्यिक	5074	6253	5569	6786	6814	6053	7257	6550	6942	7606
औद्योगिक	3008	2989	2979	3064	3068	3135	3088	3243	4271	3597
पीडब्ल्यूडब्ल्यू और स्ट्रीट लाइटिंग	734	748	870	838	1007	1027	1098	1042	2389	2185
अन्य	1219	1314	1147	1484	1202	1262	1362	1368	425	625
कुल	19758	21700	21361	23781	24477	24037	26865	26830	29568	30266

स्रोत : दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक, डीईआरसी का दिनांक 20.10.2020 का पत्र

चार्ट 11.2

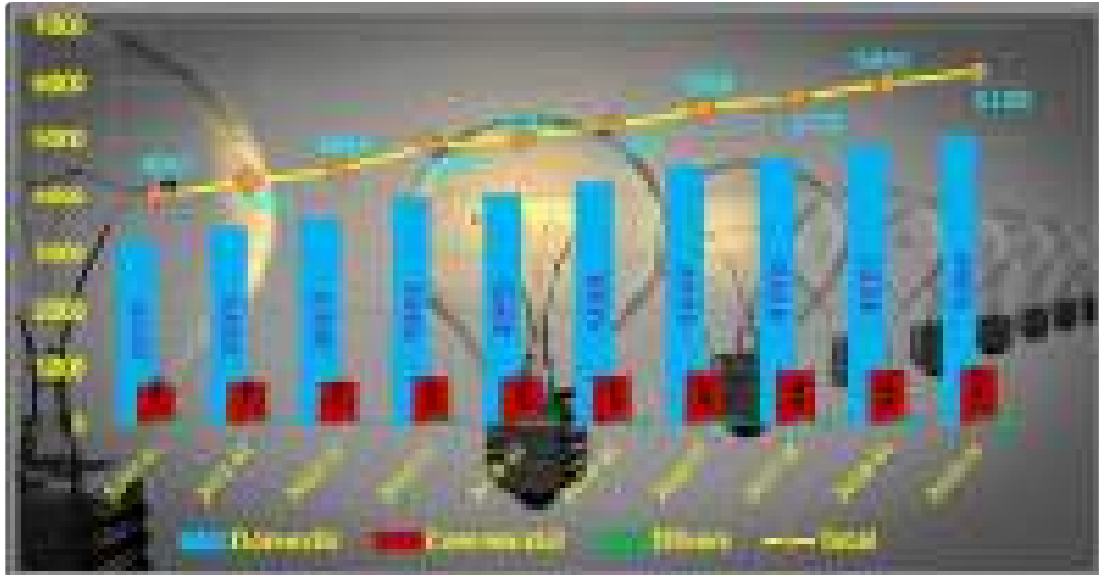


स्रोत : दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक

- 3.5 2010-11 से 2019-20 के दौरान दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 40.47 लाख से बढ़कर 61.68 लाख हो गयी। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि चार्ट 11.3 में दिखाई गयी है।

चार्ट 11.3
दिल्ली में विद्युत उपभोक्ता की वृद्धि

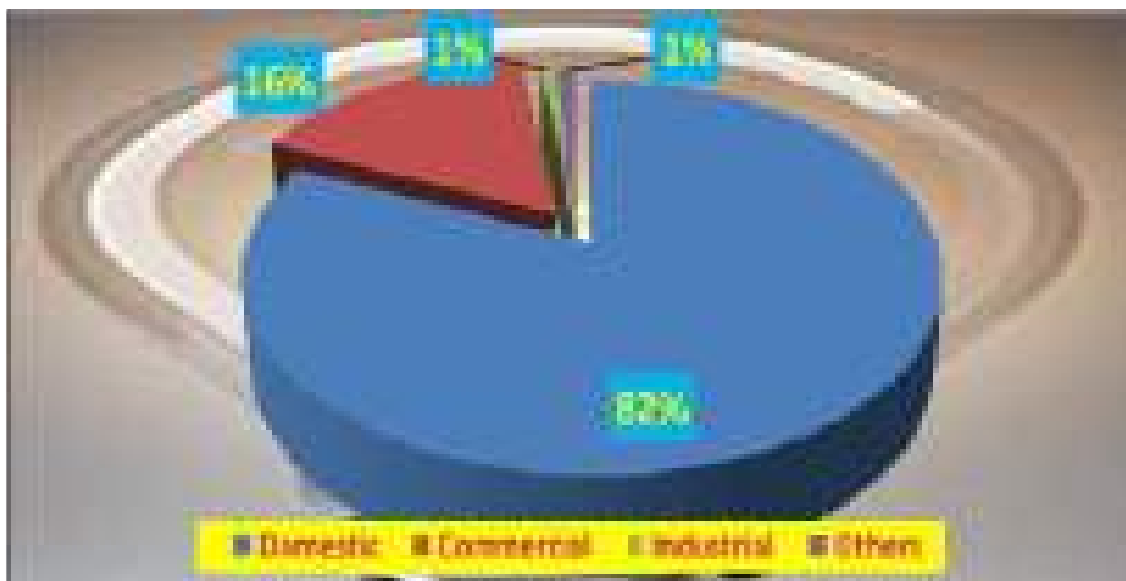
(मिलियन यूनिट में)



स्रोत : दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक

- 3.6 दिल्ली में 2010-11 से 2019-20 के दौरान बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 40.47 लाख से बढ़कर 61.68 लाख हो गयी है। यानी उपभोक्ताओं की संख्या 21.21 प्रतिशत बढ़ी है। इस अवधि के दौरान घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या में हर साल वृद्धि हुई है। जैसा कि चार्ट से स्पष्ट है अन्य श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं की वार्षिक संख्या में उतार-चढ़ाव देखा गया है। 2019-20 के दौरान दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या संबंधी जानकारी चार्ट 11.4 में दी गयी है।

चार्ट 11.4
दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या : 2019-20



4. सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) क्षति

विद्युत क्षेत्र में सुधारों के बाद दिल्ली में सकल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षति (एटी एंड सी) में काफी कमी आयी है और यह 2002 (जुलाई 2002 से पूर्व) के स्तर 52 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 8.37 प्रतिशत पर आ गयी है। ए.टी.एंडसी. क्षति वह अंतर है, जो विद्युत प्रणाली में शामिल की गई ऊर्जा यूनिटों के मूल्य और वास्तव में बेची गई यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राशि बीच होता है। ट्रांसमिशन और वितरण क्षति में भुगतान वसूली न हो पाने के कारण होने वाली हानियां शामिल नहीं हैं। एटी एंड सी क्षति विद्युत वितरण कारोबार की समग्र दक्षता के मूल्यांकन का वास्तविक पैमाना है क्योंकि इसमें तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों तरह की क्षति को शामिल किया जाता है। एटीएंडसी क्षति में कमी आने की स्थिति विवरण 11.4 में प्रदर्शित की गयी है।

विवरण 11.4

दिल्ली में एटी एंड सी हानियां-बिजली क्षेत्र सुधार परवर्ती अवधि

(प्रतिशत)

क्र सं	वर्ष	बीवाइवीएल	बीआरपीएल	टीपीडीडीएल
1.	2010-11			
	क. लक्ष्य	22.00	17.00	17.00
	ख. उपलब्धि	21.95	18.82	14.15
2.	2011-12			
	क. लक्ष्य	18.00	15.00	15.33
	ख. उपलब्धि	22.07	18.11	11.49
3.	2012-13			
	क. लक्ष्य	16.82	14.16	12.50
	ख. उपलब्धि	22.14	17.74	10.73
4.	2013-14			
	क. लक्ष्य	15.66	13.33	12.00
	ख. उपलब्धि	22.19	16.93	10.35
5.	2014-15			
	क. लक्ष्य	14.50	12.50	11.50
	ख. उपलब्धि	18.93	13.65	लागू नहीं
6.	2015-16			
	क. लक्ष्य	13.33	11.67	9.80
	ख. उपलब्धि	15.66	12.08	8.88
7.	2016-17			
	क. लक्ष्य	--	--	10.50
	ख. उपलब्धि	12.70	10.69	8.59
8.	2017-18			
	क. लक्ष्य	13.33	--	--
	ख. उपलब्धि	10.41	9.42	8.40
9.	2018-19			
	क. लक्ष्य	12.13	8.00	8.65
	ख. उपलब्धि	8.98	8.07	7.92
10.	2019-20			
	क. लक्ष्य	—	—	—
	ख. उपलब्धि	8.66	8.607.87	7.87

स्रोत : डीईआरसी, डिस्कॉम्स और वेबसाइट्स

5. विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश

बिजली की मांग बढ़ने से विद्युत ढांचे में सुधार की मांग भी बढ़ी है। दिल्ली में बिजली स्थितियों में सुधार के लिए तीनों कंपनियां बिजली ट्रांसफार्मरों, ईएचवी केबल्स, संस्थापना और 11 केवी फीडर्स, शंट कैपेसिटर्स आदि ढांचागत घटकों में बढ़ोतरी कर रही हैं। वित्त वर्ष 2010-11 में दिल्ली में बिजली क्षेत्र में सुधार शुरू किए जाने के बाद से तीनों डिस्कॉम कंपनियों द्वारा किए गए पूंजी निवेश की जानकारी विवरण 11.5 में दी गई है।

विवरण 11.5
बिजली कंपनियों द्वारा दिल्ली में सृजित ढांचा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	वर्ष	बीवाईपीएल	बीआरपीएल	एनडीपीएल	कुल
1.	2010-11	178.78	283.00	465.53	927.31
2.	2011-12	99.96	119.00	365.89	584.85
3.	2012-13	133.23	301.00	292.97	727.20
4.	2013-14	172.75	287.55	326.46	786.76
5.	2014-15	184.87	308.00	264.22	757.09
6.	2015-16	231.68	346.00	350.49	928.17
7.	2016-17	247.03	371.00	455.10	1073.13
8.	2017-18	343.86	564.83	479.00	1387.69
9.	2018-19	338.28	499.55	569.53	1407.36
10.	2019-20	247.20	635.60	567.64	1450.44
	कुल	2177.64	3715.53	4136.83	10030.00

स्रोत – डीईआरसी, डिस्कॉम्स

6. बिजली ट्रांसमिशन

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की राज्य ट्रांसमिशन संस्था है जो 220 केवी और 400 केवी स्तर पर विद्युत के पारेषण के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा प्रणालीगत आवश्यकताओं के अनुसार ईएचवी नेटवर्क के उन्नयन, प्रचालन और रखरखाव संबंधी कार्य भी कंपनी को सौंपे गए हैं। विद्युत अधिनियम 2003 बनने के बाद स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) नाम के एक नए विभाग का सृजन दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अंतर्गत किया गया है। यह दिल्ली में विद्युत प्रणाली का समेकित प्रचालन सुनिश्चित करने वाला एक शीर्ष निकाय है। पहले यह विभाग दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड/दिल्ली विद्युत बोर्ड के प्रचालन एवं अनुरक्षण विभाग का एक हिस्सा था। एसएलडीसी दिल्ली ने 1 जनवरी, 2004 को अपना कामकाज प्रारंभ किया। एसएलडीसी रीयल टाइम में लोड डिस्पैच जैसे कार्यों, एससीएडीए प्रणाली के प्रचालन एवं रखरखाव और ऊर्जा लेखांकन के लिए उत्तरदायी है। इसका लक्ष्य एनआरएलडीसी (उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर) के साथ तालमेल कायम करते हुए विश्वसनीयता, सुरक्षा और सुदृढ़ वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के साथ विद्युत हस्तांतरण को किफायत के साथ अंजाम देना है।

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंतर्गत 400 केवी के 4 और 220 केवी के 36 सब-स्टेशन तथा उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं। वर्तमान नेटवर्क में दिल्ली इर्द-गिर्द स्थापित 400 केवी रिंग स्टेशन शामिल हैं जो समूचे शहर में फैले 220 केवी नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। वर्ष 2019-20 तक दिल्ली ट्रांसमिशन संस्था के नेटवर्क की जानकारी विवरण 11.6 में दी गई है।

विवरण 11.6

दिल्ली ट्रांसमिशन संगठन का नेटवर्क : 2019-20

क्र सं	विवरण	400 केवी स्तर	220 केवी स्तर
1.	सब स्टेशनों की संख्या	4	41
2.	ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए) में	5410	14069
3.	ट्रांसमिशन लाइनें (सर्किट किलोमीटर में लंबाई)	249.118	852.17

स्रोत : दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड/एसएलडीसी

- 6.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान ट्रांसमिशन संगठनों का कार्यनिष्पादन : ट्रांसमिशन हानि में कम होने, लोड शेडिंग में काफी कमी आने जैसे कई कारणों से मुख्य रूप से बिजली की प्रणालीगत उपलब्धता में सुधार हुआ है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के कार्य निष्पादन के बारे में जानकारी विवरण 11.7 में दी गई है।

विवरण 11.7

2010-2020 के दौरान दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का कार्यनिष्पादन

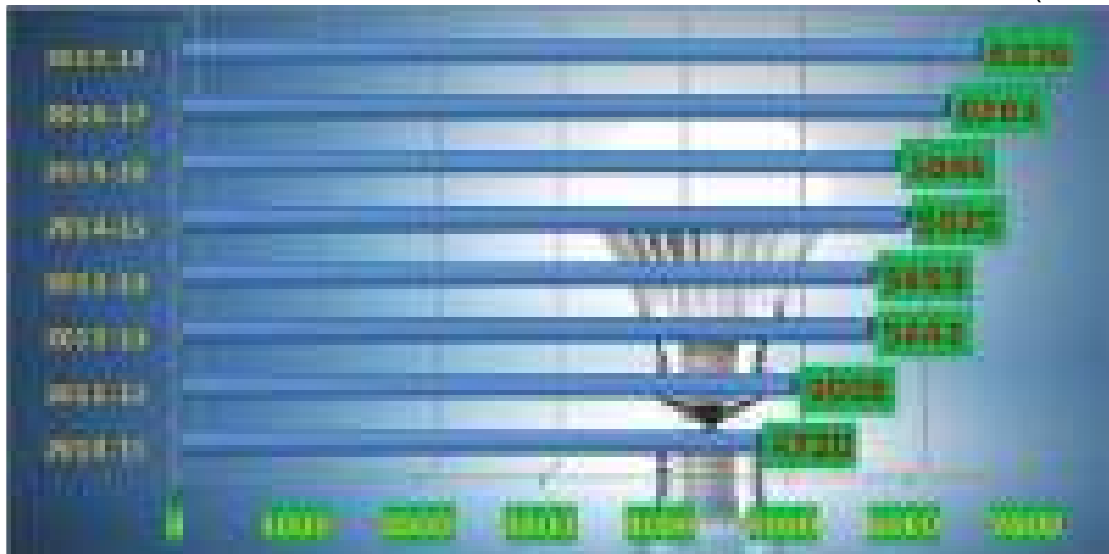
क्रम सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	पूरी की गई पीक मांग (मेगावाट में)	4720	5028	5642	5653	5925	5846	6261	6526	7016	7409
2.	लोड वृद्धि (प्रतिशत)	7.10	6.50	12.21	0.19	4.81	-1.33	7.10	4.06	7.51	5.60
3.	ऊर्जा खपत (मिलियन यूनिट में)	25581	25593	27235	28021	29035	29416	30797	31874	31909	33082
4.	शेडिंग (मिलियन यूनिट में)	74	83	138	77	117	42	32	19	15	10.85
5.	ऊर्जा खपत के प्रतिशत के रूप में शेडिंग	0.29	0.32	0.51	0.27	0.40	0.14	0.10	0.06	0.05	0.033
6.	ट्रांसमिशन हानियां (प्रतिशत)	1.28	1.20	1.17	0.95	0.69	0.85	0.98	0.79	0.92	0.90
7.	प्रणाली उपलब्धता (प्रतिशत)	98.58	98.38	97.17	97.43	98.60	99.03	98.01	99.37	98.50	98.95

स्रोत : दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड/एसएलडीसी/डीईआरसी

- 6.4 विवरण 11.7 से पता चलता है कि विद्युत की पीक मांग (व्यस्ततम समय में मांग का सर्वोच्च स्तर) 2010-11 के 4720 मेगावाट से बढ़कर 2019-20 में 7409 मेगावाट हो गया। पिछले 10 वर्ष के दौरान ऊर्जा की खपत में वार्षिक औसत वृद्धि लगभग 2.93 प्रतिशत, प्रणालीगत उपलब्धता में वृद्धि 97 प्रतिशत या उससे अधिक रही है। पूरी की गई पीक मांग मेगावाट में और ऊर्जा खपत मिलियन यूनिट में क्रमशः चार्ट 11.5 और 11.6 में दर्शायी गई हैं।

चार्ट 11.5
दिल्ली में पूरी की गई पीक मांग (मेगा वाट)

(मेगावाट में)



चार्ट 11.6
दिल्ली में ऊर्जा खपत – 2010–2020

(एमयू में)



- 6.5 भारत की 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के खंड-3 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के मांग पूर्वानुमान को शामिल किया गया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कराये गये 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) की रिपोर्ट में मार्च-2020 के अंत तक दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7409 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता संबंधी पूर्वानुमान से पता चलता है कि 2021-22 तक कुल मांग 7471 मेगावाट पर पहुंच सकती है लेकिन मौजूदा परिदृश्य में इसके 8200 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है।

एनसीआर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और पीक लोड पूर्वानुमान
– 19वां ईपीएस (2021–22)

	2019–20 (वास्तविक)	2021–22
ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	33082	36884
पीक लोड (मेगावाट)	7409	7471

7. प्रमुख ट्रांसमिशन परियोजनाएं

समूचे विद्युत नेटवर्क के बारे में रीयल टाइम यानी समसामयिक आंकड़ों तक निरंतर पहुंच बनाए रखने के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन (एससीएडीए) प्रणाली लागू की गयी है। दिल्ली में 2022–23 तक बिजली की भावी मांग को भरोसेमंद और कुशल तरीके से पूरा करने के लिए कई योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। इनमें करीब 4452 करोड़ रुपये लागत की नयी और नेटवर्क संवर्धन ट्रांसमिशन परियोजना (400/220 केवी) भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली में बिजली की सप्लाई में सुधार के लिए 2022–23 के दौरान 4452 करोड़ रुपये की लागत से 220 केवी के स्तर पर लगभग 5500 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता बढ़ाने और 400 केवी स्तर पर 6815 एमवीए (आईएसटीएस सब-स्टेशनों की 4000 एमवीए सहित) क्षमता जोड़ने संबंधी परियोजनाएं नेटवर्क में शामिल करने की व्यावसायिक योजना में व्यवस्था की गयी है।

8. नवीकरणीय ऊर्जा

8.1 दिल्ली में सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार ने 27.09.2016 को दिल्ली सौर नीति-2016 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य 2025 तक सौर ऊर्जा से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीति में 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों की छतों में अनिवार्य रूप से सौर प्रणालियां स्थापित करना है। आवासीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तीन साल के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन की पेशकश की गयी है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने 31 मई, 2019 को वर्चुअल और नेट मीटरिंग दिशानिर्देश जारी किये हैं। इस समय 4664 स्थानों पर 193 मेगावाट क्षमता की प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें से 2134 स्थान आवासीय क्षेत्रों में हैं जिनकी क्षमता 21557.525 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की है।

8.2 ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (ईईएंडआरईएमसी) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और भारत सरकार के एमआइपी के सहयोग से दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा गतिविधियां संचालित करता है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- दिल्ली सरकार के 92 स्कूलों में एनर्जी क्लबों का गठन और 81 अन्य में इसी तरह के केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।
- वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन नियमावली : भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 2017 में भारत की इमारतों के लिए ईसीबीसी कोड तैयार कर लिया है। दिल्ली के भवन निर्माण उपनियमों के अनुसार इस ईसीबीसी कोड पर अमल की कार्रवाई जारी है। 105 मीटर या इससे अधिक आकार के भूखंडों पर बनी इमारतों में सौर प्रणालियां स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

- 8.3 राज्य की एजेंसी के रूप में ईईएआरईएम सेंटर को दिल्ली शहर में नयी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित करना है। इस समय भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सीएफए योजना के दूसरे चरण अंतर्गत दिल्ली के डिस्कॉम आवासीय क्षेत्र में 30 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता सृजित करने के लिए कार्य कर रहे हैं।
- 8.4 खेतीबाड़ी पर कोई बुरा असर डाले बिना कृषि भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए टेंडर कागजात तैयार करने, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत 2019-20 में 10 मेगावाट क्षमता दिल्ली डिस्कॉम को सौंपी गयी। वर्ष 2020-21 में 62 मेगावाट क्षमता आवंटित करने का अनुरोध भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सौर योजना का कार्य जारी है और भारत सरकार से क्षमता आवंटित होने के बाद इसपर आगे कार्रवाई की जाएगी।
- 8.5 शहरी ठोस कचरे का निपटान बड़ी गंभीर चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक संयंत्र लगाने का काम तेहखंड (25 मेगावाट) में चल रहा है। भलस्वा में 15 मेगावाट क्षमता का 'कचरे से ऊर्जा' बनाने का संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है और गाजीपुर में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले मौजूदा संयंत्र की क्षमता में 8 मेगावाट के विस्तार की भी योजना है।

विवरण 11.9

नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता

31.01.2021 तक

सौर ऊर्जा उत्पादन	193 मेगावाट	4664 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित
कचरे से ऊर्जा	56 मेगावाट	कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र तिमारपुर-ओखला (20 मेगावाट), गाजीपुर (12 मेगावाट), नरेला-बवाना (24 मेगावाट)
कुल	249 मेगावाट	

9. ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी निवेश

- 9.1 दिल्ली सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश ट्रांसमिशन और ट्रांसफार्मेशन क्षमता और विद्युत उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्तों के लिए बिजली शुल्क को किफायती बनाने के लिए है। पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश से ऊपर और नीचे की ओर रुझान का पता चलता है। दिल्ली में ऊर्जा क्षेत्र में 2011-12 से 2020-21 की अवधि के दौरान निवेश का हिस्सा विवरण 11.8 में दर्शाया गया है।

विवरण 11.8
ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	वर्ष	योजनाओं/कार्यक्रमों पर व्यय		
		कुल व्यय	ऊर्जा क्षेत्र	कुल योजना व्यय का प्रतिशत ऊर्जा व्यय
1.	2011-12	13642.54	1833.26	13.44
2.	2012-13	13237.51	1271.61	9.61
3.	2013-14	13964.28	326.00	2.33
4.	2014-15	13979.68	581.26	4.16
5.	2015-16	14960.54	235.52	1.57
6.	2016-17	14355.03	187.77	1.31
7.	2017-18	14401.00	221.85	1.54
8.	2018-19	15672.03	413.18	2.64
9.	2019-20	20307.02	52.86	0.26
10.	2020-21 (स.अ.)	23270.00	70.00	0.31

- 9.2 इसके अलावा सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को भी विद्युत प्रभार में सब्सिडी देने पर भी धन खर्च कर रही है। पिछले छह वर्षों के दौरान बिजली पर सब्सिडी का खर्च इस प्रकार रहा :

विद्युत सब्सिडी पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि
2015-16	1442.76
2016-17	1577.94
2017-18	1676.70
2018-19	1699.29
2019-20	2405.59
2020-21 (सितंबर 2020 तक)	1253.91

अध्याय – 12

परिवहन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी 1.678 करोड़ (2011 जनगणना) है। साथ ही दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। बसें और मेट्रो रेल दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जीवन रेखा हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में यात्रियों की सुविधा के लिए अच्छी गुणवत्ता सुरक्षित और आरामदायक परिवहन प्रणाली की जरूरत है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सुरक्षित, सुचारु, कम खर्चीली, सुविधाजनक और कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में लगातार काम कर रही है।

2. शहर में परिवहन साधनों की आवश्यकता सार्वजनिक और निजी परिवहन माध्यमों से पूरी की जाती है। इनमें अंतर-राज्यीय बस सेवाएं, मेट्रो रेल, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी तथा कार और दुपहिया वाहन जैसे निजी साधन शामिल हैं। शहर के अंदर आने-जाने के लिए बसें और मेट्रो रेल सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोग में लिए जाने वाले साधन हैं। फेज 4 के तहत दिल्ली मेट्रो रेल सेवा के विस्तार, दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या में बढ़ोतरी और क्लस्टर बस योजना से यात्रियों की सुविधा बढ़ी है। इसके अलावा रेपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरीडोर परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं, जो दिल्ली को गुड़गांव-अलवर, गाजियाबाद-मेरठ और पानीपत से जोड़ेंगी। इससे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन क्षमता और मजबूत होगी।



3. एक सुचारु परिवहन प्रणाली के लिए परिवहन के सामाजिक-पर्यावरणीय-आर्थिक पक्ष के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। ये सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना अनिवार्य है। दिल्ली में निम्नलिखित सभी घटकों के बीच संतुलन बनाते हुए सुचारु परिवहन व्यवस्था काम कर रही है।
 - पर्यावरणीय सतत सुरक्षा के संदर्भ में दिल्ली ने सीएनजी बसों की पहल की है और विद्युत चालित वाहन नीति लागू करने के साथ साथ ई-रिक्शा सुविधा की अनुमति दी है।
 - आर्थिक पक्ष से सुविधाजनक सतत परिवहन प्रणाली के संदर्भ में दिल्ली में आने जाने वालों के लिए किराए का निर्धारण किफायती है। सरकार ने काफी लंबे समय से बस किरायों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसके अलावा बसों में विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती पास और महिलाओं के लिए निशुल्क आने जाने की सुविधा दी गई है।
 - सामाजिक-सांस्कृतिक सतत सुविधा के संदर्भ में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस मार्शल की तैनाती की गई है।
 - परिवहन प्रणाली की प्रभावकारिता के संदर्भ में दिल्ली में मजबूत सड़क अवसंरचना है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सुविधा मुख्य रूप से डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों तथा मेट्रो सेवा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) रा.रा.क्षे. सहित दिल्ली के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए रेपिड परिवहन प्रणाली उपलब्ध करा रहा है।

4. उपलब्ध बुनियादी ढांचा

दिल्ली में परिवहन सुविधा के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचा इस प्रकार है :

4.1 सड़क नेटवर्क

दिल्ली में सड़क नेटवर्क का विकास और रख-रखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के रख-रखाव के तहत आने वाले सड़क नेटवर्क की लंबाई विवरण 12.1 में दी गई है।

विवरण 12.1

दिल्ली में एजेंसी वार सड़क नेटवर्क की स्थिति

(31 मार्च, 2020 तक, लंबाई लेन कि.मी. में)

क्र सं	एजेंसी	सड़क लंबाई
1	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	532 लेन किमी
2	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	8572 लेन किलोमीटर
3	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	3272.65 लेन किलोमीटर
4	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	1289 लेन किलोमीटर
5	लोक निर्माण विभाग (दिल्ली सरकार)	
क	राष्ट्रीय राजमार्ग	616 लेन किमी (68* किमी)
ख	अन्य सड़कें	6308 लेन किमी (1240 किमी)
6	डीएसआईआईडीसी	1844.77 लेन किलोमीटर
7	आई एंड एफसी	298 किलोमीटर
8	डीडीए	435 लेन किलोमीटर

* 62 किलोमीटर के फ्लईओवर भी शामिल हैं

4.2 सड़क अवसंरचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सड़क नेटवर्क का दिनों-दिन विकास हो रहा है। सड़क और पुलों के लिए 934 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय को मंजूरी दी गई और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस मद में 794 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में सड़कों और पुलों के विकास के लिए बजट अनुमान 2020-21 में 1650 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

4.2.1 पैदल पारपथ सुविधाएं – फुटओवर ब्रिज (एफओबी)

दिल्ली में यातायात नियमों और सड़क निर्माण कार्य को बस यात्रियों सहित साइकिल चलाने वालों और पैदल चलने वालों का ध्यान रखना होगा। वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगभग 90 फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में दिसंबर महीने तक 12 एफओबी का निर्माण पूरा हो चुका है।

- 1) एक एफओबी, पूर्वी दिल्ली में शामलाल कॉलेज के निकट।
- 2) 2 एफओबी मथुरा रोड पर (एक चिड़ियाघर के निकट और दूसरा पुराना किला रोड के मोड़ पर)
- 3) 5 एफओबी लिफ्ट के साथ विकासपुरी से वजीराबाद के बीच बनाए गए हैं— (i) एफओबी-विकासपुरी, (ii) एफओबी मुकरबा चौक, (iii) एफओबी बाबू जगजीवन राम अस्पताल, (iv) धीरपुर आईटीआई (v) एफओबी, गोपालपुर।
- 4) 3 एफओबी (i) सरस्वती विहार, (ii) शिवा मार्केट, (iii) प्रशांत विहार में।
- 5) एक एफओबी सड़क संख्या 66 पर कर्दमपुरी और यमुना विहार के निकट।

निम्नलिखित एफओबी निर्माणाधीन हैं और इनका कार्य 31 मार्च 2021 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

1. आईएसबीटी कश्मीरी गेट के निकट रिंग रोड पर मोनेस्टरी मार्केट, बुद्ध विहार पर एफओबी।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-10, रोहतक रोड, नांगलोई फ्लाई ओवर के निकट, मेट्रो पिलर संख्या 364-365 के बीच एफओबी का कार्य प्रगति पर है।
3. शकूरपुर गांव में एफओबी (इनर आरआर एमजी मार्ग) औद्योगिक क्षेत्र लारेंस रोड, दादा देवता मंदिर को जोड़ने वाला।
4. आरटीआर मार्ग, नई दिल्ली पेट्रोल पंप के निकट पैदल पारपथ के लिए एफओबी सीढ़ी और लिफ्ट के साथ।
5. नेल्सन मंडेला मार्ग पर बाबा गंगनाथ मंदिर पैदल पारपथ के लिए सीढ़ी और लिफ्ट के साथ एफओबी।
6. द्वारका रोड पर पहलादपुर बस स्टैंड के निकट पैदल पारपथ के लिए सीढ़ी और लिफ्ट के साथ एफओबी।
7. पंखा रोड नई दिल्ली में इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निकट पैदल पारपथ के लिए सीढ़ी और लिफ्ट के साथ एफओबी।
8. एफओबी – (i) कृषि विहार के निकट जेबी टीटो मार्ग (बीआरटी कॉरीडोर) नई दिल्ली (एसपीएन 38.55) (ii) भीष्म पितामाह मार्ग (एसपीएन – 37.8) पर
9. मथुरा रोड पर हरकेश नगर पर एफओबी
10. महरौली-बदरपुर रोड पर शिव पार्वती मंदिर के निकट एफओबी।

निम्नलिखित एफओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है :-

1. रिंग रोड के मेटकॉफ हाउस मेन गेट पर फुट ओवर ब्रिज।
2. प्रेस एन्क्लेव रोड, सलेक्ट सिटी मॉल, नई दिल्ली के निकट पैदल पारपथ के लिए सीढ़ी, बिजली कार्य और लिफ्ट के साथ फुट ओवर ब्रिज।
3. फुट ओवर ब्रिज – (i) अधचीनी गांव, श्री अरबिंदो मार्ग (आईडी 96), (ii) हौजखास एन्क्लेव (पदमिनी एन्क्लेव के निकट) सीढ़ी, डिविजन साउथ रोड-2, पीडब्ल्यूडी के सब डिवीजन-2 के तहत, बिजली और लिफ्ट के साथ।
4. श्री अरबिंदो मार्ग (आईडी-96) पर एफओबी (i) पीटीएस बस स्टॉप, (ii) टीबी हॉस्पिटल, डिविजन साउथ रोड-2, पीडब्ल्यूडी के तहत विद्युत व्यवस्था सहित लिफ्ट और सीढ़ी के साथ।

4.2.2 फ्लाईओवर और ब्रिज/कॉरीडोर

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर अनेक परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं चलाई गईं। वर्तमान में दिल्ली में शास्त्री पार्क पर फ्लाईओवर सहित 87 फ्लाईओवर हैं।

- **शास्त्री पार्क और सीलमपुर पर फ्लाईओवर का निर्माण** : यह परियोजना वर्ष 2019-20 में 303 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की गई है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अक्टूबर 2020 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- **बारापुला फेज-3** : सराय कालेखां से मयूर विहार फेस-1 तक के खंड को 1260.63 (निविदा लागत 946 करोड़ रुपये) करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। दिसंबर 2020 तक 725.96 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। 750 मीटर (भूक्षेत्र 8.5 एकड़) में कार्य रुक गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत जमीन ली जानी है। दिसंबर 2020 तक 81.5 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सितंबर 2022 तक इसके पूरा होने की संभावना है।
- **आईआईटी से एनएच-8 तक आउटर रिंग रोड के कॉरीडोर का विकास** : आउटर रिंग रोड पर पूर्व में मौजूदा मुनीरका फ्लाईओवर से पश्चिम में आर्मी आरआर अस्पताल तक को जोड़ने वाले फ्लाईओवर (पार्ट-ए) का निर्माण कार्य और (पार्ट-बी) इनर रिंग रोड और बीजे मार्ग के मोड़ पर अंडर पास के कार्य को 364 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी मिली है। मुनीरका से आरआर अस्पताल तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बीजे मार्ग और इनर रिंग रोड के मोड़ पर अंडरपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2020 तक 88 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2020 तक 254.68 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर दी गई है। इसके जून 2021 तक पूरा होने की संभावना है।
- **मथुरा रोड पर आश्रम चौक के निकट अंडरपास का निर्माण** : इस परियोजना की अनुमानित लागत, सेवाओं के स्थानांतरण सहित, 77.92 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य जारी है और दिसंबर 2020 तक 40 प्रतिशत काम हो चुका है। दिसंबर 2020 तक निर्माण पर 23.74 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
- **(i) रामपुरा में एनएच-10 (ii) त्रिनगर/इंद्रलोक और (iii) कर्मपुरा दिल्ली में पुलों को चौड़ा करने का कार्य** : त्रिनगर/इंद्रलोक, कर्मपुरा और रामपुरा दिल्ली में नजफगढ़ नाले पर पुल निर्माण, पुल के दोनों ओर सड़क मरम्मत, जल निकासी योजना, फुटपाथ निर्माण प्रबंध के लिए 53.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से योजना को मंजूरी दी गई। परियोजना का काम जारी है

और दिसंबर 2020 तक लगभग 68 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2020 तक 39.04 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। काम सितंबर 2021 तक पूरा हो जाने की आशा है।

- **आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी फ्लाईओवर तक विस्तार :** इस परियोजना की अनुमानित लागत 128.79 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य जारी है और इसके मार्च 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
- **एकीकृत कॉरीडोर (i) डीएनडी इंटरसेक्शन से भैरों मार्ग मोड़ तक रिंग रोड, (ii) मोदी मिल फ्लाईओवर से आईआईटी गेट तक आउटर रिंग रोड पर :** इस परियोजना की अनुमानित लागत 777 करोड़ रुपये है। लगभग 77 प्रतिशत काम दिसंबर 2020 तक पूरा हो चुका है। कार्य प्रगति पर है और अप्रैल 2021 तक पूरा हो जाने की आशा है।
- **गोपालपुर रेडलाइट-जगतपुर ब्रिज पर आउटर रिंग रोड पर हाफ अंडर पास का निर्माण कार्य :** इस परियोजना पर अनुमानित लागत 38.17 करोड़ रुपये आंकी गई है। 56 प्रतिशत कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो चुका है। दिसंबर 2020 तक 15.87 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। निर्माण कार्य जारी है और मार्च 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

4.3 बस टर्मिनल और डिपो

संबंधित परियोजना का उद्देश्य बस से यात्रा करने वालों के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का निर्माण करना है। योजना के तहत बस टर्मिनल और बस डिपो के लिए भूमि खरीद कर उस पर टर्मिनल और डिपो बनाए जाने का प्रावधान है। डीटीसी और क्लस्टर स्कीम के तहत बस बेड़े में नई बसों की खरीद के साथ, परिवहन विभाग को अतिरिक्त बस डिपो की जरूरत होगी।

इस समय 58 बस डिपो कार्य कर रहे हैं और 12 बस डिपो का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिल्ली में 16 बस टर्मिनल इस्टेमाल में हैं। सेक्टर-4 द्वारका, सेक्टर 12 द्वारका, विकासपुरी और नरेला में नए बस टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। मुंडेलकलां और घुम्मनहेड़ा में डिपो का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रोहिणी में दो में से एक डिपो का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है और अन्य का मार्च 2021 तक कार्य पूरा हो जाएगा।

4.4 अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) :

दिल्ली में मौजूदा समय में तीन अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कार्यरत हैं – कश्मीरीगेट, सराय कालेखां और आनंद विहार। कश्मीरीगेट आईएसबीटी का नवीनीकरण किया गया है और इसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मई 2013 से संचालन में लिया जा रहा है। सराय काले खां और आनंद विहार आईएसबीटी की परियोजना लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्विकास किया जाएगा।

4.5 रेल नेटवर्क

देश के रेल मानचित्र पर दिल्ली एक प्रमुख जंक्शन है और मुख्य महानगरों के साथ सीधे जुड़ा है। दिल्ली में पांच मुख्य रेलवे स्टेशन हैं : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और आनंद विहार। पटपड़ गंज और तुगलकाबाद में कंटेनर डिपो हैं।

4.6 मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) :

मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य सड़क परिवहन प्रणाली से समुचित रूप से जुड़ी प्रदूषण रहित और कुशल रेल आधारित परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। दिल्ली मेट्रो का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से हो रहा है। 59 स्टेशनों (इंटर चेंज स्टेशनों सहित) और 65.1 किलोमीटर लंबे मार्ग पर, जिसमें 13.17 किलोमीटर अंडरग्राउंड है और 51.93 किलोमीटर सतह पर या सतह से ऊपर है, के साथ फेज-1 पूरा हो चुका है। बाराखंबा रोड-इन्द्रप्रस्थ कॉरीडोर के उद्घाटन के साथ फेज-1 के ब्लू लाइन का काम नवंबर 2006 में पूरा हो चुका है। फेज-2 में 86 स्टेशनों (इंटरचेंज स्टेशन सहित), के साथ 124.93 किलोमीटर की लाइन शामिल है, जिसमें एनसीआर में 13 स्टेशनों के साथ 16.62 किलोमीटर का रूट पड़ता है और यह पूरा हो चुका है। पहला खंड जून 2008 में खुल चुका है और अंतिम लाइन अगस्त 2011 में खोल दी गई है। फेज-3, अतिरिक्त कॉरीडोर और एनसीआर विस्तार में 160 किलोमीटर का रूट आता है, जिसमें 109 स्टेशन (42.496 किलोमीटर, एनसीआर के 30 स्टेशनों के साथ)। इसमें से 157.94 किलोमीटर मेट्रो लाइन जून 2014 से सितंबर 2019 तक विभिन्न चरणों में शुरू हो चुकी है। शेष मयूरविहार पॉकेट-1 से त्रिलोकपुरी तक का खंड (आर एंड आर के कारण रुका है) मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। ढांसा बस स्टैंड तक का विस्तार सितंबर 2021 तक पूरा हो जाने की आशा है। इन दोनों खंडों का काम पूरा कर लिए जाने का समय कोविड महामारी के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण संशोधित किया गया है। दिल्ली मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम के फेज-4 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार ने फेज-4 के तीन प्राथमिकता कॉरीडोर को स्वीकृति दे दी है। इन कॉरीडोरों के एलिवेटेड खंड का काम शुरू हो चुका है। कॉरीडोर के अंडरग्राउंड पैकेज के लिए जेआईसीए ऋण प्राप्त करने का काम प्रगति पर है। इन लाइनों से संबंधित स्थल पर निर्माण कार्य की प्रगति लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के परामर्श के अनुसार शेष 3 कॉरीडोर के लिए संशोधित डीपीआर तैयार कर ली गई है और स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है।

कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से पहले दिल्ली मेट्रो से प्रतिदिन यात्रा करने वालों की संख्या लगभग 57 लाख (एयरपोर्ट लाइन और रेपिड मेट्रो गुरुग्राम सहित) थी। सरकार के निर्देशानुसार रेल सेवा 22 मार्च 2020 से 6 दिसंबर 2020 तक स्थगित थी। 7 सितंबर 2020 से यात्रियों के लिए रेल सेवा चरणबद्ध रूप से शुरू हुई। यात्रियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए, जैसे सुरक्षित दूरी का पालन, नकद लेनदेन निषेध, टोकन से यात्रा पर पाबंदी, गैर-व्यस्त समय में भी अधिक रेलों का परिचालन। सुरक्षित दूरी संबंधी नियमों के कारण मौजूदा समय में औसतन प्रतिदिन यात्रा करने वालों की संख्या घट कर लगभग 10 लाख रह गई है (एयरपोर्ट मेट्रो और रेपिड मेट्रो गुरुग्राम सहित)। दिल्ली में मेट्रो रेल सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलती है। दो ट्रेनों के बीच का अंतराल व्यस्त समय में 2 मिनट 44 सेकंड से लेकर गैर-व्यस्त समय में 10 मिनट तक का होता है।

4.7 डीएमआरसी फीडर बस सर्विस

डीएमआरसी, एफएएमई-2 योजना के तहत 10 नए रूट पर चलाने के लिए एक सौ एसी फीडर ई-बसें खरीद की प्रक्रिया में हैं। इनमें से 50 बसें वित्त वर्ष 2020-21 में मिल जाने की आशा है। शेष 50 बसें मई 2021 तक मिल जाएंगी।

4.8 रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस)

एनसीआर में प्रदूषण और भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने आठ रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरीडोर की सिफारिश की है, ताकि एनसीआर के विभिन्न प्रमुख नगरों को तीव्र गति की रेल आधारित मास कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ा जा सके। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल ने पहले चरण में पूरा किए जाने के लिए तीन प्राथमिकता कॉरीडोर का चुनाव किया है – दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-सोनीपत-पानीपत और दिल्ली-गुरुग्राम-रिवाड़ी –अलवर। सतत और सुचारु शहरी विकास, भीड़भाड़ और प्रदूषण कम करने तथा दिल्ली में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनसीआर में आरआरटीएस को सर्वाधिक प्राथमिकता वाली योजना माना गया है।

प्राथमिकता आधार पर चयनित तीन आरआरटीएस कॉरीडोर को एक साझा एलिवेटेड टर्मिनस स्टेशन सराय काले खां, दिल्ली से शुरू किए जाने की योजना है। इस प्रकार के साझा टर्मिनस स्टेशन से इन तीनों कॉरीडोर के बीच अंतर-सम्पर्क और अंतर-संचालन सुविधा होगी।

- दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर 82.15 किलोमीटर लंबा है जिसमें 68.03 किलोमीटर एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। 13 किलोमीटर के दिल्ली खंड में 3 स्टेशन हैं – शास्त्रीनगर, आनंद विहार और सराय काले खां। परियोजना के पूरा होने की लागत 30,274 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का योगदान 1180 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने मार्च 2019 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसका निर्माण कार्य जारी है। परियोजना 2025 तक पूरी हो जाने की आशा है।
- दिल्ली-गुरुग्राम-रिवाड़ी-अलवर कॉरीडोर 164 किलोमीटर लंबा है। तीन चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा :
 - फेज-1 : दिल्ली-गुरुग्राम-रिवाड़ी-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़) शहरी परिसर।
 - फेज-2 : एसएनबी शहरी परिसर – सोटानाला आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र।
 - फेज-3 एनएनबी शहरी परिसर – अलवर : इस कॉरीडोर की कुल लंबाई 107 किलोमीटर है, जिसमें दिल्ली खंड 21.67 किलोमीटर है, जिसमें 4 स्टेशन हैं। परियोजना पूरी किए जाने की लागत 37.897 करोड़ अनुमानित है, जिसमें रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का योगदान 3,261 करोड़ रुपये है। परियोजना की निर्माण पूर्व गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं तथा भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
- दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरीडोर मसौदा डीपीआर के अनुसार साझा टर्मिनस स्टेशन सराय काले खां से शुरू होगा। इसका अंतिम छोर पानीपत डिपो स्टेशन है। यह कॉरीडोर 103.02 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 93 किलोमीटर एलिवेटेड और 11 किलोमीटर अंडरग्राउंड हिस्सा है और 36.2 किलोमीटर का खंड दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में 6 प्रस्तावित स्टेशन हैं – सराय काले खां, इन्द्रप्रस्थ, कश्मीरीगेट, बुराडी क्रासिंग, मुकरबा चौक और अलीपुर।

5. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में शामिल संस्थान और निकाय

संस्थान / निकाय				
डीटीसी दिल्ली परिवहन निगम (लाल और हरी बसों का संचालन)	डीआईएमटीएस दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम लिमिटेड (क्लस्टर बसों का प्रबंधन)	डीटीआईडीसी दिल्ली परिवहन इन्फ्रा विकास निगम लिमिटेड (बस टर्मिनल पर बस स्टॉप पर साइनेज और विज्ञापन प्रबंध)	एनसीआरटीसी रा.रा.क्षे. परिवहन निगम (एनसीआर का संतुलित और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करना)	डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल निगम (मेट्रो प्रबंधन)

5.1 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) :

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार डीटीसी के लिए बसों की खरीद और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इक्विटी पूंजी जारी करती है। वर्तमान में डीटीसी के पास 35 डिपो का बुनियादी ढांचा है। डीटीसी के बेड़े में 3,762 बसें हैं जिनमें 1257 एसी लो फ्लोर बसें और 2505 नोन-एसी लो-फ्लोर बसें हैं। डीटीसी एनसीआर में परिवहन प्रबंध करने वाली सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। इसके माध्यम से लगभग 33 लाख यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं और यह 6.41 लाख किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय करती है। डीटीसी प्रतिदिन 448 रूटों पर और एनसीआर के 7 रूटों पर 30,562 (औसतन) चक्कर लगाती है।

5.2 दिल्ली एकीकृत बहु-मॉडल ट्रांजिट प्रणाली लिमिटेड (डीआईएमटीएस) :

दिल्ली एकीकृत बहु-मॉडल ट्रांजिट प्रणाली लिमिटेड (डीआईएमटीएस) एक शहरी परिवहन और अवसंरचना विकास कंपनी है, जो गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जुलाई 2007 में यह रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और आईडीएफसी फाउंडेशन (एक गैर-लाभकारी संगठन) के बीच समान इक्विटी वाली संयुक्त उपक्रम कंपनी बन गई।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत ब्लूलाइन प्राइवेट स्टेट कैरिज सिस्टम के प्रतिस्थापन के लिए प्राइवेट स्टेट कैरिज सर्विस के निगमीकरण की योजना शुरू की। क्लस्टर योजना सकल लागत मॉडल (ओपेक्स मॉडल) पर आधारित है, जिसमें बेड़े के मालिकों को प्राप्त किराए के बदले संचालनगत मानदंडों पर पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

मौजूदा समय में रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में 14 क्लस्टरों के तहत 2,910 क्लस्टर बसें संचालन में हैं।

5.3 दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी) की स्थापना 16 अगस्त 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पूर्ण स्वामित्व में की गई। यह कंपनी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। इस निगम की शुरुआत शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव के उद्देश्य से किया गया है। मौजूदा समय में तीन आईएसबीटी –कश्मीरीगेट, आनंद विहार और सराय काले खां-संचालन में हैं और ये डीटीआईडीसी के नियंत्रण में हैं।

5.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) :

एनसीआरटीसी भारत सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इसका कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना लागू करना, बेहतर संपर्क और पहुंच बना कर संतुलित और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करना है। तीन प्राथमिकता आरआरटीएस कॉरीडोर हैं—दिल्ली-मेरठ कॉरीडोर, दिल्ली-गुरुग्राम-रिवाड़ी-अलवर कॉरीडोर और दिल्ली-पानीपत कॉरीडोर।

5.5 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी)

दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड 3 मई 1995 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत की गई थी, जिसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की समान इक्विटी भागीदारी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक विश्वस्तरीय मास रेपिड परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) के निर्माण और संचालन के स्वप्न को साकार करना था। डीएमआरसी में भारत सरकार और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार से समान इक्विटी भागीदारी है। इस योजना के तहत रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार का हिस्सा परिवहन विभाग के माध्यम से डीएमआरसी को उपलब्ध कराया जाता है। इसका बुनियादी उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित मास रेपिड परिवहन सुविधा और साथ ही मुख्य मेट्रो पेरिफेरल रूट से रेडियल रूटों तक इंटर-चेंज सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क लगभग 350.03 किलोमीटर का है।

6. प्रमुख संकेतकों की उपलब्धि/प्रगति

6.1 मोटर वाहन

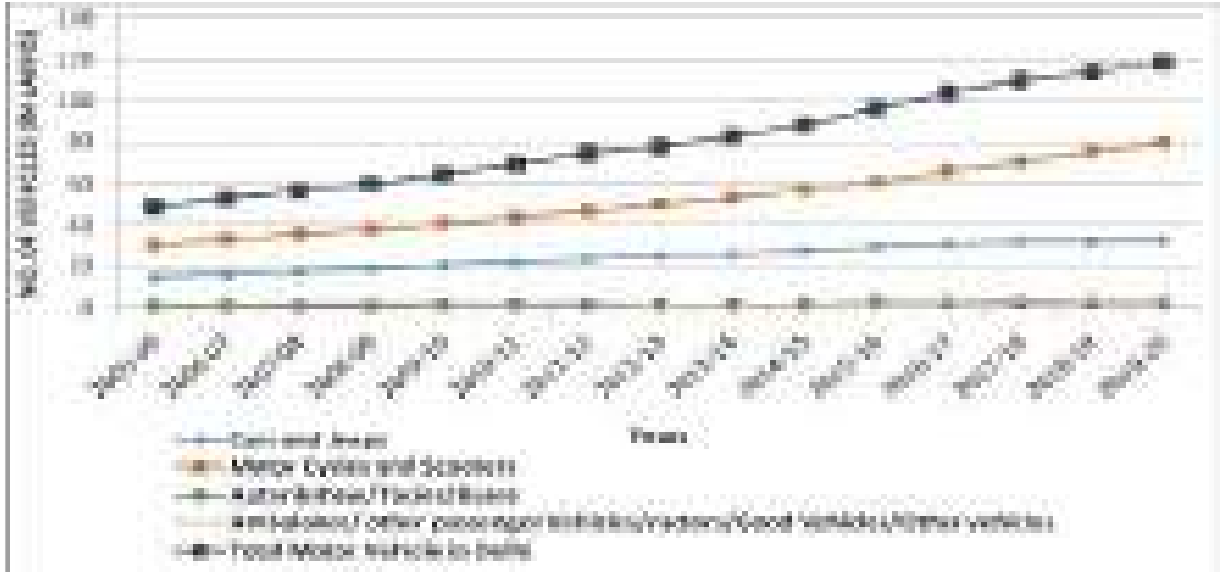
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31 मार्च 2020 तक सड़कों पर मोटर वाहनों की कुल संख्या 118.92 लाख थी। इसमें पहले की तुलना में 4.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिल्ली में मोटर वाहनों की संख्या में श्रेणीवार वृद्धि विवरणी 12.2 में दर्शायी गई है।

विवरण 12.2
वाहनों की संख्या

क्रसं	विवरण	वाहनों की संख्या				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	कार और जीप	2986579	3152710	3246637	3249670	3311579
2	मोटर साइकिल और स्कूटर/दुपहिया	6104070	6607879	7078428	7556002	7959753
3	एम्बुलेंस	2990	3059	3220	2358	2287
4	ऑटो रिक्शा (सवारी)	198137	105399	113074	113240	114891
5	टैक्सी	91073	118308	118060	109780	122476
6	बसें	34365	35206	35285	32218	33302
7	अन्य सवारी वाहन	6368	59759	76231	81422	85477
8	ट्रैक्टर	281159	300437	315080	246861	263112
9	सामान ढुलाई वाहन (सभी प्रकार के)					
10	अन्य					
	कुल	9704741	10382757	10986015	11391551	11892877*

*पंजीकृत वाहनों की संख्या, एनओसी, आरसी रद्द किए जाने, सरंडर किए वाहन, पंजीकरण रद्द वाहन और हटा दिए गए वाहनों के अलावा हैं (वाहन 4.0 डेटाबेस में रिकार्ड उपलब्ध है)।

चार्ट 12.1
दिल्ली में वाहन वृद्धि

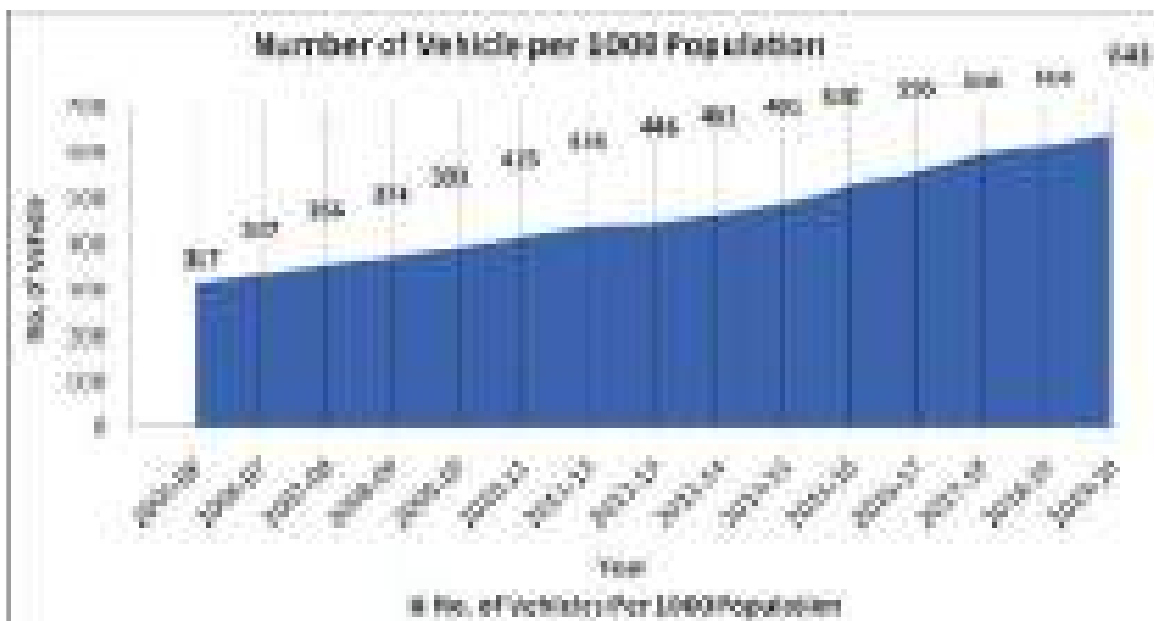


- दिल्ली में वाहनों की वार्षिक वृद्धि दर 2005-06 के 8.13 प्रतिशत से घट कर 2019-20 में 4.40 शून्य प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि के दौरान प्रति 1000 की आबादी पर वाहनों की संख्या 317 से बढ़ कर 643 हो गई। वार्षिक वृद्धि दर से संबंधित ब्योरा विवरण 12.3 में दिया गया है।

विवरण 12.3
प्रति 1000 की आबादी पर वाहन वृद्धि

क्रम सं.	वर्ष	वाहन		वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	प्रति 1000 जनसंख्या पर वाहनों की संख्या
		संख्या	बढ़ोतरी		
1	2005-06	4830136	362982	8.13	317
2	2006-07	5232426	402290	8.33	337
3	2007-08	5627384	394958	7.55	356
4	2008-09	6026561	399177	7.09	374
5	2009-10	6466713	440152	7.30	393
6	2010-11	6947536	480823	7.44	415
7	2011-12	7452985	505449	7.27	436
8	2012-13	7785608	332783	4.46	446
9	2013-14	8258284	472676	6.07	465
10	2014-15	8827431	569147	6.89	491
11	2015-16	9704741	877310	9.94	530
12	2016-17	10382757	678016	6.99	556
13	2017-18	10986015	603258	5.81	598
14	2018-19	11391551	405536	3.69	616
15	2019-20	11892877	501326	4.40	643

चार्ट 12.2
परिवहन प्रचलन

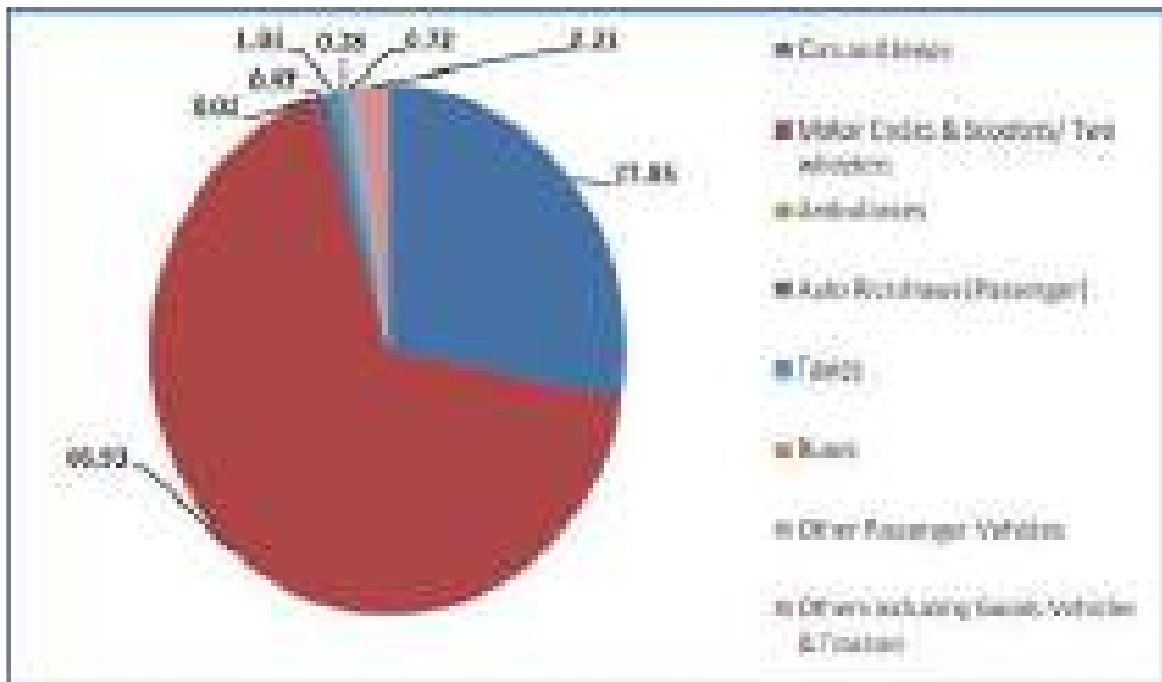


- दिल्ली भारत में निजी मोटरवाहनों का केंद्र है। दिल्ली में कुल मोटरचालित वाहनों की संख्या 118.92 लाख है। कुल पंजीकृत मोटरवाहनों में 28 प्रतिशत से अधिक संख्या कारों और जीपों की है, जबकि कुल पंजीकृत वाहनों में करीब 67 प्रतिशत दुपहिया वाहन हैं। दिल्ली में 2019-20 के दौरान मोटर वाहनों का प्रतिशत चार्ट 12.3 में प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 12.4
श्रेणीवार वाहनों की संख्या और प्रतिशत

क्र सं	विवरण	वाहनों की संख्या	
		2019-20	प्रतिशत
1	कार और जीप	3311579	27.85
2	मोटर साइकल और स्कूटर (दुपहिया)	7959753	66.93
3	एम्बुलेंस	2287	0.02
4	आटो रिक्शा	114891	0.97
5	टैक्सी	122476	1.03
6	बस	33302	0.28
7	अन्य सवारी वाहन	85477	0.72
8	ट्रैक्टर	263112	2.21
9	सामान ढुलाई वाहन (सभी प्रकार के)		
10	अन्य		
	कुल	11892877	100

चार्ट 12.3
वाहनों की संख्या (2019-20) का प्रतिशत



- दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की वास्तविक संख्या को लेकर कई विरोधाभास हैं। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में से बड़ी संख्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रही हैं। इसी प्रकार एनसीआर में पंजीकृत वाहन दिल्ली में चल रहे हैं।
- परिवहन विभाग दिल्ली में वाहनों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के प्रयास कर रहा है। इसके लिए ऐसे वाहनों को भी हिसाब में लिया जा रहा है जो किसी वजह से चलने योग्य नहीं हैं और अन्य राज्यों से दिल्ली में आये हैं या दिल्ली से अन्य राज्यों में चले गये हैं।

6.2 दिल्ली मेट्रो रेल निगम

वर्ष 2019-20 में दिल्ली मेट्रो में कुल यात्रियों की दैनिक संख्या 50.65 लाख थी। फेज-1 से फेज-3 तक मेट्रो लाइन की कुल लंबाई 350.03 किलोमीटर थी, जिसमें 59.116 किलोमीटर एनसीआर में है। फेज-4 पूरा हो जाने के बाद एनसीआर सहित कुल मेट्रो लाइन की लगभग 453.96 किलोमीटर हो जाएगी।

- **एमआरटीएस फेज-3** : नई मेट्रो लाइन के एमआरटीएस फेज-3 के स्वीकृत कॉरीडोर और इसे कॉरीडोर के विस्तार का ब्यौरा विवरणी 12.5 में दिया गया है और रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार द्वारा वर्षवार जारी धन का ब्यौरा विवरण 12.6 में उपलब्ध है।

विवरण 12.5
एमटीआरएस फेज-3 कॉरीडोर

क्र सं	कॉरीडोर	लम्बाई (किमी)			स्टेशनों की संख्या			शुरु होने/ समाप्त होने का अनुमानित समय
		भूमिगत	एलिवेटेड	कुल	भूमिगत	एलिवेटेड	कुल	
ए	दिल्ली एनसीआर में							
1.	लाइन-7 मजलिस पार्क-शिव विहार	19.139	39.457	58.596	12	26	38	मयूर विहार पॉकेट-1 से त्रिलोकपुरी (लगभग 1 किलोमीटर) को छोड़कर, जिसे मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा, चरणों में शुरू
2.	लाइन-8 जनकपुरी पश्चिम-कालिंदीकुंज	23.116	10.383	33.499	15	8	23	मई 2018 में चरणबद्ध रूप से आरंभ
3.	लाइन-6 विस्तारित केंद्रीय सचिवालय -कश्मीरीगेट	9.370	.	9.370	7	.	7	मई 2017 में चरणबद्ध रूप से आरंभ
4.	लाइन-2 विस्तार : जहांगीरपुरी-बादली	.	4.373	4.373	.	3	3	10.11.2015 को आरंभ
5.	लाइन 5 विस्तार मुंडका -टिकरी बार्डर	.	6.307	6.307	.	4	4	25.06.2018 को आरंभ
6.	द्वारका-नजफगढ़	1.547	2.755	4.302	1	2	3	04.10.2018 को आरंभ
7.	ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार	1.180	.	1.180	1	.	1	सितंबर 2021
	सब टोटल	54.352	63.275	117.627	36	43	79	
बी	एनसीआर में							
8.	लाइन-6 विस्तार बदरपुर-फरीदाबाद	.	13.875	13.875	.	9	9	06.09.2015 को आरंभ
9.	लाइन 5 विस्तार टीकारी बार्डर-बहादुरगढ़	.	4.875	4.875	.	3	3	25.06.2018 को आरंभ
10.	एस्कार्ट मुजेसर-बहादुरगढ़	.	3.350	3.350	.	2	2	25 जून, 2018 को आरंभ
11.	कालिंदीकुंज-बोटैनिकल गार्डन	.	3.962	3.962	.	2	2	25.12.2017 को आरंभ
12.	दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद	.	9.635	9.635	.	8	8	08.03.2019 को आरंभ
13	नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी	.	6.799	6799	.	6	6	09.03.2019 को आरंभ
	कुल	54.352	105.771	160.123	36	73	109	

विवरण 12.6

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा एमआरटीएस फेज-3 और फेज-4 के लिए वर्षवार जारी राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	इक्विटी	भूमि अधिग्रहण के लिए सबार्डिनेट ऋण	राज्य करों के लिए सबार्डिनेट ऋण	केंद्रीय करों के लिए सबार्डिनेट ऋण	कुल
1	2011-12	749.70	216.00	-	294.00	1259.70
2.	2012-13	749.70	216.00	-	294.00	1259.70
3.	2013-14	672.20	200.00	-	170.00	1042.20
4	2014-15	600.00	40.51	-	-	640.51
5	2015-16	827.00	40.00	577.00	-	1444.00
6	2016-17	323.27	39.49	300.00	671.00	1333.76
7	2017-18	240.00	5.50	660.00	424.00	1329.50
8	2018-19 (Phase-III)	38.13	-	37.78	22.10	98.01
	2018-19(Phase-IV)	50.00	100.00	-	50.00	200.00
9	2019-20*(Phase-	150.005	1123.595	-	50.00	1323.60
कुल		4400.005	1981.095	1574.78	1975.10	9930.98

(*) दिल्ली एमआरटीएस फेज-4 परियोजना के लिए (50,000/- रुपये डीएमआरटीएस फेज-2 प्रोजेक्ट के लिए बैलेंस इक्विटी के रूप में शामिल)

- दिल्ली के अंदर फेज-3 की अनुमानित लागत 39784.56 करोड़ रुपये है, जिसमें रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार का हिस्सा 8407.38 करोड़ रुपये है। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से की पूरी राशि डीएमआरसी को 31 मार्च 2019 तक डीएमआरटीएस फेज-3 के लिए जारी कर दी है।
- एमआरटीएस फेज-4 : डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके भारत सरकार तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को स्वीकृति के लिए सौंप दी है। इस प्रोजेक्ट में 6 कॉरीडोर हैं। इनका ब्यौरा विवरणी 12.7 में दिया गया है।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज-4 परियोजना के सभी 6 कॉरीडोर और 334 डिब्बों की मंजूरी मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 2666 दिनांक 19.12.2018 द्वारा दे दी है। परियोजना की लागत 46845 करोड़ रुपये होगी, जिसमें दिल्ली सरकार का हिस्सा 9707.50 करोड़ रुपये होगा। भारत सरकार ने 24948.65 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो फेज-4 प्रोजेक्ट के 3 प्राथमिकता कॉरीडोर और 244 डिब्बों की मंजूरी दिनांक 04.07.2019 के आदेश द्वारा दे दी थी। इसमें दिल्ली सरकार का हिस्सा 5886.95 करोड़ रुपये था।

विवरण 12.7
एमआरटीएस फेज-4*

क्र सं	कॉरीडोर	लंबाई (किमी)	स्टेशनों की संख्या #
i	मुकुंदपुर-बुराड़ी-मौजपुर	12.55	08
ii	आर.के.आश्रम-जनकपुरी (पश्चिम)	28.92	22
iii	ऐरोसिटी-साकेत-तुगलकाबाद	23.62 #	15
iv	इंदरलोक- दिल्ली गेट-इंद्रप्रस्थ	12.58	10
v	लाजपत नगर-चिराग	7.96	07
vi	रिठाला-बेवाना-नरेला	21.72	16
	कुल	107.27	78

*क्र सं (i), (ii), (iii) के प्राथमिकता कॉरीडोर को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। शेष तीन कॉरीडोर रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार और भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

#री-अलाइंड लंबाई

औसत दैनिक यात्रियों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा विवरण 12.8 में दिया गया है।

विवरण 12.8
यात्रियों की औसत दैनिक संख्या और डिब्बों की संख्या

वर्ष	यात्रियों की संख्या	संचालनगत रूट (किमी)	डिब्बों की संख्या
2007-08	625,000	65.10	280
2008-09	722,000	74.55	280
2009-10	919,000	95.79	376
2010-11	1259,000	161.45	844
2011-12	1660,000	167.33	1022
2012-13	1926,000	167.33	1094
2013-14	2190,000	167.33	1282
2014-15	2386,000	170.56	1306
2015-16	2600,000	189.747	1392
2016-17	2761,342*	194.844	1426
2017-18	2537,175*	228.78	1818
2018-19	2597,000*	320.968*	2140*
2019-20	50,64,761***	325.27*	2158*

*एयरपोर्ट लाइन और रेपिड मेट्रो को छोड़कर

***लाइन उपयोग (लाइन उपयोग में एक यात्री द्वारा उपयोग में लाई गई कॉरीडोर की संख्या के संदर्भ में मेट्रो यात्रा की गणना की जाती है)

चार्ट 12.4
यात्रियों की औसत दैनिक संख्या



6.3 दिल्ली परिवहन निगम –डीटीसी बसों का कार्य निष्पादन

दिल्ली परिवहन निगम एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। डीटीसी 448 रुटों और एनसीआर के 7 रुट पर 3762 बसों का परिचालन करती है। डीटीसी दिल्ली से काठमांडू के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का भी परिचालन कर रही है। डीटीसी की बसों में 2019-20 में प्रतिदिन यात्रा करने वालों की औसत संख्या लगभग 33.31 लाख थी। सभी डीटीसी बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। स्वचालित किराया वसूली प्रणाली (एएफसीएस) पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) व्यवस्था भी पूरी तरह लागू कर दी गई है। डीटीसी का कार्य निष्पादन विवरणी 12.9 में दिया गया है और गतिविधिवार डीटीसी की स्थिति विवरण 12.10 में दर्शायी गई है।

विवरण 12.9
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का कार्य निष्पादन

क्र सं	वर्ष	बेड़ों की संख्या में	बेड़ा इस्तेमाल (प्रतिशत में)	वाहन इस्तेमाल (किमी/बस/प्रति दिन)	लोड फैक्टर (प्रतिशत में)	प्रति बस यात्रियों की दैनिक संख्या	प्रतिदिन औसत यात्री (लाख में)
1	2005-06	3469	90.51	226	74.42	973	30.52
2	2006-07	3444	81.47	199	77.18	951	26.77
3	2007-08	3537	82.47	177	87.82	848	24.04
4	2008-09	3804	77.03	171	68.83	772	22.62
5	2009-10	4725	80.99	184	69.84	776	24.16
6	2010-11	6204	75.03	185	71.43	700	30.32
7	2011-12	5892	84.27	199	77.75	863	44.20

क्र सं	वर्ष	बेड़ों की संख्या में	बेड़ा इस्तेमाल (प्रतिशत में)	वाहन इस्तेमाल (किमी/बस/प्रति दिन)	लोड फैक्टर (प्रतिशत में)	प्रति बस यात्रियों की दैनिक संख्या	प्रतिदिन औसत यात्री (लाख में)
8	2012-13	5445	85.77	202	92.90	973	46.77
9	2013-14	5223	85.51	190	86.63	952	43.47
10	2014-15	4712	83.99	188	85.02	930	38.87
11	2015-16	4352	83.63	191	82.00	927	35.37
12	2016-17	4027	85.12	199	81.36	890	31.55
13	2017-18	3951	85.69	191	83.83	878	29.86
14	2018-19	3849	84.62	195	81.34	915	30.15
15	2019-20	3762	85.04	193	86.17	1033	33.31

स्रोत : डीटीसी की संचालनगत सांख्यिकी

विवरण 12.10

दिल्ली परिवहन निगम की गतिविधियां (2016-17 से 2019-20)

क्र सं	विवरण	2017-18				2018-19				2019-20			
		गैर एसी	एसी	स्टैंडर्ड	कुल	गैर एसी	एसी	स्टैंडर्ड	कुल	गैर एसी	एसी	स्टैंडर्ड	कुल
1.	बेड़े में कुल बसें (अंत में)	2506	1275	170	3951	2506	1275	68	3849	2505	1257	-	3762
2.	बसें प्रचालन में (प्रतिदिन औसत)	2232	1078	92	3402	2197	1071	27	3295	2149	1073	-	3222
3.	यात्री (करोड़ में)	84.86	21.77	2.35	108.98	84.96	24.35	0.74	110.15	85.66	36.16	-	121.82
4.	प्रतिदिन औसत यात्री (लाख में)	23.25	5.97	0.64	29.86	23.28	6.67	0.20	30.15	23.40	9.88	-	33.29
5.	परिचालित किलोमीटर (करोड़ में)	15.78	7.41	0.54	23.73	15.68	7.57	0.15	23.40	14.96	7.76	-	22.72
6.	प्रतिदिन औसत किलोमीटर परिचालित (लाख में)	4.32	2.03	0.15	6.50	4.30	2.07	0.04	6.41	4.09	2.12	-	6.21
7.	प्रति 10000 बसों पर ब्रेकडाउन	713	923	730	780	710	898	735	781	806	1029	-	880
8.	दुर्घटनाएं	75	43	3	121	79	45	1	125	83	35	-	118
9.	अंतर्राज्यीय रूट बस सेवा	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	7
10.	डीटीसी वर्कशाप	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2
11.	डीटीसी डिपो	-	-	-	39	-	-	-	39	-	-	-	35

सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों के किराए में विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानियों इत्यादि को विभिन्न रियायतें उपलब्ध करा रही है। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार दिल्ली परिवहन निगम को रियायती राशि का पुनर्भुगतान कर देती है। सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान रियायती पासों के बदले 90.68 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है।

6.4 क्लस्टर बसों का कार्य निष्पादन

क्लस्टर बसें : रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने ब्लू लाइन प्राइवेट स्टेज कैरिज सिस्टम को प्रतिस्थापित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर प्राइवेट स्टेज कैरिज सर्विस के निगमीकरण के लिए 2011-12 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत दिल्ली की 657 बस रुटों को 17 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। वर्तमान में रा.रा.क्षे दिल्ली में 14 समूहों के तहत 2910 क्लस्टर बसें परिचालन में हैं। स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली (एएफसीएस) पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन क्लस्टर बसों में पूरी तरह क्रियान्वित की गई हैं। इसके अलावा सभी क्लस्टर बसों में डिजिटल लेनदेन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों में किराए के लिए साझा मोबिलिटी कार्ड सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। क्लस्टर बसों के कार्य निष्पादन से संबंधित डेटा नीचे दिया गया है :

विवरण 12.11
क्लस्टर बसों का कार्य निष्पादन

क्र सं	वर्ष	बेड़ा (संख्या)	बेड़ा उपयोग (प्रतिशत में)	वाहन उपयोग (किमी प्रति बस प्रतिदिन)	लोड फैक्टर (प्रतिशत में)	प्रतिदिन प्रति बस यात्रियों की संख्या	प्रतिदिन औसत यात्रियों की संख्या (लाख में)
1.	2013-14	1090	93.49	218.43	81	950	6.36
2.	2014-15	1402	97.30	217.61	78	899	9.95
3.	2015-16	1490	98.84	214.52	74	831	10.61
4.	2016-17	1651	98.10	210.02	78	755	10.25
5.	2017-18	1744	97.16	205.15	81	753	11.65
6.	2018-19	1803	98.66	211.02	88	760	12.24
7.	2019-20	2910	96.48	202.10	89	841	17.71

*लोड फैक्टर की गणना केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) के फार्मूले पर की जाती है।

स्रोत : डीआईएमटीएस लिमिटेड

7. सड़क सुरक्षा उपाय

7.1 दिल्ली सड़क सुरक्षा नीति

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सड़क सुरक्षा और अन्य उपायों के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा अभियान जैसी विभिन्न पहल कर रही है।

- **राज्य सड़क सुरक्षा परिषद** : दिल्ली राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन वर्ष 2005 में आयुक्त (परिवहन) की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन, सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के निर्देशों पर रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने 7 जुलाई 2017 को माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया है। इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों, बिना मोटर वाले वाहन और सड़क का उपयोग करने वालों की सुरक्षा तथा तकनीकी मानकों पर इंजीनियरिंग और रि-इंजीनियरिंग, मरम्मत इत्यादि कार्यों की रूपरेखा तय करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने की राजनीतिक प्रतिबद्धता लाना है।
- **जिला सड़क सुरक्षा समितियां** : रा.रा.क्षे. दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों में दिनांक 17.06.2014 की अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियां भी गठित की गई हैं। सभी संबंधित जिलों के पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त (यातायात), अधीक्षण अभियंता (पीडब्ल्यूडी) अधीक्षण अभियंता (एमसीडी/एनडीएमसी), अधीक्षण अभियंता (डीडीए), अपर सीडीएमओ (स्वास्थ्य), उप निदेशक (शिक्षा), और मोटर वाहन लाइसेंसिंग अधिकारी (परिवहन) इस समिति के सदस्य हैं। सभी संबंधित जिलों के अपर जिला मजिस्ट्रेट समिति के संयोजक/सदस्य हैं। जिला सड़क सुरक्षा समितियां जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा उपायों से संबंधित गतिविधियां चला रही हैं।
- **सड़क सुरक्षा नीति** : दिल्ली सड़क सुरक्षा नीति 13 जुलाई 2018 को अधिसूचित की गई है। इस नीति का उद्देश्य पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रा.रा.क्षे दिल्ली में सड़क का उपयोग करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि दीर्घावधि में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या शून्य तक लाई जा सके। सड़क सुरक्षा नीति में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता का प्रसार, संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, सड़क सुरक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना, सुरक्षित सड़क अवसंरचना, सड़कों की योजना और डिजाइन, अधिक सुरक्षित मोटर वाहन, कुशल वाहन चालक, सड़क का उपयोग करने वाले संवेदनशील लोगों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा शिक्षण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- 2020-25 के लिए वैश्विक सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट की ब्लूमबर्ग पहल के अगले चरण में भागीदारी के लिए विश्व संसाधन संस्थान के साथ समन्वय से महत्वपूर्ण रणनीतियों के लिए एक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे लक्षित तकनीकी सहयोग, संबंधित एजेंसियों से कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और सड़क का उपयोग करने वालों के व्यवहार के बारे में समय समय पर किए जाने वाले सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रतिभागी शहरों को मिल सकेगी।

7.2 सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना :

लोक निर्माण विभाग ने सुरक्षा और निगरानी के लिए चिह्नित जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू किया है। दिनांक 08.08.2019 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 2731 के द्वारा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की संख्या 2000 से बढ़ा कर 4000 किए जाने को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में 2.80 लाख कैमरों (प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 4000) की आपूर्ति, लगाए जाने, परीक्षण और शुरू किए जाने का काम प्रगति पर है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम के पहले चरण में चयनित जगहों पर दिसंबर 2020 तक लगभग 1,31,000 कैमरे लगाए गए हैं। शेष सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम प्रगति पर है।

7.3 अधेरे स्थलों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था :

दिल्ली को विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में नई एलईडी लाइट लगाई हैं। दिल्ली नगर निगमों में पीडब्ल्यूडी द्वारा यह कार्य संपादित किया जा रहा है। एलईटी लाइट के रख-रखाव का काम एमसीडी को सौंपा गया है। इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 2.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

7.4 डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना :

डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित कर दी गई है। इनमें 100 बसें सरोजिनी नगर डिपो की हैं और अन्य 100 बसें राजघाट डिपो-1 की हैं। सरकार ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और स्वचालित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लगाने के लिए मैसर्स टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के साथ 3.01.2020 को मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। डीटीसी की बसों में कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा क्लस्टर योजना और डीटीसी के बेड़े में शामिल की जाने वाली नई बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। क्लस्टर योजना में 31.10.2020 तक 1160 नई बसें शामिल की गई हैं।

डीटीसी की रात्रि बस सेवा (रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक) : महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीटीसी अपने बस चालक और अन्य कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर विशेष कार्यक्रम चला रहा है। रात्रि सेवा के 88 बसें 27 रूटों पर चलाई जाती हैं। 30 लेडीज स्पेशल बसें 30 रूटों पर व्यस्त समय में चलाई जा रही हैं। सभी बसों में 25 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं (जैसे लो-फ्लोर बसों में 10 सीट और स्टैंडर्ड फ्लोर बसों में 12 सीट) वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 का तुलनात्मक ब्यौरा विवरण 12.12 में दिया गया है।

विवरण 12.12

डीटीसी बसों की कार्य कुशलता

विवरण	2018-19	2019-20
रात्रि सेवा बसों की संख्या	88	88
रात्रि सेवा रूटों की संख्या	27	27
सिविल डिफेंस मार्शलों और होमगार्डों की संख्या	3041	7835
लेडीज स्पेशल बसों की संख्या	30	30
लेडीज के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत	25	25

7.5 बसों में मार्शल की तैनाती :

रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने 29.10.2019 से सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में दोनों पारियों में मार्शल तैनात करने का फैसला किया है। 19.11.2020 तक डीटीसी बसों में 8111 मार्शल और क्लस्टर बसों में 2809 मार्शल की तैनाती महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई।

8. चालू योजनाएं और नई पहल :

8.1 विद्युत वाहन नीति :

पुराने वाहनों को हटाने और बिजली चालित वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “दिल्ली विद्युत वाहन नीति” को मंजूरी दी गई है। दिल्ली विद्युत वाहन नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम कर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। इसके लिए इस नीति के तहत बैटरी चालित विद्युत वाहन (बीईवी) अपनाने को तेजी से बढ़ावा दिया जाना है ताकि 2024 तक नए वाहनों के पंजीकरण में उनका योगदान 25 प्रतिशत का हो। इस नीति का उद्देश्य विद्युत वाहन चालन, विक्रय, वित्त उपलब्ध कराने, सर्विसिंग और चार्जिंग में रोजगार के अवसर सृजित करना है। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार विद्युत वाहनों को अपनाने से होने वाले लाभों और इस नीति के मुख्य घटकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गहन संपर्क योजना भी विकसित करेगी।

8.2 विद्युत वाहन कोष :

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए बिजली वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। डीजल की बिक्री पर 25 पैसे प्रति लीटर की दर से प्रदूषण उपकर रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही लागू कर दिया गया है। इससे प्राप्त राशि पर्यावरण विभाग के तहत वायु गुणवत्ता कोष में दी जाएगी। इस नीति के जारी होने की तिथि से वायु गुणवत्ता कोष में संग्रहीत 50 प्रतिशत राशि राज्य विद्युत वाहन कोष में मासिक आधार पर स्थानांतरित कर दी जाएगी। वायु गुणवत्ता कोष में 50 प्रतिशत की शेष राशि भी राज्य विद्युत वाहन कोष में दे दी जाएगी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भविष्य में सभी आईसीई वाहन उपयोग करने वालों पर प्रदूषण उपकर लगाएगी। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार में विद्युत वाहन कोष के लिए अलग से बजट मद की व्यवस्था की गई है और बजट अनुमान 2020-21 में इस मद के तहत 50 करोड़ रुपये रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

8.3 विद्युत बसें :

राष्ट्रीय विद्युत मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है, जो विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाने और देश में उनके विनिर्माण की रूपरेखा उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में विद्युत वाहन के तेजी से अपनाए जाने और विनिर्माण की एक स्कीम – (फेम इंडिया) वर्ष 2015 में तैयार की थी ताकि विद्युत और हाईब्रिड वाहन तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके और इनका सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूरी तरह से विद्युत चालित बसें चलाने का फैसला किया है, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी कम किया जा सकेगा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत डीटीसी को संचालनगत लागत मॉडल पर 300 विद्युत चालित वाहन चलाने के लिए वित्तीय सहयोग देने के वास्ते सक्षम प्राधिकरण की अनुमति उपलब्ध कराई है। पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मजबूत करने के लिए 1000 पूरी तरह बिजली चालित क्लस्टर बसों के प्रस्ताव पर काम चल रहा है।

8.4 महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा 29 अक्टूबर 2019 से दी जा रही है। एसी और नोन एसी बसों में 10 रुपये मूल्य का एकल यात्रा पास मौजूदा समय में गुलाबी रंग के टिकट के रूप में जारी किया जा रहा है। डीटीसी इन पासों को प्रिंट करवा रही है और क्लस्टर बसों के लिए डीआईएमटीएस को दे रही है। डीटीसी और डीआईएमटीएस दोनों इन टिकटों का समुचित हिसाब रख रहे हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान महिला यात्रियों ने डीटीसी 10.58 करोड़ वार निशुल्क यात्रा और क्लस्टर बसों में 8.74 करोड़ वार निशुल्क यात्रा की, जिसके लिए डीटीसी को 70.17 करोड़ रुपये और क्लस्टर बसों को 44.53 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए गए। डीटीसी को सब्सिडी के रूप में 312.00 करोड़ रुपये और क्लस्टर बसों को 120.00 करोड़ रुपये का प्रावधान वित्त वर्ष 2020-21 में महिलाओं की निशुल्क यात्रा के लिए रखा गया है।

8.5 पारा ट्रांजिट सार्वजनिक सेवा वाहन के सार्वजनिक सेवा बैज (ड्राइवर) धारकों और परमिट धारकों को वित्तीय सहायता :

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा कोविड 19 का फैलाव रोकने के प्रभावी उपाय के तौर पर सभी यात्री परिवहन सेवाओं को बंद कर दिया था। शुरू में पाबंदी 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन की अवधि के लिए लागू थी। दिल्ली में सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों का परिचालन उस तिथि के बाद से बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सार्वजनिक सेवा वाहनों जैसे आटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, पर्यावरण अनुकूल सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब के मालिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ा क्योंकि अनेक मामलों में, इन वाहनों का परिचालन ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5000 रुपये की एक बार सहायता पैरा ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बैज धारकों (वाहन चालकों) तथा 23 मार्च 2020 को वैध वाहन चालन लाइसेंस रखने वालों को (आटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, पर्यावरण अनुकूल सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब) को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता एक फरवरी 2020 को या इसके बाद समाप्त हो गई थी वे भी इस निर्णय के तहत सहायता पाने के पात्र माने गए।

8.6 सीएनजी से चलने वाली लो-फ्लोर की 1000 एसी बसों की खरीद :

दिल्ली सरकार ने डीटीसी के लिए सीएनजी से चलने वाली 1000 लो-फ्लोर एसी बसें खरीदने का फैसला किया है। ये नई सीएनजी बसें, यात्रियों के लिए वास्तविक समय सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, जीपीएस और दिव्यांग यात्रियों के अनुकूल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी।

जल आपूर्ति एवं सीवरेज

सरकार को अपने नागरिकों का स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए साफ, पर्याप्त और सुलभ पीने योग्य पानी और साफ-सफाई की स्वास्थ्यकर परिस्थितियों जैसी बुनियादी जन-सेवाओं की व्यवस्था करनी होती है। सरकार सभी घरों को चौबीसों घंटे स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा अवजल और ठोस कचरे तथा सभी औद्योगिक निस्सरण के उपचार के लगातार प्रयास करती रही है। सतत विकास लक्ष्य -6 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य “सबके लिए जल की उपलब्धता और स्वच्छता प्रबंध” है।

2. दिल्ली सरकार ने मीटर युक्त जल प्रबंध वाले सभी घरों को 20 किलोलीटर तक पानी निःशुल्क देना सुनिश्चित किया है। यह स्कीम शुरू होने के बाद से लगभग 6 लाख उपभोक्ता इससे लाभान्वित हुए हैं। हाल में सरकार ने शहर और यमुना को साफ रखने के लिए अनधिकृत कालोनियों के अनिच्छुक निवासियों के घरों में सीवर लाइन के लिए सीमित अवधि तक निःशुल्क कनेक्शन देना शुरू किया है। सीवर कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक विकास शुल्क हटाने से अधिक से अधिक परिवार अब सीवर कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
3. जल और स्वच्छता क्षेत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राथमिकता दिल्ली से बाहर के स्रोतों से जलापूर्ति बढ़ाना है, इन उपायों में हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तराखंड में किशाऊ बांध और लखवार व्यासी बांध से और यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों से भूमिगत जल लेकर तालाबों को भरने तथा पानी के पुनःचक्रण, जल संचयन, पानी की बरबादी रोक कर, समुचित जल लेखांकन, पानी के मीटर लगाने सहित उपायों के माध्यम से आंतरिक स्रोतों को मजबूत करना आदि शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अब तक पानी की व्यवस्था नहीं होने और अपर्याप्त व्यवस्था हो पाने वाले क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना। सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में नियमित पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है और दिल्ली की 1571 अनधिकृत कालोनियों को इस दायरे में लिया है, यह संख्या ऐसी कुल कालोनियों का लगभग 87 प्रतिशत है। बहुत जल्दी ही बाकी अनधिकृत कालोनियां भी पर्याप्त जलापूर्ति व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगी।
4. इन सबके बावजूद जल और स्वच्छता क्षेत्र में अभी भी ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जैसे अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल का स्तर कम होना, कुछ स्थानों पर अत्यधिक फ्लोराइड और क्षारीयता, जलापूर्ति में वितरण के दौरान होने वाला नुकसान, जो लगभग 40 प्रतिशत (गैर-राजस्व जल) है; वर्षा जल संचयन को बड़े पैमाने पर लागू करना; अपर्याप्त मल-जल उपचार क्षमता; पंपिंग स्टेशन तक मल-जल कचरे का असमान प्रवाह; नई बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता; मल-जल पाइप का पेयजल पाइप से मिल जाना इत्यादि।
5. दिल्ली अपने निवासियों की करीब 90 प्रतिशत पेयजल की मांग पूरी करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। यह शहर अर्ध-शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के कारण काफी हद तक अपने स्वयं के आंतरिक जलभर और भूजल संसाधनों के अतिरिक्त गंगा बेसिन, यमुना उप-थाले और सिंधु-बेसिन से कच्चे पानी पर निर्भर है। वितरण से पहले पानी को उपचारित किया जाता है। फिर तरल और ठोस अपशिष्ट दोनों बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। सभी तरल और ठोस अपशिष्टों को उपचारित करने की अपेक्षा की जाती है और फिर उनका निपटान या पुनःचक्रण किया जाता है। दिल्ली दोनों प्रकार के अपशिष्टों का उपचार

और पुनःचक्रण एक सीमित क्षमता में करती है और कुछ का प्रवाह अन्य राज्यों में कर दिया जाता है। उचित सीमा से परे शहर का बढ़ना पानी और स्वच्छता जैसे दो सर्वाधिक बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए असहनीय दबाव डालता है।

6. दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी कार्य और निगरानी प्रणाली तथा जल और मल-जल प्रबंधन में सुधार किया है। कुशल प्रशासन के सकारात्मक परिणामों के रूप में राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। दिल्ली जल बोर्ड ने बिल जारी करने, ऑनलाइन भुगतान करने और भारी बिलों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था के लिए “सेवा-ऐप” की शुरुआत की है ताकि उपभोक्ताओं को कुशल और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराई जा सके और दिल्ली के नागरिकों में अधिक से अधिक भरोसा बहाल किया जा सके। दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व में वृद्धि का मुख्य श्रेय इन मदों को जाता है। सशुल्क पानी के मूल्य में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, पानी कनेक्शन/मीटर की संख्या में वृद्धि, पिछले बकाया के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को दी गयी एक बार की सुविधा और कई स्थानों पर पानी का रिसाव बंद किया जाना शामिल हैं। इसके अलावा भी बोर्ड ने अपना राजस्व बढ़ाने के कई कदम उठाए जैसे पानी के टैंकरों पर विज्ञापन दिए गए, अपनी परिसंपत्तियों को किराये पर दिया, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया गया और वाटर एटीएम/“टॉयलेट टू टैप” तथा पानी के टैंकरों की जीपीएस के जरिए निगरानी जैसी नयी और अभिनव शुरुआत हुई।
7. दिल्ली के करीब 93 प्रतिशत घरों को अब पाइप के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। गर्मी के मौसम में जल उत्पादन निरंतर 935 एमजीडी बनाए रखा जा रहा है। दिल्ली की करीब 2 करोड़ आबादी को जलापूर्ति नेटवर्क के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें 14 हजार 935 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें और 117 से अधिक भूमिगत जलाशय शामिल हैं। शहर में वाटर टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की प्रणाली में सुधार के लिए 407 नए वाटर टैंकर लगाए गए हैं जिनके कंटेनर स्टेनलेस स्टील के हैं और उनमें जीपीएस प्रणाली की व्यवस्था है। पानी की किल्लत वाले इलाकों में सप्लाई में और सुधार के लिए किराये पर लिए गये 450 एम.एस.टैंकरों के अलावा 250 नये खरीदे गये एसएस टैंकरों का भी पहले से मौजूद संसाधनों में उपयोग किया जा रहा है।

8. पानी की आवश्यकता

- 8.1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 60 गैलन पानी उपलब्ध कराने के मानदंड के आधार पर मार्च 2021 में रा.रा.क्षे. दिल्ली में जल की कुल आवश्यकता 2 करोड़ 30 लाख की आबादी के लिए 1380 एमजीडी हो जाएगी। विभिन्न इस्तेमाल के लिए प्रति व्यक्ति जल आवश्यकता मानदंड नीचे विवरण 13.1 में दिया गया हैं।

विवरण 13.1
जल आवश्यकता विवरण-दिल्ली जल बोर्ड

क्र सं	विवरण	पानी की आवश्यकता
1	घरेलू	172 एलपीसीडी
2	औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामुदायिक आवश्यकता, 45000 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति दिन पर आधारित	47 एलपीसीडी
3	अग्नि सुरक्षा, कुल मांग के 1 प्रतिशत पर आधारित	3 एलपीसीडी
4	बढ़ती जनसंख्या और होटल तथा दूतावासों जैसे विशेष उपयोग में	52 एलपीसीडी
	कुल	274 एलपीसीडी (60 जीपीसीडी)

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड

- 8.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 के प्रारूप में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 80 गैलन की जल आवश्यकता (जीपीसीडी) के मानदंड का प्रस्ताव किया है, जिसमें से 50 जीपीसीडी घरेलू उपयोग के लिए और 30 जीपीसीडी गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए होगा। घरेलू उपयोग के लिए 50 जीपीसीडी जल की आवश्यकता में से 30 जीपीसीडी पेयजल और 20 जीपीसीडी इतर प्रयोजनों के लिए है।
- 8.3 2021 तक 60 जीपीसीडी के नियमों के आधार पर दिल्ली में डीडीए मास्टर प्लान 2021 के अनुसार लगभग 2 करोड़ 30 लाख की आबादी की जरूरतों के लिए पानी की कुल अनुमानित आवश्यकता करीब 1380 एमजीडी होगी।

9. जलापूर्ति क्षमता

विवरण 13.2

जल शोधन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता : 2009-2020

(31 मार्च 2020 को)

क्र.स.	संयंत्र का नाम	क्षमता (एमजीडी)											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	चंद्रावल जल संयंत्र संख्या 1 और 2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2	वजीराबाद 1, 2 और 3	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
3	हैदरपुर	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	उत्तरी शाहदरा (भागीरथी)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	बवाना	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	नांगलोई	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
7	सोनिया विहार	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
8	बरसाती कूप और ट्यूबवेल	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	85	90
9	भागीरथी, हैदरपुर और वजीराबाद में जल का पुनः चक्रण	--	37	37	37	45	45	45	45	45	45	45	45
10	राष्ट्रमंडल खेल गांव	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ओखला	--	--	--	--	--	20	20	20	20	20	20	20
12	द्वारका	--	--	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50
	कुल	810	847	848	848	836	906	906	906	906	906	911	916

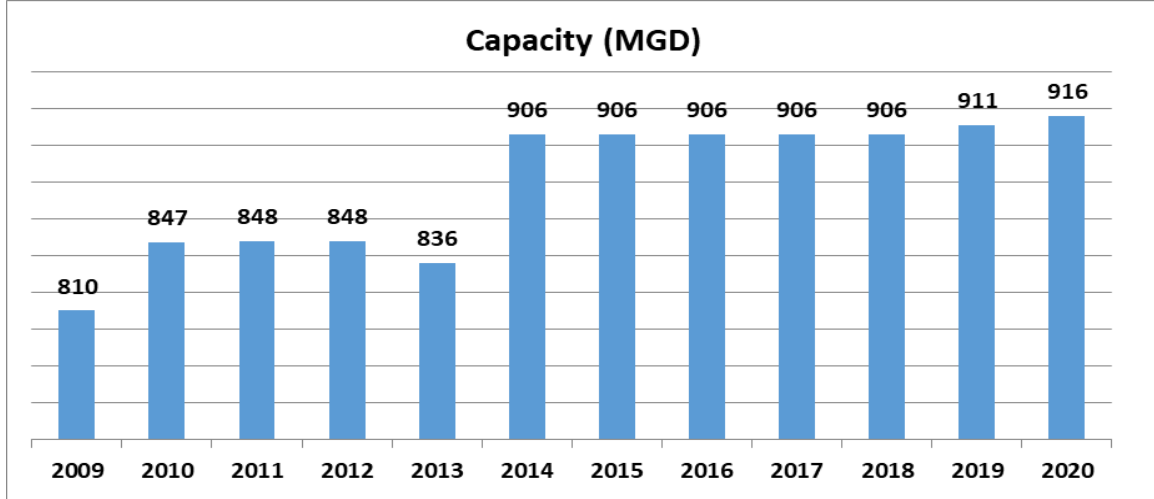
स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड

- 9.1 दिल्ली में 2009-20 के दौरान जल शोधन की संस्थापित क्षमता चार्ट 13.1 में प्रदर्शित की गई है। बोर्ड की संस्थापित क्षमता में पिछले 10 वर्षों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2009 में यह क्षमता 810 एमजीडी थी जो 2019 में बढ़कर 911 एमजीडी हो गयी। वर्ष 2020 में यह और बढ़ कर 916 एमजीडी हो गई है।

चार्ट 13.1

दिल्ली के जल उपचार संयंत्रों की संस्थापित क्षमता : 2009–2020

(एमजीडी)



9.2 दो नये जल शोधन संयंत्र द्वारका (50 एमजीडी) और ओखला में (20 एमजीडी) लगाए गए हैं। इन दो संयंत्रों के लिए कच्चा पानी मुनक से हैदरपुर तक पक्की समानांतर नहर से मिल रहा है। इसके अतिरिक्त बवाना जल शोधन संयंत्र (20 एमजीडी) तैयार हो चुका है और चालू हो गया है।

10. जल खपत

वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को जल बोर्ड द्वारा की गई जलापूर्ति और वसूल किए गए शुल्क की जानकारी नीचे विवरण-13.3 में दी गई है।

विवरण 13.3

श्रेणी वार जल कनेक्शन, बिक्री और बिक्री प्रतिशत

क्र.स.	श्रेणी	कनेक्शन (लाख में)		बिक्री (एमजीडी)		बिक्री प्रतिशत	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1.	घरेलू (सक्रिय)	22.68	22.84	450.97	492.76	93.50	93.88
2.	वाणिज्यिक और संस्थागत (सक्रिय)	0.80	0.81				
3	एनडीएमसी और एमईएस को आपूर्ति (सक्रिय)	02+02=04 (थोक कनेक्शन)	-	31.35	32.15	6.50	6.12
	कुल	23.48	23.65	482.32	524.91	100.00	100

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड

11. जल आपूर्ति संसाधन

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कच्चे पानी की उपलब्धता के साथ साथ औसत पेयजल उत्पादन 935 एमजीडी है : (1) यमुना और रावी-ब्यास जल (389+221 610 एमजीडी), गंगा जल (253 एमजीडी) और भूजल

(90 एमजीडी)। यमुना और रावी-ब्यास का जल कैरियर लाइन्ड चैनल (सीएलसी)/मुनक नहर के माध्यम से दिल्ली में लाने की कुशल प्रबंध प्रणाली के कारण जल-बोर्ड ने द्वारका, ओखला और बवाना में जल उपचार संयंत्र लगाए हैं। कच्चा पानी संसाधनों को विवरण 13.4 में दर्शाया गया है।

विवरण 13.4 दिल्ली जल बोर्ड के जल संसाधन

क्र.स	क्षेत्र	मात्रा (एमजीडी)
1	यमुना नहर	389
2	गंगा नहर	253
3	भांखड़ा भंडारण से रावी-ब्यास जल	221
4.	बरसाती कुएं/ट्यूबवेल से भूजल	90
	कुल जोड़	953

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड

12. भू जल

- 12.1 पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित भू-सतह जल संसाधन और वजीराबाद में कच्चे पानी के स्रोतों में लगातार प्रदूषण के कारण भूजल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ गई है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए नए ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई गई ताकि स्वीकृत सीमा में पेयजल की उपलब्धता भूजल को सतह जल से मिला कर पूरी की जा सके। हालांकि भूजल की गुणवत्ता में लगातार कमी देखी जा रही है। इस कमी को रोकने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओए/496/2016 के आदेश के अनुसार गठित निगरानी समिति के सुझावों के अनुरूप प्रयास संबंधित प्रभागों द्वारा किए जा रहे हैं। इन सुझावों में जल निकायों को फिर से सक्रिय करना और गैर कानूनी बोरवेल को सील करने जैसे उपाय शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड का गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग नियमित रूप से भूमिगत जल गुणवत्ता की निगरानी करता है ताकि पेयजल के उपयोग के लिए इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- 12.2 आंतरिक परीक्षण के अलावा दिल्ली जल बोर्ड ने वार्षिक आधार पर पानी की गुणवत्ता की पुष्टि तीसरे पक्ष की एजेंसी जैसे नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी करवाई है।
- 12.3 दिल्ली जल बोर्ड के पल्ला में 126 ट्यूबवेल और अन्य स्थानों पर 4204 ट्यूबवेल और 12 बरसाती कुएं कार्य कर रहे हैं। वजीराबाद बैराज से नीचे के बाढ़ क्षेत्र और नजफगढ़ झील के आस-पास के इलाकों में सतत आधार पर जल निकासी की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में परित्यक्त भाटी खदान क्षेत्र और नहर प्रणाली के जरिए भूमिगत जल पुनर्भरण के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं।
- 12.4 दिल्ली जल बोर्ड ने भूजल संसाधनों में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से 155 जल निकायों के पुनरुद्धार और जल निकाय सृजन के लिए कार्य योजना तैयार की है। तिमारपुर अक्सीडेशन पॉड, द्वारका, पप्पनकलां, रोहिणी, निलोटी, सतपुला झील के पुनरुद्धार और डीडिए के

स्वामित्व वाले ऐश पोंड की परित्यक्त जमीन पर झील का निर्माण, रोशनआरा झील के पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है।

- 12.5 दिल्ली जल बोर्ड ने 24.12.2018 को हुई अपनी बैठक में 155 जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 376.79 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है। दिल्ली में जल निकायों के पुरुद्धार के लिए सीएसआईआर नीरी-नागपुर (वैज्ञानिक और अद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान-नागपुर) को 83 जल निकायों से संबंधित परामर्श कार्य सौंपा गया है।
- 12.6 दिल्ली जल बोर्ड ने राजस्व विभाग/अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाले 155 जल निकायों के पुरुद्धार का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। इस प्रतिष्ठित योजना का उद्देश्य मौजूदा जल निकायों को साफ स्वच्छ बनाना, इनकी पारिस्थितिकीय गुणवत्ता बहाल करना और दीर्घावधि तक सुचारु प्रबंध व्यवस्था लागू करना है।
- 12.7 प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। 155 जल निकायों के पुरुद्धार के लिए 376.79 करोड़ रुपये की योजना को दिल्ली जल बोर्ड ने 24.12.2018 को हुई अपनी बैठक में मंजूरी दे दी है। 83 जल निकायों से संबंधित परामर्श का कार्य सीएसआईआर नीरी-नागपुर (वैज्ञानिक और अद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान-नागपुर) को सौंपा गया है।
- 12.8 इन 83 जल निकायों में से 81 की डीपीआर प्राप्त हो गई है, जिसे जल निकाय के स्वरूप और स्थिति के आधार पर कई चरणों में बांटा गया है। 50 जल निकायों के पुनरुद्धार का कार्य चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 तक जल निकायों के पुरुद्धार का काम चरणबद्ध ढंग से पूरा हो जाने की संभावना है।

13. मुनक से हैदरपुर तक समानांतर नहर

यमुना नदी और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से जल-आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था में ताजेवाला हैडवर्क्स से छोड़े गए पानी का 30-50 प्रतिशत नहर से रिसाव की वजह से रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए हरियाणा ने दिल्ली सरकार के लिए मुनक से हैदरपुर तक एक पक्की समानांतर नहर का निर्माण किया है। इस केन्द्रीय संपर्क नहर के चालू हो जाने से मुनक से छोड़े गए मौजूदा पानी से दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ी है और द्वारका (50 एमजीडी) तथा बवाना (20 एमजीडी) और ओखला (20 एमजीडी) के जल शोधन संयंत्र चालू हो गये हैं।

13.1 जलाशय

यमुना नदी और इसकी शाखाओं पर रेणुकाजी, किशारु और लखवार व्यासी बांध परियोजनाएं निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया गया है। 12 मई 1994 में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार यमुना जल में प्रत्येक राज्य को अंतरिम मौसमी आवंटन का ब्यौरा विवरण संख्या 13.5 में दिया गया है। भंडारण का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यमुना जल का मौसमी आवंटन अपर यमुना बोर्ड द्वारा संशोधित किया जाएगा और दिल्ली को 12 मई 1994 को हुए समझौते

और इन राष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में अंतराज्यीय समझौतों के अनुसार भंडारण से यमुना जल का अपना हिस्सा मिलेगा।

- 13.2 रेणुकाजी और लखवार बांधों के बारे में अंतराज्यीय समझौतों पर क्रमशः 28.08.2018 और 11.01.2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली ने माननीय मुख्यमंत्री की ओर से दिनांक 24.10.2017 और 21.06.2018 के पत्रों के द्वारा किशाऊ बांध परियोजना के लिए अंतराज्यीय समझौते पर अपनी सहमति प्रेषित कर दी है। ऊपरी यमुना थाले में लखवार, किशाऊ और रेणुकाजी-3 भंडारण परियोजनाओं के निर्माण से पहले और बाद में हथिनी कुंड बैराज में जल उपलब्धता अध्ययन का जिम्मा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की को 07.06.2019 को सौंपा गया है।

विवरण 13.5

यमुना नदी से राज्यों को अनुमोदित अंतरिम जल आवंटन

क्र स	राज्य	आवंटन (बीसीएम)			कुल (बीसीएम)
		जुलाई से अक्टूबर	नवंबर से फरवरी	मार्च से जून	
1	हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
2	उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
3	राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
4	हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
5	दिल्ली	0.580	0.068	0.076	0.724

स्रोत : 12 मई 1994 का समझौता ज्ञापन

नोट :- बीसीएम – बिलियन क्यूबिक मीटर।

13.3 रेणुकाजी बांध परियोजना

- हिमाचल प्रदेश बिजली निगम लिमिटेड (एचटीपीसीएल) यह परियोजना लागू कर रहा है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ददाहू में गिरि नदी (यमुना नदी की एक शाखा) पर 148 मीटर ऊंची चट्टान पर बांध और बांध की तलहटी में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के बिजली घर का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस परियोजना से इसके जलाशय में 49800 हेक्टेयर मीटर (0.498 बीसीएम) पानी का भंडारण होगा।
- इस परियोजना पर अंतराज्यीय समझौते में ये बातें शामिल हैं :
 - रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने परियोजना के लिए बिजली लागत का 90 प्रतिशत वहन करने पर सहमति व्यक्त की है।
 - पनबिजली के संदर्भ में यदि हिमाचल प्रदेश चाहे तो उत्पादित बिजली और उसकी लागत अन्य लाभार्थी राज्यों से अलग अलग किए गए परस्पर/बहुपक्षीय समझौतों के जरिए साझा कर सकता है।
 - रेणुकाजी बांध परियोजना के तहत भंडारण के निर्माण से उपलब्ध अतिरिक्त जल का नियमन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से उपलब्ध अतिरिक्त जल ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अनुसार दिल्ली को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आवश्यकता पूरी करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था केवल तब तक के लिए होगी, जब तक ऊपरी यमुना संभरण

क्षेत्र में अन्य भंडारण जैसे लखवार और किशाऊ बहु-उद्देशीय परियोजनाएं पूरी नहीं हो जातीं तब तक रेणुकाजी बांध से जल निकासी 12 मई 1994 को राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार यमुना जल के वार्षिक आवंटन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। समझौते के तहत अंतरिम मौसमी आवंटन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा संशोधित किया जाएगा और अनुमोदन के लिए ऊपरी यमुना समीक्षा समिति (यूवाईआरसी) को सौंपा जाएगा।

- केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा 20.02.2019 को अनुमोदित रेणुकाजी बांध परियोजना का संशोधित लागत अनुमान अक्टूबर 2018 के मूल्य स्तर के आधार पर 6946.99 करोड़ रुपये है।
- वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने 15.01.2019 को परियोजना के लिए संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है।
- एचटीपीसीएल ने दिनांक 29.09.2018 के पत्र द्वारा निवेश मंजूरी प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग को सौंपा है और यह अनुमोदन के लिए जल संसाधन मंत्रालय के पास है। सौंपा गया प्रस्ताव नवीनतम लागत के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।
- परियोजना प्रस्ताव सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहु-उद्देशीय परियोजना पर परामर्श समिति के विचार के लिए 6 मार्च 2017 को हुई इसकी 132वीं बैठक में रखा गया था समिति ने कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इन शर्तों में परियोजना के लिए 909.00 हेक्टेयर वन भूमि लिए जाने के लिए अंतिम वन मंजूरी (चरण-2) सौंपा जाना भी शामिल है। यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के लिए टीएसी और निवेश मंजूरी मिल जाने के बाद चरण-2 की वन मंजूरी के लिए आवश्यक निधि भारत सरकार द्वारा मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त कर लेने के बाद पूरक वन्यीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) खाते में जमा कराई जाएगी।
- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अनुसार परियोजना की आरंभिक पूंजी यानी सीड मनी में दिल्ली का आनुपातिक हिस्सा 26.13 करोड़ रुपये था। दिल्ली अब तक एचटीपीसीएल/हिमाचल सरकार को 214 करोड़ 84 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी है।

13.4 लखवार बांध

- यह परियोजना मैसर्स उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा लागू की जा रही है। इसे उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर बनाया जाना है। इस परियोजना से 78.83 एमसीएम पेयजल और उद्योगों के लिए जल मिलेगा।
- इस परियोजना के लिए अंतर्राज्यीय समझौते के अनुसार लखवार परियोजना के क्रियान्वयन से सृजित भंडारण में थाला राज्यों का हिस्सा दिनांक 12 मई 1994 को हुए समझौते में निर्धारित वार्षिक आवंटन के अनुपात में साझा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट अंतरिम मौसमी आवंटन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा संशोधित किया जाएगा और अनुमोदन के लिए ऊपरी यमुना समीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा।
- दिल्ली ने 28.03.2018 तक 15.58 करोड़ रुपये की सीड मनी पर अपने आनुपातिक हिस्से में से 50 प्रतिशत यानी 7 करोड़ 79 लाख रुपये दे दिए हैं।

- परियोजना का प्रमुख कार्य 1987 में शुरू हुआ था और 1992 तक चलता रहा। 1992 तक डैम स्ट्रिपिंग, डायवर्सन टनल, भूमिगत बिजली घर, नियंत्रण कक्ष प्रवेश द्वार और इरेक्शन-बे प्रवेश द्वार, टेल रेस टनल सहित महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।
- परामर्शी समिति ने 11.02.2019 को हुई अपनी 141वीं बैठक में जुलाई 2018 के मूल्य स्तर पर 5747.17 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत स्वीकृत की और इसे 18.02.2019 की पत्र संख्या 16/27/2012- पीए(एन)/583-611 द्वारा प्रेषित किया।
- वित्तीय सहयोग पर आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने 2015 के ओए संख्या 431 के मामले में दिनांक 10.01.2019 के अपने आदेश में निर्दिष्ट किया है कि पर्यावरण आकलन समिति (ईएसी), ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुरूप परियोजना का ताजा आकलन करेगी और जरूरी अतिरिक्त सामान्य और विशिष्ट शर्तें लागू करेगी। ईएसी को इस सिलसिले में कोई भी जरूरी रिपोर्ट मांगने की छूट दी गई। पर्यावरण आकलन समिति से आगे कहा गया था कि वह 15.04.2019 तक अपना आकलन पूरा कर ले, उसे यह भी निर्देश दिया गया था कि परियोजना का पुनः आकलन होने तक यथा स्थिति बनाए रखी जाए। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आवेदन संख्या 155/2019 के जरिए 10 जनवरी 2019 का यथास्थिति आदेश हटाने का अनुरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 20.05.2019 के आदेश में कहा कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश केवल पर्यावरण आकलन समिति द्वारा आकलन पूरा हो जाने तक के लिए है। इसलिए पहले के आदेश में संशोधन का कोई तार्किक कारण नहीं है।
- उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने दिनांक 28.01.2019 और दिनांक 23.04.2019 की पर्यावरण आकलन समिति की 21वीं और 23वीं रिपोर्ट के अनुपालन में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुरूप मॉनसून पूर्व और मॉनसून का आधार डेटा संकलित करने का कार्य 21.06.2019 को शुरू कर दिया है और कार्य प्रगति पर है।
- इन भंडारण परियोजनाओं यानी ऊपरी यमुना थाले में 300 मेगावाट की लखवार एमपीपी, किशाऊ एमपीपीएमडब्ल्यू और रेणुकाजी एमपीपी के निर्माण पूर्व और पश्चात हथिनीकुड बैराज में जल उपलब्धता क्षमता के संबंध में अध्ययन का काम राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की को 7 जून 2019 को सौंपा गया है।

13.5 किशाऊ बांध

- किशाऊ बांध परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में टोंस नदी (यमुना नदी की शाखा) पर भंडारण स्कीम है। इससे 1324 एमसीएम की भंडारण क्षमता उपलब्ध होगी, जिससे 97076 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और 617 एमसीएम पानी पेयजल/औद्योगिक उपयोग के लिए मिलेगा।
- परियोजना की लागत जून 2010 के मूल्य स्तर पर 7193 करोड़ रुपये थी। केंद्रीय जल आयोग ने परियोजना लागत को संशोधित कर मार्च 2018 के मूल्य स्तर पर 11550 करोड़ रुपये कर दिया है।
- संयुक्त उद्यम के जरिए परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर 20.06.2015 को हस्ताक्षर किए गए।

- दिनांक 16.01.2017 को किशाऊ निगम लिमिटेड को दिनांक 20.06.2015 के समझौता ज्ञापन के अनुसार शामिल किया गया।
- मौजूदा परिदृश्य में किशाऊ बांध परियोजना के पूर्व डीपीआर को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। अद्यतन डीपीआर के लिए स्थल सर्वेक्षण, विस्तृत अध्ययन और भू-तकनीकी परीक्षण आवश्यक होगा, जिसके लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से संदर्भ शर्तों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी। परियोजना प्रस्तावक डीपीआर के अद्यतन और संबंधित कार्यों का मुद्दा उठा रहे हैं।
- दिल्ली ने 16.2 करोड़ रुपये की सीड मनी में अपना आनुपातिक हिस्सा 8.1 करोड़ रुपये मार्च 2018 में भुगतान कर दिया है।

- 13.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना मंजूरी मिल चुकी है। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी अक्टूबर 2009 में दे दी है। पहले चरण की वन मंजूरी की प्रतीक्षा है। रा.रा.क्षे. दिल्ली और राजस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र/सहमति प्राप्त हो गई है।
- 13.7 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सहायता निवेश संबंधी मंजूरी और मंत्रिमंडलीय मंजूरी के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच, उन्होंने लाभार्थी राज्यों से परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सीड मनी जमा कराने का आग्रह किया है।

14. जल लेखांकन और लेखा-परीक्षण

- 14.1 जेआईसीए की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 में आकलित एनआरडब्ल्यू 64.80 प्रतिशत था और जेआईसीए ने दिल्ली जल बोर्ड के समग्र नेटवर्क को प्रणाली में सुधार और एनआरडब्ल्यू में कमी के लिए 1010 डीएमए (1500 से 2000 कनेक्शन के आकार) में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था। दिल्ली जल बोर्ड अब पूरे नेटवर्क में डीएमए कार्य लागू करने जा रहा है। इसकी स्थिति इस प्रकार है:
- मालवीय नगर, नांगलोई और महरौली/वसंत विहार के 3 पीपीपी क्षेत्रों में डीएमए बनाने और एनआरडब्ल्यू में कमी लाने सहित कई सुधार कार्य किए जा रहे हैं। मालवीय नगर में 9 डीएमए, नांगलोई में 5 डीएमए और वसंत विहार में 1 डीएमए का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी के काम प्रगति पर हैं। मालवीय नगर पीपीपी एरिया में एनआरडब्ल्यू घट कर 67 प्रतिशत से 35 प्रतिशत पर आ गया है। नांगलोई में 79 प्रतिशत से 62 प्रतिशत पर और वसंतकुंज में 24 प्रतिशत से 8 प्रतिशत पर आ गया है।
 - दिल्ली जल बोर्ड ने 2016 में डीएमए बनाने के चरण-1 का कार्य शुरू किया था। इसके तहत 33 (पुनर्गठित 39) डीएमए लिए गए थे, जिन्हें आगे बढ़ा कर 96 (पुनर्गठित 102) कर दिया गया था।
 - चन्द्रावल में 170 डीएमए और वजीराबाद डब्ल्यूटीपीएस कमान क्षेत्रों में 256 डीएमए जेआईसीए और एडीबी कोष से संचालित परियोजनाओं में क्रमशः योजनाबद्ध हैं।
 - दिल्ली जल बोर्ड के समूचे नेटवर्क के बाकी क्षेत्रों में डीएमए सृजित करने के संबंध में परामर्श सेवा शुरू की गई है और परामर्श अवधि 15 महीने की रखी गई है। परामर्श कार्य में सर्वेक्षण, मौजूदा नेटवर्क/बुनियादी ढांचे की पुष्टि, एनआरडब्ल्यू वार यूजीआर का आकलन और पुनर्वास अनुमान/एनआरडब्ल्यू में कमी के लिए पूंजीगत कार्य शामिल है। एक सर्किल में सभी यूजीआर की डीपीआर की तैयारी में 15 महीने का समय लगेगा। लेकिन परामर्शदाता से यूजीआर वार रिपोर्ट चरणबद्ध ढंग से सौंपने को कहा जाएगा ताकि पूंजीगत कार्य की योजना/निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके।

- 14.2 दिल्ली जल बोर्ड ने जल लेखांकन और परीक्षण के सलिए फ्लो मीटर लगाने की परियोजनाएं शुरू की हैं। दिल्ली जल बोर्ड 100 मिमी व्यास से 1500 मिमी व्यास की प्राथमिक और द्वितीयक प्रणाली में लगभग 3308 बल्क फ्लो मीटर लगा रहा है। लगभग 3163 फ्लो मीटर लगा दिए गए हैं। झंडेवालान में एक डेटा/एससीएडीए केंद्र स्थापित किया गया है, जहां वास्तविक समय आधार पर ऑनलाइन डेटा प्राप्त किया जा रहा है। इससे वास्तविक समय आधार पर निगरानी और पानी का समुचित वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- 14.3 बोर्ड द्वारा जलापूर्ति का पूर्ण और सही-सही हिसाब नहीं रखा जा सका है। 1.04.2019 को कुल 1.54 लाख कनेक्शन बिना मीटरों के थे (तालिका 13.1)। वॉटर मीटरों के काम न करने की स्थिति में खराब मीटर को बदलवाये जाने तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 कि.ली./30 कि.ली. प्रति माह (जैसी भी स्थिति हो) की अधिकतम औसत सीमा निर्धारित की गई है।
- 14.4 दिल्ली जल बोर्ड ने बिना मीटर के जलापूर्ति के मापन के लिए जल मीटर लगाने प्राप्त करने की प्रणाली को सुचारु बनाने के उपाय किए हैं। जल कनेक्शन की मंजूरी के साथ वाटर मीटर सप्लाई किए जाने की मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया गया है और अब उपभोक्ता बाजार से स्वीकृत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वाटर मीटर खरीद सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के यहां दिजबो द्वारा लगाये गये मीटर खराब पड़े हैं उन्हें इस बात की छूट दी गई है कि वे खराब मीटर के स्थान पर प्राइवेट वॉटर मीटर लगवा लें और दिजबो के पास जमा कराई गई मीटर धरोहर राशि वापस ले लें या उसे भविष्य में जल शुल्क में समायोजित करा लें।
- 15. जल शुल्क**
- 15.1 मौजूदा शुल्क “अधिक इस्तेमाल के लिए अधिक भुगतान” के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान जल शुल्क नीति पानी की अत्यधिक खपत करने वाले या पानी बर्बाद करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रतिरोधक के रूप में काम करती है। दिजबो 2019–20 के दौरान 1637.09 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है।
- 15.2 दिल्ली जल बोर्ड ने 569 प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संचयन सुविधा उपलब्ध कराई है। दिल्ली जल बोर्ड का वर्षा जल संचयन प्रकोष्ठ लोगों, संस्थानों को वर्षा जल संचयन के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराता है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर भी वर्षा जल संचयन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है।
- 15.3 दिल्ली जल बोर्ड के संशोधित शुल्क नियमों (मार्च 2016) के अनुसार वर्षा जल संग्रह प्रणाली के चालू हालत में होने पर पानी के बिलों में 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। इसका इंतजाम न होने पर पानी का बिल तब तक 1.5 गुना अधिक देना पड़ेगा जब तक ऐसी प्रणाली स्थापित नहीं कर दी जाती। ये प्रावधान 100 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर लागू होंगे। हालांकि लेवी और जुर्माना 31 मार्च 2021 तक स्थगित कर दिया गया है।
- 15.4 पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को जल शुल्कों में विशेष सब्सिडी दी जा रही है। इन क्षेत्रों में बिना मीटर वाले कनेक्शन के लिए प्रति माह प्रति फ्लोर जल शुल्क की वसूली की जा रही है। मौजूदा जल शुल्क की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

- मौजूद जल-शुल्क के दो भाग हैं। इनमें एक है सेवा प्रभार और दूसरा है मात्रात्मक जल खपत प्रभार। ये शुल्क क्रमशः 1.12.2004 और 1.4.2005 से लागू हैं।
- जिन कालोनियों/क्षेत्रों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/उनका रख-रखाव किया जा रहा है, वहां जल खपत प्रभार का 60 प्रतिशत सीवर रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूल किया जाता है।
- अनेक आवासीय परिसरों वाली किसी कालोनी/गुप हाउसिंग सोसायटी के लिए बॅल्क कनेक्शन के मामले में जल प्रभार की गणना समय-समय पर लागू घरेलू दरों से प्रति आवासीय इकाई-वार की जाएगी।

15.5 झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास कालोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर के कनेक्शनों के लिए जल प्रभार : प्रति कनेक्शन 10 कि.ली. प्रति माह प्रति फ्लोर की निर्धारित औसत से जल प्रभार लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर के कनेक्शनों के मामले में जल शुल्क की वसूली प्रति माह प्रति कनेक्शन 25 कि.ली. की निर्धारित औसत से की जा रही है। यदि दिजबो द्वारा सीवर सेवाएं संचालित की जा रही हैं तो सीवर रख-रखाव प्रभार भी वसूल किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी उपभोक्ताओं से जल उप-कर वसूल किया जाता है जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार लिया जाता है।

15.6 दिल्ली जल बोर्ड के उन सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 01 मार्च, 2015 से शत प्रतिशत सब्सिडी और सभी घटकों, जैसे जल प्रभार, सीवर रख-रखाव शुल्क, सेवा प्रभार, मीटर किराया (जहां कहीं लागू हो) और उप-कर सहित पानी के बिल के भुगतान से पूरी तरह छूट प्रदान की गई है, जिनकी खपत प्रति माह 20 कि.ली. तक सीमित हो।

15.7 एक फरवरी 2018 से लागू जल शुल्क इस प्रकार है :

श्रेणी-1 (घरेलू कनेक्शन)

मासिक उपभोग किलोलीटर में	सेवा शुल्क रुपये में	मात्रात्मक प्रभार (प्र कि ली रुपये में)
20 तक	146.41	5.27
20-30	219.62	26.36
>30	292.82	43.93
जोड़ सीवर प्रबंधन शुल्क : जल के मात्रात्मक प्रभार का 60 प्रतिशत		

श्रेणी-2 (गैर-घरेलू कनेक्शन-वाणिज्यिक/औद्योगिक)

मासिक उपभोग किलोलीटर में	सेवा शुल्क रुपये में	मात्रात्मक प्रभार (प्र कि ली रुपये में)
0-06	146.41	17.57
06-15	292.82	26.35
15-25	585.64	35.14
25-50	1024.87	87.85
50-100	1171.28	140.56
>100	1317.69	175.69
जोड़ सीवर प्रबंधन शुल्क : जल के मात्रात्मक प्रभार का 60 प्रतिशत		

- पानी के नए कनेक्शन के लिए मंजूरी प्रक्रिया सरल बनाना

दिल्ली के सभी क्षेत्रों में पानी/सीवर के सम्झी नए कनेक्शन के लिए मंजूरी प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब पानी/सीवर कनेक्शन की स्वीकृति आसानी से मिल रही है। इसके लिए केवल पिछले 3

महीने का बिजली बिल, अपने किसी एक पहचान सत्यापन प्रमाणपत्र और घरेलू कनेक्शन के लिए स्वघोषित/हलफनामों के साथ जमा करने की जरूरत है। इसके असलावा 06.10.2020 से पानी और सीवर कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जा रहा है।

● **वर्षा जल संरक्षण/अवजल पुनःचक्रण प्रणाली का प्रावधान**

- (i) शहर के अनेक भागों में भूजल संसाधन का अत्यधिक दोहन हो चुका है। नए भूजल संग्रहण की सीमा उस स्तर से बहुत कम है, जिससे पानी तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण निकाला जा रहा है। इसलिए भूजल संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है और इसकी सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की जरूरत है।
- (ii) इसलिए वर्षा जल संरक्षण पानी बचाने के एक सरल, प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उपाय के रूप में देखा जा रहा है और यह भूजल का स्तर बनाए रखने का एक सरल समाधान है। शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (दिल्ली संभाग), ने 28.07.2001 की अपनी अधिसूचना से 100 वर्ग मीटर या अधिक के प्लॉट पर बनने वाली सभी नई इमारतों में वर्षा जल संरक्षण अनिवार्य कर दिया है। प्रतिदिन 10,000 लीटर और अधिक के न्यूनतम डिस्चार्ज वाली इमारतों में बागवानी के उद्देश्य से अवजल पुनःचक्रण प्रणाली भी अनिवार्य कर दी गई है।
- (iii) वर्षा जल संरक्षण और अवजल पुनःचक्रण नियमों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने 100 वर्ग मीटर से अधिक और 500 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट/परिसंपत्तियों के लिए दिल्ली जल और सीवर (शुल्क और मीटरिंग) विनियम 2012 के नियम 50 में निम्नलिखित संशोधन, पैरा (iv) और (v) को छोड़कर, दिनांक 19.08.2019 के प्रावधान संख्या 829 द्वारा मंजूर किए हैं।
- (iv) 100 वर्ग मीटर या इससे अधिक के प्लॉट की परिसंपत्तियों के लिए वर्षा जल संरक्षण प्रणाली अनिवार्य होगी, यदि परिसंपत्ति 28.07.2001 से पहले बनी हो तो भी। ऐसी परिसंपत्तियों का मालिकाना हक रखने वाले मालिकों को वर्षा जल संरक्षण प्रणाली इस बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर यानी 25.09.2020 तक लगानी थी (इस बारे में सार्वजनिक नोटिस 19.09.2019 और 26.09.2019 को जारी हुआ था)। यदि 28.07.2001 से पहले बनी परिसंपत्ति वाले उपभोक्ता इस अनिवार्य प्रावधान का पालन समय सीमा में नहीं कर पाते हैं, तो संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू शुल्क दर डेढ़ गुना बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि प्रणाली लगा नहीं ली जाती और संबंधित जोनल राजस्व अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दे दी जाती।
- (v) 28 जुलाई, 2001 के बाद निर्मित 100 वर्ग मीटर या अधिक की परिसंपत्तियों के मामले में, जहां भू-स्वामी ने वर्षा जल संरक्षण प्रावधान किए जाने के बारे में संबंधित जोनल राजस्व अधिकारी को सूचना नहीं दी है, उन्हें 31.03.2020 तक जोनल राजस्व अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया गया, ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू शुल्क दर डेढ़ गुना बढ़ा दिया जाने का निर्देश है, जब तक कि प्रणाली लगा नहीं ली जाती और संबंधित जोनल राजस्व अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दे दी जाती।
- (vi) उपर्युक्त (i) और (ii) के अलावा बोर्ड उन सभी उपभोक्ताओं के पानी कनेक्शन काट सकता है, जो वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगाने या संबंधित जोनल राजस्व अधिकारी को समय सीमा के भीतर सूचना देने में विफल रहते हैं। यह प्रावधान 100 वर्ग मीटर और ऊपर की सभी परिसंपत्तियों पर लागू होगा, लेकिन तभी, जब दोनों मामलों में दी गई समय सीमा समाप्त हो गई हो।

- (vii) मौजूदा और नव-निर्मित परिसंपत्तियों में नए पानी/सीवर कनेक्शन मंजूरी तब वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने पर ही दी जाएगी। इस बारे में वर्षा जल संरक्षण प्रकोष्ठ से आवश्यक आदेश किया जाना अनिवार्य होगा।
- (viii) 10,000 लीटर या अधिक के प्रति-दिन न्यूनतम अवजल डिस्चार्ज वाली नवनिर्मित परिसंपत्तियों/इमारतों में नए जल/सीवर कनेक्शन की मंजूरी नियमों के अनुरूप वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगाने की पुष्टि के बाद ही दी जाएगी। इस बारे में भी आवश्यक प्रमाणपत्र संबंधित प्रबंध प्रभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- (ix) 100 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 500 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट/परिसंपत्तियों के बारे में उपर्युक्त (iv) प्रावधान का क्रियान्वयन (i) और (ii) में दी गई समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी व्यवहार्य होगा।
- (x) उन मामलों में, जहां वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगाना किसी भी कारण से तकनीकी रूप से संभव नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित मामलों में उचित निर्णय लेंगे।

16. वर्षा जल संरक्षण

- 16.1 आवास और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत शहरी जल संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्षा जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्षा जल संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सरकारी इमारतों (केंद्रीय/राज्य/यूएलबी) में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था हो। दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में जिन इमारतों की मंजूरी दी जाए, उन सब में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था भवन उपनियमों के अनुसार हो। इसलिए शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- 16.2 100 वर्ग मीटर और अधिक के सभी प्लॉट के लिए छत पर वर्षा जल संरक्षण व्यवस्था भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अनिवार्य बनाई गई है। इसके क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लागू करने और नहीं करने के लिए पानी बिलों में अपने शुल्क विनियमों के अनुसार छूट और दंड के प्रावधान किए हैं।
- 16.3 वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जल और सीवर शुल्क और मीटरिंग विनियम जुलाई, 2012 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :
- अध्याय-2 का विनियम (viii) (डी) प्रावधान करता है कि वर्षा जल संरक्षण, अवजल पुनःचक्रण या दोनों के लिए शुल्क में निम्नलिखित छूट दी जाएगी :
- i. 100 वर्ग मीटर या अधिक के प्लॉट/परिसंपत्तियां, जिसमें वर्षा जल संरक्षण या अवजल पुनः चक्रण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, कुल बिल राशि में 10 प्रतिशत की छूट और दोनों प्रणालियों की व्यवस्था के लिए 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
 - ii. यदि वर्षा जल संरक्षण प्रणाली की व्यवस्था सोसायटी द्वारा की गई है, तो उस सोसायटी का प्रत्येक सदस्य पानी के बिल में उपर्युक्त छूट का पात्र होगा।

- iii. क्षेत्र के जोनल इंजीनियर द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर प्रमाणपत्र की समीक्षा से पहले वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का निरीक्षण किया जाएगा।
- iv. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 569 प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लागू की है और अधिक में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षा जल संरक्षण प्रणाली 4778 स्कूल-कॉलेजों में से 3687 में लगा दी गई है। 413 स्कूल/कॉलेजों में यह प्रणाली निर्माणाधीन है और 449 स्कूल/कॉलेजों में इसे निर्मित करने के उपाय शुरू कर दिए गए हैं।
- v. लोगों को पीने के पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, ताकि मांग पक्ष से इसका समुचित प्रबंधन हो सके। दिल्ली जल बोर्ड में एक जल संरक्षण प्रकोष्ठ बनाया गया है, जो लोगों को वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लागू करने के लिए तकनीकी सहयोग मुहैया करा रहा है। इस प्रकोष्ठ से टेलीफोन नंबर (011-23541223 और 011-23558264) पर संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- vi. दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के 02.07.2019 को लिए गए निर्णय संख्या 2709 के अनुसार सभी सरकारी विभागों को अपनी इमारतों में वर्षा जल संरक्षण के प्रबंध करने होंगे। दिल्ली जल बोर्ड को उन सरकारी इमारतों में यह प्रणाली लगाने का दायित्व सौंपा गया है, जिनका प्रबंधन लोक निर्माण विभाग के जिम्मे नहीं है। लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली क्षेत्र के रख-रखाव वाली दिल्ली सरकार की इमारतों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली स्वयं लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा लगाई जाएगी।
- vii. दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों को जागरूक करने के लिए वर्षा जल संरक्षण के बारे में समुचित जानकारी विभिन्न मंचों, जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, दृश्य, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, पुस्तिका, पेंफलेट इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। वर्षा जल संरक्षण पर दिल्ली जल बोर्ड ने हाल में आवासीय कल्याण समितियों में संवाद कार्यशालाओं (संख्या में 33) का आयोजन सर्किल (अधीक्षण अभियंता) स्तर पर और संभागीय (कार्यकारी अभियंता) स्तर पर किया।

16.4 प्रोत्साहन

- i. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने उपभोक्ताओं को वर्षा जल संरक्षण के लिए पानी बिल में 10 प्रतिशत की छूट का प्रोत्साहन दिया है। यह छूट 100 वर्ग मीटर और अधिक के प्लॉट पर लागू होगी। इसके तहत 1.07.2017 से 16.12.2020 तक 85.22 करोड़ रुपये की छूट दी गई है।
- ii. क्षेत्र के जोनल इंजीनियर द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर प्रमाणपत्र की समीक्षा से पहले प्रत्येक वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का निरीक्षण किया जाएगा।

16.5 दंड

सभी उपभोक्ताओं के लिए चाहे वे किसी भी उपभोक्ता श्रेणी में आते हों, शुल्क में डेढ़ गुना बढ़ोतरी के रूप में वर्षा जल संरक्षण संबंधी दंड लागू होगा, यदि उनके पास 500 वर्ग मीटर या ऊपर का प्लॉट हो और उन्होंने 01.07.2017 (द्वारका उपनगर के संदर्भ में यह दंड 01.11.2018 से प्रभावी होगा) तक वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लागू न की हो।

16.6 अपवाद

- i. यदि उपभोक्ता ऐसे इलाके में रहता है, जहां जमीन पथरीली है या यमुना नदी के तट पर है, तो वर्षा जल संरक्षण प्रणाली परिसर में नहीं लगाने का दंड उस पर लागू नहीं होगा।
- ii. जिन क्षेत्रों में वर्षा के बाद जमीन की सतह पर 5 मीटर से भी कम खुदाई करने पर पानी निकल आता है, वहां वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगाने की सिफारिश नहीं की गई है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली नहीं लगाने पर दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं पर दिल्ली जल और सीवर (शुल्क और मीटरिंग) विनियम 2012 के अनुसार दंड लागू नहीं होगा। हालांकि इन इलाकों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पीने से इतर उपयोग के लिए उपचारित वर्षा जल का भंडारण किया जा सकता है।

16.7 जल संरक्षण

16.7.1 दिल्ली में लगभग 14935 किलोमीटर जलापूर्ति पाइप का नेटवर्क है। इनमें से काफी बड़ा हिस्सा 40 से 50 वर्ष तक पुराना हो चुका है और इनसे रिसाव के कारण भारी नुकसान की आशंका है। सामान्य रूप से पानी का नुकसान उत्पादित जल से उपभोग में लाई गई मात्रा यानी शुल्क प्रभारित पानी को घटा कर निकाला जाता है। दिल्ली के मामले में उपभोग में लाए गए पानी और रिसाव के कारण होने वाले नुकसान की गणना बिल्कुल सटीक नहीं की जा सकती है, क्योंकि अधिकांश घरों के मीटर या तो नहीं हैं या काम नहीं कर रहे। दिल्ली जल बोर्ड के अनुमान के अनुसार कुल वितरण हानि आपूर्ति किए गए कुल पानी का 40 प्रतिशत है। यह स्तर विकसित देशों में 10–20 प्रतिशत नुकसान के मुकाबले काफी अधिक है। वितरण हानि में (ए) पाइप में लीकेज के कारण और (बी) अनधिकृत कनेक्शन के जरिए पानी की चोरी के कारण होने वाला नुकसान शामिल है।

16.7.2 दिल्ली जलबोर्ड ने रिसाव के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए रिसाव का पता लगाने और जांच के लिए प्रकोष्ठ (एलडीआई) का गठन किया है। बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों में करीब 1200 किलोमीटर लंबी पुरानी, क्षतिग्रस्त और रिसाव वाली मुख्य जल लाइनों को बदल दिया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप बोर्ड को उम्मीद है कि निकट भविष्य में वितरण क्षति कम होकर 20 प्रतिशत के स्तर पर आ आयेगी।

16.7.3 दिल्ली जल बोर्ड ने हैदरपुर, भागीरथी, चंद्रावल और वजीराबाद के चार प्रमुख जल शोधन संयंत्रों में बैकवॉश जल के पुनःचक्रण का एक कार्यक्रम तैयार किया है। हैदरपुर, भागीरथी और वजीराबाद में पुनःचक्रण संयंत्र का काम पूरा कर लिया गया है। इन चार जलशोधन संयंत्रों से बिना किसी अतिरिक्त कच्चे जल के करीब 45 एमजीडी अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। बवाना में भी 2 एमजीडी का पुनःचक्रण संयंत्र प्रस्तावित है।

17. मल-जल उपचार क्षमता

17.1 व्यक्तियों और समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्यवर्धन के लिए पर्याप्त स्वच्छता आवश्यक है। दिल्ली जल बोर्ड सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की मल-जल उपचार क्षमता 31.03.2001 के 402.40 एमजीडी थी, जो 31.03.2020 को बढ़कर 597.00 एमजीडी हो गई। मल-जल उपचार क्षमता और उसके इस्तेमाल के प्रतिशत का ब्योरा विवरण 13.6 में दिया गया है।

विवरण-13.6

मल-जल उपचार क्षमता और उसका इस्तेमाल

(एमजीडी)

क्र. स.	मल-जल उपचार संयंत्रों (एसटीपीज) के नाम	क्षमता		31.3.2020 को वास्तविक उपचार क्षमता	% इस्तेमाल
		31.3.2001	31.3.2020		
1	ओखला	140.00	140.00	116.73	83.38
2	केशोपुर	72.00	72.00	69.91	97.10
3	तिमार में ऑक्सीडेशन पांड्स सहित कोरोनेशन पिलर	46.00	30.00	27.08	90.26
4	रिठाला*	40.00	60.00	53.21	88.68
5	कॉडली I, II, III, IV	45.00	70.00	71.84	102.62
6	यमुना विहार I, II	10.00	45.00	44.78	99.51
7	वसन्त कुंज	5.00	5.20	3.04	58.46
8	घिटोनी	5.00	5.00	0.31	6.20
9	पप्पनकलां	20.00	40.00	39.80	99.50
10	नरेला	10.00	10.00	4.79	47.90
11	नजफगढ़	5.00	5.00	4.84	96.80
12	दिल्ली गेट	2.20	17.20	17.64	102.56
13	सेन नर्सिंग होम	2.20	2.20	2.47	112.27
14	रोहिणी	0.00	15.00	4.96	33.07
15	निलोटी	0.00	60.00	45.92	76.53
16	महरौली	0.00	5.00	4.16	83.20
17	सीडब्ल्यूजी विलेज	0.00	1.00	0.11	11.00
18	मोलरबंद	0.00	0.66	0.53	80.30
19	कापसहेड़ा	0.00	5.00	2.88	57.60
20	चिल्ला	0.00	9.00	9.03	100.33
	कुल	402.40	597.26	524.03	87.76

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड, * रिठाला में 20 एमजीडी का एसटीपी मौजूदा समय में पुनर्सुधार के तहत है।

- 17.2 उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में 31.03.2020 तक मल-जल उपचार संयंत्रों की क्षमता लगभग 88 प्रतिशत थी। मल-जल उपचार संयंत्र विभिन्न कारणों से अपनी पूर्ण स्थापित क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इन कारणों में एसटीपी और ट्रंक और पेरिफेरल लाइन तक मल-जल का बहाव कम होना तथा मुख्य और परिधीय सीवर लाइनों को एसटीपीज से न जोड़ा जाना, तथा जिन मुख्य सीवर लाइनों में गाद जमा है उनकी पुनर्स्थापना और सफाई का काम पूरा न हो पाना आदि शामिल हैं। वर्तमान में मल-जल उत्सर्जन करीब 720 एमजीडी = (900 जल उत्पादन x 0.8) है, और मात्र 524 एमजीडी मल-जल का ही उपचार हो पाता है।

- 17.3 दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत करीब 8800 किलोमीटर लंबी शाखा, परिधीय सीवर लाइनों का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त 200 किलोमीटर लंबी ट्रंक यानी मुख्य सीवर लाइन का नेटवर्क भी है। ट्रंक सीवर लाइन में बदलाव/उसमें जमा कीचड़ साफ करने का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि परिधीय सीवर लाइन में यह कार्य अभी चल रहा है।
- 17.4 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित “दिल्ली जलापूर्ति एवं मल-जल परियोजना” के परामर्शदाता ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में 2021 में 5259 एमएलडी जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी और इस स्तर की जलापूर्ति से करीब 3760 एमएलडी अवजल का उत्सर्जन होगा। इस बारे में जानकारी विवरण 13.7 में दी गई है।

विवरण-13.7

अनुमानित जलापूर्ति आवश्यकता और अवजल उत्सर्जन

क्र. स.	विवरण	मात्रा, (एमएलडी)				
		2004	2005	2006	2011	2021
1	कुल जल मांग	2685	3763	4090	5181	6272
2	कुल निवल जल आपूर्ति	2265	2362	2461	3573	5259
3	उत्सर्जित अवजल	1812	3010	3272	4144	5017
4	सीईटीपी में उपचारित	200	217	234	346	755
5	जल-मल से बचे जल का अनुपात	14%	13%	13%	10%	5%
6	जल-मल क्षेत्र से बाहर	254	302	302	294	210
7	निवल उत्सर्जित अवजल	1358	1722	1798	2218	3242
8	छानकर प्राप्त जल	518	518	518	518	518
9	उपचार के लिए प्राप्त कुल अवजल	1876	2240	2316	2736	3760

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड

18. जलापूर्ति और सीवरेंज कार्यक्रमों पर हुआ व्यय

- 18.1 दिल्ली में 2007-08 से 2019-20 की अवधि में जलापूर्ति और सीवर प्रणाली कार्यक्रमों पर किए गए व्यय की जानकारी विवरण 13.8 में दी गई है।

विवरण 13.8

दिल्ली में 2007–2019 की अवधि में जलापूर्ति और सीवरज कार्यक्रमों पर खर्च का विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	व्योरा	जलापूर्ति	सीवरज	कुल
1.	अनुमोदित परियोजना (2007-2012)	4361.50	3132.50	7494.00
2.	जारी धनराशि			
	क) 2007-08	962.01	383.96	1345.97
	ख) 2008-09	1015.17	441.73	1456.90
	ग) 2009-10	1080.35	568.55	1648.90
	घ) 2010-11	1080.14	527.93	1608.07
	ड.) 2011-12	1033.02	528.02	1561.04
	कुल क+ख+ग+घ+ड.	5179.69	2450.19	7620.88
3.	अनुमोदित परियोजना (2012-2017)	6087	4913	11000
4.	जारी धनराशि			
	क) 2012-13	964.97	752.40	1717.37
	ख) 2013-14	796.77	753.23	1550.00
	ग) 2014-15	854.50	934.50	1789.00
	घ) 2015-16	646.50	1077.43	1723.93
	ड.) 2016-17	850.15	534.50	1384.65
	कुल क+ख+ग+घ+ड.	4112.89	4052.06	8164.95
5	अनुमोदित परियोजना 2017-22-ब.अ.	939.00	816.00	1755.00
6	जारी की गई राशि 2017-18	999.50	730.50	1730.00
7	अनुमोदित परियोजना 2018-19-ब.अ.	1258.00	1092.00	2350.00
8	जारी धन राशि 2018.19	1271.37	1044.61	2315.98
9	अनुमोदित परियोजना 2019-20-ब.अ.	1463.40	906.60	2370.00
10	जारी धन राशि 2019-20	1340.65	1018.85	2359.50
11	अनुमोदित परियोजना 2020-21 ब.अ.	1624.40	2379.60	4004.00
12	संशोधित परियोजना 2020.21	1319.40	2379.60	3699.00

(नमामि गंगे परियोजना, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन और वाईएपी-III स्टेट शेयर को छोड़ कर)

- 18.2 विवरण 13.8 से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए जारी राशि 2007-08 के 1346 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2019-20 में 2360 करोड़ रुपये हो गई है।

19. अवजल का पुनः उपयोग

- 19.1 शहर और इसके आस-पास शोधित अवजल का दोबारा इस्तेमाल मुख्य रूप से सिंचाई, बागवानी और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। बिजली संयंत्रों में कूलिंग यानी उन्हें ठंडा रखने के लिए भी अब शोधित अवजल की मांग की जा रही है। इसके इस्तेमाल के अन्य विकल्पों में भूमिगत-जल का पुनर्भरण, पुनः शोधन के लिए कच्चे जल के स्रोतों को वापसी और पीने के अलावा अन्य प्रयोजनों, जैसे शौचालयों में फ्लशिंग से मैला बहाने और रेलवे, बसों तथा निर्माण उद्योग में धुलाई आदि के लिए इसका उपयोग शामिल हैं।

- 19.2 वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड बिजली संयंत्रों और सीपीडब्ल्यूडी के साथ-साथ रोहिणी क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई विभाग को करीब 89 एमजीडी उपचारित अवजल उपलब्ध कराता है। ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे आने वाले वर्षों में उपचारित जल की आपूर्ति 89 एमजीडी से बढ़कर 210 एमजीडी हो जाए। दिल्ली में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपचारित अवजल की आपूर्ति की जानकारी विवरण 13.9 में दी गई है।

विवरण 13.9

उपचारित अवजल की विभिन्न प्रयोजनों के लिए आपूर्ति

क्र.स.	विवरण	यूनिट (एमजीडी)
1.	केशोपुर एसटीपी से सिंचाई, बागवानी आदि के लिए आपूर्ति किया जाने वाला उपचारित उत्सर्जित जल	5.5
2.	ओखला एसटीपी से सीपीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग को बागवानी/सिंचाई प्रयोजन के लिए	37.00
3.	कोरोनेशन पिलर एसटीपी से भलस्वा स्थित डीडीए गोल्फ कोर्स, निर्माण प्रयोजनों के लिए गैमन इंडिया, पल्ला स्थित लघु सिंचाई विभाग	19.02
4.	रिठाला एसटीपी से पीपीसीएल को उसके बवाना संयंत्र के लिए और एनडीपीएल को उसके रोहिणी संयंत्र के लिए	6.15
5.	वसंतकुंज से संजय वन को	3.70
6.	महरौली एसटीपी से गार्डन आफ सेवन सेंसेज	3.40
7.	दिल्ली गेट और सेन नर्सिंग होम एसटीपी से पीपीसीएल को	4.80
8.	निलोठी एसटीपी से बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग को सिंचाई प्रयोजनों के लिए	0.50
9.	पप्पनकलां एसटीपी से डीडीए को बागवानी के लिए	1.33
10.	कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज एसटीपी से कॉमनवेल्थ गेम्स परिसर को बागवानी के लिए	0.18
11.	यमुना विहार से एसटीपी को बागवानी के लिए	3.0
12.	नरेला से प्राइवेट एजेंसी को वाहनों की धुलाई के लिए	0.05
13.	नजफगढ़ से डब्ल्यूटीपी द्वारका को बागवानी के लिए	0.07
14.	चिल्ला एसटीपी से एसटीपी की आंतरिक बागवानी के लिए	1.00
15.	कौंडली एसटीपी से डीडीए, पीपीसीएल को बागवानी	3.0
	कुल	89 एमजीडी

स्रोत :- दिल्ली जल बोर्ड

- 19.3 अवजल के दोबारा इस्तेमाल की कई परियोजनाओं के लिए आकलन किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के संयुक्त अवजल शोधन संयंत्रों से प्राप्त होने वाले पानी के अलावा दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के रखरखाव वाले औद्योगिक इलाकों के संयुक्त अवजल

शोधन संयंत्रों तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के मिनी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में साफ किया गया मल-जल उपयोग के लिए उपलब्ध है।

- 19.4 यमुना नदी में प्रदूषण समाप्त करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड 3 प्रमुख नालों (नजफगढ़, सप्लीमेंटरी, और शाहदरा) के साथ-साथ इन्टरसेप्टर सीवर बिछाने का काम कर रहा है। 158 एमजीडी मल जल के उपचार की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। वर्तमान में इस परियोजना का 98.80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और दिसम्बर 2020 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन्टरसेप्टर सीवर परियोजना पूरी तरह चालू हो जाने के बाद 242 एमजीडी मल जल का उपचार संभव हो सकेगा, जो फिलहाल नालों में बह रहा है। इससे प्रमुख नालों में बहने वाले मल जल की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकेगा।
- 19.5 दिल्ली विकास प्राधिकरण 4,451 हेक्टेयर खुले क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है, जिनकी सिंचाई ट्यूबवेलों से की जाती है। इसी तरह दिल्ली नगर निगमों, केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों, प्राइवेट पार्कों और संपत्तियों, सड़क के किनारे बनी हरित पट्टियों और खेल स्टेडियमों आदि में भी खुले स्थान हैं जिनकी सिंचाई की जाती है। हरित क्षेत्र का रखरखाव और देखभाल करने वाली विभिन्न एजेंसियों की जानकारी विवरण 13.10 में दर्शाया गया है।

विवरण 13.10
विभिन्न एजेंसियों की देखरेख में हरित क्षेत्र

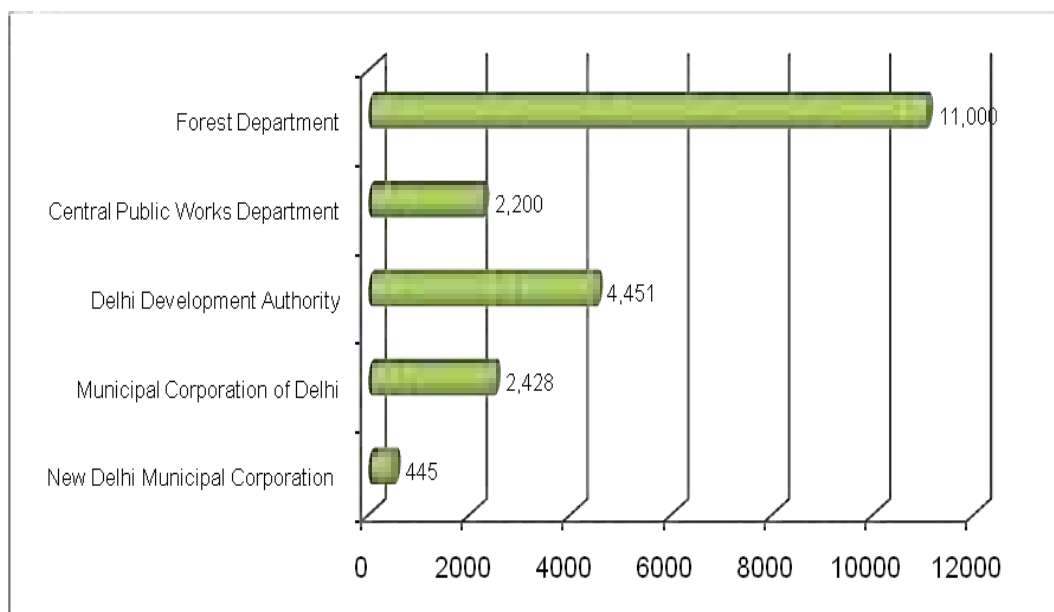
क्र.स.	एजेंसी	हरित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1.	एनडीएमसी	445	2.17
2.	दिल्ली नगर निगम	2,428	11.83
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	4,451	21.69
4.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	2,200	10.71
5.	वन विभाग	11,000	53.60
	कुल	20,524	100.00

स्रोत :- दिल्ली जल बोर्ड

- 19.6 विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रबंधित हरित क्षेत्र का ब्योरा चार्ट 13.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 13.2
विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रबंधित हरित क्षेत्र

(हेक्टेयर)



19.7 सीवर प्रणाली में कालोनी/श्रेणीवार प्रगति की जानकारी विवरण 13.11 में दी गई है।

विवरण 13.11
सीवर प्रणाली में कॉलोनी/श्रेणीवार प्रगति

क्र.स.	कॉलोनी/श्रेणी	कालोनियों की कुल संख्या	सीवर प्रणालियों की कुल संख्या
1.	अनधिकृत लेकिन नियमित कॉलोनी	567	557
2.	शहरी गांव	135	130
3.	ग्रामीण गांव	219	55
4.	अनधिकृत कॉलोनियां	1639	561
5.	पुनर्वास कॉलोनियां	44	44

20 जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी चुनौतियां

20.1 **भूजल में गिरावट** : दिल्ली में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण घटता जलस्तर चिंता का कारण है। कई स्थानों पर यह भूमि के स्तर से 20 से 30 मीटर नीचे चला गया है। कुछ क्षेत्रों में भूजल में नाइट्रेट की मात्रा 1,000 मिलीग्राम/लीटर से भी अधिक हो गई है। फ्लोराइड का जमाव भी, अनुशंसित सीमा से अधिक पाया गया है। बड़े क्षेत्र के भूजल में खारापन है। ये सभी, मानव उपभोग के लिए अस्वास्थ्यकर हैं।

- 20.2 **पानी के इस्तेमाल के प्रति गैर-जिम्मेदार रवैया** : दिल्ली जल बोर्ड के 2016 के आधिकारिक अनुमान के अनुसार कुल वितरण नुकसान लगभग 40 प्रतिशत था जबकि कुछ अन्य देशों में यह 4-20% है। जल आपूर्ति प्रणाली के विभिन्न चरणों— रिसाव और चोरी के अलावा शोधन संयंत्रों और परिवहन तथा वितरण प्रणाली में 30 से 35 प्रतिशत तक पानी का नुकसान होता है। इसके अलावा, दिल्ली में प्रति व्यक्ति पानी की खपत बहुत अधिक है, जिसे सरकार की नीति द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।
- 20.3 **अपशिष्ट संबंधी दृष्टिकोण**: नल का पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण लोग पानी साफ करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) सिस्टम का उपयोग करते हैं। आरओ से, प्रयुक्त जल का लगभग 40–60 प्रतिशत बर्बाद होता है।
- 20.4 **प्राकृतिक संसाधनों की उपेक्षा**: बरसात के मौसम के दौरान, दिल्ली में सड़कों पर पानी भर जाता है नालों से बाहर बहने लगता है। वर्षा जल संचयन बहुत कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप पानी जैसे कीमती संसाधन की बरबादी होती है।
- 20.5 **जन-जागरूकता** : जल संरक्षण और इसके वैज्ञानिक उपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता तथा उनकी भूमिका वर्तमान में संतोषजनक नहीं हैं।

आवास और शहरी विकास

दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक रूप से सहज और सुलभ गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ सबके लिए सतत, समावेशी और समान सुविधाओं से युक्त बनाना है। मुख्य रूप से मलिन बस्तियों के विकास, सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्त पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और समुचित आवास व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना है। ये सभी नागरिकों के उत्तम और स्वास्थ्यकर रहन-सहन के अनिवार्य घटक हैं।

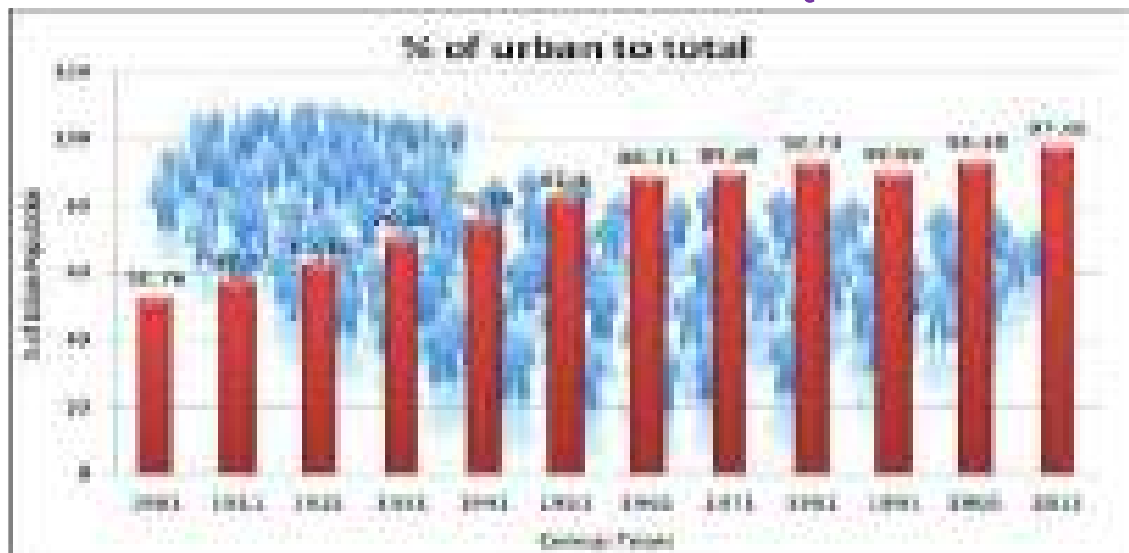
2. निर्धन और मध्य आय वर्ग के लिए सुलभ आवास दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है। समुचित आवासों का अभाव, बेघरों के रहन-सहन की दयनीय स्थिति, झुग्गी झोंपड़ियों के साथ मलिन बस्तियों की बड़ी संख्या, अनधिकृत कालोनियां और शहर में लगातार अन्य राज्यों से लोगों का आना—ये सब मिल कर आम लोगों के जीवन स्तर पर असर डालते हैं तथा अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और आवासन की समस्या पैदा होती है।
3. दिल्ली में आवास से जुड़ी स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है एवं इसके अधिग्रहण और विकास की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण और को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के माध्यम से पूरी की जाती है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर-विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की भारी आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृश्य की मुख्य पहचान है।
4. हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ-सफाई की व्यवस्था द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आवास परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनसे लगभग 52,000 आवासीय इकाइयों में आवास सुविधाओं में सुधार होगा।
5. रीयल इस्टेट (नियमन और विकास अधिनियम 2016) पहली मई, 2017 से लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत रीयल इस्टेट क्षेत्र का नियमन और संवर्धन, प्लॉटों, अपार्टमेंट या भवन इत्यादि की बिक्री और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित किया जाना है। अधिनियम के तहत प्राधिकरण के आदेश या निर्देश और निर्णयों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल इस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन

होना है। यह अधिनियम पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन लाकर रीयल इस्टेट सेक्टर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

6. दिल्ली की विकास योजना की प्रक्रिया में आवास और शहरी विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। दिल्ली में भूमि विकास और सार्वजनिक आवास व्यवस्था के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एकमात्र उत्तरदायी एजेंसी है। आवास के लिए लगातार बढ़ती मांग की तुलना में अपर्याप्त निर्माण के कारण मलिन बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों और अतिक्रमण जैसी समस्या स्थायी चुनौती बनी हुई है।
7. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर था, जो देश के अन्य भागों की तुलना में सबसे अधिक है। हालांकि 1991–2001 के दौरान 47.02 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर के मुकाबले 2001–2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है और यह 21.20 प्रतिशत हो गया है। दिल्ली मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र है, इसके कुल क्षेत्रफल (1483 वर्ग किलोमीटर) का 75 प्रतिशत हिस्सा शहरी अधिक्षेत्र में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में आबादी का घनत्व 14698 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दिल्ली की 1.63 करोड़ आबादी, अर्थात् कुल जनसंख्या (1.679 करोड़) का 98 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रह रही है। दिल्ली का अत्यधिक शहरी स्वरूप सार्वजनिक सेवा वितरण/नागरिक बुनियादी ढांचा प्रणाली, जैसे जलापूर्ति, मल व्ययन और जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, सुलभ आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं आदि, पर भारी दबाव डालता है, जिससे शहर की सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न होती है।
8. दिल्ली की एक तिहाई आबादी अवमानक आवासीय स्थितियों में रह रही है, जिनमें 675 मलिन और झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, 1797 अनधिकृत कालोनियां, पुराने जीर्णोद्धार क्षेत्र और 362 गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर सुरक्षित, समुचित आवासीय और बुनियादी सेवाओं का अभाव रहता है। अनुमानों के अनुसार दिल्ली को 2021 (मास्टर प्लान-2021) तक 24 लाख नई आवासीय इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, इनमें से 54 प्रतिशत मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह के लिए आवश्यक होंगे। करीब 42 प्रतिशत आवासीय इकाइयां अर्थात् करीब 10 लाख मकान मौजूदा आवासीय क्षेत्रों के सघनीकरण और पुनर्विकास के जरिए मुहैया कराने होंगे। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों का स्व-स्थाने पुनर्वास, आंतरिक विकास, अनधिकृत कालोनियों को नियमित बनाना और उनका पुनर्विकास करना तथा पुराने आवासीय क्षेत्रों का सघनीकरण और उन्नयन किया जाएगा।
9. शहरी बुनियादी सुविधाएं शहरी जीवनशैली की जीवन-रेखा हैं। इसके तहत विशेषकर निर्धन आबादी वाले क्षेत्रों में जैसे मलिन बस्तियों, गांवों, अनधिकृत कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों इत्यादि में सबके लिए हमेशा पीने के पानी की उपलब्धता, चौबीसों घंटे सुलभ बिजली, मल-जल निकासी व्यवस्था, साफ-सफाई और शौचालय की व्यवस्था की जानी है, निर्धन आबादी में विशेष रूप से नगर निगम सेवाओं और कचरा प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि शहर को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखा जा सके। इसके लिए ठोस कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और सड़कों की नियमित देखभाल व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। बेकार और गंदे पानी को वर्षा जल संचयन और पुनःचक्रण की रणनीति अपनाने से जल परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। जल निकासी, सिंचाई और शहरी कृषि के लिए नवाचारी तरीके अपनाने और वर्षा जल के समुचित संरक्षण की भी आवश्यकता है।

10. पिछली 12 जनगणनाओं के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की तीव्र वृद्धि और शहरी आबादी में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति चार्ट 14.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 14.1
1901–2011 के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की प्रवृत्ति



11. दिल्ली में आवासीय स्थितियां

- 11.1 जनसंख्या वृद्धि, प्रवास और भूमि की उपलब्धता की चुनौतियों के बावजूद पिछले कुछ समय से दिल्ली में आवास की स्थिति में वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में आवास की स्थिति नीचे विवरण 14.1 में दर्शायी गई है :

विवरण 14.1

मद सं	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
क	गणना आवासों की संख्या						
1	गणना आवासों की कुल संख्या	46,05,555	1,24,422	44,81,133	100.0	100.0	100.0
2	रिक्त गणना आवासों की कुल संख्या	5,12,691	22,556	4,90,135	11.1	18.1	10.9
3	प्रयुक्त गणना आवासों की कुल संख्या	40,92,864	1,01,866	39,90,998	88.9	81.9	89.1
ख	प्रयुक्त गणना आवासों की संख्या						
1	इस्तेमाल किए जा रहे गणना आवासों की कुल संख्या	40,92,864	1,01,866	39,90,998	100.0	100.0	100.0
2	प्रयुक्त गणना आवासों की संख्या	31,76,329	75,234	31,01,095	77.6	73.8	77.7
3	आवास एवं अन्य उपयोग	1,37,575	3,458	1,34,117	3.4	3.4	3.4
4	दुकान/कार्यालय	3,77,299	3,022	3,74,277	9.2	3.0	9.4
5	स्कूल/कॉलेज आदि	9,709	279	9,430	0.2	0.3	0.2
6	होटल/लॉज/गेस्ट हाउस आदि	7,754	60	7,694	0.2	0.1	0.2
7	अस्पताल/औषधालय आदि	7,853	113	7,740	0.2	0.1	0.2

मद सं	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
8	फैक्टरी/वर्कशॉप/वर्कशेड आदि	90,945	829	90,116	2.2	0.8	2.2
9	पूजा स्थल	8,668	354	8,314	0.2	0.3	0.2
10	अन्य गैर-आवासीय इस्तेमाल	2,37,244	17,713	2,19,531	5.8	17.4	5.5
11	प्रयुक्त बंद गणना मकानों की संख्या	39,488	804	38,684	1.0	0.8	1.0

स्रोत : भारत की जनगणना-2011

11.2 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 46.1 लाख रिहायशी भवनों में से केवल 40.9 लाख मकान प्रयुक्त किए जा रहे थे और प्रयुक्त मकानों में से भी 77.6 प्रतिशत भवनों का इस्तेमाल रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था। अन्य उपयोग के अंतर्गत इन आवासीय इकाइयों में से 9.2 प्रतिशत का इस्तेमाल दुकानों/कार्यालयों के लिए किया जा रहा था और 5.8 प्रतिशत पूरी तरह गैर-रिहायशी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। दिल्ली में मकानों की गुणवत्ता में पिछले दशकों में सुधार आया है क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार जहां “अच्छे” मकान 58 प्रतिशत थे, वे 2011 में बढ़ कर 66 प्रतिशत हो गए। करीब एक तिहाई मकानों को छिटपुट मरम्मत की आवश्यकता थी और केवल 3 प्रतिशत ऐसे थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी और उनके लिए व्यापक मरम्मत आवश्यक थी।

11.3 दिल्ली में मकानों की उपलब्धता पिछले वर्षों में बढ़ी है। फिर भी, मकान की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर अभी बना हुआ है। सामान्य मूल्यांकन के अंतर्गत इस अंतराल का अनुमान परिवारों की संख्या और आवासीय इकाइयों की संख्या के बीच अंतर के आधार पर लगाया जा सकता है। विवरण 14.2 में गणना रिपोर्टों से प्राप्त आवास की राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार दिल्ली की तुलना दर्शायी गई है। दिल्ली में मकानों की कमी की स्थिति में 2001 से 2011 में सुधार हुआ, लेकिन सुधार की दर धीमी रही। हालांकि इस परिभाषा में आवासीय और भीड़भाड़ की स्थितियां शामिल नहीं हैं। दिल्ली और भारत में 1991, 2001 और 2011 में आवासीय भवनों और परिवारों की स्थिति की जानकारी विवरण 14.2 में दी गई है।

विवरण 14.2

1991, 2001 और 2011 के दौरान भारत
और दिल्ली में आवासीय भवन और परिवार

सं.	वर्ष	परिवार (लाख)	आवासीय भवन (लाख)	परिवारों की संख्या और आवासीय भवनों के बीच अंतर (लाख)
1.	1991			
	क दिल्ली	18.62	17.14	1.48
	ख भारत	1520.10	1470.10	50.00
2.	2001			
	क दिल्ली	25.54	23.17	2.37
	ख भारत	1919.64	1792.76	126.88
3.	2011			
	क दिल्ली	33.41	31.76	1.65
	भारत	2466.93	2360.52	106.41

स्रोत : परिवारों और सुविधाओं संबंधी तालिकाएं, भारत की जनगणना, गृह मंत्रालय 1991, 2001 और 2011

- 11.4 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में परिवारों को वितरित मकानों के प्रकार के अनुसार 60.19 प्रतिशत परिवारों को 'अच्छे', 36.19 प्रतिशत परिवारों को "संतोषजनक", और शेष 3.62 प्रतिशत परिवारों को "खराब" स्तर के मकान उपलब्ध थे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि मकानों की ढांचागत संरचना के अनुसार 99.10 प्रतिशत पक्के मकान, 0.68 प्रतिशत अर्द्ध-पक्के मकान और 0.22 प्रतिशत कच्चे मकान थे।

विवरण 14.3 गणना मकानों की स्थिति

क्र सं	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	कुल आवास	33,13,904	78,692	32,35,212	100.0	100.0	100.0
2	अच्छे	21,81,500	43,489	21,38,011	65.8	55.3	66.1
3	रहने योग्य	10,39,572	32,234	10,07,338	31.4	40.9	31.1
4	जीर्ण शीर्ण	92,832	2,969	89,863	2.8	3.8	2.8

स्रोत : भारत की गणना 2011

- 11.5 **आवास संकुचन :** दिल्ली में 60 प्रतिशत से अधिक परिवार एक कमरे और दो कमरे की आवासीय इकाइयों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार औसत परिवार आकार यदि 2.5 व्यक्ति प्रति कमरा हो, तो उसे आवास संकुचन से ऊपरी स्तर कहा जाता है। दिल्ली में औसत परिवार आकार प्रति कमरा 5 व्यक्ति है, जिसे देखते हुए आवास संकुचन चिंता का विषय है। (तालिका 14.4)
- 11.6 **मकान का स्वामित्व :** 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में मकानों का स्वामित्व स्तर भी काफी ऊंचा है, जहां लगभग 68 प्रतिशत परिवारों के पास अपने मकान हैं। जिलावार वितरण से पता चलता है कि नई दिल्ली को छोड़कर सभी जिलों में अपना मकान रखने वाले परिवारों का अनुपात काफी ऊंचा है। नई दिल्ली में अधिसंख्य सरकारी क्वार्टर और राजनयिक एन्क्लेव स्थित हैं। प्रवासी लोग आमतौर पर किराए के मकानों में रहते हैं। शहर में स्थायित्व हासिल करने से पहले कम से कम शुरुआती दौर में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। स्वामित्व वाले मकानों में बढ़ोतरी से शहर में स्थायित्व प्रक्रिया के बढ़ने का पता चलता है।

विवरण 14.4

	स्वामित्व स्थिति		
	अपने मकान में रहने वाले परिवार	किराए पर रहने वाले परिवार	अन्य परिवार
साराक्षे दिल्ली	68.2	28.2	3.6
उत्तर-पश्चिम	72.5	24.1	3.4
उत्तर	69.2	26.4	4.3
उत्तर-पूर्वी	75.3	23.3	1.4

	अपने मकान में रहने वाले परिवार	किराए पर रहने वाले परिवार	अन्य परिवार
पूर्वी	68.3	28.6	3.1
नई दिल्ली	13.0	56.6	30.4
मध्य	70.7	24.7	4.6
पश्चिम	73.1	23.4	3.5
दक्षिण-पश्चिम	58.1	38.0	3.8
दक्षिण	63.5	32.8	3.7

स्रोत : भारत की जनगणना-2011

- 11.7 विवरण 14.5 में मकानों के ढांचे के प्रकार और प्रत्येक प्रकार में परिवारों की संरचना स्थिति के बारे में जानकारी अलग से दी गई है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परिवारों में से 99.18 प्रतिशत परिवार पक्के मकानों में, 0.01 प्रतिशत परिवार अर्द्ध पक्के मकानों में और 0.81 प्रतिशत परिवार कच्चे मकानों में रह रहे थे।

विवरण 14.5

मकानों के प्रकार के अनुसार परिवार

क्र.स	मकान का प्रकार	ढांचे की स्थिति			
		अच्छा	संतोषजनक	खराब	कुल
1	पक्का	2374529	1403898	134292	3912719
	प्रतिशत	99.91	98.25	94.03	99.10
2	अर्द्ध पक्का	2051	21214	3592	26857
	प्रतिशत	0.09	1.48	2.51	0.68
3	सभी कच्चे	0	3837	4941	8778
	प्रतिशत	0	0.16	0.21	0.22
	कुल	2376580	1428949	142825	3948359
	प्रतिशत	(60.19)	(36.19)	(3.62)	

स्रोत : दिल्ली में आवासों की स्थिति, एनएसएस 69वां दौर जुलाई 2012-दिसंबर 2012, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

- 11.8 दिल्ली में मकानों का स्वामित्व स्तर भी काफी ऊंचा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 68 प्रतिशत परिवार अपने मकानों में और 28 प्रतिशत किराए के मकानों में रह रहे थे। जिलावार आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तरी जिलों में दक्षिणी जिलों की तुलना में अपने मकानों की संख्या अधिक है। नई दिल्ली एकमात्र ऐसा जिला है, जिसमें स्वामित्व वाले मकानों से अधिक किराए के मकानों की संख्या है।

- 11.9 **स्लम और अनियोजित आवास** : दिल्ली सरकार ने 2014 में मलिन बस्तियों और झुग्गी झोपड़ी कालोनियों का सर्वेक्षण कराया था और यह अनुमान लगाया था कि ऐसी बस्तियों में करीब 3.3 लाख परिवार (मोटे तौर पर 17 लाख आबादी) रह रही थी, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में दिल्ली में विकास की तीव्र गति ने रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को यहां प्रवास के लिए प्रेरित किया है।

विवरण 14.7

अनियोजित आवासीय इकाइयां और जनसंख्या का वितरण

(1)	(2)	(3)
झुग्गी बस्ती	झुग्गी झोपड़ी बस्तियां 755 (करीब 3 लाख रिहायशी इकाइयां अपेक्षित हैं) आबादी 17 लाख	सरकारी भूमि अतिक्रमण (राज्य सरकार : 30 प्रतिशत, केंद्र सरकार 70 प्रतिशत)
पुनर्वास कालोनियां	कालोनी 82 (45+37) प्लॉट 2,67,859 आबादी निर्दिष्ट नहीं।	शहर के विस्तारित क्षेत्र में समाहित, आश्रय समेकन की स्थिति बेहतर, लेकिन समुचित सेवाओं का अभाव।
अनधिकृत कालोनियां	कालोनियां 1797 आबादी 40 लाख	है। मास्टर प्लानों का उल्लंघन करके अवैध कालोनियां बनाई गईं, जिनमें भूमि का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं
अधिसूचित स्लम क्षेत्र (कटरे)	कटरे 2423, आबादी 2 लाख	स्लम क्षेत्र (परिष्कार एवं मंजूरी) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित। इनमें निवासी स्थायी लाइसेंस आधार पर रह रहे हैं।
शहरीकृत गांव	शहरीकृत गांव 135 (227 ग्रामीण गांव हैं, जो अभी शहरी के रूप में अधिसूचित नहीं किए गए हैं)	दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिसूचित
बेघर और फुटपाथ पर रहने वाले	16,000 व्यक्ति	.

स्रोत : दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

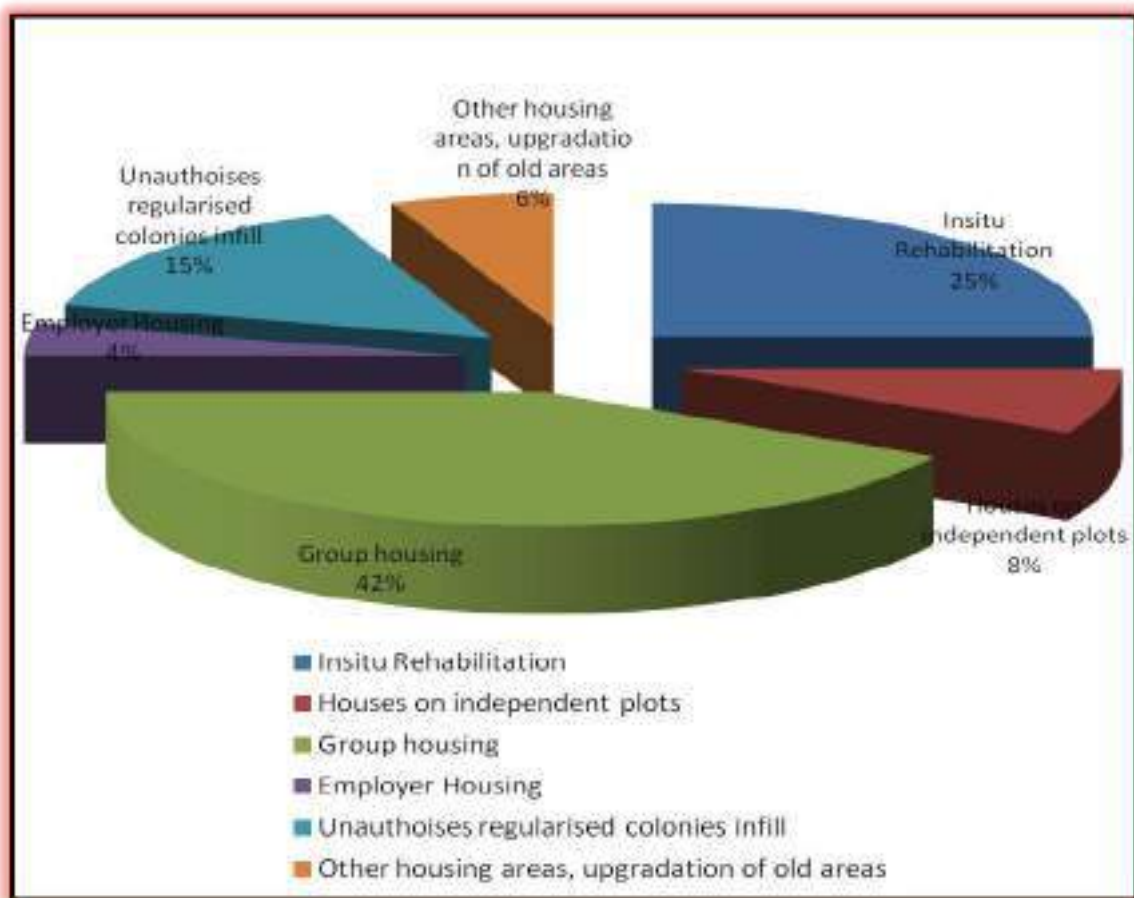
2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 48 लाख मकान बनाने/बेहतर करने होंगे। कुल मकानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत होगी।

- 11.10 दिल्ली सरकार आवास क्षेत्र में योगदान करने वाले अनेक पक्षों में एक एजेंसी है, क्योंकि भूमि, भूमि विकास और सरकारी आवास दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के तहत है। परंतु, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किए जाने के साथ ही दिल्ली सरकार समाज के आर्थिक दृष्टि से

कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण में शामिल हुई है। परंतु, लक्षित आबादी के अति विशाल आकार को देखते हुए इस तथ्य के कारण सरकारी प्रयास सीमित ही रहेंगे, क्योंकि भूमि की उपलब्धता और आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन है। 2021 तक 2.3 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए 2001–2021 की अवधि से सम्बद्ध दिल्ली मास्टर प्लान दस्तावेज (एमपीडी–2021) में 20 लाख नई आवासीय इकाइयां जोड़ने की योजना है, जिनमें से 54 प्रतिशत इकाइयां आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की श्रेणी के लिए होंगी।

11.11 मास्टर प्लान दस्तावेज 2021 के अनुसार आवास क्षेत्र के अनुमान नीचे दिए गए हैं :

चार्ट 14.2
एमपीडी 2021 के अंतर्गत आवास संबंधी अनुमान



12. मुख्यमंत्री आवास योजना (एमएमएवाई)

सरकार ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कम लागत और सब्सिडी वाले मकान उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों सहित शहरी निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी से सुलभ मकानों के जरिए आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करना है। डूसिब ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 परियोजनाएं शुरू की हैं।

13. बुनियादी सुविधाएं

- 13.1 समावेशी शहर का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि उसमें सभी नागरिकों के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी समुचित पहुंच का प्रावधान हो। 2017-18 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में बिजली लगभग हर घर में पहुंचाई जा चुकी है और स्वच्छता तक पहुंच के मामले में भी, पूरी तरह से अनधिकृत बस्तियों को छोड़कर, उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। दिल्ली में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। 2001 और 2011 के दौरान उपलब्ध सभी सुविधाओं की स्थिति विवरण 14.7 में देखी जा सकती है।

विवरण 14.7

दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

क्र सं	मद	2001 जनगणना (लाख में)	कुल परिवारों का प्रतिशत	2011 जनगणना (लाख में)	कुल परिवारों का प्रतिशत
1.	विद्युत	23.72	92.86	33.11	99.1
2.	शौचालय सुविधा	19.91	77.96	29.91	89.5
3.	विद्युत एवं शौचालय सुविधा	18.74	73.77	29.80	89.2
4.	विद्युत उपलब्ध लेकिन शौचालय सुविधा नहीं	4.98	19.49	3.31	9.9
5.	शौचालय उपलब्ध लेकिन विद्युत नहीं	1.17	4.59	0.11	0.3
6.	विद्युत और शौचालय सुविधाएं दोनों नहीं	0.65	2.55	0.19	0.6
7.	जलापूर्ति				
(i)	पाइप के जरिए जलापूर्ति	19.24	75.33	27.17	81.3
(ii)	हैंडपंप/ट्यूबवेल	5.60	21.91	4.58	13.7
(iii)	कुएं	0.01	0.04	0.03	0.1
(iv)	अन्य स्रोत (नदी/नहर/तालाब)	0.69	2.72	1.63	4.8

स्रोत : जनगणना 2011

14. अनधिकृत कालोनियां

- 14.1 दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले नागरिकों का जीवन सुगम बनाने और सड़क, सड़क किनारे की नालियां और गड्ढों को भर कर समुचित स्वास्थ्य परिस्थिति सुनिश्चित करने के साथ साथ न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार भारी सार्वजनिक निवेश कर रही है।

- 14.2 अनुमान है कि दिल्ली में 1797 अनधिकृत कालोनियां हैं, जिन्हें सरकार की नीति के अनुसार नियमित किया जाना है। इन कालोनियों में करीब 40 लाख आबादी है, जिसे बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा कर प्रभावी रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
- 14.3 दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियां, दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जलबोर्ड, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली के नगर निगम नियमित अनधिकृत कालोनियों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2008 में 895 अनधिकृत कालोनियों को अस्थायी नियमन प्रमाणपत्र प्रदान किए थे।
- 14.4 आई एंड एफसी विभाग को 38 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए गैर-अधिकृत कालोनियों के विकास कार्य का जिम्मा नवंबर 2017 से अलग अलग चरणों में सौंपा गया। विभाग ने पात्र कालोनियों के लिए 2504.23 करोड़ रुपये की लागत से 837 योजनाएं तैयार की हैं। गैर-अनधिकृत कालोनियों में 535 बस्तियों की 728 योजनाओं के लिए व्यय और मंजूरी संबंधी प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिया गया है। इस पर करीब 2190.37 करोड़ रुपये की लागत आनी है। इन 728 कार्यों में से 235 कालोनियों को कवर करने वाले 273 कार्य अब तक पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य 30 जून 2021 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
- 14.5 डीएसआईआईडीसी दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में एक दशक से अधिक समय से ढांचागत विकास के कार्य कर रहा है। दिसंबर 2015 में सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि विकास कार्य संचालित करने के प्रयोजन से अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण नियम के अंतर्गत नियमित किए जाने की पात्र कालोनियों और अन्य कालोनियों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। विकास कार्य सभी अनधिकृत कालोनियों में संचालित किए जाने चाहिए।
- 14.6 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 24365 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं और नवंबर, 2020 तक 47566 लाख रुपये की लागत से 76 कालोनियों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। डीएसआईआईडीसी को दी गई अन्य कालोनियों में शेष कार्यों के लिए 59413.00 लाख रुपये की लागत से विकास कार्यों की योजना तैयार कर ली गई है।

15 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब)

- 15.1 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की स्थापना दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को रा.रा.क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के पुनः स्थापन/पुनर्वास के कार्यक्रम, जैसे पर्यावरण सुधार, स्लम बस्तियों के पुनः स्थापन और स्व-स्थाने विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है।
- 15.2 डूसिब मुख्य रूप से स्लम बस्तियों में गुणात्मक सुधार और शहर में स्लम निवासियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह शहरी निर्धनों/स्लम निवासियों को स्लम एवं झुग्गी झोंपड़ी निवासी पुनर्वास नीति के तहत आवास के प्रावधान सम्बन्धी कार्यों को अंजाम देता है। इन

कार्यों में विशेष परिस्थितियों, जैसे मकानों/कटरों के जोखिमपूर्ण/मानव आवास के लिए अनुपयुक्त हो जाने की स्थिति में, निर्मित फ्लैटों का प्रावधान करना शामिल है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में न्यूनतम नागरिक बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नान घर और बस्ती विकास केन्द्र (सामुदायिक केंद्र) प्रदान करने पर ध्यान देता है।

15.3 डूसिब की व्यापक गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- रैन बसेरों का निर्माण प्रबंधन और रख-रखाव।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत स्लैम निवासियों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के तहत कम लागत के मकानों का निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत डूसिब, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों की जमीन पर बसी मौजूदा स्लम और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का स्व-स्थाने पुनर्वास।
- विस्थापितों का पुनर्वास।
- बस्तियों का स्व-स्थाने उन्नयन।
- शहरी स्लैम बस्तियों में पर्यावरण सुधार।
- भुगतान करके इस्तेमाल योग्य जन सुविधा (शौचालय) परिसरों का निर्माण, प्रचालन एवं प्रबंधन। 01.01.2018 से शौचालयों का इस्तेमाल निःशुल्क बना दिया गया है।
- बस्ती विकास केन्द्रों/समुदाय भवनों का निर्माण।
- कटरों में संरचनागत सुधार और पुनर्वास।
- यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से कार्य करना।

17.4 स्व-स्थाने पुनर्विकास यह सुनिश्चित करने का समुचित विकल्प होगा कि विकास के कारण रोजगार की उपलब्धता, या आय में कमी न हो। पुनर्विकास के तहत आजीविका के साधनों के सृजन पर ध्यान दिया जाना होगा। मलिन बस्तियों के विकास का क्रियान्वयन राज्य/शहर की वित्तीय और संसाधनगत उपलब्धि के अनुसार चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए।

17.5 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास नीति के प्रावधानों को कार्यान्वित करते समय डूसिब ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्लम निवासियों के लिए स्व-स्थाने पुनर्वास योजना तैयार की है।

डूसिब की जमीन पर 4 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को सुलतानपुरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए 1060 फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा। फिलहाल इनका उपयोग कोविड रोगियों के पृथक्वास केंद्र के रूप में किया जा रहा था।

भारत सरकार की जमीन पर बसी 3 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को द्वारका सेक्टर 16-बी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित मकानों में स्थानांतरित किया जाएगा। इनका इस्तेमाल भी कोविड रोगियों के पृथक् वास के रूप में हो रहा था।

जहांगीरपुरी में डूसिब की जमीन पर बसी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां भलस्वा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए जा रहे 7400 फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा। इनका निर्माण कार्य पूरा होने के निकट है। दिल्ली जलबोर्ड द्वारा एसटीपी निर्मित किया जाना है।

चार झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों को पूरी तरह और पांच को आंशिक रूप से डीएसआईआईडीसी बवाना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्मित मकानों में भेजा जाना है।

स्व-स्थाने पुनर्वास के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 784 बहु-मंजिले (14 तल) मकानों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

17.6 स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त बनाना

17.6.1 दिल्ली में 675 स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक झुग्गियां हैं। डूसिब द्वारा अप्रैल 2016 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार 216 बस्तियों के निकट 253 ऐसे स्थानों की पहचान की गई, जहां लोग खुले में शौच जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय के मानदंड के अनुसार डूसिब ने अनुमान लगाया है कि कुल 36600 डब्ल्यूसी शौचालयों की आवश्यकता होगी। दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में रहने वालों के लिए कुल 674 सामुदायिक शौचालय, 21586 सीटों के साथ उपलब्ध कराए गए थे।

17.6.2 बड़ी संख्या में लोगों के खुले में शौच जाने की आदत खत्म करने के लिए, डूसिब झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में 'भुगतान कर इस्तेमाल कर जन सुविधा परिसरों और स्नान घरों' की व्यवस्था कर रहा है। 01.01.2018 से ये शौचालय चौबीसों घंटे और सातों दिन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए।

17.6.3 मौजूदा शौचालय परिसरों का सुधार किया जा रहा है और नए डिजाइन के साथ नवीन शौचालय परिसर बनाए जा रहे हैं। सभी संकेतों को मानक, परिष्कृत और अधिक सूचनाप्रद बनाया जा रहा है। डूसिब ने ऐसी बस्तियों के लिए, जहां पानी और शौचालय सुविधाएं नहीं हैं, पोर्टेबल मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई है। इन शौचालय में फ्लशिंग के लिए पानी के पुनः उपयोग हेतु कैमीकल टेक्नोलोजी अपनाई जाएगी और 70/80 बार इस्तेमाल के बाद मल-जल को निकटवर्ती सीवरेज प्रणाली में डालने का प्रबंध किया जाएगा।

18. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास

18.1 जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन-2 के अंतर्गत शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) भारत सरकार ने 52584 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए डीएसआईआईडीसी की 8, डूसिब की 6 परियोजनाओं और नदिनप की 1 परियोजना के लिए 2514.27 करोड़ रुपये की संशोधित लागत का अनुमोदन किया था। इनमें से 24504 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है और 28080 फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। नवंबर 2019 के अंत तक 2159 फ्लैटों को उपयोग में ले लिया गया था। कम संख्या में फ्लैट अधिकृत करने के पीछे वजह यह है कि आसपास अपेक्षित ढांचागत सुविधाओं का अभाव है और आवासीय इकाई प्राप्त करने के लिए पात्रता दर बहुत कम रखी गई है, आवंटितों में स्थानांतरण के बाद अपनी आजीविका खोने की आशंका होती है। झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के स्व-स्थाने विकास से संबंधित अन्य मुद्दों में कालोनी का विकास होने तक जेजे निवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए भूमि का अभाव शामिल है।

- 18.2 डूसिब ने द्वारका, सुलतानपुरी और सावदा घेवरा में 10684 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण किया है। 7400 ईडब्ल्यूएस फ्लैट भलस्वा में निर्माणाधीन हैं जिनका निर्माण कार्य 30.6.2020 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। डीएसआईआईडीसी ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 17660 ईडब्ल्यूएस मकान बनाए हैं और दिल्ली में विभिन्न स्थानों, जैसे पूठ खुर्द, बापरौला, बवाना, नरेला, घोघा और भोरगढ़ में 16600 ईडब्ल्यूएस मकान निर्माणाधीन हैं।
- 18.3 बोर्ड के अनुमोदन से डूसिब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 5310 मकानों के निर्माण के तहत भलस्वा जहांगीरपुरी में (3780), देवनगर करोलबाग में (500), कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर में (448), और संगम पार्क माडलटाउन में (582) मकानों का निर्माण करेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के उपयोग में नहीं लिए जाने को देखते हुए स्व-स्थाने पुनर्वास का कार्य दिल्ली सरकार के अगले निर्णय तक स्थगित कर दिया गया, इसलिए भलस्वा, जहांगीरपुरी (53100) में कमजोर वर्ग के लिए आवासों के निर्माण कार्य रोक दिया गया। दिल्ली सरकार से फिर अनुमोदन प्राप्त होने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 784 चौदह मंजिले मकान निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक एजेंसियों से स्वीकृति मिलने के बाद इनका निर्माण शुरू हो जाने की आशा है।

19. रैन बसेरे

- 19.1 डूसिब का मुख्य उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करने के अलावा फुटपाथ पर सोने वाली पूरी तरह बेघर आबादी को भी आश्रय प्रदान करना है। वर्तमान में डूसिब 205 रैन बसेरों (78 स्थायी, 115 पोर्टा केबिन में) और 12 अस्थायी स्थलों पर, का संचालन और प्रबंधन कर रहा है। सर्दियों में विभिन्न स्थानों पर टेंट लगा कर यह क्षमता बढ़ा दी जाती है।
- 19.2 रैन बसेरों में महिलाओं, बच्चों, परिवारों, दिव्यांग महिलाओं, नशे की लत से ग्रस्त व्यक्तियों आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये रैन बसेरे चौबीसों घंटे जनता के इस्तेमाल के लिए खुले रहते हैं, जिनमें पेयजल, शौचालयों और स्नानघर, दरियां, चादरें, कम्बल, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक और चिकित्सा सुविधाएं आदि का प्रबंध किया गया है। इन रैन बसेरों का प्रबंधन आश्रय प्रबंधन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान बेघर लोगों को बचा कर रैन बसेरों तक लाने के लिए बचाव दलों की भी तैनाती की गई है। रैन बसेरे बेघर लोगों के लिए हर समय खुले रहते हैं और यहां निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठंड के दौरान नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है और किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 23378789, 23370560 (लैंडलाइन), 8527898295 (मोबाइल नंबर) और ईमेल dusibnightsheelters@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा डूसिब ने बेघर लोगों का पता लगा कर उन्हें सुरक्षित स्थल तक पहुंचाने के लिए 'रैन बसेरा' नाम से मोबाइल ऐप भी शुरू किया है।
- 19.4 प्रत्येक रैन बसेरे में पर्याप्त संख्या में कम्बल, दरियों, जूट की चटाइयों, चादर, तकिए, गद्दों, पीने का पानी/वाटर कूलर/ मयूर जग/वाटर डिस्पेंसर, बिजली कनेक्शन, इमरजेंसी लाइट, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशामकों का प्रबंध होता है। इन रात्रि आश्रय गृहों में गर्मियों के दौरान आराम

और सुविधा के लिए डेजर्ट कूलरों का प्रबंध किया गया है, जबकि सर्दियों में वाटर हीटर/गीजर का प्रबंध अधिकांश स्थायी रैन बसेरों में किया जाता है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 के दौरान एसएमए द्वारा रैन बसेरों में आश्रय लेने वाले सभी लोगों को नाश्ता, दिन और रात का खाना उपलब्ध कराया गया।

20. यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड

20.1 यमुना पार क्षेत्र के समुचित, तीव्र और स्थाई विकास के लिए एक सलाहकार बोर्ड के रूप में 1994 में यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) की स्थापना की गई थी। बोर्ड यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए निर्माण कार्यों का अनुमोदन और अनुशंसा करता है। यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विकास में अनेक एजेंसियां शामिल हैं जैसे – दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और शहरी विकास विभाग। बोर्ड के गठन के बाद से यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत विकास से संबंधित अधिकतर गतिविधियों में बोर्ड द्वारा समन्वय किया जाता है।

20.2 बोर्ड यमुना पार क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए सरकार को बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े मुद्दों पर भी परामर्श देगा ताकि यमुना पार क्षेत्र और रा.रा.क्षे. दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के बीच विकास असमानता दूर की जा सके। 2009-10 से 2019-20 के दौरान यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) का एजेंसीवार व्यय विवरण 14.8 में दर्शाया गया है।

विवरण 14.8
टीवाईएडीबी का एजेंसीवार व्यय: 2009-2020

(रु करोड़ में)

क्र सं	एजेंसी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	दिजबो	23.00	17.00	15.75	15.72	3.00	2.00	--	--	--	--	-
2	एमसीडी	40.00	39.93	60.00	70.00	109.86	80.00	30.00	--	21.90	34.86	29.47
3	पीडब्ल्यूडी	0.01	-	0.47	4.82	0.05	0.09	--	--	--	--	2.98
4	आई एंड एफसी	15.00	9.78	10.00	18.93	19.99	22.71	--	--	6.52	11.50	8.20
5	यूडी	-	-	2.50	-	-	--	--	--	--	--	-
6	डूसिब	-	-	-	-	--	5.50	--	2.00	-	3.16	3.83
7	डीएसआई आईडीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43	-	-
	कुल	78.01	66.71	88.72	109.47	132.90	110.30	30.00	2.00	29.85	49.52	44.48

स्रोत : शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

21. पुराने दिल्ली शहर का विकास

21.1 पुरानी दिल्ली क्षेत्र के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने और उसके पर्यावरण में सुधार के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक क्षेत्रों के नवीकरण और रख-रखाव में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों तथा व्यवसायियों को सक्रिय रूप में शामिल किया गया है। पुरानी दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम की प्रमुख गतिविधियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्मित और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को प्रोत्साहित करना शामिल है, जिसे सभी नागरिकों द्वारा संरक्षित, पोषित और बनाए रखने की आवश्यकता है। निगम बिना कोई लाभ कमाए वास्तुशिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान शहरी धरोहर की संरक्षा करता है।

21.2 चांदनी चौक के पुनर्विकास के लिए 65.63 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना मंजूर की गई, जिसके अंतर्गत सड़क सुधार, सभी लटकते हुए तारों को भूमिगत करना, क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार और चांदनी चौक क्षेत्र के ऐतिहासिक स्वरूप को बहाल करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

22. केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)

22.1 पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन (अमृत)

22.1.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने 24 जून, 2015 को एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम अमृत योजना (पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन) का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य एक ऐसे ढांचे का निर्माण करना है, जिसका जलापूर्ति और शौचालय सुविधाएं प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने जैसी लोगों की वास्तविक जरूरतों पर सीधा प्रभाव पड़े। भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार दिल्ली को 4 अमृत शहरों में विभाजित किया गया है अर्थात् उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद। चूंकि जल और सीवर सुविधाएं नगर निगमों द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं इसलिए दिल्ली जल बोर्ड को अनुषंगी एजेंसी के रूप में सभी नगर निगम क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवर प्रणाली की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।

22.1.2 अमृत कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक सेवाओं की तैयारी और सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करना है और इसीलिए इन अंतरालों को भरने के कार्य को एसएलआईपी कहा गया है। अतः परियोजनाओं का मूल्यांकन अंतराल भरने और मिशन घटकों (जल, सीवर प्रणाली, वर्षा जल निकासी, हरियाली और उद्यानों के विकास, शहरी परिवहन, जिसमें पैदल पथों, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, फुटओवर ब्रिज, गैर-मोटर चालित परिवहन, बहुस्तरीय पार्किंग आदि) के लिए एसएलआईपी तैयार करने से सम्बद्ध है। इस मिशन का लक्ष्य शहरी स्थानीय निकायों को अधिक जवाबदेह बनाना, अधिक संसाधन उपलब्ध कराना, सेवा वितरण में सुधार और नागरिकों का सशक्तिकरण करना है। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित एपेक्स समिति अंतिम मंजूरी देती है और राज्य स्तरीय वार्षिक योजना की कुल राशि में से 2.50 प्रतिशत धन हरित परियोजनाओं के लिए निर्धारित करना अनिवार्य होता है।

- मिशन की अवधि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक है। यह मिशन अभी अपने विस्तारित चरण में है, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत धन 3 किशतों में यानी 20 : 40 : 40 के अनुपात में जारी किया जाता है। प्रथम किशत (20 प्रतिशत) एपेक्स कमेटी द्वारा एसएएपी का अनुमोदन करने के तत्काल बाद जारी की जाती है। दूसरी और तीसरी किशतें (प्रत्येक 40 प्रतिशत) (i) स्कोर कार्ड, (ii) इस्तेमाल प्रमाणपत्र और (iii) परियोजना निधि अनुरोध प्राप्त होने के बाद जारी की जाती हैं।

मिशन अवधि के लिए अनुमोदित परियोजनाएं और धन आबंटन का ब्योरा नीचे विवरणी 14.9 में दिया गया है।

विवरण 14.9

विवरण	सैप -I (2015-16)		सैप -II (2016-17)		सैप -III (2017-18)		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
परियोजना अनुमोदन	6	223.07	10	265.73	09	313.51	25	802.31
छोड़ी गई परियोजना #	-	-	01	7.92	-	-	01	7.92
नई प्रतिस्थापित परियोजनाएं	-	-	03	6.52	-	-	03	6.52
प्रदत्त अनुबंध	6	174.15	12	238.65	06	110.93	24	523.73
कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं	6	174.15	12	238.65	09	273.93	27	686.73
पूरी की गई परियोजनाएं	02	01.15	05	23.02	01	32.16	08	56.33
जारी परियोजनाएं	04	173.00	07	215.63	05	78.77	16	467.40
अनुबंधगत परियोजनाएं	-	-	-	-	03	163.00	03	163.00
यूएलबी जो जारी राशि	104.486 (44.61+59.876)		141.546 (53.146+88.40)		62.70 पहली किशत		308.73	
07.10.2020 तक व्यय	81.92		147.14		63.75		292.91	
शहरी विकास मंत्रालय को सौंपी गई यूसी	77.36		126.07		52.43		255.86	

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

- 22.1.3 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को सैप-1, सैप-2 पहली किशत और दूसरी किशत तथा सैप-3 की पहली किशत के रूप में लगभग 312.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इनमें से 309 करोड़ रुपये सभी संबंधित शहरी निकायों/अनुषंगी इकाइयों को जारी की गई। क्रियान्वयन एजेंसियों ने केंद्रीय सहयोग के तहत कुल 293.00 करोड़ रुपये (लगभग) का कुल व्यय किए जाने की रिपोर्ट दी है और 255.86 करोड़ रुपये की यूसी आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय को सौंप दी गई है।

22.1.4 अमृत योजना का उद्देश्य आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार की सूची के अनुरूप सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर संबंधित लोगों का क्षमता निर्माण करना भी है। विभाग ने तीन प्रशिक्षण कंपनियों का चयन किया है – 1) भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली, 2) विज्ञान और पर्यावरण केंद्र दिल्ली और 3) अखिल भारतीय स्थानीय स्व-शासन संस्थान, नई दिल्ली।

22.1.5 सुधारों को लागू करना अमृत मिशन के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अमृत दिशा-निर्देशों में वर्णित अधिकतर सुधारों का लक्ष्य हासिल कर लिया है। शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग भी अमृत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वर्णित सुधारों का एक हिस्सा है, जो भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद प्रदान करती है। तीनों दिल्ली नगर निगमों ने क्रेडिट रेटिंग के लिए आईसीआरए को नियुक्त किया है। सभी चारों शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा कर लिया गया है, जिन्हें दी गई रेटिंग इस प्रकार है :

क्र सं	अमृत शहर	प्रदत्त रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
1	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	ए++	केयर
2	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	बीबी+	आईसीआरए लिमिटेड
3	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	एएए	आईसीआरए लिमिटेड
4	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	बीबी-	आईसीआरए लिमिटेड

22.1.6 वाटर पंपों और स्ट्रीट लाइटों की ऊर्जा सक्षमता भी नगरीय सुधारों के अंतर्गत शामिल है। इस बारे में ईईएसएल और शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

22.2 स्मॉर्ट सिटी मिशन

22.2.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने जून 2015 में स्मॉर्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया, जिसके लिए दिल्ली को एक स्मॉर्ट सिटी विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस मिशन का लक्ष्य शहरों में लोगों की समस्याओं के 'स्मॉर्ट' समाधान के जरिए उन्हें स्वच्छ और स्थायी पर्यावरण के साथ उत्कृष्ट जीवन गुणवत्ता प्रदान करना है। मिशन के प्रमुख घटकों में समुचित जलापूर्ति; सस्ते मकान; सुदृढ़ आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण; नागरिकों (विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वृद्धों) की सुरक्षा; और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। स्मॉर्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों में शहर सुधार (नई सुविधाओं की व्यवस्था), शहर नवीकरण (पुनर्विकास) और शहर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) शामिल है। इसके अतिरिक्त एक व्यापक-शहर कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें स्लम क्षेत्रों सहित शहर के विस्तृत भागों को कवर करते हुए स्मॉर्ट समाधान अपनाए जा रहे हैं।

- 22.2.2 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एनडीएमसी का चयन किया गया।
- 22.2.3 एनडीएमसी ने पूर्ण स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मॉर्ट सिटी लिमिटेड (एसपीवी) की स्थापना की। इस विशेष प्रयोजन कंपनी-एसपीवी को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से 194 करोड़ रुपये और नदिनप से 200 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार मूल पूंजी 394 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी ने अपने संघ ज्ञापन और संघ नियमों के अनुसार काम शुरू कर दिया है। अब तक एनडीएमसी, एससीएल 81 परियोजनाएं पूरी कर चुका है 11 परियोजनाएं चल रही हैं और 4 परियोजनाएं अनुबंध स्तर पर हैं और 12 परियोजनाएं डीपीआर/डीपीआर अनुमोदन स्तर पर हैं।
- 22.2.4 एनडीएमसी ने अपने भवनों में ऊर्जा के सक्षम उपयोग में सुधार लाने के उपाय शुरू किए हैं, जिनके अंतर्गत अधिकतर उपकरणों को ऊर्जा सक्षम उपकरणों में बदला गया है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मॉडल भवन उप-नियमों को नदिनप में लागू किया गया है। नदिनप को 2016 में केयर द्वारा एए+ की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई।
- 22.2.5 एनडीएमसी एससीएल द्वारा, 396.00 करोड़ रुपये (196.00 करोड़ भारत सरकार से जारी + 200.00 करोड़ रुपये एनडीएमसी का योगदान) की कुल प्राप्त निधि में से 319.57 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के उद्देश्य से 98.00 करोड़ रुपये की राशि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दो चरणों में प्राप्त हुई है।
- 22.3 **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)**
भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) की शुरुआत 2014 में की थी। इसका उद्देश्य शहरी निर्धन परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल आधारित दिहाड़ी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाते हुए उनकी गरीबी और अभावग्रस्तता दूर करना है, तथा निचले स्तर पर सुदृढ़ संस्थानों के निर्माण के जरिए उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सुधार लाना है।
- 22.5 **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)**
भारत सरकार ने 2.10.2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के अलावा खुले में शौच से मुक्ति, हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा समाप्त करना, ठोस कचरे का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। इस मिशन की समय अवधि पाँच वर्ष रखी गई अर्थात् 02.10.2019, जो कि अब बढ़कर 31.03.2021 हो चकी है।
- 22.5.1 समूचे अभियान की अवधि (2014-2019) के वास्ते दिल्ली के लिए निर्धारित केंद्रीय वित्तीय सहायता की जानकारी नीचे विवरण 14.10 में दी गई है।

विवरण 14.10

(रुपये करोड़ में)

	आईआईएचटी	सीटी	एसडब्ल्यूएम	आईईसी	सीबी	कुल
तय राशि	50.16	5.15	263.68	24.61	6.15	349.76
जारी राशि	25.08	5.15	116.60	10.84	0.21	157.88
प्रयुक्त केंद्रीय योगदान राशि	23.34	5.15	84.15	10.15	0.20	123.40
शेष केंद्रीय अंश राशि	25.08	शून्य	147.08	11.77	5.33	188.50
2019-20 में निधि अनुरोध	10	शून्य	48-50	13	06	77.50

एसडब्ल्यूएम घटक के तहत डब्ल्यूटीई प्लांट, तेहखंड एसडीएमसी के लिए जारी 53.12 करोड़ रुपये की एसडब्ल्यूएम राशि सहित

(आईएचएचटी – घरेलू शौचालय, सीटी-सामुदायिक शौचालय, एसडब्ल्यूएम-ठोस कचरा प्रबंधन, आईईसी-सूचना और संचार शिक्षा और सीबी-क्षमता निर्माण)

22.5.2 स्वच्छ भारत मिशन गतिविधियों की मौजूदा स्थिति

- क) स्वच्छ भारत मिशन के लिए 123.40 करोड़ रुपये का उपयोग प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है और भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से मिशन के तहत और राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है।
- ख) एसबीएम निधि की लगभग 40.00 करोड़ रुपये की राशि कार्यकारी एजेंसियों के पास व्यय किए जाने के लिए बाकी है।

22.5.3 खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति

- क) दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने ओडीएफ+इ का दर्जा हासिल कर लिया है तथा पूर्वी और दिल्ली नगर निगम प्रमाणीकृत खुले में शौच से मुक्त हैं।
- ख) उत्तर दिल्ली नगर निगम को भी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।
- ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को खुले में शौच से मुक्त++ प्रमाणपत्र दिया गया है।
- घ) अब रा.रा.क्षे. दिल्ली खुले में शौच से मुक्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है।

- 22.5.5 ठोस कचरे का संग्रह, इसे अलग अलग करने और सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान “स्वच्छता ही सेवा” दिल्ली में 11 सितंबर 2019 से 27 अक्टूबर 2019 तक मनाया गया। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों ने सक्रिय भागीदारी की। अभियान के तहत लगभग 1000 मी.टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया और 9 लाख से अधिक नागरिकों को प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई गई। दिल्ली में लगभग 129 बाजारों को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया। अभियान के दौरान जन-जागरूकता के लिए 9 लाख से अधिक नागरिकों और जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से कई रैलियों का आयोजन किया गया।

प्लास्टिक का उपयोग रोकने की पहल का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। स्वच्छता ही सेवा अभियान का शहरी स्थानीय निकाय वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

1. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, जनवरी 2020 में किया गया।
2. स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, निवासी कल्याण संघों और बाजार संघों के समन्वय से घर घर जाकर अभियान, नुक्कड़ नाटक और साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रार्थना सभाएं और पुरस्कार प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।
3. अभियान के दौरान मीडिया अभियान एकल इस्तेमाल की प्लास्टिक का उपयोग नहीं की शुरुआत की गई, जिसमें प्रमुख स्थलों जैसे मेट्रो, बस स्टॉप, होर्डिंग और समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का आग्रह किया गया।
4. सार्वजनिक समारोहों में सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के स्थान पर अन्य विकल्पों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में (वार्डवार) 4 बर्तन भंडार का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि कप-प्लेट, चम्मच और स्ट्रॉ जैसी एक बार उपयोग में आने वाली वस्तुओं के स्थान पर अन्य वैकल्पिक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें।
5. दिल्ली सरकार/स्वायत्त शासी निकायों के सभी कार्यालयों को दैनिक उपयोग में आने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग रोकने के लिए परामर्श जारी किया गया है।
6. अभियान के दूसरे चरण (2 अक्टूबर 2019) के दौरान पूरी दिल्ली में श्रम दान गतिविधियों और फिट प्लोइंग रन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगमों, शिक्षा विभाग और राजस्व विभागों ने सक्रिय भागीदारी की।

स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग

7. स्वच्छता और साफ सफाई के विभिन्न मानकों पर शहरों की रैंकिंग के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण –स्वच्छ सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार है।

शहरी स्थानीय निकाय	स्वच्छ सर्वेक्षण 2016, 73 शहरों की भागीदारी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, 434 शहरों की भागीदारी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, 4041 शहरों की भागीदारी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2019
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	4	7	1(1-3 जनसंख्या श्रेणी)	5
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	43	279	206	282
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	39	202	32	138
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	52	196	341	240
दिल्ली छावनीबोर्ड	शामिल नहीं	172	1 (छावनी बोर्ड क्षेत्र)	2 (छावनी बोर्ड क्षेत्र)

कचरा मुक्त रेटिंग

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने फाइव स्टार कचरा मुक्त रेटिंग प्राप्त की है और फाइव स्टार रेटिंग के आवेदन किया है।

एक बार इस्तेमाल में आने वाले प्लास्टिक का उपयोग रोकना प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 का उद्देश्य एक ऐसा तंत्र विकसित करना था, जिसके तहत घरों, उद्योगों इत्यादि स्रोतों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का निस्तारण किया जाए। इन नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने पर निर्माताओं और पुनः चक्रण करने वालों के खिलाफ दंड लगाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इसी उद्देश्य से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन उपनियम तय किए हैं। दिल्ली में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

22.5.7 10600 मी.टन प्रतिदिन ठोस कचरे का संग्रह किया जाता है और इससे 3 लैंडफिल स्थलों और प्रसंस्करण संयंत्रों तक भेजा जाता है। कुल कचरे का लगभग 55 प्रतिशत कचरे से ऊर्जा और कचरे से कम्पोस्ट खाद के जरिए प्रसंस्कृत किया जाता है और शेष को 3 लैंडफिल स्थलों पर डाल दिया जाता है।

विवरण 14.11

दिल्ली में कचरा संबंधी स्थिति (मी.ट. प्र.दि.)

शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम ठोस कचरा उत्पादित (मी.ट. प्र.दि.)	प्रसंस्कृत कचरा (मी.ट. प्र.दि.)	नगर निगम ठोस कचरा प्रसंस्करण सुविधा	स्वच्छता लैंड फिल पर डाला गया कचरा
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	2800	1300	12 एमडब्ल्यू डब्ल्यूटीई संयंत्र गाजीपुर	1000 गाजीपुर लैंडफिल
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	4000	2000	24 एमडब्ल्यू डब्ल्यूटीई और 150 डब्ल्यूटीसी संयंत्र, नरेला, बवाना	2200 नरेला बवाना एसएलएफ
एपीएमसी	200	0		
दक्षिण दिल्ली नगर निगम	3300	1850	16 एमडब्ल्यू डब्ल्यूटीई और 200 मि.टन प्रतिदिन डब्ल्यूटीसी संयंत्र, ओखला	(ओखला लैंडफिल) द.दि.न.निगम का 1400 और पू.दि.नगर निगम का 500
नई दिल्ली नगर निगम	350	350		
कुल	10650	5550	52 एमडब्ल्यू	5100 (स्वच्छता लैंडफिल पर)

एमटीपीडी – मीट्रिक टन प्रति दिन, एसएलएफ–स्वच्छता लैंडफिल, डब्ल्यूटीई – कचरा से ऊर्जा, डब्ल्यूटीसी – कचरे से कम्पोस्ट, एमडब्ल्यू–मेगावाट और एमएसडब्ल्यू – नगर ठोस कचरा।

विवरण 14.12

नगरीय ठोस कचरे के लिए प्रस्तावित क्षमता संवर्धन

एजेंसी	
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	—उत्पादित — 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्रसंस्कृत 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन, डब्ल्यूटीई गाजीपुर में (12 मेगावाट) अंतराल — —1500 मीट्रिक टन प्रतिदिन एकीकृत प्रसंस्करण सुविधा, 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम में 2020 तक विकसित की जानी है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	—उत्पादित 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन नरेला—बवाना डब्ल्यूटीई में 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन का प्रसंस्करण (24 मेवा और 55 मीट्रिक टन कम्पोज्ड) अंतराल 2000 मीट्रिक टन। दिसंबर 2020 तक निविदाएं तय की जानी हैं। (100 प्रतिशत प्रसंस्करण)
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	उत्पादित 3600 मीट्रिक टन (16 मेगावाट) प्रसंस्कृत 1600 मीट्रिक टन डब्ल्यूटीई ओखला 100 मीट्रिक टन डब्ल्यूटी ओखला अंतराल 1900 तेहखंड में 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन का उपचार संयंत्र निर्माणाधीन जून 2020 तक 100 प्रतिशत
एनडीएमसी	उत्पादित 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्रसंस्कृत 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन, डब्ल्यूटीओ ओखला लगभग 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन 125 कम्पोस्ट गड्डों के द्वारा प्रसंस्कृत, 5 बायो मिथेनाइजेशन
दिल्ली छावनी बोर्ड	67 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्रसंस्कृत 37 मीट्रिक टन प्रतिदिन अंतराल 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं।

विवरण 14.13

दिल्ली में निर्माण और विध्वंस से उत्पादित कचरे की स्थिति

1	निर्माण एवं विध्वंस मलबे का उत्सर्जन	5000 मीट्रिक टन प्रतिदिन
2	प्रतिदिन एकत्रित निर्माण और विध्वंस मलबा	4500 टन
3	निर्माण और विध्वंस मलबा संग्रह स्थल	167
4	सक्रिय लैंडफिल	3
5	निर्माण और विध्वंस मलबा प्रोसेसिंग केंद्र	1 उत्तरी दिल्ली—बुराडी (2000 टीपीडी) 1 पूर्वी दिल्ली—शास्त्री पार्क (500 टीपीडी)
6	प्रस्तावित निर्माण और विध्वंस मलबा प्रोसेसिंग केंद्र	द.दि.न.नि.—बक्करवाल 500 टन 12 महीने में उ.दि.न.नि.—रानीखेड़ा 500 टन 12 महीने में पू.दि.न.नि.— 500 टन

22.5.8 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भलस्वा, गाजीपुर और ओखला कूड़ा स्थलों पर लंबे समय से जमा किए जा रहे कूड़े के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में राशि उपलब्ध कराई थी। इन कूड़ा स्थलों से फैल रहे प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके निपटान के लिए व्यवहार्य नियमों के तहत वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों की आवश्यकता है। इन स्थलों से कूड़ा हटा लिए जाने के बाद साफ स्थल का उपयोग एकीकृत कचरा

प्रसंस्करण और उपचार केंद्र के लिए किया जा सकता है। इसके चारों ओर एक जैव विविधता उद्यान विकसित किया जा सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और आसपास का माहौल स्वच्छ बनेगा।

23. आवास और शहरी स्थलों के समक्ष चुनौतियां

1. भूमि स्वामित्व में विविधता : भूमि अधिकार में विविधता, संबंधित एजेंसियों के साथ भूमि स्वामित्व का अभाव सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डूसिब को प्रदत्त सीमित अधिकार और कानूनी व्यवधान कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। स्वस्थाने उन्नयन का काम बिल्कुल स्पष्ट भूमि स्वामित्व पर आधारित है। दिल्ली में 30 प्रतिशत मलिन बस्तियां राज्य सरकार की जमीन पर हैं जबकि शेष केंद्र सरकार की जमीन पर बसी हैं। दिल्ली में भूमि राज्य का विषय नहीं है और केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण – डीडीए – दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के कार्यान्वयन के लिए एकमात्र अधिकृत प्राधिकरण है। रेलवे, स्थानीय निकाय, दिल्ली जल बोर्ड और इन जैसे कुछ अन्य के पास प्रमुख भूस्वामित्व है। विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों के बीच भूस्वामित्व को लेकर असमंजस की स्थिति है।
2. सुविधा वंचित : समुचित दस्तावेज के अभाव में निर्धन प्रवासी और निम्न आय वर्ग के लोगों को विभिन्न सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि इस बारे में किससे संपर्क किया जाए। शिक्षा का अभाव भी इस दिशा में एक बड़े व्यवधान का काम करता है।
3. विकास नियंत्रण : अनधिकृत कालोनियां समय समय पर नियमित की जाती हैं। नियमित हो जाने के बाद इन कालोनियों में अनियंत्रित निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ती हैं। जमीन के प्लॉटों को अनौपचारिक बस्तियों और मलिन बस्तियों में लगातार विभाजित किया जा रहा है। इससे अपर्याप्त बुनियादी और सम्पर्क सुविधाओं वाले गैर-हवादार मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहरी गांवों के समक्ष भी ऐसी ही समस्याएं हैं।
4. भूमि उपलब्धता और कीमत : जमीन का मूल्य बहुत ही अधिक होने के कारण सस्ते मकानों का निर्माण एक चुनौती है। आसपास के शहरों का विकास होने से दिल्ली के बाहर आबादी का स्थानांतरण बढ़ रहा है। लेकिन, इसके बावजूद दिल्ली में जमीन की कीमतों में कमी नहीं है। यहां आने वाले नए और निर्धन प्रवासियों को कार्यस्थल के निकट आवास सुलभ नहीं हो पाता।
5. बुनियादी सेवाएं और अवसंरचना : पर्याप्त और समान शहरी विकास, पाइप से पानी की आपूर्ति, बिजली और शौचालय की सुविधा प्रत्येक घर के लिए सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, उन तक सामुदायिक स्तर और साझा आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सबके लिए समुचित रूप से ढकी नालियां, ठोस कचरा संग्रहण और निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में इन सुविधाओं को मुहैया करा पाने की शहर की क्षमता बाधित होती है।
6. आजीविका से सम्बद्ध : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। इनमें से कई लोगों को आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने घरों का ही इस्तेमाल कार्य स्थल के रूप में करना पड़ता है। शहर के दूर-दराज घर होने के कारण उनकी आजीविका में बाधा आती है। पानी, साफ सफाई और स्वच्छता तथा बिजली की साझा सुविधा होने से भी निर्धन लोगों की कार्य उत्पादकता पर असर पड़ता है। वित्त की उपलब्धता अक्सर कानूनी स्वामित्व वाली जमीन पर निर्भर करती है, जो आमतौर पर इन वर्गों को उपलब्ध नहीं होती। इसके कारण भी उनकी कार्य उत्पादकता का स्तर गिरता है।

7. व्यापक शहरी एकीकरण : मलिन बस्तियों का विकास अक्सर अलग-थलग होता है और उन्हें शहर की विकास योजना में जोड़ा नहीं जाता। निम्न आय वर्ग के लोगों की बस्तियां अक्सर विकास की मुख्यधारा से वंचित रह जाती हैं, इसका प्रतिकूल असर उनकी सामुदायिक भागीदारी पर पड़ता है। समुचित संस्थागत प्रयासों के बिना इनके समावेशन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।
8. कानूनी व्यवधान : अनेक अदालतों ने अनधिकृत निर्माण गिराए जाने के पक्ष में निर्णय पारित किए हैं। इसके कारण कई लोग आश्रय विहीन हो गए हैं और शहर के समावेशीकरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है।

अध्याय 15

शिक्षा

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की एक प्रसिद्ध उक्ति है – “शिक्षा वह सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र है जिसका प्रयोग कर आप दुनिया को बदल सकते हैं।”

- 1.1 मानव पूंजी की गुणवत्ता किसी भी समाज में शिक्षा की कसौटी है। ऊंची साक्षरता दर के साथ एक सुशिक्षित पीढ़ी वैश्विक मुद्दों की महत्वपूर्ण जानकारी रखते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायित्व उठाने में सक्षम होती है। दिल्ली में शिक्षा इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है। एक तरफ तो यह नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने के लिये पुराने मॉडल को छोड़ने जा रही है, दूसरी तरफ शिक्षा के नये डिजिटल माध्यम और अभिनव प्रौद्योगिकियां इसे नये मानक स्थापित करने के लिये वैश्विक मानदंडों की ओर आकर्षित कर रही हैं। सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न उपायों से प्री स्कूल से लेकर सेकेण्डरी तक – सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित होने की आशा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रस्तावित उपायों में कुछ हैं: बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा के नवाचारी केंद्रों की स्थापना, बीच में पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों को वापस मुख्य धारा में लाना, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का पता लगाना, समुचित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास, उद्यमिता अभिरुचि को बढ़ावा देना, वयस्क साक्षरता और जीवन को खुशहाल बनाने के कार्यक्रम।

वर्तमान स्थिति:

- 1.2 भारत में शिक्षा तीन स्तरीय मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और विश्वविद्यालयों या समान स्तर के अन्य संस्थानों में तृतीयक स्तर पर शिक्षा शामिल है। दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग वह प्रमुख निकाय है जो शिक्षा से संबंधित कार्यों को देखता है। “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट सुविधा वंचित बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तृतीयक स्तर पर शिक्षा का संचालन उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है।
- 1.3 दिल्ली में मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 5691 है, जिनमें लगभग 44.76 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। दिल्ली में, दिल्ली सरकार के जिम्मे 1230 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो राजधानी में चल रहे स्कूलों का 21.61 प्रतिशत है, जबकि 2019-20 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत सभी स्कूलों में कुल नामांकन का 37.18 प्रतिशत है। दिल्ली में साक्षरता दर में लगातार सुधार हो रहा है और साक्षरता अंतराल में लगातार कमी आ रही है। यह शिक्षा क्षेत्र के अनवरत और अथक प्रयासों का परिणाम है। सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में सुधार के अनेक उपाय किए हैं। महिला और पुरुष, दोनों की साक्षरता दर में बढ़ोतरी का रुझान है। 2011 की जनगणना में साक्षरता दर बढ़ कर 86.20 प्रतिशत हो गई है, जबकि 1991 की जनगणना में यह 75.29 प्रतिशत थी।

- 1.4 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार शिक्षा क्षेत्र में भारी सार्वजनिक निवेश के जरिए विद्यार्थी को एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार अथक प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानवीय मूल्यों का विकास करना और उन्हें देश का एक उत्तरदायी नागरिक बनाना है। सरकार के कुल वार्षिक बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए तथा दिल्ली में शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में विकास के रखा गया है। बजट व्यय का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षकों में उच्च कौशल सृजित करना, नवाचारी शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करना तथा खेल कूद प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है।
- 1.5 दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में व्यापक सराहना हो रही है। स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षण से संबंधित अभिनव रणनीतियों ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अनूठा बना दिया है, जिसके माध्यम से पढ़ाई लिखाई को अधिक रुचिकर और आनंददायक बना कर बच्चों के शिक्षण अनुभव में लगातार सुधार लाया जा सकता है। हैपीनेस पाठ्यक्रम ने बच्चों में सहानुभूति, विवेकपूर्ण सोच विचार, समस्याओं को हल करने का तरीका, समाज में सार्थक संबंध विकसित करने के लिए संवाद और सहयोग जैसे कौशल विकसित करने में मदद की है। स्कूलों में चुनौती, मिशन बुनियाद, प्रगति, शिक्षण सामग्री, स्पोकन इंग्लिश कक्षाएं जैसे कई गुणवत्तापूर्ण सुधार कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
- 1.6 नई शिक्षा नीति 2020 ने बहु-विषयक अध्ययन को बढ़ावा देने तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्य के नियमन, प्रशासन और संवर्धन के लिए प्रणालीबद्ध और संस्थागत सुधारों पर बल दिया है। इसके अलावा यह नीति समानता, गुणवत्ता, सुलभता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी-04) के अनुरूप 2030 तक सबके लिए समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

1.7 उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे स्मार्ट कक्षाएं, स्वीमिंगपूल, कक्षा पुस्तकालय, व्यावसायिक प्रयोगशालाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं जो इन स्कूलों को निजी विद्यालयों के न केवल समकक्ष बनाती हैं, बल्कि कई मायनों में अनूठा भी साबित करती हैं। 20 नए पक्के स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है और कक्षा विद्यार्थी अनुपात में सुधार और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कूल भवनों में 8000 से अधिक अतिरिक्त क्लास रूम बनाए गए हैं। प्रत्येक सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2019-20 के दौरान 728 स्कूल भवनों में से 459 में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम पूरा हो चुका है। प्राइमरी सेक्शन में 4513 कक्षा पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। स्कूल पुस्तकालयों के लिए 733874 पुस्तकें खरीदी गई हैं। सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, बिजली कनेक्शन और चारदीवारी है।

1.8 प्रमुख गतिविधियां

- (i) शिक्षा निदेशालय का लक्ष्य दिल्ली में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सतत और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाल के वर्षों में कई नई पहल की गई हैं। इनमें बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सरकारी स्कूलों का विकास और आसपास के माहौल को बेहतर बनाना, अध्यापन कला में सुधार, सतत संपर्क प्रयासों से माता-पिता/समुदाय को शामिल करना, गहन शिक्षक प्रशिक्षण और सबसे बढ़ कर लक्षित शिक्षण विधियों से सीखने में कठिनाई वाले बच्चों की मदद करना और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना, शिक्षण सामग्री और आकलन साधनों की री-डिजाइनिंग शामिल है।
- (ii) शिक्षा का अधिकार अधिनियम-आरटीई के कार्यान्वयन का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम लागू होने से विभिन्न मुद्दों के समाधान के तरीके में भारी बदलाव आया है, जिसमें बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मजबूती दिए जाने को प्राथमिकता देना, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं में सुधार, विद्यालयों के प्रमुखों को और सशक्त बनाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण, माता पिता की सक्रिय भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना जैसे बदलाव शामिल हैं। इस संदर्भ में शिक्षा निदेशालय ने कई सार्थक पहल की हैं, जैसे अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश देने और प्रभावी विद्यार्थी-क्लासरूम अनुपात (एससीआर) सुनिश्चित करने के लिए नए स्कूल भवनों और अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में कारगर संवाद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन और एससीईआरटी द्वारा निर्वाचित एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (iii) आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश देने का निर्देश पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके लिए अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप कम्प्यूटराइज्ड ड्रा से प्रवेश देने के लिए बच्चों के नाम निकाले जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान लगभग 8000 अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण पूरा किया गया है और उन्हें उपयोग में लिया जा रहा है, अन्य 12000 अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। लगभग 20 नए स्कूल भवनों का निर्माण अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है और 30 अन्य स्कूल भवनों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव पाइपलाइन में है। 459 स्कूल भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 140 भवनों में इन्हें लगाने का काम प्रगति पर है। परियोजना के अंतर्गत माता-पिता को उनके बच्चों के बारे में फीडबैक देने का प्रस्ताव भी शामिल है। मौजूदा स्कूलों में चरणबद्ध रूप से बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है।
- (iv) प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए पहल में शिक्षण स्तर में सुधार पर केंद्रित बुनियादी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, पढ़ाई लिखाई को रुचिकर और आनंदप्रद बनाने के लिए हैपीनेस पाठ्यक्रमों को लागू करना और बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए क्लासरूम पुस्तकालयों की स्थापना शामिल है। प्राइमरी सेक्शन में 4513 क्लासरूम पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। विद्यालय पुस्तकालयों के लिए 733874 पुस्तकें खरीदी गई हैं।

- (v) शिक्षा निदेशालय ने उन विद्यार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित की है, जो कक्षा 9/10 में बार बार फेल हो गए हैं और जिन्होंने बढ़ती उम्र के कारण नियमित विद्यालय में प्रवेश लेने से इन्कार कर दिया, ताकि उनकी शिक्षा जारी रखने में बाधा बन रही समस्याओं से सतर्कतापूर्वक निपटा जा सके और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने से पहले उनके ड्रापआउट की आशंका दूर की जा सके। निदेशालय ने इसके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान बोर्ड का शैक्षणिक विकल्प लागू किया है।
- (vi) शिक्षा निदेशालय ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए विशेष संस्थानों के माध्यम से अंग्रेजी बोलने और सीखने के कौशल को बढ़ावा देने की योजना लागू की है। उद्यमिता अभिरुचि को बढ़ावा देने की योजना वर्ष 2019-20 के शैक्षणिक वर्ष से लागू की गई है।
- (vii) कोविड-10 महामारी के दौरान शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई है। शिक्षकों ने अपनी शैक्षणिक ड्यूटी के अलावा कोरोना योद्धा की असाधारण भूमिका भी निभाई।
- (viii) बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए सुचारु माहौल सृजित करने के लिए माता-पिता, बच्चों और शिक्षकों के बीच व्यापक बैठकों के आयोजन, स्कूल प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन से सद्भावपूर्ण संबंध विकसित किया गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और स्कूल लीडर्स को विश्व के कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से सीखने का अवसर प्रदान किया गया है। इनमें अन्य संस्थानों के अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और एनआईई सिंगापुर शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र में सरकार के सतत और अथक प्रयासों से परीक्षा परिणामों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास होने का प्रतिशत काफी बढ़ा है। वर्ष 2019-20 में यह सेकेंडरी स्तर पर (82.61 प्रतिशत) और उच्चतर माध्यमिक स्तर (97.92 प्रतिशत) रहा।
- (ix) शिक्षा क्षेत्र में सरकार की रणनीतियों से गुणवत्तापूर्ण सुलभ शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो रही है। स्कूल ड्रापआउट को रोकना तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार लाना संभव हुआ है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के पैटर्न पर राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए शिक्षण परिणामों का समय समय पर आकलन किया जा रहा है तथा शिक्षा विज्ञान और पाठ्यक्रम में लगातार शोध और सुधार के प्रयास जारी हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए उच्च कौशल प्राप्त और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रति वर्ष शिक्षा क्षेत्र को वार्षिक बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया जा रहा है।
- (x) उच्च गुणवत्ता पूर्ण, सुलभ और सबके लिए समान शिक्षण प्रणाली और समान अवसरों के रूप में शिक्षा क्षेत्र में समग्र बदलाव के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप इस लक्ष्य को पूरा करने के मार्ग में कई चुनौतियां हैं। शिक्षा में कई स्तरों पर अभी भी गुणवत्ता में कमी, स्कूल ड्रापआउट की समस्या, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा तक पहुंच सुलभ करना, महिलाओं और वंचित वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती अभी सामने हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। उच्चतर और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में सीटों की भारी कमी है। उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में सुधार किए जाने की आवश्यकता है तथा अतिथि शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किए जाने की जरूरत है।

- 1.9 शिक्षा क्षेत्र में निवेश से इस क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता देने का सरकार का निर्णय निम्नलिखित विवरण 15.1 से स्पष्ट है।

विवरण 15.1

दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय

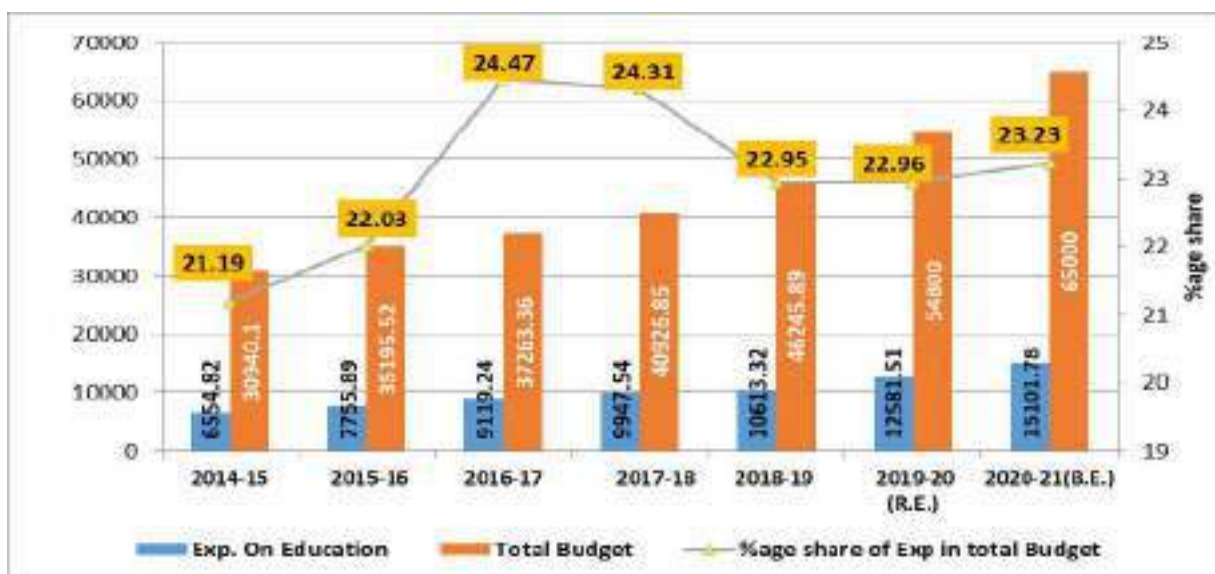
(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	वर्ष	शिक्षा पर व्यय	कुल बजट	कुल बजट में व्यय की प्रतिशत हिस्सेदारी	प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का जीएसडीपी	दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय
1.	2014-15	6554.82	30940.10	21.19	494803	1.32
2.	2015-16	7755.89	35195.52	22.03	550804	1.41
3.	2016-17	9119.24	37263.36	24.47	616085	1.48
4.	2017-18	9947.54	40926.85	24.31	677900	1.47
5.	2018-19	10613.32	46245.89	22.95	750962	1.41
6.	2019-20 (सं.अ)	12581.51	54800.00	22.96	830872	1.51
7.	2020-21(ब.अ.)	15101.78	65000.00	23.23	798310	1.89

स्रोत : बजट दस्तावेज और अर्थशास्त्र सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस)

- 1.10 विवरण 15.1 के अनुसार खेल-कूद तथा कला और संस्कृति सहित शिक्षा का कुल व्यय (योजना और गैर-योजना) 2014-15 में 6555 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 में बढ़ कर 15102 करोड़ रुपये हो गया। दिल्ली सरकार के कुल बजट में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय 2014-15 के 21 प्रतिशत से बढ़ कर 2020-21 में 23 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.89 प्रतिशत था। शिक्षा पर व्यय में वर्षवार वृद्धि चार्ट 15.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 15.1



2. शिक्षा पर राज्यों का खर्च—भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट विश्लेषण के अनुरूप

- 2.1 भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि देश के सभी राज्यों में से रा.रा. क्षे. दिल्ली की सरकार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर व्यय कर रही है। 2020–21 के दौरान दिल्ली शिक्षा क्षेत्र के लिए 23.2 प्रतिशत के बजट अनुमान के साथ दिल्ली शीर्ष पर था। इसके बाद छत्तीसगढ़ (18.8 प्रतिशत) और असम (18.7 प्रतिशत) का स्थान था। 2020–21 में राष्ट्रीय औसत 14.7 प्रतिशत थी।
- 2.2 राज्यों के बजट विश्लेषण पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली का बजटीय आवंटन सर्वाधिक है। नीचे दिए गए विवरण 15.2 में पिछले 6 वर्षों में कुछ राज्यों के समग्र व्यय में से शिक्षा पर हुए खर्च का हिस्सा प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 15.2 समग्र व्यय के अनुपात में शिक्षा पर व्यय

(प्रतिशत में)

क्र. स.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं अ)	2020-21 (ब अ)
1.	गुजरात	15.2	15.2	14.5	14.1	14.0	13.7	13.0
2.	हरियाणा	16.9	12.3	13.7	13.4	13.2	13.7	15.9
3.	कर्नाटक	14.3	13.6	12.5	12.0	11.4	12.5	12.2
4.	केरल	16.4	16.0	16.2	16.3	15.1	14.3	13.6
5.	महाराष्ट्र	19.2	19.2	17.7	17.0	15.6	16.0	16.8
6.	असम	24.7	25.5	22.0	21.6	21.8	18.1	18.7
7.	हिमाचल प्र.	17.7	16.3	15.2	17.6	16.5	16.4	16.9
8.	छत्तीसगढ़	20.2	18.6	19.6	18.5	17.4	17.3	18.8
9.	तमिलनाडु	15.8	15.5	13.0	14.4	13.9	13.8	13.9
10.	उत्तर प्रदेश	15.0	15.5	16.7	14.8	12.4	12.6	12.9
11.	दिल्ली	21.2	21.8	24.2	24.2	22.8	22.9	23.2
	अखिल भारत	16.0	15.3	14.7	15.0	14.4	14.3	14.7

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक वेबसाइट में राज्य बजट विश्लेषण (27 अक्टूबर, 2020) रिपोर्ट

3. साक्षरता

- 3.1 साक्षरता दर, 7 वर्ष और ऊपर के लोगों में साक्षर लोगों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यक्ति, जो पढ़ सकता है और किसी भी भाषा में सरल संदेश लिख सकता है उसे समझते हुए उसे साक्षर माना जाता है।
- 3.2 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में साक्षरता दर 86.2 प्रतिशत थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत थी। यह 73 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत थी। दिल्ली में साक्षरता में स्त्री-पुरुष अंतराल 2001 के 12.62 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 10.1 पर आ गया।

- 3.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग (एनएसओ), भारत सरकार ने “परिवार सामाजिक उपभोग : शिक्षा” पर एनएसएस की 75वीं रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें 8000 गांवों आसैर 6000 शहरी प्रखंडों में 1.13 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। यह रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच प्राप्त डेटा पर आधारित है और 7 वर्ष या ऊपर के आयुवर्ग के लिए है।
- 3.4 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 88.7 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर 93.7 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 82.4 प्रतिशत है। ये दोनों दरें अखिल भारतीय साक्षरता दर से अधिक हैं। देश की औसत साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है।
- 3.5 दिल्ली में साक्षरता में लगातार सुधार हो रहा है और इसके साथ ही साक्षरता अंतराल में गिरावट आ रही है। यह सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सुधार के लिए शिक्षा क्षेत्र में किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। महिला और पुरुष दोनों साक्षरता दर में बढ़ोतरी का रुख है। 1991 में 75.29 प्रतिशत की साक्षरता दर बढ़ कर 2011 में 86.2 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2017-18 में और बढ़ोतरी के साथ 88.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 11 प्रतिशत का अंतराल अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका समाधान करना जरूरत है।

4. शैक्षिक संस्थानों का नेटवर्क और सभी प्रबंधन द्वारा संचालित स्कूलों में दाखिले

सभी प्रकार के प्रबंधन जैसे स्थानीय निकायों, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों के नेटवर्क की जानकारी विवरण 15.3 में दर्शायी गयी है :

विवरण 15.3

क्र सं	मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	शैक्षिक संस्थान						
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	2806	2779	2735	2745	2718	2682
	मिडिल	933	940	933	905	872	867
	माध्यमिक	385	393	400	374	367	359
	वरिष्ठ माध्यमिक	1674	1684	1704	1736	1769	1783
	कुल स्कूल	5798	5796	5772	5760	5726	5691
2	स्कूल में दाखिला (लाख में)						
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	20.83	21.02	20.83	20.63	20.79	21.08
	मिडिल	11.16	11.20	11.27	11.21	11.23	11.39
	माध्यमिक	6.52	6.92	7.41	7.00	7.31	7.27
	वरिष्ठ माध्यमिक	5.62	5.16	4.92	5.09	4.86	5.02
	कुल स्कूल	44.13	44.30	44.43	43.93	44.19	44.76
3.	अध्यापक						
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	29708	29577	28989	28048	27662	27040
	मिडिल	11741	12315	12657	12392	12431	12905
	माध्यमिक	9370	10292	9401	9512	9805	9829
	वरिष्ठ माध्यमिक	88661	93909	97224	97291	105848	107944
	कुल स्कूल	139480	146093	14827	14724	155746	157718
	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	32	30	30	30	28	28

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2020-21

5. दिल्ली सरकार के शैक्षिक संस्थानों का नेटवर्क और पंजीकरण

- 5.1 दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंतर्गत कुल 1230 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो दिल्ली में चल रहे कुल स्कूलों का 21.61 प्रतिशत हैं। 2019-20 के दौरान सभी स्कूलों में कुल दाखिलों में सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की हिस्सेदारी 37.18 प्रतिशत रही।
- 5.2 दिल्ली सरकार के अंतर्गत संचालित विद्यालयों की संख्या और नामांकन की स्थिति विवरण 15.4 दी गई है।

विवरण 15.4

क्र सं	संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
क	दिल्ली सरकार के स्कूलों की संख्या	1007	1011	1017	1019	1022	1026
	कुल नामांकन (लाख में)	15.42	15.09	15.28	14.81	14.98	15.19
	लड़के	7.40	7.14	7.18	6.91	7.01	7.13
	लड़कियां	8.02	7.95	8.10	7.90	7.97	8.00
ख	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या	211	211	211	208	207	204
	कुल नामांकन (लाख में)	1.63	1.68	1.57	1.55	1.49	1.45
	लड़के	0.87	0.85	0.83	0.82	0.78	0.75
	लड़कियां	0.76	0.83	0.74	0.73	0.71	0.70

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.सरकार

- 5.3 राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छता में सुधार, सुरक्षा, बिजली, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, चारदिवारी और बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं। नीचे दी गई तालिका से संकेत मिलता है कि खेलकूद मैदान और कम्प्यूटर जैसी कुछ सुविधाओं में सुधार की गुंजाइश है।

विवरण 15.5

दिल्ली के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

निम्नांकित सुविधाएं रखने वाले स्कूलों का प्रतिशत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
खेल का मैदान	85.8	87.4	87.37	88.06	85.89	88.28
बाउंडरी वाल	99.4	99.5	99.90	99.88	100	100.00
लड़कियों के लिए शौचालय	100	100	100	100	100	100.00
लड़कों के लिए शौचालय	100	100	100	100	100	100.00
पेयजल सुविधा	100	100	100	100	100	100.00
विद्युत कनेक्शन	99.9	99.9	99.90	100	100	100.00
कम्प्यूटर सुविधा *	81	83.9	87.18	88.82	89.26	97.56

स्रोत: एलिमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया, डीआईएसई पब्लिकेशंस, एनयूपीईए

* कम्प्यूटर सुविधा – 1230 शिक्षा निदेशालय और शिक्षा निदेशालय सहायता प्राप्त स्कूलों में से 1200 स्कूलों को आईसीटी और सीएएल जानकारी उपलब्ध कराई गई।

6. सकल दाखिला अनुपात (जीईआर)/निवल दाखिला अनुपात (एनईआर)

- 6.1 सकल दाखिला अनुपात की गणना किसी निर्दिष्ट कक्षा या कक्षाओं के समूह में निर्दिष्ट आयु समूह के विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है। दूसरी ओर निवल दाखिला अनुपात निर्दिष्ट शैक्षिक स्तर के लिए आधिकारिक आयु समूह का दाखिला है, जो उस आयु समूह की समनुरूप आबादी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
- 6.2 यूडीआईएसई+रिपोर्ट के अनुसार, 2018–19 में दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात 120.15 प्रतिशत था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 101.25 प्रतिशत था।

विवरण 15.6

शिक्षा वर्ष 2018–19 में सकल नामांकन अनुपात

शिक्षा स्तर	दिल्ली			अखिल भारत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
प्राइमरी	118.7	121.85	120.15	100.76	101.78	101.25
अपर प्राइमरी	117.99	122.72	120.15	87	88.54	87.74
एलिमेंट्री,	118.43	122.18	120.15	95.52	96.72	96.1
सेकेंडरी	107.67	113.66	110.43	76.87	76.93	76.90
हायर सेकेंडरी	66.94	73.94	70.07	49.49	50.84	50.14

(स्रोत : यूडीआईएसई + रिपोर्ट)

- 6.3 **निवल नामांकन अनुपात** : नीचे दी गई तालिका में यह देखा जा सकता है कि निवल दाखिला अनुपात-एनईआर में पिछले वर्षों में दिल्ली की स्थिति में सुधार आया और यह 2018–19 के दौरान 89.14 राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस प्रकार उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दिल्ली जीईआर और एनईआर के संदर्भ में अखिल भारतीय आंकड़ों से काफी आगे है।

विवरण 15.7

शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में निवल नामांकन अनुपात

शिक्षा का स्तर	दिल्ली			अखिल भारत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
प्राइमरी	100	100	100	88.54	89.81	89.14
अपर प्राइमरी	90.83	94.93	92.71	68.16	69.90	68.99
एलिमेंट्री,	97.39	100	98.92	80.78	82.19	81.46
सेकेंडरी	67.91	73.12	70.31	48.24	49.00	48.60
हायर सेकेंडरी	43.14	47.48	45.08	29.99	31.65	30.78

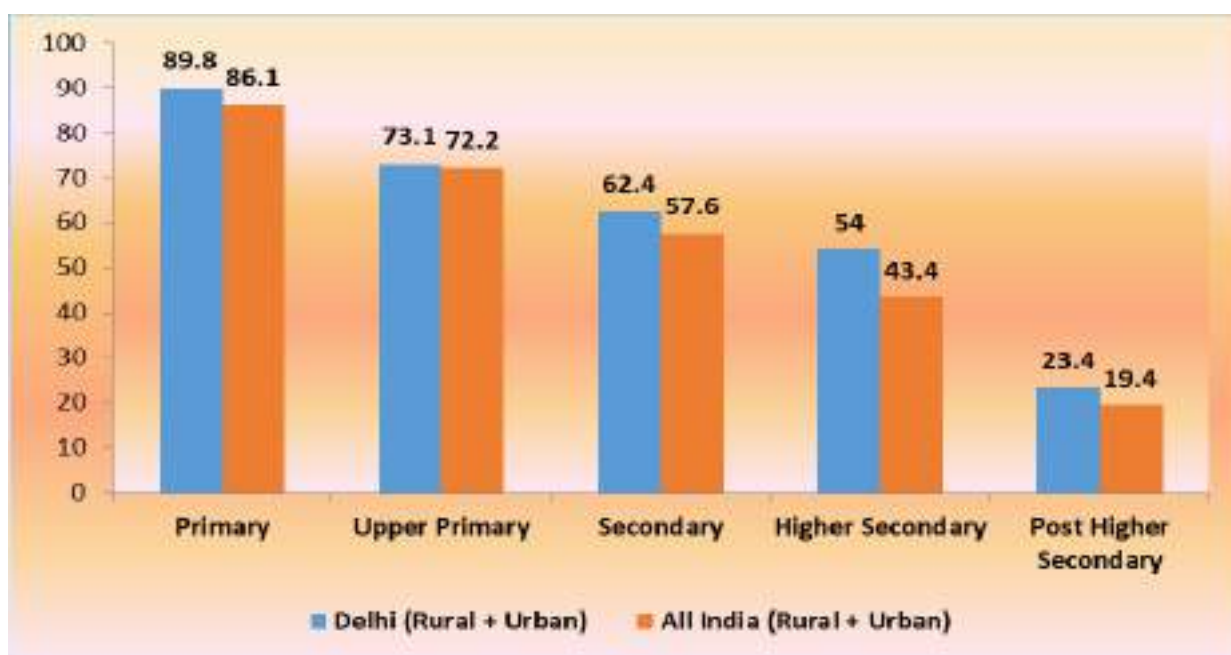
- 6.4 75वें एनएसएस सर्वेक्षण (जुलाई 2017–जून 2018) के अनुसार दिल्ली और अखिल भारत का निवल उपस्थिति अनुपात विवरण 15.8 में दर्शाया गया है।

विवरण : 15.8

शिक्षा का स्तर	दिल्ली (ग्रामीण+शहरी)			अखिल भारत (ग्रामीण+शहरी)		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
प्राइमरी	92.8	85.5	89.8	86.8	85.1	86.1
अपर प्राइमरी	80.3	65.8	73.1	72.5	71.8	72.2
सेकेंडरी	57.9	71.0	62.4	57.9	57.3	57.6
हायर सेकेंडरी	56.0	50.9	54.0	43.9	42.7	43.4
पोस्ट हायर सेकेंडरी	20.3	27.5	23.4	21.1	17.6	19.4

विवरण 15.8 और चार्ट 15.2 दर्शाते हैं कि दिल्ली का निवल उपस्थिति अनुपात (एनएआर) सभी स्तरों पर अखिल भारतीय एनएआर से अधिक है।

चार्ट 15.2



7. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियां

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक उपलब्धियों और परिणामों के आकलन के लिए कराया जाता है ताकि प्राथमिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सके। एनएसएस रिपोर्ट 2017 के अनुसार दिल्ली में कक्षा 3 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों का प्रदर्शन गणित, पर्यावरणीय अध्ययन और साथ ही भाषा में राष्ट्रीय औसत से नीचे था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इन सभी तीन क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। इसे विवरण 15.9 में दर्शाया गया है।

विवरण : 15.9

निम्नांकित में प्रवीणता	दिल्ली			राष्ट्रीय औसत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तीसरी कक्षा						
गणित	54	54	54	64	64	64
पर्यावरण अध्ययन	55	56	55	64	65	65
भाषा	57	59	58	67	68	68
पांचवीं कक्षा						
गणित	43	45	44	54	54	54
पर्यावरण अध्ययन	48	50	49	57	57	57
भाषा	50	54	52	58	59	58
आठवीं कक्षा						
भाषा	53	56	55	56	57	57
गणित	32	32	32	42	42	42
विज्ञान	34	34	34	44	44	44
सामाजिक विज्ञान	34	36	36	44	44	44

स्रोत : दिल्ली राज्य शिक्षण रिपोर्ट, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017

8. सकल नामांकन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी

वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान दिल्ली में स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी विवरण 15.10 में दर्शायी गई है।

विवरण : 15.10
स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी

वर्ष	स्कूल (नामांकन लाख में)	प्राथमिक और मिडल	माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक	कुल
2014-15	निजी स्कूल	9.94	3.53	13.47
	कुल दाखिले	31.99	12.14	44.13
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	31.07	29.08	30.52
2015-16	निजी स्कूल	10.34	3.62	13.96
	कुल दाखिले	32.22	12.08	44.30
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	32.09	29.96	31.51
2016-17	निजी स्कूल	14.06	3.69	17.75
	कुल दाखिले	32.10	12.33	44.43
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	43.80	29.93	39.95

वर्ष	स्कूल (नामांकन लाख में)	प्राथमिक और मिडल	माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक	कुल
2017-18	निजी स्कूल	14.51	3.81	18.32
	कुल दाखिले	31.85	12.08	43.93
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की	45.56	31.54	41.70
2018-19	निजी स्कूल	14.94	3.87	18.81
	कुल दाखिले	32.03	12.17	44.20
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की	46.64	31.80	42.56
2019-20	निजी स्कूल	15.17	3.92	19.09
	कुल दाखिले	32.47	12.29	44.76
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की	46.72	31.90	42.65

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

विवरण 15.10 में दर्शाए गए आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्तर पर कुल नामांकन में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई और यह वर्ष 2014-15 के 31.07 प्रतिशत से बढ़ कर 2019-20 में 46.72 प्रतिशत हो गई। जबकि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 29.08 प्रतिशत से बढ़ कर 2019-20 में 31.90 प्रतिशत हो गई। इस विश्लेषण से स्पष्ट संकेत मिलता है कि माता पिताओं में अपने बच्चों को निजी क्षेत्र के स्कूलों में देने को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर में कुल नामांकन पर निजी स्कूलों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है लेकिन तुलनात्मक रूप से धीमी गति से।

9. दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कार्य निष्पादन – उत्तीर्णता प्रतिशत

9.1 2014-2020 के दौरान दिल्ली में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत संबंधी सूचना विवरण 15.11 में दी गयी है :

विवरण 15.11

दिल्ली और भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई के परिणामों का उत्तीर्णता प्रतिशत : 2014-2019

क्र सं	क्षेत्र/कक्षा स्तर	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.								
दिल्ली	माध्यमिक	98.81	95.81	89.25	92.44	68.90	71.58	82.61
	वरिष्ठ माध्यमिक	88.67	88.11	88.91	88.27	90.64	94.24	97.92
2.								
अखिल भारत	माध्यमिक	98.87	97.32	96.21	93.06	86.70	91.10	91.46
	वरिष्ठ माध्यमिक	82.66	82.00	83.05	82.02	83.01	83.40	88.78

स्रोत : दिल्ली शिक्षा निदेशालय और दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैडबुक, 2020 रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

उपरोक्त विवरण से अनुमान लगाया जा सकता है कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर दिल्ली का उत्तीर्णता प्रतिशत पिछले सात वर्षों के दौरान अखिल भारतीय स्तर से ऊंचा रहा है। माध्यमिक स्तर पर यह राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है। माध्यमिक स्तर पर अपेक्षाकृत मामूली नतीजे संबंधिक शैक्षिक स्तर/कक्षाओं में सीखने में परिणाम मूलक गुणवत्ता की कमी को दर्शाते हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के सीखने के कौशल में सुधार के लिए सरकार ने 'चुनौती 2018' और 'मिशन बुनियाद' जैसी पहल की हैं।

विवरण 15.12
स्कूली शिक्षा क्षेत्र में निवेश

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	शिक्षा पर व्यय	दिल्ली का कुल बजट	कुल बजट में शिक्षा व्यय की प्रतिशत	वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली का जीएसडीपी	दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय
1.	2014-15	6145.03	30940.10	19.86	494803	1.24
2.	2015-16	7178.57	35195.52	20.40	550804	1.30
3.	2016-17	8561.85	37263.36	22.98	616085	1.39
4.	2017-18	9208.77	40926.85	22.50	677900	1.36
5.	2018-19	9837.51	46245.89	21.27	750962	1.31
6.	2019-20 (सं.अ.)	11701.44	54800.00	21.35	830872	1.41
7.	2020-21 (ब.अ.)	13867.46	65000.00	21.33	798310	1.74

स्रोत : बजट दस्तावेज और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग

2020-21 में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में शिक्षा व्यय सर्वाधिक 1.74 प्रतिशत है।

10 शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी व्यय

दिल्ली में सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च 2016-17 में 50,812 रुपये था जो कि वर्ष 2020-21 में बढ़कर 78,082 हो गया। शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी व्यय के बारे में वर्ष वार जानकारी विवरण 15.13 में दी गयी है।

विवरण 15.13
दिल्ली में शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी व्यय

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (RE)	2020-21 (BE)
व्यय (प्रति वर्ष)	36041	42806	50812	56288	59730	70321	78082

नोट : व्यय राजस्व और पूंजी दोनों के समग्र व्यय पर आधारित है।

11. 2019-20 के दौरान स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पहल

• **उद्यमिता विकास कार्यक्रम**

वर्ष 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के लिए एक नई योजना उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू की गई। शुरू की गई योजना के तहत कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को उद्यमिता सीड मनी के रूप में 1000 रुपये प्रति विद्यार्थी व्यवसाय योजना विकास के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से 2019-20 तक 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं।

- **डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा फेलोशिप (सरकारी स्कूल/आरपीवीवी) :** इसका उद्देश्य आरपीवीवी और एसओई के तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले और क्लास 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर टेबलेट प्रदान करना है। वर्ष 2019–20 में 10949 ऐसे विद्यार्थियों को कम्प्यूटर टेबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
- **हैपीनेस पाठ्यक्रम :** हैपीनेस पाठ्यक्रम बच्चों में अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार में माता पिता और स्कूल के साथियों के साथ शालीन व्यवहार और सौहार्दपूर्ण संबंध की क्षमता विकसित कर रहा है। इस पाठ्यक्रम से बच्चे अधिक आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से मजबूत हुए हैं। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग के सभी सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है और वर्ष 2019–20 के दौरान 7.95 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं।
- शिक्षा निदेशालय ने एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी को आउटसोर्स कर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के अंग्रेजी बोलने और संवाद कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से एक नई योजना का शुभारंभ किया था। वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 40000 विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन किया गया।
- गर्मियों की छुट्टियों के दौरान प्रतिदिन आधार पर कक्षाओं का संचालन किया गया। उद्देश्य था— कला और शिल्प, संगीत, अभिनय इत्यादि के साथ साथ पठन—पाठन, लेखन और गणित कौशल में सुधार करना। 2.28 लाख विद्यार्थियों ने दिल्ली सरकार के स्कूलों द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाग लिया।
- सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्राइमरी सेक्शन में 4513 क्लास रूम पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं और स्कूल पुस्तकालयों के लिए 7.34 लाख पुस्तकें खरीदी गई हैं।

11.1 वर्ष 2019–20 के दौरान स्कूली शिक्षा में उपलब्धियां परीक्षा परिणाम

- शैक्षणिक सत्र 2019–20 के दौरान सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा का उत्तीर्णता प्रतिशत 97.92 प्रतिशत रहा जबकि 2018–19 में यह 94.24 प्रतिशत था।
- 10वीं कक्षा के स्तर पर सरकारी स्कूलों का उत्तीर्णता 5 प्रतिशत 2018–19 के 71.58 प्रतिशत की तुलना में 2019–20 के शिक्षा सत्र में 82.61 प्रतिशत रहा।

प्रशिक्षण

- (i) सभी नवनियुक्त एचओएस और शिक्षकों को एससीईआरटी द्वारा एसएसए प्रायोजित मॉड्यूल के तहत गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 2019–20 में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागी कुल शिक्षकों की संख्या 1,39,588 थी।
- (ii) मेंटर शिक्षक कार्यक्रम की पहल का स्कूली स्तर पर बच्चों को दिए जाने वाले अनुदेशों की गुणवत्ता सुधार पर प्रभावी असर पड़ा।
- (iii) शिक्षा निदेशालय के स्कूलों के सभी शिक्षकों को शिक्षण सामग्री के ऑनलाइन उपयोग तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति उनकी शैक्षणिक प्रगति और पढ़ने में आ रही बाधाओं का पता लगाने के लिए टेबलेट दिया गया है।

11.2 समग्र शिक्षा (एसएस)

समग्र शिक्षा भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत शिक्षकों की भर्ती, बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए सहयोग दिया जाता है। वर्ष 2018–19 से 3 सीएसएस स्कीम—एसएसए, आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा स्कीम समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाई गई हैं। इस योजना का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से सबके लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा कर प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है।

- स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए 790 विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), स्थापित किए गए हैं।
- एसएसए के तहत 36768 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- एसटीसी में 30866 बच्चों को नामांकित किया गया है।

ईडब्ल्यूएस प्रवेश

- वर्ष 2019–20 के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधा वंचित श्रेणी के 35962 विद्यार्थियों को ऑनलाइन लाटरी द्वारा चयन के आधार पर गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। 2018–19 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत प्रवेश की संख्या 32455 थी।

भौतिक बुनियादी ढांचा मजबूत करना

- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम प्रगति पर है। अब तक 728 स्कूल भवनों में से 459 में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।

विद्यार्थी कल्याण

- 'पाठ्यपुस्तकों की निशुल्क आपूर्ति' योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कुल लाभार्थियों की संख्या 16,77,764 थी। इनमें से 13,10,578 लाभार्थी आधार संख्या से और 3,67,186 लाभार्थी ईसीएस से जुड़े थे।
- 'विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफार्म के लिए सब्सिडी' योजना के तहत वर्ष 2019–20 के दौरान दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कुल लाभार्थियों की संख्या 17,12,198 थी। इनमें 13,21,617 लाभार्थी आधार से और 390581 लाभार्थी ईसीएस से जुड़े थे।

छात्रवृत्ति योजनाएं

- माता-पिता की 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी मुस्लिम और बौद्ध विद्यार्थियों को 500 रुपये वार्षिक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को और 1000 रुपये वार्षिक कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2019–20 के दौरान शैक्षणिक/आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक 2.57 लाख विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के तहत दी गई।
- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिवर्ष कक्षा 7 से 12 तक के उन विद्यार्थियों को दिए गए, जिन्होंने अपनी पूर्व कक्षा में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक

अर्जित किए थे। इस योजना के लिए माता पिता की आय की कोई सीमा नहीं रखी गई। कक्षा 7 से 12 तक के 29508 विद्यार्थियों को वर्ष 2019–20 के दौरान प्रत्यक्ष अंतरण के जरिए 2500 रुपये उपलब्ध कराए गए।

2020–21 के दौरान उपलब्धियां

- (i) वर्ष 2020–21 में कोरोना महामारी के कारण स्कूलों ने विद्यार्थियों के हित में ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ऑनलाइन आयोजित किए गए।
- (ii) वर्ष 2020–21 के दौरान सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 6 स्कूलों में साइंस स्ट्रीम और 3 स्कूलों में वाणिज्य स्ट्रीम की शुरुआत की गई। इसके अलावा विद्यार्थियों को व्यापक चुनाव का अवसर देने के लिए 76 स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त नए विषय भी शुरू किए गए।
- (iii) शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधा वंचित श्रेणी के लगभग 45000 बच्चों को निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश देने के लिए केंद्रीयकृत ऑनलाइन ड्रा आयोजित किया।
- (iv) कोविड-19 के बावजूद स्कूलों ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराईं और छात्राओं को सेनिटरी नेपकिन दिए गए।
- (v) एससीईआरटी नियमित रूप से (प्रत्येक 2 सप्ताह पर एक) ऑनलाइन लाइव उद्यमिता संवाद सत्र (एलईआई) का संचालन कर रहा है, जिसमें सफल उद्यमी अपनी विकास यात्रा और चुनौतियों को विद्यार्थियों के साथ साझा करते हैं।
- (vi) स्थानीय और राष्ट्रीय धरोहरों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए 60 स्कूलों का चयन धरोहर क्लब की स्थापना के लिए किया गया है।
- (vii) अप्रैल और मई 2020 में हेपीनेस पाठ्यक्रम के बारे में सप्ताह में तीन दिन इंटरैक्टिव वायस रिस्रॉस (आईवीआर) संदेश विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए। हैपीनेस जिला समन्वयकों के द्वारा अप्रैल महीने में विद्यार्थियों और माता-पिताओं के लिए 15 दिन का यूट्यूब सत्र भी आयोजित किया गया। फेसबुक पर हेपीनेस पाठ्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट की श्रृंखला भी शुरू की गई है।
- (viii) शिक्षा निदेशालय के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लगभग 164000 विद्यार्थियों में से लगभग 108978 विद्यार्थियों ने शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन परामर्शदाताओं के द्वारा आमने सामने के परामर्श में भाग लिया। इससे माता पिता और बच्चों को अपने करियर के बारे में सभी पहलुओं से अवगत होकर निर्णय लेने में मदद मिली। इस संदर्भ में सीजीसीसी पोर्टल भी करियर, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश संबंधी अधिसूचना के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है।
- (ix) कोरोना अवधि के दौरान दोपहर का भोजन (मिड डे मील) उपलब्ध कराने की योजना के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सभी पात्र विद्यार्थियों को मार्च 2020 से जून 2020 की अवधि तक पके हुए भोजन के स्थान पर खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराया गया। जुलाई से दिसंबर 2020 तक की अवधि में विद्यार्थियों को मिड डे मील के स्थान पर सूखे राशन का पैकेट दिया गया।

13. उच्च शिक्षा

- 13.1 राज्य सरकार का विशेष ध्यान युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार पाने योग्य बनाना है। दिल्ली में उच्च शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में प्रभावी वृद्धि का रुख रहा है और यही प्रवृत्ति अगले वित्तीय वर्षों में भी बने रहने की संभावना है। सरकार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पर ध्यान दे रही है। इसके लिए तृतीयक स्तर पर सुलभ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार किया जा रहा है। हाल में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, इन्व्यूबेशन केंद्रों के गठन और विद्यार्थियों में उद्यमिता प्रतिभा विकसित करने के लिए कई नवाचारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कौशल विकास संवर्धन सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। सरकार का उद्देश्य संस्थानों को उन्नत कर वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना है।

बजट में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ा कर वर्ष 2019-20 के 393 करोड़ रुपये से 2020-21 के लिए 593 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- 13.2 दिल्ली में वर्ष 2020-21 में कुल 222 उच्च शिक्षा संस्थान थे। नए पाठ्यक्रम लाकर और संस्थानों में प्रवेश की क्षमता बढ़ा कर उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है।

विवरण 15.14
दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थान

क्र सं	संस्थान	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	विश्वविद्यालय	11	12	12	12	13	13	14
2.	विश्वविद्यालय के रूप में समकक्ष संस्थान	12	12	11	11	11	11	9
3.	राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान	3	3	4	4	4	4	5
4.	सामान्य शिक्षा संबंधी कॉलेज	81	84	84	85	90	90	91
5.	व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कॉलेज	100	100	102	107	100	100	103
	कुल	207	211	213	219	218	218	222

स्रोत : डीएचई-एआईएसएचई पोर्टल 2019-20 तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट

नोट : कॉलेजों की संख्या में वृद्धि/कमी वर्ष विशेष में कॉलेजों को एफिलिएशन दिए जाने के कारण है।

- 13.3 विवरण 15.14 से पता चलता है कि दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों में से करीब 46 प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद करीब 41 प्रतिशत संस्थान सामान्य शिक्षा संस्था श्रेणी में और बाकी 13 प्रतिशत विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं।

विवरण 15.15
उच्च शिक्षा में कुल दाखिले (2017-18 से 2019-20)

(लाख में)

वर्ष	उच्च शिक्षा में कुल दाखिले		महिलाओं के दाखिले		दाखिलों में महिलाओं का प्रतिशत	
	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत
2017-18	10.64	366.42	4.99	174.37	46.89	47.58
2018-19	10.77	373.99	5.28	181.89	49.02	48.63
2019-20	10.99	362.53	5.43	177.19	49.41	48.88

उच्च शिक्षा के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) पोर्टल 2019-20

- 13.4 विवरण 15.15 से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन बढ़ता जा रहा है

विवरण 15.16
उच्च शिक्षा में विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों में स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक (जीपीआई)

स्तर	2019-20	
	दिल्ली	अखिल भारत
स्नातक	0.91	0.96
स्नातकोत्तर	1.51	1.32
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	0.76	0.84
एम.फिल.	1.03	1.65
पी-एच.डी	0.86	0.82
डिप्लोमा	0.82	0.52
सर्टिफिकेट	0.65	1.17
एकीकृत	0.49	0.78

स्रोत : उच्च शिक्षा में नामांकन के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर परिकलित

- 13.5 स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक (जीपीआई) उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली महिलाओं का पुरुषों की तुलना में अनुपात है। यह शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्त्री-पुरुष समानता की दिशा में प्रगति का पैमाना है और समाज में महिलाओं के सशक्तीकरण को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। इस सारिणी से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. और डिप्लोमा स्तर पर जीपीआई राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

13.6. 2019–20 में उच्च शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण बातें

- **सूरजमल विहार में गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर का निर्माण कार्य :** परियोजना का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। ये परियोजना दिसंबर 2020 तक पूरा कर लिए जाने तक लक्षित थी।
- **आम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) में परियोजनाओं का निर्माण :** विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (धीरपुर और रोहिणी) के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। दोनों परियोजनाओं का मास्टर प्लान और भवन निर्माण योजना अनुमोदित हो चुकी है और वैधानिक मंजूरी के लिए स्थानीय निकायों को सौंप दी गई है। परियोजना आरंभ किए जाने की प्रस्तावित तिथि जनवरी 2021 थी और इसे सितंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाना है।
- **एयूडी की शैक्षणिक उपलब्धियां :**
 - सत्र 2019–20 में पी.एचडी कार्यक्रम, शिक्षा शुरू किया गया है
 - शिक्षक शिक्षा इकाई (टीईयू) ने शिक्षकों के लिए 6 अनवरत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रम शुरू किया है।
 - सामुदायिक ज्ञान केंद्र ने एयूडी और दिल्ली अभिलेखागार के समन्वय से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम का आयोजन किया।
- **राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय :** राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने 4 सूत्री पैमाने पर 3.59 की सीजीपीए के साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को ए ग्रेड की आधिकारिक मान्यता दी है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग 2019 में विधि श्रेणी में दूसरा रैंक दिया गया है।
- **राज्य शुल्क नियामक समिति (एसएफआरसी) :** गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले निजी प्रबंधन संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए फीस निर्धारण के उद्देश्य से 5वीं राज्य शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया है। 5वीं राज्य शुल्क नियामक समिति दिल्ली सरकार के आधिकारिक गजट में भी अधिसूचित की गई है।
- **“दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट” :** की वित्तीय सहायता योजना से सम्बद्ध प्रतिभा-सह माध्यम (मेरिट-कम-मीन्स) – इस योजना के तहत 7 राज्य विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड रखने वाले विद्यार्थी अपनी ट्यूशन फीस के 100 प्रतिशत के बराबर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नहीं आने वाले विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, ट्यूशन फीस के 50 प्रतिशत के बराबर सहायता पा सकते हैं। 2.50 लाख रुपये से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष की आमदनी वाले परिवार के विद्यार्थी ट्यूशन फीस के 25 प्रतिशत के बराबर लाभ पाने के पात्र होंगे। वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के तहत 3760 विद्यार्थियों को 24.01 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
- **दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट की दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना –** इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को, दिल्ली में और दिल्ली से बाहर (भारत में) के उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए दिया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के तहत 18 विद्यार्थियों को 73.39 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहयोग के रूप में दी गई।

14 तकनीकी शिक्षा

- 14.1 तकनीकी शिक्षा बुनियादी वैज्ञानिक जानकारी के साथ साथ प्रायोगिक और व्यवहारिक कौशल प्रदान करती है। इसलिए यह विभिन्न पाठ्यक्रमों और सीखने के अनुभवों पर आधारित एक नियोजित कार्यक्रम है, जो करियर विकल्पों की तलाश के साथ शुरू होती है और बुनियादी शिक्षा तथा जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद देती है।
- 14.2 सरकार ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है तथा इसके लिए उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचे में विकास, विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ाने, नए पाठ्यक्रम शामिल करने, विद्यार्थियों में उद्यमिता क्षमता विकसित करने, इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करने जैसे अनेक उपायों की शुरुआत की है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आईटीआई, पोलिटेक्निक, विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्र, दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से बेहतर पहुंच और उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए समन्वित प्रयास कर रही है। शिक्षण संस्थानों को उपकरण, शिक्षण विधियों, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, पाठ्यक्रमों इत्यादि की गुणवत्ता के संदर्भ में अंतर कम करके विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल करना है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को विशेष अनुसंधान अनुदान देकर और फ़ैकल्टी विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक अनुदान देकर प्रोत्साहित किया है।
- 14.3 दिल्ली में 5 राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय, एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और 77 तकनीकी संस्थान हैं, जो सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम से पी.एचडी तक विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में प्रवेश चाहने वालों की तुलना में सीटों की उपलब्धता हमेशा एक चुनौती रही है। दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिक विद्यार्थियों को शामिल करने की क्षमता में वृद्धि के लिए उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में कई पहल की हैं, जिनमें 25 विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, विद्यार्थियों को प्रवेश देने की क्षमता बढ़ाना, फ़ैकल्टी विकास कार्यक्रम शामिल हैं। उद्यमिता बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन्क्यूबेशन नीतियां शुरू की हैं।
- 14.4 **दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)**, जो पहले दिल्ली कॉलेज आफ इंजीनियरिंग (डीसीई) के नाम से जाना जाता था, दिल्ली में एक राज्य विश्वविद्यालय है। वर्ष 1941 में इसकी स्थापना दिल्ली पॉलिटेक्निक के रूप में की गई थी। 1952 में दिल्ली विश्वविद्यालय से आधिकारिक मान्यता प्राप्त होने के बाद इसने डिग्री प्रदान करने की शुरुआत की। वर्ष 2009 में इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उभरते सहयोगी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना है तथा इन्क्यूबेशन, उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता के लिए एक पारिस्थितिकीय प्रणाली को बढ़ावा देना है। विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 2020–21 के दौरान 5000 विद्यार्थी थी।

- 14.5 **नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)**, पहले नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी) के रूप में जाना जाता था। यह द्वारका दिल्ली में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। 2018 में इस संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदल कर नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना है तथा अनुसंधान और विकास क्षेत्र में नई जानकारी उपलब्ध कराना है। इस विश्वविद्यालय का प्राथमिक मिशन समाज और देश की सेवा के लिए क्षमतावान, नवाचारी और अग्रणी मार्गदर्शक तैयार कर वैश्विक पहचान का एक प्रमुख विश्वविद्यालय बनना है, जो शिक्षा, अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता स्थापित करे। वर्ष 2020–21 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 1696 विद्यार्थी थी।
- 14.6 **दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीआईपीएसआरयू)**, देश का पहला फार्मसी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के वर्ष 2008 के अधिनियम 7 के तहत की गई थी। विश्वविद्यालय का लक्ष्य औषधि विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक उत्कृष्ट केंद्र बनना है और बड़े पैमाने पर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। विश्वविद्यालय का प्राथमिक मिशन अग्रणी मार्गदर्शक, प्रशासक और कर्मी तैयार करना है, जो औषधि विज्ञान के पेशेवरों के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभा सकें तथा स्वास्थ्य से संबंधित संस्थानों, उद्योगों और समुदायों के उपयुक्त हों। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता वर्ष 2020–21 में 530 है।
- 14.7 **इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)**, की स्थापना 1998 में इंदिरा गांधी संस्थान के रूप में हुई थी। दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी स्थापना की थी। मई 2013 से इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान ने दिल्ली सरकार के तहत पहले महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल कर लिया और इसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय 4 क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में स्नातक शिक्षा उपलब्ध कराता है – ये क्षेत्र हैं – कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरी (सीएसई), इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (ईसीई), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), मेकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरी (एमएई)। यह स्थापत्यकला में स्नातक पाठ्यक्रम, विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा पी.एचडी डिग्री प्रदान करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 1113 थी।
- 14.8 **दिल्ली इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-डी)**, की स्थापना दिल्ली अधिनियम 2007 के तहत 2008 में की गई थी। इसे अनुसंधान और विकास तथा डिग्री प्रदान करने का अधिकार सौंपा गया। ये संस्थान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक प्रतिबद्ध संस्थानों में एक है। बहुत कम समय में इस संस्थान ने सुदृढ़ शोध संस्कृति विकसित की है और नवाचारी शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है। आईआईटी की दिल्ली में वर्तमान समय में 6 विभाग कार्यरत हैं – कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, मानव केंद्रित डिजाइन, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमेनिटीज तथा गणित। ये संस्थान सतत विकास और रूपांतरण की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है तथा वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान का दर्जा हासिल कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 859 थी।

15. प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता विवरणी 15.17 में स्पष्ट परिलक्षित होती है। प्रवेश क्षमता 2015-16 में 6026 से बढ़ कर 2020-21 में 10030 हो गई है, जो 66.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

विवरण-15.17

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता

क्रसं	संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)	2534	2843	3689	3814	3790	5000
2	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	1005	1033	1051	1175	1521	1696
3	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	564	689	689	618	710	1113
4	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटी-डी)	337	444	546	612	660	859
5	जीबी पंत इंजीनियरी कॉलेज	225	225	180	210	220	Nil
6	आम्बेडकर उच्च संचार प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान	252	252	252	252	270	--
7	चौधरी ब्रह्म प्रकाश राजकीय इंजीनियरी कालेज	185	148	120	134	180	250
8	दिल्ली टूल इंजीनियरी संस्थान	258	258	258	138	140	180
9	दिल्ली भेषज विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान	227	215	235	241	150	--
10	दिल्ली भेषज विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय	156	175	173	310	410	530
11	कॉलेज ऑफ आर्ट	283	231	239	343	343	402
	कुल	6026	6513	7432	7847	8394	10030

चार्ट 15.3



16. 83 तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय में से 77 डिप्लोमा/सर्टिफिकेट स्तर के तकनीकी संस्थान हैं, जिनका विवरण विवरण 15.18 में दिया गया है।

विवरण 15.18

2015-16 से 2020-21 के दौरान दिल्ली में तकनीकी संस्थान

क्र सं	तकनीकी संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	17	19	19	19	19	19
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	61	63	63	63	40	33
3.	बुनियादी व्यवसाय अध्ययन संस्थान	1	1	1	1	1	NA
4.	व्यावसायिक क्षेत्र संस्थान	1	1	1	1	1	--
5.	प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलीटेक्निक)	20	19	19	19	19	18
6.	विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्र	1	1	1	7	7	7
	कुल	101	104	104	110	87	77

स्रोत : तकनीकी शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

17. 2015-16 से 2020-21 के दौरान तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता विवरण 15.19 में दी गई है।

विवरण – 15.19

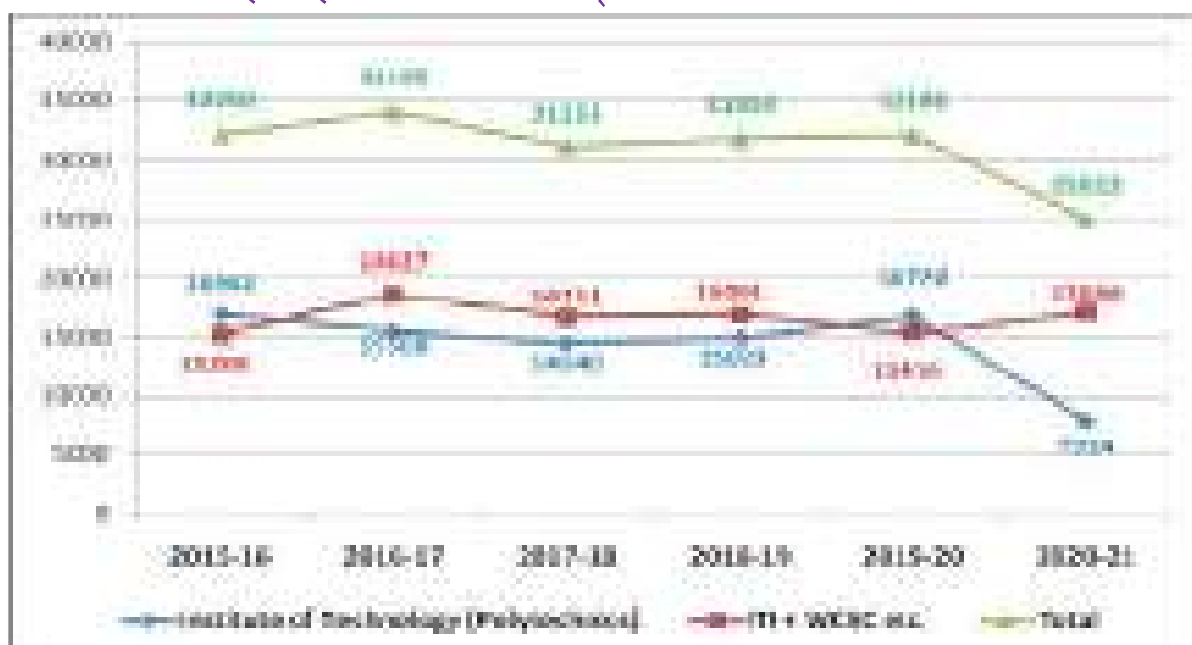
दिल्ली में तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता : 2015-16 से 2020-21

क्र सं	तकनीकी संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	11675	12771	11672	11792	10241	10960
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	2610	4427	3747	3672	3720	6128
3.	बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र	530	681	680	754	765	NA
4.	व्यावसायिक क्षेत्र संस्थान	90	118	0	0	0	--
5.	प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलीटेक्निक)	16982	15568	14540	15023	16770	7934
6.	विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्र	363	630	612	683	690	Nil
	कुल	32250	34195	31251	31924	32186	25022

18. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली सरकार ने 3 प्रौद्योगिकी संस्थानों में एम.वीओसी कार्यक्रमों की शुरुआत की। ये संस्थान हैं – मीराबाई प्रौद्योगिकी संस्थान, पूसा प्रौद्योगिकी संस्थान और गुरु नानक देव प्रौद्योगिकी संस्थान। इन प्रत्येक संस्थान में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता 25 थी। इसका उद्देश्य बी.वीओसी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का अवसर सृजित करना है।

चार्ट : 15.4

आईटीआई और पोलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी प्रवेश क्षमता



19 इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने युवाओं को नए उद्यमों की स्थापना (स्टार्ट अप्स) के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें रोजगार खोजने वाले की बजाए रोजगार देने में सक्षम बनाने के लिए राज्य इन्क्यूबेशन नीति मंजूर की है। 11 इन्क्यूबेशन सेंटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इन इन्क्यूबेशन केंद्रों का उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 500 से अधिक कंपनियों का सृजन करना है। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थान को अपेक्षित बुनियादी ढांचा कायम करने, कम्प्यूटरों आदि की खरीद और सहयोग एवं नवाचार का वातावरण बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिए थे। इन्क्यूबेशन नीति की धारा 5 के अनुसार कंपनियों का गठन इन्क्यूबेटर्स के लिए होल्डिंग कंपनी के रूप में किया गया है और प्रतिभागी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के लिए किया गया है ताकि परिसर के भीतर इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना में सहायता मिले। मौजूदा समय तक कुल 122 इन्क्यूबेट, इन केंद्रों में काम कर रहे थे। आशा है कि 2020-21 में कुछ स्टार्ट अप उद्यम सफलतापूर्वक बाजार में आ जाएंगे।

20. संस्थागत उन्नयन के लिए औद्योगिक सहयोग समन्वय

- 1) आधुनिक समय में शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों के साथ समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि विश्व में अपनाई जा रही आधुनिकतम तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। उद्योगों के लिए सृजित करने के लिए 30 आधुनिक कार्यशालाएं/प्रयोगशालाएं प्रमुख औद्योगिक सहयोगियों – मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल), डायकिन, हैवेल, सीमेन्स, टाटा स्ट्राइव, हीरो मोटर कार्पोरेशन, टीवीएस, सेमसंग, ओरिएंटल इंश्योरेंस, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईजीएल, होटल क्राउन प्लाजा, महेंद्रा एंड महेंद्रा, जेगुवार, एताशा सोसायटी, टेक इंडिया, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, होंडा मोटर साइकिल, जेजे इम्पैक्स, कृष्णा लेबल्स, टेक महेंद्रा फाउंडेशन इत्यादि के सहयोग समन्वय से विकसित की गई।
- 2) ऑटोमोटिव मेकेट्रॉनिक्स पाठ्यक्रम में अडवांस डिप्लोमा मर्सिडीज बेंज के सहयोग से जी बी पंत प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में शुरू किया गया है।
- 3) इस सहयोग का प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आईटीआई पूसा दिल्ली के सर्वोत्तम आईटीआई के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2017 में इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड और उद्योग समन्वय सर्वश्रेष्ठ रहा। वर्ष 2018 में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के महा निदेशालय प्रशिक्षण द्वारा क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना के तहत दिल्ली को सर्वोत्तम राज्य “विनर ऑफ रनिंग शील्ड” विजेता घोषित किया गया।

21. नई पहल

- **रिसर्च ग्रांट योजना :** अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान अनुदान योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उन सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपेक्षित अनुदान प्रदान करना है, जो अनुसंधान उद्देश्यों से अपना कोष सृजित करते हैं। आईआईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयूडब्ल्यू जैसे संस्थान इस स्कीम के तहत लाभान्वित हुए हैं।

- **दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय**, की स्थापना वर्ष 2020 के दिल्ली अधिनियम 4 के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अनुप्रयुक्त विज्ञान और कौशल शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराना है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विकास के लिए रोजगार में लगाए जाने योग्य प्रशिक्षित मानव संसाधन को विकसित करने की चुनौतियों के समाधान के लिए कौशल आधारित कार्यक्रम संचालित करेगा। उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधाओं के शैक्षणिक कार्यक्रमों और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। उपयोगी शिक्षण प्रणालियों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और शिक्षण तथा एकीकृत अनुसंधान मानक स्थापित किए जाएंगे। यह विश्वविद्यालय न केवल विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा बल्कि उद्यमिता विकास पहल को भी बढ़ावा देता ताकि कुशल पारिस्थितिकीय प्रणाली, अनुकूल नवाचारी अभ्यास सृजित किए जा सकें, जिनसे व्यवसाय इन्क्यूबेटर की स्थापना में सहयोग मिले और रोजगार ढूंढने वालों की जगह रोजगार प्रदान करने वालों को तैयार किया जा सके।

22. विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्र

आईटीआई विवेक विहार के परिसर में तकनीकी शिक्षा संस्थान, सिंगापुर के सहयोग से एक विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्र विकसित किया गया था, जो वर्ष 2013 से कार्यरत है। चूंकि इस केंद्र को विश्व मानकों के अनुरूप कौशल विकास के सफल मॉडल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने ऐसे 25 और केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इनमें से 6 केंद्र वर्ष 2019–20 से कार्यरत हो चुके हैं, जिनकी क्षमता 1440 विद्यार्थी वार्षिक की है। ये केंद्र खुदरा सेवा, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय एक्जीक्यूटिव, खाद्य उत्पादन, सौंदर्य और आरोग्य परामर्शदाता, खेलकूद फिटनेस और योग, खेलकूद डिजिटीकरण और निष्पादन प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा विश्लेषण में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है।

सभी विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्र नवगठित दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) से 20.01.2021 की अधिसूचना द्वारा एकीकृत हैं। इसलिए अब ये सभी केंद्र डीएसईयू के तहत संचालनरत हो जाएंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

एक कहावत है कि इलाज से परहेज बेहतर है, यह ऐसी नीति है जो सभी के लिए सुलभ सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की ओर ले जाती है। बीमारियों की रोकथाम और उपचार के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। समग्र, मानवीय और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को सुलभ और सबके लिए उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सबके लिए प्रत्येक आयु में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना सतत विकास लक्ष्यों में एक है और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार स्वास्थ्य संकेतकों संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के तहत ये लक्ष्य हासिल करने के लगातार प्रयास कर रही है।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के हरसंभव उपाय कर रही है। इसके लिए मजबूत निदान सेवाओं के अलावा कई आमआदमी मोहल्ला क्लिनिक और पोलिक्लिनिक बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार मौजूदा सरकारी अस्पतालों के विस्तार और पुनर्गठन के जरिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार की 94 डिस्पेंसरियों को नया रूप देकर पोलिक्लिनिक में बदला जा रहा है। दिल्ली के सभी निवासियों को दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में एमआरआई, सीटी, पीईटीसीटी, टीएमटी इको जैसी रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार के जनस्वास्थ्य केंद्रों से रेफर किया जाना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने 24 सरकारी अस्पतालों से रेफर किए जाने के बाद पैनल में मौजूद निजी अस्पतालों में सर्जरी के लिए निःशुल्क सर्जरी योजना शुरू की है। कुछ चुने हुए सरकारी अस्पतालों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
3. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को समर्पित एजेंसी है। यह दिल्ली में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ तालमेल रखती है। अभी तक 995 औषधालयों के साथ दिल्ली सरकार का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मामले में महत्वपूर्ण योगदान (63%) है। पिछले 9 वर्षों के दौरान दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी विवरण 16.1 में दी गई है।

विवरण 16.1
2011-2019 के दौरान दिल्ली में चिकित्सा सुविधाएं

क्र.स.	स्वास्थ्य संस्थान	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	अस्पताल*	91	94	95	95	94	83	88	88	88
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	8	5	5	2	5	7	7	7	7
3	औषधालय**	1239	1318	1451	1389	1507	1240	1298	1432	1585
4	प्रसूति गृह एवं उप केंद्र***	259	267	267	267	265	193	230	251	224
5	पॉलीक्लिनिकस	16	19	19	19	42	48	54 \$	55	56\$
6	नर्सिंग होम	679	750	855	973	1057	1057	1160	1172	1151
7	विशेष क्लिनिक@	21	27	27	27	27	14	124	167	305@
8	मेडिकल कॉलेज	12	14	16	16	17	17	17	17	17#

स्रोत : स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

* सभी सरकारी अस्पतालों (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और टीबी क्लिनिक) शामिल, लेकिन प्रसूतिगृह और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल नहीं।

** एलोपैथिक, आयुष, औषधालय, मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक, प्रसूतिगृह, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, पीपी यूनिट, शहरी आरोग्य केंद्र सहित

*** प्रसूति गृह, प्रसूति केंद्र/उप केंद्र, मोबाइल मातृ शिशु कल्याण इकाई, पीपी यूनिट, शहरी कल्याण केंद्र

@ चेस्ट क्लिनिक और वीडि क्लिनिक शामिल हैं।

केवल स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम (एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीडीएस) के तहत चल रहे कॉलेज।

- उपरोक्त विवरण से अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों की संख्या धीमी गति से बढ़ी है। नए स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार की गति धीमी होने के पीछे अनेक कारण हैं, जैसे भूमि उपलब्ध न होना, कार्मिकों की कमी और एजेंसियों की अधिकता आदि। इसके अतिरिक्त दिल्ली में सभी अस्पताल विशेषकर बड़े अस्पतालों में रोगियों की बड़ी संख्या के कारण बेहद भीड़ रहती है।
- 31 मार्च, 2020 को दिल्ली में चिकित्सा संस्थाओं की संख्या और उनमें बिस्तरों की क्षमता के बारे में एजेंसीवार जानकारी विवरण 16.2 में दी गई है।

विवरण 16.2
दिल्ली में चिकित्सा संस्थाओं की संख्या और उनमें बिस्तरों की क्षमता की एजेंसीवार संख्या

क्र.स.	एजेंसी	2019-20	
		संस्थान	स्वीकृत बिस्तर
1	दिल्ली सरकार	40	12464
2	दिल्ली नगर निगम	51	3485
3	नई दिल्ली नगर परिषद	2	221
4	भारत सरकार (डीजीएचएस, सीजीएचएस, रेलवे, ईएसआई, सेना अस्पताल, एम्स, एलआरएस संस्थान)	19	9264
5	अन्य स्वायत्त निकाय (पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट), आईआईटी अस्पताल, एम्स, राष्ट्रीय यक्ष्मा स्वास्थ्य रोग संस्थान (पहले एलआरएस)	4	2995
6	प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पताल/स्वैच्छिक संगठन	1151	25892
	कुल	1267	54321

स्रोत: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

6. 2011 से बिस्तर क्षमता में वृद्धि : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अनुशंसा के अनुसार अस्पतालों में जनसंख्या और बिस्तर अनुपात प्रति 1000 आबादी पर 5 बिस्तर का होना चाहिए। परंतु, दिल्ली में 2019-20 तक यह अनुपात 2.74 रहा। चिकित्सा संस्थाओं में 2011 से बिस्तरों की संख्या में वृद्धि और बिस्तर-आबादी अनुपात नीचे विवरण 16.3 में दिया गया है :

विवरण 16.3

दिल्ली में चिकित्सा संस्थाओं में बिस्तरों की संख्या और आबादी एवं बिस्तरों का अनुपात :
2011-2019

क्र.स.	वर्ष	अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या		
		आबादी (00 में) सीएसओ द्वारा अनुमानित	स्वीकृत बिस्तर	प्रति 1000 व्यक्ति बिस्तरों की संख्या
1	2011	169750	42598	2.51
2	2012	173000	42695	2.47
3	2013	176310	43596	2.47
4	2014	179690	48096	2.68
5	2015	183140	49969	2.73
6	2016	186640	53329	2.86
7	2017	191287	57194	2.99
8	2018	194793	57709	2.96
9	2019	198299	54321	2.74

स्रोत : स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 16.1

दिल्ली में जनसंख्या-बिस्तर अनुपात (प्रति 1000 आबादी)



7. दिल्ली में 31 मार्च 2020 को 1267 (सरकारी/प्राइवेट) चिकित्सा संस्थाओं में कुल स्वीकृत बिस्तरों की संख्या 54321 थी। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और स्वायत्त निकायों द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या की हिस्सेदारी क्रमशः 22.57 प्रतिशत, 22.94 प्रतिशत और 6.82 प्रतिशत थी और प्राइवेट नर्सिंग होम्स, अस्पतालों/स्वयंसेवी संगठनों में बिस्तरों की संख्या का प्रतिशत 47.67 दर्ज किया गया। दिल्ली में नामी सरकारी अस्पताल के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सबसे अधिक है।

दिल्ली में 31 मार्च, 2020 को चिकित्सा संस्थाओं में बिस्तरों की एजेंसी-वार संख्या सम्बन्धी विवरण 16.2 में दर्शाया गया है और 2011 से 2019 तक की अवधि में बिस्तर-आबादी अनुपात विवरण 16.3 में दिया गया है। बिस्तर-आबादी अनुपात में 2011 के 2.51 से 2019 में 2.74 की मामूली वृद्धि हुई। नई परियोजनाओं के अलावा सरकार ने मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने का फैसला किया है ताकि उपलब्ध फ्लोर एरिया अनुपात के अनुसार नये बिस्तर जोड़े जा सकें।

8. **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे प्रमुख अस्पतालों की स्थिति** : दिल्ली में करीब 12 अस्पतालों का या तो निर्माण हो रहा है या वे योजना चरण में हैं। इस तरह की 8 प्रमुख परियोजनाओं में बिस्तरों की प्रस्तावित संख्या, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति की तारीख, परियोजना लागत, आदि की जानकारी विवरण 16.4 में दी गई है।

विवरण 16.4
दिल्ली में निर्माणाधीन अस्पतालों की सूची

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	निर्माणाधीन परियोजना का विवरण
1	अम्बेडकर नगर में 600 बिस्तर अस्पताल	- पूर्व योजना 200 बिस्तरों की। संशोधित योजना : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत बिस्तरों की संख्या बढ़ा कर 600 करना। - एनबीसीसी को निर्माण कार्य सौंपा गया। शुभारंभ तिथि 30.12.2013। - कुल लागत : 180.95 करोड़ (600 बिस्तरों का अस्पताल) – यानी 125.90 करोड़ रुपये (200 बिस्तर), 55.09 करोड़ रुपये (विस्तारित 400 बिस्तर) की योजना मंत्रिमंडल की निर्णय संख्या 2434 दिनांक 22.10.2016 के तहत मंजूर की गई। - दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने अम्बेडकर नगर अस्पताल के चिकित्सा निदेशक की नियुक्ति की है। - मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय संख्या 2850 दिनांक 15 जुलाई 2020 के अनुसार अस्पताल, कोविड रोगियों के लिए पहले ही शुरू कर दिया गया है।
2	द्वारका सेक्टर 9 और सेक्टर 17 में 1725 बिस्तर का इंदिरा गांधी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज	700 बिस्तर के अस्पताल की मूल योजना – आरंभ तिथि 27.08.2014 - कुल लागत 565.55 करोड़ रुपये (700 बिस्तर का अस्पताल) मंत्रिमंडल के दिनांक 06.06.2013 की निर्णय संख्या 2025 द्वारा अनुमोदित। - मौजूदा प्रगति 87 प्रतिशत। - बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 1725 (1241 बिस्तर पहले चरण में और 484 बिस्तर दूसरे चरण में) किए जाने की संशोधित योजना। - उक्त परियोजना के लिए चिकित्सा निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।
3	बुराड़ी में 768 बिस्तरका अस्पताल	- पूर्व योजना 200 बिस्तर अस्पताल की। - निर्माण कार्य 07.02.2013 को आरंभ हुआ। - संशोधित योजना : बिस्तरों की क्षमता बढ़ा कर 768 बिस्तर करना। - संशोधित प्रारंभिक अनुमान 265.80 करोड़ रुपये। बिस्तरों की संख्या बढ़ाने (768 बिस्तर) का प्रस्ताव दिनांक 22.05.2018 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 2582 द्वारा अनुमोदित। - माननीय एलजी द्वारा उक्त परियोजना के लिए चिकित्सा निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। - कैबिनेट निर्णय संख्या 2844 दिनांक 26/06/2020 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अस्पताल, कोविड रोगियों के लिए पहले ही शुरू कर दिया गया है।

4	मादीपुर में 691 बिस्तर का अस्पताल	- पूर्व योजना 200 बिस्तरों के अस्पताल की। - प्रस्तावित बिस्तर की क्षमता 200 से बढ़ाकर 600 बेड कर दी गई है। - दिनांक 08 नवंबर 2018 को मैसर्स आरकॉप एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को परामर्श कार्य अनुमोदित किया गया। - अस्पताल के निर्माण के लिए 18 नवंबर 2019 को 691 बिस्तरों के लिए ईएफसी द्वारा प्रारंभिक अनुमान को मंजूरी दे दी गई है। - पीडब्ल्यूडी द्वारा 11 फरवरी 2019 को निविदा आमंत्रित की गई थी। तकनीकी बोली 05 फरवरी 2020 को खोली गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई। वित्तीय बोलियां 25 फरवरी 2020 को खोली गईं। एसडीएमसी से योजनाओं के अनुमोदन के बाद यह कार्य प्रदान किया जाएगा।
5	सिरसपुर में 2716 बिस्तर का अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर	- पूर्व योजना 200 बिस्तरों वाले अस्पताल की। - मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ प्रस्तावित बिस्तरों की क्षमता 200 से बढ़ाकर 1500 बेड कर दी गई है। योजना के अनुसार 2716 बिस्तरों का अस्पताल दो चरणों में बनाया जाना है। पहले चरण में, 1164 बेड का अस्पताल भवन (ब्लॉक ए -1164 बेड, ब्लॉक बी -1552 बेड)। फेज-1 में 1164 बेड वाले अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। - लोक निर्माण विभाग ने अस्पताल भवन के निर्माण की व्यापक योजना और डिजाइनिंग के लिए मैसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इंक को परामर्शदाता/आर्किटेक्ट बनाया गया है। - सिरसपुर में 1164 बिस्तरों वाले नए अस्पताल के निर्माण के लिए 10 दिसंबर 2019 को ईएफसी द्वारा 487.54 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की गई है।
6	सरिता विहार में 300 बिस्तर के अस्पताल की परियोजना	- पूर्व योजना 100 बिस्तरों के अस्पताल की। - बिस्तरों की प्रस्तावित संख्या 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। - सरिता विहार में (300 बिस्तर) अस्पताल भवन की व्यापक योजना और डिजाइनिंग के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रारंभिक अनुमान सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर कर लिया गया है और इसे 8 मार्च 2019 को लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) को भेजा गया है। - परामर्श कार्य मैसर्स आरकॉप एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को 08.11.2018 को सौंपा गया। ड्राइंग/डिजाइन और योजना अनुमोदित कर ली गई है।
7.	विकासपुरी (हस्तसाल) में 691 बिस्तर के अस्पताल की परियोजना	- पूर्व योजना 200 बिस्तरों के अस्पताल की। - माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राराक्षे दिल्ली सरकार द्वारा 200 बिस्तर वाले अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 600 बिस्तर की कर दी गयी है। - ईएफसी द्वारा 691 बिस्तरों के अस्पताल के प्रारंभिक अनुमान का अनुमोदन 18/11/2019 को कर दिया गया है। - लोक निर्माण विभाग द्वारा 12/12/2019 को निविदा आमंत्रित की गई। तकनीकी बोली 05/02/2020 को खोली गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका अनुमोदन किया गया। वित्तीय बोली 26/02/2020 को खोली गई। एसडीएमसी द्वारा योजना का अनुमोदन किए जाने के बाद कार्य आवंटित किया जाएगा।
8.	ज्वालापुरी नांगलोई में 691 बिस्तर की अस्पताल परियोजना	- पूर्व योजना 200 बिस्तरों के अस्पताल की। - माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राराक्षे दिल्ली सरकार द्वारा 200 बिस्तर वाले अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 500 बिस्तर वाले अस्पताल कर दी गयी है। - परामर्श कार्य मैसर्स आरकॉप एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को 08.11.2018 को सौंपा गया। - अस्पताल के निर्माण के लिए 18.11.2019 को 691 बिस्तर के लिए ईएफसी द्वारा प्रारंभिक अनुमान को मंजूरी दी गई है। - पीडब्ल्यूडी द्वारा निविदाएं आमंत्रित और प्रोसेस की गईं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार की गई और 14 अगस्त 2020 को अवार्ड पत्र जारी किया गया।

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और डीजीएचएस, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने मौजूदा लगभग 18 अस्पतालों को नया रूप देने का भी फैसला किया है ताकि उनमें एफएआर मानदंडों के अनुसार बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। 'मौजूदा 18 अस्पतालों को नया रूप देने' की योजना के तहत करीब 14000 नये बिस्तर जोड़े जाएंगे। वित्त व्यय समिति द्वारा विचारित अस्पतालों को नया रूप देने की 15 प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:-

विवरण 16.5

नया रूप दिये जाने/विस्तारित किये जाने वाले अस्पताल

क्र सं	अस्पताल का नाम	प्रारंभिक आकलन/लागत (करोड़ में)	बिस्तरों की मौजूदा संख्या	प्रस्तावित नए बिस्तर	नया रूप दिए जाने/विस्तार के बाद कुल बिस्तर	द्वारा अनुमोदित
1	एलएन अस्पताल (नया ब्लॉक)	533.91	0	1570	1570	मंत्रिमंडल
2	एसआरएचसी (कैंसर और जच्चा ब्लॉक)	244.35	200	600	800	मंत्रिमंडल
3	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	194.91	500	463	963	मंत्रिमंडल
4	जेपीसीएच	189.77	339	221	560	मंत्रिमंडल
5	भगवान महावीर	172.79	360	384	744	मंत्रिमंडल
6	गुरु गोविंद सिंह	172.03	100	472	572	मंत्रिमंडल
7	एलबीएस	143.73	105	460	565	मंत्रिमंडल
8	संजय गांधी स्मारक	117.78	300	362	662	मंत्रिमंडल
9	आचार्य श्री भिक्षु	94.38	100	270	370	ईएफसी
10	आरटीआरएम	86.31	100	270	370	ईएफसी
11	दीप चंद बंधु	69.36	284	281	565	ईएफसी
12	अरुणा आसफ अली	55.36	100	51	151	ईएफसी
13	श्री दादा देव शिशु मैत्री	53.44	106	175	281	ईएफसी
14	एलएन अस्पताल (कॉजेलिटी ब्लॉक)	58.71	190	194	384	ईएफसी
15	हेडगेवार आरोग्य संस्थान	210.24	200	350	550	ईएफसी

स्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और डीजीएचएसए, एसई(स्वास्थ्य), रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

- 9 भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक उपभोग के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गये सर्वेक्षण (75वां दौर 2017-18) की रिपोर्ट से पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती कराए गए मामलों (शिशु जन्म को छोड़कर) की अनुमानित भागीदारी 86 प्रतिशत सरकारी अस्पतालों में, 14 प्रतिशत निजी अस्पतालों में रही।
- 10 **दिल्ली में सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के मेडिकल कालेज** : दिल्ली में 17 मेडिकल कॉलेज विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी) में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। इन कॉलेजों के स्थापना वर्ष, वार्षिक प्रवेश, पाठ्यक्रम आदि का ब्यौरा विवरण 16.6 में दिया गया है।

विवरण 16.6

दिल्ली में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मेडिकल कॉलेजों की सूची।

क्र.स.	चिकित्सा संस्थान का नाम/ विश्वविद्यालय से संबद्धता	स्थापना वर्ष	पाठ्यक्रम	वार्षिक सीटें
1	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नई दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	1916	एमबीबीएस / पीजी	240 174
2	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, करोल बाग, दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	1906	स्नातक बीएएमएस और बीयूएमएसस्नातकोत्तर बीएएमएस और बीयूएमएस	75 75 06 10
3	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एमएस), नई दिल्ली (स्वायत्त)	1956	एमबीबीएस	107
4	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, (एमएमसी) बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	1958	एमबीबीएस/पीजी	250 226
5	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	1963	बीएचएमएस/एमडी (होम्यो)	125 07
6	हमदर्द आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, (जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय)	1963	एमबीबीएस एमडी/एमएस	100 49
7	विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, दिलशाद गार्डन, दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	1971	एमबीबीएस/एमडी/एमएस/एमडीएस बीएससी (एमटी) रेडियोलॉजी एमएससी (आर एवं एम आई टी) रेडियोलॉजी	170 188 19 06
8	मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान, (दिल्ली विश्वविद्यालय)	1983 2007	बीडीएस/एमडीएस	50 22
9	डा. बी. आर. सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मोती बाग, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	1985	बीएचएमएस	63
10	वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	2002	एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डीएम सुपर स्पेशलिटी	170 321 35
11	आर्मी कॉलेज आफ मेडिकल साइन्स (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	2008	एमबीबीएस	100
12	दंत्य चिकित्सा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	2009	बीडीएस	50
13	ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, रोहिणी, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	2010	बीडीएस	62
14	चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, नजफगढ़, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	2009	बीएएमएस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	100 29
15	उत्तरी दिल्ली नगर निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	2013	एमबीबीएस	60
16	यूनानी चिकित्सा शिक्षा और शोध विद्यालय तथा सम्बद्ध मजीदा यूनानी अस्पताल, (जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय)	1963	बीयूएमएस एमडी (यूनानी चिकित्सा) यूनानी फार्मसी में डिप्लोमा	50 09 06 10
17	डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रोहिणी (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	2016	एमबीबीएस	125

स्रोत :डीजीएचएस, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2020-21

- 11 चिकित्सा और जनस्वास्थ्य क्षेत्र (स्कीम/कार्यक्रम) में व्यय हिस्सेदारी के बारे में जानकारी विवरण 16.7 में दी गई है।

विवरण 16.7

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार का स्कीम/कार्यक्रम/परियोजना व्यय

(₹करोड़)

क्र. स.	वर्ष	सभी स्कीमों/कार्यक्रमों पर कुल परिव्यय	स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं पर व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	2011-12	13642.55	1651.88	12.11
2.	2012-13	13237.51	1529.15	11.55
3.	2013-14	13964.28	1611.63	11.54
4.	2014-15	13979.67	2166.67	15.50
5.	2015-16	14960.54	2024.83	14.59
6.	2016-17	14355.03	2095.36	14.68
7.	2017-18	14400.99	1912.42	13.28
8.	2018-19	15672.03	2333.64	14.89
9.	2019-20	20307.02	2363.53	11.64

स्रोत : स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनावार परिव्यय दस्तावेज.

12. उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार की वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सा और जन स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश (योजना/कार्यक्रम व्यय) 2011-12 के 1651.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 2363.53 करोड़ रुपये हो गया है।

विवरण 16.7 (ए)

दिल्ली में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा चिकित्सा और जनस्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति व्यय

(रुपये में)

वर्ष	चिकित्सा और जनस्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय
2012-13	1572.86
2013-14	1675.97
2014-15	1996.49
2015-16	1962.37
2016-17	2133.83
2017-18	2455.85
2018-19	2801.84
2019-20(RE)	3028.55

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, दिल्ली बजट

- 13 उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति व्यय पिछले 8 वर्षों में 93 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 के 1573 रुपये से 2019-20 में 3029 रुपये हो गया है।

- 14 **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के संदर्भ में चिकित्सा और जनस्वास्थ्य पर व्यय :** चिकित्सा और जनस्वास्थ्य पर कुल व्यय की गणना दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों (विभिन्न नगर निगमों) की स्थापना और स्कीम/कार्यक्रम पर व्यय के अंतर्गत की जाती है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान दिल्ली में चिकित्सा और जनस्वास्थ्य पर कुल खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद के करीब एक प्रतिशत के आसपास रहा है।

विवरण 16.8

जीएसडीपी के संदर्भ में चिकित्सा और जनस्वास्थ्य पर व्यय

वर्ष	मौजूदा मूल्यों पर जीएसडीपी (करोड़ रुपये में)	चिकित्सा और स्वास्थ्य पर कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	स्वास्थ्य पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय
2011-12	343797	3092.23	0.90
2012-13	391388	3115.78	0.80
2013-14	443960	3540.33	0.80
2014-15	494803	4161.90	0.84
2015-16	550804	4206.27	0.76
2016-17	616085	4708.21	0.76
2017-18	677900	5477.59	0.81
2018-19	750962	6430.81\$	0.86
2019-20	830872	7284.80\$	0.88

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. (2011-12 को नया आधार वर्ष मानते हुए इससे आगे)
\$दिल्ली नगर निगमों के मामले में संशोधित व्यय।

15 स्वास्थ्य पर सामाजिक खर्च

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 75वें दौर (2017-18) के निष्कर्षों के अनुसार दिल्ली में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गये प्रत्येक रोगी पर औसत उपचार (चिकित्सा व्यय) खर्च ₹26,475 रुपये वार्षिक था।

16 शिशु और मातृ स्वास्थ्य

भारत के महापंजीयक कार्यालय ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) और नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) के निष्कर्षों के आधार पर जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर (नवजात और जन्म के बाद शिशु मृत्यु दर), 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर और प्रजनन दर के बारे में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण संकेतक जारी किये हैं। निम्नांकित विवरणों — 16.9 से 16.12 तक में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं।

विवरण 16.9

दिल्ली में जन्म-मृत्यु संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े

वर्ष	जन्म दर* (सीआरएस)	मृत्यु दर* (सीआरएस)	प्रतिदिन औसत संख्या		शिशु मृत्यु दर				
			जन्म	मृत्यु	नवजात मृत्यु दर (सीआरएस) (एसआरएस)		प्रसवोत्तर मृत्यु दर (सीआरएस)	शिशु मृत्यु दर (सीआरएस) (एसआरएस)	
2011	20.92	6.63	969	307	15	18	7	22	28
2012	20.87	6.05	988	287	14	16	10	24	25
2013	20.94	5.50	1014	266	15	16	7	22	24
2014	20.71	6.72	1024	332	14	14	8	22	20
2015	20.30	6.76	1025	341	16	14	7	23	18
2016	20.16	7.53	1036	387	13	12	8	21.35	18
2017	19.13	7.10	1006	373	14	14	7	20.83	16
2018	18.55	7.44	994	399	15	10	8	23.81	13
2019	18.35	7.29	1002	398	16	NA	8	24.12	NA

स्रोत : भारत सरकार के महापंजीयक का कार्यालय और डीईएस दिल्ली।

विवरण 16.10

दिल्ली और सम्पूर्ण भारत में पांच साल से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर (1998–2017)

क्रम सं.	वर्ष	दिल्ली	भारत
1	2011	32	55
2.	2012	28	52
3.	2013	26	49
4.	2014	21	45
5.	2015	20	43
6.	2016	22	39
7.	2017	21	37
8.	2018 (SRS-2018)	19	36

स्रोत : भारत सरकार के महापंजीयक का कार्यालय और डीईएस दिल्ली।

विवरण 16.11
प्रजनन दर संकेतक

संकेतक	आयु वर्ग (वर्ष)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
विशिष्ट आयुवर्ग की प्रजनन दर	15-19	9.2	8.4	9.2	9.9	3.5	3.4	3.2	3.2
	20-24	139.7	137.3	137.0	130.8	139.6	81.5	84	74.1
	25-29	130.3	126.1	126.5	124.8	114.7	131.2	125.2	114.7
	30-34	60.8	60.3	55.3	56.5	52.9	71.6	63.2	65.7
	35-39	15.7	19.1	13.9	13.5	17.6	21.3	21.2	24.6
	40-44	4.2	4.5	4.7	4.9	4.7	8.9	6.2	8.0
	45-49	0.3	0.8	0.5	0.8	2.4	2.3	1.8	1.7
कुल प्रजनन दर		1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5

स्रोत : एसआरएस, भारत के महापंजीयक का कार्यालय, भारत सरकार

विवरण 16.12
कुशल स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा प्रसव और संस्थागत प्रसव

वर्ष	कुशल स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति में प्रसव अनुपात	संस्थागत प्रसव (%)
2011	79.84	79.51
2012	84.64	81.35
2013	85.52	81.75
2014	86.11	82.83
2015	87.06	84.41
2016	87.98	86.74
2017	89.2	89.10
2018	90.37	90.28
2019	91.20	91.15

स्रोत : जन्म और मृत्यु पंजीकरण के बारे में वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग दिल्ली

- 17 विवरण 16.9 से 16.12 तक से पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और प्रजनन दर में गिरावट का रुझान रहा है। पिछले वर्षों में इन दरों में निरंतर गिरावट निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करती है कि जहां तक शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य का संबंध है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अनुकूलतम स्तर हासिल करने के लिए कठिन प्रयास कर रही हैं। शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 2030 तक कमी लाकर इसे शून्य पर लाए जाने का लक्ष्य है। दिल्ली में इन दोनों दरों में लगातार कमी आ रही है और यह 2018 तक लगभग 19 रह गई है।

विवरण 16.12 से स्पष्ट है कि संस्थागत प्रसव और कुशल स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में कराए गए प्रसव के अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न उपाय लागू करना :

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** को बढ़ावा देकर, संस्थागत प्रसव में मजबूती लाना। इस योजना के तहत बीपीएल, अजा, अजजा परिवारों की गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) को संस्थागत प्रसव के लिए रुपये 600/- (शहरों में) और रुपये 700/- (गांवों में) की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है और गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को घर में प्रसव के लिए 500/- रुपये दिए जाते हैं। सभी स्वास्थ्य केन्द्र पात्र जेएसवाई लाभार्थी अर्थात अजा/अजजा/बीपीएल परिवारों से संबद्ध गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) को प्रसव-पूर्व क्लिनिक में दाखिला देते हैं और फिर उन्हें आरसीएच पोर्टल पर पंजीकृत करते हैं। वे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण और अन्य दस्तावेज प्राप्त करते हैं और प्रसव के बाद उसे जेएसवाई के तहत भुगतान करते हैं।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):** इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में रिपोर्टिंग करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को किसी भी जाति या आर्थिक स्थिति के बावजूद सामान्य प्रसव और सीजेरियन ऑपरेशन के लिए, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जटिलताओं के लिए और बीमार शिशुओं (जन्म से 1 वर्ष तक) के लिए मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के परिवारों द्वारा किए गए फुटकर खर्च के बोझ को कम करना है। योजना के तहत कोई भी नकद लाभ सीधे लाभार्थी को प्रदान नहीं किया जाता है। प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं को जेएसएसके के तहत वित्तपोषित किया जाता है ताकि वे गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को मुफ्त सेवाएं प्रदान कर सकें, इसके लिए विभिन्न मदों के तहत यानी आहार, दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों, नैदानिक सेवा, रक्त आधान, परिवहन और उपयोगकर्ता शुल्क यदि कोई हो, जो प्रसव स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा लगाया जाता हो।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए);** इस अभियान के तहत, सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिला को उपयुक्त नैदानिक सेवाओं के साथ गुणवत्ता पूर्ण देखभाल प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य प्रसव पूर्व देखभाल में सुधार करना और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करना है ताकि उनका अविलंब उचित उपचार शुरू किया जा सके और आईएमआर और मातृ मृत्यु दर कम हो। दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की सूची आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हर महीने की 9 तारीख से पहले तैयार की जाती है ताकि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में उनकी जांच सुनिश्चित हो सके।
- **किलकारी कार्यान्वयन—**गर्भवती महिला लाभार्थियों को आरसीएच पोर्टल में नामांकित होने पर विभिन्न विषयों जैसे—जन्मपूर्व जांच, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण आदि पर उपयुक्त वीडियो मैसेज उनके मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे हैं, ताकि उन्हें सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। गर्भावस्था के चौथे महीने से बच्चे की एक वर्ष की आयु तक संदेश भेजे जाते हैं।
- **लक्ष्य कार्यान्वयन—** इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल हैं:
- लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटरों का मानकीकरण।
- जन्म के आसपास देखभाल कार्यनीतियों के बारे में लेबर रूम स्टाफ के ज्ञान और कौशल का उन्नयन
- मातृत्व सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय कौशल प्रयोगशालाओं में दक्ष/दक्षता प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- सम्मानपूर्वक प्रसूति मातृ देखभाल पर ध्यान केन्द्रित करना और प्रसव के समय जन्म साथी की अनुमति देना एक और पहल है, जिस पर अमल किया जा रहा है।
- **मातृ मृत्यु निगरानी और आवश्यक कार्रवाई** : राज्य में होने वाली सभी मातृ मृत्यु की स्वास्थ्य केन्द्र, जिला और राज्य स्तर पर समीक्षा की जाती है ताकि कमियों की पहचान की जा सके और रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

दिल्ली में अनिवार्य टीकाकरण कार्यक्रम:

- **आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत बनाना** : निर्धारित स्थल और नियत दिन की रणनीति के साथ नियमित टीकाकरण सत्रों के अलावा मिशन इन्द्रधनुष कवच (एमआईके) के तहत टीकाकरण सत्रों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- एएनएम कार्मिकों को प्रत्येक माह आठ टीकाकरण सत्र चलाने का निर्देश दिया गया है। परन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में प्रति एएनएम 5 सत्र संचालित किए जा रहे हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि नियमित टीकाकरण सत्रों/मिशन इन्द्रधनुष कवच के अंतर्गत उच्च जोखिम क्षेत्रों (एचआरएज़) की भी पहचान की जा रही है और कवर किया जा रहा है।
- **क्षेत्रीय स्तर पर फील्ड मॉनीटर का जिला पूल सृजित करना** : टीकाकरण सेवा की प्रगति की समीक्षा के लिए पीएचएन/एलएचवी का जिला स्तरीय निगरानी पूल गठित किया गया है। इसमें निर्धन वर्ग की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर विशिष्ट ध्यान दिया जाना है। प्रत्येक मॉनीटर को 6-7 चयनित स्वास्थ्य केन्द्र निगरानी के लिए दिए जाते हैं। लक्ष्य, टीकाकरण सुविधा से वंचित रह गए लोगों तक पहुंचना है और इन सेवाओं से वंचित रह जाने वालों/शामिल न हो पाने वालों की संख्या में कमी लाना है।
- दिल्ली ने टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों की टीम लगाई है। इस सहयोगी निगरानी से चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और कार्यक्रम में भरोसा बढ़ाने में मदद मिलती है।
- आरसीएच पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक बच्चे पर निगाह रखी जा रही है। आरसीएच पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ने टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं को किए जाने वाले प्रोत्साहन राशि भुगतान को आरसीएच पोर्टल के साथ जोड़ा है।
- **“टीकाकरण निमंत्रण पत्रिका” के जरिए अंतर-वैयक्तिक संपर्क (आइपीसी):** “टीकाकरण निमंत्रण पत्रिका” प्रत्येक बच्चे के टीकाकरण पर नजर रखने और उसका टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य की एक अनूठी पहल है। टीकाकरण सत्र के एक दिन पहले आशा कार्यकर्ता टीकाकरण निमंत्रण पत्रिका वितरित करके टीकाकरण के लिए पात्र बच्चों का पता लगाती हैं। इस पहल से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि पात्र बच्चों के माता-पिता को टीकाकरण के बारे में सूचना समय से मिल जाए। इससे व्यापक टीकाकरण सूची तैयार करने और टीकाकरण का दायरा बढ़ाने में मदद मिली है।
- **सूक्ष्म आयोजना को सुदृढ़ करना।**
 - i. आरसीएच पोर्टल से सूची प्राप्त करने का प्रावधान।
 - ii. अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को पुनः प्राथमिकता देना।
 - iii. पहचाने नहीं जा सके और अत्यधिक जोखिम वाले इलाकों की पहचान करना।
 - iv. समर्पित टीकाकरण रोस्टर प्लान।

- गहन टीकाकरण मिशन इन्द्रधनुष 3.0 के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों में तालमेल।
- समय से टीकाकरण के उद्देश्य से नवजात शिशुओं को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक लाना सुनिश्चित करने के लिए जन्म पंजीकरण डेटा तक पहुंच।
- राज्य में रोगी आधारित एमआर और वीपीडी निगरानी का सफल संचालन।
- राज्य में रोटा वायरसरोधी टीके का सफल प्रयोग।

नई पहल/नियोजित गतिविधियां

1. ई-वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ई-वीआईएन) के जरिए प्रभावी टीका प्रबंधन संचालित करना।
 2. एकल अप्लिकेशन का विकास किया गया है, जिससे स्वास्थ्य केन्द्र और एएनएम कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित टीकाकरण सत्र के साथ संपर्क किया जा सकता है, जिसके माध्यम से चिकित्सा अधिकारी, एडब्ल्यूडब्ल्यूज/सुपरवाइजर्स के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
- **कार्यक्रम का प्रभाव :** विभाग शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने और शिशु मृत्यु दर कम कर इकाई आंकड़े पर लाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। लगातार प्रयासों से राज्य को टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने में मदद मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट (2019-20) के अनुसार टीकाकरण का 92 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।

20 बाल स्वास्थ्य सेवाएं / कार्यक्रम

- क. लेवल-2 (द्वितीयक स्तर), विशेष नवजात देखभाल सेवाएं (एसएनसीयू) को मजबूत करना :** बीमार नवजातों (जन्म से 28 दिन की अवधि के) की सेवा और उपचार के लिए 16 निर्दिष्ट अस्पतालों में बीमार शिशुओं की गहन देखभाल के लिए एसएनसीयू की व्यवस्था है। इसके अलावा, जीटीबी, आरएमएल, सफदरजंग अस्पताल और एलएचएमसी में 4 एसएनसीयू को एनएचएम के माध्यम से सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य में प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थिएटर में 61 नवजात देखभाल कॉर्नर कार्यरत हैं।
- ख. नवजात देखभाल कॉर्नर(एनबीसीसी):** राज्य में नवजात देखभाल कॉर्नर लेबर रूम और ओटी, सभी 61 डिलीवरी पॉइंट्स पर आवश्यक नवजात देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं।
- ग. कंगारू मातृ देखभाल (केएमसी) :** दिल्ली में कंगारू मातृ देखभाल 21 इकाइयों (16 एसएनसीयू और 5 चिकित्सा महाविद्यालय) में शुरू की गई है। आगे इसे सभी प्रसव केंद्रों तक बढ़ाया जाएगा।
- घ. पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) :** गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (एसएएम) की देखभाल के लिए दो अस्पतालों में पोषक पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है।
- ङ. गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) :** 1 से 31 जुलाई, 2020 तक यह अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 515736 ओआरएस के पैकेट बच्चों के बीच वितरित किए गए।
- च. मां का पूरा स्नेह उपलब्ध कराने संबंधी कार्यक्रम (एमएए) :** एमएए सभी 61 प्रसव केंद्रों पर दूध पिलाने संबंधी परामर्श देने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- छ. बाल मृत्यु समीक्षा :** यह कार्यक्रम दिल्ली में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराने के तंत्र और सुधारात्मक कार्रवाई के बीच का अंतर पता लगाना है।

वर्ष 2019–2020 के दौरान शुरू हुई नई गतिविधियां

नवजात अनुवीक्षण:— व्यापक नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली राज्य के विभिन्न संस्थानों में सभी नवजात शिशुओं का समग्र मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य कई जन्मजात और आनुवंशिक विकारों के लिए परीक्षण प्रदान करना और प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख जन्मों को कवर करना होगा।

नियोजित गतिविधियां

20.1 जिला बाल्यावस्था उपाय केंद्र (डीईआईसी)

- विकासात्मक क्षति बच्चों में एक आम समस्या है जो लगभग 10% बाल्यावस्था में होती है और ऐसे मामले भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
- शीघ्र निदान, हस्तक्षेप और पुनर्वास के महत्व की कभी अनदेखी नहीं की जा सकती और इसके लिए एक बहु-विषयक टीम के अंतर विषयी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर डीईआईसी की स्थापना की जा रही है ताकि मुख्य रूप से 6 साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच के दौरान स्वास्थ्य की स्थिति का पता चल सके और उन्हें आवश्यकतानुसार रेफर किया जा सके, जहाँ एक ही छत के नीचे नैदानिक सेटिंग में काम करने वाले विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध होते हैं।
- 4 डी (डिफेक्ट्स, डेफिसिएंसीज, डिजीज, डिवेलपमेंट डिलेज और डिसएबिलिटीज यानी दोष, कमियाँ, बीमारियाँ, विकास में विलंब और विकलांगता) कम करने के लिए शुरू में 5 केंद्रों पर डीईआईसी की स्थापना की योजना थी, जिसमें शीघ्र निदान, विकलांगता कम करना और परिवार स्तर पर सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास प्रदान करना शामिल है।

20.2 राष्ट्रीय आइरन प्लस पहल (एनआईपीआई) 6 महीने से 10 वर्ष तक :

- भारत में 6–59 महीने की आयु के प्रत्येक 10 बच्चों में से सात एनीमिक हैं— एनएफएचएस-4 के अनुसार एनीमिया का प्रसार 59.7 प्रतिशत है।
- **आइरन** की कमी और आईडीए की समस्या का समाधान करने की दिशा में आइएफए अनुपूरक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन और आईडीए के सभी रूपों (हल्के, मध्यम और गंभीर) का प्रबंधन महत्वपूर्ण कदम है।
- पोषक तत्व पूरकता के लिए सप्ताह में दो बार एक मिलीलीटर आइएफए सिरप, जिसमें 20 मिलीग्राम लोह तत्व और 100 मिलीग्राम फोलिक एसिड होता है, की 100 खुराक दी जाती है, जो वर्षभर चलती है।
- इसके अतिरिक्त अल्बेंडाजोल की गोलियां बच्चों को साल में दो बार कृमियों से मुक्ति के लिए प्रदान की जाएंगी।
- 6 से 60 महीने की आयु के सभी बच्चों के लिए यह प्रस्तावित है कि आइएफए पूरक सप्ताह में दो बार एक निश्चित दिन मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की प्रत्यक्ष देखरेख में प्रदान किया जाएगा।

20.3 दुग्धपान प्रबंधन इकाई

- केवल स्तनपान में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतों को 13 प्रतिशत रोकने की क्षमता है।
- अन्य मामलों में, जहाँ शिशु, समय से पहले पैदा होने, कमजोरी, बीमारी या किसी अन्य कारण से स्तनपान में असमर्थ होता है, तो माँ के स्वयं के दूध को निष्कर्षित, संग्रहीत और भंडारित किया जा सकता है, और आवश्यकता अनुसार शिशु को दिया जा सकता है।
- यदि माँ का स्वयं का दूध उपलब्ध नहीं है, तो एनआईसीयू/एसएनसीयू में भर्ती नए-जन्म की अल्पकालिक और दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दाता मानव दूध (डीएचएम) का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- दाता मानव दूध (डीएचएम) यदि इन शिशुओं को उपलब्ध कराया जाता है, तो वे उन्हें संसाधित दूध के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं, जो न केवल उनके अस्तित्व को बेहतर बनाता है, बल्कि उनके संज्ञानात्मक विकास में भी मदद करता है।
- इन सभी तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए, आरएमएल अस्पताल में एलएमयू एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है जो शिशुओं को माताओं का स्तनपान कराने में सहायता प्रदान करता है, या अंततः माँ का दूध सुलभ कराता है।

20.4 सांस (निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई):

- पाँच से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया सबसे अधिक संक्रामक और जानलेवा है, जो देश में अंडर-फाइव मृत्यु दर (यू5एम आर) में 141 प्रतिशत योगदान देता है, जिससे हर साल लगभग 1.32 लाख मौतें होती हैं।
- निमोनिया कार्यक्रम को उजागर करने और स्थिरता प्रदान के लिए सांस (निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए, सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई) को संस्थागत रूप दिया गया।
- कार्यक्रम को 12 नवंबर 2020 को अभियान के तौर पर शुरू किया गया था, जो 28 फरवरी 2021 तक चालू रहेगा।
- यह कार्यक्रम, देखभाल करने वालों को शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पहचानने में सक्षम बनाता है, और निमोनिया के रोगी को समय पर रेफरल और तुरंत उपचार देखभाल में सहायता करता है।
- यह स्वास्थ्य केन्द्र और एफएलडब्ल्यू स्तर पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है।

21 समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस)

इसके तहत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाइयों का आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ तालमेल कायम किया गया है ताकि आंगनवाड़ियों में बच्चों को टीके लगाए जा सकें। बच्चों में कुपोषण कम करने और रक्ताल्पता पर नियंत्रण के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए एनआरएचएम, एमसीडी आदि। आईसीडीएस के कार्यकर्ता पल्स पोलियो, पोषाहार और स्वास्थ्य जागरूकता के अभियानों में भी हिस्सा लेते हैं।

22 स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

22.1 स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिल्ली में 1979 में शुरू किया गया था। शुरू में यह कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने और उन्हें स्वच्छता के बारे में उपयोगी शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से 6 विद्यालयों में प्रारंभ किया गया था। स्कूल क्लिनिकों के जरिए प्रदान की गई विशेष सेवाओं में रचनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारियों की रोकथाम, उनका शीघ्र पता लगाने, *आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2020-21*

शीघ्र निदान और उपचार और ऐसे व्यक्तियों के लिए उच्चतर स्वास्थ्य केंद्रों में रेफरल सेवाओं की व्यवस्था करना शामिल है, जिन्हें आगे उपचार की आवश्यकता हो। मौजूदा समय में 58 टीमें काम कर रही हैं और दिल्ली सरकार के 16 लाख स्कूली बच्चों (इन में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं) की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। 300 से 350 स्कूलों के साढ़े तीन लाख बच्चों को वार्षिक रूप से कवर किया गया है।

22.2 2 विशेष रेफरल केंद्र हैं, जिनमें ईएनटी विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चश्मा डॉक्टर, डेंटल सर्जन और दंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पद मंजूर हैं। आसपास के स्कूलों के बच्चे इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एसआरसी में रेफर किए जाते हैं।

22.3 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के उपयोग के आदी बच्चों और किशोरों में इसकी रोकथाम, जल्द पता लगाने, और परामर्श तथा उपचार के लिए कई नई पहल की हैं। दिल्ली के 7 सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में मादक पदार्थों के आदी किशोरों के उपचार के लिए 60 बिस्तर अलग से रखे गए हैं। ये हैं – दीपचंद बंधु अस्पताल, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमेन बिहेवियर एंड एलाई साइंसेज। इन अस्पतालों में नशे की लत के शिकार किशोरों के लिए ओपीडी सेवाएं भी सप्ताह में एक बार शुरू की गई हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान अस्पताल में दाखिल कराए गए 40 प्रतिशत बच्चों/किशोरों में धूम्रपान की समस्या को देखते हुए विभाग ने 31 जुलाई 2018 को गजट अधिसूचना जारी की है, जिसमें बच्चों और किशोरों तक इनकी पहुंच सीमित करने की सलाह दी गई है।

23 किशोर स्वास्थ्य सेवाएं

साप्ताहिक आयरन-फोलेक एसिड पूरक कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएफएस) और व्यापक कृमि मुक्ति कार्यक्रम—एनीमिया यानी रक्ताल्पता न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की बल्कि शिशुओं, बच्चों और किशोरों की भी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए जुलाई 2013 में फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यानी आयरन की खुराक देने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का दिल्ली सरकार और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को आयरन-फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष की किशोरियों को भी यह खुराक उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए इसकी कवरेज 42% प्रतिशत रही। व्यापक कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दो दौर अगस्त 2019 और फरवरी 2020 के दौरान दिल्ली में 35.15 लाख बच्चों (अगस्त 2019) और फरवरी 2020 के दौरान 37.33 लाख बच्चों को क्रमशः 77% और 79% कवरेज के साथ आयोजित किए गए थे।

2020-21 में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां : कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूलों को आधिकारिक रूप से 5 मार्च से आज तक बंद कर दिया गया था और स्कूल स्वास्थ्य योजना के डॉक्टरों (एसएचएस मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर) सहित सभी कर्मचारियों को संबंधित सीडीएमओ/डीजीएचएस के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है और डीजीएचएस कंट्रोल सेल/ पीएचडब्लू-IV के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए कर्तव्यों के विषय में विस्तारपूर्वक

बताया गया है जहां उन्हें सीबीएनएटी लैब इंचार्ज/होम आइसोलेशन इंचार्ज/ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंचार्ज/ डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिस ऑफिसर/क्वारेन्टाइन सेंटर इंचार्ज और डीजीडी डिस्पेंसरी के एम ओ आई/सी के जिम्मेदार पद सौंपे गए हैं। उनमें से कुछ एसडीएम कार्यालयों में काम कर रहे हैं और वहां कोविड-19 नियंत्रण कक्ष का प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन स्कूल खुलने तक और एसएचएस के कर्मचारी एसएचएस में वापस शामिल होने तक स्कूल संबंधी सभी गतिविधियों को रोक दिया गया है।

24 परिवार कल्याण कार्यक्रम

विश्व के अनेक देशों, खासकर विकासशील देशों को आज इस समस्या से रू-ब-रू होना पड़ रहा है। भारत में जनसंख्या चुनौती और परिवार कल्याण का सम्बन्ध जनसंख्या विस्फोट की समस्या से है। दिल्ली में पिछले 7 वर्ष (2013-2020) में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कामकाज की जानकारी विवरण 16.13 में दी गई है।

विवरण 16.13

परिवार कल्याण कार्यक्रम

क्र.सं.	ब्योरा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017 -18	2018-19	2019-20
1	परिवार कल्याण केंद्र, पीपी इकाइयों सहित	92	77	परिवार कल्याण केंद्र अब अस्पतालों में चल रहे हैं		एनआर	41	41
2	अंतर-गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरणों का इस्तेमाल	58293	71754	80293	84370	78459	75403	94572
3	नसबंदी	19181	17458	17383	18869	17004	17531	18392
	क. पुरुष	1401	811	901	1323	491	499	740
	ख. महिला	17780	16647	16482	17546	16513	17032	17652
4	ग. गर्भ निरोधक गोлия (चक्र) च(साइकल्स)	207872	196354	185499	199092	189107	173691	162564
5	कंडोम (संख्या)	5373	3990	5709	6880	5726	5625	5388

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. और परिवार कल्याण विभाग

25 रोगाणु वाहकों से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि

25.1 चिकनगुनिया की स्थिति :

- दिल्ली में इस वर्ष 17.10.2020 तक चिकनगुनिया के 73 मामले आए।
- अन्य राज्यों से रेफर किए गए मामलों की संख्या 11 थी।

25.2 डेंगू की स्थिति

- 17.10.2020 की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष दिल्ली में डेंगू के 395 मामले दर्ज किए गए।
- अन्य राज्यों से रेफर किए गए मामलों की संख्या 100 थी।

25.3 मलेरिया की स्थिति

- 17.10.2020 तक मलेरिया के 199 मामले दर्ज किए गए।
- दिल्ली के बाहर के राज्यों से 82 मामले आए।

विवरण 16.14
रोगाणुवाहक जनित बीमारियों का विवरण

वर्ष	चिकुनगुनिया के मामले	चिकुनगुनिया से होने वाली मौतें	डेंगू के मामले	डेंगू से होने वाली	मलेरिया के मामले	मलेरिया से मौतें
2014	8	शून्य	995	3	201	शून्य
2015	64	शून्य	15867	60	359	शून्य
2016	7760	शून्य	4431	10	454	शून्य
2017	559	शून्य	4726	10	577	शून्य
2018	165	शून्य	2798	4	473	शून्य
2019	293	शून्य	2036	2	713	शून्य
2020*	73	शून्य	395	शून्य	199	शून्य

*एसडीएमसी (रोगाणुवाहक जनित रोगों की रिपोर्ट देने वाली नोडल एजेंसी) की 17.10.2019 की रिपोर्ट के अनुसार।

- 26 उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि स्थानीय निकायों और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा किए गए उपायों की बदौलत दिल्ली में डेंगू से होने वाली मौतों की संख्या शून्य पर आ गई है।

इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्थानीय निकायों द्वारा रोगाणुवाहक जन्य बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और मच्छरों की रोकथाम के लिए पर्याप्त आईईसी (प्रचार) कार्यक्रम चलाए गए। डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया बुखार के संकट का सामना करने के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में फीवर क्लिनिक भी खोले गये।

27. एचआईवी/एड्स

- 27.1 दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी दिल्ली सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो एचआईवी संक्रमण को रोकने और इसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर अमल कर रही है। इसका उद्देश्य इस रोग की दीर्घकालीन चुनौतियों से निपटने की राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करना भी है। दिल्ली में वयस्कों (15 से 49 वर्ष) में एचआईवी संक्रमण की मौजूदगी का स्तर 0.41 प्रतिशत था। (सीमा 0.33% से 0.5%) (नाको, एचआईवी अनुमान, 2019)।

- 27.2 वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों/सुविधाओं में करीब 10,40,854 लोगों (3,34,862 गर्भवती महिलाओं और 7,05,992 अन्य महिलाएँ) की एचआईवी संक्रमण की जांच के लिए स्क्रीनिंग की गयी। इनमें से 5861 संक्रमण के मामले सामान्य रोगियों और 247 मामले गर्भवती महिलाओं में पाए गए। दिल्ली में 31 मार्च 2020 को 12 एआरटी केंद्रों में 36186 लोग एचआईवी (पीएल एचआईवी) से संक्रमित थे और गहन निगरानी में रखे गए थे। इनमें से 5462 रोगियों का वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकरण हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पीएलएचआईवी/सीएलएचआईवी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि शहर में एआरटी केंद्रों पर एआरटी प्राप्त कर रहे लोगों की उपचार अनुपालन की स्थिति में सुधार लाया जा सके। यह कार्यक्रम दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा लागू किया जा रहा है। 31 मार्च, 2020 तक इस कार्यक्रम में लाभार्थियों की संख्या 4933 थी। इसमें वित्तीय सहायता आधार भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है।

28. संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) में दिल्ली का कार्यनिष्पादन (सितंबर 2020 तक)

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के जरिए चलाए जा रहे संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

- क्षय रोग हमारे देश की सर्वाधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है क्योंकि यह लोगों को गरीबी और बीमारी के दुष्चक्र में फंसा देता है, और समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि को रोकता है। दिल्ली में क्षय रोग आज भी स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या बना हुआ है और हमारी 40 प्रतिशत आबादी क्षय रोग के जीवाणुओं से संक्रमित है और यदि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है तो उनके इस रोग की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है।
- दिल्ली संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को डॉट्स रणनीति के साथ 1997 से कार्यान्वित कर रहा है। दिल्ली राज्य आरएनटीसीपी कार्यक्रम का 01.04.2013 से एनआरएचएम (डीएसएचएम) में विलय कर दिया गया। दिल्ली राज्य आरएनटीसीपी विकेंद्रीकृत लचीली पद्धति से 25 चेस्ट क्लिनिकों के जरिए चलाया जा रहा है, जो डीटीसी के समकक्ष हैं। 25 चेस्ट क्लिनिकों में से 12 दिल्ली नगर निगम द्वारा, 10 रा.रा.रा.क्षे.दि.स., 1 एनडीएमसी, 1 भारत सरकार और 1 चेस्ट क्लिनिक गैर-सरकारी संगठन-रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक स्वयंसेवी संगठन रामकृष्ण मिशन को एक जिले में आरएनटीसीपी संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। गैर सरकारी संगठन और निजी चिकित्सक आरएनटीसीपी को लागू करने में बड़े पैमाने पर भागीदारी कर रहे हैं।
- आरएनटीसीपी दिल्ली विभिन्न पक्षों (एनडीएमसी, एमसीडी, भारत सरकार और दिल्ली सरकार) के साथ शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत एकीकृत है। चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को राज्य स्तर पर संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली में आरएनटीसीपी सेवाओं का एकीकरण मोहल्ला समितियों के साथ किया गया है।
- दवाओं के प्रति संवेदनशील और दवा प्रतिरोधी टीबी का निदान और उपचार आरएनटीसीपी के तहत सभी प्रतिभागियों द्वारा रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- 200 रैन बसेरों में रहने वाले बेघर लोगों के लिए टीबी नियंत्रण सेवाएं। रैन बसेरों के कर्मचारियों को सामुदायिक टीबी डॉट कार्यक्रम और बलगम के नमूने एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- गैर-सरकारी संगठन डीटीबीए द्वारा फुटपाथ पर रहने वालों/बेघरों के लिए मोबाइल टीबी क्लिनिक।
- दिल्ली के सभी चेस्ट क्लिनिक में जनवरी 2015 से टीबी के सभी रोगियों की मधुमेह की जांच शुरू की गई है।
- एमडीआर-टीबी के अनुपालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा परामर्श सेवाएं।
- 'आशा किरण' में बेघरों के बीच टीबी के आशंकित मामलों की अग्रिम जांच द्वारा बाल चिकित्सा मामलों में गुणवत्तापूर्ण टीबी निदान।

- तिहाड़ जेल में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसके लिए टीबीएचवी और एलटी तैनात किए गए हैं।
- ट्रक चालक, रैन बसेरों, फुटपाथ पर रहने वालों और कारागार सहित झुग्गी झोंपड़ी/अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों की गहन टीबी जांच की जाती है।
- यूनियन, आर के मिशन, डीएफआईटी, टीबी अलर्ट और जीएलआरए जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा एमडीआर टीबी रोगियों को पोषण और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- आरएनटीसीपी के तहत दिल्ली में 192 निदान केंद्र और 551 उपचार केंद्र हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी के निदान के लिए 3 सी एंड डीएसटी प्रयोगशालाओं में एलपीए, लिक्विड कल्चर और सोलिड कल्चर सेवाएं उपलब्ध हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी (डीआरटीबी) के रोगियों के लिए डाट्स+ सेवाएं 4 नोडल केंद्रों और 25 जिला दवा प्रतिरोधी टीबी केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। टीबी का शीघ्र पता लगाने के लिए 25 चेस्ट क्लिनिक/चिकित्सा महाविद्यालयों में 32 सीबीएनएएटी (जैनएक्सपर्ट) प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। उपचार शुरू करने के लिए सभी टीबी रोगियों के वास्ते डीएसटी के अलावा सीबीएनएएटी द्वारा टीबी का शीघ्र पता लगाने संबंधी सेवा सभी रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है (विशेष रूप से बच्चों, एचआईवी पॉजिटिव रोगियों और दवा प्रतिरोधी टीबी की जांच वाले रोगियों को)।
- पहली नवंबर 2017 से दिल्ली में दैनिक आहार व्यवस्था की शुरुआत।
- 1997 से डॉट्स (टीबी के उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित रणनीति) और वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही से डॉट्स+ लागू करने का पूर्ण कवरेज हासिल करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार की दवा के लिए विस्तारित डीएसटी पूरे राज्य में अप्रैल 2016 से लागू की गई। एमडीआर टीबी के उपचार के लिए नई दवा – बेडाक्विलिन का उपयोग पूरे राज्य में 2016 में शुरू किया गया।
- संशोधित पीएमडीटी दिशानिर्देश लक्ष्य 2019 राज्य भर में लागू किये गए।
- निक्षय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तहत निगरानी और नियंत्रण के लिए टीबी रोगियों की लाइव रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली है।
- टीबी हरेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत 25 सितंबर, 2019 से हुई।
- इस वैश्विक महामारी के खात्मे के लिए 2025 तक शून्य मृत्यु के लक्ष्य के साथ टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से कार्यक्रम का नाम संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण प्रोग्राम (आरएनटीसीपी) से बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) कर दिया है।

विवरण 16.15
दिल्ली राज्य आरएनटीसीपी की उपलब्धियां

संकेतक	2011	2012	2013	2014	2015	2016
उपचार के लिए सामने आए रोगियों की कुल संख्या	51,645	52006	50728	54037	55582	57967
उपचार के लिए आए नए संक्रमित रोगी	13770	13982	12969	13704	14197	14840
तीन महीने के उपचार से संक्रमित से असंक्रमित स्थिति में पहुंचाए गए रोगी (लक्ष्य 90 प्रतिशत)	90%	90%	89%	89%	90%	90%
नए संक्रमित रोगियों का पता लगाने की दर (सार्वभौमिक कवरेज)	85%	86%	80%	80%	83%	87%
सभी प्रकार के क्षय रोगियों का पता लगाने की दर (सार्वभौमिक कवरेज)	118%	128%	118%	122%	122%	125%
नए स्मिअर पाजिटिव की सफलता दर (उपचार + पूर्ण) लक्ष्य (90 प्रतिशत)	86%	86%	86%	85%	86%	87%
मृत्यु दर (लक्ष्य 5 प्रतिशत से कम)	3%	2.7%	2.6%	3.5%	3%	2.6%
डिफाल्ट रेट (लक्ष्य 5 प्रतिशत से कम)	4.5%	4.4%	5%	5.7%	5%	5%
विफलता दर (लक्ष्य 5 प्रतिशत से कम)	4%	4.1%	3%	2.7%	2%	2.3%
मृत्यु से बचाए गए लोगों की संख्या	9690	9776	9486	9875	10600	11280
टीबी संक्रमण से बचाए गए व्यक्तियों की संख्या	507310	513839	480501	523407	526435	552826

स्रोत : स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

विवरण 16.16
दिल्ली राज्य आरएनटीसीपी की उपलब्धियां

संकेतक	2017	2018	2019
सार्वजनिक क्षेत्र से अधिसूचित टीबी रोगी	60772	76182	79828
वार्षिक टीबी अधिसूचित दर (सार्वजनिक)	332 प्रति लाख	414 प्रति लाख	434 प्रति लाख
निजी क्षेत्र से अधिसूचित टीबी रोगी	5121	15561	28088
वार्षिक टीबी अधिसूचना दर (निजी)	28 प्रति लाख	84 प्रति लाख	153 प्रति लाख
पलमोनरी टीबी रोगियों का प्रतिशत	58%	56%	58%
अतिरिक्त पलमोनरी टीबी रोगियों का प्रतिशत	42%	44%	42%
नए टीबी रोगियों का प्रतिशत	86%	84%	86%
पहले उचारित टीबी रोगियों का प्रतिशत	14%	16%	14%
सूक्ष्म जैविक रूप से पुष्ट मामलों का प्रतिशत	43%	45%	52%
उपचार से नैदानिक मामलों का प्रतिशत	57%	55%	48%
सूक्ष्म जैविक रूप से पुष्ट नए रोगियों में सफलता दर	85%	86%	86%
सूक्ष्म जैविक रूप से पुष्ट पहले उपचारित रोगियों की सफलता दर	71%	72%	73%
नए टीबी रोगियों में सफलता दर	94%	94%	95%
नैदानिक रूप से पूर्व उपचारित टीबी रोगियों में सफलता दर	88%	88%	89%

स्रोत : स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

विवरण 16.16(1)

भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए तय किए गए नए संकेतक

संकेतक	2020 (30 सितंबर तक, 2020)
सार्वजनिक क्षेत्र से अधिसूचित टीबी रोगी	46334
वार्षिक टीबी अधिसूचित दर (सार्वजनिक)	77%
नजी क्षेत्र से अधिसूचित टीबी रोगी	19256
% Target achieved in TB Notification (Private) वार्षिक टीबी अधिसूचना दर (निजी)	85%
ज्ञात एचआईवी स्थिति (सार्वजनिक) के साथ टीबी अधिसूचित मरीजों का प्रतिशत	75%
ज्ञात एचआईवी स्थिति (निजी) के साथ टीबी अधिसूचित मरीजों का प्रतिशत	27%
यूडीएसटी के साथ टीबी अधिसूचित मरीजों का प्रतिशत (सार्वजनिक)	58%
यूडीएसटी के साथ टीबी अधिसूचित मरीजों का प्रतिशत (निजी)	46%
उपचार की सफलता दर (सार्वजनिक)	74%
Treatment Success Rate (Private) उपचार की सफलता दर(निजी)	46%
निक्षय पोषण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का प्रतिशत	42%
निदान के आधार पर शुरू किए गए एमडीआर रोगियों का प्रतिशत	79%

29 भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आईएसएमएच) को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 1996 में एक पृथक निदेशालय की स्थापना की गई ताकि हर्बल (जड़ी-बूटी संबंधी) औषधियों और होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल करते हुए देशी चिकित्सा प्रणाली/पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सके। 2013 में इसे आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी) निदेशालय का नाम दिया गया। आयुष निदेशालय के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

- दिल्ली में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी उपचार उपलब्ध करा रहे 163 औषधालयों के नेटवर्क के माध्यम से सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में चार शैक्षणिक संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
- आयुर्वेद और यूनानी औषधि और प्रसाधन अधिनियम तथा औषधि और जादू टोने से उपचार संबंधी आपत्तिजनक विज्ञापन निषेध अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान करना और विनियमन करना।
- आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सकों का पंजीकरण।
- स्कूली शैक्षणिक कार्यक्रम, मीडिया अभियानों और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणाली की शक्तियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।

30. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयुष के कामकाज के संदर्भ में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :**

- 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी का अलग विभाग/निदेशालय गठित किए जाने के बाद आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा के औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ का स्थानांतरण 1997 में औषध नियंत्रण विभाग से आयुष निदेशालय में कर दिया गया है। सहायक औषध नियंत्रक (आयुर्वेद) और सहायक औषध नियंत्रक (यूनानी) आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा समय में दो औषध निरीक्षक (आयुर्वेद) और एक औषध निरीक्षक (यूनानी) लाइसेंसिंग प्राधिकरण की मदद करते हैं। कुल 91 नियमित आयुष निर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से 69 आयुर्वेदिक इकाइयां, 22 नियमित यूनानी इकाइयां, 10 नियमित संयुक्त आयुर्वेदिक और यूनानी इकाइयां और 2 आयुर्वेदिक ऋण लाइसेंस और एक यूनानी ऋण लाइसेंस इकाइयां हैं। इन्हें 1 सितंबर 2016 को लाइसेंस प्रदान किया गया है।
- सरकार ने डा. बी.आर. सूर होम्योपैथिक कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया है, जहां 50 सीटों के साथ डिग्री पाठ्यक्रम पहले से संचालित किया जा रहा है। इस अस्पताल में अंतरंग उपचार के लिए 50 बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ओपीडी सेवाएं, एक्सरे सुविधा, प्रयोगशाला और अल्ट्रासाउंड सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
- सरकार ने 1998 में आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कालेज और अस्पताल का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। यह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और बीएएमएस तथा बीयूएमएस डिग्रियां प्रदान करता है। इसमें 88 सीटें (44 बीएएमएस और 44 बीयूएमएस) हैं। संस्थान आयुर्वेद और यूनानी के अंतर्गत क्रमशः काया चिकित्सा, शरीर और मोआलिजात जैसे विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। इसमें अंतरंग उपचार के लिए 300 बिस्तरों का भी प्रावधान है। एण्ड्यू तिब्बिया कालेज में नया प्रसूति ब्लॉक कार्य कर रहा है, जिसमें 60 बिस्तर हैं।
- दिल्ली होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है ताकि अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी प्रकार अर्द्ध चिकित्सा प्रशिक्षण परीक्षाएं और नर्सिंग देखभाल, पंचकर्म जैसी परीक्षाओं के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम तैयार करने के वास्ते भारतीय चिकित्सा औषध प्रशिक्षण परीक्षण संस्था भी स्वायत्त निकाय के रूप में गठित की गई है।
- नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बीएचएमएस डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन करता है, जिसमें 100 सीटें हैं। संस्थान में गंभीर मरीजों के अंतरंग होम्योपैथिक उपचार के लिए 100 बिस्तरों की व्यवस्था है। इस संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है।
- चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, खेड़ा डाबर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एक स्वायत्त आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। इसमें आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का पहला बैच शुरू हो गया है। इसमें 100 सीटें स्वीकृत हैं। संस्थान से जुड़ा 210 बिस्तरों वाला अस्पताल भी अनुभवी और योग्य चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (राज्य सैंपल) के 71वें दौर के निष्कर्षों के आधार पर स्वास्थ्य पर सामाजिक व्यय (जनवरी-जुलाई 2014) : दिल्ली में बीमार व्यक्तियों की कुल संख्या में से 9.86 प्रतिशत ने आयुष पद्धति से इलाज को चुना। ग्रामीण क्षेत्रों में 19.82 प्रतिशत व्यक्तियों ने आयुष को चुना जबकि शहरी इलाकों में यह प्रतिशत 9.48 का रहा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार (2017-18 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कुल उपचारित रोगों का लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा आयुष उपचार का है)

31. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन

31.1 दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इनके माध्यम से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली में उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कारण सभी राज्यों और विदेशों से भी लोग गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिए यहां आते हैं। इसके बावजूद कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना राज्य को करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का समुचित और संतुलित वितरण नहीं है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पातीं। इसीलिए दिल्ली सरकार सीड पीयूएचसी केंद्र खोल कर चिकित्सा सेवाओं की कम पहुंच और वंचित इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का नेटवर्क विस्तारित करने का प्रयास कर रही है और साथ ही चिकित्सा सेवा मुहैया कराने की प्रणाली में ढांचागत सुधार भी लागू कर रही है।

31.2 दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं :

1. प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य

- आर एमएनसीएच+ए
- मिशन प्लेक्सीपूल
- टीकाकरण
- आयोडिन की कमी का विकार

2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)

- ढांचागत मजबूती
- मानव संसाधन अंतर की भरपाई और प्रबंधन उपाय
- आशा/रोगी कल्याण समिति/महिला आरोग्य समिति के जरिए समुदायों से जुड़ना।
- एचएमआईएस और आईटी पहल
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम

3. संचारी रोग कार्यक्रम

- समेकित रोग निगरानी परियोजना
- राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय मच्छर (रोगाणु वाहक) जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

4. गैर संचारी रोग कार्यक्रम

- राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम।
- कार्डियोवेस्कुलर रोग और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस)
- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी)
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)
- राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीसीडी)
- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)
- राष्ट्रीय ओरल हेल्थ स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी)
- राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम (एनपीपीसी)
- राष्ट्रीय जलन क्षति रोकथाम एवं प्रबंधन कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआई)।

31.3 राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई और 11 जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां इन कार्यक्रमों को लागू करती हैं। भारत सरकार से राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना की मंजूरी के अनुरूप ये कार्यक्रम लागू किए जाते हैं।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां

- (क) सेवा से वंचित/आंशिक वंचित क्षेत्रों का कवरेज : चिकित्सा सेवा वंचित और आंशिक रूप से वंचित लगभग सभी क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। इस पहल के तहत 60 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं।
- (ख) मोबाइल डेंटल क्लिनिक : मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान (मेड्स) द्वारा दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से 2 मोबाइल डेंटल क्लिनिक और 4 मोबाइल आईईसी वैन प्रचालित की जा रही हैं।
- (ग) एम्बुलेंस संचालन :केंद्रीयकृत दुर्घटना ट्रॉमा सेवाएं 100 जीवन रक्षक एम्बुलेंस और 120 रोगी परिवहन एम्बुलेंस का संचालन कर रहा है। इनकी खरीद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों के अनुसार दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम) द्वारा की गई है।
- (घ) स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) : वेब पोर्टल के जरिए सभी जनस्वास्थ्य/संकेतक आधारित सूचना प्राप्त करने तथा आयोजना और निगरानी गतिविधियों के लिए रिपोर्ट/रुझान तैयार किया जाता है। इस वेब पोर्टल पर सेवा केंद्रों से मासिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों के जरिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्तमान में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और ईएसआई, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, स्वायत्त, गैर-सरकारी संगठन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं (औषधालय तथा अस्पताल) मासिक आधार पर एचएमआईएस को रिपोर्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा कुछ निजी अस्पताल और नर्सिंग होम भी एचएमआईएस पोर्टल पर रिपोर्ट करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धियों का उपयोग स्वास्थ्य नीतियों और रणनीतियों पर निगरानी और आयोजना के लिए राज्य और भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है।
- (ङ) सामुदायिक प्रक्रियाएं

आशा : स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने की प्रणाली मान्यता प्राप्त समाज सेवा कार्यकर्ताओं (आशा) के सहयोग से समुदाय से जोड़ी गई है। आशा बहनें महिला स्वयंसेविका हैं, जिनका चयन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। प्रत्येक 1500 से 2500 की आबादी (300 आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2020-21

से 500 परिवारों) पर एक आशा कार्यकर्ता का चयन किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली में 5998 आशा बहने हैं, जो 11 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में (झुग्गी झोंपड़ी जेजे बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों और पुनर्वास कालोनियों) काम कर रही हैं।

इन आशा कार्यकर्ताओं को समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के वास्ते जरूरी कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। वे माताओं और नवजात शिशुओं को आवश्यक देखभाल मुहैया कराती हैं और बीमार लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद करती हैं। वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यक शारीरिक जांच सुनिश्चित कराने में भी सहयोग देती हैं। इन कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इनके कामों पर निगरानी, राज्य द्वारा बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर आधारित वेब के जरिए रखी जाती है। दिल्ली पहला राज्य है जिसने आशा स्कीम के लिए इस तरह के एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का संचालन किया है। इनके योगदान से स्वास्थ्य संकेतकों में बेहतर नतीजे सामने आए हैं, विशेषकर मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संकेतकों में। इनके सहयोग से मोतियाबिंद ऑपरेशन जैसी गतिविधियां भी बढ़ी हैं।

गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उन्हें भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एनआईओएस द्वारा संचालित लिखित और मौखिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है।

(च) **सभी स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम लागू किया जाना** : गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता सुधार के महत्व को देखते हुए यह कार्यक्रम लागू किया गया है। इसमें एक राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और जिला स्तरीय ढांचा शामिल है। सभी अस्पतालों में गुणवत्ता टीमें गठित की गई हैं और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्ता सर्कल सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिए गए हैं। मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

अस्पतालों के सभी प्रमुख विभागों के लिए एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रिया) का मसौदा तैयार किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एसओपी की तैयारी जारी है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 20 अस्पतालों में मेरा अस्पताल पहल के जरिए रोगियों की संतुष्टि के आकलन की व्यवस्था की गई है।

डीएसएचएम के तहत, अस्पतालों को गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया में पहचाने गए अंतराल को भरने के लिए धन प्रदान किया जाता है। पहचान किए गए अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पांच अस्पतालों का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया गया। इनमें से दो को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई है और दो को सशर्त प्रमाणन प्रदान किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन योजना के तहत काया कल्प कार्यक्रम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के सभी अस्पतालों तथा प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र और मातृ शिशु कल्याण केंद्र में पिछले 3 वर्ष से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इससे स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण अभ्यासों, स्वास्थ्य और रोगी के अनुभव स्तर में सुधार हुआ है।

वर्ष 2019–20 में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुल 17 अस्पतालों में से 16 अस्पतालों ने 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये। कायाकल्प कार्यक्रम को उनके संबंधित जिलों के पीयूएचसी में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अस्पतालों और पीयूएचसी में वर्ष 2020–21 के लिए कायाकल्प आकलन प्रक्रियाधीन है।

5 अस्पतालों ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन योजना प्रमाणन हासिल किया है और 2 अस्पतालों ने राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य प्रमाणन प्राप्त किया है। छह अस्पतालों ने प्रवेश स्तर पर एनएबीएच प्रमाणन प्राप्त किया। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन योजना प्रमाणन के लिए 6 अस्पतालों की और लक्ष्य प्रमाणन के लिए 4 अस्पतालों की पहचान की गई जो प्रक्रियाधीन है।

32 दिल्ली आरोग्य कोष

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने वर्ष 2011 में गंभीर रोगों से ग्रस्त और दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय निकाय या स्वायत्तशासी अस्पताल में चिकित्सा करा रहे निर्धन रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक पृथक सोसायटी के रूप में दिल्ली आरोग्य कोष का गठन किया था। वर्ष 2017–18 में सरकार ने उच्च स्तर की नैदानिक, सर्जरी और सड़क दुर्घटना, तेजाब हमले और जलने की घटना के पीड़ितों के लिए उपचार सेवा डीएके के माध्यम से शुरू की थी। इसके तहत रोगियों को सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर किए जाने और चिकित्सा उपचार खर्च की भरपाई सरकार द्वारा डीएके के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। 2019–20 के दौरान 78867 पात्र रोगियों ने उच्च स्तर के नैदानिक परीक्षण का लाभ उठाया। इसी प्रकार 8739 पात्र रोगी इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सर्जरी योजना से लाभान्वित हुए। लगभग 4299 सड़क दुर्घटना में घायल/तेजाब हमले के पीड़ितों ने इस अवधि के दौरान नकदी रहित उपचार प्राप्त किया।

समाज कल्याण और सुरक्षा

भारत के संविधान में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में लोगों के कल्याण के लिए आदर्श शासन के मापदंडों को निर्धारित किया गया है और इन मापदंडों को राज्य द्वारा कानून बनाने में उपयोग करना होता है। अनुच्छेद 41 यह निर्दिष्ट करता है कि “राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। समाज कल्याण और नागरिकों की स्थिति में सुधार करना ही मुख्य उद्देश्य है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राज्य के नीति निदेशक तत्व में वर्णित सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों, उपेक्षित समूहों और शारीरिक बाधाओं से ग्रस्त लोगों के कल्याण की योजनाओं/कार्यक्रमों पर अपने विभागों के माध्यम से कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही है ताकि उनकी बेहतर देखभाल और मदद की जा सके। इस संबंध में, निम्नलिखित विभाग सामाजिक कल्याण और सुरक्षा पर विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भूमिका निभा रहे हैं।

- (i) **समाज कल्याण विभाग** वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके अलावा विभाग विकलांग व्यक्तियों का भी मार्ग प्रशस्त करता है और विभाग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करता है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समाज कल्याण विभाग ने कार्यान्वयन के लिए अपने कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत किया है।
- (ii) **महिला और बाल विकास विभाग** महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों की देखरेख करता है।
- (iii) **अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग** दिल्ली के अजा/ अजजा/ अपिव निवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

3. समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस)

- 3.1 समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1975 को की गई थी। आईसीडीएस एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसकी लागत पूरक पोषण के मामले में 50 : 50 और पोषण से इतर मामले में 60 : 40 के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा वहन की जाती है। मौजूदा समय में यह योजना बच्चों की शुरुआती देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक बेजोड़ कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम बच्चों और देखभाल करने वाली माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। आईसीडीएस एक तरफ विद्यालय-पूर्व शिक्षा की चुनौती का समाधान करने और दूसरी तरफ कुपोषण, रुग्णता, सीखने की कम क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ने में

सहायता करता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम को भारत सरकार की मदद से दिल्ली में कार्यान्वित कर रही है। आईसीडीएस कार्यक्रम 6 सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफ्रल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं, जो 10,755 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इसके लाभार्थियों में 0-6 वर्ष की आयु समूह के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तन पान कराने वाली माताएं शामिल हैं।

3.2 वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न भागों में 95 परियोजनाएं 10,755 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित की गईं, जिनके अंतर्गत 12.97 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तन पान कराने वाली माताओं को कवर किया गया। इसी प्रकार 2020-21 के दौरान (दिसंबर, 2020 तक) आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों से संबंधित 0-6 वर्ष की आयु के 13.12 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तन पान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाया गया। इनमें से, 2019-20 में 5.37 लाख बच्चों और महिलाओं तथा 2020-21 में (दिसंबर, 2020 तक) 6.22 लाख बच्चों और महिलाओं को 10755 आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिए पूरक पोषक (आईसीडीएस के अंतर्गत) आहार प्रदान किया गया। वर्तमान में एक बच्चे के पूरक पौष्टिक आहार पर रोजाना 8 रुपये, प्रति महिला 9.50 रुपये और कुपोषण के शिकार बच्चे के पोषाहार पर 12 रुपये प्रतिदिन लागत आती है और ये साल में 300 दिन उपलब्ध कराया जा रहा है (सितंबर 2018 से लागू)।

3.3 दिल्ली सरकार ने अगस्त, 2017 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 5000/- रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 9678/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायकों का पारिश्रमिक 2500 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 4839 रुपये प्रति माह कर दिया है।

3.4 लाडली योजना

दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2008 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़ी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी पात्रता-शर्त यह है कि बच्ची का जन्म दिल्ली में हुआ हो, उसके माता-पिता आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम तीन साल से दिल्ली में रह रहे हों और उनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी एक लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

- योजना के अंतर्गत पहली जनवरी 2008 को या इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी अस्पताल/नर्सिंग होम में पैदा हुई बालिका के नाम बैंक में 11,000 रुपये जमा करा दिये जाते हैं। अगर बालिका अस्पताल या नर्सिंग होम के अलावा घर/किसी अन्य स्थान पर पैदा हुई हो तो खाते में 10000 रुपये जमा कराए जाते हैं।
- पहली, छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश, दसवीं कक्षा पास करने और बारहवीं कक्षा में प्रवेश के समय भी खाते में 5-5 हजार रुपये जमा कराये जाते हैं।
- कुल योगदान/जमा राशि का प्रावधान अस्पताल में जन्म के मामले में रु. 36,000/- और अस्पताल से बाहर जन्म होने की स्थिति में रु. 35,000/- होगा, बशर्ते बालिका ने सभी निर्धारित कक्षाओं में दाखिला लिया हो।

- जब बालिका 18 साल की हो जाती है और नियमित छात्रा के रूप में दसवीं कक्षा पास कर लेती है या बारहवीं कक्षा तक नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करती है तो परिपक्वता राशि ली जा सकती है।
- मार्च 2020 तक इस योजना के अंतर्गत 10.64 लाख बालिकाओं का पंजीकरण कराया जा चुका है, जिनमें से 2,59,044 बालिकाएं अंतिम परिपक्वता राशि के रूप में रु.403.93 करोड़ (2008-09 से 2019-20) प्राप्त कर चुकी हैं।
- 2019-20 के दौरान 46660 पंजीकरण, 94338 नवीकरण किए गए और 29097 बालिकाओं को परिपक्वता राशि अदा की गई।
- 2020-21 में (अप्रैल से दिसंबर तक) 3304 पंजीकरण, 13338 नवीकरण किए गए और 14043 बालिकाओं को परिपक्वता राशि का भुगतान किया गया।
- लाडली योजना के अंतर्गत 2008-09 से अंशदान का वर्षवार वित्तीय प्रावधान अर्थात् बजट आवंटन और व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है।

विवरण 17.1

अंशदान का वर्षवार वित्तीय प्रावधान

क्रम सं.	वर्ष	बजट (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2008-09	86.38	86.44
2	2009-10	87.00	86.97
3	2010-11	110.00	89.26
4	2011-12	93.00	92.90
5	2012-13	105.50	103.00
6	2013-14	113.00	112.29
7	2014-15	96.00	95.64
8	2015-16	103.27	101.92
9	2016-17	106.00	96.67
10	2017-18	101.87	100.65
11.	2018-19	100.00	97.54
12.	2019-20	100.00	85.30
13.	2020-21 (दिसंबर तक)	100.00	11.43
कुल		1302.02	1160.00

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

- लाडली योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

विवरण 17.2

पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

क्र सं	वर्ष	पंजीकरणों की संख्या	अदा की गई राशि (करोड़ में)	नवीकरणों की संख्या	अदा की गई राशि (करोड़ में)
1	2008-09	125337	74.17	--	--
2	2009-10	139823	83.57	--	--
3	2010-11	105737	64.85	15367	7.68
4	2011-12	106585	63.57	54216	27.11
5	2012-13	96800	59.71	63805	31.90
6	2013-14	89246	54.96	97620	48.84
7	2014-15	82669	51.71	102466	52.83
8	2015-16	74846	45.99	99366	55.30
9	2016-17	68193	40.98	97284	55.97
10	2017-18	67070	40.15	102489	59.98
11	2018-19	60803	35.88	103703	60.95
12	2019-20	46660	27.69	94338	56.49
13.	2020-21 (दिसंबर तक)	3304	2.48	13338	7.90
	कुल	1067073	646.01	843992	464.95

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

- लाडली योजना के अंतर्गत वितरित परिपक्वता राशि की स्थिति :

विवरण 17.3

लाडली योजना के अंतर्गत परिपक्वता वितरण की स्थिति

क्र सं	वर्ष	परिपक्वता योजना की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	2009-10	1640	0.87
2	2010-11	19135	10.66
3	2011-12	11212	6.67
4	2012-13	11247	9.71
5	2013-14	20980	26.8
6	2014-15	20091	30.17
7	2015-16	47766	63.84
8	2016-17	37748	67.60
9	2017-18	34717	70.45
10	2018-19	25411	53.41
11	2019-20	29097	63.75
12	2020-21 (दिसंबर तक)	14043	33.39
	कुल	273087	437.32

3.5 बाल अधिकार आयोग

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 वर्ष 2006 में लागू हुआ। इस अधिनियम में बच्चों के खिलाफ अपराधों अथवा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और उनसे जुड़े अन्य मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए राज्य आयोग और बाल अदालतें गठित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार सितंबर, 2008 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। आयोग बच्चों से संबंधित शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, उपेक्षित/अलग-थलग बच्चों, दिव्यांग बच्चों, मुसीबत में फंसे बच्चों से संबंधित मुद्दों तथा बाल मनोविज्ञान और बच्चों से संबंधित कानूनी मुद्दे देखता है। विभाग ने प्रत्येक पुलिस जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को बाल अदालत के रूप में अधिसूचित किया है ताकि उनमें बच्चों के खिलाफ अपराधों या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई की जा सके।

3.6 बाल कल्याण समितियां

सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 10 बाल कल्याण समितियों और 6 किशोर न्याय बोर्डों का गठन किया है ताकि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानूनी प्रक्रियाओं में फंसे बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित मामलों में तेजी से और समय पर निर्णय लिया जा सके।

3.7 किशोर कल्याण

महिला और बाल विकास विभाग ने देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानूनी प्रक्रिया में फंसे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार 28 बाल संस्थान गठित किए हैं। इन संस्थानों में शामिल हैं :

- लड़कों के लिए 2 निगरानी गृह
- लड़कियों के लिए 1 निगरानी गृह
- लड़कों के लिए 1 सुरक्षास्थल
- लड़कियों के लिए 1 सुरक्षा स्थल
- लड़कों के लिए 1 विशेष गृह
- 01 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण संस्था
- 19 बाल गृह
- लड़के और लड़कियों के लिए 2 आपटर केयर होम।

इनके अलावा वर्तमान में 78 गैर-सरकारी संगठन दिल्ली में बाल देखभाल संस्थान संचालित कर रहे हैं।

3.8 एकीकृत बाल संरक्षा योजना (आईसीपीएस)

आईसीपीएस योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में शुरू की थी। इस योजना का लक्ष्य सभी बच्चों को विचारशील, सुरक्षित और भलीभांति संरक्षित जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए संरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। मंत्रालय लागत साझेदारी अनुपात के अनुरूप 'समेकित बाल संरक्षा कार्यक्रम' के कार्यान्वयन के लिए धन प्रदान करता है। राज्य में इस कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। विभाग ने एक राज्य बाल संरक्षण

एकक और 11 जिला बाल संरक्षण एकक स्थापित किए हैं ताकि कार्यक्रम के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। वर्तमान में 10 बाल गृहों, 9 खुले आश्रयगृह, 09 राज्य दत्तक एजेंसियों और लड़कों तथा लड़कियों के लिए 1 सुरक्षा स्थल को एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम के जरिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

3.9 कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण योजनाएं

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम अगस्त, 2014 में अधिसूचित किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे बच्चे को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके जीवित माता या पिता अथवा दोनों कारागार में हों। वित्तीय सहायता की मात्रा पहले बच्चे को 3500/- रुपये प्रति माह और दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त 3000/- रुपये (यदि 3 या उससे अधिक बच्चे होंगे तो अधिकतम राशि 6500/- रुपये प्रति माह होगी)। यह सहायता बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा माता पिता के कारागार से छूटने, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए दी जाएगी। परंतु, यदि कोई बच्चा किसी उपयुक्त संस्थान में रह रहा होगा तो ऐसा बच्चा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 से 2019-20 के दौरान आवंटित निधि, खर्च की गई राशि और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे विवरण 17.4 में दिया गया है।

विवरण 17.4

कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	30.00	22.45	228
2016-17	30.00	22.11	166
2017-18	30.00	22.18	63
2018-19	30.00	16.60	52
2019-20	30.00	18.36	50
2020-21 (दिसंबर तक)	30.00	20.00	51

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

3.10 मानसिक स्वास्थ्य

फरवरी, 2010 में निर्मल छाया परिसर में एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य वहां रहने वाली लड़कियों और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस इकाई का संचालन एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया जा रहा है और निर्मल छाया परिसर में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं को मनोवैज्ञानिक उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य इकाई की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप परिसर में रहने वाली महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की दर में सुधार आया है।

3.11 महिलाओं के लिए कार्यक्रम

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में महिलाओं की आबादी 77.77 लाख है जो कुल जनसंख्या का 46.41 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की आबादी कुल जनसंख्या का 48.46 प्रतिशत है। दिल्ली में महिला साक्षरता दर 80.34 प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता दर 91.03 प्रतिशत और कुल साक्षरता दर 86.34 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर 63.46 प्रतिशत है।

3.12 विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता

महिला और बाल विकास विभाग 'विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन' कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। इसके अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में आमदनी का नियमित स्रोत प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 से चलाई जा रही है।

दिल्ली सरकार ने अप्रैल, 2017 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रति माह वित्तीय सहायता रु. 2500 है। यह लाभ पाने के लिए महिला निवास प्रमाण के साथ 5 वर्ष से दिल्ली में रह रही हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।

विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 से 2020-21 के दौरान आवंटित निधि, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा नीचे विवरण 17.5 में दिया गया है।

विवरण 17.5

विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता कार्यक्रम की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	267.58	267.58	1,58,603
2016-17	318.00	317.48	1,76,778
2017-18	513.50	513.27	2,05,079
2018-19	654.45	642.16	2,38,049
2019-20	765.50	738.90	2,50,073
2020-21 (दिसंबर तक)	788.50	612.26	2,74,863

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

3.13 बेसहारा लड़कियों और विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता

इस योजनाके अंतर्गत विधवाओं को अपनी बेटी की शादी करने और बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी का दिल्ली का वास्तविक निवासी होना जरूरी है। यह फायदा किसी परिवार की दो लड़कियों की शादी के लिए ही दिया जाता है। परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। सहायता की वर्तमान दर अप्रैल 2012 में रु. 25000 से बढ़ा कर रुपये 30,000 की गई।

इस योजना के अंतर्गत 2015-16 से 2020-21 के दौरान आवंटित निधि, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे विवरण 17.6 में दिया गया है।

विवरण 17.6

बेसहारा लड़कियों और विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	990.00	983.00	3612
2016-17	990.00	981.90	3273
2017-18	860.00	854.00	2830
2018-19	1200.00	1000.80	3336
2019-20	1300.00	667.80	2239
2020-21 (दिसंबर तक)	1300.00	318.60	1063

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

3.14 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने दिल्ली में विश्वासनगर, कड़कड़डूमा में कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण किया और दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए एक समझौते के तहत इसे वाईडब्ल्यूसीए को हस्तांतरित कर दिया। इस हॉस्टल में 102 लाभार्थियों के रहने की स्वीकृति प्राप्त है। रोहिणी में भी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया गया है। यह हॉस्टल सितंबर 2019 तक काम कर रहा था। इसके बाद इसे बंद कर देने की सूचना विभाग को दी गई। महिला और बाल विकास विभाग ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर ऐसे और हॉस्टल बनाने/स्थापित करने की योजना बनाई है, जिनके लिए जमीन उपलब्ध (द्वारका, तुगलकाबाद, पीतमपुरा, दिलशादगार्डन, वसंत गांव और जनकपुरी) कर ली गई है।

3.15 महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005

महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग नोडल एजेंसी है। यह कानून 26.10.2006 से लागू हुआ और इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के अधिकारों का अधिक प्रभावी संरक्षण करना है जो अपने परिवार के भीतर ही किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा के तहत वास्तविक दुर्व्यवहार या गैर-कानूनी तरीके से दहेज की मांग करके पीड़िता या उसके संबंधियों को परेशान करना आता है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए विभाग ने दिल्ली के सभी जिलों के प्रतिनिधित्व के लिए 16 संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये हैं।

3.16 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओं के लिए शेल्टर होम्स

महिला और बाल विकास विभाग ने विशेष रूप से गर्भवती और बच्चों को स्तन पान कराने वाली विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए सराय रोहिल्ला और जहांगीर पुरी में आश्रय गृह बनाए हैं। इनका प्रबंधन वाईडब्ल्यूसीए दिल्ली कर रहा है। इन गृहों में निःशुल्क भोजन और आवास, चिकित्सा सुविधा विशेषकर प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल उपलब्ध कराई जाती है। सराय रोहिल्ला आश्रय गृह में 14 और जहांगीरपुरी आश्रय गृह में 10 महिलाओं को रखे जाने की क्षमता है।

3.17 स्व-आधार गृह योजना (सीएसएस)

स्व-आधार गृह योजना केंद्र प्रायोजित महिला संरक्षण और सशक्तिकरण योजना की एक उपयोजना है। कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के पुनर्वास के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके लाभार्थियों में विधवाएं, परिवारों और संबंधियों द्वारा परित्यक्त महिलाएं, जेल से रिहा और किसी पारिवारिक सहयोग से वंचित महिला कैदी, प्राकृतिक आपदाओं से बच गई महिलाएं, आतंकवादी/उग्रवादी हिंसा से पीड़ित महिलाएं और बेसहारा महिलाएं शामिल हैं। यह योजना ऐसी महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, आवश्यक परामर्श, चिकित्सा और कानूनी सहायता तथा देखभाल उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार स्व-आधार गृहों के लिए दिल्ली सरकार के माध्यम से शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित लघु अवधि आश्रय स्थल को स्व-आधार गृह में बदल दिया है। ये गृह- अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा संचालित **बापनू घर** और महिला दक्षता समिति से संचालित **स्नेहालय** हैं। स्व-आधार गृह के तहत संचालित प्रत्येक गृह में 30 महिलाओं को रखने की क्षमता है।

3.18 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) : मातृत्व लाभ योजना

पहली जनवरी 2017 से आरंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के प्रावधानों के अनुरूप देश के सभी जिलों में लागू की गई है। इसका उद्देश्य पारिश्रमिक की नकद आंशिक भरपाई करना है, ताकि पहले बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद में महिलाओं को पर्याप्त आराम मिल सके। इसकी लागत केंद्र और राज्य 60 : 40 के अनुपात में साझा करते हैं।

3.18.1 लक्षित लाभार्थी

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में काम कर रही गर्भवती महिलाएं या स्तन पान कराने वाली माताएं या किसी अन्य कानून के तहत समान लाभ ले रही महिलाओं को छोड़कर पहली जनवरी 2017 को या इसके बाद गर्भवती हुई सभी महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए यह लाभ मिलेगा।

3.18.2 गर्भवती और दूध पिलाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं/आंगनवाड़ी सहायिकाएं/आशा कार्यकर्ताएं भी योजना की शर्तों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं।

3.18.3 लाभ

तीन किस्तों में 5000/— रुपये नकद 1000/— रुपये की पहली किस्त आंगनवाड़ी केंद्र/स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्र (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप) में गर्भावस्था के आरंभिक पंजीकरण पर 2000/— रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के छठे महीने के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराने पर और 2000/—रुपये की तीसरी किस्त शिशु जन्म के पंजीकरण और शिशु के बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी या इसके समतुल्य/विकल्प का पहला चक्र लगा लेने पर।

पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत लाभ भी मिलेंगे। इस प्रकार एक महिला को मातृत्व लाभ के अंतर्गत औसतन 6000/—रुपये की राशि मिलेगी।

3.18.4 मौजूदा स्थिति

योजना के आरंभ से (जनवरी 2017 से दिसंबर 2020) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में नामांकित लाभार्थियों की संख्या 2,25,233 और कुल वितरित राशि 91 करोड़ 07 लाख (जनवरी 2017 से दिसंबर 2020) है।

2020–21 में 49915 लाभार्थियों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया और 25 करोड़ 43 लाख रुपये की राशि का व्यय दिसंबर 2020 तक हुआ।

3.19 पोषण अभियान (सीएसएस)

3.19.1 पोषण अभियान बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तन पान कराने वाली माताओं के लिए केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग से लक्षित उपलब्धियों तक पहुंच बनाना है। भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)की मजबूती और बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिए 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान आरंभ किया था।

3.19.2 पोषण अभियान का उद्देश्य जीवनशैली में बदलाव लाकर कुपोषण कम करना और समुचित तालमेल से लक्षित परिणाम हासिल करना है। इस मिशन का लक्ष्य 0–6 वर्ष आयु तक के बच्चों में विकास रुकने की समस्या का प्रतिशत 38.4 से कम कर 2022 तक 25 प्रतिशत पर लाना है। इसके साथ ही 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं और किशोर लड़कियों में रक्ताल्पता यानी एनीमिया का स्तर नीचे लाना तथा जन्म के समय कम वजन की समस्या दूर करना है।

3.19.3 पोषण अभियान इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पोषण कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने, गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष तक के बच्चों की माताओं को समुचित परामर्श देने, समाज और परिवार के व्यवहार में अंतर लाने, सामुदायिक पोषण और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा राज्यों के लिए प्रोत्साहन आधारित प्रदर्शन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा पोषण का प्रभाव मालूम करने के लिए महत्वपूर्ण 1000 दिन की निगरानी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम नागरिक भागीदारी और शिकायत निपटान प्रणाली शुरू करने तथा बेहतर पहुंच बनाने के लिए सेवाओं के प्रबंधन

और निगरानी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से मोबाइल आधारित सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाता है।

- 3.19.4 पोषण अभियान 95 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 10755 आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी 11 जिलों में लागू किया जा रहा है। अगस्त 2019 में सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11500 स्मार्टफोन (सेमसंग जे-4) दिए गए हैं।
- 3.19.5 सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम (सीएस-ट्रेनिंग)-भारत सरकार द्वारा 365 सुपरवाइजरों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। 9974 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जनवरी 2020 तक 4 चरणों में प्रशिक्षित किया गया।
- 3.19.6 2018-19 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के अंतर्गत समुदाय आधारित कार्यक्रम और जन आंदोलन संचालित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान हासिल किया था।
- 3.19.7 **पोषण माह सितंबर 2020** :राष्ट्रीय पोषण माह, सितंबर, 2020 के दौरान मनाया गया, जिसमें साप्ताहिक आधार पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गयी। फील्ड अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न वेबिनार भी आयोजित किए गए। विभाग ने पोषण माह-2020 के समापन अवसर पर एक वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन कश्मीरी गेट स्थित अपने मुख्यालय से किया जिसमें माननीय मंत्री डब्ल्यूसीडी ने पोषण पर एक "ई-बुकलेट" लॉन्च किया, जिसका शीर्षक है "देखभाल और स्वस्थ भोजन आदतों के लिए महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के लिए सूचना पुस्तिका"।
- 3.19.8 पोषण अभियान योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 21.86 करोड़ रुपये और 2020-21 में (दिसंबर 2020 तक) 3.79 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

3.20 दिल्ली महिला आयोग

दिल्ली महिला आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी, इसका उद्देश्य संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा के उल्लंघन के मामलों को देखना है। आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करता है, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :-

- **महिला पंचायत** : इस कार्यक्रम के तहत समुदाय स्तर तक पहुंच बनाने के लिए समाज के निचले स्तर पर महिला पंचायतों का एक नेटवर्क कायम किया गया है। दिसंबर 2019 तक 81 महिला पंचायतें स्थापित की गई हैं।
- **मोबाइल हेल्पलाइन** : दिल्ली महिला आयोग ने मोबाइल हेल्पलाइन शुरू की है। आयोग वर्तमान में 11 जिलों में 23 मोबाइल वैन संचालित कर रहा है।
- **संकट हस्तक्षेप केंद्र** : यह कार्यक्रम दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके परिवारों के लिए एक सहयोग व्यवस्था है। संकट हस्तक्षेप केंद्रों का लक्ष्य और उद्देश्य ऐसी स्थिति में पीड़िताओं को मदद/सहारा प्रदान करना है, जब वे दुष्कर्म के कारण मानसिक सदमे से गुजर रही होती हैं। यह प्रणाली स्वयंसेवी संगठनों के जरिए काम करती है, जो पीड़िता और उनके परिवार को सदमे से

उबरने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करते हैं। संकट हस्तक्षेप कार्यक्रम आउटसोर्स आधार पर कार्य करता है।

- **दुष्कर्म संकट प्रकोष्ठ :** इस प्रकोष्ठ का प्रमुख दायित्व दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके परिवार वालों को तत्काल राहत, भावनात्मक सहयोग और परामर्श तथा प्राथमिकी दर्ज करने और आगे की कार्रवाई पर नजर रखने में सहायता प्रदान करना है ताकि वे हमले से हुए सदमे से उबर सकें। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के समय से लेकर मामले को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने तक यौन दुष्कर्म पीड़िता को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
- 181 – संकटग्रस्त महिलाएं हेल्पलाइन – 181 महिला हेल्पलाइन का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। यह फोन, रेफरल, मार्गदर्शन और परामर्श के माध्यम से संकट और गैर-संकट हस्तक्षेप की सुविधा के लिए एक टोल फ्री दूरसंचार सेवा है। माननीय प्रभारी मंत्री, डब्ल्यूसीडी के दिनांक 11.02.2016 आदेशानुसार स्टाफ के साथ 181-संकटग्रस्त महिला, हेल्पलाइन, दिल्ली महिला आयोग में स्थानांतरित की गई थीं। डीसीडब्ल्यू द्वारा दिए आंकड़े के अनुसार, पिछले एक साल में 181 महिला हेल्पलाइन ने 5,41,261 फोन कॉल का निपटान किया है। महिला और बाल विकास विभाग ने फोन कॉल पर बातचीत के दौरान उठाए जाने वाले अन्य उपायों के बारे में महिला हेल्पलाइन के टेलीकॉलर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

4. समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत योजनाएं और कार्यक्रम

4.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति

दिल्ली सरकार ने 2006 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए “वरिष्ठ नागरिक नीति” बनायी है। नीति में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने की व्यवस्था की गयी है। इसमें उन्हें सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है ताकि वे वृद्धावस्था की समस्याओं से निपट सकें। नीति में सरकारी विभागों द्वारा नागरिक समाज के सहयोग से यह सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा सार्वजनिक सुविधाएं ज्यादा सुगम और उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हों। दिल्ली सरकार ऐसी जन शिक्षा प्रणाली बनाने के बारे में भी विचार करेगी जिससे लोगों को वृद्धावस्था के लिए तैयार किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाद के वर्षों में वे आर्थिक रूप से सबल रह कर गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

4.2 वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पेंशन)

- 4.2.1 यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किए जाते हैं। इस योजना के तहत बैंक में लाभार्थियों के बचत खाते में आधार संख्या या खाता संख्या के अनुरूप मासिक आधार पर वित्तीय सहयोग पीएफएमएस पोर्टल के जरिए अंतरित किया जाता है। 60 साल या अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जो पांच साल से दिल्ली में रह रहे हों, जिनके पास यहां रहने का प्रमाण हो और जिनकी सालाना पारिवारिक आमदनी (आवेदक और पति या पत्नी की) 100,000 रुपये से कम हो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक के पास अधिसूचना में सूचीबद्ध अनुसार पहचान संबंधी वैध प्रमाणपत्र होना जरूरी है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता 2500 रुपये प्रति माह दी जाती है जबकि 60-69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ

नागरिकों को 2000 रुपये महीना वित्तीय सहायता दी जाती है। अजा/अजजा/अल्प संख्यक श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों (60-69 वर्ष के बीच आयु समूह के) को सम्बद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सामान्य पेंशन के अलावा 500 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। ये दरें अप्रैल, 2017 से प्रभावी हैं (इससे पहले क्रमशः 1500 रुपये प्रतिमाह और 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी)।

4.2.2 वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन संबंधी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों का ब्यौरा विवरण 17.7 में दिया गया है।

विवरण 17.7

वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	योजना परिव्यय (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2012-13	563.20	558.34	386068
2	2013-14	541.00	537.88	375668
3	2014-15	558.00	532.24	331881
4.	2015-16	608.79	607.79	388471
5.	2016-17	682.00	638.48	381849
6	2017-18	1065.00	984.72	437896
7.	2018-19	1299.00	1255.90	441999
8.	2019-20	1344.00	1342.63	463945
9.	2020-21 (दिसंबर 2020)	1324.00	860.55	448948

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दिस

4.3 ओल्ड एज होम्स (वृद्धाश्रम)

4.3.1 'ओल्ड एज होम्स बनाने' की योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा स्थान प्रदान करना है जहां वे सद्भावपूर्ण वातावरण में गरिमापूर्वक रह सकें। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दो वृद्धावस्था आश्रम स्थापित किए हैं—इनमें से एक बिंदापुर में और दूसरा लामपुर के 'सेवा सदन परिसर' में है।

4.3.2 वृद्धावस्था आश्रम में ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :-

- सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में निःशुल्क रहने/भोजन की व्यवस्था।
- चिकित्सा देखभाल और परामर्श तथा
- मनोरंजन सुविधाएं और पुनर्वास कार्यक्रम

4.3.3 वृद्धावस्था आश्रम इन लोगों के लिए हैं :

- वरिष्ठ नागरिक अर्थात् 60 वर्ष और उससे ऊपर आयु के लोग।
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें सहायता देने वाला या देखभाल करने वाला कोई न हो।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी संक्रामक/संचारी रोग से पीड़ित न हों। और
- रा.रा.क्षे. दिल्ली के निवासी।

4.3.4 समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और जरूरतें पूरी करने के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 10 और वृद्धाश्रमों के निर्माण की योजना बनाई है। ये क्षेत्र हैं – चितरंजन पार्क, रोहिणी, कांतिनगर, पश्चिम विहार, गीता कालोनी, वजीरपुर, छतरपुर, जनकपुरी, सरिता विहार और वसंतकुंज। कांति नगर और वजीरपुर वृद्धाश्रम का कार्य पूरा हो गया है।

4.4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन सुविधाएं

4.4.1 दिल्ली सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए मनोरंजन केन्द्र उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम चलाया गया है। ये केंद्र दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को खुशहाली और समग्र विकास के अवसर प्रदान करते हैं। मनोरंजन केंद्रों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को समय बिताने और सामाजिक सरोकार बनाए रखने का अवसर प्रदान करना है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवारों के साथ जोड़ने में मदद मिलती है। सरकार मनोरंजन केंद्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्वयंसेवी संगठन/संस्था/निवासी कल्याण संघ को एकबारगी अनुदान के रूप में रु. 75,000/- प्रदान करती है और प्रचालन व्यय के लिए 20,000/- रुपये की आवर्ती अनुदान सहायता दी जाती है।

4.4.2 वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली में संचालित 114 मनोरंजन केंद्रों के लिए दिल्ली सरकार ने अनुदान के रूप में 94.26 लाख रुपये खर्च किए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिसंबर, 2020 तक वरिष्ठ नागरिकों के 143 मनोरंजन केंद्र कार्यरत थे।

4.5 भरणपोषण न्यायाधिकरण

4.5.1 दिल्ली सरकार ने सभी 11 जिलों में 11 भरणपोषण न्यायाधिकरण स्थापित किये हैं जो बुजुर्गों के निर्वाह तथा कल्याण के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत मान्य, और अधिक कारगर प्रावधानों की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक जिले का एडीएम भरण-पोषण न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष होता है और उसके अलावा दो गैर-सरकारी सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।

4.5.2 इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जो स्वयं भरण पोषण में सक्षम न हों, अथवा जिनके बच्चे उन्हें स्वयं की आय से या व्यक्ति द्वारा बनाई गई संपत्ति से भरण पोषण न कर रहे हों, ऐसा व्यक्ति भरण पोषण के लिए बच्चों के खिलाफ अर्जी देने का हकदार है।

● अपीलीय प्राधिकरण

दिल्ली सरकार ने भरण पोषण अधिनियम 2007 के संदर्भ में सभी 11 जिलों में अपीलीय न्यायाधिकरणों को अधिसूचित कर गठित किया है। प्रत्येक जिले में अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष उपायुक्त (राजस्व) को बनाया गया है और उनके साथ दो गैर-सरकारी सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।

दिल्ली के सभी 11 जिलों में 2014-15 और 2018-19 की अवधि में भरण पोषण न्यायाधिकरणों में दाखिल किए गए और निपटाए गए मामलों की कुल संख्या की जानकारी नीचे विवरण 17.8 में दी गई है।

विवरण 17.8

भरण पोषण ट्राइब्यूनल में दाखिल मामलों और निपटाए गए मामलों की संख्या

वर्ष	दर्ज मामले	निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में बकाया मामले
2014-15	361	321	40
2015-16	433	363	70
2016-17	233	191	42
2017-18	623	152	471
2018-19	724	407	317

(स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार)

5. विशेष रूप से सक्षम लोगों का कल्याण

- 5.1 भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांगजन सहित एक समावेशी समाज का स्पष्ट प्रावधान करता है। समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भिन्न दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक नोडल विभाग है। विभाग “दिव्यांगजन को स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता पहुंचाने” के तथ्य में विश्वास रखता है।
- 5.2 दिल्ली सरकार अपने विभिन्न पहल और कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगजन को पूरी सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे भागीदारीपूर्ण जीवन जी सकें और समाज के प्रत्येक पक्ष में समान रूप से शामिल हो सकें। 1995 के पूर्व अधिनियम के स्थान पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आने के साथ दिव्यांगजन कल्याण के दायरे में 21 नए प्रकार की दिव्यांगता शामिल की गई है। 1995 के अधिनियम में केवल 7 प्रकार की विकलांगता शामिल थी।
- 5.3 दिव्यांगजन के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग आश्रय गृह और विद्यालय संचालित कर रहा है :-
- मूक-बधिरों के लिए 5 स्कूल।
 - मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए 6 गृह।
 - मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों के लिए एक विद्यालय।
 - दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक विद्यालय।
 - स्कूल और कालेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए एक छात्रावास।

- एक प्रशिक्षण सह-उत्पादन केंद्र।
- विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए एक आश्रय कार्यशाला।

5.4 “राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम” (एनपीआरपीडी) के अंतर्गत दो तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है जैसे सामान्य विकलांगता शिविर और विशेष विकलांगता शिविर। ये शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली के सभी जिलों में लगाए जाते हैं। सामान्य विकलांगता शिविर प्रत्येक जिले में अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दिव्यांगजन को विकलांगता प्रमाणपत्र, डीटीसी पास, उपायुक्त कार्यालय द्वारा पहचानपत्र, एकीकृत स्कूल रेलवे रियायत पास के लिए पंजीकरण आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और दिव्यांगजन को निःशुल्क सहायता एवं उपकरण प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं।

5.5 विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2014-15 से 2020-21 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय, आयोजित शिविर और लाभार्थियों के बारे में जानकारी विवरण 17.9 में दी गई है :

विवरण 17.9
राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	व्यय (लाख रुपये)	निम्नांकित की संख्या	
			शिविर	लाभान्वित
1	2014-15	6.83	08	3242
2	2015-16	9.37	14	5000
3	2016-17	3.49	11	6000
4	2017-18	0.21	-	-
5	2018-19	0.00	-	-
6	2019-20	3.0	05	2600

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, राराक्षेदिस

5.6 समाज कल्याण मंत्रालय ‘विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहयोग योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों को आजीवन (जन्म से मृत्यु तक) 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इनके पास आवेदन देने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक दिल्ली में रहने का आवास प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। आवेदकों के परिवार की आय 100,000 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह दर फरवरी 2017 से लागू है (पहले यह 1500 रुपये प्रति माह थी)।

5.7 विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 2010-11 से 2020-21 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों के बारे में जानकारी 17.10 में दी गई है :

विवरण 17.10

दिल्ली में 'भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता'

क्र.सं.	वर्ष	संशोधित योजना परिव्यय (लाख रुपये)	व्यय (लाख रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2010-11	26.50	17.86	25691
2	2011-12	28.50	27.52	26622
3	2012-13	58.00	57.41	36809
4	2013-14	78.00	75.82	45471
5	2014-15	92.00	78.68	41043
6	2015-16	108.71	108.42	60657
7	2016-17	137.00	135.52	71581
8	2017-18	200.00	196.03	76263
9	2018-19	265.00	262.26	87196
10	2019-20	291.35	290.02	95324
11	2020-21 (दिसंबर 2020 तक)	317.35	207.71	105728

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, राराक्षेदिस

5.8 दिल्ली सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के सुविधाजनक पुनर्वास के लिए 5 हॉफ-वे/लॉग-वे स्टे-होम्स बनाए हैं, जिनके मानसिक रोग पर अस्पताल में उपचार के बाद नियंत्रणपा लिया गया हो। ये स्टे होम्स द्वारका में एक, रोहिणी सेक्टर-3 में दो, रोहिणी सेक्टर 22 में एक और नरेला में एक है।

5.9 इन स्टे होम्स में से तीन हॉफ-वे होम्स काम कर रहे हैं/वर्ष 2017 से स्थापित हैं। मौजूदा समय में इन स्टे-होम्स में निम्नलिखित संख्या में लोग रह रहे हैं।

क्र सं	नाम और पता	स्वीकृत क्षमता	मौजूदा संख्या (रहने वालों की)
i.	'नव किरण'-1 (महिलाओं के लिए) रोहिणी सेक्टर 3 में	40	37
ii.	'नव किरण-2' (महिलाओं के लिए) रोहिणी सेक्टर 3 में	40	40
iii.	'नव चेतना' -(पुरुषों के लिए) रोहिणी सेक्टर 22 में	25	13

5.10 नव रचना महिलाओं के लिए हाफ-वे होम (स्वीकृत क्षमता 50) अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कर्मचारियों की भर्ती और अवसंरचना कार्य प्रक्रिया में हैं।

6. परिवार लाभ योजना

- 6.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब लोगों को परिवार की रोजी-रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत परिवार के मुखिया की मौत पर 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ऐसा करते समय यह ध्यान में नहीं रखा जाता कि मौत किस कारण (प्राकृतिक या दुर्घटना आदि) से हुई है। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात् मृत्यु के समय रोजी कमाने वाले की परिभाषा परिवार के उस सदस्य के रूप में की गई है, जिसकी आमदनी का अनुपात परिवार की आय में सबसे अधिक हो।
- 6.2 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2010-11 से 2020-21 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों का ब्यौरा विवरण 17.11 में दिया गया है।

विवरण 17.11

राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.सं.	वर्ष	संशोधित योजना परिव्यय (लाख रुपये)	व्यय (लाख रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2010-11	2.15	2.08	2077
2	2011-12	2.58	2.53	2534
3	2012-13	2.70	2.69	2694
4	2013-14	3.10	2.83	2827
5	2014-15	3.60	3.37	3372
6	2015-16	5.50	5.39	5396
7	2016-17	7.00	7.00	7000
8	2017-18	12.62	9.01	4510
9	2018-19	14.00	11.61	5840
10	2019-20	24.70	21.30	10729
11	2020-21 (दिसंबर 2020 तक)	29.70	14.60	11145

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, रासक्षेदिस

7. कुष्ठ रोगियों का कल्याण

कुष्ठ रोग पीड़ित लोगों के लिए कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र की स्थापना वर्ष 1980-81 में की गयी। सितंबर 2018 से समाज कल्याण विभाग कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र के लाभार्थियों को 3000 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है (पहले यह राशि 1800 रुपये प्रति माह थी)। अधिकतर लाभार्थी दिल्ली के विभिन्न इलाकों, जैसे ताहिरपुर (यमुनापार), आर.के. पुरम, श्रीनिवासपुरी और पटेल नगर आदि इलाकों में रहते हैं। कुष्ठ पीड़ितों की सबसे बड़ी कालोनी ताहिरपुर में है जहां इन लोगों के लिए आश्रय कार्यशाला और प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र भी है। इन केन्द्रों में विभाग उत्पादन गतिविधियों के लिए सुविधा भी

प्रदान करता है ताकि कुष्ठ रोगी आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होकर जीवन यापन कर सकें। इन केन्द्रों में विभाग की ओर से हथकरघा बुनाई, जूते और चॉक बनाने और मोमबत्ती बनाने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अभी लगभग 562 लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह की दर से भत्ता मिल रहा है।

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यकों का कल्याण

8.1 अनुसूचित जाति आबादी

- 8.1.1 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी (167.88 लाख) में अनुसूचित जातियों (अजा) की आबादी 28.12 लाख है, जो दिल्ली की कुल आबादी का 16.75 प्रतिशत है। रा.रा.क्षे दिल्ली में अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी नहीं है, क्योंकि शहर में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। अभी तक दिल्ली पिछड़ा आयोग ने दिल्ली में 65 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के रूप में अधिसूचित किया है, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के बारे में कोई प्रामाणिक आकलन उपलब्ध नहीं है। पिछली चार जनगणनाओं में दिल्ली की स्थानीय निकाय वार अनुसूचित जाति आबादी सम्बन्धी जानकारी नीचे विवरण 17.13 में दी गई है।

विवरण 17.13

अनुसूचित जाति की स्थानीय निकाय वार आबादी: 1981-2011

क्र. स.	स्थानीय निकाय	1981	1991	2001	2011
1.	दिल्ली नगर निगम				
	पुरुष	5,89,317	9,40,191	12,24,992	14,53,597
	महिला	4,81,000	7,85,560	10,44,156	12,92,608
	कुल	10,70,317	17,25,751	22,69,148	27,46,205
2.	नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)				
	पुरुष	20,967	30,043	29,919	26,545
	महिला	15,512	23,887	25,294	23,062
	कुल	36,479	53,930	52,213	49,607
3.	दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)				
	पुरुष	8,266	8,456	10,271	8,658
	महिला	6,581	6,699	8,623	7,839
	कुल	14,847	15,155	18,894	16,497
4	कुल योग	11,21,643	17,94,836	23,43,255	28,12,309

स्रोत: दिल्ली सांख्यिकी हैंड बुक

- 8.1.2 1961–1991 के दौरान दिल्ली की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करीब 53 प्रतिशत रही, जो 1991–2001 की अवधि में घट कर 47 प्रतिशत और 2001–2011 के दशक में और भी घट कर 21.20 प्रतिशत रह गई। 1991–2001 में अनुसूचित जातियों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961–1991 की दिल्ली की कुल जनसंख्या वृद्धि दर से ऊपर रही, परंतु 2001 की जनगणना में यह प्रवृत्ति एकदम विपरीत हो गई जब कुल जनसंख्या वृद्धि दर 47 प्रतिशत की तुलना में अजा आबादी में वृद्धि 30.56 प्रतिशत की हुई। 2011 की जनगणना के दौरान इसमें फिर कमी आई और यह 2001–2011 की अवधि में कुल जनसंख्या वृद्धि दर यानी 21.20 प्रतिशत की तुलना में 20.02 प्रतिशत दर्ज हुई।

दिल्ली में पिछले छह दशकों में अनुसूचित जाति की आबादी में वृद्धि विवरण 17.14 में दी गई है।

विवरण 17.14 : दिल्ली में अनुसूचित जाति की आबादी में दशकीय बढ़ोतरी

क्र. स.	जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या में वृद्धि (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति की आबादी में वृद्धि (प्रतिशत)
1.	1961	52.44	63.73
2.	1971	52.93	86.12
3.	1981	53.00	76.44
4.	1991	51.45	60.00
5.	2001	47.02	30.56
6.	2011	21.20	20.02

स्रोत : जनगणना हैंडबुक-2011, भारत के महापंजीयक

- 8.1.3 दिल्ली में पिछली 7 जनगणनाओं के दौरान अनुसूचित जाति की आबादी का ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण विवरण 17.15 में दिया गया है।

विवरण 17.15

अनुसूचित जाति की शहरी-ग्रामीण आबादी

क्र.स.	जनगणना वर्ष	शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	1951	1,44,619	63,993	2,08,612
2.	1961	2,72,243	69,312	3,41,555
3.	1971	5,30,699	1,04,999	6,35,698
4.	1981	10,17,631	1,04,012	11,21,643
5.	1991	15,87,127	2,07,709	17,94,836
6.	2001	21,54,877	1,88,378	23,43,255
7.	2011	27,30,126	82,183	28,12,309

स्रोत: जनगणना हैंडबुक-2011, भारत के महापंजीयक

- 8.1.4 दिल्ली की आबादी और अनुसूचित जातियों की कुल आबादी का साक्षरता दर विवरण 17.16 में प्रदर्शित किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जातियों में साक्षरता का स्तर लगातार बढ़ता गया है और यह 1961 के 20.86 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 70.85 प्रतिशत और 2011 में बढ़ कर 78.89 प्रतिशत हो गई। हालांकि 2011 में अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता दर दिल्ली की साक्षरता दर 86.20 प्रतिशत से कम थी। लेकिन यह 63.07 प्रतिशत की साक्षरता की राष्ट्रीय दर से काफी ऊंची थी।

विवरण 17.16

दिल्ली में कुल जनसंख्या और अनुसूचित जाति आबादी की साक्षरता दर

(प्रतिशत)

क्र.स.	वर्ष	कुल आबादी			अनुसूचित जाति की आबादी		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	1961	60.75	42.55	52.75	32.15	6.80	20.86
2.	1971	63.71	47.75	56.61	39.22	14.32	28.15
3.	1981	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30
4.	1991	82.01	66.99	75.29	68.77	43.82	57.60
5.	2001	87.33	74.71	81.67	80.77	59.07	70.85
6.	2011	90.90	80.80	86.20	86.77	70.01	78.89

स्रोत : जनगणना हैंडबुक-2011, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

- 8.1.5 दिल्ली में 2011 में अनुसूचित जाति कार्मिकों की संख्या 9.01 लाख थी, जो कुल कार्मिक आबादी (55.87 लाख) का 16.14 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों की 28.12 लाख की आबादी में से 32.06 प्रतिशत अजा आबादी नियोजित है जबकि दिल्ली की कुल आबादी 31.60 प्रतिशत नियोजित है।

9. रा.रा.क्षे. दिल्ली की अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)

अनुसूचित जाति समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) लागू की जा रही है। वार्षिक योजना के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के सामाजिक/आर्थिक विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान उप-योजना की प्रगति सम्बन्धी जानकारी नीचे विवरण 17.17 में दी गई है।

विवरण 17.17

स्वीकृत परिव्यय और एससीएसपी घटक

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वर्ष	स्वीकृत परिव्यय	एससीएसपी घटक	प्रतिशत
1	2010-11	11400	1931.56	16.94
2	2011-12	14200	2419.95	17.04
3	2012-13	15000	2760.46	18.40
4	2013-14	16000	3003.25	18.77
5	2014-15	16700	2797.25	16.75
6	2015-16	19000	3470.39	18.27
7	2016-17	20600	3603.86	17.49
8.	2017-18*	18500	3773.84	20.39
9.	2018-19	22000	4232.31	19.24
10.	2019-20	27000	5181.77	19.19

2017-18 से योजना और गैर-योजना का विलय कर दिया गया है और अब परिव्यय स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए है।

स्रोत : अजा/अजजा/अपिवकल्याण विभाग

10. कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियां

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए पिछले 14 वर्ष में लागू की गई योजनाओं की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी विवरण 17.18 में दी गई है।

विवरण 17.18

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति
(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वार्षिक योजना	स्वीकृत परिव्यय	योजना व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत)
1.	2007-08	50.75	50.06	98.64
2.	2008-09	50.02	49.22	98.40
3.	2009-10	45.85	41.72	90.99
4.	2010-11	89.60	71.12	79.38
5.	2011-12	250.00	233.66	93.46
6.	2012-13	325.00	277.70	85.45
7.	2013-14	330.00	254.77	77.20
8.	2014-15	314.00	234.55	74.70
9.	2015-16	378.00	297.03	78.58
10.	2016-17	385.00	116.07	30.15
11.	2017-18	366.00	282.43	77.17
12.	2018-19	333.00	268.23	80.55
13.	2019-20	396.90	295.26	74.39
14.	2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)	265.00	6.18	2.33

11. अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक विकास कार्यक्रम

11.1 स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता :

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध बच्चों/विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेशनरी खरीदने के वास्ते वित्तीय सहायता की स्कीम चलाई जा रही है। यह सहायता केन्द्र सरकार/दिल्ली सरकार/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाती है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 1000/- रुपये वार्षिक और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 2000/- रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। अजा/अजजा समुदायों के लिए पारिवारिक आय का कोई मानदंड नहीं रखा गया है। परंतु, अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए परिवार की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत 2019-20 के दौरान 97.68 करोड़ रुपये खर्च हुए।

11.2 कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति

दिल्ली सरकार अजा/अजजा अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 1000/- रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए पिछली कक्षा में उनके प्रतिशत अंकों के आधार पर, जो (क) अपिव श्रेणी के मामले में कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 600 रुपये से 4500 रुपये वार्षिक और (ख) कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक के अजा/अजजा/अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध विद्यार्थियों को 1620 रुपये से 4500 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। अजा/अजजा समुदायों के लिए पारिवारिक आय का कोई मानदंड नहीं रखा गया है। परंतु, अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए परिवार की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 33.46 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

11.1 और 11.2 पर उल्लिखित उपर्युक्त दोनों स्कीम का विलय मंत्रिमंडलीय के निर्णय संख्या 2707 दिनांक 02.07.2019 के तहत बनाई गई नई स्कीम अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी की खरीद पर वित्तीय सहायता और योग्यता छात्रवृत्तिके तहत कर दिया गया है। इस नई स्कीम के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 3000 रुपये दिए जाएंगे (डेढ़ हजार रुपये स्टेशनरी के लिए और डेढ़ हजार योग्यता छात्रवृत्ति के रूप में) : 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 4000 रुपये वार्षिक (दो हजार रुपये स्टेशनरी के लिए और दो हजार योग्यता छात्रवृत्ति के रूप में) (पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक) : कक्षा 11वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 5000 रुपये वार्षिक (2500 रुपये स्टेशनरी के लिए और 2500 योग्यता छात्रवृत्ति के रूप में) (पिछली कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य)। यदि आवेदक स्कूल से नकद/वस्तुगत रूप में स्टेशनरी प्राप्त करता हो, तो उसे स्कॉलरशिप के 1500 रुपये/या 2000 रुपये/या 2500 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे, उस कक्षा के अनुरूप जिसमें वह अध्ययन कर रहा हो।

11.3 कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए योग्यता स्कॉलरशिप

दिल्ली सरकार कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को 12000/-रुपये वार्षिक से 24000/- रुपये वार्षिक छात्रावास में रहने वालों के लिए और 8000 रुपये से 15000 रुपये वार्षिक अन्य के लिए मैरिट स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रही है। अजा/अजजा समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में परिवार की आय की सीमा लागू नहीं होती जबकि अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध विद्यार्थियों के मामले में परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपर्युक्त वार्षिक पारिवारिक आय (2 लाख वार्षिक से 3 लाख रुपये वार्षिक) और पाठ्यक्रम शुल्क मंत्रिमंडल की निर्णय संख्या 2707 दिनांक 02.07.2019 द्वारा तय/संशोधित की गई और डीएससीएसटी के दिनांक 23.07.2019 के आदेश द्वारा लागू की गई। इससे पहले, पाठ्यक्रम शुल्क हॉस्टल में रहने वालों के लिए 9648 रुपये से 22320 रुपये वार्षिक और अन्य के लिए 5040 रुपये से 11520 रुपये वार्षिक, पाठ्यक्रम के आधार पर, था।

विवरण 17.19

कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए योग्यता स्कॉलरशिप स्कीम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1.	2013-14	5.80	7163
2.	2014-15	6.78	13898
3.	2015-16	7.00	11086
4.	2016-17	2.93	3011
5.	2017-18	3.21	3658
6.	2018-19	1.54	1704
7.	2019-20	1.31	1267

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

11.4 पब्लिक स्कूलों में अध्ययनकर रहे विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की भरपाई

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में दिल्ली सरकार पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस और अन्य अनिवार्य फीस अदा करती है, बशर्ते, परिवार की आय 3 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। अधिकतम फीस भरपाई (ट्यूशन फीस, प्रयोगशाला फीस और लायब्रेरी फीस) 48000 रुपये या वास्तविक फीस, जो भी कम हो, की जाती है।

उपर्युक्त वार्षिक पारिवारिक आय (2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये वार्षिक) और अधिकतम फीस भरपाई (48000 रुपये या वास्तविक, जो भी कम हो) मंत्रिमंडल की निर्णय संख्या 2707 दिनांक 02.07.2019 द्वारा तय की गई।

विवरण 17.20

पब्लिक स्कूलों में (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों के) अध्ययन के लिए ट्यूशन फीस की भरपाई कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	संशोधित योजना परिव्यय (करोड़ रुपये).	व्यय (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1.	2012-13	9.50	9.50	6,816
2.	2013-14	18.30	18.00	15,442
3.	2014-15	34.00	31.80	26,777
4.	2015-16	37.00	33.19	21,090
5.	2016-17	42.00	5.18	1893
6.	2017-18	56.00	38.62	29435
7.	2018-19	43.00	39.88	25904
8.	2019-20	53.00	50.57	25414
9.	2020-21 (दिसंबर 2020 तक)	48.00	Nil	-

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

11.5 अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाएं

11वीं कक्षा और उससे ऊपर अध्ययनरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध बालक-बालिका विद्यार्थियों को पढ़ने का उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए दिलशाद गार्डन, दिल्ली में छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। छात्रावास में सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। लड़कों के छात्रावास में 100 विद्यार्थियों और लड़कियों के छात्रावास में 60 विद्यार्थियों की क्षमता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए माता पिता की आय 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2019-20 में 213.06 लाख रुपये खर्च किये गये।

11.6 अजा/अपिव/अल्पसंख्यक श्रेणी के कमजोर वर्गों और अनाथों के लिए आवासीय विद्यालय

दिल्ली सरकार ने कैबिनेट के निर्णय संख्या 1981, दिनांक 31.02.2013 के माध्यम से अजा/अपिव/अल्पसंख्यक/अनाथ जैसे कमजोर वर्गों के लिए कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (किस) के सहयोग से इस्सापुर में एक आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया। यह कार्यक्रम अजा/अजजा/अपिव/ अल्पसंख्यक विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और *किस* भुवनेश्वर के बीच एक *प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन समझौते* पर आधारित है। दिल्ली सरकार आवासीय विद्यालय चलाने के लिए *किस* दिल्ली को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 5000/- रुपये प्रति माह का अनुदान प्रदान करती है।

विवरण 17.21

अजा/अपिव/अल्पसंख्यक जैसे कमजोर वर्गों/अनाथों के लिए आवासीय विद्यालय कार्यक्रम की उपलब्धियां

वर्ष		बजट आवंटन (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	पंजीकृत विद्यार्थी/कक्षा
2013-14	आर	2.50	2.53	269/ कक्षा I-III
	सी	6.63	6.33	
2014-15	आर	5.00	1.87	353/ कक्षा I-IV
	सी	2.00	0.58	
2015-16	आर	4.0	2.25	369/ कक्षा I-V
	सी	2.0	0.74	
2016-17	आर	4.00	2.82	473/ कक्षा I-VI
	सी	1.00	-	
2017-18	आर	4.00	3.36	562/ कक्षा II-VII
	सी	1.50	0.74	
2018-19	आर	4.00	0.00 **	600/ कक्षा I-VIII
	सी	5.00	0.60	
2019-20	आर	7.70	7.65	682/ कक्षा I-IX
	सी	5.00	3.56	
2020-21	आर	4.50	00	708/ कक्षा I-IX
	सी	3.50	2.33*	

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

*दिसंबर 2020 तक परिव्यय

12. आर्थिक उत्थान कार्यक्रम

- 12.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास निगम (डी एस सी एफ डी सी) की स्थापना की गयी। अपिव/अल्पसंख्यक/शावि व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का काम भी निगम को सौंपा गया। निगम को अब अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/शावि के लिए स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) घोषित किया गया है। डीएससीएफडीसी इन समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए संबद्ध शीर्ष निगमों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह निगम अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए लाभार्थियों को ऋण प्रदान करता है।
- 12.2 विभाग अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 'दिल्ली स्वरोजगार योजना' नाम का एक कार्यक्रम डीएससीएफडीसी के माध्यम से लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

पिछले 4 वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम की उपलब्धियां विवरण 17.22 में दर्शायी गई हैं।

विवरण 17.22

क्र सं	वर्ष	शीर्ष	उपलब्धि	व्यय (लाख में)
1	2015-16	कंपोजिट ऋण स्कीम	46	45.55
2		शैक्षिक ऋण स्कीम	11	36.93
3		दिल्ली स्वरोजगार योजना	70	173.45
4		प्रशिक्षण	682	10.52
5	2016-17	कंपोजिट ऋण स्कीम	187	238.92
6		शैक्षिक ऋण स्कीम	14	18.69
7		दिल्ली स्वरोजगार योजना	43	165.02
8	2017-18	कंपोजिट ऋण स्कीम	208	451.81
9		शैक्षिक ऋण स्कीम	16	22.34
10		दिल्ली स्वरोजगार योजना	34	109.70
11	2018-19	कंपोजिट ऋण स्कीम	236	470.85
12		शैक्षिक ऋण स्कीम	9	34.47
13		दिल्ली स्वरोजगार योजना	13	70.78
14	2019-20	कंपोजिट ऋण स्कीम	249	410.05
15		शैक्षिक ऋण स्कीम	9	16.37
16		दिल्ली स्वरोजगार योजना	10	36.40

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

13. अजा बस्तियों में सुधार

विभाग अजा बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए "अजा बस्ती सुधार" कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके अंतर्गत उन अजा बस्तियों में खडंजा बिछाना, सड़क निर्माण, नालियां बनाना,

चौपालों/सामुदायिक केंद्र का निर्माण आदि विकास कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें जनगणना रिकार्ड के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी 33 प्रतिशत से अधिक हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा दिल्ली सरकार की स्वीकृत कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 5 साल में अनुमानित कार्य और व्यय की जानकारी विवरण-17.23 में दी गई है।

विवरण 17.23

अजा बस्तियों में सुधार और चौपालों के निर्माण पर खर्च

वर्ष	चौपालों की संख्या	अजा बस्तियों की संख्या	अन्य	व्यय (करोड़ रुपये में)
2014-15	12	09	-	37.63
2015-16	31	32	01	29.47
2016-17	29	36	-	25.16
2017-18	30	76	18	48.40
2018-19	24	178	37	49.57
2019-20	29	91	27	34.41
2020-21 (दिसंबर 2020 तक)	3	26	1	0.29

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

14. (क) हाथ से मैला उठाने की रोकथाम संबंधी अधिनियम, 2013 (एमएस एक्ट 2013)

डीएससीएसटी हाथ से मैला उठाने की रोकथाम संबंधी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन निर्धारित नियमों के कार्यान्वयन के लिए भी नोडल विभाग है। हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद विभाग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति भी अधिसूचित की है। सीवर में उतरने के दौरान हुई मौतों के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मृतक के निकट परिजन के लिए नीचे दी गई मुआवजा राशि जारी की गई है।

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	मौतों की संख्या	सरकार द्वारा जारी मुआवजा राशि	जारी की गई मुआवजा राशि का स्रोत
2017-18	5	12	रु 10 लाख प्रत्येक	मुख्यमंत्री राहत कोष
2018-19	2	7	रु 10 लाख प्रत्येक	02 मामलों में नियोक्ता; 05 मामलों में आपदा कोष
2019-20	5	10	रु 10 लाख प्रत्येक	05 मामलों में मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन है।

हाथ से मैला उठाने की रोकथाम और उनके पुनर्वास संबंधी अधिसूचना 2013 के अनुसार जिला स्तरीय सर्वेक्षण समितियों की अधिसूचना के बाद हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 8 राजस्व जिलों में जिला स्तरीय सर्वेक्षण फरवरी 2018 में किया गया। 8 जिलों में से 3 जिला स्तरीय सर्वेक्षण समितियों में 45 हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान की। इनके लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एकबारगी 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति की नकद सहायता जारी करने का अनुरोध किया गया है।

वर्ष 2019-20 में विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सीवर / सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में 10 मौतें हुईं। जिसमें से 5 मामलों में मृतक के पारिवारिक सदस्यों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है और अन्य 5 मामलों में मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन है।

(ख) अत्याचार निवारण अधिनियम

अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग के रूप में भी काम करता है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान विभाग ने अधिनियम के तहत मुआवजा राशि जारी की है और अजा/अजजादंपतियों के लिए अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की। ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 17.24

वर्ष	पीड़ितों की संख्या (अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत)	मुआवजा राशि (लाख में)
2015-16	21	6.64
2016-17	18	2.65
2017-18	22	35.07
2018-19	11	32.71
2019-20	26	29.81

वर्ष	अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों की संख्या	प्रोत्साहन राशि (लाख रुपये में)
2015-16	3	1.50
2016-17	2	1.00
2017-18	3	1.50
2018-19	शून्य	शून्य
2019-20	शून्य	शून्य

15. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना

दिल्ली सरकार ने मंत्रिमंडलीय निर्णय संख्या 2526 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना वर्ष 2018-19 में आरंभ की। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने और समुचित रोजगार प्राप्त करने में सफल होने के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है। योजना के तहत विभाग यूपीएससी/एसएससी इत्यादि से संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को सूचीबद्ध संस्थानों के माध्यम से कोचिंग उपलब्ध कराता है। मंत्रिमंडल की निर्णय सं 2471 दिनांक 03.09.2019 द्वारा योजना के तहत अधिकतम निर्धारित कोचिंग शुल्क और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ साथ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये वार्षिक तक हो। सरकार द्वारा अजा/अजजा/अपिव और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में प्रवेश का पूरा शुल्क वहन किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 2071 विद्यार्थियों ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिया। इनमें से 22 विद्यार्थियों ने इंजीनियरी, 56 विद्यार्थियों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। 57 विद्यार्थी एसएससी और 85 विद्यार्थी अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं।

03 सितंबर, 2019 के कैबिनेट के निर्णय के अनुसार इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया। इसके अनुसार कोचिंग शुल्क की अधिकतम निर्धारित सीमा में वृद्धि की गई है और अजा विद्यार्थियों के अलावा अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

16. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहयोग

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019-20 में एक नई योजना आरंभ की है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 29.08.2019 के निर्णय संख्या 2736 के जरिए इसे मंजूरी दी।

इस योजना के तहत 100 चुने गए विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के जरिए इंजीनियरी और प्रबंधन, प्योर साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज, कृषि विज्ञान और मेडिसिन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, लेखा और वित्त, मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों में मास्टर्स और पीएच.डी स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये और समग्र अवधि के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तथा मास्टर्स डिग्री के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये या वास्तविक राशि, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी।

अध्याय-18

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस सरकार द्वारा प्रायोजित दुकानों की एक श्रृंखला है जिसे समाज के वंचित वर्गों को सस्ती कीमतों पर बुनियादी खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं के वितरण का दायित्व सौंपा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली में इस प्रणाली की स्थापना खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत की गई है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा-(एनएफएस) अधिनियम 2013 लागू किए जाने के तुरंत बाद दिल्ली एक सितम्बर 2013 से इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य था।

- 1.1 दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को गेहूं और चावल वितरित करती है और चीनी का वितरण केवल अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को किया जाता है। लाभार्थियों की शिकायतों को समय से और प्रभावी ढंग से निपटान के लिए सरकार ने दिल्ली लोक शिकायत आयोग को राज्य खाद्य आयोग के रूप में मनोनीत किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पीडीएस को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं जैसे लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट जारी करना और लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्प लाइन नंबर शुरू करना।

2. दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति

- 2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सार्वजनिक वितरण नेटवर्क में उचित मूल्य की 2029 दुकानें (एफपीएस)आती हैं। इनके माध्यम से 31 मार्च 2020 तक 17.50 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 71.08 लाख लोगों तक सेवा पहुंचाई गई है। यह खाद्य सुरक्षा राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। किसी भी पीडीएस के सामने परिवारों की सही पहचान तथा त्रुटिहीन आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनिवार्यता के तहत समय-समय पर लाभार्थियों से संबंधित डेटा की पुष्टि करता है। पिछले आठ वर्षों में दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों की कुल संख्या विवरण 18.1 में दी गई है।

विवरण 18.1

दिल्ली में 2012 से 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	राशन कार्डों की संख्या (लाख में)	उचित दर दुकानों की संख्या	केरोसिन के लिए लाइसेंस प्राप्त दुकानें
1	2012-13	34.35	2479	1829
2	2013-14	17.79	2396	शून्य
3	2014-15	17.00	2310	
4	2015-16	19.50	2283	
5	2016-17	19.41	2254	
6	2017-18	19.41	2210	
7	2018-19	17.17	2057	
8	2019-20	17.50	2029	

- 2.2 उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सितंबर 2013 से दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के कारण राशन कार्ड धारकों की संख्या में काफी कमी आई है और यह 2012-13 के 34.35 लाख से घटकर 2019-20 में 17.50 लाख रह गई है। ऐसा कुल लाभार्थियों की संख्या में से गैर पात्र लाभार्थियों को हटा दिए जाने और मुख्य रूप से एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा और प्राथमिकता समूह (पीआर) तथा अंत्योदय अन्न योजना-एएवाई की पात्रता के तहत योजना के दायरे से हटा दिए जाने के कारण हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में टीपीडीएस के तहत केरोसिन वितरण के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दुकान नहीं है और इस प्रकार 2013-14 से दिल्ली केरोसिन मुक्त शहर बन चुका है।
- 2.3 31 मार्च 2020 तक दिल्ली में उचित मूल्य के दुकानों की संख्या 2029 है और औसत आधार पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों के तहत लगभग 863 राशन कार्ड हैं। राशन कार्डों और उचित मूल्य की दुकानों का जिलावार ब्योरा विवरणी 18.2 में दिया गया है।

विवरण-18.2

वर्ष 2019-20 में दिल्ली में जिलावार सार्वजनिक वितरण प्रणाली

क्र सं	जिला	राशन कार्ड	प्रतिशत	उचित मूल्य की दुकान	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत
1	उत्तर-पूर्व	277338	15.84	320	15.77	1165614	16.40
2	पूर्व	160549	9.17	213	10.50	666016	9.37
3	मध्य	130423	7.45	139	6.85	507907	7.15
4	दक्षिण-पश्चिम	234650	13.41	301	14.83	933007	13.13
5	दक्षिण	208983	11.94	255	12.57	861598	12.11
6	नई दिल्ली	81827	4.67	101	4.98	327709	4.61
7	पश्चिम	189433	10.83	247	12.18	761675	10.72
8	उत्तर पश्चिम	307765	17.58	302	14.88	1260134	17.73
9	उत्तरी	159551	9.11	151	7.44	624568	8.79
कुल		1750519	100	2029	100	7108228	100

- 2.4 उपर्युक्त विवरण से देखा जा सकता है कि कार्डधारकों की सर्वाधिक संख्या वर्ष-2019-20 में उत्तरी-पश्चिमी जिले में थी। जबकि उचित मूल्य की दुकानों की सर्वाधिक संख्या उत्तर-पूर्व जिले में थी।
3. **लाभार्थियों की पात्रता** : लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए विवरण 18.3 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत पात्र हैं।

विवरण- 18.3
प्रतिमाह लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न प्राप्ति पात्रता और दर

क्रम संख्या	वस्तु	श्रेणी	मात्रा	दर (रुपया प्रति किलोग्राम)
1	गेहूं	एएवाई	25 किलोग्राम / प्रति कार्ड	2.00
		पीआर	4 किलोग्राम / सदस्य	
2	चावल	एएवाई	10 किलोग्राम / प्रति कार्ड	3.00
		पीआर	1 किलोग्राम / सदस्य	
3	चीनी	एएवाई	1 किलोग्राम / सदस्य	13.00

नोट : एएवाई-अंत्योदय अन्न योजना, पीआर- प्राथमिकता परिवार श्रेणी।

4. 2018-19 और 2019-20 के दौरान दिल्ली में आवंटित खाद्यान्न और चीनी की मात्रा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन्हें उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जानकारी विवरण 18.4 में दी गई है।

विवरण- 18.4
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान दिल्ली में पीडीएस के माध्यम से वितरित खाद्यान्न और चीनी

क्रम संख्या	विवरण	वस्तु					
		चावल (एनएफएस)		गेहूं (एनएफएस)		चीनी (एनएफएस के अलावा)	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1	आवंटित मात्रा	81.08	88.34	312.79	341.26	0.74	0.78
2	वितरण के लिए उपलब्ध मात्रा	81.07	88.34	312.78	341.26	0.72	0.78
3	वितरित मात्रा का प्रतिशत	99.99	99.99	99.99	99.99	97.30	99.67

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा उठाई गई चावल, गेहूं और चीनी की लगभग शत प्रतिशत मात्रा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को वितरित की गई।

5. अंत्योदय अन्य योजना (एएवाई) देश की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में निर्धनतम लोगों को भूख से मुक्ति दिलाने की दिशा में टीपीडीएस को सक्षम बनाने के लिए उठाया गया कदम है। इस क्रम में टीपीडीएस को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाने के उद्देश्य से इस श्रेणी के लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में उन गरीब परिवारों के लिए की गई जिन्हें वर्ष भर नियमित रूप से दो जून का भोजन नहीं मिल पाता और जिनकी क्रय शक्ति इतनी कम है कि वे खाद्यान्न खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। योजना के तहत भूख से जूझ रहे निर्धनतम लोगों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (25 किलोग्राम गेहूं और 10

किलोग्राम चावल) प्रति माह, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। 31 मार्च 2020 तक 68,609 परिवारों के 2,78,944 सदस्य दिल्ली में इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।

6. कल्याणकारी संस्थाओं/छात्रावास योजना के लिए बीपीएल दरों पर खाद्यान्न

भारत सरकार की योजना के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सरकारी/कल्याणकारी संस्थाओं तथा बाल निकेतन जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावासों, बालिका गृह, महिलाओं के लिए लघु अवधि आश्रय गृह, विधवा आश्रम, महिलाओं के लिए देखभाल गृह और नारी निकेतन में रह रहे वंचित लोगों को बीपीएल दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। 31 मार्च 2020 तक इन संस्थानों में 232 लोग थे। भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार इन कल्याणकारी संस्थानों और छात्रावासों के लिए रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए।

7. केरोसिन मुक्त शहर— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रसोई गैस कनेक्शन

सरकार ने वर्ष 2012-13 में दिल्ली को केरोसिन मुक्त शहर बनाने का फैसला किया। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने केरोसिन तेल का इस्तेमाल करने वाले राशन कार्ड धारकों को दो बर्नर वाले चूल्हे और एलपीजी भरे सिलेंडर के साथ निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। यह योजना 21-08-2012 को शुरू की गई थी। ई-पीडीएस डेटाबेस के अनुसार दिल्ली में केरोसिन तेल का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3,56,395 थी। सितंबर 2013 में यह योजना बंद कर दी गई और अक्टूबर 2013 में दिल्ली को 'केरोसिन मुक्त शहर' घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पीडीएस के तहत केरोसिन का वितरण रोक दिया गया है।

9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा टीपीडीएस में प्रौद्योगिक आधारित सुधार

(i) उचित मूल्य की दुकानों को राशन आवंटन के बारे में एसएमएस अलर्ट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण के लिए दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम में निर्दिष्ट खाद्य वस्तु ऑफटेक मॉड्यूल लागू किया गया है। क्षेत्र के माननीय विधायक की अध्यक्षता में सतर्कता समिति, संबंधित एफएसओ, निरीक्षक और राशनकार्ड धारकों, जिन्होंने वेबसाइट में अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत किए हैं, को गोदाम से निर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं जारी करने के बारे में एसएमएस अलर्ट भेजा जा रहा है। कोई भी राशनकार्ड धारक अपना मोबाइल नंबर इस लिंक www.nfs.delhigovt.nic.in पर रजिस्टर कराकर संबंधित एफपीएस के बारे में एसएमएस प्राप्त कर सकता है।

(ii) ई-राशन कार्ड

ई-राशन कार्ड की सुविधा अप्रैल 2015 से शुरू की गई है। पिछले 5-6 वर्षों के दौरान लगभग 15,32,525 राशन कार्ड धारक अपने संबंधित स्थानों से राशनकार्ड डाउनलोड कर लाभ उठा चुके हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थियों तक राशन कार्ड सुविधा पहुंचाने में मदद मिली है।

10. पहल

- 10.1 पहल योजना पहले 1 जून 2013 को शुरू की गई थी। इसमें रसोई गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास आधार नंबर होना अनिवार्य था। उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इसे संशोधित कर इसे 15-11-2014 को फिर से लागू किया।
- 10.2 संशोधित पहल कार्यक्रम के तहत रसोई गैस उपभोक्ता दो तरीकों से अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उपभोक्ता को सीटीसी (कैश ट्रांसफर कम्प्लिएंट) कहा जाता है और इसके साथ ही वह बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है। ये विकल्प इस प्रकार हैं:
- विकल्प-1 (प्राथमिक): जहां आधार संख्या उपलब्ध हो, उसे नकदी हस्तांतरण का माध्यम बनाया जाता है। इस तरह जिस उपभोक्ता के पास आधार संख्या हो, वह आधार संख्या को एलपीजी उपभोक्ता संख्या और बैंक खाते के साथ जोड़ सकता है।
 - विकल्प-2 (द्वितीयक) : यदि एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार संख्या नहीं है, तो वह आधार संख्या का इस्तेमाल किए बिना बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इस विकल्प को संशोधित योजना से शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार संख्या के अभाव में कोई भी एलपीजी उपभोक्ता बैंक खाते में सब्सिडी से वंचित न हो।

31 मार्च 2020 को दिल्ली में पहल की स्थिति

रसोई गैस उपभोक्ताओं की कुल संख्या	49,55,648
पहल लाभार्थियों (सीटीसी उपभोक्ताओं) की कुल संख्या	41,61,478
आधार एटीसी (संख्या) से जुड़े पहल लाभार्थियों की कुल संख्या	38,80,991
आधार एटीसी (प्रतिशत) से जुड़े पहल लाभार्थियों की कुल संख्या	78.31%

11. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक पीडीएस लाभार्थियों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिमाह अतिरिक्त पांच किलोग्राम खाद्यान्न (चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल) प्रति लाभार्थी सदस्य और एक किलोग्राम दाल प्रतिमाह प्रति परिवार, भारत सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध कराया गया।

12. आत्मनिर्भर भारत पहल

कोविड-19 के दौरान प्रवासी/फंसे हुए प्रवासियों सहित उन लोगों की मदद और उन्हें खाद्यान्न पहुंचाने के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नहीं आते, मई और जून 2020 में चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल के साथ एक किलोग्राम चना प्रति परिवार प्रति माह निशुल्क, उचित मूल्य की दुकानों के जरिए उपलब्ध कराया गया। 31-08-2020 तक भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत लगभग साढ़े चार लाख लाभार्थियों तक यह सहायता पहुंचाई गई।

13. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना (गैर पीडीएस योजना)

- 13.1 कोविड 19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण लागू प्रतिबंधों के असर और लोगों की आजीविका खोने को देखते हुए, प्रभावित लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में कोई भी भूख से पीड़ित न रहे, एक विशेष खाद्य राहत पहल—मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत सभी जरूरतमंद लोगों और जिनके पास राशनकार्ड नहीं था, उन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इसके अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सहायता के समान पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभार्थी, चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल, 69.60 लाख ई—कूपन के जरिए 7 अप्रैल 2020 से 550 निर्दिष्ट वितरण केंद्रों के माध्यम से गैर पीडीएस श्रेणी के उन लोगों को उपलब्ध कराया गया जो नियमित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नहीं थे। 69.60 लाख ई—कूपन के प्रावधान में से दिल्ली के प्रत्येक माननीय सांसद और माननीय विधायक के लिए 2000 लाभार्थी की दर से सहायता कूपन और खाद्य आपूर्ति मंत्री के लिए 20 हजार कूपन, सर्वाधिक निर्धन, वंचित, बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिए गए, जिनके पास राशन कार्ड / आधार कार्ड नहीं थे।
- 13.2 मुसीबतजदा लोगों की आर्थिक कठिनाइयां दूर करने के उद्देश्य से मई 2020 (चरण-2) के दौरान प्रत्येक परिवार को, पीडीएस के तहत आने वाले या गैर पीडीएस परिवार दोनों को, 'आवश्यक वस्तुओं की किट' उपलब्ध कराई गई ताकि परिवार साफ, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भोजन बना सके। इस किट में एक किलोग्राम रिफाईंड तेल, एक किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, एक किलोग्राम छोला चना, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, 200 ग्राम धनिया पाउडर, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और दो साबुन की टीकिया सहित आठ वस्तुएं थी।

14. यौन कर्मियों को सूखे राशन का वितरण

- 14.1 आपराधिक अपील संख्या (एस) 135/2010 बुद्धदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.09.2020 के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनओसीओ) के साथ पंजीकृत यौन कर्मियों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से गैर पीडीएस योजना (मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना) के तहत सूखा राशन, चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति यौन कर्मी निशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- 14.2 रिपोर्ट के अनुसार 64219 किलोग्राम गेहूं और 15795 किलोग्राम चावल के रूप में सूखा राशन 15782 यौन कर्मियों में वितरित किए जाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को उनके द्वारा 14 जनवरी 2021 तक दी गई सूची के अनुसार, उपलब्ध कराए गए। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) और जिला मजिस्ट्रेट के समन्वय से गैर सरकारी संगठनों/टीएलएस द्वारा यौन कर्मियों को सूखा राशन का वितरण जारी है।

15. मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना

- 15.1 इस योजना के तहत लोगों को राशन की दुकानों तक जाने की जरूरत नहीं होगी और लोगों के घरों तक ससम्मान राशन पहुंचाया जाएगा। लोगों को दुकान तक जाकर राशन खरीदने या उनके घर तक राशन पहुंचाने के दोनों विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से वे अपनी सुविधानुसार विकल्प चुन सकेंगे। घर तक आपूर्ति में गेहूं के बदले आटा उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों तक जाने में समय की बर्बादी को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए तथा उपभोग के लिए तैयार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ घर

तक पहुंचाने से पैसे की बचत और पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह योजना लागू करने का फैसला किया है।

- 15.2 यह योजना दो चरणों में चलाई जाएगी। पहले चरण में खाद्यान्न उठाने, ले जाने, पिसवाने/प्रसंस्कृत करने, उनकी पैकेजिंग तथा घर-घर आपूर्ति के लिए नियत भंडार स्थल तक पहुंचाने का काम शामिल है। पहले चरण को डीएससीएससी के सहयोग से लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में उचित मूल्य की दुकान सह भंडारण स्थान, राशन की घर-घर आपूर्ति और इसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। यह चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी प्रतिष्ठित कॉर्पोरेटिव सोसायटी की मदद से लागू किया जाएगा।
- 15.3 इस योजना के कार्यान्वयन और निगरानी का दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का होगा।

जनसांख्यिकीय स्वरूप

क्षेत्रफल

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और इसकी सीमा तीन तरफ से तरफ हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। यह 28.24–28.53 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.50–77.20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 369.35 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र और 1113.65 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। क्षेत्रफल के संदर्भ में यह देश का सबसे बड़ा शहर है। इसकी लंबाई 51.9 किलोमीटर और चौड़ाई 48.48 किलोमीटर है। दिल्ली में 11 जिले हैं, जिनमें 33 तहसील/सब-डिविजन हैं। दिल्ली की दो प्रमुख विशेषताएं यमुना बाढ़ क्षेत्र और रिज (यानी पर्वतमाला) हैं। यह देश के भूकंप आशंकित जोन-IV में स्थित है, जो बड़े भूकंपों का जोखिम दर्शाता है।



2. जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां

- 2.1 दिल्ली देश के सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे शहरों में एक है। शहरीकरण की तीव्र गति के कारण दिल्ली के भू-परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है, जिससे बहुसंख्य ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। दिल्ली में पिछली तीन जनगणनाओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का बदलाव विवरण 19.1 में दर्शाया गया है :

विवरण 19.1

क्षेत्रफल-ग्रामीण और शहरी

क्र. स.	क्षेत्र का वर्गीकरण	1991		2001		2011	
		वर्ग कि.मी.	प्रतिशत	वर्ग कि.मी.	प्रतिशत	वर्ग कि.मी.	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	797.66	53.79	558.32	37.65	369.35	24.90
2.	शहरी	685.34	46.21	924.68	62.35	1113.65	75.1
3.	कुल	1483.00	100.00	1483.00	100.00	1483.00	100.00

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991, 2001 और 2011

- 2.2 2001–2011 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में वृद्धि की वार्षिक दर 20.44 प्रतिशत रही। शहरीकरण की गति ने दिल्ली में गांवों की संख्या कम कर दी है। 1961 में दिल्ली में 300 गांव थे, जो 2001 में घट कर 165 रह गए और 2011 में घट कर 112 रह गए। जनगणना कस्बों की संख्या 1971 में 3 थी, जो 1991 में बढ़ कर 29 और 2011 में बढ़ कर 110 हो गई। इस प्रकार विभिन्न जनगणनाओं में दिल्ली के अधिकाधिक ग्रामीण गांवों को निरंतर जनगणना कस्बे घोषित किया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप दिल्ली में ग्रामीण आबादी और ग्रामीण क्षेत्र घटते जा रहे हैं।

3. जनसंख्या

- 3.1 भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से दशकीय आधार पर कराई जाने वाली जनगणना जनसंख्या आंकड़ा उपलब्ध कराने का एकमात्र स्रोत है। देश में पहली सुनियोजित और एक साथ जनगणना 1881 में कराई गयी थी। इस श्रृंखला की 15वीं और अद्यतन जनगणना 2011 में कराई गई थी, जिसके अनुसार 1 मार्च, 2011 को दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 67 लाख 80 हजार थी जबकि 1 मार्च, 2001 को यह 1 करोड़ 38 लाख 50 हजार थी। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की 97.50 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में और शेष 2.5 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस शहरी आबादी में 2011 की जनगणना के 110 जनगणना कस्बों की आबादी शामिल है। राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार ये जनगणना कस्बे दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और वे दिल्ली के अधिसूचित शहरी क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं।

4. जनसंख्या वृद्धि

- 4.1 पिछले छह दशकों के दौरान दिल्ली और भारत की जनसंख्या और इसमें हुई वृद्धि विवरण 19.2 में दर्शायी गई है।

विवरण 19.2
1951–2011 के दौरान भारत और दिल्ली की जनसंख्या और उसमें हुई वृद्धि

(लाख)

क्र.स.	वर्ष	दिल्ली		भारत		समस्त भारत की आबादी में दिल्ली का हिस्सा
		जनसंख्या	वृद्धि (%)	जनसंख्या	वृद्धि (%)	
1.	1951	17.44	--	3610.88	--	0.48
2.	1961	26.59	52.44	4392.35	21.64	0.61
3.	1971	40.66	52.93	5481.60	24.80	0.74
4.	1981	62.20	53.00	6833.29	24.66	0.91
5.	1991	94.21	51.45	8464.21	23.87	1.11
6.	2001	138.51	47.02	10287.37	21.54	1.35
7.	2011	167.88	21.20	12108.55	17.70	1.39

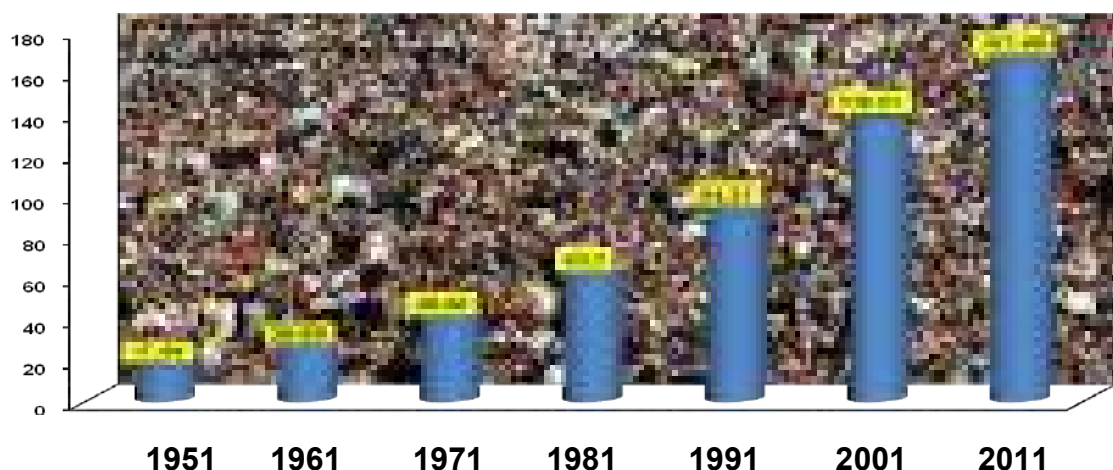
स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

4.2 2001–2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 21.2 प्रतिशत रही। दिल्ली की 2011 की जनगणना की यह दशकीय वृद्धि अपने आप में अनूठी रही है क्योंकि 1951 से 1991 तक सभी जनगणनाओं के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 50 प्रतिशत से ऊपर और 2001 में 47 प्रतिशत थी। जनसंख्या की इस प्रवृत्ति का श्रेय एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे **मनरेगा** जैसे विभिन्न रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों और वरिष्ठ नागरिकों तथा विधवाओं के लिए पेंशन जैसे कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और दूसरी तरफ गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ आदि एनसीआर प्राथमिकता कस्बों के विकास को दिया जा सकता है, जिनसे दिल्ली में प्रवासन में कमी आई है। पिछले दशक में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड की गई वृद्धि दर से 3.5 प्रतिशत अधिक रही है। दिल्ली का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का सिर्फ 0.05 प्रतिशत के लगभग है लेकिन यहां की आबादी समूचे देश की आबादी का 1.39 प्रतिशत है।

4.3 विवरण 19.2 से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या के मुकाबले दिल्ली की जनसंख्या जहां 1951 में 0.48 प्रतिशत थी वहीं यह 2011 में बढ़कर 1.39 प्रतिशत हो गयी। 1971–81 में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि की दर 53.00 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। पिछले दशक में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि दर 2.12 प्रतिशत वार्षिक थी जो राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या वृद्धि दर से 0.35 प्रतिशत अधिक रही। 1951–2011 की अवधि में दिल्ली की जनसंख्या चार्ट 19.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 19.1
दिल्ली की जनसंख्या : 1951–2011

(लाख में)



5. जिलावार जनसंख्या

5.1 1991 की जनगणना के समय दिल्ली को एकल जिला प्रदेश घोषित कर दिया गया था। 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राजपत्र अधिसूचना द्वारा 9 जिलों और 27 उप-संभागों का गठन कर दिया। 2001 की जनगणना दिल्ली के सभी 9 जिलों और 27 उप-जिलों में कराई गयी थी।

2001 और 2011 की जनगणनाओं के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जिलावार जनसंख्या विवरण 19.3 में दी गई है।

विवरण 19.3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जिलावार जनसंख्या : 2001 और 2011

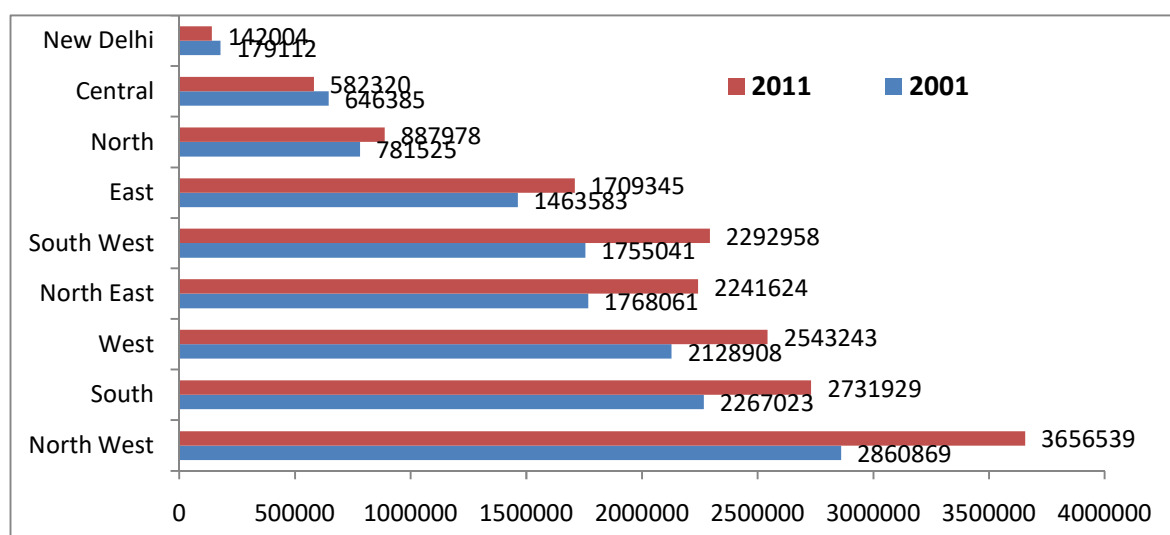
क्र सं	जिले	2001			2011		
		संख्या	प्रतिशत	रैंक	संख्या	प्रतिशत	रैंक
1.	उत्तर-पश्चिम	2860869	20.65	1	3656539	21.78	1
2.	दक्षिण	2267023	16.37	2	2731929	16.27	2
3	पश्चिम	2128908	15.37	3	2543243	15.15	3
4	उत्तर पूर्वी	1768061	12.77	4	2241624	13.35	5
5.	दक्षिण पश्चिमी	1755041	12.67	5	2292958	13.66	4
6.	पूर्वी	1463583	10.57	6	1709345	10.18	6
7.	उत्तरी	781525	5.64	7	887978	5.29	7
8.	मध्य दिल्ली	646385	4.67	8	582320	3.47	8
9.	नई दिल्ली	179112	1.29	9	142004	0.85	9
	कुल	13850507	100.00		16787941	100.00	

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 5.2 विवरण 19.3 से स्पष्ट है कि 2011 में दिल्ली में 53 प्रतिशत से ज्यादा आबादी तीन जिलों—उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिमी जिलों में रहती थी। 2001 और 2011 में दिल्ली की जिलावार जनसंख्या चार्ट 19.2 में दर्शायी गई हैं

चार्ट 19.2

दिल्ली की जिलावार जनसंख्या



6. लिंग अनुपात

- 6.1 जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के विश्लेषण के लिए लिंग अनुपात महत्वपूर्ण संकेतक होता है। यह वास्तव में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में स्त्री-पुरुष अनुपात 868 था। पिछले दशक में दिल्ली के लिंग अनुपात में बढ़ोतरी

हुई और यह 2001 के 821 की तुलना में बढ़कर 2011 में 868 पर पहुंच गया। राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कन्या भ्रूण हत्या रोकने और गर्भावस्था में सन्तान का लिंग पता लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसे अनेक कड़े उपाय लागू किए गए। 2001 और 2011 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जिलावार लिंग अनुपात विवरण 19.4 में दिखाया गया है।

विवरण 19.4

2001 और 2011 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जिलावार लिंग अनुपात

क्र सं.	जिले	लिंग अनुपात			
		2001	रैंक	2011	रैंक
1.	उत्तर पूर्वी	849	1	886	2
2.	पूर्वी	843	2	884	3
3	मध्य	842	3	892	1
4	पश्चिम	830	4	875	4
5.	उत्तर	826	5	869	5
6.	उत्तर पश्चिम	820	6	865	6
7.	दक्षिण	799	7	862	7
8.	नई दिल्ली	792	8	822	9
9.	दक्षिण पश्चिमी	784	9	840	8
	दिल्ली	821		868	

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 6.2 भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में 2001 और 2011 की जनगणना के लिंग अनुपात के आंकड़ों से चिंताजनक स्थिति का संकेत मिलता है। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरी राज्यों में लिंग अनुपात विवरण 19.5 में दिया गया है।

विवरण 19.5

भारत के उत्तरी राज्यों में लिंग अनुपात—2001 और 2011

क्र.सं.	राज्य	लिंग अनुपात	
		2001	2011
1.	जम्मू-कश्मीर	892	889
2.	हिमाचल प्रदेश	968	972
3	पंजाब	876	895
4.	चंडीगढ़	777	818
5	उत्तराखंड	962	963
6.	हरियाणा	861	879
7.	राजस्थान	921	928
8.	उत्तर प्रदेश	898	912
9.	दिल्ली	821	868
	भारत	933	943

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011).

- 6.3 नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) में पंजीकृत जन्मों की संख्या के बारे में सूचना विवरण 19.6 में दी गई है।

विवरण 19.6

सीआरएस के अंतर्गत पंजीकृत जन्मों की संख्या—लिंगवार

क्र.स.	वर्ष	जन्म			लिंग अनुपात
		कुल	पुरुष	महिला	
1.	2001	296287	163816 (55.29)	132471 (44.71)	809
2.	2002	300659	164184 (54.61)	136475 (45.39)	831
3.	2003	301165	165173 (54.84)	135992 (45.16)	823
4.	2004	305974	167849 (54.86)	138125 (45.14)	823
5.	2005	324336	178031 (54.89)	146305 (45.11)	822
6.	2006	322750	176242 (54.61)	146508 (45.39)	831
7.	2007	322044	174289 (54.12)	147755 (45.88)	848
8.	2008	333908	166583 (49.89)	167325 (50.11)	1004
9.	2009	354482	185131 (52.22)	169351 (47.78)	915
10.	2010	359463	189122(52.61)	170341(47.39)	901
11.	2011	353759	186870(52.82)	166889(47.18)	893
12.	2012	360473	191129(53.02)	169344(46.98)	886
13.	2013	370000	195226(52.76)	174774(47.24)	895
14.	2014	373693	197078(52.73)	176615(47.26)	896
15.	2015	374012	197080(52.69)	176932(47.31)	898
16.	2016	379161	199358(52.58)	179738(47.40)	902
17.	2017	367046	191876(52.28)	175090(47.70)	913
18.	2018	362803	188494(51.96)	174196(48.01)	924
19.	2019	365868	190527(52.08)	175267(47.90)	920

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली की जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

- 6.4 नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के अंतर्गत पंजीकृत जन्म विवरण के अनुसार दिल्ली में लिंग अनुपात की सकारात्मक तस्वीर दिखाई देती है। लिंग अनुपात 2001 में 809 था, जो 2019 में बढ़ कर 920 हो गया। 2005 से 2008 की अवधि में लिंग अनुपात में बढ़ोतरी का श्रेय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई अनेक योजनाओं को दिया जा सकता है।
- 6.5 वर्ष 2019 और 2020 से संबंधित जनसंख्या अनुमानों के आधार पर चुने हुए देशों का लिंग अनुपात (प्रति 100 पुरुष) विवरण 19.7 में दिया गया है।

विवरण 19.7
चुने हुए देशों में लिंग अनुपात- 2019-20

		(संख्या)		
क्र सं	राष्ट्र	2019	2020	लिंग अनुपात (प्रति 100 पुरुष)
1.	चीन	1,433,783,686	1439323776	105.30
2.	भारत	1,366,417,754	1380004385	108.17
3.	संयुक्त राज्य अमरीका	329,064,917	331002651	97.94
4.	इंडोनेशिया	270,625,568	273523615	101.40
5.	पाकिस्तान	216,565,318	220892340	106.02
6.	ब्राजील	211,049,527	212559417	96.59
7.	नाइजीरिया	200,963,599	206139589	102.75
8.	बांग्लादेश	163,046,161	164689383	102.24
9.	रूसी परिसंघ	145,872,256	145934462	86.39
10.	मैक्सिको	127,575,529	128932753	95.76
11.	जापान	126,860,301	126476461	95.41
12.	इथियोपिया	112,078,730	114963588	100.12
13.	फिलिपीन्स	108,116,615	109581078	100.87
	विश्व	7,713,468,100	7794798739	101.68

स्रोत : <http://statisticstimes.com/demographics/countries-by-population.php>

<http://statisticstimes.com/demographics/countries-by-sex-ratio.php>

7. जनसंख्या घनत्व

7.1 दुनिया के विभिन्न स्थानों से आमतौर पर प्राप्त होने वाले तुलनात्मक आंकड़ों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्षेत्रफल की प्रति यूनिट आबादी ही जनसंख्या घनत्व होती है। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक था। 2001 और 2011 में दिल्ली का ज़िलावार जनसंख्या घनत्व विवरण 19.8 में दिया गया है।

विवरण 19.8
2001 और 2011 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ज़िलावार जनसंख्या घनत्व

क्र सं	ज़िला	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति)			
		2001	रैंक	2011	रैंक
1.	उत्तर पूर्वी	29,468	1	36155	1
2.	मध्य	25,855	2	27730	2
3	पूर्वी	22,868	3	27132	3
4	पश्चिम	16,503	4	19563	4
5.	उत्तर	13,246	5	14557	5
6.	दक्षिण	9,068	6	11060	6
7.	उत्तर पश्चिम	6,502	7	8254	7
8.	नई दिल्ली	5,117	8	4057	9
9.	दक्षिण पश्चिम	4,169	9	5446	8
	दिल्ली	9340		11320	

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 7.2 विवरण 2.8 से स्पष्ट है कि दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 36155 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व 4057 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर नई दिल्ली जिले का है। पिछले दशक के दौरान नई दिल्ली जिले में जनसंख्या घनत्व में कमी का रुख रहा और यह 2001 के 5117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से घट कर 2011 में 4057 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह गया।

8. परिवारों का आकार

एक घर में एक साथ रहने वाले लोगों की संख्या को ही आमतौर पर परिवार का आकार कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में कुल 3340538 परिवार थे। दिल्ली में परिवार का औसत आकार 5.02 था। इससे संकेत मिलता है कि एक घर में औसतन पांच से अधिक सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2011 में पचास प्रतिशत से ज्यादा परिवारों के सदस्यों की संख्या पांच से ज्यादा थी। 2001 और 2011 में दिल्ली में विभिन्न आकारों वाले परिवारों की ब्यौरेवार जानकारी विवरण 19.9 में दर्शायी गई है।

विवरण 19.9

दिल्ली में आकार के हिसाब से परिवारों का वितरण— 2001 और 2011

क्र.स.	परिवारों का आकार	परिवारों की संख्या		परिवारों की कुल संख्या का प्रतिशत	
		2001	2011	2001	2011
1.	एक सदस्यीय	99786	123106	3.90	3.70
2.	दो सदस्यीय	206925	252370	8.10	7.60
3.	तीन सदस्यीय	295216	428403	11.56	12.80
4.	चार सदस्यीय	544289	803065	21.31	24.00
5.	पांच सदस्यीय	506711	681142	19.84	20.40
6.	छह से आठ सदस्यीय	680065	853773	26.63	25.60
7.	नौ या उससे अधिक सदस्यीय	221157	198679	8.66	5.90
	कुल परिवार	2554149	3340538	100.00	100.00

स्रोत: भारत की जनगणना 2011.

9. साक्षरता दर

- 9.1 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में साक्षरता दर 86.02 प्रतिशत थी जबकि 2001 में यह 81.67 प्रतिशत थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत थी। दिल्ली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर क्रमशः 81.9 और 86.3 प्रतिशत रही।

10. जनसंख्या का आयुवार वितरण

- 10.1 जनसंख्या का आयुवार वितरणभविष्य की मानव क्षमता, कार्यरत जनसंख्या के दायित्व खासकर अपने बच्चों और वृद्ध माता पिता की देखरेख के दायित्व की गंभीरता का सबसे प्रभावी संकेतक है। दो जनगणना अवधि में दिल्ली की जनसंख्या के आयुवार वितरण का ब्यौरा विवरण 19.10 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 19.10

दिल्ली की जनसंख्या का आयुवार वितरण: 1991, 2001 और 2011

क्र.स.	आयु वर्ग	1991		2001		2011	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0-14	3273482	34.75	4492939	32.44	4565319	27.19
2.	15-19	914871	9.71	1427979	10.31	1667375	9.93
3.	20-24	982866	10.43	1426860	10.30	1764060	10.51
4.	25-29	956788	10.16	1358925	9.81	1668326	9.94
5.	30-39	1438035	15.26	2211006	15.96	2753943	16.40
6.	40-49	867731	9.21	1432467	10.34	2008410	11.96
7.	50-59	504149	5.35	759505	5.48	1196361	7.13
8.	60 या उससे अधिक	439520	4.67	719650	5.20	1147445	6.83
9.	आयु वर्णित नहीं	43202	0.46	21176	0.15	16702	0.1
	कुल	9420644	100.00	13850507	100.00	16787941	100.00

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 10.2 विवरण 2.10 से पता चलता है कि 2011 में दिल्ली की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग ऐसे बच्चों का था जिनकी आयु शून्य से 14 वर्ष के बीच थी और इसमें प्रतिशत बदलाव की दर भी कम से कम रही। अन्य सभी आयु वर्गों में भी लगभग यही स्थिति थी, यह या तो एक समूह में घनात्मक या सतत आयु वर्गों में ऋणात्मक थी। 2011 में दिल्ली की जनसंख्या का आयुवार वितरण चार्ट 19.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 19.3

दिल्ली में जनसंख्या का आयु वार वितरण-2011



11. महानगरों की जनसंख्या

11.1 भारत में महानगरों की जनसंख्या, विवरण 19.11 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 19.11

भारत के कुछ महानगरों की जनसंख्या : 2001 और 2011

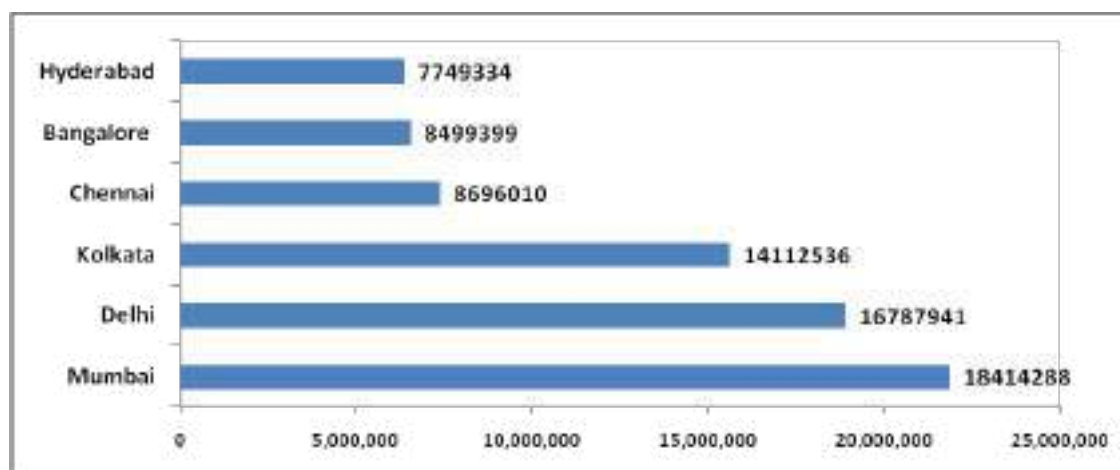
क्र.स.	महानगर	जनसंख्या (संख्या)		स्थान	
		2001	2011	2001	2011
1.	मुम्बई	16,434,386	18,414,288	1	1
2.	दिल्ली	13,850,507	16,787,941	2	2
3.	कोलकाता	13,211,853	14,112,536	3	3
4.	चेन्नई	6,560,242	8,696,010	4	4
5.	बंगलौर	5,701,456	8,499,399	6	5
6.	हैदराबाद	5,742,036	7,749,334	5	6

स्रोत: भारत की जनगणना 2011, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

11.2 विवरण 19.11 से पता चलता है कि जनसंख्या की दृष्टि से महानगरों में दिल्ली 2001 और 2011 में लगातार दूसरे स्थान पर रही। 2001 में मुम्बई की जनसंख्या 1 करोड़ 64 लाख 30 हजार थी, जो दिल्ली की जनसंख्या से 25.8 लाख ज्यादा थी। 2011 में (जनगणना 2011) मुम्बई और दिल्ली की आबादी का अंतर घटकर 16.3 लाख रह गया। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तेजी से विकास का पता चलता है। 2011 में भारत के महानगरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी चार्ट 19.4 में दी गई है।

चार्ट 19.4

भारत के महानगरों की जनसंख्या— 2011



11.3 जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा लोग बड़े शहरों में रहने लगेंगे। बड़ी संख्या में लोग 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बड़े शहरों में रहेंगे जिन्हें मेगासिटी के रूप में जाना जाता है। इन मेगा शहरों की संख्या 2000 में 16 थी। 2025 तक मेगा शहरों की संख्या 27 हो जायेगी। 2000, 2011 और 2025 (अनुमानित) की स्थिति के अनुसार विश्व की दस सबसे बड़ी शहरी बस्तियों का ब्यौरा विवरण 19.12 में दिया गया है।

विवरण 19.12

सबसे बड़ी दस शहरी बस्तियां : 2000, 2011 और 2025

(मिलियन)

क्र. स.	2000		2011		2025 (अनुमानित)	
	शहर	जनसंख्या	शहर	जनसंख्या	शहर	जनसंख्या
1.	टोक्यो	34.5	टोक्यो	37.2	टोक्यो	38.7
2.	मैक्सिको सिटी	18.0	दिल्ली	16.8*	दिल्ली	22.1
3.	न्यूयार्क	17.9	मैक्सिको सिटी	20.4	शंघाई	28.4
4.	साओ पोलो	17.1	न्यूयार्क	20.4	मुम्बई	26.6
5.	मुम्बई	16.1	शंघाई	20.2	मैक्सिको सिटी	24.6
6.	दिल्ली	13.8	साओ पोलो	19.9	न्यूयार्क	23.6
7.	शंघाई	13.2	मुम्बई	19.7	साओ पोलो	23.2
8.	कोलकाता	13.1	बीजिंग	15.6	ढाका	22.9
9.	ब्यूनस आयर्स	11.9	ढाका	15.4	बीजिंग	22.6
10.	लॉस एंजिलिस	11.8	कोलकाता	14.4	कराची	20.2

स्रोत : 1. यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स, द 2011 रिविजन

2. http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/WUP2011_Report.pdf

- 11.4 विवरण 19.12 से देखा जा सकता है कि भारत के तीन शहरों (मुंबई, कोलकाता और दिल्ली) को 2000 और 2011 में दुनिया के सबसे बड़े 10 शहरी समूहों में शामिल किया गया। 2000 में कोलकाता विश्व के 8वें सबसे बड़े शहरी समूह के रूप में चुना गया। उपरोक्त तीनों अवधियों में शहरी जनसंख्या की दृष्टि से जापान के टोक्यो का पहला स्थान रहा। 2000-2011 के दौरान विश्व के सबसे बड़े शहरी समूहों की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में जानकारी विवरण 19.13 में दर्शायी गई है।

विवरण 19.13

2000-2011 और 2000-2025 के दौरान विश्व की सबसे बड़ी शहरी बस्तियों में जनसंख्या वृद्धि दर

क्र. सं.	शहरों का नाम	जनसंख्या (मिलियन में)			वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	
		2000	2011	2025 (अनुमानित)	2000-2011	2000-2025
1.	टोकियो	34.5	37.2	38.7	0.71	0.49
2.	न्यूयार्क	17.9	20.4	23.6	1.27	1.27
3.	मैक्सिको सिटी	18.0	20.4	24.6	1.21	1.47
4.	साओपोलो	17.1	19.9	23.2	1.49	1.43
5.	कोलकाता	13.1	14.4	18.7	0.90	1.71
6.	मुम्बई	16.1	19.7	26.6	2.03	2.61
7.	दिल्ली	13.8	16.8	22.1	2.25	2.40

स्रोत : 1 यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स, द 2011 रिविजन

2. http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/WUP2011_Report.pdf

- 11.5 विवरण: 19.13 से पता चलता है कि 2000-2011 में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर और 2000-2025 में संभावित वृद्धि दर सबसे ज्यादा दिल्ली में क्रमशः 7.27 प्रतिशत और 8.23 प्रतिशत रिकॉर्ड की गयी जबकि इसी अवधि में मुंबई का दूसरा और कोलकाता का तीसरा स्थान था। दिल्ली में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर रहने का कारण पड़ोसी राज्यों और देश के अन्य भागों से लोगों का यहां आकर बस जाना है।

12. दिल्ली का शहरी-ग्रामीण परिवेश

12.1 21वीं शताब्दी के शुरू में 93 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही थी जबकि 1901 में केवल 53 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे। इससे साफ पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में शहरीकरण की गति कितनी तेज़ है। इस शताब्दी में दिल्ली में शहरीकरण की गति विवरण 19.14 में दर्शायी गयी है।

विवरण 19.14

1901-2011 के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की प्रवृत्ति

क्र.स.	जनगणना वर्ष	जनसंख्या (संख्या)			वृद्धि (प्रतिशत)	
		कुल	शहरी	कुल शहरी का प्रतिशत	दशकीय	एईजीआर
1	1901	405819	214115	52.76		
2	1911	413851	237944	57.50	11.13	1.1
3	1921	488452	304420	62.32	27.94	2.5
4	1931	636246	447442	70.33	46.98	3.9
5	1941	917939	695686	75.79	55.48	4.4
6	1951	1744072	1437134	82.40	106.58	7.3
7	1961	2658612	2359408	88.75	64.17	5.0
8	1971	4065698	3647023	89.70	54.57	4.4
9	1981	6220406	5768200	92.73	58.16	4.6
10.	1991	9420644	8471625	89.93	46.87	3.8
11	2001	13850507	12905780	93.18	52.34	4.2
12	2011	16787941	16368899	97.50	26.83	1.92

स्रोत : भारत की जनगणना अस्थाई जनसंख्या आंकड़े, रा.रा.क्षे. दिल्ली शृंखला 8, 2011 का पेपर 1

नोट : एईजीआर का अर्थ है – वार्षिक घातांक वृद्धि दर

12.2 दिल्ली में पिछली जनगणना के दौरान जिलावार शहरी और ग्रामीण आबादी की जानकारी विवरण 19.15 में दर्शायी गयी है।

विवरण 19.15

दिल्ली में जिलावार शहरी और ग्रामीण आबादी : 2011

क्र.स.	जिला	जनसंख्या (संख्या)			शहरी आबादी का प्रतिशत
		शहरी	ग्रामीण	कुल	
1.	उत्तर पश्चिम	3442589	213950	3656539	94.15
2.	उत्तर	870232	17746	887978	98.00
3	उत्तर पूर्व	2220097	21527	2241624	99.04
4.	पूर्व	1705816	3530	1709346	99.79
5.	नई दिल्ली	142004	--	142004	100.00
6.	मध्य	582320	--	582320	100.00
7.	पश्चिम	2536823	6420	2543243	99.75
8.	दक्षिण पश्चिम	2149282	143676	2292958	93.73
9.	दक्षिण	2719736	12193	2731929	99.55
	दिल्ली	16368899	419042	16787941	97.50

स्रोत : भारत की जनगणना और 2011 की जनगणना के प्राथमिक आंकड़े

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2020-21

12.3 विवरण 19.15 से पता चलता है कि दिल्ली के दो जिले यानी मध्य और नई दिल्ली में वर्ष 2011 में शत प्रतिशत शहरी आबादी थी। शेष सभी जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रहती थी।

13. महत्वपूर्ण दरें

13.1 महत्वपूर्ण दरें ही राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक प्रयुक्त आंकड़े हैं, जिनमें आमतौर पर जन्म दर, मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर शामिल हैं, जिन्हें नीचे परिभाषित किया गया है।

क) **जन्म दर:**—जन्म दर किसी जनसंख्या की उर्वरता का एक अशोधित उपाय है और जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह किसी दिए गए क्षेत्र और वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करती है।

ख) **मृत्यु दर :**—मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के मूल घटकों में से एक है और संबंधित डेटा जनसांख्यिकीय अध्ययन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए आवश्यक हैं। मृत्यु दर मौतों की गणना के सबसे सरल उपायों में से एक है और इसे एक निश्चित क्षेत्र और समय अवधि में प्रति हजार जनसंख्या पर मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग) **बाल मृत्यु दर :**—शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), जिसे व्यापक रूप से किसी देश या क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य के अशोधित संकेतक के रूप में स्वीकार किया जाता है, को किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक निश्चित समय अवधि में प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु (एक वर्ष से कम) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

दिल्ली में महत्वपूर्ण दरों (दोनों नागरिक पंजीकरण प्रणाली और नमूना पंजीकरण प्रणाली) के बारे में जानकारी विवरण 19.16 में प्रस्तुत की गई है।

13.2 नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सरकारी कार्यालयों और निर्दिष्ट अधिकारियों के नेटवर्क की मदद से महत्वपूर्ण घटनाओं (जन्म और मृत्यु) को कानूनी रूप से पंजीकृत किया जाता है तथा इनके बारे में पर्याप्त ब्यौरा निरंतर, स्थायी और अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाता है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली को जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों को मापने के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष में होने वाली जनगणना से किसी समयविशेष की जनसंख्या की जानकारी उपलब्ध होती है जबकि महत्वपूर्ण आंकड़ों से जनसंख्या के प्रवाह का पता चलता है।

13.3 दिल्ली में, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण पांच स्थानीय निकायों अर्थात् दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

विवरण 19.16

दिल्ली में महत्वपूर्ण दरें : सीआरएस और एसआरएस

क्र.स.	वर्ष	*वर्ष के मध्य में अनुमानित आबादी (लाख)	महत्वपूर्ण दरें (प्रति एक हजार)					
			जन्म दर		मृत्यु दर		शिशु मृत्यु दर	
			सीआरएस*	एसआरएस	सीआरएस *	एसआरएस	सीआरएस *	एसआरएस
1.	2003	144.86	20.78	17.3	6.07	5.0	17	28
2.	2004	147.68	20.72	18.4	5.76	4.7	13	32
3.	2005	150.54	21.52	18.6	6.24	4.6	13	35
4.	2006	153.47	21.05	18.4	6.45	4.7	18	37
5.	2007	156.45	20.58	18.1	6.46	4.8	25	36
6.	2008	159.49	21.94	18.4	6.77	4.8	18	35
7.	2009	162.58	21.77	18.1	6.89	4.4	19	33
8.	2010	165.74	21.66	17.8	7.48	4.2	22	30
9.	2011	169.14	20.92	17.5	6.63	4.3	22	28
10.	2012	172.92	20.87	17.3	6.05	4.2	24	25
11.	2013	176.70	20.94	17.2	5.50	4.1	22	24
12.	2014	180.47	20.71	16.8	6.72	3.8	22	20
13.	2015	184.25	20.30	16.4	6.76	3.6	23	18
14.	2016	188.03	20.16	15.5	7.53	4.0	21.35	18
15.	2017	191.82	19.13	15.2	7.10	3.7	20.83	16
16.	2018	195.61	18.55	14.7	7.44	3.3	23.81	13
17.	2019	199.40	18.35	NA	7.29	NA	24.12	NA

*वर्ष 2011 से राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के नवीनतम जनसंख्या अनुमानों के अनुसार संशोधित।

- 13.4 विवरण : 2.16 से अनुमान लगाया जा सकता है कि सीआरएस के तहत 2001 से 2019 के दौरान दिल्ली की महत्वपूर्ण दरों, शिशु जन्म और मृत्यु दर, दोनों में ही मिश्रित प्रवृत्ति रही है। दूसरी ओर सीआरएस के अनुसार मृत्यु दर में हल्की वृद्धि का संकेत मिलता है। एसआरएस प्रणाली के अंतर्गत जन्म, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दरतीनों में ही कमी की प्रवृत्ति रही है।

14. प्रवासन

14.1 दिल्ली में बाहर से आकर बस जाने वालों की संख्या का अनुमान जन्म और मृत्यु दरों तथा जनसंख्या में कुल वृद्धि पर आधारित होता है। विवरण 19.17 से पता चलता है कि 2019 में जनसंख्या की संभावित वृद्धि 2.21 लाख थी जबकि बाहर से आकर बसने वालों की संख्या 1.58 लाख अनुमानित थी। 2001 से 2019 के बीच प्रवासन की प्रवृत्ति विवरण 19.17 में दी गई हैं।

विवरण 19.17
दिल्ली में बाहर से आकर बसने वालों की संख्या— 2001–2019

(लाख)

क्र.स.	वर्ष	*वर्ष के मध्य में अनुमानित आबादी	पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या वृद्धि	कुल		प्राकृतिक वृद्धि	आब्रजन
				जन्म	जन्म		
1.	2002	142.10	2.7	3.01	0.86	2.15	0.55
2.	2003	144.86	2.76	3.01	0.88	2.13	0.63
3.	2004	147.68	2.82	3.06	0.85	2.21	0.61
4.	2005	150.54	2.86	3.24	0.94	2.30	0.56
5.	2006	153.47	2.93	3.23	0.99	2.24	0.69
6.	2007	156.45	2.98	3.22	1.01	2.21	0.77
7.	2008	159.49	3.04	3.34	1.08	2.26	0.78
8.	2009	162.58	3.09	3.54	1.12	2.42	0.67
9.	2010	165.74	3.16	3.59	1.24	2.35	0.81
10.	2011	169.14	3.40	3.53	1.12	2.41	0.99
11.	2012	172.92	3.78	3.60	1.05	2.55	1.23
12.	2013	176.70	3.78	3.70	0.97	2.73	1.05
13.	2014	180.47	3.77	3.74	1.21	2.53	1.24
14.	2015	184.25	3.78	3.74	1.25	2.49	1.29
15.	2016	188.03	3.78	3.79	1.42	2.37	1.41
16.	2017	191.82	3.79	3.67	1.36	2.31	1.48
17.	2018	195.61	3.79	3.63	1.46	2.17	1.62
18.	2019	199.40	3.79	3.66	1.45	2.21	1.58

स्रोत : जन्म एवं मृत्यु महापंजीयक कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

*वर्ष के मध्य में अनुमानित आबादी 2011 की जनगणना पर आधारित है।

नोट : 1. जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कुल जन्म और मृत्यु संख्या के अंतर के बराबर होती है।

2. बाहर से आकर बसी जनसंख्या प्राकृतिक रूप से बढ़ी और जनसंख्या की कुल वृद्धि के अंतर के बराबर होती है।

दिल्ली में गरीबी रेखा

गरीबी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्तियों या समुदायों के पास संसाधनों, योग्यता और अवसरों का अभाव होने के कारण वे जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। गरीबी उन मुद्दों में से एक है जो समाजास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, सरकारों, सिविल सोसायटी संगठनों तथा मानव कल्याण और विकास से संबंधित लगभग सभी अन्य संगठनों को आकर्षित करते रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कोई व्यक्ति आरामदायक जीवनशैली के लिए समुचित जीवन स्तर बनाए रखने में नाकामयाब हो जाता है।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 68वें दौर (जून 2011 से जुलाई 2012) के आधार पर योजना आयोग ने गांवों और शहरों में गरीबी रेखा की राज्यवार रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके अनुसार दिल्ली में ग्रामीण गरीबी रेखा का स्तर 1145 रुपये और शहरों में 1134 रुपये होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 816 रुपये और 1000 रुपये है। दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा, विवरण 20.1 में दी गई है।

विवरण 20.1

दिल्ली की गरीबी रेखा का स्तर

(प्रतिव्यक्ति मासिक रु.)

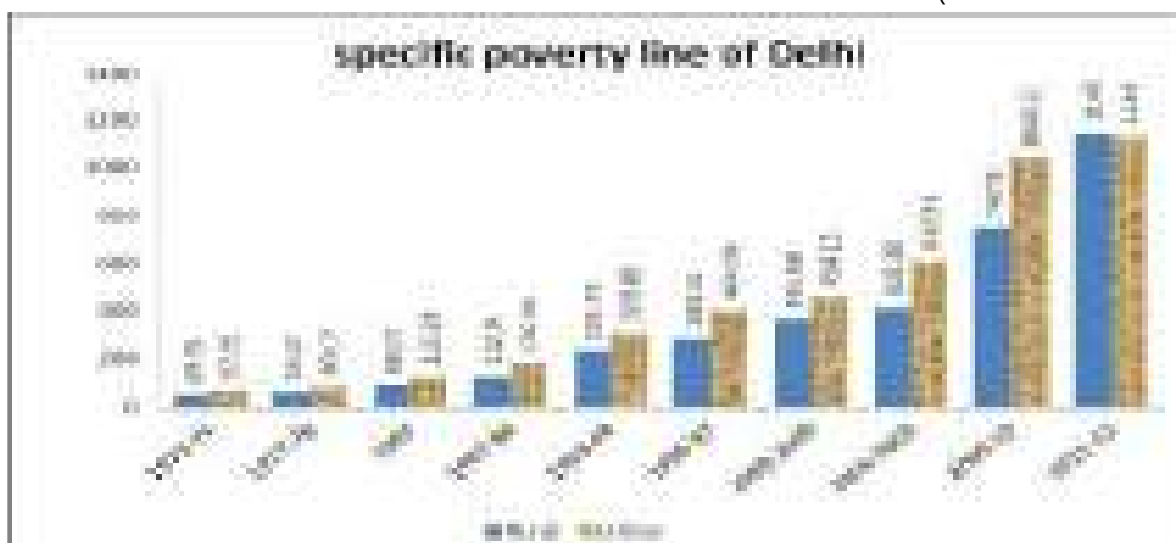
क्र सं	वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1.	1973-74	49.95	67.95
2.	1977-78	59.37	80.17
3.	1983	88.57	123.29
4.	1987-88	122.90	176.91
5.	1993-94	233.79	309.48
6.	1996-97	289.31	404.96
7.	1999-2000	362.68	454.11
8.	2004-2005	541.39	642.47
9.	2009-10	747.80	1040.3
10.	2011-12	1145.00	1134.00

स्रोत : योजना आयोग (नीति आयोग), भारत सरकार

- विवरण 20.1 से स्पष्ट पता चलता है कि वर्ष 2011–2012 के दौरान योजना आयोग के निर्धारकों के अनुसार न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए शहरी दिल्ली में प्रति व्यक्ति मासिक 1134 रुपये की जरूरत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि प्रति व्यक्ति 1145 रुपये प्रतिमाह आंकी गई। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह अपेक्षित राशि में प्रति वर्ष पर्याप्त वृद्धि हुई है। दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा के बारे में जानकारी चार्ट 20.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 20.1
दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा

(प्रतिव्यक्ति मासिक रु.)



4. 1973–2012 के दौरान दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की संख्या के बारे में जानकारी विवरण 20.2 में प्रस्तुत की गयी है।

विवरण 20.2
दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे के लोग – शहरी और ग्रामीण

(संख्या लाख में)

क्रम सं.	वर्ष	शहरी		ग्रामीण		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या
1.	1973-74	21.78	95.36	1.06	4.64	22.84	100.0 (49.61)
2.	1977-78	16.81	92.57	1.35	7.43	18.16	100.0 (33.23)
3.	1983	17.95	97.61	0.44	2.39	18.39	100.0 (26.22)
4.	1987-88	10.15	99.02	0.10	0.98	10.25	100.0 (12.41)
5.	1993-94	15.32	98.78	0.19	1.22	15.51	100.0 (14.69)
6.	1999-2000	11.42	99.39	0.07	0.61	11.49	100.0 (8.23)
7.	2004-2005	18.9	93.10	1.4	6.90	20.3	100.0 (13.1)
8.	2009-10	22.9	98.28	0.30	1.29	23.3	100.0(14.2)
9.	2011-12	16.46	97.05	0.50	2.95	16.96	100.0(9.91)

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक

नोट: कोष्ठक के आंकड़े कुल जनसंख्या का प्रतिशत हैं।

5. उपरोक्त तालिकाओं 20.2 और 20.3 से यह स्पष्ट है कि 1973–74 के दौरान दिल्ली की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। 2011–12 में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 16.96 लाख होने का अनुमान लगाया गया था जो दिल्ली की कुल आबादी का 9.91 प्रतिशत है। 1999–2000 में दिल्ली की कुल जनसंख्या में से गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की संख्या घटकर 8 प्रतिशत के एकअंकीय स्तर पर आ गयी। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली की सरकार द्वारा शुरू किये गये विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की वजह से भारत और दिल्ली में गरीबी के स्तर में भारी गिरावट आयी है। दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के स्तर में गिरावट के विभिन्न कारण हैं, जैसे सेवा क्षेत्र में भारी विकास। अध्ययन की अवधि के दौरान भारत और दिल्ली में गरीबी के स्तर के बारे में सूचना विवरण 20.3 में दी गयी है।

विवरण 20.3

दिल्ली और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

(प्रतिशत)

क्रम सं.	वर्ष	भारत	दिल्ली
1.	1973-74	54.88	49.61
2.	1977-78	51.32	33.23
3.	1983	44.48	26.22
4.	1987-88	38.26	12.41
5.	1993-94	35.97	14.69
6.	1999-2000	26.10	8.23
7.	2004-2005	37.2	13.1
8.	2009-2010	29.8	14.2
9.	2011-2012	21.92	9.91

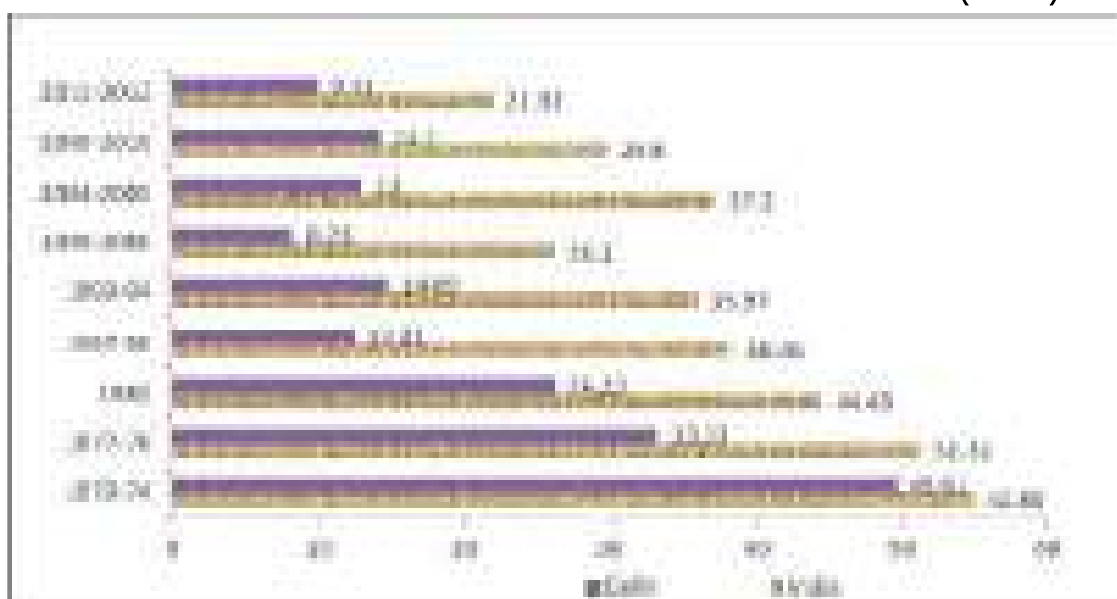
स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैडबुक

6. विवरण 20.3 में यह देखा जा सकता है कि अध्ययन की अवधि के दौरान दिल्ली की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वालों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से हमेशा कम रहा है। 2011-12 के दौरान देश की 21.92 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि दिल्ली के लिए यह संख्या 9.91 प्रतिशत थी। भारत और दिल्ली में 1973-74 से 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या के बारे में जानकारी चार्ट 20.2 में दी गयी है।

चार्ट 20.2

दिल्ली और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

(प्रतिशत)



7. घरेलू उपभोक्ता खर्च का स्तर और स्वरूप

घरेलू उपभोक्ता व्यय का अर्थ है किसी परिवार द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू खपत पर किया गया व्यय। यह वस्तुओं के विभिन्न समूहों यानी भोजन, ईंधन, प्रकाश, कपड़े, जूते, विविध माल और सेवाओं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग का कुल मौद्रिक मूल्य है। एकत्र की गई जानकारी में संदर्भ अवधि के दौरान परिवार के स्तर पर घरेलू उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं (यानी वस्तुओं और सेवाओं) के मौद्रिक मूल्य का योग शामिल है। यह न केवल परिवार की स्थिति तय करने के लिए उपयोगी है, बल्कि शोधकर्ताओं को गरीबी रेखा, पोषण की स्थिति, भोजन की पर्याप्तता आदि पर आगे के अध्ययन के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए भी उपयोगी है। ये राज्य स्तर पर जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों पर डेटा के प्राथमिक स्रोत हैं। घरेलू उपभोक्ता व्यय घरेलू खपत की मात्रा और मूल्य के बारे में जानकारी एकत्र करता है। किसी परिवार के लिए भोजन और गैर-खाद्य पदार्थों के लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय इसके कुल खपत व्यय को इसके आकार से विभाजित किया जाता है और प्रति माह (30 दिन) के आधार पर व्यक्त किया जाता है।

- 7.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर कराये जाने वाले सर्वेक्षणों के दौरों के आधार पर “दिल्ली के घरेलू उपभोक्ता खर्च का स्तर और स्वरूप” नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके 64वें दौर (जुलाई 2007–जून 2008), 66वें दौर (जुलाई 2009–जून 2010) और 68वें दौर (जुलाई 2011–जून 2012) के अनुसार खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च के बारे में जानकारी विवरण 20.4 में दी गयी है।

विवरण 20.4

दिल्ली में खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय

क्र सं	दौर/क्षेत्र	खाद्य	खाद्येतर	कुल
1.	63 वां दौर (जुलाई 2006–जून 2007)			
	क. शहरी	733.53	1238.66	1972.19
	ख. ग्रामीण	553.05	751.22	1304.27
	ग. कुल	697.40	1141.07	1838.47
2	64वां दौर (जुलाई 2007–जून 2008)			
	क. शहरी	770.21	1307.83	2078.04
	ख. ग्रामीण	740.72	962.58	1703.30
	ग. कुल	767.72	1278.71	2046.43
3	66वां दौर (जुलाई 2009–जून 2010)			
	क. शहरी	1036.21	1868.66	2904.87
	ख. ग्रामीण	771.28	989.75	1761.03
	ग. कुल	1014.48	1796.57	2811.05
4	68वां दौर (जुलाई 2011–जून 2012)			
	शहरी	1489.02	2352.52	3841.54
	ग्रामीण	1182.74	1378.41	2561.16
	कुल	1461.54	2265.12	3726.66

स्रोत: डीईएस, राराक्षे दिल्ली सरकार

- 7.2 विवरण 20.4 से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि खाद्येतर वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च खाद्य वस्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक था। सर्वेक्षण के अंतिम दौरों (66वें और 68वें) में इन वस्तुओं पर कुल प्रति व्यक्ति खर्च 32.57 प्रतिशत बढ़ा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 68वें दौर के अनुसार खाद्य वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च 39.22 प्रतिशत रहा और बाकी 60.78 प्रतिशत खाद्येतर वस्तुओं पर हुआ।
- 7.3 खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आखिरी चार दौरों में प्राप्त सूचना (परिवार का औसत आकार 4.06) विवरण 20.5 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 20.5
दिल्ली में औसत मासिक घरेलू खर्च

क्र सं	दौर/क्षेत्र	खाद्य	खाद्येतर	कुल
1	63 वां दौर (जुलाई 2006–जून 2007)			
	क. शहरी	3312.26	5593.14	8905.40
	ख. ग्रामीण	2929.21	3978.85	6908.06
	ग. कुल	3244.89	5309.22	8554.11
2	64वां दौर (जुलाई 2007–जून 2008)			
	क. शहरी	3445.38	5850.37	9295.75
	ख. ग्रामीण	3308.01	4298.86	7606.87
	ग. कुल	3433.78	5719.28	9153.06
3	66वां दौर (जुलाई 2009–जून 2010)			
	क. शहरी	4407.12	7947.66	12354.78
	ख. ग्रामीण	3647.99	4681.26	8329.25
	ग. कुल	4350.67	7704.73	12055.40
4	68वां दौर (जुलाई 2011–जून 2012)			
	क. शहरी	6055.23	9566.70	15621.93
	ख. ग्रामीण	4696.16	5473.08	10169.24
	ग. कुल	5930.61	9191.34	15121.95

स्रोत: डीईएस, राराक्षे दिल्ली सरकार

- 7.4 विवरण 20.5 से यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में पिछले दो दौरों (66वें और 68वें) में खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च 25.44 प्रतिशत बढ़ा। खाद्येतर वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च 68वें दौर में 60.78 प्रतिशत रहा जो 68वें दौर में खाद्येतर वस्तुओं के प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के बराबर ही रहा।
- 7.5 शहरी दिल्ली और शहरी भारत में खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता खर्च की जानकारी विवरण 20.6 में प्रदर्शित की गई है।

विवरण 20.6

शहरी दिल्ली और भारत में 2011-12 में खाद्य और खाद्येतर
वस्तुओं की मासिक प्रति व्यक्ति व्यय

क्र. सं.	मद	शहरी	
		दिल्ली	दिल्ली
I.	खाद्य वस्तुएं		
1.	अनाज और अनाज के प्रतिस्थानी	5	7
2.	दलहन और उनके उत्पाद	1	2
3.	दूध और उसके उत्पाद	11	7
4.	खाद्य तेल	2	3
5.	गोश्त, अंडा	1	4
6.	सब्जियां	5	4
7.	फल (ताजा और मेवा)	3	3
8.	चीनी / नमक / मसाले	3	4
9.	पेय पदार्थ	9	9
	आंशिक योग	40	43
II.	गैर खाद्य वस्तुएं		
1.	पान / तम्बाकू / मादक पदार्थ	1	2
2.	ईंधन और प्रकाश	6	7
3.	वस्त्र, बिस्तर और जूते आदि	7	6
4.	विविध उपभोक्ता वस्तुएं *	4	4
5.	विविध उपभोक्ता सेवाएं @	17	14
6.	किराया	6	6
7.	उपभोक्ता कर	1	1
8.	टिकाऊ वस्तुएं	7	5
9.	शिक्षा	8	7
10.	चिकित्सा (संस्थागत और गैर-संस्थागत)	3	5
	आंशिक योग	60	57
	कुल खर्च	100.00	100.00

स्रोत : राराक्षे दिल्ली सरकार, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का 68वां दौर 2011-12)

नोट : 1-“विविध उपभोक्ता वस्तुओं में व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं, प्रसाधन सामग्री और इससे संबंधित चीजें शामिल हैं।”

2-विविध उपभोक्ता सेवाओं में मनोरंजक उपभोक्ता सेवाओं और आवागमन पर खर्च शामिल है।

7.6 विवरण 20.6 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शहरी दिल्ली में परिवारों द्वारा खर्च हर 100 रुपये में से 40 रुपये खाद्य वस्तुओं पर और बाकी 60 रुपये खाद्येतर वस्तुओं पर खर्च हुए। समूचे भारत के लिए यह खर्च 43 रुपये और 57 रुपये रहा।

8. गरीबी उन्मूलन के लिए की गई पहल

8.1 2015 के बाद से दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, बिजली और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की है। गरीब लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजना/ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे मुख्य योजनाएं / कार्यक्रम हैं :-

- वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता
- दिव्यांगों को वित्तीय सहायता
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- संकट में महिलाओं को वित्तीय सहायता
- लाडली योजना
- बेटियों की शादी करने के लिए गरीब विधवाओं को, और अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता।
- पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी और मेरिट छात्रवृत्ति की खरीद के लिए वित्तीय सहायता
- मुख्यमंत्री विधार्थी प्रतिभा योजना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से संबंधित विद्यार्थियों को कॉलेज/ध्यावसायिक संस्थानों में छात्रवृत्ति
- पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति
- मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों के लिए – छात्रवृत्ति और वजीफा
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
- पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी
- डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी
- दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं
- सरकारी अस्पतालों और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त/कम लागत वाला इलाज
- महिला यात्रियों के लिए डीटीसी/क्लस्टर बसों में मुफ्त बस सेवाएं

8.2 इसके अलावा, वर्ष 2017 के दौरान रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने विभिन्न प्रकार के कामगार/कर्मचारी अर्थात् अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में भी काफी वृद्धि की है।

8.3 सब्सिडी का प्रभाव

- दिल्ली के नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक जीवन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सभी सब्सिडी के संचयी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, योजना विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार, की सहायता से सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च, 2020 के दौरान परिवारों के 3450 नमूनों का अध्ययन किया गया था।
- अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले तीन महीनों में, सभी सर्वेक्षित परिवार, कम या शून्य बिजली बिल द्वारा लाभान्वित हुए हैं, जबकि 76.1 प्रतिशत कम या शून्य पानी के बिल आने पर लाभान्वित हुए हैं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त/कम लागत वाले उपचार द्वारा 64.7 प्रतिशत लाभान्वित हुए हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का लाभ 58 प्रतिशत परिवारों द्वारा उठाया गया है और 43.7 प्रतिशत परिवार, मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा की सुविधा से लाभान्वित हुए हैं।

- दिल्ली के नागरिकों को उपर्युक्त सभी सब्सिडी के कारण, अब एक परिवार में औसतन 2464 रुपये प्रति माह की बचत हो रही है। हर महीने, प्रति परिवार में कम या शून्य बिजली बिल के कारण 715 रुपये की, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या कम लागत वाले उपचार के कारण रुपये 693, मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा का लाभ उठाकर रुपए 554, कम या शून्य जल बिल के कारण रुपये 255 तथा बस की मुफ्त सवारी का लाभ उठाकर 247 रुपये की बचत हो रही है।
- अध्ययन में आगे कहा गया है कि यद्यपि कम या शून्य बिजली बिल के कारण अधिक संख्या में परिवारों को लाभ होता है, लेकिन एक महीने में सबसे अधिक बचत मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा (रुपए 1267) से होती है, इसके बाद सरकारी अस्पताल में मुफ्त या कम लागत के इलाज की सुविधा से (रुपए 1071) बचत होती है, फिर कम या शून्य बिजली बिल (रुपए 715), महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सवारी (426 रुपए) और कम या शून्य पानी बिल (रुपए 325) से बचत होती है।
- अधिकांश परिवारों (61.6%) ने सूचित किया कि उन्होंने सब्सिडी के कारण बचाए गए अतिरिक्त धन को पहले ही खर्च कर दिया है; 28.4% ने इस धन को एफडी, पोस्ट ऑफिस, बीमा, बैंक बचत, संपत्ति, आदि में निवेश किया है; और 7.2% परिवार निकट भविष्य में यह धन खर्च करने वाले हैं और 2.8% परिवारों ने सब्सिडी के कारण हुई अतिरिक्त बचत राशि को उधार दिया है।
- सब्सिडी के कारण हुई अतिरिक्त बचत राशि को पहले ही खर्च कर चुके परिवारों में से 50.7% ने उसे खाद्य और पेय पदार्थों (फल, सब्जी, दाल, चावल, आटा, चाय, कॉफी, अल्पाहार चीजों आदि) पर व्यय किया, 13.1% ने शिक्षा से संबंधित खरीद (किताबें, स्टेशनरी, परियोजना सामग्री, ट्यूशन) के लिए खर्च किया, 10.1% ने चिकित्सा उपचार और दवाओं के लिए खर्च किया/खर्च करने वाले हैं, 7.9% ने कपड़े और सामान (कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, जूते, काले चश्मे, आभूषण आदि) के लिए व्यय किया, 7.3% परिवारों ने उपकरणों/परिसंपत्तियों (सेल फोन, टीवी, फ्रिज, मिक्सी, स्टोव, माइक्रोवेव, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि) के लिए, 6.7%, ने मनोरंजन (फिल्मों, संगीत, पिकनिक, यात्राएं) और 4.5% परिवारों ने अन्य उद्देश्यों के लिए व्यय किया है।

9. निष्कर्ष

"नागरिकों और स्थानीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर दिल्ली सरकार की सब्सिडी के प्रभाव के अध्ययन" के परिणामों ने दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं का आकलन किया। इस अध्ययन से पता चला कि सब्सिडी से लाभान्वित परिवारों की बचत और व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लाभान्वित परिवारों ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के तहत सब्सिडी प्रदान करने में कुछ भी बुरा नहीं है। ये लाभ आय को बनाए रखते हैं और निम्न आय समूहों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं और इस प्रकार समाज के कल्याण को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार, अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी समाज के निचले तबके के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जारी रखी जा सकती है।

रोजगार और बेरोजगारी

रोजगार

बेरोजगारी की दर श्रम की आपूर्ति का पूरी तरह उपयोग न हो पाने का पैमाना है। यह ऐसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अर्थव्यवस्था की असमर्थता को दर्शाता है जो काम तो करना चाहते हैं, मगर कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि वे रोजगार के लिए उत्सुक हैं और इसे पाने के लिए एड़ी चोटी के प्रयास भी कर रहे हैं। बेरोजगारी परिवारों की अवशिष्ट आय पर बुरा असर डालती है, कय शक्ति नष्ट करती है, कर्मचारियों का हौसला गिराती है और अर्थव्यवस्था के उत्पादन को घटा देती है। बेरोजगारी से व्यक्ति अपनी पहचान और आत्म सम्मान खोता है, परिवार की ओर से भारी तनाव और सामाजिक दबाव जैसे अनेक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों पड़ते हैं और भविष्य में श्रम बाजार में अपनी स्थिति को लेकर भारी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी कम होने से सरकार के ऋण कम होते हैं और आर्थिक विकास को तेज करने में मदद मिलती है। अगर बेरोजगारों को काम मिलता है तो वे आपनी आये को खर्च भी करते हैं, जिसका अच्छा गुणक प्रभाव पड़ता है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। रोजगार से आर्थिक प्रगति और विकास को बढ़ावा मिलता है। इससे श्रमिक उपयोगी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करते हैं जिसके लिए उन्हें मजदूरी मिलती है जिसे वे उत्पादित सामान की खरीद में कर सकते हैं।

- 1.1 रोजगार और बेरोजगारी के विभिन्न घटकों, जैसे 'रोजगारशुदा', 'बेरोजगार,' 'श्रम शक्ति,' और 'श्रम शक्ति से बाहर' की व्याख्या नीचे की गयी है।

- (क) **श्रमिक (या रोजगारशुदा)** : ऐसे लोग जो संदर्भित अवधि में किसी आर्थिक गतिविधि में लगे हैं या जो आर्थिक गतिविधियों में अपनी संलग्नता के बावजूद बीमारी, घायल होने, या किसी शारीरिक अक्षमता, खराब मौसम, त्योहार—उत्सव, सामाजिक या धार्मिक आयोजन या इसी तरह के किसी अन्य आकस्मिक कारण से काम पर उपस्थित नहीं हो सके हैं, श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। पारिवारिक खेती या खेती से इतर आर्थिक गतिविधियों में बिना मजदूरी लिए मदद करने वालों को भी श्रमिक माना जाता है। सभी श्रमिकों को उनके काम के दायरे में आने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कोई एक ऐसा नाम मोटे तौर पर दे दिया जाता है जिस आर्थिक गतिविधि में वे काम कर रहे या संलग्न माने जाते हैं।
- (ख) **काम ढूँढ़ रहे या काम के लिए उपलब्ध (यानी बेरोजगार)** : ऐसे लोग जिन्होंने संदर्भित अवधि में काम की कमी के कारण कार्य नहीं किया लेकिन सेवायोजन कार्यालय, बिचौलियों, मित्रों, रिश्तेदारों या संभावित नियोक्ता से आवेदन करके काम धंधा ढूँढ़ने की कोशिश की है या मौजूदा कामकाजी हालात और मजदूरी पर काम करने की दिलचस्पी या अपनी उपलब्धता व्यक्त की है, उन्हें भी 'काम खोज रहे या काम के लिए उपलब्ध' (यानी बेरोजगार) माना जाता है।
- (ग) **श्रम शक्ति** : ऐसे लोग जो संदर्भित अवधि में 'काम कर रहे हैं' (यानी रोजगारशुदा) या 'काम ढूँढ़ रहे हैं' या काम के लिए उपलब्ध हैं' (यानी बेरोजगार) मिलकर श्रमशक्ति का निर्माण करते हैं।

(घ) **श्रम शक्ति से बाहर** : ऐसे लोग जो विभिन्न कारणों से संदर्भित अवधि में न तो 'काम में लगे हैं' और न 'काम खोज रहे हैं' या इसके लिए उपलब्ध हैं 'श्रमशक्ति से बाहर' माने जाते हैं। इस श्रेणी में आने वाले लोगों में विद्यार्थी, घरेलू काम करने वाले लोग, पट्टे पर काम करने वाले, पेंशनर, प्रेषण से प्राप्त धनराशि पर निर्वाह करने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले, दुर्बल और दिव्यांगजन, बहुत छोटे बच्चे या बहुत वृद्ध लोग, वेश्यावृत्ति में लगे लोग आदि, और बीमारी की वजह से काम नहीं कर रहे आकस्मिक श्रमिक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

- 1.2 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 138.50 लाख थी। 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 167.88 लाख हो गई! इससे पता चलता है कि 2001 से 2011 के बीच दिल्ली की जनसंख्या औसतन 2.12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। इसी अवधि में दिल्ली की कुल जनसंख्या में कामगारों का अनुपात भी 0.46 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। 1981-2011 के दौरान समूचे भारत में और दिल्ली में कुल जनसंख्या तथा श्रमिक जनसंख्या और गैर-श्रमिक जनसंख्या के बारे में जानकारी विवरण 21.2 में दी गई है।

विवरण 21.1

भारत और दिल्ली में रोजगार और बेरोजगार 1981-2011

(लाख में)

क्र. स.	विवरण	1981		1991		2001		2011	
		भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली
1.	कुल कामगार	2446.04 (35.70)	20.02 (32.19)	3141.30 (37.11)	29.80 (31.63)	4023.60 (39.11)	45.45 (32.82)	4817.43 (39.79)	55.87 (33.28)
2.	गैर कामगार	4405.81 (64.30)	42.18 (67.81)	5322.61 (62.89)	64.41 (68.37)	6262.51 (60.89)	93.05 (67.18)	7288.26 (60.21)	112.00 (66.72)
3.	कुल जनसंख्या	6851.85 (100.00)	62.20 (100.00)	8463.91 (100.00)	94.21 (100.00)	10286.11 (100.00)	138.50 (100.00)	12105.69 (100.00)	167.87 (100.00)

स्रोत : भारत की जनगणना, 1981, 1991, 2001 और 2011.

नोट : कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

- 1.3 विवरण 21.1 से पता चलता है कि 1981 में दिल्ली में कामधंधे में लगे लोगों का प्रतिशत 32.19 प्रतिशत था जो 1991 में घटकर 31.63 प्रतिशत और 2001 में मामूली बढ़कर 32.82 प्रतिशत और अब 2011 में बढ़ कर 33.28 प्रतिशत हो गया है। 1981-2011 के दौरान दिल्ली में रोजगार में लगे लोगों की संख्या में 5.96 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई जबकि बेरोजगारों की संख्या में 5.51 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर, जहां श्रमिकों की वृद्धि गैर-श्रमिकों से अधिक थी, और वार्षिक अंतराल 1.05 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली में, दोनों जगह रोजगार में लगे लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। चूंकि दिल्ली देश के पूर्ण शहरीकरण वाले राज्यों में से है,

इसलिए रोजगार में लगे लोगों और बेरोजगारों की वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर की दर से ज्यादा है। इसी अवधि में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में रोजगार में लगे और बेरोजगार लोगों का प्रतिशत योगदान भी बढ़ा। 1981-2011 के दौरान दिल्ली और भारत में रोजगार में लगे और बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि का और ब्यौरा *विवरण 21.2* में दिया गया है।

विवरण 21.2

भारत और दिल्ली में रोजगार में लगे और बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि 1981-2011

क्र. स.	विवरण	1981-91		1991-2001		1981-2001		2001-2011		1981-2011	
		भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	भारत	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली
1.	श्रमिक										
	क. पूर्ण वृद्धि (लाख)	695.26	9.78	882.30	15.65	1577.56	25.43	793.83	10.42	2372.8	35.85
	ख. वृद्धि (प्रतिशत)	28.42	48.85	28.09	53.82	64.49	127.02	16.47	18.65	97.0	179.0
2.	गैर-श्रमिक										
	क. पूर्ण वृद्धि (लाख)	916.80	22.23	939.90	28.64	1856.70	50.87	1025.75	18.95	2883.8	69.82
	ख. वृद्धि (प्रतिशत)	20.81	52.70	17.66	44.47	42.14	120.60	14.07	16.92	65.45	165.5
3.	कुल										
	क. पूर्ण वृद्धि (लाख)	1612.06	32.01	1822.20	44.29	3434.26	76.30	1819.58	29.37	7256.75	105.67
	ख. वृद्धि (प्रतिशत)	23.53	51.46	21.53	47.01	50.12	122.67	15.03	17.50	76.7	169.88

स्रोत : भारत की जनगणना 1981, 1991, 2001 और 2011

- 1.4 जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिक वे थे जो वर्ष के दौरान 183 दिनों (या 6 महीने) या ज्यादा के लिए आर्थिक दृष्टि से किसी उत्पादक गतिविधि में लगे हुए थे। सीमान्त श्रमिक वे थे जो वर्ष में 183 दिन (या छह महीने) से भी कम अवधि तक ही काम पाते थे। आमतौर पर श्रमिक वर्ग में मुख्य और सीमान्त, दोनों ही प्रकार के श्रमिक शामिल हैं। पिछली छह जनगणना के दौरान श्रमिकों (मुख्य और सीमान्त दोनों) गैर श्रमिकों और दिल्ली की जनसंख्या के आंकड़े *विवरण 21.3* में दिए गए हैं।

विवरण 21.3

दिल्ली में श्रमिक, गैर-श्रमिक और जनसंख्या : 1961-2011

(संख्या)

क्र. स.	वर्ष	श्रमिक			गैर-श्रमिक	कुल जनसंख्या
		मुख्य	सीमान्त	कुल		
1.	1961	लागू नहीं	लागू नहीं	854451 (32.14)	1804161 (67.86)	2658612
2.	1971	लागू नहीं	लागू नहीं	1228397 (30.21)	2837301 (69.79)	4065698
3.	1981	1986399 (31.94)	15793 (0.25)	2002192 (32.19)	4218214 (67.81)	6220406
4.	1991	2968377 (31.51)	12084 (0.13)	2980461 (31.64)	6440183 (68.36)	9420644
5.	2001	4317516 (31.17)	227718 (1.65)	4545234 (32.82)	9305273 (67.18)	13850507
6.	2011	5307329 (31.61)	279720 (1.67)	5587049 (33.28)	11200892 (66.72)	16787941

स्रोत : भारत की जनगणना, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011

नोट : कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

- 1.5 विवरण 21.3 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिल्ली की जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा ही बाकी दो तिहाई लोगों की भी देख-रेख करता है। इसे आमतौर पर श्रमिक वर्ग का निर्भरता बोझ कहा जाता है। उपरोक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि 1961 और 1971 की जनगणनाओं में मुख्य और सीमान्त श्रमिकों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और उन्हें केवल श्रमिकों के वर्गों में दिखाया गया है। पिछली जनगणना में दिल्ली में श्रमिकों की कुल संख्या का सर्वाधिक 5 प्रतिशत सीमांत श्रमिक के रूप में दर्शाए गए। 1961-2011 के दौरान दिल्ली में श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और जनसंख्या के आंकड़े चार्ट 21.1 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 21.1
दिल्ली में श्रमिक एवं गैर श्रमिक और जनसंख्या : 1961-2011



- 1.6 शहरीकृत क्षेत्रों में आमतौर पर पाया देखा गया है कि प्राथमिक कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोग का प्रतिशत बहुत ही कम है। दिल्ली में भी यही स्थिति दिखाई देती है जहां सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। 2011 में दिल्ली में श्रमिकों की श्रेणीवार जानकारी (मुख्य और सीमान्त दोनों प्रकार के श्रमिकों के बारे में) विवरण 21.4 में दी गई है।

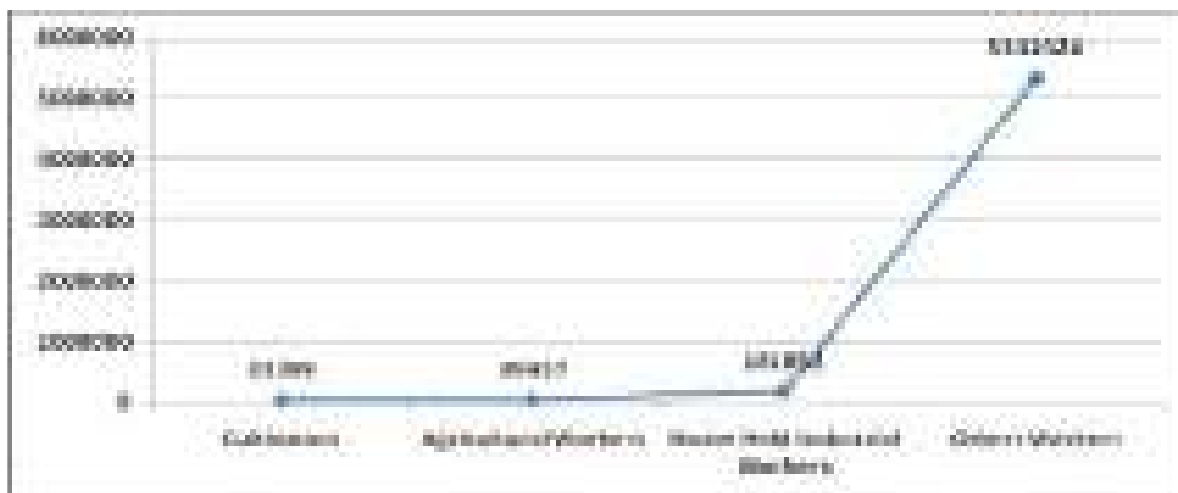
विवरण 21.4
दिल्ली में श्रमिकों की श्रेणीवार संख्या-2011

क्र. स.	श्रमिकों की श्रेणी	श्रमिक (संख्या)			कुल श्रमिकों का प्रतिशत
		पुरुष	महिला	कुल	
1.	कृषक	27458	5940	33398	0.60
2.	खेतिहर मजदूर	31352	8123	39457	0.71
3.	घरेलू औद्योगिक श्रमिक	152758	29094	181852	3.25
4.	अन्य श्रमिक	4550458	781866	5332324	95.44
5.	कुल श्रमिक	4762026	825023	5587049	100.00

स्रोत: दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक, 2016; जनगणना 2011

- 1.7 विवरण 21.4 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2011 में कुल श्रमिकों में से महिला श्रमिकों का प्रतिशत कम था, दिल्ली में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 15 प्रतिशत थी। दिल्ली के श्रमिकों में बड़ा हिस्सा अन्य श्रमिकों का था जिनमें औद्योगिक तथा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे श्रमिक शामिल थे, कुल श्रमिक संख्या में जिनकी भागीदारी 95 प्रतिशत थी। दिल्ली में श्रमिकों की श्रेणीवार जानकारी चार्ट 21.2 में दी गई है।

चार्ट 21.2
दिल्ली में श्रमिकों की श्रेणीवार संख्या-2011



2. दिल्ली में रोजगार सर्वेक्षण

- 2.1 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) अपने विभिन्न दौर के अध्ययनों के ज़रिये रोजगार में लगी और बेरोजगार, दोनों प्रकार की श्रमशक्ति के विशेष पहलुओं की जानकारी एकत्र करता है। एनएसएसओ के सर्वेक्षणों के विभिन्न दौर में दिल्ली के बारे में एकत्र जानकारी विवरण 21.5 में दर्शायी गई है।

विवरण 21.5
दिल्ली में रोजगार एनएसएसओ सर्वेक्षणों के दौर (लाख)

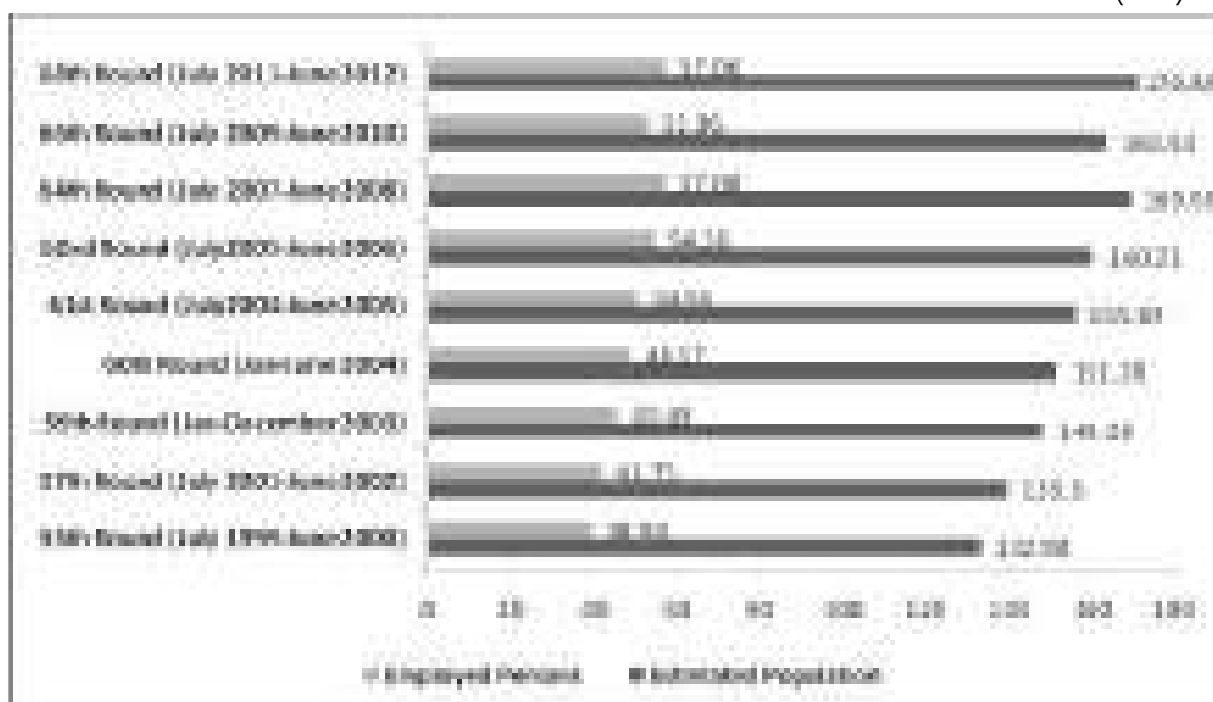
क्र.स.	एनएसएसओ के दौर	अनुमानित आबादी	नियोजित व्यक्ति	कुल अनुमानित आबादी में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत
1.	55वां दौर (जुलाई 1999—जून 2000)	132.98	38.94	29.28
2.	57वां दौर (जुलाई 2001—जून 2002)	139.50	41.75	29.93
3.	59वां दौर (जनवरी—दिसम्बर 2003)	148.28	45.49	30.68
4.	60वां दौर (जनवरी—जून 2004)	151.28	48.57	32.11
5.	61वां दौर (जुलाई 2004—जून 2005)	155.69	50.55	32.47
6.	62वां दौर (जुलाई 2005—जून 2006)	160.21	54.26	33.87
7.	64वां दौर (जुलाई 2007—जून 2008)	169.55	57.08	33.67
8.	66वां दौर (जुलाई 2009—जून 2010)	163.54	52.96	32.38
9.	68 वां दौर (जुलाई 2011—जून 2012)	170.89	57.06	33.39

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार

- 2.2 विवरण 21.5 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1999–2000 में 55वें दौर के सर्वेक्षण के वक्त जहां दिल्ली में रोजगार में लगे लोगों की अनुमानित संख्या 38.94 लाख थी, वहीं 2011–12 में 68वें दौर के सर्वेक्षण के समय यह बढ़कर 57.06 लाख हो गई। एनएसएसओ के 64वें और 66वें दौर के सर्वेक्षणों को छोड़कर अन्य सभी सर्वेक्षणों में दिल्ली की कुल जनसंख्या में रोजगार में लगे लोगों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है और यह अंतर क्रमशः 0.2 प्रतिशत और 1.29 प्रतिशत रहा है। एनएसएसओ सर्वेक्षणों के अनुसार दिल्ली में रोजगार संबंधी जानकारी चार्ट 21.3 में दर्शायी गई है।

चार्ट 21.3
दिल्ली में रोजगार की स्थिति- एनएसएसओ अनुमानों के अनुसार

(लाख)



2.3 आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण संगठन

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की सिफारिश पर पहला आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान किया गया था। सर्वेक्षण का उद्देश्य श्रम शक्ति भागीदारी में गतिशीलता और रोजगार की स्थिति का आकलन करना था। दूसरा आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरा कराया गया।

पहले आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के दौरान दिल्ली में श्रम शक्ति भागीदार दर, श्रमिक जनसंख्या दर और 2018–19 के दौरान रोजगार/बेरोगार दर के रूप में सर्वेक्षण के नतीजे नीचे विवरण 21.6 (क) में दिए गए हैं:

विवरण 21.6 (क)

दिल्ली में जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान अनुमानित क्षेत्रवार श्रम शक्ति भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या दर (सभी आयु वर्ग के लिए) प्रतिशत में

वर्ष	स्त्री/पुरुष	श्रम शक्ति भागीदारी दर			श्रमिक जनसंख्या दर		
		दिल्ली			दिल्ली		
		ग्रामीण	शहरी	सभी	ग्रामीण	शहरी	सभी
2018-19	पुरुष	41.6	57.6	56.8	41.4	51.3	50.8
	स्त्री	9.0	13.9	13.7	9.0	12.5	12.4
	सभी	26.7	38.1	37.5	26.6	34.0	33.6

विवरण 21.6 (ख)

दिल्ली में जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान रोजगार और बेरोजगार दरक्षेत्रवार श्रम शक्ति भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या दर (सभी आयु वर्ग के लिए) प्रतिशत में

क्र.	श्रेणी	विवरण	पुरुष	महिलाएं	सभी
1.	रोजगारशुदा	शहरी	89.1	90.1	89.2
		ग्रामीण	99.4	100	99.5
		सभी	89.4	90.4	89.6
2.	बेरोजगार	शहरी	10.9	9.9	10.8
		ग्रामीण	0.6	0.0	0.5
		सभी	10.6	9.6	10.4

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

ऊपर दिये गये विवरणों में यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान अनुमानित रोजगार दर 89.6 थी जिसमें से शहरी क्षेत्रों की दर 89.2 और ग्रामीण क्षेत्रों में 99.5 प्रतिशत थी। इससे साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि उक्त अवधि में दिल्ली में बेरोजगारी की दर 10.4 थी जिसमें शहरी क्षेत्रों में यह 10.8 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 थी। इसके अलावा दिल्ली में पुरुषों में रोजगार की दर 89.4 थी जबकि महिलाओं में यह 90.4 थी। इसी तरह दिल्ली में पुरुषों में बेरोजगारी की दर 10.6 थी जबकि महिलाओं में यह 9.6 थी।

3. दिल्ली में संगठित क्षेत्र में रोजगार

- 3.1 देश का राजधानी शहर होने के नाते, लगभग सभी सरकारी कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं। इस तरह सरकारी क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं। प्रत्याशी सभी उपलब्ध रोजगारों में से अपनी पसंद के प्रशासनिक, वित्तीय, प्रबंधन और कार्यपालक स्तर के व्यवसायों का चयन करते हैं। इन व्यवसायों में अत्यंत आकर्षक पारिश्रमिक भी दिया जाता है।

- 3.2 दिल्ली में निजी क्षेत्र ने भी वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तरह अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र में बढ़ते अवसरों ने उम्मीदवारों को तरक्की, प्रतिष्ठा और उभरती हुई संभावनाओं को लेकर जोश जगाया है। दिल्ली में लगभग सभी प्रमुख उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, औषधि निर्माण, मीडिया, मनोरंजन, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, सेवा संबंधी विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियों आदि से सम्बद्ध हैं। बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने दिल्ली में अपने प्रचालन सक्षमतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यालय/केंद्र स्थापित किये हैं। दिल्ली में पिछले एक दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार के बारे में सूचना विवरण 21.7 में दी गई है।

विवरण 21.7
दिल्ली में संगठित क्षेत्र में रोजगार

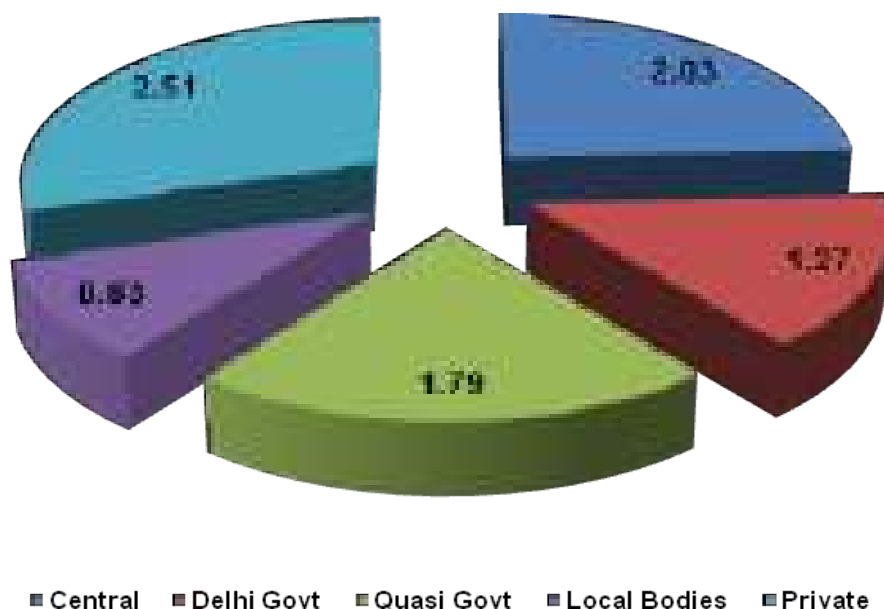
(लाख में)

क्र सं	वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र					निजी क्षेत्र	कुल
		केंद्रीय	दिल्ली सरकार	अर्द्ध सरकारी	स्थानीय निकाय	उप-जोड़		
1.	2006-07	2.02	1.21	1.85	0.93	6.01	2.30	8.31
2.	2007-08	2.04	1.24	1.79	0.93	6.00	2.36	8.36
3.	2008-09	2.03	1.27	1.79	0.83	5.92	2.51	8.43
4.	2010-11	2.03	1.26	1.81	0.83	5.93	2.46	8.39
5.	2011-12	2.02	1.31	1.60	0.82	5.75	1.91	7.66
6.	2012-13	1.96	1.30	1.31	0.82	5.39	2.31	7.70
7.	2013-14	2.02	1.31	1.46	0.83	5.62	2.85	8.47
8.	2014-15	2.02	1.31	1.59	0.82	5.74	1.99	7.73
9.	2015-16	1.85	1.31	1.60	0.82	5.58	1.99	7.57
10.	2016-17	1.85	1.31	1.60	0.82	5.58	1.96	7.54

स्रोत : रोजगार निदेशालय, रा.रा.राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

- 3.3 विवरण 21.7 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिल्ली में पिछले दशक के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार में 0.3 प्रतिशत सालाना की गिरावट का रुझान देखा गया। इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के रोजगार में सालाना 1.53 प्रतिशत की ऋणात्मक बढ़ोतरी दिखाई देती है। सार्वजनिक क्षेत्र, विशेष रूप से केंद्र सरकार, अर्द्ध सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों में भी रोजगार के अवसरों में गिरावट का रुझान देखा गया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत रोजगार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी और यह 2006-07 में 1.21 लाख से बढ़कर 2016-17 में 1.31 लाख हो गयी। यानी इसमें 7.63 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। दिल्ली में 2016-17 के दौरान संगठित क्षेत्र के बारे में जानकारी चार्ट 21.4 में दर्शायी गई है।

चार्ट 21.4
दिल्ली में 2016-17 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार
(लाख)



4. दिल्ली में बेरोजगारी की स्थिति

- 4.1 आमतौर पर उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है जो काम करने के लिए सक्षम और तैयार हो लेकिन जिसे उपयुक्त काम न मिल पाए। बेरोजगारी की दर का आकलन बेरोजगार श्रमिकों की संख्या को बेरोजगार और रोजगारशुदा, दोनों की तरह के श्रमिकों की कुल संख्या (यानी काम करने के इच्छुक और पारिश्रमिक के लिए काम करने में सक्षम) से भाग देकर किया जाता है।
- रोज या बेरोजगारी दर का अर्थ होता है श्रम शक्ति के प्रति 1000 व्यक्तियों में से बेरोजगार लोगों की संख्या से भी लगाया जाता। व्यवहार में काम खोजने वाले बेरोजगार लोगों की असल संख्या जान लेना वाकई बहुत कठिन कार्य है। बेरोजगार श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के कई अलग-अलग तरीके हैं। हर तरीके की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं हैं और विभिन्न देशों की अलग-अलग प्रणालियों की वजह से उनके बीच बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों की तुलना करना बड़ा कठिन हो जाता है।
- 4.2 2009-2017 के दौरान सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के बारे में शैक्षिक आधार पर वर्गीकृत जानकारी विवरण 21.8 में दी गई है

विवरण 21.8

दिल्ली में 2009-17 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का शैक्षिक आधार पर वर्गीकरण

(31 दिसम्बर को)

क्र सं	शिक्षा	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	मैट्रिक से कम	51575	73259	91925	106362	128040	137158	147049	144774	149200
2.	ट्रिक, हायर सेकेंडरी	297757	296047	389742	467479	495423	616019	656088	686859	703041
3.	स्नातक	50391	86394	113248	138683	158728	180021	195450	209762	236816
4.	स्नातकोत्तर	6050	14323	19249	24491	28167	31839	34033	36403	42242
5.	डिप्लोमा धारक	8766	23361	29139	37554	44934	52532	56576	60098	66588
6.	कुल	414539	493384	643303	774569	855292	1017569	1083896	1137896	1197887

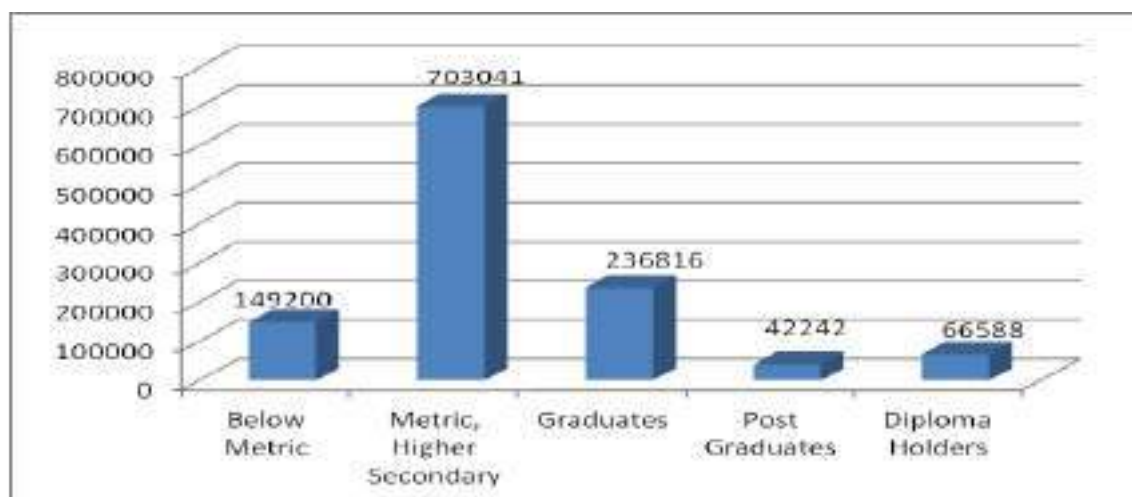
स्रोत:—दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैडबुक

नोट: डिप्लोमा प्राप्त लोगों को पहले ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तहत कवर किया जा चुका है, इसलिए उन्हें कुल जोड़ में शामिल नहीं किया गया है।

- 4.3 उक्त विवरण से पता चलता है कि वर्ष 2017 में दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों में से 29 प्रतिशत की शैक्षिक योग्यता स्नातक या उससे अधिक थी। दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों में 71 प्रतिशत से अधिक की शैक्षिक योग्यता मैट्रिक या हायर सैकेंड्री स्तर की थी। वर्ष 2017 की इस जानकारी को चार्ट 21.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 21.5

दिल्ली में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का शैक्षिक आधार पर वर्गीकरण: 2017



- 4.4 2007-17 की अवधि में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों के व्यावसायिक आधार पर वितरण के बारे में जानकारी विवरण 21.9 में दी गई है।

विवरण 21.9

**2007-2017 के दौरान दिल्ली के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों का
व्यवसायिक आधार पर वर्गीकरण**

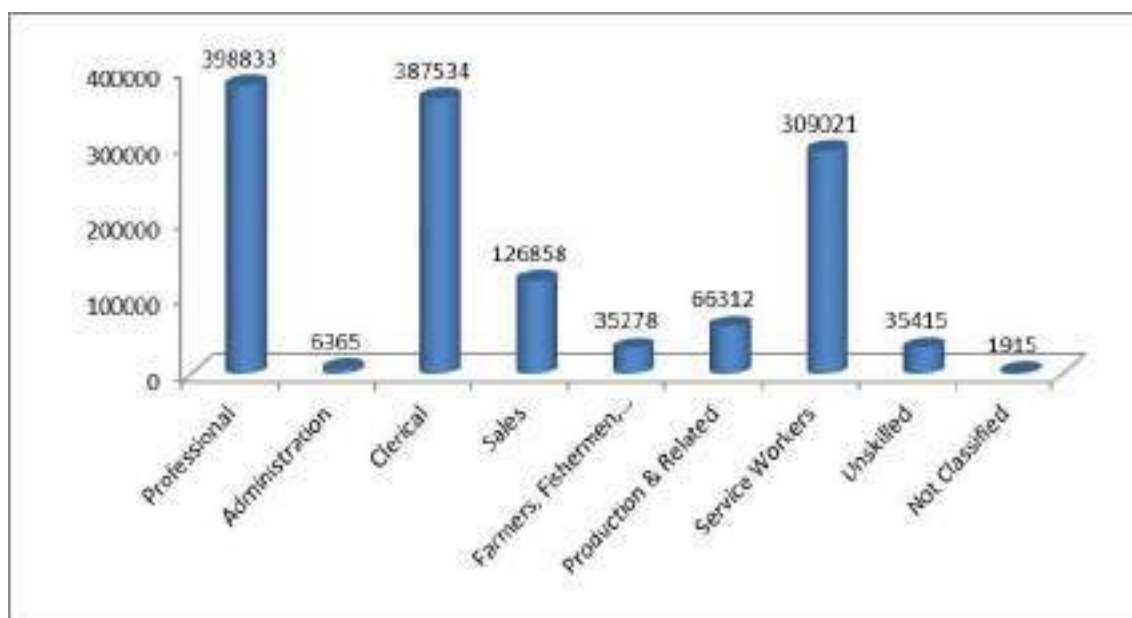
(31 दिसम्बर को)

क्रम सं.	व्यवसाय	वर्ष										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	व्यावसायिक	83940	97246	54203	98567	165666	226292	276427	329233	360697	379683	398833
2.	प्रशासनिक	873	753	1117	1453	1897	2656	3429	4148	5008	5645	6365
3.	लिपिकीय	14775	16034	6669	49535	104390	171616	231735	296164	338049	363509	387534
4.	सेल्स या बिक्री	75	37	-	16933	29651	57247	87043	104047	119048	122604	126858
5.	किसान, मछुवारे, शिकारी आदि।	1182	2503	4480	6346	11963	14070	26758	30104	31692	33472	35278
6.	उत्पादन और सम्बद्ध व्यवसायी	31489	38401	13532	21428	30892	38389	44895	51061	56165	62263	66312
7.	सेवा कार्मिक	5542	5533	44929	64253	124008	169545	214020	251841	277283	294062	309021
8.	अकुशल श्रमिक	58341	58695	13693	17939	21536	24450	26782	29049	32033	34258	35415
9.	अवर्गीकृत	255278	287717	275906	216930	153300	70304	1691	1809	1834	1868	1915
	कुल	451495	506919	414539	493384	643303	774569	912780	1097456	1221809	1297364	1367531

स्रोत : दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैण्डबुक, 2017

- 4.5 विवरण 21.9 से यह निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या 2007 की 4.51 लाख से बढ़कर 2017 में 13.67 लाख हो गई। दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में 2017 में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों का व्यावसायिक आधार पर वर्गीकरण चार्ट 21.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 21.6
2017 में दिल्ली के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत
बेरोजगार लोगों का व्यवसायवार वर्गीकरण



- 4.6 2001–2011 के दौरान राज्यवार जनसंख्या, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों का प्रतिशत और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि तथा 1999–2012 के दौरान श्रमिकों और गैर श्रमिकों के आधार पर दिल्ली की जनसंख्या का विभाजन तथा दिल्ली में बेरोजगारी के बारे में जानकारी क्रमशः तालिका 21.1, 21.2, और 21.3 में दर्शायी गई है।

तालिकाएं

तालिका 1.1
दिल्ली एक नज़र में

क्र.स.	मद	इकाई	संख्या
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी.	1483
2	ग्रामीण क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	369.35
3	शहरी क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	1113.65
क	प्रशासनिक व्यवस्था		
4	राजस्व जिले	संख्या .	11
5	ग्रामीण गांव	संख्या	112
6	शहरी गांव	संख्या	135
ख	जनगणना 2011 के अनुसार आबादी		
7	कुल आबादी	(लाख में)	167.88
8	पुरुष	(लाख में)	89.87
9	महिलाएं	(लाख में)	78.01
10	ग्रामीण	(लाख में)	4.19
11	शहरी	(लाख में)	163.69
12	शहरी अनुसूचित जाति	(लाख में)	28.12
13	शहरी जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी.	11320
14	शहरी साक्षरता की दर	%	86.2
15	लिंग अनुपात	प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां	868
16	शहरी आबादी	%	97.51

तालिका 1.1 (क)
दिल्ली एक नज़र में

क्र.स.	मद	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ग	राज्य की आय									
17	प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी	₹ करोड़	443960	494803	550804	616085	677900	750962	830872	798310
18	प्राथमिक क्षेत्र (जीएसवीए)	₹ करोड़	12741	12115	9987	9009	9776	13484	17023	13116
19	प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत	%	3.29	2.79	2.09	1.70	1.67	2.06	2.31	1.85
20	माध्यमिक क्षेत्र (जीएसवीए)	₹ करोड़	54262	53247	65194	71616	80987	91228	100692	96083
21	माध्यमिक क्षेत्र की प्रतिशत	%	14.07	12.26	13.62	13.48	13.80	13.87	13.67	13.56
22	तृतीयक क्षेत्र (जीएसवीए)	₹ करोड़	318927	368879	403600	450551	496137	552758	619002	599626
23	तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत	%	82.64	84.95	84.29	84.82	84.53	84.07	84.02	84.59
24	प्रतिव्यक्ति आय	₹	227900	247209	270261	295558	318323	344350	376221	354004
घ	वन									
25	वन क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	179.81	179.81	188.77	188.77	192.41	192.41	195.44	195.44
26	वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	297.81	297.81	299.77	299.77	305.41	305.41	324.44	324.44
ङ	विद्युत									
27	कुल वितरण	मि.यू.	23781	24477	24037	26865	26830	29568	30266	उपलब्ध नहीं है
28	औद्योगिक वितरण	मि.यू.	3064	3068	3135	3088	3243	4271	3597	
29	वाणिज्यिक वितरण	मि.यू.	6786	6814	6053	7257	6550	6942	7606	
30	घरेलू वितरण	मि.यू.	11609	12386	12560	14060	14627	15541	16253	
31	अन्य वितरण	मि.यू.	2322	2209	2289	2460	2410	2814	2810	
32	व्यस्तता के समय मांग	मेगावाट	5653	5925	5846	6261	6526	7016	7409	
च	शिक्षा									
33	प्राथमिक +मिडल स्कूल	संख्या	3437	3739	3719	3668	3650	3590	3549	उपलब्ध नहीं है
34	दाखिले	हजार में	3138	3199	3222	3210	3185	3202	3247	
35	माध्यमिक +वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2016	2059	2077	2104	2110	2136	2142	
36	दाखिले	हजार में	1247	1214	1208	1233	1209	1217	1229	
छ	परिवहन									
37	मार्ग लंबाई-दिल्ली मेट्रो	कि.मी.	167.33	170.56	189.75	194.84	228.78	320.97	347.97	347.97
38	मोटर वाहन	लाख में	82.95	88.27	97.05	103.83	109.86	113.91	118.93	N.A.
ज	सहकारी समितियां									
39	सहकारी समितियों की कुल संख्या	No's	5541	5549	5589	5648	5731	5794	5870	उपलब्ध नहीं है
40	कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या	No's	3879	3887	3927	3986	4069	4132	4208	
41	सदस्यता	000s	1397	1397.5	1400	1403	1408	1411	1416	

क्र.स.	मद	इकाई	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
झ	जन सांख्यिकीय स्थिति								
42	जन्म दर	000s	20.94	20.71	20.30	20.16	19.13	18.55	18.35
43	मृत्यु दर	000s	5.50	6.72	6.76	7.53	7.10	7.44	7.29
44	शिशु मृत्यु दर	प्रति 1000 जीवित जन्मों पर	22	22	23	21.35	20.83	23.81	24.12
ञ	स्वास्थ्य								
45	अस्पताल	संख्या	95	95	94	83	88	88	88
46	औषधालय	संख्या	1451	1389	1507	1240	1298	1432	1574
47	प्रति 1000 आबादी पर बिस्तर	संख्या	2.47	2.68	2.73	2.86	2.99	2.96	2.74
ट	फैक्टरियां								
48	कार्यरत फैक्टरियां	संख्या	8821	8968	8954	8968	9059	9121	8622
49	कर्मचारी	संख्या	403270	416927	415278	416833	420156	419578	403517

तालिका 1.2

दिल्ली की अखिल भारत के साथ तुलना

क्र.स.	मद	इकाई	दिल्ली	भारत
	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या			
1	कुल लाख में	लाख में	167.88	12101.93
2	पुरुष	लाख में	89.87	6237.24
3	महिलाएं	लाख में	78.01	5864.69
4	ग्रामीण आबादी	लाख में	4.19	8330.88
5	ग्रामीण आबादी का प्रतिशत	%	2.5	68.84
6	शहरी आबादी	लाख में	163.69	3771.06
7	शहरी आबादी का प्रतिशत	%	97.5	31.16
8	लिंग अनुपात	प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां	868	940
9	2001-2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि	%	21.2	17.64
10	साक्षरता की दर	%	86.2	74.04
11	अजा/अजजा आबादी (2011 की जनगणना के अनुपात में)	लाख में	28.123	3057
12	प्रचलित मूल्यों पर राज्य/राष्ट्रीय आय			
13	सकल आय (2019-20)	₹ करोड	798310	19586161
14	निवल आय (2019-20)	₹ करोड	722663	17502282
15	प्रति व्यक्ति निवल आय (2019-20)	₹	354004	127768
16	वृद्धि दर	%		
	2012-13		6.64	5.5
	2013-14		7.17	6.4
	2014-15		9.02	7.4
	2015-16		11.03	8.0
	2016-17		7.60	8.3
	2017-18		5.91	6.8
	2018-19		5.74	6.5
	2019-20		7.10	4.0
	2020-21		-5.68	-8.0

तालिका : 2.1
आर्थिक गतिविधि-वार जीएसवीए और जीएसडीपी-प्रचलित मूल्यों पर

(₹ लाख)

क्र. स	उद्योग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (3 rd सं.अ.)	2018-19 (2 nd सं.अ.)	2019-20 (1 st सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	285663	258282	258609	247752	243293	250202	286679	305559	311266	270005
1.1	फसलें	65965	72784	73747	51366	51384	52738	54670	55598	60302	59617
1.2	पशुधन	217865	183667	182965	194500	190015	195488	229972	247959	248841	208376
1.3	वानिकी एवं काश्तकारी	1007	991	950	907	864	837	764	725	653	599
1.4	मछली उद्योग	826	840	947	978	1030	1139	1273	1277	1471	1414
2.	खनन और उत्खनन	772879	746562	1015528	963777	755418	650679	690930	1042861	1391068	1041594
	प्राथमिक क्षेत्र	1058542	1004844	1274136	1211529	998711	900882	977609	1348420	1702334	1311599
3.	विनिर्माण	1890728	2334979	2533769	2338536	3119470	3011670	3068031	3335761	3503401	3236374
4.	विद्युत गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	410629	728253	909505	999595	1318089	1680062	2147575	2429627	2731016	2973899
5.	निर्माण	1666852	1786576	1982965	1986540	2081873	2469835	2883074	3357367	3834760	3398048
	माध्यमिक क्षेत्र	3968208	4849808	5426239	5324672	6519432	7161566	8098680	9122754	10069177	9608321
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	4212068	4905111	5653195	5823342	6496448	6958017	7812044	8678827	9574605	7926348
6.1	व्यापार और मरम्मत सेवाएं	3806351	4458194	5170922	5316145	5941457	6318311	7101562	7896860	8701011	7121412
6.2	होटल एवं रेस्तरां	405718	446917	482273	507197	554990	639706	710482	781967	873594	804937
7.	परिवहन भंडारण और संचार	3928648	4532460	4996587	6517339	6881751	7461384	7737408	7800102	8871977	7220928
7.1	रेलवे	189925	206326	257746	295736	310201	432056	447473	480317	508832	415716
7.2	सड़क परिवहन	664297	718643	713493	717790	843967	923359	1057504	1153619	1345780	1099503
7.3	जल परिवहन	546	597	541	574	687	702	865	848	952	778
7.4	हवाई यातायात	98961	178752	146607	245567	440079	484216	481009	342241	528804	147098
7.5	परिवहन के लिए अनुषंगी सेवाएं	2368549	2748291	3059301	4318758	4261868	4587383	4731703	4707312	5277750	4311922
7.6	भंडारण	21247	24271	27667	27712	29396	25521	25397	26750	28143	28588
7.7	प्रसारण संबंधी संचार और सेवाएं	585124	655579	791232	911202	995553	1008147	993456	1089015	1181716	1217324
8.	वित्तीय सेवाएं	5388295	5992774	6449101	6981581	7292183	7761491	8183766	9294701	9982036	10121785
9.	रियल एस्टेट, रिहायशी इकाइयों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	7248036	8242110	9618429	11642799	13078145	15250313	16980815	19425314	21898539	22445682
10.	लोक प्रशासन	1956780	1802578	1876396	2045614	2351129	2625665	3319549	3501749	4010040	4234431
11.	अन्य सेवाएं	2562671	2929069	3299008	3877234	4260356	4998221	5580100	6575110	7563007	8013462
	तृतीयक	25296499	28404102	31892716	36887909	40360012	45055091	49613682	55275804	61900204	59962635
	बुनियादी मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य संचित	30323249	34258754	38593091	43424110	47878154	53117539	58689972	65746978	73671715	70882555
	उत्पाद कर	4442090	5380588	6308016	6467335	7794019	9143997	9713289	9947212	10323593	9832209
	उत्पाद सब्सिडी	385589	500578	505118	411143	591803	653030	613257	598029	908059	883783
	बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34379750	39138764	44395989	49480302	55080370	61608506	67790004	75096161	83087249	79830981
	जनसंख्या (संख्या '00 में)	170080	173860	177640	181420	185200	188980	192770	196560	200350	204140
	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	202139	225117	249921	272739	297410	326005	351663	382052	414711	391060

नोट : स.अ. — संशोधित अनुमान, अ.अ. :- अग्रिम अनुमान,

#: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राउंडिंग आफ के कारण योग नहीं भी मिल सकते हैं।

तालिका 2.2
आर्थिक गतिविधिवार एनएसवीए और एनएसडीपी (प्रचलित मूल्यों पर)

(₹ लाख में)

क्र. स	उद्योग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (3 rd सं.अ.)	2018-19 (2 nd सं.अ.)	2019-20 (1 st सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	279933	252392	251979	240408	235729	242158	277911	296087	301089	259123
1.1	फसलें	62741	69039	69272	46291	45877	46738	48210	48617	52800	51594
1.2	पशुधन	215467	181627	180921	192397	188117	193677	227877	245684	246386	205741
1.3	वानिकी एवं काश्तकारी	996	980	939	833	797	697	645	593	508	441
1.4	मछली उद्योग	729	746	847	886	938	1046	1180	1193	1396	1348
2.	खनन और उत्खनन	679588	655963	869632	818162	632047	546394	583959	882925	1266538	918916
	प्राथमिक क्षेत्र	959521	908355	1121610	1058570	867776	788553	861870	1179012	1567627	1178039
3.	विनिर्माण	1591119	2008472	2205990	1986198	2781576	2676152	2710601	2947320	3124231	2866475
4.	विद्युत गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	261375	468099	590568	645547	883566	1091226	1484847	1665254	1903220	2082679
5.	निर्माण	1588185	1692371	1862414	1869749	1958130	2318378	2745368	3194201	3672275	3236244
	माध्यमिक क्षेत्र	3440678	4168942	4658972	4501495	5623272	6085756	6940816	7806775	8699726	8185398
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	3927832	4559580	5244633	5361930	5974798	6368963	7106888	7858995	8727971	7220331
6.1	व्यापार और मरम्मत सेवाएं	3554473	4148003	4799955	4894980	5477518	5793411	6452054	7138168	7914485	6478820
6.2	होटल एवं रेस्तरां	373360	411577	444678	466950	497279	575551	654834	720827	813486	741511
7.	परिवहन भंडारण और संचार	3410354	3868858	4226076	5619527	5940776	6407705	6577129	6492868	7499579	5937415
7.1	रेलवे	167350	179321	216759	248553	262940	382135	386316	409509	431076	329211
7.2	सड़क परिवहन	621827	674917	671321	675227	784936	851645	981767	1068522	1257777	1004791
7.3	जल परिवहन	354	357	301	363	417	486	614	625	758	612
7.4	हवाई यातायात	26337	100553	71624	164024	362689	407998	404010	265177	451990	70451
7.5	परिवहन के लिए अनुषंगी सेवाएं	2099967	2353730	2646588	3807144	3730451	3987633	4082885	3997585	4523396	3695615
7.6	भंडारण	18189	21015	23402	23236	24685	21439	21362	22301	23588	23721
7.7	प्रसारण संबंधी संचार और सेवाएं	476331	538964	596081	700980	774658	756369	700175	729148	810994	813015
8.	वित्तीय सेवाएं	5303210	5886620	6341724	6852921	7143093	7590562	7996344	9075274	9751859	9872244
9.	रियल एस्टेट, रिहायशी इकाइयों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	6659468	7525305	8743473	10360384	11511523	13397767	14995560	17094967	19364687	19876357
10.	लोक प्रशासन	1511908	1403336	1471122	1620121	1888018	2128483	2818834	2948580	3464330	3696180
11.	अन्य सेवाएं	2195529	2539005	2873593	3417525	3900894	4595804	4965668	5879873	6884604	7351893
	तृतीयक	23008302	25782704	28900621	33232408	36359102	40489284	44460422	49350556	55693030	53954420
	बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य संचयित	27408501	30860001	34681203	38792473	42850149	47363593	52263108	58336343	65960383	63317857
	उत्पाद कर	4442090	5380588	6308016	6467335	7794019	9143997	9713289	9947212	10323593	9832209
	उत्पाद सस्तिडी	385589	500578	505118	411143	591803	653030	613257	598029	908059	883783
	बाजार मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	31465002	35740011	40484101	44848665	50052365	55854560	61363140	67685526	75375917	72266283
	जनसंख्या (संख्या '00 में)	170080	173860	177640	181420	185200	188980	192770	196560	200350	204140
	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (₹ में)	185001	205568	227900	247209	270261	295558	318323	344350	376221	354004

नोट : स.अ. — संशोधित अनुमान, अ.अ. :- अग्रिम अनुमान,

#: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राउंडिंग आफ के कारण योग नहीं भी मिल सकते हैं।

तालिका 2.3
आर्थिक गतिविधिवार जीएसवीए और जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर)

(₹ लाख में)

क्र. स	उद्योग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (3 rd सं.अ.)	2018-19 (2 nd सं.अ.)	2019-20 (1 st सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	285663	223585	208519	181518	166190	171205	182471	194402	192377	160743
1.1	फसलें	65965	60904	55187	27752	21598	21776	19899	19925	20660	21562
1.2	पशुधन	217865	161036	151777	152233	143096	147975	161105	173077	170278	137767
1.3	वानिकी एवं काश्तकारी	1007	874	796	779	704	628	572	523	478	437
1.4	मछली उद्योग	826	771	760	753	793	826	895	876	961	977
2.	खनन और उत्खनन	772879	682516	853635	931402	987245	889967	944463	1127628	1629372	1577470
	प्राथमिक क्षेत्र	1058542	906101	1062154	1112920	1153436	1061173	1126934	1322030	1821748	1738213
3.	विनिर्माण	1890728	2203494	2293900	2059873	2805646	2687146	2699746	2850671	3012723	2790138
4.	विद्युत गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	410629	676885	805799	847377	1081183	1293893	1577937	1732238	1878154	1985209
5.	निर्माण	1666852	1631484	1680535	1608184	1623918	1833738	2040987	2308299	2556356	2200814
	माध्यमिक क्षेत्र	3968208	4511864	4780234	4515435	5510747	5814777	6318670	6891208	7447233	6976161
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	4212068	4589077	5028156	5120383	5931558	6245682	6820834	7284676	7919418	6549016
6.1	व्यापार और मरम्मत सेवाएं	3806351	4170957	4599100	4674138	5424481	5670979	6199605	6626719	7194472	5881373
6.2	होटल एवं रेस्तरां	405718	418120	429056	446245	507077	574703	621229	657957	724946	667643
7.	परिवहन भंडारण और संचार	3928648	4319489	4603614	6083862	6609819	6727079	6801592	6436928	6897478	5096991
7.1	रेलवे	189925	197386	241272	258189	263921	332426	337324	355284	351974	276652
7.2	सड़क परिवहन	664297	685228	658151	674288	818177	842530	940529	960904	1054511	778962
7.3	जल परिवहन	546	569	499	539	666	640	770	706	746	551
7.4	हवाई यातायात	98961	170441	135235	230684	426631	441828	427803	285069	414354	104214
7.5	परिवहन के लिए अनुषंगी सेवाएं	2368549	2620504	2822007	4057020	4131633	4185811	4208309	3920945	4135476	3054856
7.6	भंडारण	21247	22705	24598	24344	26810	22871	22107	22332	23109	23417
7.7	प्रसारण संबंधी संचार और सेवाएं	585124	622656	721851	838798	941981	900972	864750	891688	917308	858339
8.	वित्तीय सेवाएं	5388295	5914328	6218539	6621044	6758425	7200558	7047155	7424840	7535100	8090390
9.	रियल एस्टेट, रिहायशी इकाइयों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	7248036	7515151	8027468	9229795	9883994	10949303	11640513	12976870	14103580	14021348
10.	लोक प्रशासन	1956780	1662494	1604411	1665411	1844708	1978354	2377291	2439084	2697673	2781800
11.	अन्य सेवाएं	2562671	2674740	2837901	3235928	3399058	3822056	4200305	4735414	5159380	5343495
	तृतीयक	25296499	26675279	28320089	31956422	34427562	36923031	38887689	41297813	44312628	41883040
	बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित	30323249	32093243	34162477	37584777	41091745	43798981	46333293	49511050	53581610	50597414
	उत्पाद कर	4442090	4998368	5527879	5564295	6861981	7782894	8259842	8182354	8335494	7957290
	उत्पाद सब्सिडी	385589	428775	399518	313556	391476	405351	391633	379916	532834	657641
	बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34379750	36662837	39290838	42835515	47562250	51176524	54201502	57313488	61384270	57897063
	जनसंख्या (संख्या '00 में)	170080	173860	177640	181420	185200	188980	192770	196560	200350	204140
	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	202139	210876	221182	236112	256816	270804	281172	291583	306385	283614

नोट : स.अ. — संशोधित अनुमान, अ.अ. :- अग्रिम अनुमान,

#: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राउंडिंग आफ के कारण योग नहीं भी मिल सकते हैं।

तालिका 2.4
आर्थिक गतिविधिवार एनएसवीए और एनएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर)

(₹ लाख में)

क्र. स	उद्योग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (3 rd सं.अ.)	2018-19 (2 nd सं.अ.)	2019-20 (1 st सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	279933	218119	202766	175410	160029	164867	175776	187438	185144	153242
1.1	फसलें	62741	57427	51344	23598	17277	17229	15112	14898	15394	16057
1.2	पशुधन	215467	159146	149965	150423	141395	146388	159378	171315	168480	135935
1.3	वानिकी एवं काश्तकारी	996	864	786	716	645	507	475	422	372	326
1.4	मछली उद्योग	729	682	672	672	712	743	812	803	897	923
2.	खनन और उत्खनन	679588	596258	720020	806003	883997	804109	858620	1003326	1492261	1455006
	प्राथमिक क्षेत्र	959521	814377	922786	981413	1044026	968976	1034397	1190764	1677405	1608248
3.	विनिर्माण	1591119	1892053	1992032	1744814	2500209	2385360	2389423	2527341	2695108	2478237
4.	विद्युत गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	261375	426142	506645	530891	691945	766295	998437	1085223	1174033	1223982
5.	निर्माण	1588185	1541608	1567100	1499867	1508531	1689236	1910245	2157956	2398335	2062703
	माध्यमिक क्षेत्र	3440678	3859804	4065777	3775573	4700685	4840891	5298104	5770520	6267475	5764922
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	3927832	4263509	4656243	4715301	5464941	5723839	6222566	6621251	7211485	5992581
6.1	व्यापार और मरम्मत सेवाएं	3554473	3878864	4261668	4304425	5009427	5205836	5648385	6012439	6537780	5365213
6.2	होटल एवं रेस्तरां	373360	384645	394575	410876	455514	518003	574181	608812	673705	627368
7.	परिवहन भंडारण और संचार	3410354	3681356	3874209	5287848	5783592	5807573	5811961	5359422	5748985	4145613
7.1	रेलवे	167350	172061	203864	217151	222794	289581	286528	298891	293420	215937
7.2	सड़क परिवहन	621827	643374	619126	634649	763110	776771	872728	886007	975888	696613
7.3	जल परिवहन	354	338	276	343	414	443	544	510	580	414
7.4	हवाई यातायात	26337	95334	65566	154547	355115	372519	359587	218321	349073	40401
7.5	परिवहन के लिए अनुषंगी सेवाएं	2099967	2241848	2433432	3604857	3664713	3662989	3656972	3339751	3525320	2575273
7.6	भंडारण	18189	19635	20723	20439	22623	19265	18725	18817	19463	19639
7.7	प्रसारण संबंधी संचार और सेवाएं	476331	508766	531221	655862	754823	686006	616876	597124	585242	597335
8.	वित्तीय सेवाएं	5303210	5811414	6116374	6506996	6628969	7051013	6887399	7245061	7341839	7885933
9.	रियल एस्टेट, रिहायशी इकाइयों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	6659468	6837259	7218182	8133072	8575765	9394700	10024122	11163082	12182800	12115934
10.	लोक प्रशासन	1511908	1278842	1226414	1280577	1423021	1526694	1935488	1968741	2224387	2306660
11.	अन्य सेवाएं	2195529	2303176	2444405	2832357	3081454	3468008	3680870	4174436	4573260	4732233
	तृतीयक	23008302	24175556	25535827	28756150	30957742	32971828	34562405	36531993	39282756	37178952
	बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य संवर्धित	27408501	28849736	30524390	33513136	36702454	38781695	40894906	43493277	47227637	44552122
	उत्पाद कर	4442090	4998368	5527879	5564295	6861981	7782894	8259842	8182354	8335494	7957290
	उत्पाद सब्सिडी	385589	428775	399518	313556	391476	405351	391633	379916	532834	657641
	बाजार मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	31465002	33419330	35652751	38763874	43172959	46159238	48763115	51295715	55030297	51851772
	जनसंख्या (संख्या '00 में)	170080	173860	177640	181420	185200	188980	192770	196560	200350	204140
	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (₹ में)	185001	192220	200702	213669	233115	244255	252960	260967	274671	254001

नोट : स.अ. – संशोधित अनुमान, अ.अ. :- अग्रिम अनुमान,

#: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राउंडिंग आफ के कारण योग नहीं भी मिल सकते हैं।

तालिका 3.1

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	क्षेत्र	11वीं पंचवर्षीय योजना		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		व्यय	%	व्यय	%	व्यय	%	व्यय	%	व्यय	%	व्यय	%
1	सामान्य शिक्षा	3643.00	6.81	556.56	6.36	585.85	6.09	644.69	5.84	801.84	7.64	1028.21	7.57
2	तकनीकी शिक्षा	654.50	1.22	93.76	1.07	117.26	1.22	99.69	0.90	170.08	1.62	173.70	1.28
3	खेल और युवा सेवाएं	755.57	1.41	78.42	0.90	209.10	2.17	275.96	2.50	146.44	1.40	44.94	0.33
4	कला एवं संस्कृति	139.71	0.26	16.92	0.19	21.17	0.22	27.58	0.25	33.60	0.32	40.44	0.30
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6194.25	11.58	861.66	9.85	1076.38	11.19	1130.89	10.24	1473.44	14.05	1651.87	12.17
6	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	7620.88	14.25	1345.97	15.39	1456.90	15.15	1648.90	14.92	1608.07	15.33	1561.04	11.50
7	आवास	1442.48	2.70	191.95	2.19	82.61	0.86	185.27	1.68	189.84	1.81	792.82	5.84
8	शहरी विकास	6478.00	12.11	1342.33	15.35	1409.45	14.65	1336.48	12.10	853.30	8.13	1536.43	11.32
9	अजा/अजजा/अपिव /अल्पसंख्यक कल्याण	445.78	0.83	50.06	0.57	49.22	0.51	41.72	0.38	71.12	0.68	202.77	1.49
10	श्रम एवं रोजगार	76.48	0.14	19.11	0.22	16.07	0.17	14.12	0.13	12.89	0.12	14.29	0.11
11	समाज कल्याण	1755.69	3.28	165.01	1.89	426.02	4.43	346.14	3.13	448.12	4.27	526.20	3.88
12	महिला एवं बाल विकास	817.35	1.53	*	-	*		176.63	1.60	223.04	2.13	262.58	1.93
13	पोषण	585.52	1.09	60.70	0.69	77.93	0.81	98.09	0.89	153.24	1.46	191.00	1.41
14	नागरिक आपूर्ति	7.40	0.01	3.14	0.04	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल (सामाजिक सेवाएं)	30616.61	57.25	4785.59	54.72	5527.95	57.47	6026.16	54.54	6184.89	58.96	8026.29	59.12
	कुल व्यय	53478.86	-	8745.32	-	9619.32	-	11048.14	-	10490.81	-	13575.27	-

* नवम्बर 2008 से 2 विभागों यानी महिला और बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण के अंतर्गत विभाजित किया गया।

तालिका 3.2

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्र का व्यय और परिव्यय (2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	क्षेत्र	12 th पंचवर्षीय योजना		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
		परिव्यय	%	व्यय	%	व्यय	%	व्यय	%	व्यय	%	व्यय	%
1	सामान्य शिक्षा	10344.00	11.49	1390.27	10.50	1678.60	12.02	1975.53	14.13	2645.59	17.68	3124.85	86.80
2	तकनीकी शिक्षा	1458.00	1.62	131.10	0.99	293.41	2.10	159.34	1.14	268.36	1.79	259.62	80.13
3	खेल और युवा सेवाएं	147.50	0.16	33.80	0.26	32.80	0.23	36.74	0.26	45.16	0.30	52.24	90.07
4	कला एवं संस्कृति	291.00	0.32	42.40	0.32	44.31	0.32	41.79	0.30	32.39	0.22	49.92	79.23
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	13500.00	15.00	1529.15	11.55	1611.68	11.54	2166.69	15.50	2024.83	13.53	2095.37	14.60
6	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	11000.00	12.22	1717.36	12.97	1550.00	11.10	1789.00	12.80	1723.93	11.52	1384.65	97.10
7	आवास	2700.00	3.00	472.12	3.57	484.04	3.47	173.77	1.24	245.80	1.64	134.81	94.93
8	शहरी विकास	8700.00	9.67	1629.10	12.31	1759.84	12.60	1463.16	10.47	1303.94	8.72	1682.04	95.95
9	अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक कल्याण	1600.00	1.78	277.70	2.10	254.77	1.82	257.01	1.84	284.13	1.90	116.08	30.15
10	श्रम एवं रोजगार	574.00	0.64	37.95	0.29	45.05	0.32	25.22	0.18	40.24	0.27	25.05	53.29
11	समाज कल्याण	3831.00	4.26	656.15	4.96	660.11	4.73	655.68	4.69	737.82	4.93	804.27	91.50
12	महिला एवं बाल विकास	1700.00	1.89	350.67	2.65	446.76	3.20	530.92	3.80	579.68	3.87	651.48	89.49
13	पोषण	1340.00	1.49	203.51	1.54	148.44	1.06	328.72	2.35	265.63	1.78	214.12	58.82
14	नागरिक आपूर्ति	800.00	0.89	58.56	0.44	99.38	0.71	1.60	0.01	0.69	0.00	1.66	55.18
	कुल (सामाजिक सेवाएं)	57185.50	63.54	8529.91	64.44	9109.13	65.23	9605.16	68.71	10198.19	68.17	10596.16	73.81
	कुल	90000.00 (परिव्यय)	-	13237.53	-	13964.22	-	13979.68	-	14960.54	-	14355.03	-

तालिका 3.3

2017-18 से योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20	
		व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत
1	सामान्य शिक्षा	2374.75	16.51	2493.82	15.91	4580.07	22.55
2	तकनीकी शिक्षा	193.36	1.34	194.16	1.24	160.65	0.79
3	खेल और युवा सेवाएं	47.26	0.33	88.33	0.56	91.63	0.45
4	कला एवं संस्कृति	95.78	0.67	108.48	0.69	103.14	0.51
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1916.83	13.32	2333.64	14.89	2363.53	11.64
6	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1730.00	12.02	2315.98	14.78	2210.00	10.88
7	आवास	36.44	0.25	639.99	4.08	59.98	0.30
8	शहरी विकास	1673.42	11.63	1371.28	8.75	2679.88	13.20
9	अजा/अजजा/अपिव का कल्याण	282.43	1.96	268.24	1.71	295.26	1.45
10	श्रम एवं रोजगार	71.52	0.50	80.40	0.51	45.75	0.23
11	समाज कल्याण	1228.50	8.54	1558.75	9.95	1680.02	8.27
12	महिला एवं बाल विकास	869.13	6.04	1048.92	6.69	1156.34	5.69
13	पोषण	236.23	1.64	262.13	1.67	271.20	1.34
14	नागरिक आपूर्ति	1.61	0.01	1.12	0.01	2.17	0.01
	कुल (सामाजिक सेवाएं)	10757.26	74.77	12765.24	81.45	15699.61	77.31
	कुल	14387.47		15672.03		20307.02	

तालिका 3.4
2020-21 के दौरान सामाजिक सेवा क्षेत्र का परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	योजनाएं/ कार्यक्रम/परियो जनाएं 2020-21 अनुमोदित परिव्यय	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	सामान्य शिक्षा	5721.00	19.39
2	तकनीकी शिक्षा	442.00	1.50
3	खेल और युवा सेवाएं	281.00	0.95
4	कला एवं संस्कृति	258.00	0.87
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3987.00	13.52
6	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	3724.00	12.62
7	आवास	124.00	0.42
8	शहरी विकास	3329.00	11.28
9	अजा/अजजा/ अपिव का कल्याण	431.00	1.46
10	श्रम एवं रोजगार	162.00	0.55
11	समाज कल्याण	1875.00	6.36
12	महिला एवं बाल विकास	1373.00	4.65
13	पोषण	340.00	1.15
14	नागरिक आपूर्ति	10.00	0.03
	कुल (सामाजिक सेवा क्षेत्र)	22057.00	74.77
	अन्य	7443.00	25.23
	कुल बजट	29500.00	100.00

तालिका 3.5

योजना / कार्यक्रम / परियोजना 2017-18

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	योजनाएं / कार्यक्रम / परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1	ग्रामीण विकास	614.00	114.00	106.50	93.42
2	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	90.00	73.00	69.75	95.55
3	उर्जा	295.00	247.00	221.85	89.82
4	उद्योग	31.00	12.00	6.75	56.25
5	परिवहन	3056.00	2984.00	2824.44	94.65
6	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	90.00	48.00	36.16	75.33
7	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	11.00	2.50	0.41	16.40
8	पर्यटन	117.00	18.00	13.18	73.22
9	नागरिक आपूर्ति	12.00	4.00	1.61	40.25
10	सामान्य शिक्षा	2970.00	2677.00	2374.75	88.71
11	तकनीकी शिक्षा	363.00	243.00	193.36	79.57
12	कला एवं संस्कृति	104.00	98.00	95.78	97.73
13	खेल एवं युवा सेवाएं	88.00	65.00	47.26	72.71
14	चिकित्सा	2150.90	1658.00	1482.46	89.41
15	जन-स्वास्थ्य	476.10	494.00	434.37	87.93
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	1755.00	1890.00	1730.00	91.53
17	आवास	251.00	41.00	36.44	88.88
18	शहरी विकास	2117.00	1771.00	1673.42	94.49
19	अजा / अजजा / अपिव / अल्पसंख्यक कल्याण	400.00	366.00	282.43	77.17
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	110.00	88.00	71.52	81.27
21	सामाज कल्याण	1272.00	1349.00	1228.50	91.07
22	महिला एवं बाल कल्याण	872.00	957.00	869.13	90.82
23	पोषण	380.00	308.00	236.23	76.70
24	कारागार	65.00	36.00	29.76	82.67
25	लोक निर्माण कार्य	234.00	221.00	182.99	82.80
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	550.00	211.00	120.35	57.04
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	26.00	24.50	18.07	73.76
	कुल	18500.00	16000.00	14387.47	89.92

तालिका 3.6

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2018-19

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1	ग्रामीण विकास	214.00	214.00	145.08	67.79
2	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	90.00	78.00	68.84	88.26
3	उर्जा	138.00	421.00	413.18	98.14
4	उद्योग	13.00	8.00	5.38	67.25
5	परिवहन	2568.00	2005.00	1798.09	89.68
6	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	61.00	67.00	60.61	90.46
7	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	21.00	22.00	7.98	36.27
8	पर्यटन	44.00	25.00	18.05	72.20
9	नागरिक आपूर्ति	10.00	5.00	1.12	22.40
10	सामान्य शिक्षा	5414.00	2812.00	2493.82	88.68
11	तकनीकी शिक्षा	306.00	243.00	194.16	79.90
12	कला एवं संस्कृति	145.00	137.00	108.48	79.18
13	खेल एवं युवा सेवाएं	154.00	116.00	88.33	76.15
14	चिकित्सा	2656.00	1928.15	1689.01	87.60
15	जन-स्वास्थ्य	603.00	658.00	644.63	97.97
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	2350.00	2350.00	2315.98	98.55
17	आवास	122.00	876.00	639.99	73.06
18	शहरी विकास	2984.00	2056.00	1371.28	66.70
19	अजा/अजजा/अपिव /अल्पसंख्यक कल्याण	355.00	333.00	268.24	80.55
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	457.00	181.00	80.40	44.42
21	सामाज कल्याण	1391.00	1629.00	1558.75	95.69
22	महिला एवं बाल कल्याण	1073.00	1178.00	1048.92	89.04
23	पोषण	373.00	291.00	262.13	90.08
24	कारागार	28.00	48.00	20.57	42.85
25	लोक निर्माण कार्य	154.00	179.90	166.30	92.44
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	235.00	298.95	186.17	62.27
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	41.00	40.00	16.54	41.35
	कुल	22000.00	18200.00	15672.03	86.11

तालिका 3.7

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2019-20

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1	ग्रामीण विकास	415.00	310.00	286.27	92.35
2	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	215.00	124.00	116.83	94.22
3	उर्जा	150.00	55.00	52.86	96.11
4	उद्योग	10.00	11.00	9.57	87.00
5	परिवहन	3707.00	3285.00	3083.70	93.87
6	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	93.00	100.00	58.70	58.70
7	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	62.00	38.00	34.08	89.68
8	पर्यटन	49.00	49.00	38.67	78.92
9	नागरिक आपूर्ति	10.00	5.00	2.17	43.40
10	सामान्य शिक्षा	6601.00	4873.00	4580.07	93.99
11	तकनीकी शिक्षा	384.00	231.00	160.65	69.55
12	कला एवं संस्कृति	184.00	176.00	103.14	58.60
13	खेल एवं युवा सेवाएं	157.00	119.00	91.63	77.00
14	चिकित्सा	2890.00	2026.00	1879.02	92.75
15	जन-स्वास्थ्य	870.00	545.00	484.51	88.90
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	2370.00	2210.00	2210.00	100.00
17	आवास	133.00	62.00	59.98	96.74
18	शहरी विकास	3781.00	3028.00	2679.88	88.50
19	अजा/अजजा/अपिव /अल्पसंख्यक कल्याण	383.00	340.00	295.26	86.84
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	321.00	74.00	45.75	61.82
21	सामाज कल्याण	1595.00	1727.00	1680.02	97.28
22	महिला एवं बाल कल्याण	1226.00	1270.00	1156.34	91.05
23	पोषण	383.00	325.00	271.20	83.45
24	कारागार	99.00	234.00	209.54	89.55
25	लोक निर्माण कार्य	303.00	266.00	171.27	64.39
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	446.00	677.00	524.84	77.52
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	163.00	40.00	21.09	52.73
	कुल	27000.00	22200.00	20307.02	91.47

तालिका 3.8
योजनाएं / कार्यक्रम / परियोजनाएं 2020-21

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	कार्यक्रम / परियोजनाएं 2020-21	
		परिव्यय	परिव्यय का प्रतिशत
1.	ग्रामीण विकास	408.00	1.38
2.	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	491.00	1.66
3.	उर्जा	125.00	0.42
4.	उद्योग	61.00	0.21
5.	परिवहन	4328.00	14.67
6.	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	192.00	0.65
7.	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	39.00	0.13
8.	पर्यटन	212.00	0.72
9.	नागरिक आपूर्ति	10.00	0.03
10.	सामान्य शिक्षा	5721.00	19.39
11.	तकनीकी शिक्षा	442.00	1.50
12.	कला एवं संस्कृति	258.00	0.87
13.	खेल एवं युवा सेवाएं	281.00	0.95
14.	चिकित्सा	3318.00	11.25
15.	जन-स्वास्थ्य	669.00	2.27
16.	जल आपूर्ति एवं सफाई	3724.00	12.62
17.	आवास	124.00	0.42
18.	शहरी विकास	3329.00	11.28
19.	अजा / अजजा / अपिव / अल्पसंख्यक कल्याण	431.00	1.46
20.	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	162.00	0.55
21.	सामाज कल्याण	1875.00	6.36
22.	महिला एवं बाल कल्याण	1373.00	4.65
23.	पोषण	340.00	1.15
24.	कारागार	79.00	0.27
25.	लोक निर्माण कार्य	459.00	1.56
26.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	943.00	3.20
27.	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	106.00	0.36
	कुल	29500.00	100.00

तालिका 4.1
राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अंतिम)	2020-21 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कुल राजस्व प्राप्ति (1+2)	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69	29584.59	34998.85	34345.74	38667.27	43112.61	47135.81	55309.00
1	निजी कर राजस्व (a से f तक)	16477.75	19971.67	23431.52	25918.69	26603.90	30225.16	31139.89	35717.02	36624.67	36565.87	44100.00
a	स्टाम्प एवं पंजीकरण (भूमि राजस्व सहित)	1355.77	2240.27	3098.07	2969.08	2841.67	3434.11	3145.94	4118.58	4458.73	4609.01	5300.00
b	राज्य उत्पाद कर	2027.09	2533.72	2869.74	3151.63	3422.39	4237.69	4251.40	4453.49	5028.19	5068.01	6300.00
c	वैट	12068.62	13750.95	15803.69	17925.71	18289.31	20245.82	21144.24	11149.17	5885.75	5474.67	6200.00
d	वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य कर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13620.84	19186.57	19464.95	23800.00
e	वाहनों पर कर	707.56	1049.19	1240.18	1409.27	1558.83	1607.01	1808.78	2115.76	2054.75	1948.09	2500.00
f	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	318.71	397.54	419.84	463.00	491.70	700.53	789.53	259.18	10.68	1.14	0.00
2	कुल गैर- कर राजस्व	8546.35	2421.50	2129.45	2062.00	2980.68	4773.69	3205.85	2950.25	6487.94	10569.94	11209.00
(i)	निजी गैर- कर राजस्व (a से c तक)	4188.95	460.86	626.93	659.14	632.54	515.40	380.69	766.06	644.17	1096.89	800.00
a	ब्याज प्राप्ति	3869.84	174.14	340.02	379.35	350.52	82.53	81.39	396.25	113.46	404.38	330.00
b	अंश व लाभ	46.59	33.00	26.25	11.95	12.90	12.32	11.28	15.91	14.31	15.84	25.00
c	सेवा प्रभार आदि	272.52	253.72	260.66	267.84	269.13	420.55	288.02	353.90	516.40	676.67	445.00
(ii)	केन्द्र से अनुदान/अन्य प्राप्तियां	4357.40	1960.64	1502.52	1402.86	2348.14	4258.29	2825.16	2184.19	5843.77	9473.05	10409.00

स्रोत : 2010-11 से 2018-19 तक वास्तविक वित्त लेखा से और 2019-20 एवं 2020-21 के लिए 2020-21 के बजट दस्तावेज से

तालिका 4.2 (क)

दिल्ली सरकार की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल (2+3)	ब्लॉक ग्रांट	केन्द्रीय कर में अंश	अन्य अनुदान	CSS के लिए अनुदान	कुल राजस्व (5+6+7+8)	कुल राजस्व प्राप्त (4+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010-11	16477.75	4188.95	20666.70	1808.19	325.00	2093.82	130.39	4357.40	25024.10
2011-12	19971.67	460.86	20432.53	734.56	325.00	734.05	167.03	1960.64	22393.17
2012-13	23431.52	626.93	24058.45	861.81	325.00	66.49	249.22	1502.52	25560.97
2013-14	25918.69	659.14	26577.83	717.81	325.00	1.91	358.14	1402.86	27980.69
2014-15	26603.90	632.55	27236.45	1467.35	325.00	2.95	552.84	2348.14	29584.59
2015-16	30225.16	515.40	30740.56	486.72	325.00	2580.02	866.55	4258.29	34998.85
2016-17	31139.89	380.69	31520.58	550.16	325.00	793.72	1156.28	2825.16	34345.74
2017-18	35717.02	766.06	36483.08	468.84	325.00	863.19	527.16	2184.19	38667.27
2018-19	36624.67	644.17	37268.84	449.99	325.00	4261.75	807.03	5843.77	43112.61
2019-20 (अन्तिम)	36565.87	1096.89	37662.76	472.00	325.00	7506.56	1169.48	9473.04	47135.80
2020-21 (BE)	44100.00	800.00	44900.00	636.00	325.00	7848.00	1600.00	10409.00	55309.00

तालिका 4.2 (ख)
दिल्ली सरकार की समेकित निधि में पूँजी प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब्लॉक ऋण	अल्प बचत ऋण/ एनएसएसएफ से ऋण	सीएसएस के अंतर्गत ऋण	ई.ए.पी. के अंतर्गत ऋण	कुल (12+13+14+15)	ऋण और अग्रिम (प्राप्ति)	कुल पूँजी प्राप्ति (16+17)
11	12	13	14	15	16	17	18
2010-11	0.00	4388.94	0.00	0.00	4388.94	436.77	4825.71
2011-12	0.00	556.08	0.00	0.00	556.08	376.25	932.33
2012-13	0.00	922.41	0.00	0.00	922.41	724.90	1647.31
2013-14	3326.39	836.50	0.00	0.00	4162.89	802.91	4965.80
2014-15	0.00	1764.32	0.00	0.00	1764.32	227.61	1991.93
2015-16	0.00	2241.13	0.00	0.00	2241.13	83.42	2324.55
2016-17	0.00	1695.53	0.00	0.00	1695.53	212.49	1908.02
2017-18	0.00	1906.34	0.00	0.00	1906.34	690.42	2596.76
2018-19	0.00	2800.00	0.00	80.00	2880.00	1643.90	4523.90
2019-20 (अन्तिम)	0.00	4540.60	0.00	225.00	4765.60	822.65	5588.25
2020-21 (BE)	0.00	4141.00	0.00	150.00	4291.00	1100.00	5391.00

तालिका 4.2 (ग)

दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियां (4+9)	कुल पूंजी प्राप्तियां (16+17)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां (20+21)	प्रारंभिक शेष	कुल उपलब्ध निधियां (22+23)
19	20	21	22	23	24
2010-11	25024.10	4825.71	29849.81	3387.70	33237.51
2011-12	22393.17	932.33	23325.50	7713.19	31038.69
2012-13	25560.97	1647.31	27208.28	4636.27	31844.55
2013-14	27980.69	4965.80	32946.49	1985.74	34932.23
2014-15	29584.59	1991.93	31576.52	880.64	32457.16
2015-16	34998.85	2324.55	37323.40	1517.06	38840.46
2016-17	34345.74	1908.02	36253.76	3644.94	39898.70
2017-18	38667.27	2596.76	41264.03	2635.34	43899.37
2018-19	43112.61	4523.90	47636.51	2972.52	50609.03
2019-20 (अनंतिम)	47135.80	5588.25	52724.05	4363.14	57087.19
2020-21 (BE)	55309.00	5391.00	60700.00	4300.00	65000.00

तालिका 4.3 (क)
दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष/घाटा स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अनंतिम)	2020-21 (BE)
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	राजस्व प्राप्तियां	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69	29584.58	34998.85	34345.74	38667.27	43112.61	47135.81	55309.00
2	निजी कर राजस्व	16477.75	19971.67	23431.52	25918.69	26603.90	30225.16	31139.89	35717.02	36624.67	36565.87	44100.00
3	गैर कर राजस्व (के. प्रा. परि. की राजस्व हिस्सेदारी सहित)	8546.35	2421.50	2129.45	2062.00	2980.68	4773.69	3205.85	2950.25	6487.94	10569.94	11209.00
4	पूँजी प्राप्तियां	4825.72	932.33	1647.31	4965.80	1991.94	2324.55	1908.02	2596.76	4523.90	5588.25	5391.00
5	ऋण वसूली	434.06	373.99	722.8	801.05	225.38	82.06	211.36	689.85	1643.49	822.20	1098.50
6	सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऋण भुगतान	2.72	2.26	2.10	1.86	2.24	1.36	1.13	0.57	0.41	0.45	1.50
7	केन्द्र से ऋण	4388.94	556.08	922.41	4162.89	1764.32	2241.13	1695.53	1906.34	2880.00	4765.60	4291.00
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	29849.82	23325.50	27208.28	32946.49	31576.52	37323.40	36253.76	41264.03	47636.51	52724.06	60700.00
9	गैर योजना /स्थापना और प्रशासन व्यय (10+12)	14980.07	12702.12	16454.32	19811.41	16960.44	20260.92	23159.80	26735.37	30627.19	30906.45	35500.00
10	राजस्व खाते पर	9490.15	11524.00	14160.64	14904.25	15563.19	17963.23	20593.96	24446.47	26799.82	27394.79	31525.40
11	जिसमें से –ब्याज भुगतान	2579.52	2917.26	2862.88	2824.29	2774.00	2809.81	2882.52	2870.67	2867.11	2751.87	3061.88
12	पूँजी खाते पर	5489.92	1178.12	2293.68	4907.16	1397.25	2297.69	2565.84	2288.90	3827.37	3511.65	3974.60
13	जिसमें से ऋण भुगतान/अग्रिम भुगतान	793.06	1087.88	1287.99	1325.29	1346.72	1435.17	1654.62	1682.43	3636.35	2811.10	3511.10
14	योजना / स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं व्यय (15+16)	10544.26	13700.30	13404.49	14240.19	13979.66	14934.59	14103.56	14191.48	15618.70	20279.81	29500.00
15	राजस्व खाते पर	4891.59	6440.86	6498.72	7462.28	7946.30	8379.32	8487.59	9307.55	10051.76	12242.22	16545.07
16	पूँजी खाते पर	5652.67	7259.44	6905.77	6777.91	6033.36	6555.27	5615.97	4883.93	5566.94	8037.59	12954.93
17	कुल व्यय (9+14)	25524.33	26402.42	29858.81	34051.60	30940.10	35195.51	37263.36	40926.85	46245.89	51186.26	65000.00
18	राजस्व व्यय (10+15)	14381.74	17964.86	20659.36	22366.53	23509.49	26342.55	29081.55	33754.02	36851.58	39637.02	48070.47
19	पूँजी व्यय (12+16)	11142.59	8437.56	9199.45	11685.07	7430.61	8852.96	8181.81	7172.83	9394.31	11549.24	16929.53
20	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-18)	10642.36	4428.31	4901.61	5614.16	6075.09	8656.30	5264.19	4913.25	6261.03	7498.79	7238.53
21	पूँजी अधिशेष (+) /घाटा (-)(4-19)	-6316.87	-7505.23	-7552.14	-6719.27	-5438.67	-6528.41	-6273.79	-4576.07	-4870.41	-5960.98	-11538.53
22	वित्तीय घाटा (17-(1+5+6))	63.45	3633.00	3572.94	5268.00	1127.90	113.24	2705.13	1569.16	1489.38	3227.79	8591.00
23	प्रारंभिक घाटा (22-11)	-2516.07	715.74	710.06	2443.71	-1646.10	-2696.57	-177.39	-1301.51	-1377.73	475.92	5529.12
24	कुल अवशेष (+)/घाटा (-) चालू वित्त वर्ष में (8-17)	4325.49	-3076.92	-2650.53	-1105.11	636.42	2127.89	-1009.60	337.18	1390.62	1537.81	-4300.00
25	प्रारंभिक बकाया	3387.70	7713.19	4636.27	1985.74	880.63	1517.05	3644.94	2635.34	2972.52	4363.14	4300.00
26	अंतिम बकाया (24+25)	7713.19	4636.27	1985.74	880.63	1517.05	3644.94	2635.34	2972.52	4363.14	5900.95	0.00

तालिका 4.3 (ख)

दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष / घाटा स्थिति, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अंतिम)	2020-21 (BE)
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	राजस्व प्राप्तियां	9.90	6.51	6.53	6.30	5.98	6.35	5.57	5.70	5.74	5.67	6.93
2	निजी कर राजस्व	6.52	5.81	5.99	5.84	5.38	5.49	5.05	5.27	4.88	4.40	5.52
3	गैर कर राजस्व (के. प्रा. परि. की राजस्व हिस्सेदारी सहित)	3.38	0.70	0.54	0.46	0.60	0.87	0.52	0.44	0.86	1.27	1.40
4	पूँजी प्राप्तियां	1.91	0.27	0.42	1.12	0.40	0.42	0.31	0.38	0.60	0.67	0.68
5	ऋण वसूली	0.17	0.11	0.18	0.18	0.05	0.01	0.03	0.10	0.22	0.10	0.14
6	सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऋण भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	केन्द्र से ऋण	1.74	0.16	0.24	0.94	0.36	0.41	0.28	0.28	0.38	0.57	0.54
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	11.81	6.78	6.95	7.42	6.38	6.78	5.88	6.09	6.34	6.35	7.60
9	गैर योजना / स्थापना और प्रशासन व्यय (10+12)	5.93	3.69	4.20	4.46	3.43	3.68	3.76	3.94	4.08	3.72	4.45
10	राजस्व खाते पर	3.75	3.35	3.62	3.36	3.15	3.26	3.34	3.61	3.57	3.30	3.95
11	जिसमें से -व्याज भुगतान	1.02	0.85	0.73	0.64	0.56	0.51	0.47	0.42	0.38	0.33	0.38
12	पूँजी खाते पर	2.17	0.34	0.59	1.11	0.28	0.42	0.42	0.34	0.51	0.42	0.50
13	जिसमें से ऋण भुगतान/अग्रिम भुगतान	0.31	0.32	0.33	0.30	0.27	0.26	0.27	0.25	0.48	0.34	0.44
14	योजना / स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं व्यय (15+16)	4.17	3.98	3.42	3.21	2.83	2.71	2.29	2.09	2.08	2.44	3.70
15	राजस्व खाते पर	1.94	1.87	1.66	1.68	1.61	1.52	1.38	1.37	1.34	1.47	2.07
16	पूँजी खाते पर	2.24	2.11	1.76	1.53	1.22	1.19	0.91	0.72	0.74	0.97	1.62
17	कुल व्यय (9+14)	10.10	7.68	7.63	7.67	6.25	6.39	6.05	6.04	6.16	6.16	8.14
18	राजस्व व्यय (10+15)	5.69	5.23	5.28	5.04	4.75	4.78	4.72	4.98	4.91	4.77	6.02
19	पूँजी व्यय (12+16)	4.41	2.45	2.35	2.63	1.50	1.61	1.33	1.06	1.25	1.39	2.12
20	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-18)	4.21	1.29	1.25	1.26	1.23	1.57	0.85	0.72	0.83	0.90	0.91
21	पूँजी अधिशेष(+)/घाटा (-)(4-19)	-2.50	-2.18	-1.93	-1.51	-1.10	-1.19	-1.02	-0.68	-0.65	-0.72	-1.45
22	वित्तीय घाटा (17-(1+5+6))	0.03	1.06	0.91	1.19	0.23	0.02	0.44	0.23	0.20	0.39	1.08
23	प्रारंभिक घाटा (22-11)	-1.00	0.21	0.18	0.55	-0.33	-0.49	-0.03	-0.19	-0.18	0.06	0.69
24	कुल अवशेष (+)/घाटा (-) चालू वित्त वर्ष में (8-17)	1.71	-0.89	-0.68	-0.25	0.13	0.39	-0.16	0.05	0.19	0.19	-0.54
25	प्रारंभिक बकाया	1.34	2.24	1.18	0.45	0.18	0.28	0.59	0.39	0.40	0.53	0.54
26	अंतिम बकाया (24+25)	3.05	1.35	0.51	0.20	0.31	0.66	0.43	0.44	0.58	0.71	0.00

तालिका 4.3 (ग)
दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष / घाटा पिछले वर्ष के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत में)

S. No.	Item	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अंतिम)	2020-21 (BE)
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	राजस्व प्राप्तियां	22.36	-10.51	14.15	9.47	5.73	18.30	-1.87	12.58	11.50	9.33	17.34
2	निजी कर राजस्व	22.53	21.20	17.32	10.61	2.64	13.61	3.03	14.70	2.54	-0.16	20.60
3	गैर कर राजस्व (के.प्र.यो. में हिस्सेदारी सहित)	22.03	-71.67	-12.06	-3.17	44.55	60.15	-32.84	-7.97	119.91	62.92	6.05
4	पूँजी प्राप्तियां	131.21	-80.68	76.69	201.45	-59.89	16.70	-17.92	36.10	74.21	23.53	-3.53
5	ऋण वसूली	37.77	-13.84	93.27	10.83	-71.86	-63.59	157.57	226.39	138.24	-49.97	33.61
6	सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऋण भुगतान	-11.69	-16.91	-7.08	-11.43	20.43	-39.29	-16.91	-49.56	-28.07	10.80	230.18
7	केन्द्र से ऋण	148.10	-87.33	65.88	351.31	-57.62	27.03	-24.34	12.43	51.07	65.47	-9.96
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	32.44	-21.86	16.65	21.09	-4.16	18.20	-2.87	13.82	15.44	10.68	15.13
9	गैर योजना / स्थापना और प्रशासन व्यय (10+12)	8.57	-15.21	29.54	20.40	-14.39	19.46	14.31	15.44	14.56	0.91	14.86
10	राजस्व खाते पर	3.63	21.43	22.88	5.25	4.42	15.42	14.65	18.71	9.63	2.22	15.08
11	जिसमें से ब्याज भुगतान	4.31	13.09	-1.86	-1.35	-1.78	1.29	2.59	-0.41	-0.12	-4.02	11.27
12	पूँजी खाते पर	18.33	-78.54	94.69	113.94	-71.53	64.44	11.67	-10.79	67.21	-8.25	13.18
13	जिसमें से ऋण भुगतान/अग्रिम भुगतान	30.77	37.17	18.39	2.90	1.62	6.57	15.29	1.68	116.14	-22.69	24.90
14	योजना / स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं व्यय (15+16)	-5.25	29.93	-2.16	6.23	-1.83	6.83	-5.56	0.62	10.06	29.84	45.46
15	राजस्व खाते पर	3.14	31.67	0.90	14.83	6.49	5.45	1.29	9.66	8.00	21.79	35.15
16	पूँजी खाते पर	-11.48	28.42	-4.87	-1.85	-10.98	8.65	-14.33	-13.03	13.98	44.38	61.18
17	कुल व्यय (9+14)	2.40	3.44	13.09	14.04	-9.14	13.75	5.88	9.83	13.00	10.68	26.99
18	राजस्व व्यय (10+15)	3.46	24.91	15.00	8.26	5.11	12.05	10.40	16.07	9.18	7.56	21.28
19	पूँजी व्यय (12+16)	1.07	-24.28	9.03	27.02	-36.41	19.14	-7.58	-12.33	30.97	22.94	46.59
20	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-18)	62.47	-58.39	10.69	14.54	8.21	42.49	-39.19	-6.67	27.43	19.77	-3.47
21	पूँजी अधिशेष(+) / घाटा (-)(4-19)	-29.32	18.81	0.63	-11.03	-19.06	20.04	-3.90	-27.06	6.43	22.39	93.57
22	वित्तीय घाटा (17-(1+5+6))	-98.47	5625.77	-1.65	47.44	-78.59	-89.96	2288.85	-41.99	-5.08	116.72	166.16
23	प्रारंभिक घाटा (22-11)	-249.45	-128.45	-0.79	244.16	-167.36	63.82	-93.42	633.70	5.86	-134.54	1061.77
24	कुल अवशेष (+)/घाटा (-) चालू वित्त वर्ष में (8-17)	-281.18	-171.13	-13.86	-58.31	-157.59	234.35	-147.45	-133.40	312.43	10.58	-379.62
25	प्रारंभिक बकाया	-41.34	127.68	-39.89	-57.17	-55.65	72.27	140.26	-27.70	12.79	46.78	-1.45
26	अंतिम बकाया (24+25)	127.68	-39.89	-57.17	-55.65	72.27	140.26	-27.70	12.79	46.78	35.25	-100.00

तालिका 4.4
सभी राज्यों का योजना और गैर योजना-व्यय, राजस्व और पूंजी विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (RE)	2020-21 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	योजना व्यय	360175.00	419156.60	482005.37	538800.89	689545.47	राजस्व व्यय*	1838266.66	2086891.91	2340080.61	2638122.34	3076395.02	3327422.04
a)	राजस्व	202761.00	239477.00	280573.75	312516.70	419388.72							
b)	पूंजी	157414.00	179679.60	201431.62	226284.19	270156.75							
II.	गैर-योजना व्यय	798560.00	932455.61	1052249.36	1167343.63	1336237.08	पूंजीगत व्यय*	521962.07	621323.44	584518.60	699591.00	821219.24	883868.40
a)	राजस्व	729536.00	835093.82	951128.20	1067233.51	1217899.07							
b)	पूंजी	69024.00	97361.79	101121.16	100110.12	118338.01							
III.	कुल राजस्व	1158735.00	1351612.21	1534254.73	1706144.52	2025782.55	कुल खर्च	2360228.73	2708215.35	2924599.21	3337713.34	3897614.26	4211290.44
VI.	III के प्रतिशत के रूप में I	31.08	31.01	31.42	31.58	34.04	कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	77.89	77.06	80.01	79.04	78.93	79.01
VII.	III के प्रतिशत के रूप में II	68.92	68.99	68.58	68.42	65.96	कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय	22.11	22.94	19.99	20.96	21.07	20.99

स्रोत: रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन (राज्य सरकारों के वित्त)

* योजना और गैर योजना, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विलय कर दिया गया।

तालिका 4.5 (क)
सामान्य श्रेणी राज्यों के संदर्भ में निजी कर राजस्व

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (RE)	2020-21 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	45140	53283	59875	64124	42618	39907	44181	52414	58677	57429	70653
2	बिहार	9870	12612	16253	19961	9450	25449	23742	29708	30858	34100	34750
3	छत्तीस गढ़	9010	10712	13034	14343	15707	17075	18945	21989	21889	25190	26155
4	गोआ	2140	2551	2940	3582	3896	3975	4261	4988	4871	5271	5845
5	गुजरात	36340	44252	53897	56372	61340	62649	64443	73646	80565	97258	105094
6	हरियाणा	16790	20400	23559	25567	27635	30929	34026	41836	42744	47842	52096
7	झारखण्ड	5970	6954	8224	9380	10350	11479	13299	14488	14752	20908	22301
8	कर्नाटक	38470	46476	53754	62604	70180	75550	82956	90335	97537	101740	111991
9	केरल	21720	25718	30077	31995	35233	38995	42176	48160	51019	55771	67520
10	मध्य प्रदेश	21420	26974	30582	33552	36567	40214	44194	49943	52125	54638	48801
11	महाराष्ट्र	75030	87609	103449	108598	115064	126608	136592	171686	188341	199534	225071
12	उड़ीसा	11190	13443	15034	16892	19828	22527	22852	31070	31015	33550	38350
13	पंजाब	16830	18841	22588	24079	25570	26690	27747	31496	31811	33739	35824
14	राजस्थान	30760	25377	30503	33478	38673	42713	44372	54342	58205	70351	77030
15	तमिलनाडु	47780	59517	71254	73718	78657	80476	85941	96472	106138	120810	133530
16	तेलंगाना	NA	NA	NA	NA	29288	39975	48408	58177	65040	71328	85300
17	उत्तरप्रदेश	41350	52613	58098	66582	74172	81106	85966	109605	122816	137169	170094
18	पश्चिम बंगाल	21130	24938	32809	35831	39412	42492	45466	57701	61831	65806	70807
19	दिल्ली	16478	19972	23432	25919	26604	30225	31140	35717	36625	39550	44100
20	सभी राज्य	460710	532270	625930	712419	779278	847145	912912	1130460	1214845	1339940	1498263

स्रोत: अन्य राज्यों के लिए – रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन (राज्य सरकारों के वित्त) 2020-21 और दिल्ली के लिए वास्तविक 2010-11 से 2018-19 एवं 2019-20 (RE), 2020-21 (BE) वित्त लेखा से

तालिका 4.5 (ख)
सामान्य श्रेणी राज्यों के संदर्भ में निजी कर राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत में)

क.सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (RE)	2020-21 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	7.73	14.04	14.55	13.81	8.12	6.60	6.46	6.61	6.80	5.90	6.50
2	बिहार	4.85	5.10	5.76	6.29	2.76	6.85	5.64	6.34	5.82	5.57	5.00
3	छत्तीस गढ़	7.54	6.78	7.34	6.93	7.10	7.58	7.55	8.02	7.20	7.65	7.20
4	गोआ	6.37	6.02	7.71	9.97	8.15	7.22	6.77	7.19	6.66	6.55	6.70
5	गुजरात	6.97	7.19	7.44	6.98	6.65	6.09	5.52	5.54	5.36	NA	5.60
6	हरियाणा	6.44	6.86	6.79	6.40	6.32	6.24	6.06	6.44	5.82	5.75	5.50
7	झारखण्ड	4.69	4.61	4.71	4.97	4.74	5.56	5.63	5.37	4.96	6.36	6.10
8	कर्नाटक	9.37	7.67	7.73	7.67	7.68	7.23	6.87	6.76	6.53	6.23	6.20
9	केरल	8.23	7.06	7.29	6.88	6.87	6.94	6.64	6.86	6.53	NA	6.90
10	मध्य प्रदेश	8.13	8.55	8.03	7.63	7.62	7.43	6.80	6.89	6.44	6.03	5.10
11	महाराष्ट्र	7.15	6.84	7.09	6.58	6.47	6.44	6.21	7.21	7.15	NA	7.00
12	उड़ीसा	5.66	5.82	5.74	5.70	6.31	6.86	5.82	7.05	6.36	6.44	6.40
13	पंजाब	7.44	7.07	7.59	7.25	7.20	6.84	6.50	6.69	6.04	5.87	5.60
14	राजस्थान	9.09	5.84	6.18	6.08	6.28	6.27	5.83	6.51	6.17	6.89	6.80
15	तमिलनाडु	8.17	7.92	8.34	7.61	7.33	6.84	6.60	6.58	6.51	6.54	6.40
16	तेलंगाना	NA	NA	NA	NA	5.79	6.92	7.35	7.72	7.55	7.36	7.70
17	उत्तरप्रदेश	6.89	7.27	7.06	7.08	7.33	7.13	6.67	7.74	7.75	8.13	8.50
18	पश्चिम बंगाल	4.58	4.79	5.55	5.29	5.49	5.33	5.21	5.92	5.67	5.25	5.00
19	दिल्ली	6.52	5.81	5.99	5.84	5.38	5.49	5.05	5.27	4.88	4.76	4.60
20	सभी राज्य	6.36	6.09	6.29	6.34	6.25	6.15	5.93	6.61	6.43	6.58	6.70

स्रोत: अन्य राज्यों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन (राज्य सरकारों के वित्त) 2020-21 दिल्ली के लिए वास्तविक 2010-11 से 2018-19 एवं 2019-20 (RE), 2020-21 (BE) वित्त लेखा से

तालिका 4.6 (क)

दिल्ली में वार्षिक योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संसाधन 2012-13 से 2016-17 (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7
A	कर राजस्व	23431.52	25918.69	26603.9	30225.16	31139.89
1	वैट	15803.69	17925.71	18289.31	20245.82	21144.24
2	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (भूमि राजस्व समेत)	3098.07	2969.08	2841.67	3434.11	3145.94
3	मोटर वाहनों पर कर	1240.18	1409.27	1558.83	1607.01	1808.78
4	राज्य उत्पाद कर	2869.74	3151.63	3422.39	4237.69	4251.4
5	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और कर्तव्य (a to c)	419.84	463	491.7	700.53	789.53
a	मनोरंजन कर(केबल टीवी कर समेत)	117.38	146.14	150.84	241.28	264.07
b	सट्टेबाजी कर	8.3	10.1	9.88	19.28	33.29
c	विलासिता कर	294.16	306.76	330.98	439.97	492.17
B	खुद का गैर कर राजस्व	626.93	659.14	632.55	515.4	380.69
1	ब्याज	340.02	379.35	350.52	82.53	81.39
2	लाभांश और लाभ	26.25		12.9	12.32	11.28
3	सेवा शुल्क और अन्य	260.66	279.79	269.13	420.55	288.02
C	केंद्रीय करों में हिस्सा	325	325	325	325	325
D	भारत सरकार से गैर योजना अनुदान	66.49	1.91	2.95	2580.02	793.72
E	राजस्व प्राप्तियां (A+B+C+D)	24449.94	26904.74	27564.4	33645.58	32639.3
F	शुद्ध गैर योजना राजस्व व्यय	14160.64	14904.25	15563.19	17963.23	20585.32
G	वर्तमान राजस्व से संतुलन (E-F)	10289.3	12000.49	12001.21	15682.35	12053.98
H	विविध पूंजी प्राप्तियां (1-2)	-1568.78	-777.86	-1169.64	-2214.27	-2361.99
1	पूंजी प्राप्तियां	724.9	4129.3	227.61	83.42	212.49
2	गैर योजना पूंजीगत व्यय	2293.68	4907.16	1397.25	2297.69	2574.48
I	अल्प बचत ऋण	922.41	836.5	1764.32	2241.13	1695.53
J	दिल्ली के अपने संसाधन (उद्धाटन को छोड़कर) (G+H+I)	9642.93	12059.13	12595.89	15709.21	11387.52
K	केंद्रीय योजना सहायता	1111.03	1075.95	1550.19	1303.27	1706.44
L	भारत सरकार से अन्य अनुदान	0	0	470	50	0
M	वार्षिक योजना के लिए सकल संसाधन(खोलने के संतुलन के बिना) (J+K+L)	10753.96	13135.08	14616.08	17062.48	13093.96
N	प्रारंभिक बकाया	4636.27	1985.74	880.64	1517.06	3644.94
O	प्रारंभिक बकाया के साथ-साथ वार्षिक योजना के लिए समग्र संसाधन (M+N)	15390.23	15120.82	15496.72	18579.54	16738.9
P	योजना परिव्यय/व्यय	13404.49	14240.19	13979.66	14934.6	14103.56
a	योजना	13219.9	13927.49	13378.95	14145.7	13204.54
b	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	184.59	312.7	600.71	788.9	899.02
Q	संसाधन अधिशेष (O-P)	1985.74	880.63	1517.06	3644.94	2635.34

तालिका 4.6 (ख)
संसाधनों की प्राप्ति 2017-18 से 2020-21 (ब.अ.)

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	मद	2017-18	2018-19	2019-20 (अंतिम)	2020-21 (ब.अ.)
1	कर राजस्व (I से V)	35717.02	36624.67	36565.87	44100.00
i	वैट/एसजीएसटी	24770.01	25072.32	24939.62	30000.00
क	वैट	11149.17	5885.75	5474.67	6200.00
ख	एसजीएसटी	13620.84	19186.57	19464.95	23800.00
ii	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4118.58	4458.73	4609.01	5300.00
iii	मोटर वाहनों पर कर	2115.76	2054.75	1948.09	2500.00
iv	राज्य उत्पाद कर	4453.49	5028.19	5068.01	6300.00
v	अन्य कर	259.18	10.68	1.14	0.00
क	मनोरंजन कर (केबल टीवी कर समेत)	83.76	1.86	0.09	0.00
ख	सट्टेबाजी कर	5.40	-1.13	0.01	0.00
ग	विलासिता कर	170.02	9.95	1.04	0.00
2	स्वयं गैर कर राजस्व	766.06	644.17	1096.89	800.00
3	पूँजी प्राप्ति	690.42	1643.90	822.65	1100.00
4	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	325.00	325.00	325.00	325.00
5	जीएसटी/ वैट/ सीएसटी क्षतिपूर्ति	847.53	4182.00	7436.00	7800.00
6	भारत सरकार से अन्य अनुदान	581.74	807.03	1169.48	1600.00
7	केंद्रीय योजना सहायता (सीएसएस सहित)	429.92	529.74	542.56	684.00
8	लघु बचत निधि	1906.34	2800.00	4540.60	4141.00
9	ई.ए.पी. के अंतर्गत ऋण	0.00	80.00	225.00	150.00
10	प्रारंभिक शेष	2635.34	2972.52	4363.14	4300.00
11	कुल निधियां	43899.37	50609.03	57087.19	65000.00
12	कुल व्यय	40926.85	46245.89	51186.26	65000.00
i	स्थापना और प्रशासनिक व्यय	26735.37	30627.19	30906.45	35500.00
क	राजस्व	24446.47	26799.82	27394.79	31525.40
ख	पूँजी	2288.90	3827.37	3511.65	3974.60
ii	कार्यक्रम व्यय	14191.48	15618.70	20279.81	29500.00
क	राजस्व	9307.55	10051.76	12242.22	16545.07
ख	पूँजी	4883.93	5566.94	8037.59	12954.93

तालिका 4.7
तुलनात्मक वित्तीय सूचकांक 2010-11 से 2020-21 तक

(करोड़ रुपये में)

S. No	Item	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (R.E.)	2020-21 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजस्व प्राप्तियां											
	सभी राज्य	935347	1098530	1252020	1369187	1591583	1832885	2046400	2321241	2620353	2939693	3327262
	दिल्ली	25024	22393	25561	27981	29585	34999	34346	38667	43113	51562	55309
2	राजस्व व्यय											
	सभी राज्य	932297	1074570	1231700	1379750	1637288	1838267	2086892	2340081	2638122	3076395	3327422
	दिल्ली	14382	17965	20659	22367	23509	26343	29082	33754	36852	42208	48070
3	राजस्व अधिशेष/घाटा											
	सभी राज्य	3050	23960	20320	-10563	-45704	-5382	-40492	-18840	-17769	-136702	-160
	दिल्ली	10642	4428	4902	5614	6075	8656	5264	4913	6261	9354	7239
4	राज्यों के निजी कर राजस्व											
	सभी राज्य	460710	532270	625930	712419	779278	847145	912912	1130460	1214845	1339940	1498263
	दिल्ली	16478	19972	23432	25919	26604	30225	31140	35717	36625	39550	44100
5	राज्य निजी कर राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में											
	सभी राज्य	49.42%	49.53%	50.82%	51.63%	47.60%	46.08%	43.75%	48.31%	46.05%	43.56%	45.03%
	दिल्ली	114.57%	111.17%	113.42%	115.88%	113.16%	114.74%	107.08%	105.82%	99.38%	93.70%	91.74%
6	राज्यों का निजी गैर कर राजस्व											
	सभी राज्य	91652	99128	117262	132543	143666	153653	169536	179638	218745	239114	268069
	दिल्ली	4189	461	627	659	633	515	381	766	644	800	800
7	राज्य का निजी गैर राजस्व व्यय का प्रतिशत के रूप में											
	सभी राज्य	9.83%	9.22%	9.52%	9.61%	8.77%	8.36%	8.12%	7.68%	8.29%	7.77%	8.06%
	दिल्ली	29.13%	2.57%	3.03%	2.95%	2.69%	1.96%	1.31%	2.27%	1.75%	1.90%	1.66%
8	ब्याज भुगतान											
	सभी राज्य	124820	136820	150470	168900	190415	214250	251300	293120	319235	348850	388728
	दिल्ली	2580	2917	2863	2824	2774	2810	2883	2871	2867	2752	3062
9	ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत											
	सभी राज्य	13.34%	12.45%	12.02%	12.34%	11.96%	11.69%	12.28%	12.63%	12.18%	11.87%	11.68%
	दिल्ली	10.31%	13.03%	11.20%	10.09%	9.38%	8.03%	8.39%	7.42%	6.65%	5.34%	5.54%

10	राज्य की बकाया देनदारियां , मार्च अन्त											
	सभी राज्य	1828980	1993920	2210250	2471260	2703760	3218130	3809360	4292500	4786770	5343020	5989360
	दिल्ली	30140	29608	29243	32080	32498	33304	33345	33570	32730	35898	-----
11	कुल राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)											
	सभी राज्य	-161460	-168350	-195470	-247850	-327190	-420670	-534330	-410490	-462770	-652370	-626360
	दिल्ली	63	3633	3573	5268	1128	113	2705	1569	1489	3228	8591
12	सकल घरेलू उत्पाद											
	सभी राज्य	7248860	8736329	9944013	11233522	12467959	13771874	15391669	17090042	18886957	20351013	19586161
	दिल्ली	252753	343798	391388	443960	494803	550804	616085	677900	750962	830872	798310
13	स.घ.उ.का प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा											
	सभी राज्य	-2.23%	-1.93%	-1.97%	-2.21%	-2.62%	-3.05%	-3.47%	-2.40%	-2.45%	-3.21%	-3.20%
	दिल्ली	0.03%	1.06%	0.91%	1.19%	0.23%	0.02%	0.44%	0.23%	0.20%	0.39%	1.08%
14	राजस्व.अधिशेष (+)/घाटा (-)जीडीपी के प्रतिशत के रूप में											
	सभी राज्य	0.04%	0.27%	0.20%	-0.09%	-0.37%	-0.04%	-0.26%	-0.11%	-0.09%	-0.67%	0.00%
	दिल्ली	4.21%	1.29%	1.25%	1.26%	1.23%	1.57%	0.85%	0.72%	0.83%	1.13%	0.91%
15	राज्यों का बकाया ऋण –जीडीपी के प्रतिशत के रूप में											
	सभी राज्य	25.23%	22.82%	22.23%	22.00%	21.69%	23.37%	24.75%	25.12%	25.34%	26.25%	30.58%
	दिल्ली	11.92%	8.61%	7.47%	7.23%	6.57%	6.05%	5.41%	4.95%	4.36%	4.32%	-----
स्रोत : : स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी ऑफ बजट्स, 2020-21, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्रोत :- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, (From 2008-09 to 2010-11 are from 2004-05 series released on 29.07.2015, from 2011-12 to 2018-19 are from 2011-12 series released on 01.02.2021. All India GDP figures released by MoSPI.												

तालिका 4.8 (क)
सामान्य श्रेणी राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष / घाटा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (RE)	2020-21 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	-2460.00	-3140.00	-1130.00	-340.00	24190.00	7300.00	17190.00	16151.70	13898.60	26646.90	18434.10
2	बिहार	-6320.00	-4820.00	-5100.00	-6440.00	-5850.00	-12510.00	-10820.00	-14823.00	-6896.60	18514.00	-19172.80
3	छत्तीसगढ़	-3360.00	-3240.00	-2610.00	810.00	1560.00	-2370.00	-5520.00	-3417.30	-683.80	9429.30	-2431.40
4	गोआ	-660.00	-300.00	220.00	350.00	-280.00	-130.00	-700.00	-510.60	-355.10	-270.10	-353.60
5	गुजरात	5080.00	-3210.00	-5570.00	-4720.00	-5330.00	-1700.00	-5950.00	-5231.60	-3212.00	-1141.90	-789.40
6	हरियाणा	2750.00	1460.00	4440.00	3880.00	8320.00	11680.00	15910.00	10562.50	11270.40	14675.40	15374.00
7	झारखण्ड	140.00	-1430.00	-1370.00	-2710.00	230.00	-4090.00	-1970.00	-1805.60	-5896.30	-6541.60	-1992.80
8	कर्नाटक	-4170.00	-4690.00	-1880.00	-350.00	-530.00	-1790.00	-1290.00	-4517.30	-678.80	-285.10	-143.30
9	केरल	3670.00	8030.00	9350.00	11310.00	13800.00	9660.00	15480.00	16928.20	17461.90	17474.30	15201.50
10	मध्यप्रदेश	-6840.00	-9910.00	-7460.00	-5880.00	-6270.00	-5740.00	-3770.00	-4629.30	-8814.60	2697.80	17514.00
11	महाराष्ट्र	590.00	2270.00	-4210.00	5080.00	12140.00	5340.00	8540.00	-2082.50	-11974.60	31443.30	9510.70
12	उड़ीसा	-3910.00	-5610.00	-5700.00	-3330.00	-5860.00	-10140.00	-9260.00	-13367.00	-14189.70	-6174.50	-9509.10
13	पंजाब	5290.00	6810.00	7410.00	6540.00	7590.00	8550.00	7310.00	9455.30	13134.60	12627.00	7711.70
14	राजस्थान	-1050.00	-3360.00	-3450.00	1040.00	3220.00	5950.00	18110.00	18534.30	28900.20	28041.00	12345.60
15	तमिलनाडु	2730.00	-1360.00	-1760.00	1790.00	6410.00	11990.00	12960.00	21593.90	23459.40	25071.60	21617.60
16	तेलंगाना	NA	NA	NA	NA	-370.00	-240.00	-1390.00	-3459.40	-4337.10	-103.60	-4482.10
17	उत्तर प्रदेश	-3510.00	-6980.00	-5180.00	-10070.00	-22390.00	-14340.00	-20280.00	-12551.90	-28249.60	-26282.20	-27450.90
18	पश्चिम बंगाल	17270.00	14570.00	13820.00	18920.00	17140.00	9100.00	16090.00	9807.00	10398.70	6171.00	---
19	दिल्ली	-10642.36	-4428.31	-4901.61	-5614.16	-6075.09	-8656.29	-5264.19	-4913.25	-6261.00	-9353.80	-7238.50

स्रोत: अन्य राज्यों के लिए – रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन (राज्य सरकारों के वित्त) 2020–21 और दिल्ली के लिए वास्तविक वित्त लेखा 2010–11 से 2018–19 एवं 2019–20 (RE), 2020-21 (BE)

तालिका 4.8 (ख)

सामान्य श्रेणी राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष / घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (RE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	-0.42	-0.83	-0.27	-0.07	4.61	1.21	2.51	2.04	1.61	2.74
2	बिहार	-3.10	-1.95	-1.81	-2.03	-1.71	-3.37	-2.57	-3.16	-1.30	3.03
3	छत्तीसगढ़	-2.81	-2.05	-1.47	0.39	0.71	-1.05	-2.20	-1.25	-0.22	2.86
4	गोआ	-1.96	-0.71	0.58	0.97	-0.59	-0.24	-1.11	-0.74	-0.49	-0.34
5	गुजरात	0.97	-0.52	-0.77	-0.58	-0.58	-0.17	-0.51	-0.39	-0.21	NA
6	हरियाणा	1.06	0.49	1.28	0.97	1.90	2.36	2.83	1.63	1.54	1.76
7	झारखण्ड	0.11	-0.95	-0.78	-1.44	0.11	-1.98	-0.83	-0.67	-1.98	-1.99
8	कर्नाटक	-1.02	-0.77	-0.27	-0.04	-0.06	-0.17	-0.11	-0.34	-0.05	-0.02
9	केरल	1.39	2.21	2.27	2.43	2.69	1.72	2.44	2.41	2.23	NA
10	मध्यप्रदेश	-2.60	-3.14	-1.96	-1.34	-1.31	-1.06	-0.58	-0.64	-1.09	0.30
11	महाराष्ट्र	0.06	0.18	-0.29	0.31	0.68	0.27	0.39	-0.09	-0.45	NA
12	उड़ीसा	-1.98	-2.43	-2.18	-1.12	-1.86	-3.09	-2.36	-3.03	-2.91	-1.18
13	पंजाब	2.34	2.55	2.49	1.97	2.14	2.19	1.71	2.01	2.50	2.20
14	राजस्थान	-0.31	-0.77	-0.70	0.19	0.52	0.87	2.38	2.22	3.07	2.75
15	तमिलनाडु	0.47	-0.18	-0.21	0.18	0.60	1.02	0.99	1.47	1.44	1.36
16	तेलंगाना	NA	NA	NA	NA	-0.07	-0.04	-0.21	-0.46	-0.50	-0.01
17	उत्तर प्रदेश	-0.58	-0.96	-0.63	-1.07	-2.21	-1.26	-1.57	-0.89	-1.78	-1.56
18	पश्चिम बंगाल	3.75	2.80	2.34	2.80	2.39	1.14	1.84	1.01	0.95	0.49
19	दिल्ली	-4.21	-1.29	-1.25	-1.26	-1.23	-1.57	-0.85	-0.72	-0.83	-1.13

तालिका 4.9 (क)

2010-11 से 2015-16 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का योजना व्यय और 2016-17 से 2020-21 (ब.अ.) के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का विकास व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (RE)	2020-21 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	34033.76	41973.10	43713.10	42185.34	32340.00	38510.00	98730.00	97992.00	109034.80	107930.40	161014.40
2	बिहार	20672.43	22998.83	28381.15	33677.55	42170.00	59970.00	89370.00	95620.00	105416.40	157426.50	148318.10
3	छत्तीसगढ़	11576.44	15318.73	19236.11	19497.69	27280.00	38030.00	45070.00	52060.00	57124.10	76786.90	73316.40
4	गोआ	2158.74	2307.49	2202.41	2732.21	2630.00	4500.00	7430.00	8740.00	8936.70	12716.90	14332.10
5	गुजरात	25798.28	30180.15	41007.50	42740.47	48890.00	58350.00	89860.00	102210.00	113738.90	125886.60	134455.00
6	हरियाणा	10637.86	12510.36	13931.49	15712.16	17750.00	42070.00	57260.00	60570.00	64059.90	73503.90	81657.70
7	झारखण्ड	12184.76	10953.67	12449.71	11192.75	18170.00	35210.00	43580.00	47380.00	44228.70	59797.20	61382.40
8	कर्नाटक	29487.10	35219.32	37453.05	44259.56	50700.00	59210.00	123990.00	136290.00	154532.20	157764.20	159069.00
9	केरल	7521.79	9152.87	10911.40	10924.97	14110.00	17370.00	55480.00	57230.00	60130.40	57515.90	74517.20
10	मध्यप्रदेश	22520.86	26268.66	31428.43	32367.42	39330.00	55160.00	116360.00	122800.00	126156.10	133113.40	127450.70
11	महाराष्ट्र	33256.41	37507.18	40323.26	45152.55	47190.00	69590.00	164370.00	173990.00	197185.00	264245.70	265671.10
12	उड़ीसा	11754.86	14411.73	17336.78	22957.31	29640.00	40060.00	65810.00	72810.00	83812.40	98864.60	104731.20
13	पंजाब	4497.75	3451.67	4581.44	3263.48	7510.00	10660.00	71310.00	29560.00	39778.40	60782.80	54808.40
14	राजस्थान	14172.46	20564.49	27159.28	31705.21	43130.00	97960.00	117450.00	123820.00	132572.10	146220.30	145424.20
15	तमिलनाडु	26777.90	34129.89	37905.89	43794.97	50610.00	59290.00	135150.00	121680.00	139695.40	153291.90	172483.40
16	तेलंगाना	NA	NA	NA	NA	23080.00	41630.00	92370.00	83950.00	93483.30	99700.60	141802.30
17	उत्तर प्रदेश	41237.90	43765.50	48870.10	63088.81	75830.00	107730.00	208490.00	186700.00	223914.30	267660.90	288105.20
18	पश्चिम बंगाल	14615.35	17233.60	22580.87	28159.37	39240.00	52860.00	94900.00	106500.00	122673.70	131651.70	140672.70
19	दिल्ली	10544.26	13700.30	13404.49	14240.19	13979.66	14934.59	27040.00	30370.00	32269.70	38641.70	48776.30

स्रोत : स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी ऑफ बजट्स, 2020-21 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य राज्यों के लिए और दिल्ली के लिए विस्तृत अनुदान मांगें 2010-11 से 2015-16

और 2016-17 से 2020-21 (BE) स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी ऑफ बजट्स, 2020-21 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से

* योजना और गैर योजना, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विलय कर दिया गया।

तालिका 4.9 (ख)

2010-11 से 2015-16 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का योजना व्यय और 2016-17 से 2019-20 (RE) के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का विकास व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (RE)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	5.83	11.06	10.63	9.09	6.16	6.37	14.43	12.35	12.64	11.10
2	बिहार	10.16	9.31	10.05	10.62	12.30	16.14	21.23	20.40	19.88	25.73
3	छत्तीसगढ़	9.69	9.69	10.84	9.43	12.34	16.89	17.96	19.00	18.79	23.33
4	गोआ	6.42	5.45	5.78	7.61	5.50	8.17	11.80	12.60	12.21	15.81
5	गुजरात	4.95	4.90	5.66	5.29	5.30	5.67	7.70	7.69	7.57	NA
6	हरियाणा	4.08	4.20	4.01	3.94	4.06	8.49	10.20	9.32	8.73	8.84
7	झारखण्ड	9.57	7.26	7.13	5.94	8.31	17.04	18.45	17.56	14.88	18.20
8	कर्नाटक	7.18	5.81	5.39	5.42	5.55	5.67	10.27	10.19	10.35	9.67
9	केरल	2.85	2.51	2.65	2.35	2.75	3.09	8.74	8.16	7.69	NA
10	मध्यप्रदेश	8.55	8.32	8.25	7.36	8.19	10.19	17.91	16.94	15.58	14.68
11	महाराष्ट्र	3.17	2.93	2.76	2.74	2.65	3.54	7.48	7.30	7.49	NA
12	उड़ीसा	5.95	6.24	6.62	7.74	9.43	12.19	16.75	16.51	17.18	18.97
13	पंजाब	1.99	1.29	1.54	0.98	2.11	2.73	16.70	6.28	7.56	10.58
14	राजस्थान	4.19	4.73	5.50	5.75	7.01	14.37	15.44	14.83	14.06	14.32
15	तमिलनाडु	4.58	4.54	4.43	4.52	4.72	5.04	10.38	8.31	8.57	8.30
16	तेलंगाना	NA	NA	NA	NA	4.56	7.20	14.03	11.15	10.86	10.28
17	उत्तर प्रदेश	6.87	6.04	5.94	6.71	7.49	9.47	16.18	13.18	14.13	15.86
18	पश्चिम बंगाल	3.17	3.31	3.82	4.16	5.46	6.63	10.88	10.93	11.26	10.50
19	दिल्ली	4.17	3.98	3.42	3.21	2.83	2.71	4.39	4.48	4.30	4.65

स्रोत : स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी ऑफ बजट्स, 2020-21 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य राज्यों के लिए और दिल्ली के लिए विस्तृत अनुदान मांगें 2010-11 से 2015-16 और 2016-17 से 2019-20 (RE) स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी ऑफ बजट्स, 2020-21 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से

* योजना और गैर योजना, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विलय कर दिया गया।

तालिका 4.10

सामान्य श्रेणी राज्यों और भारत सरकार का जीएसडीपी और जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर

(करोड़ रुपये में)

S.N.	Name of the State	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	583762	379402	411404	464272	524976	604229	684416	793186	862957	972782
2	बिहार	203555	247144	282368	317101	342951	371602	421051	468746	530363	611804
3	छत्तीसगढ़	119420	158074	177511	206833	221118	225163	250882	274042	304063	329180
4	गोआ	33605	42367	38120	35921	47814	55054	62976	69352	73170	80449
5	गुजरात	521519	615606	724495	807623	921773	1029010	1167156	1329095	1502899	NA
6	हरियाणा	260621	297539	347032	399268	437145	495504	561610	649592	734163	831610
7	झारखण्ड	127281	150918	174724	188567	218525	206613	236250	269816	297204	328598
8	कर्नाटक	410703	606010	695413	816666	913923	1045168	1207609	1336917	1493127	1631977
9	केरल	263773	364048	412313	465041	512564	561994	634886	701577	781653	NA
10	मध्यप्रदेश	263396	315562	380925	439483	479939	541068	649823	724729	809592	906672
11	महाराष्ट्र	1049150	1280369	1459629	1649647	1779138	1966225	2198324	2382570	2632792	NA
12	उड़ीसा	197530	230987	261700	296475	314250	328550	392804	440879	487805	521275
13	पंजाब	226204	266628	297734	332147	355102	390087	426988	470834	526376	574760
14	राजस्थान	338348	434837	493551	551031	615642	681482	760750	835170	942586	1020989
15	तमिलनाडु	584896	751486	854825	968530	1072678	1176500	1302639	1465051	1630208	1845853
16	तेलंगाना	263897	359434	401594	451580	505849	577902	658325	753127	861031	969604
17	उत्तर प्रदेश	600286	724050	822393	940356	1011790	1137808	1288700	1416006	1584764	1687818
18	पश्चिम बंगाल	460959	520485	591464	676848	718082	797300	872527	974700	1089898	1253832
19	दिल्ली	252753	343798	391388	443960	494803	550804	616085	677900	750962	830872
20	All India GDP	7248860	8736329	9944013	11233522	12467959	13771874	15391669	17090042	18886957	20351013

Source:- Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Government of India (From 2008-09 to 2010-11 are from 2004-05 series released on 29.07.2015, from 2011-12 to 2018-19 are from 2011-12 series released on 01.02.2021. All India GDP figures released by MoSPI.

तालिका 6.1

महीना और वर्ष वार अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100)

महीना/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	110.2	109.0	113.2	117.3	121.1
मई	111.4	110.4	112.9	118.3	121.6
जून	111.8	111.7	112.7	119.1	121.5
जुलाई	111.1	111.8	113.9	119.9	121.3
अगस्त	110.0	111.2	114.8	120.1	121.5
सितम्बर	109.9	111.4	114.9	120.9	121.3
अक्टूबर	110.1	111.5	115.6	122	122
नवम्बर	109.9	111.9	116.4	121.6	122.3
दिसम्बर	109.4	111.7	115.7	119.7	123
जनवरी	108.0	112.6	116	119.2	123.4
फरवरी	107.1	113.0	116.1	119.5	122.2
मार्च	107.7	113.2	116.3	120	120.4
वार्षिक औसत	109.7	111.6	114.9	119.8	121.8
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-3.7	1.7	2.9	4.3	1.7

स्रोत आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 6.2
भारत में बड़े शहरों के औद्योगिक श्रमिकों
के लिए समूह-वार मूल्य सूचकांक अंक 2018 और 2019

(औसत वार्षिक सूचकांक)

क्र. स.	शहर	खाद्य	पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्य	ईंधन और प्रकाश	आवास	वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर	विविध	सामान्य सूचकांक
1.	अखिल भारतीय							
	क 2018	310	375	269	361	220	243	295
	ख. 2019	328	389	280	428	225	253	317
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	5.8	3.7	4.1	18.6	2.3	4.1	7.5
2.	दिल्ली							
	क 2018	293	333	238	304	246	225	275
	ख. 2019	309	341	220	401	253	231	303
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	5.5	2.4	-7.6	31.9	2.8	2.7	10.2
3.	मुम्बई							
	क 2018	312	389	315	302	206	259	294
	ख. 2019	332	401	341	336	209	270	312
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	6.4	3.1	8.3	11.3	1.5	4.2	6.1
4.	चेन्नई							
	क 2018	320	480	133	224	189	249	269
	ख. 2019	340	516	142	229	189	162	284
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	6.3	7.5	6.8	2.2	0.0	5.2	5.6
5.	कोलकाता							
	क 2018	309	376	314	240	226	221	278
	ख. 2019	318	401	326	271	227	236	292
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	2.9	6.6	3.8	12.9	0.4	6.8	5.0

स्रोत : श्रम ब्यूरो शिमला

तालिका 7.1

दिल्ली का भूमि उपयोग पैटर्न : 2000-01 से 2019-20

(क्षेत्र हैक्टेयर्स में)

क्र स	वर्ष	गांव के कागजात के अनुसार वन क्षेत्र (विशेष वन भूमि)	खेती के लिए उपलब्ध नहीं	जुताई न किए जा सकने वाले अन्य क्षेत्र	परती भूमि	विशुद्ध क्षेत्र	कुल फसल क्षेत्र
1.	2000-01	147488	76597	11143	11544	34034	52817
2.	2001-02	147488	116988	11143	19427	29116	48445
3.	2002-03	147488	106006	11143	18649	29477	43391
4.	2003-04	147488	89326	11141	19014	26971	41509
5.	2004-05	147488	88442	11162	19389	24214	36957
6.	2005-06	147488	88442	11143	19287	23809	36041
7.	2006-07	147488	95798	9294	19287	23109	34981
8.	2007-08	147488	93944	11143	19345	23056	33078
9.	2008-09	147488	93864	11077	19522	23025	32288
10	2009-10	147488	91425	11144	19227	22575	33700
11	2010-11	147488	92700	11144	20043	22124	31366
12	2011-12	147488	90875	11144	19234	22885	36445
13	2012-13	147488	91058	11144	19230	23118	35178
14	2013-14	147488	92701	11124	19225	23150	34312
15	2014-15	147488	92700	11124	19225	23150	34312
16	2015-16	147488	92700	11124	19225	23150	34312
17	2016-17	147488	92700	11124	19225	23150	34750
18	2017-18	147488	92700	11124	19225	23150	34750
19	2018-19	147488	92700	11124	19225	22300	33455
19	2019-20	147488	92700	11124	19225	29000	43500

स्रोत : 1. विकास विभाग, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार

2 दिल्ली सांख्यिकीय हैंड बुक, डीईएस, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार

तालिका 7.2

दिल्ली में 2006-07 से 2019-20 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन और पैदावार

(उत्पादन मीट्रिक टन में)
(पैदावार कि.ग्रा./हैक्टेयर में)

क्र.स.	वर्ष	गेहूं	बाजरा	ज्वार	धान
1.	2006-07				
	क. उत्पादन	78534	2882	10917	31000
	ख. पैदावार	4344	1810	1235	4210
2.	2007-08				
	क. उत्पादन	79975	2934	8351	31337
	ख. पैदावार	4355	1849	945	4230
3.	2008-09				
	क. उत्पादन	80355	2943	7950	29810
	ख. पैदावार	4360	1900	965	4235
4.	2009-10				
	क. उत्पादन	92480	2979	31681	28512
	ख. पैदावार	4340	1875	960	4180
5.	2010-11				
	क. उत्पादन	87385	2876	32270	28625
	ख. पैदावार	4350	1878	965	4250
6.	2011-12				
	क. उत्पादन	82142	2689	30328	30297
	ख. पैदावार	4340	1872	965	4180
7.	2012-13				
	क. उत्पादन	84802	3815	30082	29652
	ख. पैदावार	4360	1878	966	4322
8.	2013-14				
	क. उत्पादन	86498	3815	30082	29652
	ख. पैदावार	5232	1878	966	4322
9.	2014-15				
	क. उत्पादन	85558	3817	NA	25904
	ख. पैदावार	4419	2513	906	4292
10.	2015-16				
	क. उत्पादन	83419	3256	3034	25256
	ख. पैदावार	4379	2197	960	4292
11.	2016-17				
	क. उत्पादन	87182	3278	3065	25891
	ख. पैदावार	4443	2190	960	4335
12.	2017-18				
	क. उत्पादन	83419	3256	3035	25256
	ख. पैदावार	4311	2197	960	4314
13.	2018-19				
	क. उत्पादन	82876	3249	3032	25240
	ख. पैदावार	4312	2198	961	4316
14.	2019-20				
	क. उत्पादन	82870	3240	3000	25200
	ख. पैदावार	4311	2196	952	4315

स्रोत : 1. विकास विभाग, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार
2. दिल्ली सांख्यिकीय हैंड बुक, डीईएस, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार

तालिका : 12.1

दिल्ली में मोटर वाहन

क्र सं	वर्ष	कार और जीप	मोटर साइकल और स्कूटर	एम्बुलेंस	ऑटो रिक्शा	टैक्सी	बसें	अन्य यात्री वाहन	ट्रैक्टर	मालवाहक वाहन (सभी प्रकार)	अन्य	कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2005-06	1471858	3078660	2088	74188	20646	25511	18378	4811	128193	5803	4830136
2	2006-07	1599463	3335763	2222	74200	25891	26491	19751	4859	137983	5803	5232426
3	2007-08	1729695	3578199	2226	75297	30704	26933	18967	4855	155871	4637	5627384
4	2008-09	1863574	3808503	2294	83965	4001	28453	19766	4970	170398	4637	6026561
5	2009-10	2017882	4065789	2392	86501	45169	30560	20371	5058	188353	4637	6466713
6	2010-11	2177525	4352963	2503	88200	57887	33067	21178	5148	204428	4637	6947536
7	2011-12	2347276	4654706	2589	88216	68965	34251	23214	5558	223534	4676	7452985
8	2012-13	2483886	4980227	1459	76603	71112	19942	11380	1638	139123	1738	7785608
9	2013-14	2625250	5296163	1519	78750	74758	19641	11289	1651	149147	106	8258274
10	2014-15	2790566	5681265	1527	81633	79606	19729	11284	1637	160156	28	8827431
11	2015-16	2986579	6104070	2990	198137	91073	34365	6368		281159		9704741
12	2016-17	3152710	6607879	3059	105399	118308	35206	59759		300437		10382757
13	2017-18	3246637	7078428	3220	113074	118060	35285	76231		315080		10986015
14	2018-19	3249670	7556002	2358	113240	109780	32218	81422		246861		11391551
15	2019-20	3311579	7959753	2287	114891	122476	33302	85477		263112		11892877

स्रोत : रा रा क्षेत्र दिल्ली सरकार की सूचना टेक्नोलॉजी शाखा द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को उपलब्ध कराया

गया वाहन 4.0 साफ्टवेयर

तालिका : 12.2

मोटर वाहन—प्रतिशत योगदान

क्र सं	विवरण	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11	2011 -12	2012 -13	2013 -14	2014 -15	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2019 -20
1	कारें और जीपें	30.47	30.57	30.74	30.92	31.2	31.34	31.50	31.90	31.78	31.61	30.77	30.36	29.55	28.53	27.85
2	मोटर साइकिल और स्कूटर	63.74	63.75	63.58	63.2	62.87	62.65	62.46	63.97	64.13	64.35	62.90	63.64	64.43	66.33	66.93
3	एम्बुलेंस	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
4	ऑटोरिक्श	1.54	1.42	1.34	1.39	1.34	1.27	1.18	0.98	0.95	0.92	2.04	1.02	1.03	0.99	0.97
5	टैक्सियां	0.43	0.49	0.54	0.66	0.7	0.83	0.93	0.91	0.90	0.90	0.94	1.14	1.07	0.96	1.03
6	बसें	0.53	0.51	0.48	0.47	0.47	0.48	0.46	0.26	0.23	0.22	0.35	0.33	0.32	0.28	0.28
7	अन्य यात्री वाहन	0.38	0.38	0.34	0.33	0.32	0.30	0.31	0.14	0.13	0.12	0.07	0.58	0.69	0.71	0.72
8	ट्रैक्टर	0.1	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.02	0.02	0.01	2.90	2.89	2.86	2.17	2.21
9	मालवाहक वाहन (सभी प्रकार के)	2.65	2.64	2.77	2.83	2.91	2.94	3.00	1.78	1.80	1.81					
10	अन्य	0.12	0.11	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.02	0.001	0.003					
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत : रा रा क्षेत्र दिल्ली सरकार की सूचना टेक्नोलॉजी शाखा द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया वाहन 4.0 साफ्टवेयर

तालिका 13.1
जल कनेक्शन और खपत : 1976-77 से 2019-20

क्र सं	वर्ष	कनेक्शन (सं)		खपत (एलकेएलडी)			प्रति व्यक्ति खपत (गैलन/दिन)
		मीटर युक्त	बिना मीटर के	घरेलू	वाणिज्यिक और औद्योगिक	कुल	
1.	1976-77	210931	28673	1174	387	1561	30.38
2.	1977-78	239854	22633	1414	364	1778	33.17
3.	1978-79	258307	20159	1529	352	1881	33.65
4.	1979-80	314763	16131	1519	364	1883	32.26
5.	1980-81	355157	13143	1542	411	1953	32.07
6.	1981-82	386167	12620	1556	509	2065	32.24
7.	1982-83	409184	11396	1648	490	2138	32.16
8.	1983-84	437251	11185	NA	NA	NA	NA
9.	1984-85	475009	10457	1929	507	2436	33.65
10.	1985-86	501174	10054	2524	513	3037	40.22
11.	1986-87	547000	26000	2918	483	3401	43.27
12.	1987-88	580000	30000	NA	NA	NA	NA
13.	1988-89	625000	126000	NA	NA	NA	NA
14.	1989-90	637914	206850	3534	523	4067	45.57
15.	1990-91	678461	226960	4013	527	4540	49.03
16.	1991-92	700923	245451	4049	556	4605	47.66
17.	1992-93	745029	253977	4082	567	4649	46.66
18.	1993-94	804180	294174	4087	424	4511	43.74
19.	1994-95	826624	311262	4057	433	4490	42.04
20.	1995-96	853807	315687	4114	627	4841	43.76
21.	1996-97	915974	284917	8377	1478	9855	80.24
22.	1997-98	934170	290217	8120	1408	9528	94.11
23.	1998-99	959432	297182	8451	1491	9942	51.00
24.	1999-00	997057	300102	8451	1491	9942	51.00
25.	2000-01	1034724	312000	9295	1475	10770	50.00
26.	2001-02	102326	313112	9296	1640	10936	40.00
27.	2002-03	1139373	322460	9624	1312	10936	39.50
28.	2003-04	1173693	329278	9770	1332	11102	39.00
29.	2004-05	1216542	335052	9842	1343	11185	48.02
30.	2005-06	1256040	342867	9770	1332	11102	47.50
31.	2006-07	1296094	340651	10976	955	11931	48.00
32.	2007-08	1329953	346501	11102	1160	12262	48.00
33.	2008-09	1338944	373354	11997	1260*	13257*	50.00
34.	2009-10	1427768	357256	12143*	1258*	13671*	50.00
35.	2010-11	1480441	314774	13754*	--	13754*	50.00
36.	2011-12	1540968	399930	12789*	1296*	14085*	50.00
37.	2012-13	1647363	330445	--	--	13938	--
38.	2013-14	1777207	287108	--	--	13478	--
39.	2014-15	1862753	265925	--	--	14085	50.00
40.	2015-16	1919238	394689	--	--	14914* \$	48.00
41.	2016-17	1986509	178845	5731.35	611.76	6343.11	48.00
42.	2017-18	2082967	159249	5593.26	807.93	6401.19	--
43.	2018-19	2193825	154012	6451.85	1540.69	7992.54**	--
44.	2019-20	2284805	80856	8165.53	532.76	8698.29	--

स्रोत: दिल्ली जल बोर्ड

नोट : एलकेएलडी - लाख किलो लीटर प्रति दिन

*जल हानियों सहित, \$ अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है। ** NDMC/MES 532.76 सहित

तालिका 13.2

विभिन्न प्रकार की बस्तियों में सीवरेज सुविधाएं

क्र सं	वर्ष	बस्ती		
		शहरी गांव	नियमित अनधिकृत कालोनियां	जे जे पुनर्वास बस्ती
1	बस्तियां			
	2001	135	567	44
	2003	135	567	44
	2007	135	567	44
	2008	135	567	44
	2009	135	567	44
	2010	135	567	44
	2011	135	567	44
	2012	135	567	44
	2013	135	567	44
	2014	135	567	44
	2015	135	567	44
	2016	135	567	44
	2017	135	567	44
	2018	135	567	44
	2019	135	567	44
	2020	135	567	44
2.	बस्तियों में सीवरेज सुविधाएं			
	2001	93	402	44
	2003	93	458	44
	2007	107	517	44
	2008	108	523	44
	2009	111	530	44
	2010	111	535	44
	2011	111	535	44
	2012	118	535	44
	2013	129	541	44
	2014	129	541	44
	2015	129	541	44
	2016	129	541	44
	2017	129	541	44
	2018	129	541	44
	2019	130	541	44
	2020	130	541	44

तालिका 13.3

दिल्ली में जलापूर्ति स्रोत – 2011

क्र सं	स्रोत	परिवारों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	सभी स्रोत	79115 (100)	3261423 (100)	3340538 (100)
2.	नल	47004 (59.50)	2669789 (81.90)	2716793 (81.30)
3.	हैंडपंप / ट्यूबवेल	22567 (28.50)	435410 (13.40)	457977 (13.70)
4.	कुएं	250 (0.30)	2917 (0.10)	3167 (0.10)
5.	नदी / नहर / तालाब / झरने सहित अन्य	9294 (11.80)	153307 (4.70)	162601 (4.90)

स्रोत : भारत की जनगणना – 2011

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं

तालिका 14.1

1961-2011 के दौरान दिल्ली का क्षेत्रफल : ग्रामीण और शहरी

(वर्ग किलोमीटर)

क्र सं	वर्ष	शहरी		ग्रामीण		कुल	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	1961	326.54	22.0	1157.52	78.0	1484.00	100.0
2	1971	446.30	30.0	1038.70	70.0	1485.00	100.0
3	1981	591.80	40.0	891.10	60.0	1483.00	100.0
4	1991	700.23	47.0	782.77	53.0	1483.00	100.0
5	2001	924.68	62.0	558.32	38.0	1483.00	100.0
6	2011	1113.65	75.0	369.35	25.0	1483.00	100.00

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महापंजीयक

तालिका 14.2

जनसंख्या का घनत्व : 1961-2011

क्र सं	Years	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति)			शहरी आबादी (लाख)
		शहरी	ग्रामीण	कुल	
1	1961	7225	258	1792	23.59 (88.72)
2	1971	8172	403	2738	36.47 (89.69)
3	1981	9745	507	4194	57.68 (92.73)
4	1991	12098	1212	6532	84.72 (89.94)
5	2001	13957	1592	9240	129.06 (93.18)
6	2011	14698	1135	11320	163.34 (97.50)

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महापंजीयक

नोट : कोष्ठक में आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 14.3

दिल्ली में पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता और स्रोत के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण : 2011

क्र सं	सुविधाएं	परिवार	प्रतिशत
I.	परिवारों की कुल संख्या	3340538	100.00
II.	पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता		
	क) शोधित स्रोत से	2511646	75.19
	ख) अशोधित स्रोत से	205147	6.14
	ग) कवर किए गए कुएं	2541	0.08
	घ) हैंडपंप	177049	5.30
	ङ) ट्यूबवेल	280605	8.40
	च) तालाब/सरोवर/झील	40086	1.20
	छ) कोई अन्य	120259	3.60
III.	पेयजल स्रोत की उपलब्धता		
	क) परिसर के भीतर	2618982	78.4
	ख) परिसर के निकट	514443	15.4
	ग) परिसर से दूर	207113	6.20

स्रोत : भारत की जनगणना, 2011 मकान, परिवार, सुविधाएं और परिसंपत्तियां

तालिका : 14.4

इस्तेमाल के आधार पर जनगणना आवास : 1991, 2001, 2011

क्र सं	विवरण	1991		2001		2011	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
I.	जनगणना आवासों की संख्या	2,446,143	100.00	3,379,956	100.0	4605555	100.00
1.	रिक्त जनगणना आवास	293,677	12.00	377,790	11.18	512691	11.13
2.	अधिकृत जनगणना आवास	2,152,466	88.00	3,002,166	88.82	4092864	88.87
II	उपयोग के अनुसार अधिकृत जनगणना आवास						
1	कुल	2,152,466	100.00	3002,166	100.00	4092864	100.00
2	आवास	1,713,952	79.63	2,316,996	77.18	3176329	88.90
3	आवास एवं अन्य उपयोग	88,386	4.11	135,406	4.51	137575	77.6
4	दुकान/कार्यालय	172,701	8.02	319,233	10.63	377299	3.4
5	स्कूल, कालेज आदि	--	--	7,620	0.25	9709	9.2
6	होटल लॉज गैस्ट हाउस आदि	2,734	0.13	6,005	0.2	7754	0.2
7	अस्पताल, औषधालय आदि	--	--	7,661	0.26	7853	0.2
8	फैक्टरी, वर्कशाप, वर्कशेड आदि	86,170	4	80,165	2.67	90945	2.2
9	पूजा स्थल	3,974	0.18	8,249	0.27	8668	0.2
10	अन्य गैर-आवासीय उपयोग	84,549	3.93	120,831	4.00	237244*	5.8

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991, 2001, और 2011, भारत के महापंजीयक

*इनमें अधिकृत बंद पड़े जनगणना आवास शामिल हैं।

तालिका : 14.5

रा. रा. क्षे. दिल्ली में जनगणना टाउन और बसे हुए गांव : 1901-2011

क्र. सं.	वर्ष	संख्या		अभ्युक्ति
		गांव	नगर	
1	1901	--	2	1901 और 1911 उस समय दो टाउन थे, अर्थात् दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी और शाहदरा (उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से स्थानांतरित)
2	1911	--	2	
3	1921	314	1	1921 उससमय केवल एक टाउन था, अर्थात् दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी
4	1931	307	3	1931, उस समय तीन टाउन थे, यानी 1. पुरानी दिल्ली, जिसमें म्युनिसिपैलिटी, सिविल स्टेशन नोटिफाइड एरिया और लाल किला, 2 नई दिल्ली या इम्पीरियल दिल्ली और 3 शाहदरा
5	1941	305	9	1941 की जनगणना दिल्ली म्युनिसिपैलिटी, दिल्ली छावनी, दिल्ली सिविल लाइंस और लालकिला अलग अलग टाउन थे। इसके अतिरिक्त नरेला, नजफगढ़ और महारौली को भी पहली बार उनके शहरी स्वरूप को देखते हुए अलग टाउनों के रूप में समझा गया। इस प्रकार टाउनों की संख्या 9 हो गई।
6	1951	304	10	1951 पश्चिम दिल्ली नाम का एक और टाउन शामिल किया गया। इस प्रकार टाउनों की कुल संख्या बढ़ कर 10 हो गई।
7	1961	276	3	दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन (डीएमसी) की स्थापना 1958 में हुई 1961 में एनडीएमसी और दिल्ली छावनी को छोड़ कर सभी टाउनों को दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के अंतर्गत लाया गया। इसके साथ ही टाउनों की कुल संख्या घटकर तीन रह गई।
8	1971	243	3	टाउनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
9	1981	214	30	1981 वैधानिक टाउनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संघ शासित प्रदेश में जनगणना टाउन की धारणा 1981 की जनगणना में पहली बार अपनाई गई। तदनु रूप 27 गांवों को जनगणना टाउन समझा गया और इस तरह टाउनों की कुल संख्या 30 हो गई।
10	1991	199	32	1991, 1981 की जनगणना के 27 टाउनों में से छह का डीएमसी (यू) में विलय हो गया और 2 जनगणना टाउन गैर वर्गीकृत करदिए गए। 10 गांवों को पहली बार जनगणना टाउन के रूप में मान्यता दी गई। इसप्रकार टाउनों की कुल संख्या बढ़ कर 32हो गई। (वैधानिक टाउन्स-3 जनगणना टाउन-29)
11.	2001	158	62	2001 की जनगणना 1991 की जनगणना के तीन टाउनों का शहरीकरण किया गया और दो जनगणना टाउन अवर्गीकृत किए गए। पहली बार 35 गांवों को जनगणना टाउन समझा गया। इस प्रकार टाउनों की कुल संख्या 62 हो गई। (वैधानिक टाउन 3, जनगणना टाउन 59)
12	2011	105	113	2011 की जनगणना के अस्थाई परिणामों, परिपत्र संख्या 2 के अनुसार 2011 की जनगणना के लिए 112 गांव हैं, जिनमें से 105 आबाद हैं। इसके बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली के 113 जनगणना टाउन हो गए हैं जिनमें से 55 नए जनगणना टाउन हैं। (वैधानिक टाउन 3, जनगणना टाउन 110)

स्रोत : 1. भारत की जनगणना 2011, सीरीज-8, जनगणना आंकड़ों पर एक नज़र, जनगणना निदेशालय।

2. शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दिस।

तालिका 17.1

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी : 2011

(लाख में)

क्र सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अजा आबादी	अजजा आबादी	कुल जनसंख्या में अजा/अजजा का प्रतिशत	
				अजा	अजजा
1.	आंध्र प्रदेश	138.78	59.18	16.4	7.0
2.	अम्णाचल प्रदेश	---	9.51	---	68.8
3.	असम	22.31	38.84	7.2	12.4
4.	बिहार	165.67	13.36	15.9	1.3
5.	गोआ	0.25	1.49	1.7	10.2
6.	गुजरात	40.74	89.17	6.7	14.8
7.	हरियाणा	51.13	---	20.2	---
8.	हिमाचल प्रदेश	17.29	3.92	25.2	5.7
9.	कर्नाटक	104.75	42.49	17.1	7.0
10.	केरल	30.40	4.85	9.1	1.5
11.	मध्य प्रदेश	113.42	153.17	15.6	21.1
12.	महाराष्ट्र	132.76	105.10	11.8	9.4
13.	मणिपुर	0.97	9.02	3.8	35.1
14.	मेघालय	0.17	25.56	0.6	86.1
15.	मिजोरम	0.01	10.36	0.1	94.4
16.	नागालैंड	---	17.10	---	86.5
17.	उड़ीसा	71.88	95.91	17.1	22.8
18.	पंजाब	88.60	--	31.9	--
19.	राजस्थान	122.21	92.38	17.8	13.5
20.	सिक्किम	0.28	2.06	4.6	33.8
21.	तमिलनाडु	144.38	7.95	20.0	1.1
22.	त्रिपुरा	6.55	11.67	17.8	31.8
23.	उत्तर प्रदेश	413.57	11.34	20.7	0.6
24.	पश्चिम बंगाल	214.63	52.97	23.5	5.8
25.	जम्मू कश्मीर	9.25	14.93	7.4	11.9
26.	उत्तराखंड	18.92	2.91	18.8	2.9
27.	झारखंड	39.86	86.45	12.1	26.2
28.	छत्तीसगढ़	32.74	78.23	12.8	30.6
संघ शासित प्रदेश					
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	---	0.28	---	7.5
2.	चंडीगढ़	1.99	---	18.9	---
3.	दादरा नगर हवेली	0.062	1.78	1.8	52.0
4.	दमन और दीव	0.061	0.15	2.5	6.3
5.	दिल्ली	28.12	---	16.8	---
6.	लक्षद्वीप	--	0.61	---	94.8
7.	पांडिचेरी	1.96	---	15.7	---
	भारत	2013.78	1042.81	16.6	8.6

स्रोत : जनसंख्या का स्वरूप भारत की जनगणना, 2011, भारत के महापंजीयक

तालिका 21.1

2001-2011 के दौरान राज्यवार जनसंख्या, कार्मिक, कार्मिकों का प्रतिशत और कार्मिकों की संख्या में वृद्धि

(लाख में)

क्र सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनसंख्या		कार्मिक		कार्मिकों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत		2001-2011 में कार्मिकों में प्रतिशत वृद्धि
		2001	2011	2001	2011	2001	2011	
1.	आंध्र प्रदेश	762.10	845.80	348.94	394.23	45.79	46.61	12.98
2.	अम्णाचल प्रदेश	10.98	13.84	4.83	5.88	43.99	42.49	21.74
3.	असम	266.56	312.06	95.39	119.70	35.79	38.36	25.48
4.	बिहार	829.99	1040.99	279.75	347.25	33.71	33.36	24.13
5.	गोआ	13.48	14.59	5.23	5.77	38.80	39.55	10.33
6.	गुजरात	506.71	604.40	212.56	247.68	41.95	40.98	16.52
7.	हरियाणा	211.45	253.51	83.77	89.17	39.62	35.17	6.45
8.	हिमाचल प्रदेश	60.78	68.65	29.92	35.59	49.23	51.84	18.95
9.	जम्मू कश्मीर	101.44	125.41	37.54	43.23	37.01	34.47	15.16
10.	कर्नाटक	528.51	610.95	235.35	278.73	44.53	45.62	18.43
11.	केरल	318.41	334.06	102.84	116.19	32.30	34.78	12.98
12.	मध्य प्रदेश	603.48	726.27	257.94	315.74	42.74	43.47	22.41
13.	महाराष्ट्र	968.78	1123.74	411.73	494.28	42.50	43.99	20.05
14.	मणिपुर	21.67	28.55	10.70	13.04	49.38	45.87	21.86
15.	मेघालय	23.18	29.67	9.70	11.86	41.85	39.97	22.27
16.	मिजोरम	8.89	10.97	4.67	4.87	52.53	44.39	4.28
17.	नागालैंड	19.90	19.78	8.48	9.74	42.61	49.24	14.86
18.	उड़ीसा	368.05	419.74	142.76	175.42	38.79	41.79	22.88
19.	पंजाब	243.59	277.43	91.27	98.97	37.47	35.67	8.44
20.	राजस्थान	565.07	685.48	237.67	298.86	42.06	43.60	25.75
21.	सिक्किम	5.41	6.11	2.63	3.08	48.61	50.41	17.11
22.	तमिलनाडु	624.06	721.47	278.78	328.85	44.67	45.58	17.96
23.	त्रिपुरा	31.99	36.74	11.60	14.70	36.26	40.01	26.72
24.	उत्तर प्रदेश	1661.98	1998.12	539.84	658.15	32.48	32.94	21.92
25.	पश्चिम बंगाल	801.76	912.76	294.82	347.56	36.77	38.08	17.89
26.	उत्तराखंड	84.89	100.86	31.34	38.72	36.92	38.39	23.55
27.	झारखंड	269.46	329.88	101.09	130.98	37.52	39.71	29.57
28.	छत्तीसगढ़	208.34	255.45	96.80	121.80	46.46	47.68	25.83
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3.56	3.80	1.36	1.53	38.20	40.26	12.50
30.	चंडीगढ़	9.01	10.55	3.40	4.04	37.74	38.29	18.82
31.	दादरा नगर हवेली	2.20	3.44	1.14	1.57	51.82	45.64	37.72
32.	दमन और दीव	1.58	2.43	0.73	1.21	46.20	49.79	65.75
33.	दिल्ली	138.50	167.88	45.45	55.87	32.82	33.28	22.93
34.	लक्षद्वीप	0.61	0.65	0.15	0.19	24.59	29.23	26.67
35.	पांडिचेरी	9.74	12.48	3.43	4.45	35.22	35.66	29.74
	भारत	10286.11	12108.70	4023.60	4818.9	39.11	39.8	19.76

स्रोत : जनसंख्या का स्वरूप भारत की जनगणना, 2011, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त

तालिका 21.2

1999-2012 के दौरान दिल्ली की जनसंख्या का वितरण- श्रमिक और गैर-श्रमिक

(संख्या लाख में)

क्र सं	एन एस एस ओ सर्वेक्षण दौर	बेरोजगार	कार्मिक	कार्मिकों से इतर	जनसंख्या	बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत	बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत
1.	55वां दौर (1999-2000)	38.95 (29.29)	5.59 (4.20)	44.54 (33.49)	88.44 (66.51)	132.98 (100.00)	12.55
2.	57वां दौर (2001-02)	41.75 (29.93)	2.95 (2.12)	44.70 (32.05)	94.80 (67.95)	139.50 (100.00)	6.61
3.	59वां दौर (2003)	45.49 (30.68)	2.21 (1.49)	47.70 (32.17)	100.58 (67.83)	148.28 (100.00)	4.64
4.	60वां दौर (2004)	48.57 (32.11)	2.94 (1.94)	51.51 (34.05)	99.77 (65.95)	151.28 (100.00)	5.71
5.	61वां दौर (2004-05)	50.55 (32.47)	1.65 (1.06)	52.20 (33.53)	103.49 (66.47)	155.69 (100.00)	3.16
6.	62वां दौर (2005-06)	54.26 (33.87)	2.28 (1.42)	56.54 (35.29)	103.67 (64.71)	160.21 (100.00)	4.02
7.	64वां दौर (2007-08)	57.08 (33.68)	3.19 (1.86)	60.27 (35.54)	109.28 (64.46)	169.55 (100.00)	5.29
8.	66वां दौर	52.96 (32.39)	1.74 (1.07)	54.70 (33.45)	108.83 (66.55)	163.54 (100.00)	3.18
9.	68वां दौर (जुलाई 2011- जून 2012)	57.06 (33.39)	2.66 (1.56)	59.73 (34.95)	111.16 (65.05)	170.89 (100.00)	4.45

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

नोट: कोष्ठक में संख्या कुल जनसंख्या का प्रतिशत है।

तालिका 21.3
दिल्ली में बेरोजगारी

क्र.स.	वर्ष	बेरोजगार व्यक्ति (संख्या)					पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
		मैट्रिक से कम	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	स्नातक स्नातकोत्तर	अन्य डिप्लोमाधारी	कुल	
1.	1997	251514	562633	261433	21873	1097453	1.49
2.	1998	273364	559068	273476	22280	1128188	2.80
3.	1999	253606	496918	194908	20689	966121	-14.37
4.	2000	238386	528554	203081	20646	990667	2.54
5.	2001	230695	562781	193941	18825	1006242	1.57
6.	2002	233695	594999	210548	19763	1059005	5.24
7.	2003	226663	635623	216917	19774	1098977	3.77
8.	2004	160434	294928	164815	16023	636200	-42.11
9.	2005	186662	296527	176537	14126	673852	5.92
10.	2006	171601	216894	140366	28006	556867	-17.36
11.	2007	125302	180477	126240	19076	451495	-18.92
12.	2008	145637	201266	140719	19297	506919	12.28
13.	2009	51575	297757	56441	8766	414539	-18.22
14.	2010	73259	296047	100717	23361	493384	19.02
15.	2011	91925	389742	132497	29139	643303	30.39
16.	2012	106362	467479	163174	37554	774569	20.41
17.	2013	128040	495423	186895	44934	855292	10.42
18.	2014	137158	616019	211860	52532	1017569	18.97
19.	2015	141749	656088	229483	56576	1083896	6.51
20.	2016	144774	686859	246165	60098	1137896	4.98
21.	2017	149200	703041	279058	66588	1197887	5.27

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैड बुक

नोट : पीजी का अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएट, ओडीएचएस-अन्य डिप्लोमा धारक